(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्टम् सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या : 14

शुक्रवार

13 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब चूंकि ग्राप लोगों ने 10 प्रश्न लेने का मानस बना लिया है इसलिए मैं ग्राज जोर से नहीं बोलूंगा। मगर धीरे भी बोलूं तो ग्राप उसकी जोर से समझना । श्री रामस्वरूप मीणा ।

टोडाभीम क्षेत्र के ग्रकालग्रस्त ग्राम

353. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में इस वर्ष ग्रकाल घोषित किया गया ? कितनों में नहीं ग्रौर क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

ग्रकाल राहत मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : पहला सवाल रामस्वरूप जी ने पूछा है, ग्रब क्या होगा ? मैं यही सोच रहा हूं ।

श्री ग्रध्यक्ष : देखिये जब शुरूग्रात एस. टी. ग्रौर एस. सी. से होती है तो शुभ लक्षण है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ग्रौर मामला भी एस. टी., एस. सी. का है ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मीणा का जवाब मेघवाल दे रहा है ।

ग्रकाल राहत मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : इस वर्ष ग्रभी तक टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के किसी गांव को ग्रभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है । ग्रभी तक ग्रकाल की घोषणा एक फसली मरुस्थलीय जिलों ग्रौर जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में की गई है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र नहीं है ? क्या वह रिजर्व सीट नहीं है ? क्या जिला सवाई माधोपुर ग्रनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, क्या वह जनजाति की सीट नहीं है ? यदि है, तो माननीय मंत्री महोदय यह बतावें कि जब जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ग्रौर मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, तो यह भेदभाव क्यों बरता गया ? जबकि ग्रापने उत्तर में लिखा है जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को ग्रकालग्रस्त घोषित किया गया है तो ग्रापने टोडाभीम को जनजातीय क्षेत्र होते हुए भी ग्रकालग्रस्त घोषित नहीं किया, यह मेरा निवेदन है, पहला । दूसरा ग्रौर है साहब ।

श्री ग्रध्यक्ष : दूसरा जरूर पूछें दूसरे में ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक की भावना से तो सहमत हूं लेकिन जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में भी अभी तक जहां 75 से 100 प्रतिशत तक का फसलों में खराबा हुआ है, वहां पर हमने अकाल ग्रस्त घोषित किया है। मैं माननीय विधायक की सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि टोडाभीम में 148 गांव हैं और उन सब गांवों में जो खराबा हुआ है वह 75 से 74 प्रतिशत तक है। 75 से 100 प्रतिशत तक का खराबा किसी गांव में नहीं है और यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यह मैं स्वीकार करता हूं और अगले फेज में जबकि 75 से 100 प्रतिशत के सारे गांव हम देख चुके होंगे तो 50 से 75 प्रतिशत तक के गांवों पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ले रहे हैं ? आप ले रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : और यह भी निवेदन कर दूं कि वर्षा की जानकारी भी मैं ले रहा हू और रबी की फसल कैसी है, इसकी जानकारी भी मैं ले रहा हूं। तो वहां वर्षा में 30 प्रतिशत कमी रही टोडाभीम में और रबी की फसल की जानकारी अभी मेरे पास नहीं आयी है, यह मैं सारे आधार बताता हूं, अकाल में राहत देने के लिए। यह मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अब आपका तो काम हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही है कि वहां पर 75 से 80 प्रतिशत तक का मामला है, मगर हमारे यहां जो गिरदावरी है, उसकी भी हमारे पास सारी रिपोर्ट है, तहसीलदार की सारी रिपोर्ट मौजूद है। 75 से 80 प्रतिशत तक मेरे यहां वर्षा नहीं हुई और अकाल माना गया था लेकिन उसके बावजूद भी अब तक क्यों नहीं अकाल घोषित किया गया। इसके कारण चारे का अभाव और वहां पर अन्न का अभाव....

श्री अध्यक्ष : हां वह तो हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : भुखमरी फैली हुई है और जानवर मरे तो, उसके बारे में मंत्री महोदय का क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल समझ में आ गया। प्लीज बैठिये। माननीय मंत्रीजी, जिन गांवों में, इनके गिरदावरी में 75 से 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है, वह तो अकाल में होंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक भी गांव नहीं है। जो मेरी सूचना है ..

श्री अध्यक्ष : वह छोड़िये। वह होंगे ना।

श्री कैलाश मेघवाल : 75 से 100 प्रतिशत का एक भी गांव में खराबानहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं जो कह रहा हूं वह सुनिये। यदि 75 से 80 तक का यह साबित कर दें तो होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : हां तो मैं अकाल ग्रस्त घोषित करने का आज ही आदेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : देखिये आप साबित कर देना।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं साबित करने को तैयार हूं। मेरे पास लिस्ट है, इस बात की।

श्री अध्यक्ष : कर देना। साबित कर देना।

श्री रामस्वरूप मीणा : वहां पर अब तक इतने जानवर मरे....

श्री अध्यक्ष : यह साबित कर देना आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : जानवरों की इतनी मौतें हुई हैं। कसाइयों को बिक गये जानवर। चारे का एक भी डिपो नहीं खोला आपने।

श्री अध्यक्ष : आप साबित कर देना।

श्री रामस्वरूप मीणा : और अकाल ग्रस्त घोषित नहीं कर रहे हैं आप.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नाथूराम अहारी। (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 354, कृपया आगे देखिए)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां अकाल राहत कार्य नहीं हुए जिसके कारण जानवर मरे हैं तो इनका नुकसान सरकार को भोगना पड़ेगा, उसके लिए मुआवजा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

रजोपा से ढीपरी (चम्बल) सड़क निर्माण स्वीकृति

355. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में रजोपा से ढीपरी (चम्बल) सड़क जो स्टेट हाईवे नम्बर 19 का भाग है, के निर्माण हेतु वर्ष 1984 में 27 लाख रुपये की स्वीकृति थी ? यदि हां, तो बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी उक्त मार्ग पर निर्माण नहीं होने का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

(2) क्या सरकार जनहित में स्वीकृत राशि खर्च करने तथा सड़क को पूर्ण बनाने हेतु शीघ्र और धनराशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भी दुःख है कि अभी तक भी हमारे यहां अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है और अकाल राहत कार्य कब तक खोल रही है। अब तक राहत कार्य क्यों नहीं खोले गये।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायतों में स्वीकृत ग्राम सेवकों के पद

356. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-(1) चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायतों में कुल कितने ग्राम सेवकों के पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने भरे हुए हैं एवं कितने कहां कहां रिक्त हैं। ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(2) क्या रिक्त पदों पर अप्रशिक्षित ग्राम सेवकों को अस्थाई रूप से नियुक्ति दी जा सकती है ? यदि हां तो किस नियम के अधीन व ऐसी कितनी नियुक्ति दी जा चुकी है ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, पंचायती राज (श्री हरलाल सिंह खर्रा) : (1) चित्तौड़गढ़ जिले की 14 पंचायत समितियों में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के कुल 157 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 213 ग्राम सेवक कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसका जो नुकसान किसानों को हुआ है, उस पर साहब मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष : हां हो गया। बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कैसे बैठूंगा अगर मेरी बात को ..

श्री अध्यक्ष : इनका मत लिखो।

श्री रामस्वरूप मीणा : ××××

श्री अध्यक्ष : हां बैठिये। चलिये। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय इस तरह से हम आसन को मानते हैं। आसन हमारी बात सुनेगा। क्योंकि रामस्वरूप जी की बात पूरी तरह नहीं सुनी जा रही है इसलिए मैं भी धरने पर बैठ रहा हूं। सारे राजस्थान का मामला है, अकाल का मामला।

श्री अध्यक्ष : हां बैठिये। आप भी बैठिये। (व्यवधान)

(श्री रामस्वरूप मीणा, श्री रामनारायण वर्मा, श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री अमीन खां, श्री मोतीलाल मीणा आदि ने सदन कूप में धरना दिया।)

आप जोर से बोलिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं जोर से ही बोल रहा हूं। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि (व्यवधान) कुल कितनी पंचायतें हैं और पंचायतों के बारे में जैसा मंत्रीजी ने बताया कि हमारे जितने पद स्वीकृत हैं उससे ज्यादा लगा रखे हैं जबकि हालत यह है कि आज ग्राम पंचायतों में, तीन-तीन पंचायतों में एक-एक सचिव काम कर रहा है और दूसरी तरफ आपने 2 जनवरी, 1992 को 3406 पद जो राजस्थान में थे उनको आपने सरप्लस बताकर समाप्त कर दिया तथा यहां 300, 400 पंचायतें हैं और 157 कुल पद हैं उसके बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरा दूसरा सवाल है।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा बाद में।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, जवाहर रोजगार योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा 5 प्रतिशत जो अनुदान मिलता था, उसके तहत ग्राम सेवकों के....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : 3406 कुल पद थे (व्यवधान) लेकिन उन्हें भारत सरकार ने पुन: घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उस पर कान लगाकर सुनिये। नीचे कान लगा लो।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि प्रश्नोत्तर काल के बाद मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और चर्चा के बाद आपकी और मेरी चर्चा से जो सही निर्णय निकलेगा, आज ही आदेश कर दूंगा। मैं आपसे अपील करता हूं, चर्चा तो करनी ही पड़ेगी ना सारे डेटाज के साथ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप रुक जायें, मैं आपकी राहत के लिए पूरी तरह तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी। कैलाश जी, आप बहुत इम्प्रोप्रायटी कर रहे हैं। Without addressing me, you have started addressing the members directly. It is highly objectionable and I object to it.

श्री कैलाश मेघवाल : I am sorry, Sir.

श्री अध्यक्ष : In future, please, beware.

श्री कैलाश मेघवाल : I am sorry, Sir.

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये आप। (व्यवधान) मंत्रीजी बैठिये आप।

मैं पहले भी आपको नम्रता से निवेदन कर चुका हूं कि यहां कुछ पार्टी अनुशासन होता है, कुछ सदस्यों के काम करने का तरीका होता है। माननीय सदस्य को उन्होंने कह दिया कि 75 से 80 प्रतिशत तक के जितने भी गांव अकाल में होंगे, आप साबित कर देंगे तो उन सबमें अकाल घोषित कर दूंगा, नम्बर वन। नम्बर टू, उन्होंने कहा कि सैकिण्ड फेज में हम 50 से 75 प्रतिशत के जितने गांव आयेंगे उनको भी हम करने जा रहे हैं, What more you want ?

अब कहते हैं कि यहीं आदेश दे दें ... (व्यवधान) मैं खड़ा हूं आप बोलिये ... (व्यवधान) आप नीचे बैठकर बोल नहीं सकते अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान)

मैं निकलवा भी सकता हूं। आप आग्रह करेंगे तो मैं निकवा भी दूंगा। यदि आपको अखबारों में नाम लाने के लिए निकलवाना जरूरी है तो जरूरत समझेंगे तो वह भी हो जायेगा। आप नीचे बैठकर नहीं बोल सकते, अपने स्थान पर जाकर बोलिये। हाउस की सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। यहां तो आपको बोलना है तो स्थान पर जाइये। नीचे बैठकर बोलना यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है। आप समझिये। you are getting the privilege of the House.

(6)

एक माननीय सदस्य : आप जो भी हमको....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो होगा वह हो जायेगा। कोई नेताजी है आपके बीच में या सभी नेता हैं।....(व्यवधान)....हां, एक मिनट, बोलिये। आप सवाल लेना नहीं चाहते। आप फिर 10 सवाल नहीं लेना चाहते हैं। मैं यह रख देता हूं। आप बोलिये। you go on....(व्यवधान)... विराजिये पहले।

आप बोलते जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : न पार्टी के नेता है न पार्टी के सचेतक हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे महत्वपूर्ण सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब महत्वपूर्ण सवाल आया है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप क्यों बोल रहे हैं। आप विराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : माननीय सदस्यों को रोष इसलिये था कि 75 से 100 पर्सेण्ट तक के खराबे के जो गांव हैं उनको राजनैतिक आधार पर कहीं कहीं तो इन्होंने अकालग्रस्त घोषित कर दिये और कहीं-कहीं पर नहीं किये।

श्री अध्यक्ष : जब उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप उन गांवों के नाम बता दीजिये या साबित कर दीजिए....

श्री परसादी लाल मीणा : और हम यही चाहते हैं कि उनको घोषित कर दो, काम शुरू करा दो।

श्री अध्यक्ष : यहां घोषणा करेंगे, क्या हाउस में ?

श्री परसादीलाल मीणा : आप कर दो।

श्री अध्यक्ष : हां भरी है उन्होंने कि आप आकर बताइये मुझे।

श्री परसादी लाल मीणा : चर्चा रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : हाउस में हुआ है कभी ? ऐसा हुआ है कभी हाउस में ?

श्री चन्दनमल बैद (तारा नगर) : अध्यक्ष महोदय, केवल कन्टेंशन इस बात का रह गया है, मैं नम्रता....(व्यवधान).... एक मिनट, ठहरिये। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अगर यह कह दें कि 75 से 80 पर्सेण्ट के गिरदावरी के गांव आपके पास है वह बता दीजिये। आप यहां हाउस में बता देते, कह देते कि मैं कर दूंगा इनको तब तो बात समझ में आती।

श्री अध्यक्ष : मगर यह तो जांच करेंगे ना, 75 से 80 प्रतिशत है भी या नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : जब यह कह रहे हैं कि गिरदावरी मेरे पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : जांच तो करेंगे ना। जांच करेंगे। आप बता दो कि जांच करेंगे कि नहीं। हाउस में एट रेण्डम कह देंगे ? जांच तो करेंगे ना। यह उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप मुझे आकर बता दीजिये और साबित कर दीजिये, मैं कर दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : गिरदावरी की रिपोर्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय। सरकार भी गिरदावरी की रिपोर्ट पर ही करती है।....

श्री अध्यक्ष : Mr. Rajendra Pareek, please don't interveue. मैंने आज कहा है कि जोर से नहीं बोलूंगा और आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप बैठ जाइए, आपके नेता महोदय बोल रहे हैं, कुछ तो अनुशासन रखिये। After all. It is a well organised party. क्या कर रहे हैं आप ? हर आदमी नेता बन रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अपनी लड़ाई यहां दिखा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। क्या आपने सवाल पूछ लिया कृपलानीजी ? आप जवाब दीजिये मंत्रीजी।

(धरना समाप्त किया)

श्री हरलाल सिंह खर्रा : चित्तौड़गढ़ जिले की 14 पंचायत समितियों में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के 307 पद स्वीकृत थे जिसमें 150 पद जवाहर रोजगार योजना मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले 5 पर्सेण्ट राशि से सृजित थे जो लोपित किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के कुल 157 पद ही स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध 213 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव कार्यरत हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 307 पद पहले थे और 307 पंचायतें हैं। आज की तारीख में 157 पदों पर ग्राम सेवक कार्य कर रहे हैं तो 3-3, 2-2 पंचायतों पर एक ग्राम सेवक कार्य कर रहा है तो आपने इन पदों को समाप्त ही क्यों किया ? पहली बात तो यह है।

श्री अध्यक्ष : हो गयी पहली बात।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : यह जवाहर योजना के तहत जिसमें 5 पर्सेण्ट अनुदान मिलता था, वे पद थे। तो भारत सरकार ने वह अनुदान समाप्त कर दिया और वित्तीय कमेटी जो बनायी थी उसने रिपोर्ट यह की, उस कमी के कारण से दो पंचायतों में एक ग्राम सेवक रखा जाय। उसके तहत दो-दो पंचायतों में एक-एक ग्राम सेवक रखने की कार्यवाही चल रही है। ग्राम सेवक जो सरप्लस हुए हैं उनका भी समायोजन करने का भी विचार राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अभी तो एक सवाल और करना है।

श्री अध्यक्ष : हो गये आपके दो सवाल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एक ही पूछा है।

श्री अध्यक्ष : दो सवाल हो गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैंने एक ही पूछा है।

श्री अध्यक्ष : मैं नोट कर रहा हूं, दो हो गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एक ही पूछा है मैंने।

श्री अध्यक्ष : दो हो गये, यह मेरा काम है दो नोट करना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एक छोटा सा सवाल और है।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, 10 सवाल लेने हैं। श्री अर्जुनदास मदान।

एक माननीय सदस्य : एक मंत्रीजी विरोध में जा बैठे।

श्री अध्यक्ष : आप यह क्या कर रहे हैं ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : महत्वपूर्ण मामला है ग्राम सेवकों वाला।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको हाउस में काम नहीं करना है। आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं हाउस का।

ऊन उद्योग प्रसार और विकास योजना

357. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रान्त देश का सर्वाधिक ऊन उत्पादक प्रान्त है ? यदि हां, तो क्या इस उद्योग के प्रसार और विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकार के समक्ष कोई योजना है ?

(2) इस कुटीर उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकार योजना की क्रियान्विति कब तक करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, भेड़ एवं ऊन (श्री रमजान खां) : (1) जी हां। राजस्थान प्रान्त देश का सर्वाधिक ऊन उत्पादित प्रान्त है। राजस्थान द्वारा इस उद्योग को विकसित करने के लिये एवं भेड़पालकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये विभाग में संकर प्रजनन कार्यक्रम व चयनित प्रजनन कार्यक्रम व बीमारी की रोकथाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(2) वर्तमान में ये योजनायें विभाग में चल रही हैं एवं भेड़पालकों को अच्छी बारीक ऊन व अच्छे मांस के मेंढे भेड़ों से प्राप्त हो रही हैं। भेड़ों में मृत्यु दर भी न्यूनतम है।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय अध्यक्षजी, मुझे सबसे बड़ा खेद तो यह है कि सवाल मैं कुछ पूछ रहा हूं, मैं कोटा की टिकट मांग रहा हूं और मुझे यह बीकानेर की टिकट दे रहे हैं। मैं सवाल यह पूछता हूं मान्यवर कि इसमें किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम राज्य सरकार के विचाराधीन है या नहीं और यदि है तो उसकी क्रियान्विति आप कब से करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि संकर प्रजनन पर काम कर रहे हैं। सवाल तो मेरा है, खेत की मैं बात कर रहा हूं और जवाब आ रहा है खलिहान का। तो पहले आप मेरा प्रश्न देख लें और उसके मुताबिक यदि उत्तर दे सकें तो बहुत कृपा होगी। प्रश्न में मेरे सवाल में और आपके जवाब में जमीन आसमान का अन्तर है। मैंने आपसे केवल मात्र इतना पूछा कि भेड़ और ऊन के कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार के सामने कोई योजना विचाराधीन है और यदि है तो उसकी क्रियान्विति कब से कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यह सवाल गलत मन्त्रालय से पूछ लिया गया है। क्योंकि इसका सम्बन्ध उद्योग से है। यह भेड़-ऊन के हैं, यह भेड़ों की रक्षा करते हैं और उद्योग का अलग से विभाग है।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं तो इतना निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप उद्योगों के बारे में पूछ रहे हैं। यह भेड़ों का ही बतायेंगे। भेड़ों की देखभाल कैसे कर रहे हैं, यह बतायेंगे। इनका यही विभाग है। इसलिये आप दूसरा सवाल उद्योग विभाग से लगाइये। आपने सवाल ही गलत विभाग से पूछा है। नैक्स्ट।

जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों के लिये पेइंग गेस्ट की योजना

358. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-क्या सरकार जैसलमेर जिले में पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से होटल निर्माण हेतु सस्ते दर पर ऋण देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार विदेशी पर्यटकों को जैसलमेर जिले में पेइंग गेस्ट के रूप में ठहरने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन मन्त्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (i) जी नहीं। होटल निर्माण हेतु जैसलमेर जिले में सस्ते दर ऋण देने की अलग से कोई योजना नहीं है।

(2) जी हां। जैसलमेर में पर्यटकों हेतु पेइंग गेस्ट योजना को वर्ष 1992-93 में लागू करना प्रस्तावित है।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर एक सर्वाधिक उद्योग-विहीन जिला है और जो 30 जिले 30 काम योजना अभी राजस्थान में लागू की गयी है उसके अन्तर्गत भी जैसलमेर जिले में पेयजल जैसे अति महत्वपूर्ण योजना पर भी पर्यटन को प्राथमिकता दी है तो मेरा मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन है कि अगर ऋण सस्ती दरों पर नहीं दिया जा सके तो कम से कम सरकार सब्सिडी में वृद्धि करे और जो ऋण वितरित किये हैं उसके रिपेमेंट शैड्यूलस को अधिक उदार बनाये। क्योंकि जिले में पर्यटन को 30 जिले 30 काम योजना के अन्तर्गत लिया है। तो पर्यटन विभाग भी कोई प्रोत्साहन राशि के रूप में होटल उद्योगों को दें ताकि इन उद्योगों से विदेशी मुद्रा अर्जित होने में प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा, पर्यटक पेइंग गेस्ट सरकार ने लागू किया मैं स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप आश्वासन दीजिये इस पर विचार कर लीजिये। सुझाव दिया है इन्होंने, सवाल नहीं पूछा है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हूं। हमारा यह प्रयास होगा कि जैसलमेर में पर्यटकों की जबरदस्त आवक को देखते हुये सम्बन्धित विभागों को भी हम निवेदन करेंगे कि इस सम्बन्ध में वह एग्जामिन करे। दूसरा जो यह मरु त्रिकोण योजना है। उसके तहत आश्वासन देना चाहती हूं कि इस योजना के तहत पैसा होते ही, इस सम्बन्ध में काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। प्रश्न संख्या 89। श्री हीरालाल इन्दोरा व श्री बुलाकीदास कल्ला (अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 359, प्रकाश चन्द बैरवा.. (अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्री मदनलाल सैनी ।

उद्यमियों के ऋण आवेदन-पत्र

360. श्री मदनलाल सैनी (गुढा) : (1) उद्योगों के सम्बन्ध में उद्यमियों को जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है उससे पूर्व आवेदनों की जांच के पश्चात् वांछित आपूर्ति शर्तों के अध्यधीन क्या उद्यमी को एक साथ ही कमियां बता दी जाती हैं ?

(2) उद्यमियों द्वारा एक बार वांछित कमियों की पूर्ति के पश्चात् पुनः नयी कमियां निकाले जाने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या सरकार एक बार वांछित कमियां पूर्ण हो जाने पर पुनः विभाग के चक्कर न लगाये, इस हेतु क्या कोई व्यवस्था करेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (1) राजस्थान वित्त निगम एवं रीको को वित्तीय सहायता हेतु उद्यमियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की प्रारम्भिक जांच के पश्चात् एक मुश्त ही कमियां बता दी जाती हैं। इस प्रयोजन हेतु उनको एक चेक-लिस्ट देते हुए कमियों के बारे में जानकारी दी जाती है एवं उन कमियों को पूरी करने के लिए निवेदन किया जाता है।

(2) जी नहीं, नई कमियां नहीं निकाली जाती हैं। अपितु उद्यमियों द्वारा जो सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं यदि उनमें किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो जानकारी अथवा सूचना अवश्य मांगी जाती है।

(3) उद्यमी से आवेदन-पत्र के साथ वांछित सम्पूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने की स्थिति में ऋण आवेदन के निस्तारण हेतु समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है। लम्बित प्रकरणों को विभिन्न स्तरों पर बराबर प्रबोधन (मानीटरिंग) किया जाता है।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता तो यह है कि माननीय मन्त्री महोदय को दो-तीन बातें बताना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष : एक सवाल ही पूछ लीजिए। फिर दो तीन क्यों कह रहे हैं।

श्री मदनलाल सैनी : एक सवाल ही पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपत्तियां निकाली जाती है मैं उन आपत्तियों को बता रहा हूं। जो अलग-अलग समय पर और अलग-अलग ढंग की निकाली गयी हैं। अर्थात् प्रथम बार जब आपत्ति निकाली गयी तो सब आपत्तियां नहीं निकाली गयी। एक उदाहरण सीकर डी.आई.सी. का दे रहा हूं। अस्थायी पंजीयन संलग्न नहीं है। एक बार में निकाली गयी। योजना अनुमोदित नहीं है। किरायानामा उचित प्रोफोमा में संलग्न नहीं है, ग्राम पंचायत की एन ओ. सी. नहीं है। इस प्रकार की कमियां कई योजनाओं में दो-तीन-चार बार में निकाली जाती है इनको कम करने के लिए क्या किसी अधिकारी को जांच प्रदान करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह जो दिया गया है।... (व्यवधान) वह गलत जवाब दिया है। कमियां जब तक रहेंगी

(श्री अध्यक्ष)

निकालनी पड़ेगी। दुबारा नहीं निकालेंगे ऐसा नहीं है कमियां तो निकालनी पड़ेगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और स्पष्टीकरण कर दूं कि शायद कोई गलतफहमी रह गयी है। जैसे ही प्रार्थना-पत्र आता है उसको रिसीव करके उसकी फीस जमा कराने के लिए कह दिया जाता है। यदि प्राइमाफेसी उस समय लगता है कि बेन्ड लिस्ट में है तो कहते हैं कि पैसे मत खराब करो यह बेन्ड लिस्ट में है। जो फार्म होता है उसके अन्दर चेक लिस्ट लगी होती है कि क्या-क्या डाक्यूमेंट्स देने हैं, क्या-क्या नहीं देने हैं। उसके बाद हर सोमवार को चाहे वह हैड आफिस हो या ब्रान्च हो, मीटिंग होती है। ब्रान्च आफिस में जो मीटिंग होती है उसको आई.पी.सी. कहते हैं इण्टरनल प्रोसेसिंग कमेटी और जो हैड क्वार्टर पर होती है उसको प्रोजेक्ट कमेटी कहते हैं। हर सोमवार को यह होती है। वो एप्लीकेशन यहां आती है उस समय उसका प्रोसेस होने के बाद चाहे दो दिन में में हो जाय, परन्तु अधिक से अधिक 7 दिन में होते है। उस समय जब हमको लगता है कि कुछ कमियां आई हैं तो उन कमियों को उनके पास लिखकर भेजा जाता है और कहा जाता है कि यह कमियां हैं इनको पूरा करो। माननीय सदस्य उसको मानेंगे कि हमारे यहां 3 महीने के अन्दर एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। फिर भी मैं मानता हूं कि देरी हो सकती है लेकिन तीन महीने के बाद उसको अस्वीकार कर देंगे तो फिर लम्बा प्रोसीजर होगा। इसलिए कुछ लम्बा हो सकता है लेकिन हमने एवरेज तय किया है कि तीन महीने के अन्दर एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो जाय। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, और सावधानी बरती गयी है। सारे राजस्थान को रीजन लेवल पर 9 भागों में बांटा हुआ था और 9 भागों के अन्दर जो आफिसर्स रहते थे वे जितने भी इण्डस्ट्रीयल एरिया हैं, उनका सुपरवीजन करते थे लेकिन गत दो वर्षों से हमने जोनल अफसर तय किये हैं और वे हैड आफिस में डी.जी.एम. लेवल के हैं। जितने भी जोन हैं उसमें जाते है और जांच करते हैं और हर महीने की पांच से आठ तारीख तक, किसी एक दिन उसको निश्चित रूप से उस आफिस में जाकर जानकारी देनी पड़ती है। इसके साथ-साथ हमने हैड आफिस के अन्दर एक ग्रिवेन्स सैल बनाया है अगर कोई पोस्ट कार्ड भी आता है तो उसका कोग्नीजेंस लिया जाता है और उसके आधार पर कार्यवाही करने के लिए कोशिश की जाती है। माननीय सदस्य को शायद इसमें कोई गलतफहमी है। अगर फिर भी कोई चीज है और आपको पता लगता है कि किसी को परेशान करने के लिए कहा गया है तो मुझे व्यक्तिगत केस दें, मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है, सब्सिडी के लिए जिन लोगों ने आवेदन पत्र दिये हैं उनमें बार-बार आब्जेक्शन निकाले जा रहे हैं। मैं उदाहरण भी दे रहा हूं कि किन-किन लोगों के साथ सब्सिडी वाले केसेज में बार-बार आब्जेक्शन निकाले जाते हैं इसके बारे में क्या कहना है?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बिल्कुल अलग है।

श्री रामसिंह : यह अलग कैसे होगा। लोन से सम्बन्धित ही सब्सिडी है। कोई उद्योग पूर्ण हो जाता है उसको देखने के बाद ही तो सब्सिडी देते हैं। अलग कैसे होगा। सब्सिडी फ्री मिलती है उसको नहीं देने के लिए अधिकारी लोग टांग अड़ाते हैं और बिना मतलब के कमी निकालते हैं।

श्री अध्यक्ष : सब्सिडी के लिए और ऋण के लिए अलग-अलग एप्लीकेशन होती है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सब्सिडी तो उस समय मिलेगी जब यूनिट प्रोडक्शन में आ जायेगी। उसका कामर्शियल उत्पादन शुरू होगा उसके बाद वो एन्टाइटिल होता है और विदिन 80 दिन में सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। दोनों प्रोसीजर अलग-अलग है... (व्यवधान) पर फिर भी अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसका भी उत्तर दे देता हूं।

जैसा कि प्रश्न को देखने से लगता है वह स्थिति यह है कि जब एप्लीकेशन फार्म किसी लोन के लिए दिया जाता है तो फार्म को कम्पलीट करने के लिए आपत्तियां होनी चाहिए वह एक साथ न उठाकर अलग-अलग उठायी जाती है। मैंने उस पर निवेदन किया कि ऐसा नहीं है। एक साथ ही आपत्तियां उठायी जाती है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया एक साथ ही आपत्ती की जाती है।

दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा कि जो सब्सिडी दी जाती है उसकी एप्लीकेशन के अन्दर डिले हो जाती है और देरी होती है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जिला सलाहकार समिति है जिसका कलक्टर हैड होता है वहां सारी एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होती है। उसमें केवल आफिसर नहीं होते हैं वहां पर एसोसिएशन होती है उसके प्रतिनिधि भी होते हैं अगर कहीं डिले होती है तो मेरा निवेदन है कि उस कमेटी के अन्दर जो एसोसिएशन है उसमें अपनी बात रख सकते हैं और उनका डिस्पोजल हो सकता है। फिर भी माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे कि इनके डिस्पोजल को और क्विक करने के लिए कार्यवाही की जाय तो करेंगे। परन्तु कई तरह की एप्लीकेशन आती है। एक तो सब्सिडी यह है, जिनमें नया प्लाण्ट लगा है उनको उत्पादन के साथ मिल जाय। कुछ ऐसे हैं जिनका एक्सटेन्शन किया है या डाइवरशन किया वह भी लेने योग्य हैं। उनकी स्क्रूटनी करनी पड़ती है। इस नाते से मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा जितना अधिक हो सकता है, केवल अधिकारियों के स्तर पर ही नहीं बल्कि मेरे स्तर भी जब कभी किसी जिला मुख्यालय पर जाता हूं तो डी.ए.सी. की मीटिंग में जाता हूं और सबको बुलाता हूं केवल मैम्बर्स को ही नहीं बुलाता हूं, वहां के जितने उद्योगपति आ सकते हैं, उनको बुलाता हूं। तीन-चार घंटे तक एक-एक मीटिंग इसी प्रश्न पर चलती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें डिले नहीं हो। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जितना सब्सिडी का डिस्पोजल इस साल हुआ है वह एक रिकार्ड है। लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे सजेशन दें मैं कोशिश करूंगा।

श्री हरीश झामनानी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय ने अभी सदन को बताया

(श्री हरीश भामनानी)

कि तीन माह में ऋण से सम्बन्धित फार्म की एप्लीकेशन डिस्पोजिल ग्राफ हो जाती है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एवरेज।

श्री हरीश भामनानी : मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि तीन महीने से पुरानी राजस्थान से सम्बन्धित क्या कोई भी ऋण प्रार्थना-पत्र नहीं है। एक तो यह जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि जितने भी उद्योगपतियों के ऋण के लिए एप्लाई करने के लिए आये उनमें से 50 प्रतिशत लोग निराश होकर वापस लौट गये और दो व्यक्तियों से आपके विभाग के अधिकारियों ने कलर टी. वी. की डिमाण्ड की और एक ने ले भी लिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो सब्सिडी आर. एफ. सी. देती है उस पर ब्याज भी लेती है। मेरे क्षेत्र में दो ऐसे मामले हैं जिसमें जितनी सब्सिडी मिली है उससे ज्यादा तो ब्याज ले लिया। फिर क्या मतलब रहा इस सब्सिडी का।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम। श्री रामनारायण वर्मा।...(व्यवधान) आप नहीं पूछ रहे हैं न, बैठिये आप। श्री बिरधाराम।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनका अलग से प्रश्न है, मुझे अवसर दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने पहले नाम बताये हैं। चार लेते हैं, यह चौथे हो गये....

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय बिरधारामजी पूछ रहे हैं। पारीक साहब बिराजिये। हर बात पर जिद्द मत किया करो, यह हाउस है यह घर नहीं है, बाजार नहीं है, बच्चों की तरह से व्यवहार मत करो। माननीय सदस्य की तरह से व्यवहार करो।

श्री बिरधाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से एक सुझाव देना चाह रहा हूं जैसे हमारे मकराना के अन्दर सबसे ज्यादा लोन एप्लीकेशन्स पैंडिंग रहती हैं और सबसे ज्यादा उद्योग हैं और सब्सिडी भी मकराना की सबसे ज्यादा है। तो जो फाइलें 8 लाख से ऊपर हैं मकराना से यहां आती है और सब्सिडी के लिए नागौर है। मकराना की फाइलों के लिए मकराना के अन्दर एक रखा जाये और सारे जितने कन्सर्नड महकमे हैं चाहे दूसरे विभागों से एन. ओ. सी. लेनी हो, उद्योग विभाग और आर. एफ. सी. दोनों का एक कैम्प रखा जाये ताकि लोगों को बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़े और इसमें विलम्ब नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, चारों का जवाब दे दीजिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि क्या यह मानकर चला जाये कि तीन

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

महीने से ज्यादा की एप्लीकेशन्स पैंडिंग नहीं हैं। मैंने उत्तर में यह भी कहा है कि औसतन प्रयास यह होता है कि हर एप्लीकेशन तीन महीने के बाद समाप्त हो जाये, उसका डिस्पोजल हो जाये और अगर उस ब्रांच पर या हैड आफिस पर तीन महीने के अन्दर उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल नहीं हो पाता, he is bound to report the matter to the Headquarter. और हैड क्वार्टर पर मानीटरिंग होता है कि डिले का कारण सफीशियेंट है या नहीं, डिले का कारण क्या है और नहीं होता है तो आगामी कार्यवाही की जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि तीन महीने के बाद कोई एप्लीकेशन पैंडिग नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे हैं कि कितनी एप्लीकेशन्स पैंडिग हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जनवरी, 1992 के अन्त में निगम के पास कुल 833 आवेदन-पत्र लम्बित थे जिनमें 132.75 करोड़ रुपये का आवेदन किया हुआ है। मुख्यालय पर लम्बित आवेदन-पत्रों की सख्या 347 है जिनमें 109.54 करोड़ रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया हुआ है। तो मैं इस तथ्य से इन्कार थोड़े ही कर रहा हूं। लेकिन इनके अन्दर कमियां हैं इनको कम्पलीट करना डाक्यूमेंट्स वगैरह फैक्ट्री, यह जो माल बनायेंगे प्रोडक्शन भी है कि नहीं है, रॉ मैटीरियल है कि नहीं है यह चीजें देखनी पड़ेगी उसके बाद कार्यवाही की जायेगी।

दूसरा माननीय सदस्य ने किस आधार पर कहा है कि सब्सिडी पर ब्याज लिया जाता है। सब्सिडी पर ब्याज लेने का कोई सवाल नहीं है....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरे खुद के इण्डस्ट्री है सब्सिडी पर ब्याज लिया गया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अगर सब्सिडी पर ब्याज लिया गया है, जो आप बता रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं.... (व्यवधान)

श्री निर्भयलाल : ....उसकी फाइल पैंडिग पड़ी रहेगी....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से अभी सब्सिडी स्वीकृत होकर नहीं आई है उस पर ब्याज चालू कर दिया और ब्याज उन्होंने लिया है ..

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सब्सिडी पर ब्याज लिया है कि नहीं लिया है, तथ्यों की जांच करवा लीजिये। ब्याज लिया है तो कार्यवाही कीजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं इसकी जांच करवा लूंगा, आप यह मामला मुझे दे दीजिये। माननीय सदस्य रामकरण सिंह जी ने जो बात कही है अपने आप में बहुत गम्भीर है। मैं आपके माध्यम से उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि उस केस को मुझे दें विदइन सेवन डेज उसकी जांच होगी, अधिकारी जिसने इस प्रकार का किया है वह नौकरी में नहीं रहेगा, इमीडियेट सस्पेंड कर दूंगा। लेकिन आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : और मैम्बर्स का भी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

बिरधाराम जी ने कहा है कि मकराना में सब्सिडी वगैरह की एप्लीकेन्स पेंडिंग हैं, मुझे बता दीजिये कितनी एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं और समझता हूं कि आप एक बार कलक्टर नागौर से सम्पर्क कर लें वह एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। 361। श्री बिरधाराम।

मकराना मार्बल चिराई औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत मजदूर

361. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मकराना में मार्बल चिराई की औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें श्रमिक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस-किस इकाई में कितने-कितने मजदूर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या श्रम विभाग के अधिकारियों एवं निरीक्षकों ने कभी औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस उद्योग इकाई का ?

(3) श्रम विभाग मकराना, बोरावड, बिदियाद, औद्योगिक क्षेत्र एवं मार्बल खानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण आदि के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल खाण्डा): (1) मकराना में मार्बल चिराई की 406 इकाइयां हैं। मकराना में मार्बल चिराई की इकाइयों की सूची तथा उनमें कार्यरत मजदूरों की संख्या परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है।

(2) जी हां। कारखाना निरीक्षक मकराना द्वारा मकराना स्थित मार्बल चिराई इकाइयों के निरीक्षण की तिथियां संलग्न परिशिष्ट "अ" में तथा श्रम निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण की तिथियां संलग्न परिशिष्ट "ब" में दी गई हैं।

(3) औद्योगिक क्षेत्र एवं मार्बल खानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए योजना बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में श्रम विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। मार्बल खानों में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में केन्द्र सरकार ही सक्षम है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का जो अभिप्राय था विशेष तौर पर खण्ड तीन में है। श्रम विभाग का मुख्य काम है श्रमिकों के कल्याण के कार्य करना और इसी के आधार पर मैंने यह प्रश्न पूछा है। जो खण्ड 1 में बताया गया है कि मार्बल चिराई की इकाइयां 406 हैं और औसतन एक इकाई में 8 मजदूर हैं। किसी में 13 हैं किसी में चार हैं किसी में दो हैं। यह कम से कम तीन हजार से ऊपर श्रमिक तो इनमें हैं। खनिज विभाग की जो खानें हैं उनके मजदूरों की संख्या इनमें नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मकराना में रोजाना करीब दस हजार मजदूर औद्योगिक इकाई और खनिज विभाग में काम करते हैं उनके कल्याण के लिए यह

(श्री बिरधाराम चौधरी)

श्रम विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है, इस सम्बन्ध में यह बात पूछी है ?

अध्यक्ष महोदय, अब मन्त्री महोदय से मैं यह सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या श्रम आयुक्त ने श्रमिकों की समस्या के हल के लिए उद्योग प्रबन्धों और श्रमिकों की बैठकें आयोजित की हैं। यदि हां, तो 1990 से आज तक कब-कब और कितनी बैठकें आयोजित की और उसमें किस-किस को शामिल किया व में मकराना में कार्यरत उद्योगों एवं खनिजों में श्रमिकों की समस्याओं के क्या प्रयास किये ?

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय, जो सूची माननीय सदस्य को दी गई है उसमें हमारे बायलर्स कारखाना निरीक्षक ने जो निरीक्षण किये हैं उसके अनुसार मकराना, बिदियाद, बोरावड़। मकराना में 211 इकाइयां हैं, बिदियाद में 122

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सवाल क्या किया है। उन्होंने पूछा है श्रम आयुक्त ने बैठकें रखी हैं क्या ? मकराना के उद्योग मालिकों की श्रमिकों की बैठकें रखी हैं क्या ?

श्री बाबूलाल खाण्डा : निरीक्षण करते हैं साहब। निरीक्षण होता है और वह मैं बताऊं....

श्री अध्यक्ष : निरीक्षण का नहीं पूछ रहे हैं ...

श्री बाबूलाल खाण्डा : बैठकें तो होती नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : बैठकें हुई क्या ? नहीं हुई ?

श्री बाबूलाल खाण्डा : बैठक तो नहीं हुई। अगर इनको इस तरह की कोई शिकायत हो तो बतायें।

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदत से पूछना चाहूंगा कि मकराना के अन्दर जो रायल्टी वसूल की जाती है राज्य सरकार वसूल करती है, बिक्री कर राज्य सरकार वसूल करती है....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ? आप बैठो, मैं आपकी तरफ से सवाल कर लेता हूं। मन्त्री महोदय, आपके निरीक्षक क्या करते हैं ? किस बात का निरीक्षण करते हैं ?

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो निरीक्षक बायलर्स मकराना में है वह जितनी इकाइयां हैं उनका निरीक्षण करते हैं।

श्री अध्यक्ष : निरीक्षण इकाइयों का करते हैं ? वह कैसे चल रही हैं ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं....

श्री बाबूलाल खाण्डा : उनमें सेफ्टी है कि नहीं, श्रमिक है कि नहीं....

श्री अध्यक्ष : श्रमिकों के बारे में निरीक्षण करते है कि उनको ठीक प्रकार से वेतन मिलता है कि नहीं, समय से ज्यादा काम तो नहीं लेते हैं कहीं। ऐसे लोगों को तो नहीं लगा रखा है जिनको कायदे से नहीं लगाना चाहिये, यह जांच करते हैं ?

श्री बाबूलाल खाण्डा : यही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यही तो पूछ रहे हैं कि श्रमिकों के लिए आपकी क्या योजना है ?

(श्री अध्यक्ष)

अच्छा मैं यह प्रश्न स्थगित करता हूं आप तैयार होकर आइये।

नैक्स्ट, श्री रामनारायण वर्मा।

औद्योगिक निस्रावित प्रदूषित जल

362. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल ने उद्योगों से निस्रावित जल के क्या मानक निर्धारित किये हुए हैं ?

(2) राज्य में जल निःस्राव करने वाले कितने उद्योग हैं ?

(3) क्या उक्त उद्योगों के निस्रावित जल की जांच की गयी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक जांच करवा ली जाएगी ? उद्योगवार अन्तिम बार आये जांच परिणामों का नतीजा सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मन्त्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा वर्तमान में 32 प्रकार के उद्योगों से निस्त्रावित प्रदूषित जल के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचित मानक निर्धारित किये हुए हैं। मानक परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अब तक 346 वृहत् एवं मध्यम श्रेणी के जल प्रदूषक उद्योगों को चिन्हित किया गया है।

(3) जी हां, राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर जल प्रदूषण उद्योगों से निस्रावित उच्छिष्ठ के नमूनों को एकत्र कर इनका विश्लेषण किया जाता है। अप्रेल, 1989 से उद्योगों से निस्रावित जल की जांच की तिथियां संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर दी गयी हैं। 59 उद्योगों से निस्रावित जल की जांच उद्योगों के निरीक्षण के दौरान उद्योगों के बंद होने अथवा जल प्रदूषक प्रक्रिया के बन्द होने अथवा अनियमित निस्राव होने के कारण अप्रेल, 1989 से नहीं की जा सकी। परन्तु ऐसे उद्योगों से निस्रावित जल की जांच शीघ्र करवा ली जाएगी। अन्तिम बार आये जांच परिणामों के नतीजे की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, 59 उद्योग आपने बन्द बताये हैं लेकिन किस-किस तारीख को वे बन्द थे, यह आपने सूची में नहीं लिखा। परिशिष्ट 'स' में आपने रिजल्ट्स दिये हैं और परिशिष्ट 'अ' में उद्योगों के मानक निर्धारित किये हुए हैं। परिशिष्ट 'ब' में आपने जांच की तिथियां दी हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने जो मानक निर्धारित किये हैं उनसे कई गुना ज्यादा खराब रिजल्ट्स हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, माननीय अध्यक्ष जी। परिशिष्ट 'ब' में नम्बर 32 पर इलेक्ट्रो प्लेटिंग इण्डस्ट्री है। उस 32 का जो रिजल्ट आया है वह मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि कितना बुरा है।

श्री अध्यक्ष : कौन से नम्बर पर है ?

श्री रामनारायण वर्मा : 32, इण्डस्ट्री है मान स्ट्रक्चरल लिमिटेड । इसका मानक 9 में दिया है । आयल एण्ड ग्रीस जो 10 होना चाहिए, उसका रिजल्ट आता है 16, सस्पैंडेड सालिड 100 की जगह आता है 161 । यही हालत दूसरे उद्योगों की है । आइरन तीन होना चाहिए उसकी जगह 216 पर्सेण्ट ज्यादा है । इसी तरह से कोटा इण्डस्ट्री के बारे में इसमें लिखा हुआ है । परिशिष्ट 'ब' में नम्बर एक में दिया हुआ है एडवर्ड मिल्स के बारे में ।

श्री लालचन्द डूडी : कितना नम्बर ?

श्री रामनारायण वर्मा : मानक 6 आप देखिए । जहां से स्टार्ट आपका रिजल्ट है उसी में आप देख लीजिए । जो सस्पैंडड सालिड 100 होना चाहिए उसकी जगह 392 है । 392 प्रतिशत ज्यादा । इसी तरह से बायो कैमिकल आक्सीजन डिमाण्ड वगैरह 150 होना चाहिए, है 360, डबल से ज्यादा । ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं । इसके बावजूद भी आज की तारीख तक इण्डस्ट्री के खिलाफ कोई चालान पेश नहीं किया गया है । प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत, यन्त्र यदि बन्द है तो यन्त्र लगाये जाने के लिए, इफैक्टिव नहीं हो तो ठीक करवाने के लिए आज की तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इसलिए सारा मसला है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों के अलावा भी जो रिजल्ट आये हैं उसके आधार पर आप कितने दिन में कोर्ट में चालान कर देंगे ? ये ऐसी इण्डस्ट्रीज हैं जो मानव के लिए हानिकारक हैं, राजस्थान में काफी प्रदूषण फैला रही हैं । यदि वे ठीक नहीं करेंगे तो कब तक उनको बन्द करने के लिए कानूनी रूप से आदेशित करेंगे, यह बताने का कष्ट करें ।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्षजी, मैंने जैसा निवेदन किया, टोटल 346 चिन्हित थे । उनमें से जिनका विश्लेषण करवाया गया, जांच करवायी गयी उनमें 172 यूनिट ऐसी मिलीं जो मानक के अनुरूप नहीं थी । उनके खिलाफ शो-काज नोटिस, कन्सैण्ट रिफ्यूजल, लीगल चालान करने की प्रक्रिया चल रही है । मैंने आपको बताया कि केवल 29 यूनिट ऐसी मिलीं जो मानक के अनुसार सही चल रही हैं । 36 इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जो बन्द थीं, उनकी जांच नहीं हो सकी । 50 ऐसी हैं जिनका जीरो डिस्चार्ज है । लेकिन मानक के हिसाब से 172 यूनिट्स का स्टैण्डर्ड ठीक नहीं मिला है । उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही की जा रही है, उनकी कन्सैण्ट रोकी जा रही है और उनको नोटिसेज दिये जा रहे हैं ।

श्री रामनारायण वर्मा : ये जो आपने सैम्पल्स दिये हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि ये इनलेट सैम्पल्स हैं या आउटलेट सैम्पल्स हैं । क्योंकि एक इण्डस्ट्री की जांच में दो सैम्पल लिये जाने चाहिए । जो आपको नहीं बताया गया है, आपने अधिकारियों से पूछा नहीं उत्तर बनाते समय । मैं माफी चाहता हूं, इस पर बोलना नहीं चाहिए ।

श्री लालचन्द डूडी : पहला क्या बताया ?

श्री रामनारायण वर्मा : जो आपने सैम्पल्स का रिजल्ट दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आउटलैट-इनलैट सैम्पल्स की बात कर रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण वर्मा : दो सैम्पल्स होते हैं एक इण्डस्ट्री के-इनलैट और आउटलैट। यदि फिर भी बाद में शिकायत आये तो दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर दूर जाकर सैम्पल लें, ताकि वह मानव के लिए किसी दूसरे तरीके से हार्मफुल नहीं हो। आपकी मेहरबानी है राजस्थान की जनता के ऊपर यदि आप वह जांच कर लेते हैं, बाकी डिपार्टमेंट का अपना आउटलुक है। ये सैम्पल इनसैट-सैम्पल हैं या आउटलैट ? यदि दोनों हैं तो आपने कौन से सैम्पल का रिजल्ट आपने दिया है ?

माननीय अध्यक्ष जी, इसके बावजूद माननीय मंत्रीजी यह नहीं बता सके कि जो उद्योग बन्द थे वे किस तारीख को बन्द थे ? इससे साफ जाहिर होता हैं, मैं एलीगेशन नहीं लगा रहा, आप तो बड़े एफीशिएण्ट आदमी हैं, आपने सारा देखा होगा। अधिकारियों ने आपको बताया होगा, हो सकता है तारीख नहीं दी हो कि किस तारीख को उद्योग बन्द थे। आपके अधिकारी वहां गये ही नहीं। आप रिकार्ड दुरुस्त कीजिए, रिकार्ड में दर्ज कीजिए और आज के बाद पूछ लीजिए। मैं आपसे मिल लूंगा भले ही, आप बता दें। यह वास्तविकता है कि आपके प्रदूषण मण्डल के तहत जो काम हो रहा है वह राजस्थान की जनता की मनोभावना के अनुरूप नहीं हो रहा है। आप भी शायद सैटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आप इस सबको देख रहे हैं। इन सबको देखकर आप इसके बारे में निश्चित रूप से कोई एश्योरेंस दीजिए हाउस में कि इस तरह की बातें आइंदा न हों और इस तरह का जवाब आइंदा से नहीं आए।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन ही दे दो इसमें तो, फायदा है।

श्री रामनारायण वर्मा : या सस्पैण्ड करवा दें। जानकारी नहीं हो तो दुबारा के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं। जानकारी नहीं हो तो भले ही दुबारा से जानकारी कर लें, दुबारा से आप आ जायं।

श्री अध्यक्ष : हां, आश्वासन दे दीजिए और पूरी बात समझ लीजिए। पूरी बात बात मैं भी नहीं सका।

श्री लालचन्द डूडी : हम सम्पर्क कर लेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात पूरी समझा दीजिए। आश्वासन आपको दे दिया है। अभी मैं भी नहीं समझ पाया, सही बात तो यह है।

श्री रामनारायण वर्मा : तो सस्पैण्ड करवा दें, साहब।

श्री अध्यक्ष : हां, इनको समझाइये। विराजिये आप। श्री दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा वस्त्र रंगाई उद्योग के अन्दर क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? पाली और बालोतरा में प्रदूषित पानी लूणी नदी में डाल दिया जाता है। यह पानी सांचोर में उपजाऊ जमीन को खराब कर रहा है, पीने के पानी को खराब कर रहा है। उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : मण्डल की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते हैं ? मण्डल की मीटिंग कभी नहीं बुलायी ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास चार नाम आ गये हैं, मैं उनके नाम पुकार रहा हूं । श्री विश्नोई जी ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो इन्होंने पूछ लिया । मामला ऐसा है कि बालोतरा, जोधपुर और पाली, तीन ऐसे शहर हैं जहां से ज्यादा प्रदूषित पानी निकलता है और लूणी नदी में, बांडी नदी में डलता है । यह पानी ठेठ बालोतरा तक चला जाता है । कम से कम 100-150 किलोमीटर रास्ते में पानी चलता है, जहां किसानों के कुएं आते हैं और मवेशी भी पीते हैं । मेरे ख्याल से सैंकड़ों मवेशी जोधपुर और पाली में इस पानी को पीने से मर गये और कुओं का पानी बिल्कुल खराब हो गया । काफी लम्बे समय से 10-15 साल से विधान सभा के अन्दर इस पर नियंत्रण करने के लिये, इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये आपको निवेदन किया गया । सिवाय आपके जवाब के कोई रिजल्ट निकला नहीं है । आप इस समस्या के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं जिससे यह सदन आश्वस्त हो । भविष्य में ऐसी कार्यवाही करें ताकि यह जो प्रदूषित जल है, इसको आप रोक सकें या कोई ऐसा प्लाण्ट लगवाने के लिये बाध्य करें या उन पर जुर्माना करें, दण्डित करें ताकि भविष्य में इस प्रकार पानी खराब नहीं निकालें ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हजारीलाल जी ।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछूंगी इसमें ।

श्री अध्यक्ष : मैं बालोतरा, पाली, जोधपुर और जालोर के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से यह सवाल कह रहा हूं कि वास्तव में वहां पर उस रंगाई-छपाई के पानी से किसानों के कुएं खराब हो गये हैं । (व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, किसानों के ही नहीं पीने के स्रोत खराब हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं आप ही की तो बात कह रहा हूं । (व्यवधान) सारे राजस्थान में यह समस्या बहुत गम्भीर रूप धारण कर रही है । इसलिये इसके ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था जल्दी से जल्दी आप कर रहे हैं, इस पर गम्भीरता से विचार करिये ।

श्री हजारीलालजी, इस खेतड़ी के अलावा पूछ रहे हैं ?

श्री हजारीलाल (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खेतड़ी कॉपर प्लाण्ट में जांच हो चुकी है और जांच में....

श्री अध्यक्ष : मैंने जो पूछा, उससे अलग है क्या आपका सवाल ?

श्री हजारीलाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जांच हो चुकी है और जांच होने के बाद शत-प्रतिशत जल और उसके....

श्री अध्यक्ष : वह ही सवाल है । हरीशजी, आपका क्या है ?

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री

(श्री हरीश भामनानी)

महोदय से मेरा निवेदन है कि यह जो उद्योगों में प्रदूषण निवारण के सम्बन्ध में जो यन्त्र लगाते हैं। या जो ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाते हैं, वह इतना अधिक कास्टली है कि वह कई बार उद्योग में लगने वाली लागत से भी ज्यादा महंगा पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : यह चिन्ता आपकी थोड़े ही है, सरकार सोचेगी।

श्री हरीश भामनानी : इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि यदि सरकार उनको अनुदान की कोई नीति रखती है तो यह तो ट्रीटमेंट प्लाण्ट लग सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्षजी, आपने पाली या जोधपुर साइड से पूछा है। मैं चूंकि कोटा की तरफ से आता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने पूरे राजस्थान का पूछ लिया।

श्री रामनारायण वर्मा : क्योंकि कोटा में श्रीराम कैमिकल्स भी है, उसमें....

श्री अध्यक्ष : हां, कोटा भी शामिल है, उसमें बारां भी शामिल है, अजमेर भी शामिल है, सारा राजस्थान शामिल है। इस बारे में राज्य सरकार क्या सोचती है। इस समस्या पर सब बोलें, चाहे एक बोले, समस्या एक्यूट है। इसमें अब सरकार क्या कर रही है, सुन लीजिये। अब आप सुन लो। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर ज्योति नगर में जहां विधायक रहते हैं और जल पीते हैं, जो जी.एल.आर. बना हुआ है। जो जयपुर में गन्दा नाला बनाया हुआ है, उसके अन्दर बना हुआ है और उसके अन्दर अनेक बीमारियों के कीटाणु हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जी. एल. आर. के पानी की जांच करावे। सारे ज्योति नगर में (पूर्व और पश्चिम) में पानी पीते हैं। इसलिये इसकी जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : कहां जयपुर ले आये बीच में, किसानों का सवाल हो रहा है।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, हाउस की तरफ से आपने चिन्ता जताई है, राज्य सरकार भी उसी हिसाब से उतनी चिन्तित है। पाली, बालोतरा और जोधपुर के लिये अभी बहुत रीसेंटली चीफ मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, यह सवाल इस सदन में पिछले दो साल से लगातार आ रहा है और बड़ी चिन्ता हो रही है। कहीं न कहीं शुरूआत हो जाय ताकि लोगों को यह आश्वासन मिले कि काम हो रहा है। यह होना चाहिये।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, एक तो नई जो इस तरह की यूनिट्स आ रही है, उस पर हमने पाबन्दी लगाई है। कोई नई यूनिट नहीं आ रही है। पुराने जो प्लाण्ट्स हैं, उनके लिये एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने के लिये "नीरी" को इंस्ट्रक्शंस दे दिये गये हैं वह अपनी सब रिपोर्ट करके जल्दी ही यहां ट्रीटमेंट प्लाण्ट की बात करेंगे।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पोलूशन बोर्ड बना हुआ है। यह सस्ती तकनीक लाना चाहते हैं। कुछ नहीं हो रहा है। पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, आपकी परमीशन से कहना चाहूंगा कि यहां के माननीय सदस्य उस बोर्ड के सदस्य हैं। उस बोर्ड की मीटिंग सालोंसाल नहीं होती है। सरकारी लैवल पर डील किया जाता है। बोर्ड की मीटिंग होती नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, इसको चलाना इतना महंगा है कि जब कोई इन्स्पेक्टर जाता है चैक करने के लिये तब तो चल जाते हैं, बाद में कोई चलाता ही नहीं है। ट्रीटमेंट प्लाण्ट बन्द पड़े रहते हैं। कोई देखने जाता है तब तो चल जाते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : पांच साल से मैं इसका सदस्य हूं।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : सिवाय रुपया इकट्ठा करने के पोलूशन बोर्ड दूसरा काम नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये। एक-एक बोल लीजिये। इसी में पूरा करना है तो एक-एक बोल लीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था।

श्री अध्यक्ष : आप हाथ उठाइये। जितना समय है, लगा दूंगा। आपको बोलना है ताकि सरकार को मालूम पड़ जाय।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न है। मेरा प्रश्न कोई आया ही नहीं, हर बार प्रश्न करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप नहीं लेना ही चाहते हैं तो मैं क्या करूं। आई एम हैल्पलैस। एक तरफ आप सभी सवाल पूछना चाहते हैं। दोनों बातें कैसे चलेंगी ? आप गाड़ी को खूंटे से बांधकर कहते कि इसको पचास की स्पीड से चलाइये। दोनों बातें कैसे होंगी ? या तो खूंटा खोलिये, या तो यह कहिये कि इस प्रश्न पर कोई सवाल नहीं पूछे और जो जवाब मंत्री जी देते हैं, वह सुन लें तो आगे ले लूंगा। इसी पर सब पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिये, आगे सवाल नहीं आयेंगे। आप तय कर लीजिये। इसलिये मैं कह रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं तो आगे सवाल ले सकते हैं। आप चाहें तो इस पर बोल लीजिये। आप तय कर लीजिये।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, अब एक ही तो सवाल है। नया सवाल तो आयेगा नहीं। नया सवाल तो आ नहीं सकेगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अब श्रीमती मदन कौरजी पूछ लें, उसके बाद आगे का सवाल ले लेते हैं।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि अगर आपका, प्रदेश का प्रदूषण मण्डल प्रभावी है तो फिर बालोतरा में जो अवैध रंगाई-छपाई के यूनिट्स चल रही हैं और जिसकी वजह से बाड़मेर जैसा मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पीने के पानी के स्रोत नहीं के बराबर हैं, वहां महत्वपूर्ण स्रोत विथूजा और खुडाला के कुएं पूरी तरह से खराब

(श्रीमती मदन कौर)

होने की स्थिति में आ गये हैं और इसकी वजह से करोड़ों रुपयों की जो पाइप लाइन डाली गई है, वह सारी बेकार होने की स्थिति में है तो आप जवाब दें कि आपका प्रदूषण मण्डल इस सम्बन्ध में क्या करना चाहता है ?

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपने कहा कि प्रदूषण मण्डल इफेक्टिव नहीं है। तो चलो, मैंने इसको मान लिया कि इफेक्टिव नहीं है। प्रदूषण मण्डल को हमने बदल दिया है, सारा का सारा रिकान्स्टीट्यूट कर दिया है। अब देखते हैं कि वह कितना प्रभावी होता है।

इस स्कीम के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया था, "नीरी" से बहुत जल्दी रिपोर्ट आ रही है। हम वहां ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगवा कर इस समस्या के बारे में....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप मेहरबानी करके इस सत्र के अन्तिम दिनों में अपना स्टेटमेंट दें कि आपने क्या किया है।

श्री सुरेन्द्र गोयल।

जैतारण (पाली) में 132 के.वी. जी. एस. एस. की विद्युत लाइन

363. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :– क्या सरकार विद्युत वितरण में वोल्टेज व लोड समस्या के निराकरण की दृष्टि से जैतारण (पाली) में 132 के.वी. जी. एस. एस. की विद्युत लाइन स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री रामनारायण विश्नोई): जी हां, आठवीं पंचवर्षीय योजना में जैतारण (पाली) में 132 के.वी. सब-स्टेशन बनाने की योजना प्रस्तावित है। यह योजना अभी स्वीकृत नहीं है। इस योजना को स्वीकृत कराकर 1992–93 में शुरू करने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 132 के.वी. की योजना प्रस्तावित है और योजना अभी स्वीकृत नहीं है और 1992-93 में काम शुरू कर दिया जायेगा। तो मेरा निवेदन है कि जैसा कि मंत्री महोदय ने खुद ने कहा है कि 1992-93 में काम शुरू कर दिया जायेगा तो मन्त्री महोदय, यह बतायें कि 1992–93 में किस तारीख से यह काम शुरू कर दिया जायेगा ?

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि बिलाड़ा का जो 132 के.वी. का सब-स्टेशन है उस सब-स्टेशन से एक 33 के.वी. की लाइन 7 जगह जाती है–पृथ्वीपुरा, बैस, निबोल, आगेवा, जैतारण, आनन्दपुर कालू और निमाज। उस पर 240 का लोड रहना चाहिए जबकि उसके ऊपर 450 से ज्यादा लोड रहता है। इसके कारण से फ्लक्चुएशन बहुत आते रहते हैं और 4-5 घण्टे से ज्यादा काश्तकारों को सप्लाई नहीं मिलती है। इसलिए मन्त्री महोदय, यह बतायें कि 33 के.वी. के लिए अलग से एक लाइन बिलाड़ा सब-स्टेशन से पृथ्वीपुरा तक जो स्वीकृत है उस पर कब तक काम शुरू कर दिया जायेगा और काम शुरू कर कब तक उस पर काश्तकारों को बिजली दे दी जायेगी ?

श्री रामनारायण विश्नोई : इस सम्बन्ध

(श्री रामनारायण विश्नोई)

में कोई निश्चित तिथि बताना मुश्किल है, जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रस्तावित योजना है, 1992-93 में शुरू करने के प्रयास किए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अगला प्रश्न ले लीजिए।....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक टांग पर खड़ा हुआ हूं कृपा कर मेरा प्रश्न तो ले लीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, विकलांग कोटे से तो ले लीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दुर्घना-ग्रस्त होते हुए भी रोज विधान सभा आते हैं इनका तो ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

सिंचाई योजनाओं पर व्यय

364. **श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1991-92 में ग्राम सिंचाई योजनाओं में किस-किस जिले में कितना-कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में नदियों, नालों का जाल-सा बिछा हुआ है और वर्षा का जल सिंचाई के लिए उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध है तथा व्यय और लाभ के सिद्धांत के अनुरूप अनेक बांधों के लिए स्थान उपलब्ध है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र की निरन्तर उपेक्षा व विभाग के पास अनेक प्रस्ताव होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) 1991-92 में जिलेवार योजनान्तर्गत सम्भावित व्यय-तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में पूर्व के 12 बांध बने हुए हैं। योजना काल के दौरान चार बांध क्रमशः किशोरी, झाकड़ी, रामपुर व पटवारी का नाका निर्मित किये जा चुके हैं। इस क्षेत्र के बांधों के अन्तर्गत 3900 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। नई छह लघु परियोजनाएं प्रस्तावित हैं जिनसे पांच सौ हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई होने का अनुमान है। इनकी तकनीकी व आर्थिक उपादेयता के आधार पर जांच की जा रही हैं। इस प्रकार से विभाग द्वारा क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जा रही है।

(3) कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक सप्लीमेंट्री। बहुत छोटी-सी पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बड़ी कृपा की इन्होंने कि पिछली 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर 4 छोटे-छोटे नाके बांधे हैं, जिनकी आज स्थिति यह है कि झाकड़ी के अन्दर तो जो बांध बांधा है उससे ज्यादा खर्चा ऐस्केप वेयर में लग गया। रामपुरा के अन्दर जो मिट्टी खोदी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

है, बरसात का पानी चाहे कितना ही बरस जाय, 40 इंच बरस जाय पर एक मिलि-मीटर उसमें रुकता नहीं है। पटवारी का जो नाका बांधा है वह कागजों पर बनाया गया है, वह अभी बनाया नहीं है इसलिए वह भी बेकार रहा। इस प्रकार से ये 6 लघु परि-योजनाएं हैं जिनके बारे में पिछले 4 वर्षों से मंत्री स्तर से लेकर कनिष्ठ अभियन्ता के चक्कर लगाते मेरे पैरों की जूतियां घिस गईं। इन चार वर्षों के अन्दर मेरे ख्याल से सर्वे से आगे ये नहीं बढ़े हैं। जिस निष्क्रिय, अकर्मण्य व्यवस्था और असमंजस में सिंचाई विभाग है वह अब कितने वर्ष और लेगा इन 6 परियोजनाओं के बारे में, यह बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक के विधान सभा क्षेत्र की जो 6 लघु सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं वे विभिन्न स्तरों पर हैं और उनमें से कुछ पूर्ण करके ऊपर के अधि-कारियों को पेश की जा चुकी हैं। मैं एक ही बात निवेदन कर सकता हूं कि 16 तारीख को उदारतापूर्वक यह विधान सभा जितना धन खर्च करने के लिए देगी उसमें से कुछ प्राथमिकताए और नार्म्स तय करेंगे और उसके आधार पर 6 इनकी भी ध्यान में रख ली जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00 मध्याह्न)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के रिक्त पद

354. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)**: क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर डिवीजन के प्रत्येक जिले में जनजाति के कितने-कितने पद अधिकारी, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कब से खाली पड़े हैं? वर्षवार, पदवार जिलेवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रिक्तियों को भरने पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) आयुक्त जनजाति विकास विभाग उदयपुर में अधिकारी, लिपिकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों चालकों आदि के कितने पद खाली पड़े हैं ? पदवार, वर्षवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) उदयपुर डिविजन के प्रत्येक जिले में जनजाति के लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्योरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम जिला	लिपिक	च.श्रे.क.
1	2	3	4
1.	डूंगरपुर	8	—
2.	राजसमन्द	11	12

(राज्य मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

1	2	3	4
3.	बांसवाड़ा	20	14
4.	चित्तौड़गढ़	11	6
5.	उयदपुर	9	2
	योग—	59	34

अधिकारियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही इस विभाग द्वारा नहीं की जाती है, अत: विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के रिक्त पदों की सूचना संकलित नहीं की जाती है। अधिकारियों के लिये अनुसूचित जनजाति के पद अलग से चिन्हित नहीं है। पदों के संवर्ग में ही कुछ पद रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत आरक्षित होते हैं जिन पर सम्बन्धित विभाग जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति करने की कार्यवाही करते हुये विभिन्न जिलों में पदस्थापन की कार्यवाही करता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जैसे-जैसे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सकेंगे।

(4) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारी एवं लिपिकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा वाहन चालकों आदि के कुल 37 पद रिक्त हैं जिसकी सूचना संलग्नानुसार प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-अ)

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

तारांकित प्रश्न संख्या 89

(स्थगित)

जिला जयपुर में आवंटित खनन पट्टे

359. श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन, सोप स्टोन मार्बल, अभ्रक, बजरी व अन्य खनिज मिलते हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर क्या-क्या खनिज मिलते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी खनिज क्षेत्रों को लीज व पट्टे जारी हैं ? यदि हां, तो किस-किस को कहां-कहां पर कितना क्षेत्र ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब भी कोई खनिज क्षेत्र खाली है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन क्षेत्रों में एस.सी.,एस.टी. के लोगों के लिए आरक्षण रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले में तहसील वाइज पाये जाने वाले खनिजों की सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(2) जी हां। सूची संलग्न परिशिष्ट "ख" पर है।

(3) खनन क्षेत्रों सम्बन्धी पूर्वेक्षण/सर्वे नहीं होने से खाली क्षेत्रों के बारे में विवरण देना सम्भव नहीं है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जनता को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

518. श्री मदनलाल सैनी (गुढा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में जनता को उचित समय, उचित स्थान व उचित मूल्य पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ?

(2) क्या निजी चिकित्सा संस्थानों को निजी शिक्षण संस्थानों की भांति सरकार सहायता देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) निम्नलिखित गैर शासकीय चिकित्सा संस्थाओं को नियमित अनुदान विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 90-91 में निम्न संस्थाओं को उनके सामने अंकित राशि अनुदान के रूप में दी गई :-

क्र.सं.		लाख में
1-	मदार यूनियन सेनिटोरियम एवं अस्पताल मदार।	2.30
2-	श्री कल्याण आरोग्य सदन सावली (सीकर)	12.00
3-	श्री रघुनाथ चिकित्सालय लक्ष्मणगढ़, सीकर।	0·05 लाख
4-	प्राज्ञ मृगी रोग निवारण समिति, गुलाबपुरा, (भीलवाड़ा)	1.00 लाख
5-	विजय पॉली क्लिनिक अजमेर।	0.20 लाख
6-	जयपुर कैलगिरी आई अस्प. एवं रिसर्च सेन्टर, ट्रस्ट, जयपुर।	2.60 लाख
7-	रेडक्रास सोसाइटी, जयपुर।	1.00 लाख
8-	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर।	0.484 लाख

जावा फार्मास्यूटिकल, जयपुर द्वारा निर्मित औषधियां

519. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जावा फार्मास्यूटिकल, जयपुर द्वारा औषधि नियन्त्रक राजस्थान के अनुमोदन के बिना न्योजॉन आई ड्रोप्स बनाया गया ? क्या उक्त औषधि का कोई नमूना जांच हेतु लिया गया ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? क्या उक्त निर्माता के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(2) अवमानक कोटि की औषधियों के मामले में औषधि निर्माता के विरुद्ध कार्यवाही करने की विभाग की क्या नीति है ? क्या निर्माता के अलावा औषधि विक्रेताओं के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त औषधि नियोसोन का एक सैम्पल जो कि सी.आई.पी.एल., गाजियाबाद द्वारा विश्लेषण किया गया था उस पर कोई टिप्पणी विश्लेषण शाला द्वारा मानक अथवा अवमानक कोटि की होने के बारे में नहीं दी गई। एक सैम्पल गुजरात राज्य की बड़ौदा लैबोरेट्री द्वारा विश्लेषण किया गया जो कि अवमानक कोटि का पाया गया। उक्त संस्था एक महिला उद्यमी द्वारा चलाई जाने को दृष्टिगत रखते हुए संस्था का लाइसेन्स 8 सप्ताह के लिये निलम्बित कर दिया गया तथा संस्था को पाबन्द किया गया कि वह उक्त औषधि एवं एक अन्य औषधि साइक्लोडेक्स का निर्माण नई अनुमति तक नहीं करेंगे। संस्था का लाइसेन्स उनकी प्रार्थना पर रद्द किया जा चुका है।

(2) औषधि निर्माताओं को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस दिया जाता है तत्पश्चात् उनको सुनवाई का मौका दिया जाता है। गम्भीर मामलों में औषधि का निर्माण स्थगित/रद्द किया जाता है तथा न्यायिक कार्यवाही भी की जाती है। ऐसे मामलों में इस प्रकार के प्रकरण में अन्य राज्यों में अपनाई गई प्रक्रिया को भी ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही जाती है।

क्योंकि उपभोक्ताओं को औषधि विक्रेता के द्वारा दी जाती है। अतः यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या औषधि जिस अवस्था में निर्माता द्वारा विक्रेता को सप्लाई की गई है उसी अवस्था में तथा नियमानुसार निर्धारित औषधि के रख-रखाव की सुविधा/तापमान में रखी गयी है तथा औषधि का क्रय नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया से किया गया है। न्यायालयों में निर्माता अवमानक दवाओं की उपभोक्ता को विक्रेता द्वारा सप्लाई का तर्क देकर छूट न जाये इसलिये इस्तगासे में औषधि विक्रेताओं को भी पक्ष बनाया जाता है।

जिला मुख्यालयों पर कार्यरत कनिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ

520. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) एवं **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सालयों में कितने कनिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ अन्य पदों के विरुद्ध लगाये हुए हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त व्यवस्था को उचित समझती है ? यदि नहीं, तो ऐसे कनिष्ठ विशेषज्ञों को उन्हीं के मूल पदों पर पदस्थापन कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सालयों में 32 कनिष्ठ विशेषज्ञ अन्य पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं। श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं, सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञ उपलब्ध होते ही इन्हें इनके मूल पदों पर पदस्थापित कर दिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अजमेर में कैंसर के निदान की व्यवस्था

521. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर में कैंसर के उपचार की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या किसी संस्था द्वारा कैंसर के उपचार व अनुसंधान के लिए भूमि व अनुदान की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या अजमेर में कोबाल्ट थैरेपी संयंत्र की यूनिट लगाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लगा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अजमेर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कैंसर के उपचार के लिए केवल परामर्श की ही व्यवस्था उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। केवल भारत/राजस्थान सरकार से ही कैंसर के उपचार व अनुसंधान के लिए मांग की गई है जिसके लिए प्रयास जारी है।

(3) अजमेर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में भारत/राजस्थान सरकार कोबाल्ट थैरेपी संयंत्र की यूनिट लगाने की इच्छुक रही है एवं यह योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

आसीन्द भीलवाड़ा में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र

522. **श्री लक्ष्मी लाल** (आसीन्द) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आसीन्द तहसील (जिला भीलवाड़ा) में स्वास्थ्य उप केन्द्र किन-किन गांवों में है ?

(2) इन स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(3) वर्ष 1991-92 में उक्त तहसील में कितने नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये तथा भविष्य में किस-किस गांव में खोलने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में आसीन्द तहसील में कुल 32 स्वास्थ्य उप केन्द्र कार्यरत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

एक स्वास्थ्य उप केन्द्र पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का स्थान रिक्त है।

1. स्वास्थ्य उप केन्द्र, रूपपुरा।

प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध होते ही रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी जावेगी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) वर्ष 1991-92 में कोई नया स्वास्थ्य उप केन्द्र नहीं खोला गया। वर्ष 92-93 में खोले जाने वाले नवीन स्वास्थ्य उप केन्द्र हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अजमेर शहर में सड़क डामरीकरण का कार्य

523. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर शहर के किन-किन क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण का कार्य गत 2 वर्षों में हुआ है, उन पर कितनी राशि खर्च की गई है और कितनी लम्बाई में सड़कों का डामरीकरण किया गया है ? कृपया सड़कों की क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर शहर में पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र की सड़कों पर मरम्मत एवं डामरीकरण पर गत 2 वर्षों में किये गये कार्यों का क्षेत्रवार विवरण, खर्च एवं लम्बाई सहित परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा तहसील में पुलियों का निर्माण

524. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील के अन्य जिलों एवं प्रान्तों से आवागमन सुगम बनाने हेतु चम्बल नदी पर गैंता, ठींपरी (चम्बल) तथा झरेर के बालाजी केथोदा पर तथा पार्वती नदी पर फूसोद के पास रपटनुमा पुलियाओं का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त स्थानों पर पुलियायें (रपटें) बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि पीपल्दा से अन्य जिलों एवं प्रान्तों से आवागमन सुगम बनाने हेतु चम्बल नदी पर गैंता, ठींपरी (चम्बल) तथा झरेर के बालाजी केथोदा पर तथा पार्वती नदी पर फूसोद के पास रपटनुमा पुलियाओं का बनाया जाना आवश्यक है।

(2) उक्त स्थानों पर जनहित में पुलियाएं/रपट बनाये जाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं, निर्धारित मापदण्डों तथा राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सांचोर से भवातड़ा वाया हाडेचा सड़क

525. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सांचोर से हाडेचा होती हुई भवातड़ा जाने वाली सड़क कब बनी है ? क्या इस रोड को प्लान की रोड में शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों, और

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

अब इस पुरानी सड़क को कब तक प्लान में शामिल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि हाडेचा से आगे जानवी तक इस ग्रेवल रोड को मेटल रोड बनाने का आश्वासन गत सत्र में सरकार द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार इस कार्य को कब तक पूरा कर देगी ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क पर केसूरी से सुराचन्द वाली सड़क ग्रेवल रोड बनी हुई है और बीच में खासरवी नदी आती है ?

(4) यदि इस नदी पर रपट बना दी जाय तो क्या नेयड़ क्षेत्र के 50 गांवों की जनता व काश्तकारों को सांचोर मण्डी में अनाज लाने का लाभ मिल सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नदी पर रपट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सांचोर से हाडेचा होती हुई भवातड़ा जाने वाली ग्रेवल सड़क का निर्माण वर्ष 1966 से 1969 के बीच अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किया गया। जी हां, इस सड़क को सांचोर से हाडेचा तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 14.6.84को 13.00लाख तथा 15.12.90 को 16 50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी जिसका कार्य पूर्ण कर लिया गया है और हाडेचा को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है, शेष लम्बाई को प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत करना योजनान्तर्गत प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) जी नहीं। हाडेचा से गत सत्र में जानवी तक सड़क बनाने के लिए आश्वासन नहीं दिया गया वरन् कि.मी. 7 से 11 तक सड़क निर्माण हेतु चर्चा की गई थी जो अब बन चुकी है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। रपट बनाने पर निकटवर्ती गांवों को लाभ मिलना स्वाभाविक है। रपट बनाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल बनाना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 526

(स्थगित)

बांसवाड़ा शहर की सड़कों का डामरीकरण

527. श्री सोमा (बागीडोरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बांसवाड़ा शहर में सरकार द्वारा कुल कितनी सड़कों का वर्ष 1991-92 में डामरीकरण किया गया और इन पर कितनी राशि खर्च हुई ? सूची मौहल्लेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांसवाड़ा शहर में वर्ष 1991-92 में कुल 18 सड़कों का डामरीकरण का कार्य किया गया जिसकी कुल लम्बाई 11.82

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कि.मी. है। इन सड़कों पर डामरीकरण हेतु कुल राशि 13.82 लाख व्यय की गई। डामरीकरण की गई सड़कों की सूची "अ" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

बयाना से लुहावद सड़क निर्माण कार्य

528. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष बयाना से लुहावद सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई है ? यदि हां, तो कब तथा कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क कार्य पर कार्य की गति धीमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को शीघ्रता से करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बयाना से लुहावद सड़क निर्माण हेतु माह मई, 91 में रुपये 17.50 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

(2) जी नहीं। कार्य की गति सन्तोषजनक है।

स्टेट फाइनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट के तहत बनी नियमावलियां

529. श्री फूलचन्द गुर्जर(नीमकाथाना)एवं **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या स्टेट फाइनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट की धारा 48ए के अनुसार बनाई गई नियमावलियों को सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस अनिवार्यता को पूरा न करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वित्त निगम द्वारा बनाये गये अधिकांश विनियम स्टेट फाइनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट 1951 में धारा 48(ए) के निविष्ट किए जाने के पूर्व के हैं। अत: इन्हें विधान सभा में प्रस्तुत करने की वैधिक आवश्यकता नहीं थी। अधिनियम में धारा 48(ए) के निविष्ट किए जाने के पश्चात् केवल मात्र राजस्थान वित्त निगम (संशोधित वेतन शृंखला) विनियम-1989 प्रसारित किये गये जिनका राजस्थान राज पत्र में प्रकाशन 15.8.91 को हुआ है। अत: इसका राज्य सरकार द्वारा वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किये जाने हेतु विधान सभा सचिवालय को निवेदन कर दिया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

एन.आर.आई. द्वारा लगाये गये उद्योग

530. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990 से माह फरवरी, 1992 तक कितने एन.आर.आई. ने राजस्थान में धन लगाया एवं उद्योग लगाये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सम्पतसिंह)

(2) सरकार ने उन्हें क्या-क्या सुविधायें दीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से माह फरवरी, 1992 तक अप्रवासी भारतीयों द्वारा 8 उद्योग परियोजनायें स्थापित करने हेतु आशय पत्र/लाईसेन्स प्राप्त किये गये हैं जिनके विवरण की सूची "क" संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापना पर दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों के विवरण की सूची "ख" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

शिक्षित बेरोजगारों का चयन

531. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में वर्ष 1991-92 में शिक्षित बेरोजगारों के कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ? इनमें कुल कितनों का चयन किया गया ? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चयनितों में से कुल कितनों को ऋण का भुगतान करवाया गया ? कितने शेष रहे ? अब इनका कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 1991-92 में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के 852 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुल 200 युवाओं का चयन किया गया। इसके अलावा 126 प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र जो गत वर्ष चयनित किये जाकर स्वीकृति के अभाव में बैंकों से जिला उद्योग केन्द्र में वापिस प्राप्त हो गये, उन्हें भी इस वर्ष 1991-92 के लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों को भिजवाया गया। अतः कुल मिलाकर 326 प्रार्थना पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये हैं। बैंकवार सूची "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 1991-92 के लिए 140 लक्ष्यों के विरुद्ध भिजवाये गये 326 प्रार्थना पत्रों में से फरवरी, 1992 तक 59 युवाओं को ऋण स्वीकृत किया जाकर 18 युवाओं को ऋण का भुगतान किया जा चुका है। 122 युवाओं को भुगतान किया जाना शेष है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार शेष युवाओं को बैंकों द्वारा 31 मार्च, 1993 तक भुगतान किया जा सकता है। सूची "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागौर जिले में उद्योगों पर राजस्थान वित्त निगम की बकाया राशि

532. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले के मकराना, बोरावड़, बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों पर राजस्थान वित्त निगम का कितना-कितना कर्जा कब से बकाया है ?

(श्री बिरधाराम चौधरी)

(2) उक्त उद्योगों पर बिजली व भूमि की कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है ?

(3) उक्त स्थानों पर स्थित उद्योगों से वित्त निगम, बिजली तथा भूमि की बकाया राशि वसूलने के क्या प्रयास कर रही है अथवा किये हैं ? बकाया वसूली नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ? क्या वसूली नहीं करने में अधिकारी भी दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) जिन उद्योगों पर बकाया राशि की वसूली नहीं हो रही है उनसे क्या वित्त निगम सार्वजनिक नीलामी से राशि वसूल करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी इकाई से ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के मकराना, बोरावड एवं बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों में निम्नांकित राशि 1 जनवरी, 92 को अधिदेय एवं बकाया है :-

क्षेत्र का नाम	इकाई की संख्या	अधिदेय राशि	बकाया राशि
1- मकराना	163	89.17	275.59
2- बोरावड	76	68.78	260.06
3- बिदियाद	180	129.60	404.33
कुल	419	287.55	939.98

(2) यह राशि इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होने की तिथि के कुछ समय बाद से बकाया है व उनकी अधिदेय राशि वापिस समय पर किश्तें जमा नहीं कराने के कारण से है। इसमें प्रत्येक इकाई की वास्तविक तिथि दर्शाना बहुत कठिन है, क्योंकि देय किश्तें अलग-अलग तिथियों पर देय होती हैं।

(3) नागौर जिले के मकराना (बिदियाद) औद्योगिक क्षेत्र के 22 उद्योगों में विकास शुल्क की बकाया राशि के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। बिजली की बकाया राशि का विवरण उद्योग विभाग द्वारा नहीं रखा अपितु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रखा जाता है जो उद्योग विभाग का अधीनस्थ मण्डल नहीं है। रीको व राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्यमियों से बकाया राशि वसूलने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है नोटिस आदि देने के पश्चात् भी अधिदेय राशि की वसूली नहीं होने की अवस्था में उद्यमियों से वसूली का अन्तिम वैकल्पिक माध्यम उद्योगों की नीलामी है। बकाया राशि वसूल न होने का मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्र में परम्परागत मार्बल चिराई के स्थान पर आधुनिक मशीन डायमण्ड व गैंगसा का उपयोग कुछ उद्यमियों द्वारा स्थापित किया जाना है। इनकी कार्य क्षमता पूर्व में स्थित परम्परागत मशीनों से कई गुना अधिक है फलस्वरूप जिन उद्य-

(उद्योग मन्त्री)

मियों के पास पुरानी परम्परागत मशीनें थीं उन्हें या तो अपना उद्योग बन्द करना पड़ा या रुग्ण अवस्था में आ गई। वसूली नहीं होने के कारण कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बिजली की बकाया वसूली उद्योग विभाग या इसके अधीन निगमों/मण्डलों द्वारा नहीं की जाती।

(4) जिन उद्योगों से निगम की बकाया राशि वसूल नहीं होती है, उन्हें राजस्थान वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 व 30 के अन्तर्गत अधिग्रहण कर उन इकाइयों की सार्वजनिक नीलामी से विक्रय कर राशि वसूल करता है। यह क्रम निरन्तर जारी है। औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद (मकराना) की अधिग्रहित इकाइयां निम्न हैं :-

1- मै. किशन मार्बल इण्डस्ट्रीज
2- मै. विजय आईस फैक्ट्री
3- मै. न्यू भारत मार्बल इण्डस्ट्रीज
4- मै. प्रियंका मार्बल इण्डस्ट्रीज
5- मै. जगदम्बा आईस फैक्ट्री

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

पक्की ईंट निर्माण के भट्टे

533. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पक्की ईंट निर्माण करने के कितने भट्टे कार्यरत हैं ? प्रत्येक जिले में इनकी संख्या क्या है ? इनमें से प्रत्येक जिले में कितनी ईंटों का निर्माण किया जाता है ? राज्य सरकार को इनसे जिलेवार कितनी रायल्टी की राशि प्रति वर्ष प्राप्त होती है ?

(2) इन भट्टों पर कितने मजदूर काम पर लगे हुए हैं, तथा प्रत्येक जिले में उनकी क्या संख्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पक्की ईंट निर्माण करने के कुल 619 ईंट भट्टे हैं। प्रत्येक जिले में इनकी संख्या व उन भट्टों द्वारा निर्मित ईंटों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट "अ" में दी गई है, साथ ही परिशिष्ट "अ" में जिलेवार वर्ष 1990-91 की रायल्टी की राशि दिखाई गई है।

(2) राजस्थान में इन भट्टों पर कुल 10,827 मजदूर लगे हुए हैं जिनकी जिलेवार संख्या परिशिष्ट "अ" में दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ललित कला, संगीत नाटक अकादमियों तथा कथक केन्द्र के सचिवों के वेतनमान

534. श्री चुन्नीलाल (उदयपुर ग्रामीण) एवं श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1)(अ) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ललित कला अकादमी और कथक केन्द्र के सचिवों के वेतनमान संबंधित अकादमी की कार्य समिति से स्वीकृत हैं या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, और

(श्री चुन्नीलाल)

इस समय उक्त पद हेतु स्वीकृत वेतनमान क्या हैं ?

(ब) उक्त अकादमियों के वेतनमान राज्य सरकार के किस पदमान के समकक्ष हैं तथा इनकी सेवायें राज्य सेवा अधीनस्थ सेवा या किस सेवा श्रेणी के अर्न्तगत आती हैं ?

(स) क्या यह सही है कि अकादमी सचिवों के वेतनमान में संशोधन उनके उपयुक्त कार्य, योग्यताओं, अनुभवों आदि को देखते हुए नहीं हुए हैं और यदि हां, तो राज्य सरकार इनके वेतनमानों में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है ? यदि हां, तो इसके कार्य क्षेत्र आदि को देखते हुए वर्तमान वेतनमान क्या अपर्याप्त नहीं हैं ?

(3) प्रधानाचार्य संगीत संस्थान, जयपुर, प्रधानाचार्य महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के वेतमान क्या हैं और इन अकादमियों के वेतनमान उनके समकक्ष कम होने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या इन अधिकारियों के अधिरियों और कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू करने का सरकार का विचार है और उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1)(अ) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा राजस्थान ललित अकादमी के सचिव पद का वेतनमान 2500–4250 (स्केल नं. 17) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है किन्तु कत्थक केन्द्र के सचिव के लिए कोई वेतनमान स्वीकृत नहीं है।

(ब) ललितकला अकादमी व संगीत नाटक अकादमी के सचिव पद का वेतनमान सचिवालय सेवा के सहायक सचिव के समकक्ष है तथा इनकी सेवा स्वायत्त सेवा के अन्तर्गत आती है।

(स) जब-जब राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया है, उक्त अकादमियों के सचिवों के वेतनमान भी तदनुसार संशोधित होते रहे हैं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, राजस्थान संगीत संस्थान एवं स्कूल आफ आर्ट्स, जयपुर के प्रधानाचार्यों के वेतनमान 3200–4250 है। क्योंकि अकादमियों के सचिवों तथा उक्त संस्थानों के प्राचार्यों के कार्यकलाप (Nature of duties) एवं योग्यतायें भिन्न हैं अतः इनके वेतनमानों में भी अन्तर है।

(4) जी नहीं। पेंशन लागू करने का प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बिना निविदाओं के वर्क आर्डर

535. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

(1) सिचाई खण्ड द्वितीय अजमेर में अप्रेल, 1991 से जुलाई, 1991 तक कितने कितने कार्यों के लिए कितने वर्क आर्डर बिना निविदाओं के दिए गये ? क्या एक ही कार्य के कई भाग किए जाकर उक्त वर्क आर्डर दिये गये और क्या यह नियमों के विपरीत नहीं है ?

(2) यदि है, तो कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कार्य का नाम, स्वीकृति नम्बर, दिनांक एवं राशि दर्शाते हुए ऐसे वर्क आर्डर की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिचाई खण्ड, द्वितीय अजमेर द्वारा माह अप्रेल, 91 से जुलाई, 91 तक 6 विभिन्न कार्यों के 21 वर्क आर्डर वर्तमान बी.एस.आर. पर बिना निविदाएँ किए हुए दिए गये।

एक ही कार्य के कई भाग किए जाकर वर्क आर्डर दिए जाने के सम्बन्ध में वस्तु-स्थिति यह है कि पुष्कर सरोवर की जल क्षमता बढ़ाने हेतु खुदाई के कार्य के लिए म्यूनिसिपल कौंसिल पुष्कर द्वारा एक मुश्त पैसा न देकर टुकड़ों में अलग-अलग समय दिया गया था। यह कार्य वर्षा से पूर्व कराया जाना आवश्यक था, अतः खुदाई कार्य कोटा सी.ए.डी. से एक्सकेवेटर मंगवाकर करवाया गया था, खुदाई की गई मिट्टी को लेबर से खाली करवाने हेतु निविदाएं आमन्त्रित करने में लगभग 1 महीने का समय लगता, अतः इतने समय मशीनों को आईडल खड़ा करने में सरकार को हानि होती तथा कार्य में भी विलम्ब होता। इस अपरिहार्य स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खुदाई की मिट्टी को खाली करवाने हेतु अलग-अलग समय, 14 वर्क आर्डर बी.एस.आर. दर पर दिए गये।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निविदाओं की दर बी.एस.आर. दर से ज्यादा आने की सम्भावना थी। अतः बी.एस.आर. की दर पर कार्य करवाना सभी दृष्टि से उचित था। इसमें कोई Irregularity नहीं हुई है। Procedural irregularity यदि हुई है तो दिखवा लिया जाएगा। वैसे यह कार्य सिचाई विभाग का सामान्य कार्य नहीं होकर Deposit Work था।

इस वर्ष पुष्कर सरोवर से 15.5 लाख घन.फीट मिट्टी निकालकर इस पवित्र सरोवर की जल क्षमता को बढ़ाया गया है, जो कि बहुत ही उपयोगी है।

(2) पुष्कर को धार्मिक तीर्थ स्थान मानते हुए तथा उसकी महत्वता को भी ध्यान में रखते हुए झील की खुदाई कार्य हर हालत में वर्षा से पूर्व करना था इसको ध्यान में रखते हुए ही वर्क आर्डर द्वारा उक्त कार्य करवाया गया। चूंकि कार्य पर म्यूनिसिपल कौंसिल पुष्कर से एक साथ पूर्ण राशि उपलब्ध नहीं हुई, इस कारण डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एण्ड पी.डब्ल्यू.डी./सिचाई विभाग के आईटम नं. 30(2) में अधिशाषी अभियन्ता को यह अधिकार दिया गया है कि राशि 10,000/- रुपये तक के कार्य बिना निविदाओं को आमन्त्रित किए तखमीने की स्वीकृति बी.एस.आर. दर पर किसी भी ठेकेदार को दे सकता है। इसलिए

(सिचाई मन्त्री)

Prima facie कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं। फिर भी इसको पुनः दिखवा लिया जायेगा। पुष्कर झील की खुदाई कार्य हेतु जो वर्क आर्डर दिए गए हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जयपुर जिले में बांधों का निर्माण

536. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1978-79 से 1990-91 तक सिचाई के लिए किस-किस वर्ष में किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी राशि के बांधों का निर्माण हुआ और उनसे कितनी एकड़ भूमि की सिचाई हुई ? यदि सिचाई नहीं हुई तो इनका क्या उपयोग रहेगा ?

(2) जयपुर जिले के कानोता बांध पर जनवरी 1991 तक कितनी राशि व्यय हुई और स्वीकृत राशि कितनी है ? इस बांध से कितनी सिचाई होगी ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील चाकसू के ग्राम श्यामपुरा में स्थित तालाब की पाल में रिसाव हो रहा है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब तक करायी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1978-79 व 1990-91 तक कुल 10 बांधों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया, जिन पर रुपये 1164.14 लाख व्यय किये गये। इनमें से 2 बांधों का निर्माण पूर्ण किया गया जिन पर रु. 66.43 लाख व्यय किये गये। व्यय सिचाई के आंकड़े एवं सिचाई नहीं होने के कारण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) कानोता बांध की प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 363.50 लाख की है, जिसके विरुद्ध जनवरी, 1991 तक रु. 129.82 लाख व्यय किये गये हैं। बांध के पूर्ण होने पर 1440 हैक्टर भूमि में सिचाई होना प्रस्तावित है।

(3) जी हां, रख-रखाव के मद में जितनी राशि मिलती है उसका अधिकांश भाग कार्य प्रभारी कर्मचारियों के वेतन एव भत्तों पर खर्च होता है और बांधों व नहरों की अत्यन्त आवश्यक मरम्मत ही करवायी जा सकती है। बांध के रिसाव को रोकने का कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

घाटोल (बांसवाड़ा) में तालाबों से सिचाई सुविधा

537. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले के उप खण्ड घाटोल में कुल कितने तालाबों से सिचाई सुविधा दी जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि घाटोल उप खण्ड में अमलीखेड़ा डेम गत मानसून

(श्री बहादुर सिंह)

(1991) में भारी वर्षा से टूट गया ? यदि हां, तो उसमें कितना नुकसान हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध के टूटने की सम्भावना थी ? यदि हां, तो जिला अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को क्या इसकी जानकारी थी ? यदि हां, तो इसके रख रखाव के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई ? इसमें जिस अधिकारी की गलती रही उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के तहसील घाटोल में कुल 25 तालाबों से सिंचाई सुविधा दी जाती है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है (परिशिष्ट "अ")

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

बीकानेर जिले में कृषि कूप निर्माण कार्य

538. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले में अकाल राहत के तहत सन् 1985 से अब तक कुल कितने कृषि कुओं का निर्माण कौन-कौन सी तहसीलों में कितना-कितना कराया गया है ? अब तक कितने कुए सम्पूर्ण करा दिये गये हैं तथा कितने अधूरे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत कुए सम्पूर्ण करा देने के बाद भी काफी भुगतान बकाया पड़ा है ? क्या इससे कृषि कुआ निर्माण करने वाले काश्तकार को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या सरकार अकाल राहत का बकाया भुगतान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1-2) बीकानेर जिले में वर्ष 1985 से अब तक कुल 307 कुए अकाल राहत के तहत स्वीकृत किये थे जिनमें से 90 कुए पूर्ण कर लिये गये तथा 190 कुए अपूर्ण रहे एवं 27 कुओं का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया गया। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) पूर्ण कुओं की कोई राशि बकाया नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की योजना

539. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत पांच वर्षों में अकाल राहत के तहत प्रारम्भ किये गये पर अधूरे रह गये कार्यों को पूरा करने की क्या सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें। कितने

(40)

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

अधूरे कार्य अब (31.12.91) तक पूरे कर लिये व कितने अपूर्ण हैं ?

उत्तर

राज्य में 8 जिलों की 27 तहसीलों के 5594 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है तथा जवाहर रोजगार योजना द्वितीय के अन्तर्गत अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य हेतु श्रमिक सीमा निर्धारित की गई हैं। इन राहत कार्यों में अधूरे रहे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने के लिए सर्वप्रथम वरीयता सिंचाई के तालाब, पूर्व में खोदे गये लेकिन अपूर्ण रहे कुए एवं इसके बाद वन विभाग के, भूसंरक्षण के तथा सामुदायिक विकास के कार्य जैसे स्कूल भवन निर्माण, अस्पताल भवन निर्माण आदि के कार्य कराये जाने के निर्देश जिला कलक्टर्स को दिये जा चुके हैं।

अधूरे रहे कार्यों में से 31.12.91 तक 8107 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 20075 कार्य अपूर्ण हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामनसिटी द्वारा निर्मित सड़कें

540. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामनसिटी द्वारा वर्ष 1990 91 में कौन-कौन सी सड़कें प्रस्तावित की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रस्तावित सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई थीं ? व्यय की जाने वाली धनराशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किन सड़कों का कार्य पूर्ण करवाया गया और किन-किन का कार्य अपूर्ण है ? यदि अपूर्ण कार्य है, तो क्यों ?

(4) वर्ष 1991-92 में कौन-कौनसी सड़कों का प्रस्ताव भिजवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामनसिटी द्वारा वर्ष 1990-91 में निम्नलिखित सड़कें प्रस्तावित की गई :-

1. ग्राम जाखली से मकराना तक	5.00 किमी.
2. अलखपुरा से ठिकरिया कला तक	4.00 किमी.
3. कणी से गुढा साल्ट तक	2.00 किमी.
4. सीणिया से राणीगांव तक	4.00 किमी.
5. भडसिया से खुडियास घाटा तक	5.00 किमी.
6. कुचामन सीकर सड़क से दीपपुरा तक	1.50 किमी.
7. सब यार्ड नावा बाजार में	
8. तोसीणा से धाणवा	2.00 किमी.
9. घेपड़ी से चिण्डालिया	4.00 किमी.
10. तोसीणा से रातलिया	4 00 किमी.
11. नगवाड़ा से रातलिया वाया आसखा	4.00 किमी.
12. मनाणां से नगवाड़ा वाया लोरोली	4.00 किमी.

(कृषि मन्त्री)

13. डीडवाना से रसाल तक 3.00 किमी.

14. कुराड़ा से गुलर तक 4.00 किमी.

(2) मण्डी समिति, कुचामनसिटी के पास धनाभाव के कारण कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं की गई थी। अतः व्यय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जब सड़कें स्वीकृत ही नहीं हुई तो निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) वर्ष 1991-92 में मण्डी समिति द्वारा निम्न सड़कों का प्रस्ताव भिजवाया गया :-

1. ग्राम पांचवा से भैरपुरा ग्राम तक 2.00 किमी.
2. बस स्टैण्ड रूपपुरा से ग्राम टोरडा तक 3.00 किमी.

भवानीमण्डी (झालावाड़) में सन्तरे की खेती को प्रोत्साहन

541. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भवानी मंडी (झालावाड़) में सन्तरे की खेती अधिक होती है? यदि हां, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने सन् 1980 से अब तक क्या-क्या प्रयास किये?

(2) सन्तरे की खेती करने वाले कितने किसानों को कब-कब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

(3) क्या राज्य सरकार की भवानी मण्डी में कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या कृषि विभाग ने राज्य सरकार को भवानी मण्डी में ज्यूस कारखाना लगाने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार यह कार्य कब तक पूरा करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि भवानी मंडी में सन्तरा की खेती अधिक होती है। बल्कि झालावाड़ जिले की पंचायत समिति पाटन, सुनेल क्षेत्र में सन्तरा की अधिक खेती होती है। वर्ष 1980 से नाबार्ड द्वारा ऋण सुविधा व विभाग द्वारा अनुदान दर पर पौधे उपलब्ध कराकर कृषकों को लाभान्वित किया जाता रहा है।

(2) राष्ट्रपति पुरस्कार से एक कृषक को 1976-77 में सम्मानित किया गया है।

(3) भवानी मण्डी में कोल्ड स्टोरेज बनाने का उद्यान विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है। ताजा फलों को ही विक्रय हेतु जिले के बाहर भेज दिया जाता है।

(4) जी, नहीं।

कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट के तहत निर्माणाधीन सड़कें

542. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मंडी समिति, लालसोट

(श्री परसादीलाल मीणा)

के तहत किस-किस सड़क का कार्य निर्माणाधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मंडी समिति, लालसोट द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में सम्पूर्ण नहीं होने के कारण मंडी समिति को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा ? यदि हां, तो समयावधि में सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) उपरोक्त स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य पर अतिरिक्त भार कितना होगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं होने का कारण विभाग की लापरवाही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट की निर्माणाधीन सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. मल्यावास से भैंवपुरा
2. स. स. खानपुरा से खेरला
3. स. स. किशोरपुरा से महरिया
4. स. स. बिहारीपुरा से नांगल मोड़
5. स. स. सीलमपुर से निजामपुर
6. स. स. कलावास से मोहम्मदपुरा
7. स स. मण्डावरी से किशोरपुरा (बी. टी. सड़क)
8. स. स. लालसोट गंगापुरसिटी रोड से किशोरपुरा पट्टी।

(2) जी, नहीं।

(3) मण्डी समिति पर कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा। कार्य मूल ठेकेदार द्वारा या मूल ठेकेदार की लागत एवं जोखिम पर पूर्ण होने हैं।

(4) जी, नहीं।

बाड़मेर व जैसलमेर में भू-संरक्षण कार्य

श्री अमीन खां (शिव) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला बाड़मेर व जैसलमेर में भू-संरक्षण द्वारा खडीनों के कार्य कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सन् 1990 से अब तक कराये गये खडीन कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर के अकाल ग्रस्त एरिया में विभाग के अधिकारी द्वारा खडीनों के कार्यों को मजदूरों से न कराकर-ठेकेदारों के द्वारा कराया जाता है ? यदि हां, तो क्यों एवं गरीबों को मजदूरी से वंचित क्यों रखा जाता है ?

(3) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितनी खडीन किस-किस ठेकेदारों के ट्रेक्टर्स से बनाये गये हैं ? ठेकेदारों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला जैसलमेर बाड़मेर में अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के लिए कितने खडीन बनाये गये ? सूची वर्ष 1990 से आज तक की सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कोई भी खडीन का कार्य ठेकेदारों के ट्रेक्टरों से नहीं कराया गया है।

(4) सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के व्याख्याता का वेतनमान

544. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अन्तर्गत कार्यरत लैक्चरर (व्याख्याता) की सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) द्वारा वेतनमान 2200–4000 प्रदान करने का निर्णय दिया गया ? यदि हां, तो अब चयनित वेतनमान 3700–5700 देने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? क्या इस विलम्ब के कारण अधिकांश शिक्षकों ने पुनः उच्च न्यायालय की शरण ली है तथा इससे विश्वविद्यालय की छवि एवं क्षमता प्रभावित हो रही है ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि उच्चतम न्यायालय ने लैक्चरर (व्याख्याता) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त पूर्वलक्षित वेतनमान (रु. 700-1600) के आदेश देने के साथ-साथ यह निर्देश भी दिये कि सहायक आचार्य तथा लेक्चरर (व्याख्याता) की वरीयता सूची अलग-अलग रहेगी। इस आदेश की अनुपालना में सभी व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान 2200–4000 दिये जा चुके हैं।

इससे ऊपर के वेतनमान नियमानुसार समस्त नियमित एवं चयनित सहायक प्राध्यापकों को केरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ प्रदान किये जाने की सहमति प्रदान कर दी गई है। यह सही है कि कुछ व्याख्याताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है।

कृषि अनुसंधान केन्द्र मण्डोर की भूमि

545. प्रो. केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर तहसील के मण्डोर ग्राम के खसरा संख्या 929 की 1 बीघा 9 बिस्वा क्षेत्रफल की भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में कृषि विभाग के नाम दर्ज है जो वर्तमान समय में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर को कृषि विभाग द्वारा कृषि परीक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु प्रदान की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर लगभग 4 वर्ष पूर्व तत्कालीन स्थानीय विधायक एवं उनके परिवारजनों ने उपरोक्त अनुसंधान केंद्र के पास में स्थित अपने ट्यूब

(प्रो. केदारनाथ शर्मा)

वैल से पाइप द्वारा पानी लाकर वर्ष 1988-89 में जीरा एवं 1989-90 में मिर्च की नाजायज फसल ली है एवं अब तक अन्य फसल ले रहे हैं ?

(3) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह आंशिक रूप से सही है कि श्री मानसिंह देवड़ा एवं उनके पुत्रों ने इस भूमि का नाजायज कब्जा करने की कोशिश की। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट महामन्दिर थाना जोधपुर में लिखवाई गई। लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने के कारण वर्ष 1989-90 में इस भूमि पर कुछ फसलें उनके द्वारा ली गई एवं ली जा रही हैं।

(3) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस अतिक्रमण को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किये गये हैं। अब यह मामला एस. डी. एम. कोर्ट जोधपुर में विचाराधीन है। फैसला अभी नहीं हुआ है।

बिडोली (सीकर) की कृषि भूमि में कटाव

546. श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिडोली तहसील सीकर जिला सीकर में खसरा नं. 410 की खेती योग्य भूमि लगातार हो रहे भूमि कटाव के कारण खेती के अयोग्य हो चुकी है ? यदि हां, तो इस ग्राम में किन-किन किसानों की कितनी-कितनी जमीन खेती के अयोग्य हो चुकी है ? प्रत्येक खातेदार का नाम, क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से भू-संरक्षण वन और सिचाई की सम्मिलित योजना जल ग्रहण विकास परियोजना स्वीकृत होकर प्रारम्भ हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम में भी यह योजना चालू करवाकर किसानों को दूसरे जिलों की तरह राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बिडोली तहसील सीकर जिला सीकर में खेती योग्य भूमि खेती अयोग्य होने से इस ग्राम के किसानों के सामने जीवन-यापन का संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे किसानों को नहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन में विशेष प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह भूमि नाले के पास है अतः कटाव से कुछ भूमि अयोग्य हो चुकी है किस किसान की कितनी भूमि अयोग्य हो चुकी है यह सूचना विस्तृत सर्वेक्षण के बिना सम्भव नहीं है सर्वेक्षण के आदेश दिये जा चुके हैं सूचना आने पर माननीय सदस्य को भिजवा दी जावेगी।

(कृषि मन्त्री)

(2) जी हां। विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना राज्य के चार जिलों, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर में ही क्रियान्वित की जा रही है। इस ग्राम व सीकर जिले को इस परियोजना में अभी चयन नहीं किया गया है।

(3) नहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन के अपने नियम हैं उसमें इस प्रकार भूमि कटाव होने पर अन्य क्षेत्रों के किसानों को एवजी में भूमि आवंटन करने का प्रावधान नहीं है।

मोयला की बीमारी से अफीम की फसल को क्षति

547. श्री मोहनलाल (कपासन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में ओलावृष्टि से मोयला आदि बीमारी के कारण अफीम की खेती नष्ट हो गई तथा अफीम के पट्टे निरस्त कर दिये? यदि हां, तो कितने काश्तकारों के तथा इनके हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि अफीम में 5-10 ग्राम कम होने पर काश्तकारों के पट्टे निरस्त कर दिये गये? क्या काश्तकारों से कर्मचारियों द्वारा राशि लेकर पट्टे जारी किये गये? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) व (2) अफीम की खेती के पट्टे भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं पट्टा निरस्ती का कार्य भी भारत सरकार का नारकोटिक्स विभाग ही करता है, चूंकि किसान सीधा नारकोटिक्स विभाग से ही अफीम की खेती हेतु पट्टे प्राप्त करते हैं। इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अन्तर्राज्यीय विद्युत परियोजनायें

548. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अन्तर्राज्यीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश को किस-किस विद्युत परियोजना से कितनी-कितनी मात्रा में बिजली उपलब्ध हो रही है? क्या राज्य को निर्धारित हिस्से के अनुसार बिजली उपलब्ध हो रही है? यदि नहीं, तो गत दो वर्षों में राज्य सरकार ने इसके लिए क्या-क्या प्रयास किये? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस-किस अन्तर्राज्यीय परियोजना से कितनी-कितनी बिजली प्रदेश को प्राप्त होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में किन-किन स्रोतों से कितनी-कितनी विद्युत की मात्रा उत्पादित की जाकर राज्य में वितरित की जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अन्तर्राज्यीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश को विभिन्न विद्युत परियोजनाओं से

(ऊर्जा मन्त्री)

निर्धारित हिस्से के अनुसार बिजली उपलब्ध हो रही जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	स्रोत का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे. वा. में)	राज्य का हिस्सा प्रतिशत में	आवंटन मेगावाट में
1-	चम्बल	386.00	50.00%	193.00
2-	भाखड़ा	1354.5	15.22%	206.00
3-	ब्यास			
	I. पोंग	990.00	20 00%	198.00
	II. देहर	360.00	58.50%	210.60
4-	सतपुड़ा	312.50	40.00%	125.00
	केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान का आवंटन निम्न प्रकार है :-			
5-	सिंगरोली तापीय विद्युत गृह	2000.00	15.00%	300.00
6-	रिहन्द तापीय विद्युत गृह	1000.00	9.50%	95.00
7-	अन्ता गैस विद्युत गृह	413.00	19.77%	81.65
8-	औरेया गैस विद्युत गृह	652.00	9.17%	59.79
9-	नरौरा अणु शक्ति गृह	235.00	9.57%	22.50
10-	राजस्थान अणु विद्युत गृह	440.00	100.00%	440.00

(2) 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली (अनुमानित) विद्युत का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(3) राज्य में मण्डल के एवं मण्डल द्वारा संचालित विद्युत गृह निम्न हैं :-

क्र.सं.	स्रोत का नाम	अधिष्ठापित क्षमता
1-	कोटा तापीय विद्युत गृह	640.00
2-	माही पन विद्युत गृह	140.00
3-	अनूपगढ़	9.00
4-	सूरतगढ़ लघु पन विद्युत गृह	4 00
5-	आर.एम.सी.-II लघु पन विद्युत गृह	0.165

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त ऊर्जा

549. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(1) राज्य में गत चार वर्षों में किस-किस विद्युत परियोजना से कितनी-कितनी मेगावाट बिजली प्रदेश को प्राप्त हुई ?

(2) गत दो वर्षों में योजना मद में कितने नये विद्युत घरों की स्थापना की गयी एवं उनसे कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित की गई ?

(3) गत चार वर्षों का वर्षवार योजना मद में अतिरिक्त उत्पादित की गयी बिजली का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में राज्य को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त बिजली का ब्यौरा वर्षवार निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	स्रोत का नाम	ऊर्जा उपलब्धि वर्ष (मेगावाट)			
		87-88	88-89	89-90	90-91
1-	बी. बी. एम. बी.	614.75	614.75	614.75	614.75
2-	चम्बल (रा.प्र.सा.ज.सा.)	193.00	193.00	193.00	193.00
3-	माही	50.00	95.00	140.00	140.00
4-	अनूपगढ़	9.00	9.00	9.00	9.00
5-	कोटा तापीय विद्युत गृह	220.00	430.00	640.00	640.00
6-	सतपुड़ा (म.प्र.)	125.00	125.00	125.00	125.00
7-	सिंगरोली	300.00	300.00	300.00	300.00
8-	रिहन्द	—	47.5	95.00	95.00
9-	अन्ता	—	34.79	52.19	81.65
10-	औरैया	—	10.24	50.39	59.79
11-	राज. अणु शक्ति विद्युत गृह	440.00	440.00	440.00	440.00
12-	एन.ए.पी.पी.	—	—	22.5	22.5

(2) गत दो वर्षों में (1989-90 एवं 1990-91) में राज्य में स्थापित नई विद्युत इकाइयां एवं इनकी विद्युत क्षमता (मे. वा.) में निम्न प्रकार हैं :-

	क्षमता
1- कोटा तापीय परियोजना (चौथी इकाई)	210 मे.वा.
2- माही पन बिजली परियोजना (चौथी इकाई)	45 मे.वा.
3- आर.एम.सी. माही-II लघु पन विद्युत गृह	0.165 मे.वा.

(3) गत चार वर्षों में योजना मद में राज्य को उपलब्ध अतिरिक्त बिजली का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(ऊर्जा मन्त्री)

मेगावाट

		1987–88	88-89	89–90	90–91
पन बिजली					
1–	अनूपगढ़	9.00	—	—	—
2–	माही	—	45.00	45.00	—
तापीय बिजली					
3–	सिंगरोली	88.24	—	—	—
4–	कोटा तापीय	—	210.00	210.00	—
5–	रिहन्द	—	47.5	47.5	—
6–	अन्ता	—	34.79	17.40	29.46
7–	औरैया	—	10.24	40 15	19.64
अणु बिजली					
8–	नरोरा	—	—	22.5	—

राज्य विद्युत मण्डल को देय अनुदान राशि

550. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य विद्युत मण्डल में कुल कितने करोड़ रुपये का घाटा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त घाटे से अधिक अनुदान की राशि राज्य सरकार द्वारा विद्युत मण्डल को देय है ? यदि हां, तो कितनी राशि कब से देय है ?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की मद में अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या पिछले कई कई वर्षों से उक्त निगम द्वारा यह अनुदान नहीं दिया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त निगम द्वारा अनुदान नहीं दिये जाने के बाद भी राज्य सरकार विद्युत मण्डल से ग्रामीण विद्युतीकरण के पेटे कार्य करा रही है और ऐसी स्थिति में अनुदान की राशि मण्डल को राज्य सरकार से देय है ? यदि हां, तो यह राशि कब तक दी जानी है।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में वर्ष 1989-90 के अन्त तक अंकेक्षित (आडिट) लेखों के अनुसार 556.03 करोड़ रुपये का घाटा था। वर्ष 1990-91 के अनअंकेक्षित (अन-आडिट) लेखों के अनुसार 103.96 करोड़ रु. का घाटा था।

(2) राज्य सरकार ने 'कुल नकद

(ऊर्जा मन्त्री)

हानि" (ओवर केश लोस बेसिस) के आधार पर 156.80 करोड़ रु. का ग्रामीण विद्युतीकरण अनुदान देय मानते हुए निपटारा कर दिया है।

(3) केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के मद में अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जैसा कि खण्ड 3 के उत्तर में कहा गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता तथापि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों हेतु प्रति वर्ष योजना एवं गैर योजना मदों में ऋण स्वीकृत किया जाता है। जहां तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रश्न है, इसका सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों में बेची गयी बिजली से प्राप्त राजस्व की राशि से है और इस बारे में खण्ड सं. 2 के उत्तर में ये विवरण उपलब्ध है।

विद्युत् मण्डल के घाटे की पूर्ति हेतु योजना

551. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का घाटा कम करने, व्यवस्था सुधारने, उत्पादन व दक्षता बढ़ाने के लिए इस मण्डल को विभाजित कर उत्पादन व वितरण के लिए दो अलग स्वतन्त्र इकाइयां बनाने का विचार रखती है ?

(2) यदि नहीं, तो घाटा कम करने के क्या उपाय प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) घाटा कम करने पर इन उपायों का अब तक क्या प्रभाव पड़ा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

(2) अन्य विद्युत् मण्डलों की भांति राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का घाटा निरन्तर बढ़ता रहा है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली की दरें औसत लागत से कम होना हैं। कृषि क्षेत्र की विद्युत् दरों के अत्यधिक कम होने से इस क्षेत्र में सबसे अधिक घाटा है। राज्य सरकार एवं विद्युत् मण्डल द्वारा घाटे को कम करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :-

1. वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य सरकार के ऋण में से 613 करोड़ रु. का ऋण राज्य सरकार की विद्युत् मण्डल में हिस्सा पूंजी में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप मण्डल पर राज्य सरकार के ऋण पर प्रतिवर्ष करीब 58 करोड़ रु. ऋण पर देय ब्याज कम होने की वजह से घाटा कम होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा मण्डल की माली हालत देखते हुए ब्याज पेटे 148.54 करोड़ रुपये राज्य सरकार के ऋण पर देय ब्याज में से वर्ष 1991-92 के दौरान निरस्त/अपलिखित कर दिया गया है।

(ऊर्जा मन्त्री)

3. बिलिंग माह जनवरी, 1992 से समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत् दरों में वृद्धि की गई है।

4. कोटा तापीय विद्युत् गृह में "प्लांट लोड फैक्टर" मण्डल के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 45 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 62 प्रतिशत हो गया तथा आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की समाप्ति तक यह बढ़कर 65 प्रतिशत हो जावेगा यदि मैसर्स कोल इण्डिया लि. द्वारा कोयले की आपूर्ति उचित मात्रा में बराबर जारी रहे।

5. मण्डल ने बकाया वसूली के लिये सघन वसूली अभियान चला रखा है।

6. प्रसारण एवं वितरण में होने वाली ऊर्जा की क्षति को कम करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

7. तकनीकी क्षेत्र व कुछ अन्य आवश्यक नियुक्तियों को छोड़कर मण्डल में नियुक्तियों पर 31.5.80 से प्रतिबन्ध लगा रखा है।

8. वाहनों के संचालन एवं संधारण व्यय की सीमा निर्धारित कर रखी है।

9. खर्चे पर नियंत्रण हेतु मण्डल के आतंरिक अंकेक्षण शाखा द्वारा व्यय अंकेक्षण कराया जा रहा है। राजस्व अंकेक्षण से भूल से कम राजस्व बिलों के मामलों में सही राजस्व वसूल की जाती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित क्रम सं. 1 व 2 में दर्शायी विशेष सहायता एवं उपरोक्त अन्य कारणों से रा. रा. वि. मण्डल को वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान वाणिज्यिक घाटा नहीं होगा, किन्तु "कैश लॉस" रहेगा।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल

552. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी और क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है?

(2) राजस्थान में विद्युत् उत्पादन की क्या संभावनायें हैं और वर्तमान में कितनी मांग है तथा मण्डल उसका कितना प्रतिशत कैसे पूरा करता है?

(3) निजी क्षेत्र में विद्युत् उत्पादन की सरकार की क्या योजनायें हैं? क्या राजस्थान में निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन करने की स्वीकृति देने का सरकार का इरादा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान में पावर व बिजली की दरें अलग-अलग थी और अब इसे एक कर दिया गया है? यदि हां, तो इस प्रकार के समन्वयन का क्या कारण रहा है?

(5) क्या यह सही है कि बड़े उद्योगों में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का बहुत बकाया चल रहा है? यदि हां, तो 50 हजार से अधिक जिन उद्योगों का बकाया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का गठन विद्युत् प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-5 के अधीन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.6.1957 द्वारा किया गया था। इस आदेश के अधीन मण्डल ने दिनांक 1.7.1957 से कार्य प्रारम्भ किया। मण्डल की स्थापना ग्रिड सिस्टम एवं प्रदेश में विद्युत् के कुशल एवं मितव्ययी तरीके (Efficient and economical manner) से समन्वित विकास के उद्देश्य से की गई है। इन उद्देश्यों की यथा सम्भव पूर्ति हो रही है।

(2) राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना तक विद्युत् उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित योजनाएँ है :-

(क) कोटा ताप विद्युत् गृह (स्टेज III)	1×210मे.वा.	1993-94
(ख) रामगढ़ गैस विद्युत् गृह	1×3 ,,	1992-93
(ग) सूरतगढ़ ताप विद्युत् परियोजना	1×250 ,,	1996-97
(घ) पूगल लघु पन विद्युत् गृह	1×1.5 ,,	1994-95
(ङ) इटावा लघु पन विद्युत् गृह	1×0.5 ,,	1994-95
(च) बिरसलपुर लघु पन विद्युत् गृह	1×0.53 ,,	1994-95
(छ) चारणवाला लघु पन विद्युत् गृह	1×1.2 ,,	1992-93
(ज) मांगरोल लघु पन विद्युत् गृह	3×2मे.वा.	1992-93

इसके अतिरिक्त आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रस्तावित निम्न परियोजनाओं में लगभग 645 मेगावाट क्षमता राजस्थान को उपलब्ध होने की संभावना है :

(क) टनकपुर	क्षमता	12	मे.वा.
(ख) सलाल II	,,	345	,,
(ग) चमेरा I	,,	54.0	,,
(घ) दुलहस्ती	,,	39.0	,,
(ङ) उरी	,,	48.0	,,
(च) बरसिंहसर	,,	240.0	,,
(छ) फरीदाबाद गैस टरबाइन	,,	52.0	,,
(ज) दादरी गैस टरबाइन	,,	81.7	,,
(झ) नेशनल कैपिटल रीजन थर्मल परियोजना	,,	84.0	,,

राजस्थान में ऊर्जा की वर्तमान मांग 410.57 लाख यूनिट प्रतिदिन है। राज्य इस मांग की पूर्ति विभिन्न स्त्रोतों जैसे राज्य के स्वयं के उत्पादन केन्द्र, हिस्सेदारी की परियोजनाएं, केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र व उत्तरी क्षेत्र के पड़ौसी राज्यों से क्रय की गई ऊर्जा, केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण की परियोजनाओं से आवंटन के अतिरिक्त प्राप्त ऊर्जा द्वारा पूरा करता है जिसका प्रतिशतीय विवरण इस प्रकार है :-

स्त्रोत का नाम	प्राप्त ऊर्जा लाख यूनिट में	प्रतिशत
1	2	3
राणा प्रताप सागर	16.86	4.11

(ऊर्जा मन्त्री)

1	2	3
जवाहर सागर	13.03	3.17
सतपुड़ा	11.66	2.83
राज. अणु शक्ति गृह	38.05	9.27
कोटा पण बिजलीगृह	100.16	24.40
माही	12.10	2.95
भाखड़ा नांगल	31.91	7.78
देहर	8.52	2.08
पोंग	29.14	7.10
सिंगरोली	57.54	14.01
रिहन्द	27.24	6 63
अन्ता	11.90	2.90
ओरैया	19.31	4.70
एन.ए.पी.पी.	2.43	0.60
विन्ध्याचल	8 78	2.14
पंजाब	21.90	5.33
	410.57	100.00

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही घोषित नीति एवं संशोधित भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 एवं विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अनुसार निजी उद्योग विद्युत् उत्पादन कम्पनी बना सकता है जो कि कोयला लिग्नाईट या गैस आधारित तापीय, जल, वायु एवं सौर ऊर्जा परियोजना लगा कर ग्रिड को बिजली दें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अप्रेल, 1988 में मै. सैन्चुरी टेक्सटाईल्स एवं इण्डस्ट्रीज लि., बम्बई को राज्य में एक विद्युत् गृह को स्थापित करने के लिये लाईसेन्स दिया तथा नवम्बर, 1989 में उन्हें चित्तौड़गढ़ में विद्युत् गृह को स्थापित करने के लिये अधिकृत किया। इस परियोजना का प्रतिवेदन (1 × 500 मेगावाट) का मै. सैन्चुरी टेक्सटाईल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से प्राप्त हो गया है। जिसकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने सूरतगढ़ तापीय विद्युत् गृह हेतु भी एक अधिसूचना द्वारा निजी उद्योगों को विद्युत् उत्पादन हेतु अक्टूबर, 1990 में निविदायें आमन्त्रित की थी लेकिन कोई भी निविदायें सम्पूर्ण नहीं पाई गई।

(4) जी हां। घरेलू उपयोग के लिये बिलिंग माह जुलाई, 1985 तक लाईट एवं पावर की अलग-अलग दरें थी। पावर की दरें लाईट की दरों से कम हुआ करती थी लेकिन कई उपभोक्ताओं द्वारा पावर के मीटर से लाईट के लिए भी उपभोग कर लिया जाता था। इससे मण्डल को राजस्व की हानि होने लगी थी। अतः पावर एवं लाईट की दर बिलिंग माह अगस्त, 1985 से एक ही कर दी गई।

(5) जी हां। सूची "अ व ब" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जैसलमेर की पंचायत समितियों में विद्युतीकरण

553. श्री अमीन खां (शिव) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमीन खां)

(1) क्या सरकार जैसलमेर, जिले की पंचायत समिति सम के ग्राम देवीकोट, सांगड़ फतेहगढ़, मंडाई, रीवड़ी, रामा, मेगा, बीन्जोता, चेलक नगराजा, कांसाई, अदरोई बासड़ा, भंभारा, मगरा, सोठात, गजसिंह का गांव, देवड़ा, तेजमालता, नीवली मेहरों की ढाणी का विद्युतीकरण करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) उक्त ग्रामों में से चालू वर्ष में कितने गांवों को जोड़ा जायेगा और अगले वर्ष में कितने गांव को कमीशन किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्न में इंगित ग्राम देवीकोट, सागड़, फतेहगढ़, मंडाई, रीवड़ी, रामा, चेलक, नगराजा, गजसिंह का गांव, देवड़ा, तेजमालता, माडली मय मेहरों की ढाणी, बम्भारा, अदरोई (राजस्व ग्राम अडवाना) एवं मगरा (राजस्व ग्राम बया) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वर्षवार योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में विद्युतीकृत किया जा सकेगा। विद्युतीकरण की निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है। ग्राम मेघा, बीजोता, बासडा, एवं नीम्बली वर्तमान में विद्युतीकरण की किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है। ग्राम कासाई सोठाल नाम जनगणना पुस्तिका 1981 में अंकित नहीं है अतः इस बारे में बता पाना सम्भव नहीं है।

(2) चालू वर्ष 1991–92 में ग्राम देवीकोट कोड नं 12/1/311 का विद्युतीकरण करना ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित किया गया है। अगले वर्ष 1992–93 हेतु राज्य में विद्युतीकरण हेतु जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना शेष है। अतः विद्युतीकरण हेतु ग्रामों की संख्या बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

जयपुर कारागृह के अधिकारियों की अनियमितताएं

554. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कारागार राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले के जेल विभाग में पिछले 5 वर्षों में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में क्या कोई समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये हैं तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं ? यदि इनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्यों तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यवाही किस स्तर पर रुकी हुई है और क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के जेल विभाग में कोई जांच समिति गठित नहीं की गई। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दिनांक 29.11.89 को हुई घटनाओं के बारे में जांच के लिए श्री आई. सी. श्रीवास्तव, तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त, जयपुर को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

(कारागार राज्य मन्त्री)

उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

पिछले पांच वर्षों में जयपुर जेल में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं को जांच समय-समय पर कराई गई है। इन जांचों में अधिकारियों के दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चल रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

पंचायत राज संस्थाओं के अधीन सिचाई के तालाब

555. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा): क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कितने रकबे तक की सिचाई क्षमता वाले तालाब पंचायत राज संस्थाओं के अधीनस्थ हैं ? बूंदी जिले में पंचायत राज संस्थाओं के अधीनस्थ तालाबों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत राज संस्थाओं के अन्तर्गत तालाबों की देखरेख की व्यवस्था तथा नियन्त्रण आदि के कोई नियम उपनियम हैं ? यदि हां, तो नवीनतम आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) बूंदी जिले में 1989 से अब तक प्रत्येक तालाब से कितनी-कितनी आय हुई ?

(4) क्या इन तालाबों की पाल व सीमा में वृक्ष लगे हुए हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में प्रत्येक तालाब की पाल व सीमा में कितने वृक्ष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 50 एकड़ से कम सिंचाई क्षमता वाले तालाब पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये गये हैं। बून्दी जिले में विभिन्न पंचायत समितियों को हस्तान्तरित तालाबों की सूची परिशिष्ट क, ख, ग व घ के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) पंचायत समिति को हस्तान्तरित 50 एकड़ से कम सिंचाई क्षमता वाले तालाब एवं एनिकट के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश प्रसारित किये गये हैं जिसके अन्तर्गत ऐसे तालाब और एनिकट जो पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित हैं, उन्हें हस्तान्तरित किये गये हैं, सम्बन्धित पंचायत समिति की सम्पत्ति माने गये हैं। ऐसे तालाबों तथा एनिकट की देखरेख संधारण, सिंचाई शुल्क का निर्धारण तथा सिंचाई शुल्क की वसूली करने का दायित्व सम्बन्धित पंचायत समिति का है जो इस दायित्व का सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्वहन करती हैं। इन तालाबों में मछली पालन, सिंघाड़े आदि का ठेका तथा तालाबों के पेटे एवं पाल पर प्राकृतिक उपज लेने का अधिकार सम्बन्धित पंचायत समिति का होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 19.10.66 तथा 22.5.86 की प्रतिलिपियां परिशिष्ट 2 तथा 3 के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(पंचायती राज राज्य मन्त्री)

(3) वर्ष 1989-90, 90-91 तथा 91-92 में बूंदी जिले में स्थित पंचायत समिति हिन्डोली में कुल 610/- रु. तथा पंचायत समिति नैनवा में 1,95,492/- रु. की आय प्राप्त हुई है। उक्त अवधि में पंचायत समिति तालेड़ा व केशवरायपाटन में स्थित तालाबों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

(4) बूंदी जिले की विभिन्न पंचायत समितियों को हस्तान्तरित पाल एवं सीमा पर लगे हुए वृक्षों की संख्या का विवरण परिशिष्ट क, ख, ग, घ में कालम 6 में अंकित है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक की पंचायत समितियों के भूतपूर्व पंचों सरपंचों एवं प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें

556. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्तमान में जिला परिषद्, टोंक की पंचायत समिति, निवाई एवं पंचाय समितित, टोंक के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के किन-किन भूतपूर्व पंचों, सरपंचों एवं प्रधानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर किस-किस स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है ? कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विवरण सहित सूची सदन के पर रख दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

बांसवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय

557. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय कितने हैं व जिले में अध्यापक कितने हैं ? महिलाओं व पुरुष अध्यापकों की पृथक-पृथक पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांसवाड़ा जिले में कुल 907 प्राथमिक विद्यालय हैं तथा 1990 अध्यापक हैं। इनमें से 552 महिला अध्यापक व 1438 पुरुष अध्यापक हैं। पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

फलासिया (उदयपुर) के नये ग्राम पंचायत मुख्यालय

558. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में 1991-92 में नये ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाये गये ? यदि हां, तो किस-किस को एवं प्रत्येक में किस-किस गांव को सम्मिलित किया गया तथा इसका आधार क्या रखा गया ?

उत्तर

जी नहीं, अभी तक कोई नये ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं बनाये गये हैं ?

बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा, गढ़ी पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पद

559. श्री सोमा (बागीदोरा) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

तहसील बागीदोरा एवं गढ़ी में किन-किन पंचायत समिति के विद्यालयों में अध्यापक (प्रशिक्षित) के पद रिक्त हैं? सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

तहसील बागीदोरा की दो पंचायत समिति एवं तहसील गढ़ी की एक पंचायत समिति में निम्न प्रकार अध्यापकों के पद रिक्त हैं :–

तहसील	पंचायत समिति	रिक्त पदों की संख्या
1-बागीदोरा	1-बागीदोरा	47
	2-आनन्दपुरी	25
1- गढ़ी	1-गढ़ी	15
	योग :	87

रिक्त पदों को शीघ्र भरने के आदेश राज्य सरकार ने सभी जिला परिषदों को दे रखे हैं।

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर (जिला जोधपुर) में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत पद

560. श्री राजेन्द्र गहलोत(सरदारपुरा): क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर जिला जोधपुर में माह मई, 1988 में कुल कितने पद विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत थे तथा उसके अनुरूप कितने कर्मचारी कब-कब से कार्यरत रहे हैं ?

(2) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची निर्धारण करने की क्या प्रक्रिया निर्धारित थी ?

(3) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र से माह मई, 1988 से आज तक किन-किन कर्मचारियों को अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया? क्या इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों को आमेलन) नियम, 1969 के तहत प्रावधानों के अनुरूप एक माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने परिपत्र क्रमांक प–1 (14) सा. प्र. /3/78 दिनांक 1.6.1988 द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी निदेशालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कर्मचारियों को बिना कनिष्ठतम हुए, बिना एक माह का नोटिस दिये प्रशिक्षण केन्द्र से कितनी संख्या में समावेश किन-किन विभागों में किया जा चुका है तथा इन्हें नियमित वेतन व भत्तों का भुगतान किया जा रहा है, या नहीं ? सूची नियमों की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों का

(पंचायत राज राज्य मन्त्री)

वरिष्ठता सूची राज्यादेश दि. 27.3.1979 के अनुसार निर्धारण करने की प्रक्रिया निर्धारित थी जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र से माह मई, 1988 से आज तक 1. श्रीमती सुशीला महनोत, बालवाडी अध्यापिका 2. श्री रतन लाल कनिष्ठ लिपिक कम स्टेनो टाइपिस्ट, 3. एवं श्री रेवतराम सहायक लाइब्रेरियन, को अधिशेष घोषित किया गया।

जी हां, इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम, 1969 के तहत एक माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

सरकार के परिपत्र क्रमांक 1(14) सा. प्र./3/78 दिनांक 1.6.88 के अनुसार निदेशालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कनिष्ठतम कर्मचारियों को ही एक माह का नोटिस देकर 3 कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किया गया और उनके समावेश क्रमशः शिक्षा विभाग, जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर, एवं संस्कृत कालेज जोधपुर में किया गया।

उन कर्मचारियों को नियमित वेतन व भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। 1.6.1988 की प्रति संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समितियों में ग्रुप सचिवों के स्वीकृत पद

561. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन एवं सोजत में ग्रुप सचिवों के कितने पद सृजित हैं ?

(2) उक्त पंचायत समितियों में ग्रुप सचिवों के कितने पद कब-कब से रिक्त पड़े हैं ? वर्तमान में उक्त पंचायत समितियों की कितनी-कितनी ग्राम पंचायतों के कौन-कौन से ग्रुप सचिव किस-किस ग्राम पंचायतों के कार्य को कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समितियों के ग्रुप सचिवों के रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में 25 एवं पंचायत समिति सोजत में 18 पद ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के सृजित हैं।

(2) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में कोई पद रिक्त नहीं है पंचायत समिति सोजत में मात्र 3 पद क्रमशः दिनांक 28.10.89, 1.10.90, एवं 31.7.90 से रिक्त हैं।

वर्तमान में पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन एवं सोजत की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य के अन्यत्र जिलों की पंचायत समितियों में स्वीकृत पदों से अधिक

(पंचायत राज राज्य मन्त्री)

कार्यरत अधिशेष ग्राम सेवकों को पंचायतों के पुनंगठन के बाद समायोजन द्वारा भरा जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

राजसमन्द झील में मत्स्याखेट

562. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द झील में भारी मात्रा में मछलियां हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यहां किसी को मत्स्याखेट की अनुमति दी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मत्स्य विभाग इसे तीन वर्ष के लिए मत्स्याखेट के लिए ठेके पर देने जा रहा है ? यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जन विरोध के कारण जिला कलक्टर को मत्स्याखेट पर रोक लगानी पड़ी ? यदि हां, तो प्रदूषण के भय एवं जन आन्दोलन को देखते हुए मत्स्याखेट का ठेका देने के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया या निर्णय लेने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने ठेके पर मत्स्याखेट हेतु घाट एवं मन्दिर से 200 गज क्षेत्र छोड़कर अनुमति दी है।

(2) जी नहीं।

(3)(अ) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ने जन-भावना से ठेकेदार को अवगत कराकर मत्स्याखेट स्थगित रखने का निवेदन किया था। इस कारण यह कार्य स्थगित रहा।

(ब) अगले वर्ष के ठेके को देने या न देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेगी।

लोकायुक्त कार्यालय में भेड़ व ऊन फैडरेशन के मामले

563. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भेड़ व ऊन फैडरेशन के संबंध में कितने मामले कार्यालय लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर में चल रहे हैं ? परिवाद संख्या एफ 22(3) लोका. आ. स. एवं परिवाद संख्या 84/10 दिनांक 9.4.1985 के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

फैडरेशन के सम्बन्ध में लोकायुक्त राजस्थान में दो प्रकरण पंजीकृत हैं।

परिवाद संख्या 22(3) लो.आ.सं./84 का निस्तारण लोकायुक्त द्वारा किया जा चुका है। कोई भी परिवाद संख्या 84/10 दिनांक 9.4 1985 लोकायुक्त में दर्ज नहीं है। एक अन्य परिवाद संख्या 22(2) लो. आ.सं /88 लोकायुक्त में विचाराधीन चल रहा है।

अधीक्षण अभियन्ता वृत्त कोटा द्वारा जारी 80 सी.पी.सी. के नोटिसेज

564. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जीतमल जैन)

(1) अधीक्षण अभियन्ता, खनिज, कोटा वृत्त, कोटा जिसमें कोटा, बून्दी, बिजोलिया, रामगंजमंडी, झालावाड़ सम्मिलित हैं, में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 (अप्रेल से मार्च) में कितने 80 सी. पी. सी. के नोटिस राज्य सरकार को प्राप्त हुये ?

(2) उक्त 80 सी.पी.सी. के नोटिसेज के कितने नोटिस राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, खनन पट्टों के अस्वीकृत रिवोक एवं खण्डित होने व कितने उक्त नियमावली के अन्तर्गत मांग कायम करने के सम्बन्ध में दिए हैं ? पूर्ण विवरण पार्टी के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नोटिस जो सैक्शन 80, सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत राज्य सरकार को दिये जाते हैं, में कितनों में राज्य सरकार को जवाब भेजे गए व कितने शेष रहे ? खण्ड व उपखण्ड अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कितने नोटिसेज में राज्य सरकार ने नोटिस देहन्दा द्वारा चाही प्रार्थना को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया व कितने नोटिस इग्नोर किए गए, जिनके कितनों में दावे हो चुके हैं ?

उत्तर

(1) अधीक्षण खनिज अभियन्ता, कोटा वृत के सम्बन्धित कार्यालयों में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में अब तक प्राप्त 80 सी. पी. सी. नोटिस का विवरण कार्यालय वाइज निम्न प्रकार है :-

प्राप्त 80 सी. पी. सी.

क्र.सं	कार्यालय का नाम	1990-91	1991-92	कुल योग
1-	ख.अ. कोटा	–	–	–
2-	ख.अ. बून्दी-I	1	1	2
3-	ख.अ. बून्दी-II	–	2	2
4-	ख.अ. रामगंजमंडी	2	1	3
5-	ख.अ. बिजोलिया	2	3	5
6-	स.ख.अ. झालावाड़	2	2	4
		7	9	16

(2) अप्रधान खनिज के मामलों में विषयवार प्राप्त 80 सी.पी.सी. नोटिस का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) 80 सी.पी.सी. नोटिस के मामलों में भेजे गये उत्तर व शेष रहे मामलों का विवरण खण्ड-उपखण्ड कार्यालयों के अनुसार संलग्न परिशिष्ट "अ" के कॉलम नम्बर 8 व 9 में अंकित है।

(4) प्राप्त 80 सी पी. सी. नोटिस में से 2 मामलों में खनिज अभियन्ता रामगंजमण्डी द्वारा पार्टी से प्राप्त प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुये निर्णय किया गया। शेष मामलों में जिनमें उत्तर दे दिया गया एवं वाद न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(60)

खनिज अभियन्ता रामगंज मण्डी की आय

565. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, रामगंज मण्डी वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में निर्धारित आय लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे व आय लक्ष्य प्राप्त न होने का मुख्य कारण क्षेत्र में खनिज, लाइम स्टोन, सेण्ड स्टोन, आदि की रायल्टी की चोरी होना है? इसके लिए कौन दोषी है तथा सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) क्या खनिज अभियन्ता, रामगंज-मण्डी ने वर्ष 1989-90 व 1990-91 के सम्बन्ध में यह असत्य सूचना दी है कि आय लक्ष्य प्राप्त हो गया है व इस सूचना के आधार पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर उनको प्रशस्ति पत्र भी दिये हैं; जबकि अन्य खनिज अभियन्ता जो कोटा वृत्त में हैं, से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं? प्रशस्ति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) खनिज अभियन्ता, रामगंज मण्डी ने वर्ष 1989-90 व 1990-91 में लॉन एवं एडवांस लेकर टारगेट पूरा होने की गलत सूचना देकर पत्र प्राप्त किया इसके लिये निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान राजस्थान उदयपुर ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा है व इस असत्य सूचना के लिए क्या क्या कार्यवाही की है? प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग कर्मचारी संघ ने रायल्टी वीजन के सम्बन्ध में ज्ञापन सन् 1988 से लेकर 1991 तक प्रस्तुत किये? अब तक कब-कब कितने ज्ञापन प्रस्तुत किये गये? प्रतियां सदन की मेज पर रखें। इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। खनिज अभियन्ता, रामगंजमण्डी द्वारा वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 के निर्धारित आय लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये। अतः इस मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) खनिज अभियन्ता, रामगंजमण्डी ने न तो कोई असत्य सूचना दी और न ही किसी को गलत सूचना के आधार पर कोई प्रशंसा पत्र दिया गया है। खनिज अभियन्ता, रामगंजमण्डी को वर्ष 1989-90 के आय लक्ष्य की प्राप्ति पर प्रशंसा पत्र शासन के निदेशानुसार जारी किया गया। पत्र की प्रति परिशिष्ट "1" संलग्न है। अन्य कार्यालयों से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे गये, उनकी प्रतियां परिशिष्ट 2, 3, 4, 5, 6, संलग्न है।

(3) खनिज अभियन्ता, रामगंजमण्डी ने वर्ष 1990-91 में आय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कोई लोन एडवांस नहीं लिया। उन्होंने खनिज से होने वाले निर्गम पर केवल अग्रिम रायल्टी वसूल की। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ने पत्र दि. 26.12.1991 से लिखा जिसका उन्होंने जवाब पत्र दिनांक

(खनिज राज्य मन्त्री)

28.2.1992 से दिया है। दोनों पत्रों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट 7 व 8 संलग्न है।

(4) जी हां। खान एवं भू-विज्ञान विभाग कर्मचारी संघ ने प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट "9" संलग्न है। परिशिष्ट 9 का उत्तर खनिज अभियन्ता, रामगंजमण्डी में उनके पत्र दिनांक 13.9.1991 संलग्न परिशिष्ट 10 से दिया है एवं अधीक्षण खनिज अभियन्ता, कोटा ने कर्मचारी संघ कोटा के अध्यक्ष से दिनांक 10.9.1991 से वार्ता कर आवश्यक आदेश दि. 16.9.1991 जारी किया, जिसकी प्रति परिशिष्ट "11" संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जलोत्थान योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता

566. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के लिये 145 जलोत्थान योजनाओं के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे गये थे ? यदि हां, तो कितनी योजनाओं की मंजूरी आई ?

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा डूंगरपुर जिले के कितने प्रस्ताव भेजे गये थे ? कितने स्वीकृत हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा डूंगरपुर जिले में 1990 से 1991 तक कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया ? किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त विशेष सहायता मद में बांसवाड़ा जिले के लिए 145 जलोत्थान योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे गये थे। योजना का अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त हो चुका है एवं वर्ष 1990-91 में इस मद में 40 लाख रु. का आवंटन पंचायत समिति आनन्दपुरी एवं पीपलखूंट क्षेत्र की योजनाओं हेतु किया गया है।

(2) अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद में डूंगरपुर जिले के लिए 82 जलोत्थान योजनाओं की एक परियोजना केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है जो अभी विचाराधीन है। प्रेषित प्रस्ताव का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) डूंगरपुर जिले में जनजाति क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में वर्ष 1990-91 से 196.58 लाख रु. तथा वर्ष 1991-92 में 197.23 लाख रु. की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। जिन-जिन योजनाओं में जो धनराशि खर्च की गई है का विवरण परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रबन्धक जनजाति विकास निगम, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में खाद्यान्न वितरण

567. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री चुन्नीलाल चौधरी, प्रबन्धक, जनजाति निगम, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ने अक्टूबर, 1991 में सस्ते अनाज का वितरण सही ढंग से नहीं किया था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रबन्धक ने दिनांक 28.9.1991 को सस्ते अनाज के परमिट नम्बर 31332-50/31331-40 का कोटा रसद विभाग, चित्तौड़गढ़ से उठाया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चूंकि अक्टूबर, 1991 में रसद विभाग द्वारा आवंटित 450 मै. टन सस्ता अनाज भारतीय खाद्य निगम से उठा लिया गया था, तथा जिला रसद विभाग, चित्तौड़गढ़ द्वारा आवंटनानुसार खुदरा विक्रेताओं को वितरित किया गया। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

(2) जी नहीं। अतिरिक्त आवंटित खाद्यान्न के परमिट रसद विभाग से माह की अन्तिम तिथि 30.9.1991 को मध्याह्न बाद 1-30 बजे प्राप्त होने से परमिट के द्वारा आवंटित सस्ते अनाज का कोटा भारतीय खाद्य निगम से नहीं उठाया जा सका।

स्थगित प्रश्न

(28 फरवरी, 1992)

अतारांकित प्रश्न संख्या 163

(स्थगित)

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों के गांवों का विद्युतीकरण

169. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को जनहित में देश सुरक्षा के लिये 33 गांवों से उठाकर अन्यत्र पूगल, खाजूवाला एवं छतरगढ़ में बसाया गया था ? यदि हां, तो क्या उनको कालोनी एक्ट के मुताबिक बिजली सुविधायें मुहैया कराई जाना भी शामिल है ?

(2) वर्ष 1989 से अब तक 33 गांवों के विस्थापित लोगों हेतु कितने गांव विद्युतीकृत कर दिये गये हैं और शेष कितने वंचित है।

उत्तर

(1) आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को उपनिवेशन तहसील पूगल, छतरगढ़ में बसाया गया था। कोलोनाइजेशन एक्ट में किसी भी व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार 282 ग्रामों में

(ऊर्जा मन्त्री)

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को बसाया गया था। उक्त प्राप्त सूची में से केवल 72 ग्राम ही जनगणना पुस्तिका 1981 में राजस्व गांव घोषित है घोषित ग्रामों में से 66 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष 6 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं।

जिला पाली के पूर्व सरपंचों के अधीन धनराशि

193. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की किन-किन पंचायत समितियों के किस-किस ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच के पास कितनी-कितनी नकद धनराशि 1982 से उनके पास है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नियम के अनुसार सरपंच ऐसी कितनी धनराशि रखने के अधिकृत थे जिन सरपंचों के पास नियम से अधिक धनराशि चेतावनी के बाद भी बकाया रही उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नियमानुसार सरपंचों को रोकड़ पोते 100/- रुपये तक की राशि नकद रख सकते हैं। जिन सरपंचों के पास 100/- रु. से अधिक राशि नकद रही है उनसे अंकेक्षण आपत्ति के अनुसार 12 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है। जिन सरपंचों से ब्याज की राशि वसूल नहीं हो पाई है, उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही आदि की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के वर्ष 1987-88 के अकाल राहत कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने से गरीब मजदूरों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर की तहसील शिव की सीमावर्ती सब तहसील गडरारोड में भयंकर अकाल से पशुधन को बचाने व अकाल राहत कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर में वर्ष 1990-91 में कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामनारायण वर्मा, श्री जुबेर खान और श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य,

(64)

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(5) श्री मोतीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर शहर तथा बजरिया में पीलिया रोग फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में राशन की दुकानों द्वारा दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की मात्रा में कमी करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री बिरधाराम चौधरी, श्री रिछपालसिंह और श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की सभी तहसीलों के गांवों की गत वर्ष की चौमासे की फसल के अनावृष्टि से नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर तहसील नावां के ग्राम लाडनगर के कतिपय खसरों की खातेदारी पाबन्दी को नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले के थाना मानपुर के गांव गीजगढ़ में दिनांक 6 मार्च, 1991 को शकुन्तला नाम की एक महिला को उसके पति सहित मार देने की जांच सी.आई.डी. (सी.बी.) से करवाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि मृतका के पिता की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 44/91 अन्तर्गत धारा 498ए/304 बी. भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर वृत्ताधिकारी, दौसा ने अनुसंधान प्रारम्भ किया। घटनास्थल का सूक्ष्म नक्शा व मृतका शकुन्तला के पीहर पक्ष के गवाहान व घटना के आस-पास के गवाहान के बयानात लेखबद्ध किये गये। मृतका शकुन्तला को जहां जलाया गया था वहां से जली हुई राख व हड्डियां वास्ते परीक्षण जब्त कीं। अन्वेषण के दौरान मृतका शकुन्तला को मारपीट करने की बात प्रमाणित नहीं हुई। यह भी तथ्य विदित हुआ है कि शकुन्तला व उसके पति महेश के आपसी सम्बन्ध मधुर थे और दिनांक 6.3.91 को जब शकुन्तला जंगल जाकर आई तब उसे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था जिससे उसकी मौत हो गई।

(2) डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 1 मार्च, 1992 को झुन्झुनू जिले के मण्डावा क्षेत्र के गांव चूड़ी अजितगढ़ में विक्रमसिंह की हत्या किये जाने तथा अभियुक्तों की नामजद रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि कथित नामजद अभियुक्त नोपसिंह घटना के दौरान लगे छर्रे के घाव के कारण उसके परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसका

(श्री अध्यक्ष)

मेडिकल परीक्षण करने पर उसके एक चोट धारदार हथियार से आना पाया गया है। इस अभियुक्त की गम्भीर स्थिति को देखते हुए उससे अभी तक तफ्तीश नहीं की जा सकी है। सतर्कता के लिए इस अभियुक्त पर पुलिस द्वारा निरन्तर निगरानी की जा रही है। जैसे ही वह सामान्य हालत में आवेगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। नामजद अभियुक्त मातरसिंह भारतीय सेना में नौकर होने के कारण अन्वेषण अधिकारी द्वारा न्यायालय ए. सी. जे. एम., झुन्झुनू में दिनांक 10.3.1992 को इस अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट देने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है। अभियुक्त का अन्वेक्षण किया जा रहा है। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) श्री मनीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सावनिया जिला बीकानेर में विद्युत विभाग की अव्यवस्था से वहां की जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि बीकानेर जिले का सावनिया ग्राम वर्ष 1984 के माह मार्च में विद्युतीकृत हुआ था। वर्ष 1990 में 36 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तो उनके तखमीने बनाने हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को भेजा गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि इस ग्राम की 11 किमी. लाइन के तार चोरी चले गए। चोरी गई लाइन को दुबारा खेंचने हेतु लगभग 1,69,200/- रुपये का एस्टिमेट बनाया गया है एवं रिवाइज्ड बजट में इसका प्रावधान रखा गया है। ऐसी सम्भावना है कि निकट भविष्य में इसका कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

(4) श्री बिरधाराम चौधरी व तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर सहकारी बैंक के व्यवस्थापकों को बैंक प्रशासन द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि नागौर में व्यवस्थापकों के क्रमिक भूख हड़ताल पर होने से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सारे कार्य ठप्प होने एवं जनता को मिलने वाले खाद्यान्न, चीनी आदि में कठिनाई होने सम्बन्धी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं जो अपने कार्य का स्वयं संचालन करती हैं। सरकार द्वारा इनका विभागीय संस्थाओं के रूप में संचालन नहीं किया जा सकता है। गलत कार्य करने पर जांच के बाद राजस्थान सहकारी संस्थाएं अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी। एडिशनल कारण यह है कि इनमें से 2 माननीय सदस्यों को 295 पर बोलने की इजाजत दी गई है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के कतिपय जिलों में गायों की तस्करी तथा बूचड़खानों में उनकी निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन मकराना व कुचामनसिटी के अन्तर्गत चलने वाले फीडरों को इस वर्ष अजमेर से विद्युत सप्लाई किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के ग्राम सेवकों के आन्दोलनरत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को 2–2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री घासीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह व देवली तहसील के सिंचाई विभाग के बांधों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से लाडनूं तहसील के ग्राम सारड़ी को विद्युतीकृत करने पर विद्युत मण्डल के अभियन्ताओं के द्वारा धांधली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से आमेर विधान सभा क्षेत्र की विद्युत सप्लाई में आवश्यकतानुसार सुधार करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील को भू-जल विभाग द्वारा डार्क जोन क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री चम्पालाल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर उपखण्ड की जवाजा में तहसील व उप-तहसील कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति बामनवास में सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की डामर से बनी सड़कों पर पड़े बड़े-बड़े खड्डे तथा उनसे यात्रियों के जीवन को संभावित खतरे के सम्बन्ध में।

(8) श्री जुबेर खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय रामगढ़ (अलवर) में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हरीश कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुचामन सिटी के के देशी बन्दूक की चाप (साइड लाक) बनाने वाले कारीगरों की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले की चैक पोस्टों पर काश्तकारों से जबरन और अवैधानिक तरीकों से टैक्स वसूल करने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही-शिवगंज में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द विश्वविद्यालय रखे जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कल्लाजी का मुझे नोट मिला है। आपका सवाल स्थगित किया है। नैक्स्ट टर्न में वापस लग जायेगा। डा. चन्द्रभा कुछ कहना चाहेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय हम तीन सदस्यों ने एक सप्ताह पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था। झुन्झुनू में पिछले लम्बे समय से ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की मांग जनता के द्वारा और अभिभाषकों के द्वारा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से विधि और न्याय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आग्रह भी करना चाहूंगा कि राजस्थान में 1-2 ही ऐसे जिले है जहां जिला मुख्यालय पर ए.डी.जे. कोर्ट नहीं है और जहां तक मुकदमों का सवाल है 24 फरवरी, 1992 को कुल 1055 फौजदारी मुकदमें जिला सत्र न्यायालय के अधीन लम्बित थे, दीवानी मुकदमों की संख्या 2176 कुल मिलाकर 3231 मामले लम्बित हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके अलावा भी बहुत सारी अपीलें ज्यादा काम होने की वजह से अपर सिविल न्यायाधीश, खेतड़ी के यहां स्थानान्तरित की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मुकदमें होने की वजह से वहां की जनता को न्याय नहीं मिलता है 6-6 महीने, 1-1 साल तक पेशियां पड़ती रहती है और 10-10 वर्ष तक मुकदमें चलते हैं। गत वर्ष जनता और अभिभाषकों की....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया शान्ति से आये जायें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मसला है हमारे लिये तो और किसी के लिए चाहे ना हो। लेकिन क्या अफरा-तफरी मची हुई है इस समय सदन में।

श्री अध्यक्ष : आने जाने की ही ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, अफरा-तफरी मची हुई है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे लिये तो बहुत महत्वपूर्ण है और किसी के लिए चाहे हो या ना हो।

श्री अध्यक्ष : यह आपस में बात-चीत करके तय करलो कि आपका सवाल मेरे लिये महत्वपूर्ण है और मेरा आपके लिये।

डा चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह न्याय का मामला है, यह पूरी जनता और

(डा. चन्द्रभान)

हम सबके लिये महत्वपूर्ण है। मैं माननीय विधि मन्त्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर, 1991 को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र लिखा और राज्य सरकार ने उस पत्र का जवाब 28.11.1991 को दिया। सरकार का जवाब यह था अध्यक्ष महोदय, कि धनाभाव के कारण वहां पर ए.डी.जे. कोर्ट नहीं खोला जा सकता है। उसके बावजूद भी सन् 1991-92 को राजस्थान सरकार ने 10 ए.डी.जे. कोर्ट खोले। चूरू जो मेरा नजदीक का जिला है वहां भी दो ए.डी.जे. कोर्ट खुले, कैम्प है, कार्यालय है। सीकर में दो कोर्ट है। भरतपुर में 1 अप्रेल, को ए डी.जे. कोर्ट सरकार की से खुलने जा रहा है। इस बजट में केवल ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि झुन्झुनूं में अब तक ए.डी जे. कोर्ट क्यों नहीं खुला, सवाल यह भी नहीं है कि अन्य जिलों में खुले इसके भी मैं विरोध में नहीं हूं खुलने चाहिए लेकिन झुन्झुनूं में जहां इतने ज्यादा मुकदमें लम्बित हैं, लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस माग को लेकर झुन्झुनूं बार के वकील 25 फरवरी से हड़ताल पर है। इसके सम्बन्ध में मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी से भी निवेदन किया। आपके माध्यम से मत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अब यह ए डी.जे. कोर्ट खोलने के बारे में विचार कर रही है? कृपया स्पष्ट आश्वासन दें जिससे वहां जो हड़ताल चल रही है वह हड़ताल भी समाप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें विधि मन्त्रीजी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : काहें को ट्रेक में ले रहे हो उनको।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है। पिछले सत्र में वह जवाब दिया था कि ए. डी. जे. कोर्ट झुन्झुनूं में खोल दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी कहना चाहे तो हरगिज नहीं रोकूंगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में लिखित में यह जवाब दिया गया था। मन्त्रीजी इसके लिए मन्त्रीजी अपनी बात कहें। झुन्झुनूं जिले के वकील हड़ताल पर है आन्दोलन पर हैं वह इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, स्थिति ज्यादा खराब न हो उससे पहले ही हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आपने समय रहते सूचित कर दिया, ठीक है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आज शुक्रवार है। कल झुन्झुनूं जाना होगा, बड़ी मुश्किल होगी (व्यवधान)।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, बाहर तो आश्वासन दिया था आप यहां भी तो दिलवा दें।

श्री दिग्विजय सिंह : झुन्झुनूं जाने में आपको मुश्किल है तो हड़ताल तुड़वा दो सीधी बात है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हड़ताल कैसे तुड़वा दें ? पिछले सत्र में जवाब दिया था अगले वित्तीय वर्ष में झुन्झुनूं में ए.डी.जे. कोर्ट (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी। श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

डा. चन्द्रभान : मन्त्रीजी आश्वासन देंगे तभी तो हड़ताल टूटेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नागौर से आने वाले माननीय सदस्य से पहले मैं खड़ी हुई हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कहा कि आप बोलिये मगर आप खड़ी रहीं, बोलना शुरू नहीं किया। मैंने कहा कि आप बोलेंगे नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैंने डाक्टर साहब से कहा कि वह बोल रही हैं। उन्होंने बोलने नहीं दिया, मैं क्या करूं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्षमा चाहती हूं मैंने गौर नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष : धीरे बोलता हूं तो आप सुनती नहीं है, और जोर से बोलूंगा तो कहते हैं आप जोर से बोलते हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने तो कभी नहीं कहा जोर से बोलने के बारे में, कभी उलाहना नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कई बार सदस्यों की भावना को देखते हुये इस पवित्र आसन की तरफ से कई बार व्यवस्थायें दी गई हैं। आज भी दी। आप चाहें तो एक ए.डी.जे. कोर्ट अभी इस वर्ष में जो खुलने वाले हैं इसलिए आप चाहें तो सरकार को इसके बारे में व्यवस्था दे सकते हैं कि झुन्झुनूं में खोल दे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : निवेदन स्वीकार कर लें आप हमारा।

श्री टीकमचन्द कान्त : आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। छोटे छोटे जिलों में खोले (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप आपस में तय कर लीजिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, छोटी सी समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धोलपुर के अन्दर एक कैम्प लगा हुआ है जिसमें बांगलादेश के शरणार्थियों को रखा जाता है बार्डर क्रास करते समय पकड़े जाते हैं। उनकी हालत इतनी खराब है कि उनको जो जेल में मिनिमम फेसिलिटी दी जाती हैं, वह भी नहीं दी जा रही है। दो या तीन रुपये प्रति डाइट दिये जाते हैं खाने के लिए और रहने के लिए कोई अलग से रूम नहीं है। एक कोटरी के अन्दर औरतें, बच्चे और आदमियों सब रहते हैं। गुसलखाना नहीं है, बाथरूम नहीं है और ओपन में ही औरतों को लेट्रीन जाना पड़ता है। कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो उससे तो अच्छा हो कि उन लोगों को जेल के अन्दर रख दिया जाय ताकि कम से कम जेल की फेसिलिटी तो मिले। जानवरों की तरह उन लोगों को क्यों रखा जा रहा है ? अगर केन्द्र का मामला है तो सरकार को चाहिये कि वो केन्द्र से बात करें।

श्री अध्यक्ष : सरकार इसमें ध्यान

(श्री अध्यक्ष)

देगी। श्री रामकरण सिंह जी, कुछ बोल रहे हैं। मैं एक-एक को बुला रहा हूं। यह पद्धति अच्छी शुरू कर दी है। आप लिख-कर भेज दिया करो तो मुझे भी परेशानी नहीं होगी, आप भी बोल लेंगे। आज 4 महानुभावों ने भेजा है, सबको बुला रहा हूं। अच्छा हो आप लिखकर भेज दें। (व्यवधान)।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कोटपूतली क्षेत्र में महुआ और टोडाभीम में 3 जगह राजस्थान सहकारी समिति विद्युत की है... ....

श्री अध्यक्ष : मैं यह नई प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं। कोई बात नहीं आपको बोलने का मौका मिलेगा, मुझे आपत्ति नहीं है मगर समय का ध्यान रखिये।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, नवभारत टाइम्स की कटिंग भी आपके यहां मैंने पेश की है कि वहां की हालत इतनी अधिक बिजली के बारे में बिगड़ी हुई है, लोगों ने जो फसल पैदा की है वह सूख गई है और एक दाना भी पैदा होने की आशा नहीं है और वहां एक भी

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, आप बैठिये। इसकी जांच करा लीजिये कि वहां क्या गड़बड़ी हो रही है। इसलिए आप पता कर लीजिये। यदि कोई टेक्नीकल वजह से है तो भी आप पता कर लीजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये। आपका हो गया काम। कल्लाजी बोल रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी थोड़ा आश्वासन दे देते, आपने तो आदेश दे दिये उस पर यह कहना चाहते हैं... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो कहा है, उसकी हां भरी है कि मैं जांच करके आज ही वहां पर व्यवस्था किसी टेक्नीकली वजह से नहीं हो रही है तो तुरन्त ठीक करवा दूंगा।

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक मिनट चाहूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिनांक 17.2.92 को राज्य सरकार को दिये थे, उस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने दिनांक 7.3.92 को एक आदेश निकाला है जिसके अन्तर्गत कालेजेज में जो भी लेक्चरर्सकाम करते हैं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, उनको हाउस रेंट और मेडिकल फेसिलिटीज और सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता वगैरह देने के आदेश दिये हैं लेकिन उसमें निजी शिक्षण संस्थाएं जो सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल, मिडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो एडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनके लिए कोई आदेश नहीं निकालकर एक तरह से उनके मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सारी निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए था कि राज्य सरकार 16 मार्च से पहले-पहले इस सम्बन्ध में उपयुक्त आदेश जारी करें।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन भी अलग से कोई आदेश निकालने जा रही है या नहीं निकालने जा रही है। इससे सम्बन्धित जो सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने अपील दायर की थी, वे आज सुबह माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मिले थे और मिलकर उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी बात रखी है और वे 17 तारीख से आत्मदाह और आमरण अनशन करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में एक लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। कालेज में यह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए अलग आदेश निकाले, प्राइवेट और सैकण्डरी एजूकेशन के लिए अलग मापदण्ड रखे। इससे ऐसा लगता है कि सरकार की दोहरी नीति कैसी है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार या तो अपना वक्तव्य दें या इस सम्बन्ध में उपयुक्त आदेश शीघ्र जारी करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय रमाकांत जी।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं आपकी असीम कृपा का बहुत-बहुत आभारी हूं और आज प्रश्नकाल में भी आपने मुझे बहुत-बहुत कृतज्ञ किया है, परन्तु मेरे साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर बहुत भारी भेदभाव हो गया है। मैंने मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत पहले दिया था उसके बाद के दसों प्रस्ताव यहां पर आ गये। मैं आपके चैम्बर में भी गया और आपसे निवेदन किया कि मेरा अरावली के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आज आपका नाम इसमें जोड़ दिया है। आज जो काल अटेन्शन आ रहा है, उसमें आपका है। इसमें जोड़ दिया है आपका नाम।

श्री रमाकांत शर्मा : नहीं, इसमें तो नहीं है जो आपने विज्ञप्ति निकाली है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपका नाम इसमें हमने अलग से जोड़ा है जो बोलने वाले हैं। वह तो एक ही था।

श्री रमाकांत शर्मा : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : रामनारायण वर्मा। अच्छा, श्री दहिया जी, कुछ बोल रहे हैं। आप तो अपने एडजोर्नमेंट मोशन पर बोल रहे हैं। आपसे पहले श्री दहिया जी, बोल रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, बैचलर आफ डेन्टिस्ट सर्जन के स्टूडेंट्स हैं, वे तीन दिनों से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी समस्या अति लोक महत्व के प्रश्न के द्वारा विधान सभा में 15 दिन पहले मैंने रखी थी और सरकार ने अभी तक उसका कोई जवाब दिया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कल आपके सचेतक महोदय ने मुख्य मन्त्रीजी से कुछ बात की है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, भूख हड़ताल से मर जायेंगे स्टूडेंट्स, आज ही व्यवस्था दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कल प्रद्युम्न सिंह जी ने

(72)

(श्री अध्यक्ष)

बात की है। उन्होंने क्या कहा, मुझे पता नहीं लेकिन कुछ बात हुई है। आप उनसे पूछ लीजिये। बात हुई है। माननीय रामनारायण वर्मा।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आज व्यवस्था करिये, अध्यक्ष महोदय, वे भूख से मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बात कही है, वहीं आप कह रहे हैं। श्री रामनारायण वर्मा। आप एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलिये।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का पहले मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पुण्य का काम करिये, गौ हत्या पर बोल रहे हैं। उस पर बोलें।

श्री रामनारायण वर्मा : वोट तो वे ही लेते हैं गौ हत्या के नाम पर। वह तो बांटने की बात करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और राजस्थान के गृह मंत्री जी, जो मेरे पड़ौसी हैं, से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में यह हमारी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मसला है। हालांकि धार्मिक भावना को उभार कर लोग वोट लेते हैं लेकिन मैं उभारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनको सचेष्ट कर रहा हूं। आप जो धार्मिक भावना को उभारकर वोट लेते हैं उस धार्मिक भावना को बनाये रखिये, पब्लिक में इमेज रखिये। मैं यह नहीं कहता कि आपकी इमेज ज्यादा बिगड़ चुकी है। गायों का मामला है, यह राज्य सरकार भी मानती है, आम जनता भी मानती है। सारे धर्मों में किसी भी सम्प्रदाय के लोग इस बात को मानते हैं कि गाय हमारे देश के लिए पूज्यनीय है। गाय से देश में इज्जत है। गाय से पैदा हुए बछड़े से खेती करते हैं आज की तारीख में, जबकि आधुनिक जमाना आता जा रहा है लेकिन दुर्भाग्य है कि गायों की तस्करी होती है। राज्य सरकार भी मानती है कि जैसलमेर और बाड़मेर की साइड में गायों की तस्करी होती है। उनको कस्टम एक्ट के तहत पकड़ने की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि गायों को तस्करी पर ले जाने से पूर्व उनके पांव तोड़े जाते हैं, किसी की आंख फोड़ी जाती है, किसी के सींग तोड़े जाते हैं। यदि इस तरह के जुल्म होते हैं। यह सही है कि शासन इस बात को कह सकता है कि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है, हमारे पास थाने-तहसील में इतने आदमी नहीं है। यह सही है कि पुलिस की नफरी आज से 20 साल पहले की है लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध हों और उसमें धार्मिक भावना से पार्टी की मदद नहीं करे, शासन भी मदद नहीं करें और लोगों की धार्मिक भावना से खेलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि इकलेरा और रायपुर में इस तरह के मुकदमें दर्ज नहीं होते। अकलेरा और रायपुर में इस तरह के कई मुकदमें दर्ज हुए हैं लेकिन अकलेरा और रायपुर में इस तरह के मुकदमें दर्ज हुए हैं इसमें कांग्रेस, बी जे पी. और सभी

(श्री रामनारायण वर्मा)

पार्टी के लोगों ने मिलकर इस बात की कोशिश की है कि इस तरह की तस्करी नहीं हो। यह बात अलग है कि राज्य का प्रशासन संवेदनशील बनने के बजाय इस मामले में निष्ठुर बन जाय और कोई मुकदमा दर्ज नहीं करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला इस तरह भयंकर होता जा रहा है कि राजस्थान में अकाल पड़ रहा है, गायें भूखी मर रही हैं। मेरे नैनवां में आज की तारीख में रोजाना सैंकड़ों गायों का पलायन हो रहा है, आदमी तो निकल ही रहे हैं। इसलिए जो चारे और पानी की व्यवस्था है कम से कम आप अभावग्रस्त किसी गांव को घोषित नहीं करें लेकिन अकालग्रस्त व्यवस्था के नाम से आपके पास 124 करोड़ रुपये सालाना इकट्ठे हो रहे हैं। कम से कम सारे राजस्थान में गायों और पशुओं के लिए उसको बांटे। आप अभावग्रस्त घोषित नहीं करें, सस्ती रेट पर चारा दें, ज्यादा से ज्यादा अनुदान में चारा दें और इस तरह जो घटनाएं हो रही हैं गायों के साथ में, धार्मिक भावना के साथ सरकार के द्वारा जो इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप उस पर तो नियंत्रण करें। पुलिस को स्ट्रिक्ट निर्देश दें कि इस तरह के जहां कहीं भी मसले हों और एक आर्डर निकला है अध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपको एक लाइन में निवेदन करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सदन का। एक आर्डर राज्य सरकार का निकला है, वह आर्डर है एफ.आर./13/कृषि/?/75 दिनांक 30.10.80 का, इसमें कहा गया है कि सड़क और रेल मार्ग द्वारा बाहर वध करने के लिए पशु नहीं ले जाये जा सकते। गाय और पशु कोई भी राज्य से बाहर पर्टीकुलर गाय और बैल राज्य के बाहर जाय तो ले जाने वाले की यह जिम्मेदारी है कि वह इस बात को साबित करे कि वह कहां ले जा रहा है। जब तक वह इस बात का सर्टिफिकेट नहीं दे, जब तक इस तरह का वहां चैक पोस्ट पर इन्द्राज नहीं हो, तब तक वह बाहर नहीं जाय। मैं आपके माध्यम से आशा करता हूं कि यह सरकार इस मामले में निश्चित रूप से निर्देश जारी करेगी या कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो कानून बनायेगी हम लोग आज गाय के नाम पर वोट नहीं लेते। क्योंकि 1967 में लोग गाय के नाम से वोट ले चुके हैं। हम लोग इस काम में सहायता देंगे वह इसलिए देंगे कि निरीह पशुओं के साथ ज्यादती नहीं हो, और उनका अपमान नहीं हो इस बात को मेंटेन करने के लिए सरकार कुछ न कुछ करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसील नावां और परबतसर के काश्तकारों को विद्युत सप्लाई एवं वोल्टेज की कमी के बारे में मैंने तारीख 9 को एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था। मैं तारीख 8 को गांवों में गया था, गांव के लोगों का यह कहना था कि वोल्टेज की कमी से मोटरें जल जाती हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। वोल्टेज के कारण से किसानों के खेतों में भी पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है। मेरा आपके माध्यम से ऊर्जा

(श्री मोहनलाल चौहान)

मंत्रीजी से निवेदन है कि किसानों की फसल पकने का समय है और यह 15-20 दिन में फसल पक कर तैयार होने जा रही है। अगर किसान को इस समय पर भी सही वोल्टेज नहीं मिलेगा, किसान पर्याप्त रूप से खेत में पानी नहीं दे सकेगा तो उसकी फसल जल जायेगी उससे भारी नुकसान होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ऊर्जा मंत्रीजी तहसील नावां, परबतसर या नागौर में भी इस तरह की समस्या मेरे ध्यान में आई है अतः आप वोल्टेज पर्याप्त रूप से किसानों को इन 15-20 दिन के लिए दे दें तो काश्तकारों की फसल समय पर पक सकेगी, नहीं तो किसानों को भारी लोस हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ग्राम सेवकों के आंदोलनरत होने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। काफी समय से प्रदेश में ग्राम सेवक आन्दोलन कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने एक दिन का धरना जयपुर में राजस्थान विधान सभा के सामने दिया था। उनकी मुख्य मांग पदोन्नति के सम्बन्ध में है। पूर्व में इन्हें पंचायत प्रसार अधिकारी और दूसरे पदों पर प्रमोशन करने के अवसर उपलब्ध थे लेकिन पिछले 10 सालों से इस तरह के कोई प्रमोशन नहीं मिला और बाड़मेर जिले के परिप्रेक्ष्य में यह बात मैं खासतौर से इसलिए कहना चाहती हूं कि बाड़मेर जिले के लिए हाल ही में सरकार ने यह फैसला किया है कि दो पंचायतों के बीच में एक ग्राम सेवक पदस्थापित रहेगा और इसी के साथ जैसलमेर में जो व्यवस्था है वह एक पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक की व्यवस्था है जबकि बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल विस्तृत है और आवागमन के साधन बहुत ही कम हैं इसलिए यहां भी एक ग्राम सेवक को एक पंचायत के लिए नियुक्त रखना चाहिए। यह व्यवस्था राज्य सरकार से कराने के सम्बन्ध में मैंने यह स्थगन प्रस्ताव आपके सामने रखा था और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार मेरी बात

(12.32 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

को सुनेगी और सुनने के बाद बाड़मेर जिले में एक पंचायत में एक ग्राम सेवक को करने का निर्णय लेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव। माननीय श्री घासीलाल जी।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि राज्य सरकार से प्रश्नों के जवाब आते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति माननीय सदस्य की हो जाती है, सरकार इसको हास्यास्पद स्थिति माने या न माने। आजकल जो जवाब आ रहे हैं, एक बाड़मेर के सम्बन्ध में जवाब मिला है। माननीय उपाध्यक्ष जी, 88 में अकाल राहत में पशुओं के लिए चारा खरीदा था अकाल राहत में, उसमें मैंने पूछा था कि उसकी जांच कब तक करा ली जायेगी ? कलक्टर ने जांच करवाई।

(श्री रामनारायण वर्मा)

बड़ी हास्यास्पद स्थिति हमारी हो जाती है। आपके निर्देश फाइल के तहत तो जा सकते हैं लेकिन हमारे पास कोई बाबू क्लर्क तो नहीं है। मंत्री लोगों को समय नहीं हो तो विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर दिया जाय, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, यह देखने का काम शासकीय दल का है। लेकिन इससे शासकीय दल की हानि नहीं है। अफसरशाही जिस कदर से बढ़ रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, केशोरायपाटन में बीहड़ सुधार में सन् 1990 में सीमेंट खुले बाजार में बेचते हुए पकड़ा गया। सहायक कलक्टर ने उसकी जांच की, सब कुछ हुआ, उसके बाद जवाब आता है, मैंने एक लाइन में पूछा था कि क्या उक्त योजनान्तर्गत बूंदी जिले में कराए गए कार्यों तथा अधिकारियों के सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? मामला विचाराधीन है। 90 से अब तक। कब तक कर लिया जावेगा....

श्री उपाध्यक्ष : जांच कम्पलीट नहीं होगी तो यही उत्तर आयेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : इस तरह से करप्शन के मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हमारी हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य वकील भी हैं, कानून भी जानते हैं। (व्यवधान) आप एक मिनट सुन लें। अगर इस प्रकार का उत्तर आता है कि उससे आप संतुष्ट नहीं हैं और गलत है तो नियमों में अन्य प्रावधान भी हैं उनके तहत चर्चा के माध्यम से आप उठा लें।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा तो एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपको सजेस्ट करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : वर्माजी, हो गया। बिराजिए आप। नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

श्री घासीलाल। (अनुपस्थित)

श्री बिरधाराम चौधरी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

लाडनूं तहसील के ग्राम सारड़ी को विद्युतीकृत किए जाने में की गई धांधली

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, लाडनूं तहसील के ग्राम सारड़ी में जो विद्युतीकृत हुआ है उसके अन्दर लाइन खींचने में विद्युत विभाग द्वारा जो अनियमिततायें की गई हैं उसके बारे में विशेष उल्लेख के जरिये मैं सदन का और माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लाडनूं तहसील के ग्राम सारड़ी को गत वर्ष 1991 में विद्युतीकृत किया गया था जिसमें ग्राम केकरिया से सारड़ी तक विद्युत के खम्भे डलवाये, खम्भे गड़वाये एवं तार खिंचाये। यह सारा कार्य निःशुल्क ग्राम सारड़ी के व्यक्तियों ने सहयोग करके किया है कि फिर भी विद्युत विभाग के सहायक अभियन्ता व उप अभियन्ता ने

(श्री बिरधाराम चौधरी)

विभाग के द्वारा कार्य करवाया जाकर सरकारी रकम उठा ली। ग्राम सारड़ी के चार आवेदन पत्र पावर कनेक्शन के विद्युत विभाग को दिये जिनमें 2100.00 रुपये प्रति आवेदन के अग्रिम जमा करवा लिये उनमें श्री नेमाराम का प्रथम कनेक्शन हो गया। उनसे केवल 450 रु. ही जमा करवाये व श्री बद्री प्रसाद व रामचन्द्र से प्रति कनेक्शन 2000/- रु. लेकर प्रथम नोटिस में क्रमश: 5,300/- व 4,350/- की राशि दर्ज कर नोटिस दिया। उनको ले देकर खारिज करके 450/- रु. का दूसरा नोटिस जारी करके कनेक्शन दे दिया। चतुर्थ कनेक्शन श्री रामरतन मण्डा का था उसने उक्त रिश्वत की राशि नहीं दी जिस पर रामरतन के आवेदन में 2,250/- रु. का तखमीना लगाकर डी.पी. बदलने के आदेश हेतु अधीक्षण अभियन्ता, नागौर को भेज दी। ऐसा बदनीयती से किया गया है। जो विद्युत मण्डल ने पहले कनेक्शन दिया है उसकी लाइन सार्वजनिक कुआं, बच्चों के लिए बनाये गये क्रीड़ा स्थल के ऊपर से खींची गई जबकि ग्रामवासियों ने ऐसा करने से मना किया लेकिन नियम विरुद्ध प्रथम कनेक्शन दिया गया है। इसी प्रकार ग्राम अनेसरिया में भी धांधली की जा रही है। आवेदनकर्ताओं से 500-500 रुपये से 25000/- तक कनिष्ठ अभियन्ता ने ले लिये हैं एवं और भी मांग की जा रही है। नहीं देने पर तखमीना में एक-एक खम्भे की राशि वसूली की धमकी दी है। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने श्रीमान् ऊर्जा मंत्री महोदय को शिकायत भी की है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीण जनता में भारी रोष है।

अत: यह मामला लोक महत्व का होने से मैं विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय श्री गोपीराम।

आमेर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई में सुधार

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आमेर विधान सभा क्षेत्र की विद्युत सप्लाई में आवश्यक सुधार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आमेर विधान सभा क्षेत्र में छ: सहायक अभियन्ता विद्युत व्यवस्था का कार्य संचालन कर रहे हैं। इनमें 1 गोविन्दगढ़, 2-चौमूं (ओ. एण्ड एम), 3 चौमूं (आर. ई.सी), 4-आमेर नगर, 5-विश्वकर्मा, 6-भांकरोटा तथा दो अधिशाषी अभियन्ता इन सहायक अभियंताओं का काम देखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक विधान सभा क्षेत्र में छ: सहायक अभियन्ता कार्य करते हैं, व्यवस्था की दृष्टि से यह ठीक नहीं है, इन सबसे सम्पर्क करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है तथा एक सहायक अभियन्ता तो आफिस में रूकते ही नहीं किसान उन्हें ढूंढते रहते हैं, परेशान होकर अपने घर लौट आते हैं और विद्युत सप्लाई को ठीक कराने के लिए उन्हें अधीक्षण अभियन्ता तक सम्पर्क करना पड़ता है।

आमेर विधान सभा क्षेत्र में एक 132 के वी. का एक ग्रिड स्टेशन है जो भी दिल्ली

(श्री गोपीराम जाट)

रोड पर स्थित है तथा पूरे पश्चिम क्षेत्र को विद्युत सप्लाई बहुत कमजोर मिलती है जो विश्वकर्मा तथा चौमूं से मिल रही है। विद्युत लाइन बहुत लम्बी होने की वजह से वोल्टेज भी नहीं मिलते, किसानों की मोटरें जलती रहती हैं तथा सभी सब स्टेशन ओवर लोडेड हैं।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से व खास तौर से विद्युत् मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि रामपुरा डाबड़ी, जो नेशनल हाइवे रोड नं. 11 पर स्थित है, को 132 के.वी. की क्षमता का बढ़ाया जावे तथा जाहोता में और जयसिंहपुरा, करतारपुरा में एक नया 11 के.वी. का सब-स्टेशन बनाया जावे तथा कूंडल मानपुरा को चोप ग्रेड से जोड़ा जावे। रायथल व जयसिंहपुरा को सप्लाई कालाडेरा से मिलती है उसे छोटी डूंगरी से जोड़ा जावे। इसी के साथ पूरी आमेर तहसील को एक ही सहायक अभियन्ता के अधीन रखा जावे जिससे सभी किसानों को राहत मिल सके तथा किसानों को अनावश्यक आर्थिक भार वहन नहीं करना पड़े। वर्तमान में जन प्रतिनिधियों को भी सभी सहायक अभियन्ताओं से सम्पर्क करने में काफी असुविधा होती है। अतः एक ही सहायक अभियन्ता होने पर व्यवस्था में काफी सुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसादीलाल मीणा।

लालसोट तहसील को डार्कजोन घोषित नहीं किया जाना

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भू-जल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दौसा जिले की लालसोट तहसील को भू-जल विभाग ने डार्क जोन क्षेत्र घोषित कर दिया है जिसके कारण किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता खेती के संसाधन जुटाने के बैंकों से ऋण, जीवन धारा योजना में कुओं का निर्माण कराने में रोक लगा दी गयी है। लालसोट तहसील के अस्सी प्रतिशत भू-भाग में कुओं तथा ट्यूब वैल से सिंचाई होती है। भू-जल विभाग ने बिना जानकारी किए ही आफिस में बैठकर डार्क जोन घोषित कर दिया। लालसोट तहसील में दस-पांच गांवों को छोड़कर सभी गांवों में पर्याप्त पानी है। लालसोट तहसील क्षेत्र के भू-गर्भ में पानी की कोई कमी नहीं है, रात-दिन किसानों के ट्यूब वैल चलते हैं। भू-जल विभाग ने 50-60 वर्ष पहले बने पक्के कुओं के आधार पर ही डार्क जोन क्षेत्र घोषित किया है। राजस्व रिकार्ड के आधार पर देखा जाय तो भू-जल विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही पर आश्चर्य होता है। दौसा जिले में बिजली विभाग में लालसोट के ही सबसे अधिक कृषि कनेक्शन लेने के आवेदन पत्र विचाराधीन है। भू-गर्भ में पानी अटूट है व कई नदियां तथा बांध इलाके में होने के कारण पानी की कमी नहीं है। यदि कृषि उपज मण्डी समिति का रिकार्ड देखें तो लालसोट क्षेत्र में किसान दिन रात मेहनत करके अधिक पैदावार कृषि जिन्सों की प्रतिवर्ष करता है। अतः माननीय भू-जल मंत्रीजी से निवेदन है कि लालसोट तहसील में सबसे अधिक कुएं तथा ट्यूब वैल होने के बाद भी भू-जल विभाग ने जो डार्क जोन क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही की है उसे निरस्त करें।

78

(श्री परसादीलाल मीणा)

जिससे गरीब किसान जिन सरकारी सुविधाओं तथा बैंकों से ऋण लेने की सुविधाओं से वंचित हो गये हैं उन्हें पुन: प्राप्त कर अधिक से अधिक जीवन धारा के कुओं का निर्माण करवाया जा सके तथा ट्यूब वैल बनाकर अधिक से अधिक भू-भाग पर खेती की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चम्पालाल जी जैन।

जवाजा में तहसील व उप तहसील कार्यालय खोला जाना

श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख नियम 295 के तहत इस प्रकार है। राजकीय रिकार्डों के आधार पर यह प्रमाणित है कि ब्यावर उपखण्ड राजस्थान का सबसे बड़ा उपखण्ड है जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा व जनसंख्या काफी तादात में है। इस क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु व अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल जवाजा, जो कि पंचायत समिति का भी मुख्यालय है, में तहसील बनाया जाना अत्यन्त ही परिहार्यतापूर्ण है। इस सन्दर्भ में निम्न अनिवार्य बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैं :–

(1) इस सम्पूर्ण क्षेत्र में एक उप तहसील टाटगढ़ में है जो कि उपखण्ड के अन्तिम छोर पर उदयपुर जिले के समवर्ती है जिसके लिए लगभग तीस से सत्तर किलोमीटर तक का रास्ता लगभग उन्नीस ग्राम पंचायतों के लिए दूरी पर पड़ता है।

(2) इस टाटगढ़ उप तहसील में तीन गिरदावर क्षेत्र टाटगढ़, जवाजा, काबरा पड़ते हैं। जिनके समवर्ती गांवों को छोड़कर शेष गांव दूरी अत्यधिक यातायात व्यय या यातायात के साधनों के अत्यन्त अभाव के कारण लगभग 150 ग्रामों के जनसमुदाय कठिनाई की स्थिति में है।

(3) विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि जवाजा में एक राजस्व भवन का निर्माण काफी समय पूर्व दो लाख बीस हजार की लागत से कराया जा चुका है जिसमें केवल मात्र कार्यालय स्थानान्तरण से कार्य प्रारम्भ हो सकता है, अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के व्यय की आवश्यकता नहीं है।

(4) टाटगढ़ के एक मात्र उप तहसील होने व कार्य की अधिकता से भी अनेक कार्य अवलम्बित पड़े रहते हैं जिससे भी इस में निवासित जनसमुदाय में रोष है। अत: जवाजा में उप तहसील होने से कार्य में अधिक त्वरतता प्राप्त होगी।

(5) जवाजा मुख्यावास राजमार्ग नं. 8 पर होने से यातायात के साधन भी प्रचुरता में प्राप्त होते रहते हैं जिससे आसानी से राजस्व व तहसील सम्बन्धी कार्य शीघ्र सम्पन्न हो सकते हैं।

(6) पंचायत समिति जवाजा द्वारा उप तहसील खोलने हेतु अपनी साधारण सभा में अनेकों बार प्रस्ताव पारित किये जा चुके हैं।

अत: उपरोक्त तुलनात्मक एवं आवश्यक के सन्दर्भ में तहसील व उप तहसील कार्यालय शीघ्र खुलवाने के आदेश प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री हीरालालजी मीणा।

बामनवास में सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव यह है।

मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति बामनवास के किसानों तथा ग्राम उपभोक्ताओं को बिजली के काम-काज के लिए नादौती जाना पड़ता है जिसका बामनवास से किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं है। बामनवास क्षेत्र में सहायक अभियन्ता (विद्युत) का कार्यालय नहीं होने के कारण विद्युतीकरण कर दिये गांवों में भी दो-तीन वर्ष बाद भी कृषि कनेक्शन नहीं मिलते हैं। सहायक अभियन्ता कार्यालय बामनवास तहसील का अलग से नहीं होने के कारण छोटे-छोटे कामों के लिए भी नादौती जाना पड़ता है। पंचायत समिति, बामनवास के कई ग्रामों का विद्युतीकरण करने बाद भी अब तक भी कृषि कनेक्शन तथा घरेलू उपयोग के उपभोक्ताओं के आवेदन-पत्र नहीं लिए गए हैं। किसानों को बिजली के समस्या के कारण इधर-उधर भटकना पड़ता है। किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बामनवास तहसील के ग्राम पिपलाई में सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोला जावे। पूर्व में भी सहायक अभियन्ता कार्यालय पिपलाई में खोलने की मांग को लेकर आन्दोलन किये गए थे जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही पिपलाई में सहायक अभियन्ता, विद्युत का कार्यालय खोल दिया जायेगा, परन्तु दो वर्ष के बाद भी कार्यालय नहीं खोला गया है। अतः माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से निवेदन है कि पिपलाई में शीघ्र ही सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने की स्वीकृति जारी करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री मनीरामजी सियाग।

बीकानेर जिले की डामर की सड़कों पर बने खड्डे

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर ज़िले की डामर से बनी सड़कों पर बड़े-बड़े बने खड्डे एवं सड़कों के दोनों तरफ बरम टूटे होने से यात्रियों के जीवन को सम्भावित खतरों बाबत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, बीकानेर जिले में डामर की सड़क बनाने का कार्य तीन विभाग करते हैं, एक सार्वजनिक निर्माण विभाग, दूसरा सी.पी.डब्ल्यू.डी. और तीसरा चेतक, जो सिर्फ मिलिट्री रोड्स ही बनाता है। मैं सिर्फ पी.डब्ल्यू.डी. विभाग जो राजस्थान सरकार से सम्बन्धित है, का ही जिक्र करना चाहता हूं। यह विभाग तीन किस्म की सड़कें बनाता है–प्रथम डामर रोड, ग्रेवल रोड, धांधला रोड।

पिछले सत्रों में सरकार की तरफ से बार-बार घोषणा की गई है कि जो कोई माननीय सदस्य डामर रोड पर खड्डा देखे तुरन्त सूचना दे शायद काफी सूचनायें भी विभिन्न माध्यमों, पत्रों, तारों एवं मौखिक संदेशों द्वारा मिली होगी। परन्तु उन पर अभी तक कोई उचित सार्थक कदम नहीं

(श्री मनीराम सियाग)

उठाया गया है। उदाहरणार्थ मैं आपके ध्यान में ला दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं 15 बीकानेर से गंगानगर पर लूणकरणसर से उत्तर में 10 से 12 कि मी. तक रोड पैचेज में सेम प्रभाव से काफी नीचे बैठ गई है। आये दिन एक्सीडेन्ट होते हैं। माननीय सदस्यगण आपको पुरानी भाडेरा के पास जो सड़क बनी है उसकी स्थिति को सुनकर तो आश्चर्य होगा कि यहां लगभग 300 मीटर में सड़क लेवल से लगभग पांच से दस फीट नीचे बैठ गई है, जगह-जगह खड्डे एवं डोली बन गई है यहां तक कि इसके दोनों किनारे सेमे का पानी बदबू से भरा लगा हुआ है और दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर तक समानान्तर रास्ता भी निकलने का नहीं है। अगर समय रहते इस जगह ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग आवागमन के सम्पर्क से टूट जायेगा।

दूसरा बीकानेर के डेयरी सर्किल से निकलते ही जहां से राजमार्ग शुरू होता है वहां भी सड़क पूरी तरह से टूटी पड़ी है। आवागमन के वक्त यात्रियों को भारी पीड़ा भरे झटके सहने पड़ते हैं। पिछले दो वर्ष में बनने वाली नई सड़क का भी बुरा हाल है। महाजन से शेरपुरा 10 कि.मी. सड़क दोनों तरफ पहली बरसात में बरम टूट चुके है जिससे वाहन को पास करने में भारी खतरे का सामना करना पड़ता है।

अतः आप मेरे जिले की समस्त डामर सड़कों पर पूरा-पूरा ध्यान दें 1. बीकानेर से गंगानगर वाया लूणकरणसर, सूरतगढ़ 2. बीकानेर से घड़साना वाया छतरगढ़ 3. बीकानेर से अनूपगढ़ वाया पूगल, खाजूवाला तथा 4. बीकानेर से रामसर वाया नापासर, 5. महाजन से सूई वाया शेरपुरा, 6. लूणकरणसर से सरदारशहर वाया कालू तथा 7 नौरंगदेशर से कालू वाया खारड़ा इत्यादि।

मान्यवर, आगे गर्मी का मौसम आ रहा है। इस वर्ष वर्षा कम होने से जोरों की आंधी एवं गर्मी का प्रभाव बढ़ने वाला है। यदि समय रहते उक्त सड़कों को नहीं सम्भाला गया तो मेरे क्षेत्र एवं जिले के लोगों को काफी पीड़ा होगी और सरकारी घोषणायें मात्र छलावा साबित होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित)।

श्री हरीश कुमावत।

बन्दूक की चाप (साइड लाक) बनाने वाले कारीगरों की दुर्दशा

श्री हरीश कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा देशी बन्दूक की चाप (साइड लाक) बनाने वाले कारीगरों की दुर्दशा के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव है जो निम्न प्रकार है :-

कुचामन सिटी के कारीगर मुसलमान जाति के अनेक लोग पूर्वजों से ही देशी बन्दूक में लगने वाली चाप (साइड लाक)का निर्माण करने का धन्धा करते रहे, परन्तु सरकारी आदेशों से उनके अनुज्ञा पत्र वर्ष 67 से पूर्व निरस्त कर दिये इस कारण कारीगर बेकार हो गये व इस हुनर का भी लोप हो रहा है। दूसरे प्रान्तों एवं अन्य स्थानों पर लाइसेंस धारियों के यहां मजदूरी कर रहे हैं। यह चाप वास्तव में कोई

(श्री हरीश कुमावत)

हथियार नहीं है और तकनीकी दृष्टि से किसी प्रकार भी आर्म आदि की परिभाषा में माना भी जावे तो यह आर्म्स एक्ट 1958 की धारा 45(i) की शर्तों के अनुसार आयु अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त है।

इस सम्बन्ध में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नावा श्रीमान् सी जे एम. परबतसर, एस डी.एम. परबतसर आदि न्यायालयों से भी समय-समय पर न्यायिक निर्णय हो चुके हैं हाल ही में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट परबतसर के यहां दिनांक 10.12.90 ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय मुकदमा न 599/85 व पुराना 13/83 में हुआ है परन्तु स्थानीय पुलिस अधिकारी, जिला कलक्टर एवं प्रदेश के अन्य पुलिस अधिकारी इससे अनभिज्ञता जाहिर कर चाप का नाम आते ही कारीगरों को अनावश्यक परेशान करने पर उतारू हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया के मुख्य मन्त्री काल से ही अनेकों ज्ञापन दिये जाते रहे हैं। इस चाप (साइड लाक) का उपयोग खिलौनों आदि में भी उपयोग होता है, वर्तमान राज्य सरकार छोटे एवं कमजोर कारीगरों के लिए बजट में काफी रियायतें दी हैं, तथा उन्हें सम्बल प्रदान किया है। अतः ऐसे कारीगरों के साथ भी न्यायपूर्वक कार्यवाही हो सके उसके लिए यदि चाप बनाने पर लाइसेन्स की आवश्यकता आवश्यक समझती हो तो उसका लाइसेन्स दिलावें, अन्यथा न्यायालय निर्णयों व निर्णय के अनुसार इस पर मुक्ति प्रदान कर सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें ताकि अनावश्यक इन्हें परेशान नहीं करावें। इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अनुरोध है कि इस समस्या का निदान शीघ्र करावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

चैक पोस्ट पर काश्तकारों से जबरन टैक्स वसूली

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहूंगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, हम केवल नाममात्र को पढ़ते हैं और मंत्री लोग सुनते भी नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेते, कान्नीजेन्स भी नहीं लेते तो कोई मतलब तो है नहीं। क्या करें ? आप कहते भी नहीं हैं। जिनके 295 हैं या स्थगन प्रस्ताव हैं जिस किसी मन्त्री से सम्बन्धित है परम्परा के मुताबिक उसे यहां बैठना चाहिए, सुनना चाहिए और उसका जवाब या उसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। यह सब तो होता नहीं है इसलिए कोई आनन्द तो पढ़ने में आता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था ऐसी है कि अगर उपस्थित हों और माननीय मन्त्री महोदय जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। वरना जवाब तो 7 दिन के अन्दर आता ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं आता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी। तो ठीक है आप जवाब मंगवा दीजिए 7 दिन में। आसन को तो खैर मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि असेम्बली का सत्र चलते भी यदि वह

(श्रीमती सुमित्रा सिह)

जवाब दे देंगे या इस पर कोई एक्शन ले लेंगे तो मैं समझूंगी कि अहोभाग्य है मेरा और उस इलाके का जहां से मैं आती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : निश्चित तौर से जवाब मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निवेदन है कि झुन्झुनूं के वाणिज्यिक कर अधिकारी आर. जे. मूलचन्दानी के निर्देशों से झुन्झुनूं जिले की चैक पोस्टों पर काश्तकारों अर्थात् किसानों से जबरन और अवैधानिक तरीके से सेल्स टैक्स की वसूली की जा रही है। गत दीपावली के तुरन्त बाद से दिनांक 1.11.91 से 31.1.92 तक इस अधिकारी के सीधे नियंत्रण में आने वाली झुन्झुनूं जिले की बिक्री कर चैक पोस्टों पर इस अधिकारी के निर्देशों से काश्तकारों से भारी मात्रा में लगभग दस लाख के करीब बिक्री कर की वसूली की गई है। बिक्री कर की यह वसूली मुख्य रूप से इस अधिकारी के चहेते मातहतों वाली सेल्स टैक्स चैक पोस्ट बगड़रोड-झुन्झुनूं तथा पीपली पर की गई है। बिक्री कर की यह वसूली काश्तकारों से उस समय की गई जब वे भावों की तेजी का लाभ उठाने के लिए अपनी खरीफ की फसल का माल मूंग, मोठ, चंवला आदि अपने-अपने गांवों से ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाने के लिए इन चैक पोस्टों से अपने माल भरे ट्रकों को लेकर गुजरे उनसे सबसे आर. जे. मूलचन्दानी की देखरेख व जानकारी में जबरन सेल्स टैक्स की वसूली की गई।

यद्यपि राजस्थान सेल्स टैक्स कानून में अपंजीकृत व्यक्ति अर्थात् काश्तकार से अपनी फसल का माल राजस्थान से बाहर ले जाने पर भी सेल्स टैक्स की चैक पोस्टों पर बिक्री कर वसूलने का कोई नियम या कायदा नहीं है, परन्तु वाणिज्यिक कर अधिकारी झुन्झुनूं ने असली कर चोर व्यापारियों को छूट देने के लिए और अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा करने हेतु अनभिज्ञ और निरीह काश्तकारों/अपंजीकृत व्यक्तियों से अविधिक तरीके से जबरन टैक्स की वसूली की तथा करवाई।

काश्तकारों से अर्थात् अपंजीकृत व्यक्तियों से टैक्स वसूलने का सबूत चैक पोस्टों की एस. बी.-27 टाइप की रसीद बुकों की जांच से मिल जायगा। जिससे इस अवधि में टैक्स की रसीदें जारी की गई हैं। ये रसीद बुक सब चैक पोस्टों पर मौजूद हैं। चैक पोस्ट बगड़रोड-झुन्झुनूं से काटी गई रसीद क्रमांक 43/8037 हैं जिसके जरिए दि. 28.12.91 को श्री रणजीतसिंह जाट कुहाड़ से 70 बोरी मूंग तथा 70 बोरी मोठ ट्रक नं. आर.एन.जी. 2238 से माल दिल्ली ले जाते समय 1610 रुपये का बिक्री कर इस काश्तकार से वसूला गया। इस प्रकार बहुत सी रसीदें लगभग चार सौ रसीदें चैक पोस्ट बगड़रोड झुन्झुनूं व पीपली चैक पोस्ट से काश्तकारों का टैक्स वसूल करके जारी की गई है।

(1.00 म.प.)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

झुन्झुनू बगड़रोड चैक पोस्ट के आंशिक रिकार्ड को मैं बतौर नमूने के 9 केसेज बताना चाहती हूं :—

क्रमांक	एस. टी. 26 रसीद बुक का क्रमांक	दिनांक	काश्तकार जिससे कर वसूला गया	वसूली गई कर राशि
1–	23/8037	13.12.91	श्री जगदीश प्रसाद हेतमसर	2800/–
2–	25/8037	15.12.91	श्री जगदीश प्रसाद नूं आं से	1350/–
3–	33/8037	19.12.91	श्री सोहनलाल भगेरा से	2035/–
4–	34/8037	21.12.91	श्री मोहनलाल हेतमसर से	2035/–
5–	43/8037	28.12.91	श्री रणजीतसिंह कूहाड़ू	1610/–
6–	46/8037	29.12.91	श्री दिलीपसिंह कूहाड़ू	1240/–
7–	47/8037	30.12.91	श्री रामबाबू जाट पाटोदा	2160/–
8–	48/8037	30.12.91	श्री बेगाराम जाट कूहाड़ू	2160/–
9–	53/8037	1.1.92	श्री बेगाराम पाटोदा	2160/–

इस प्रकार से कुल करीब 10 लाख रुपये के आस-पास पूरी वसूली की गयी है।

अतः माननीय मन्त्री महोदय, इस प्रकार काश्तकारों से की गई इस अविधिवत टैक्स वसूली बाबत जांच करवाने का कष्ट करें, जिन काश्तकारों से यह टैक्स वसूला गया है उनको वापस किया जावे और भविष्य के लिए निर्देश दिये जावे कि काश्तकारों से सेल्स टैक्स की वसूली न की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही-शिवगंज में पेयजल की कमी

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : मान्यवर, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरोही-शिवगंज में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरोही एवं शिवगंज तहसील तथा सिरोही एवं शिवगंज नगरों में पेयजल आपूर्ति में निरन्तर होती जा रही कमी के कारण स्थिति दिनों-दिन गंभीर होती जा रही है।

महोदय, सिरोही नगर की पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की योजना सन् 1950 में बनी थी, उस समय सिरोही नगर की आबादी मात्र 12 हजार थी, परन्तु आज 40 साल से भी अधिक हो गये हैं, इस योजना को लागू किये हुए। अब सिरोही की आबादी लगभग 30 हजार हो

(श्रीमती तारा भण्डारी)

गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सिरोही नगर चारों ओर करीब दो-दो किलोमीटर बढ़ गया है। नई बस्तियां भी बन गई हैं। मौहल्ले में जहां 4 अथवा 5 कनेक्शन थे उसी लाइन पर अब वहां 20-25 कनेक्शन हो गये हैं तथा उन कनेक्शन से पानी लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी कई गुना ज्यादा हो गयी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान व्यवस्था के कारण पूर्ण पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रति व्यक्ति 100 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, परन्तु हमारे वहां स्थिति यह है कि प्रति व्यक्ति मात्र 25 अथवा 30 लीटर पानी ही हिस्से में आता है तथा जैसे-जैसे गर्मी की ऋतु नजदीक आती जा रही है पानी की खपत तो बढ़ती ही जायेगी, परन्तु सप्लाई दिनों-दिन घटती जा रही है। इस बार तो हालत और भी गम्भीर होने वाली है क्योंकि सिरोही नगर हेतु पेयजल के मुख्य स्त्रोत अणगोर बांध में इस बार वर्षा की कमी के कारण पानी बहुत ही कम है। सिरोही नगर का पेयजल रिजर्वायर भी अब बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से काफी छोटा पड़ता है।

मान्यवर, गर्मी प्रारम्भ हो गयी है। प्रारम्भ होते ही प्रवासी बन्धु अपने घरों में सिरोही आते हैं। शादी एवं अन्य धार्मिक आयोजन भी अधिकतर गर्मी की छुट्टियों में ही होते हैं परन्तु पेयजल की सप्लाई कम होने के कारण भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा मुझे भी जनप्रतिनिधि होने के कारण शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है।

शिवगंज की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। वहां पर पानी के स्त्रोतों का स्तर भी नीचा चला गया है। पेयजल की वितरण व्यवस्था वही पुरानी है जो वर्तमान में बढ़ी हुई आबादी के लिए कम पड़ती है। लोगों ने पेयजल प्राप्त करने के लिए 10-10 फुट गहरे खड्डे अपने मकान के बाहर खोद रखे हैं। मान्यवर, सिरोही एवं शिवगंज दोनों नगरों की पेयजल व्यवस्था पूर्ण रूप से बदलने एवं रिजर्वायर इत्यादि बढ़ाने के सम्बन्ध में दो नई योजनायें बनाई गयी थी जिसमें सिरोही नगर की योजना 119 लाख की थी तथा शिवगंज नगर की 154 लाख की थी। इन दोनों को हुडको अथवा एल.आई.सी. से ऋण प्राप्त कर पूरी व्यवस्था बदलने का प्रावधान था, परन्तु अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह योजनायें आज भी खटाई में पड़ी हुई हैं।

मेरे ही क्षेत्र के 17 गांवों में पाइप लाइन द्वारा पेयजल सप्लाई की व्यवस्था है। घरों में कनेक्शन देकर उन गांवों को पाइप लाइन योजना से जोड़ने का लक्ष्य तो पुरानी सरकार ने पूरा कर लिया, परन्तु उनमें से बैलागरी, कालन्द्री, कृष्णगंज, जाताल, गोपली, पावीव, देलदर, कैलाशनगर, मणादर, झाडोली, पालडी, बराडा, लडगांव, पोसालिया, जोगापुरा, जोयला आदि गांवों में अनेकों मौहल्ले ऐसे हैं जिन्हें पाइप लाइन से जोड़ा ही नहीं गया। जिनमें भी अधिकतम मोहल्ले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के हैं। इससे गांव में लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, गांव में ईर्ष्या भाव भी बढ़ता है और तो और ग्रामवासी मुझे भी ताने देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, "करे कोई और भरे कोई" पिछली सरकार ने अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए इस प्रकार के आधे-अधूरे कार्य किये और

(श्रीमती तारा भण्डारी)

अब भुगतने हमें पड़ रहे हैं। इस समस्या की ओर पिछले 2 वर्षों से माननीय जलदाय मन्त्री महोदय का एवं विभाग के अधिकारियों का ध्यान दिलाने का निरन्तर प्रयत्न किया है, परन्तु मेरी समस्या तो ज्यों की त्यों है। अधिकारी केवल एक ही बात कहते हैं कि पाइप नहीं है। पाइप कहां से लायें।

इसके अलावा मेरे अधिकतम गांव हैण्डपम्प एवं पनघट योजना के हैं। जो गांव हैण्डपम्प के हैं वहां की समस्या भी आये दिन बनी रहती है। हैण्डपम्पों का संधारण पंचायत समितियां करती हैं जो कि वे कर नहीं पाती। जलदाय विभाग वर्ष में दो बार अभियान चलाकर हैण्डपम्प ठीक करता है, परन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। विभाग अभियान चलाता है तब तो थोड़ी बहुत राहत मिलती है, परन्तु बाकी वर्ष भर हैण्डपम्प ज्यादातर खराब ही रहते हैं क्योंकि पंचायत समितियों के पास न तो उन्हें ठीक करने के लिये पर्याप्त साधन हैं और न ही मिस्त्री। केवल वे लोग खाना-पूर्ति करते रहते हैं तथा जन-समस्या का निदान नहीं होता। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि हैण्डपम्पों को व्यवस्थित रखने का विभाग ही कार्य करे पंचायत समितियों को नहीं दिया जावे। जिससे खराब हैण्डपम्पों को समय पर ठीक करके समस्या का निराकरण किया जा सके।

महोदय, उपरोक्त समस्याओं की ओर सदन के माध्यम से सरकार एवं माननीय जलदाय विभाग के मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि गर्मी की शुरूआत हो गई है धीरे-धीरे पानी की खपत भी बढ़ती ही जायेगी। इन्हीं दिनों प्रवासी राजस्थानी भी छुट्टियां व्यतीत करने हेतु घरों में लौटते हैं लेकिन पानी की कमी के कारण बड़ी भारी समस्या हो जाती है। अतः इन समस्याओं पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जावे। सिरोही एवं शिवगंज की पेयजल योजनाओं को शीघ्र मंजूरी दी जाकर ऋण इत्यादि की व्यवस्था करवाई जावे। पाइप की कमी हो तो पाइप इत्यादि खरीद करके गांवों में जो मोहल्ले पाइप लाइन डालने से वंचित रह गये हैं उनमें भी पाइप लाइन डलवाकर समस्या का समाधान किया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्रीमती उजला अरोड़ा।

अजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द विश्वविद्यालय रखा जाना

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर, प्रक्रिया के नियम 295 अन्तर्गत अजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द विश्वविद्यालय रखे जाने के क्रम में।

मान्यवर, राजस्थान सरकार ने गत वर्ष 22 मार्च, 1991 को सदन में वर्तमान में उपाध्यक्ष, आपके ही द्वारा, श्री हीरासिंह जी चौहान तथा माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीनारायणजी दवे, श्री अमृतलालजी परमार, श्री हरीशजी भामनानी, श्री मनोहरसिंहजी, श्री गणपतजी, श्री मांगीलालजी मेघवाल, श्री चुन्नीलालजी, श्री किशनारामजी नाई, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री चम्पालालजी बांठिया, श्री श्रीचन्द कृपलानी, श्री जियालालजी बंशीवाल, श्री सुरेन्द्र गोयल, श्री फूलचन्दजी गुर्जर, श्री गोविन्दसिंहजी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गुर्जर, श्री गंगारामजी चौधरी, श्रीमती तारा भण्डारी, श्री लक्ष्मीचन्दजी मेहता, डा. जितेन्द्रसिंहजी, श्री शिवकुमारजी सनाढ्य, श्री श्रीकिशन कोगटा, श्री अचलाराम जी, श्री हीरालालजी आर्य, श्रीमती सुमित्रासिंहजी आदि 25 सदस्यों के द्वारा ड्राफ्ट किया गया स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय रखा जाने का सदन में प्राइवेट मैम्बर डे को बिल प्रस्तुत किया था। यह सदन में प्रस्तुत हुआ था और इस पर सदन के काफी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये थे। आपको स्मरण होगा, मैंने भी अपनी राय इसमें दी थी। मान्यवर, मात्र पारण शेष था। बाद में मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने कहा था कि इस विधेयक के सम्बन्ध में सभी पक्षों के माननीय सदस्य बोल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी का समर्थन इसके लिये है अतः आप यह मामला सरकार पर छोड़ दें, मुझ पर छोड़ दें, सरकार समय पर शीघ्र विधेयक स्वयं लायेगी और विधेयक पारित करायेगी।

मैंने सोचा था कि गत सत्र में अर्थात् अगस्त-सितम्बर में यह बिल आयेगा। तब भी मुझे बतलाया गया था कि यह सब तैयारी में चल रहा है। इस बार भी प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों की सूची में उक्त बिल का नाम जब नहीं देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। मुझे आशा है, तैयारी पूरी कर ली गयी होगी और इसी सत्र में उक्त बिल को लाकर पारण करा लिया जायगा। ऐसा मेरा आग्रह है यह कार्य निश्चित रूप से शीघ्र किया जाना चाहिये क्योंकि इसी सत्र में सरकार ने जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम बड़ी उदारता से राजस्थान के नेता, पूर्व मुख्य मन्त्री श्री जयनारायण व्यासजी के नाम पर "जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय" रखा है।

मैंने पता लगाया कि कर्नाटक में एक ही नाम के दो विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से हैं तथा गांधीजी के नाम से, जवाहरलालजी नेहरू के नाम से तीन विद्यालय हैं इन्दिरा गांधी के नाम से दो विश्वविद्यालय हैं तथा यू. जी. सी. की ग्रांट में कहीं कोई कठिनाई इससे आने वाली नहीं है। बात पूरी कर ली गयी है। इसका विवरण भी मेरे पास मौजूद है, मैं सरकार को दे दूंगी यदि सरकार चाहेगी तो। मुख्य मन्त्रीजी हैं नहीं, मुख्य बात तो यह है, आप अपना आश्वासन पूरा करें जिससे यह महत् कार्य आपके द्वारा पूरा हो सके। मुझे दत्तात्रेय आर्य ने दयानन्द विश्वविद्यालय के नाम से जो समस्त आर्य समाज की संस्था के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है वह भी दिया है, वह सरकार को दे दिया गया है लेकिन मुझे दुःख है कि चार बार भी इन संस्थाओं के लोगों के मिलने के बाद और मेरे द्वारा पत्र लिखने के बाद भी यहां आश्वस्त नहीं किया गया है कि इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी राय मेरी राय में शामिल है। सरकार को आप बाध्य करें कि इसी सत्र में वह इस बिल को लाकर पारित कराये जिससे यह कार्य पूरा हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। संसदीय कार्य मन्त्रीजी कुछ कहना चाहेंगे? अजमेर विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महो-

(श्री दिग्विजय सिंह)

दय, मैं इस वक्त यही कह सकता हूं कि सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी बार ला रहे हैं ? सारा तैयार है। स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय नाम करके, स्वामी दयानन्दजी सर्वविदित, सर्व परिचित हैं और सारे देश में डी. ए. वी. कालेज हैं, दयानन्द कालेज के नाम से हैं। अब इसी नाम से रख लिया जाय तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यह मेरा आग्रह है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्षजी, चाहे इसे किसी नाम से रखा जाय, महर्षि दयानन्द हो, स्वामी दयानन्द हो, दयानन्द हो लेकिन यह सैंकड़ों लोगों की भावनाओं का सम्बन्ध है सारे आर्य समाज के लोग जितने भी मानने वाले हैं उन सबकी भावनाओं का सम्बन्ध हैं। सदन के अधिक से अधिक माननीय सदस्यों ने इसके लिये अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिये आपसे निवेदन है कि इसी सत्र में इस बिल को लाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप कुछ कह रहे हैं ? माननीय श्री दिग्विजयसिंहजी। उत्तर दे रहे हैं यह।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं आपने ही दयानन्द विश्वविद्यालय नाम रखने हेतु गत सैशन में रखा था, इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको स्वामी दयानन्द विश्वविद्यालय के नाम से.......

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। चर्चा का विषय मत बनायें। सुनिये आप।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब यह प्राइवेट मैम्बर बिल लाये थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मुख्य मंत्रीजी ने उस वक्त भी सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं ने यह कहा था, सरकार स्वयं ही इस विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के नाम से रखेगी। सरकार ने इस पर प्रायः मानस बना लिया है और शीघ्र ही इसका नाम परिवर्तन करने का बिल रखा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, श्री अचलारामजी। इसे चर्चा का विषय नहीं बनायेंगे।

श्री अचलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब विश्वविद्यालयों का नाम महापुरुषों के नाम पर ही रखा जाता....

श्री उपाध्यक्ष : आश्वासन आ चुका है। अब क्या रहता है। आश्वासन आ चुका है।

श्री अचलाराम : आखिर महापुरुषों के नाम से प्रेरणा तो ले सकें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। माननीय श्री कृष्णकुमार गोयल, उद्योग मंत्री उद्योग विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अधिसूचना क्रमांक आर.एफ.सी./ए/पी.ए. 23(5) दिनांक 15 अगस्त, 1991 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम, स्टाफ (संशोधित वेतन श्रृंखला) रेगूलेशन, 1988 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय ने रख तो दिया लेकिन यह उद्योग की डिमाण्ड्स से पहले ही इसको रखना चाहिये था। इतनी तो जागरूकता रखनी चाहिये थी। माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा नहीं किया, मैं समझती हूं, अफसोस है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जगमालसिंहजी यादव, सदस्य, विधान सभा माह जनवरी में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से अरावली पहाड़ी क्षेत्र में लगाये गये कई प्रतिबन्धों से किसानों एवं आम जनता को हो रही कठिनाइयों की ओर वन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय श्री जगमालसिंहजी यादव।

अरावली पहाड़ी क्षेत्र में लगे प्रतिबन्धों से किसानों की कठिनाई

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माह जनवरी में केन्द्र सरकार की अधिसूचना से अरावली क्षेत्र में लगाये गये प्रतिबन्धों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं माननीय वन मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री लालचन्द डूडी (वन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगमालसिंहजी ने ध्यान आकर्षण किया है इसी तरह का माननीय सदस्य श्री रमाकांत जी का भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, दोनों का तकरीबन एकसा है तो मैं एक साथ ही दोनों कह दूं।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 9 जनवरी, 1992 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य के अलवर जिला एवं हरियाणा राज्य के गुड़गांवा की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में कतिपय कार्यकलाप, जो कि प्रदेश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिनका जिक्र नीचे किया गया है, को बिना पूर्व अनुज्ञा के निषिद्ध करने की मंशा जाहिर की है। प्रस्तावित निषिद्ध गतिविधियों के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप अधिसूचना जारी होने से 60 दिन की अवधि अर्थात् 9 मार्च, 1992 तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अधिसूचना प्रकाशित होने की दिनांक 9 जनवरी, 1992 से 120 दिवस की अवधि के भीतर केन्द्र सरकार उन आक्षेपों पर गौर करने के बाद अधिसूचना के नियम 5(3)(ख) में वर्णित उद्योगों, गतिविधियों या कार्यों को निषिद्ध अथवा प्रतिबाधित कर सकती है। उक्त अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार निम्न गतिविधियों तथा उनके सामने अंकित क्षेत्रों में निषिद्ध करने का विचार रखती है।

उद्योगों की स्थापना—अलवर जिले के भू-अभिलेखों में दर्ज समस्त वन क्षेत्र आरक्षित एवं रक्षित वन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तथा सरिस्का अभयारण्य का समस्त क्षेत्र जो गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन बीड़, गैर मुमकिन राडा, बजर बीड़ या रूख के रूप में दर्शाये गये हों।

(श्री लालचन्द डूडी)

समस्त खनन गतिविधियां-अलवर जिले के भू-अभिलेखों में दर्ज समस्त वन क्षेत्र आरक्षित एवं रक्षित वन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तथा सरिस्का अभयारण्य का समस्त क्षेत्र जो गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन बीड़, गैर मुमकिन राडा, बंजर बीड़ या रूंख के रूप में दर्शाये गये हों।

वृक्षों का कटान :-अलवर जिले के भू-अभिलेखों में दर्ज समस्त वन क्षेत्र आरक्षित एवं रक्षित वन सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं सरिस्का अभयारण्य का समस्त क्षेत्र। समस्त क्षेत्र जो गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन बीहड़, गैर मुमकिन राडो, बंजर बीड़ या रूंख के रूप में दर्शाये गये हों।

पशुओं की चराई :-सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तथा सरिस्का अभयारण्य के समस्त क्षेत्र, फार्म हाऊस, तथा रिहायशी मकानों के समूह, सामुदायिक भवन, सूचना केन्द्रों का निर्माण तथा इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों सड़कों का निर्माण सहित। अलवर जिले के भू-अभिलेखों में दर्ज समस्त वन क्षेत्र आरक्षित एवं रक्षित वन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं सरिस्का अभयारण्य का समस्त क्षेत्र। समस्त क्षेत्र जो गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन बीड़, गैर मुमकिन राड़ा, बजर बीड़ तथा रूंख के रूप में दर्शाये गये हों।

विद्युतीकरण :-अलवर जिले के भू-अभिलेखों में दर्ज समस्त वन क्षेत्र आरक्षित एवं रक्षित वन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं सरिस्का अभयारण्य का समस्त क्षेत्र। समस्त वन क्षेत्र जो गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन बीड़, गैर मुमकिन राडा, बंजर बीड़ या रूंख के रूप में दर्शाये गये हों। अलवर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 8380 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें वन क्षेत्र 1448.14 वर्ग किलोमीटर है।

वनों का वैधानिक वर्गीकरण निम्नानुसार है :-आरक्षित 748.26 वर्ग किलोमीटर, रक्षित 334.29 वर्ग किलोमीटर, अवर्गीकृत 19.50 वर्ग किलोमीटर। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1989-90 में वन क्षेत्र 1891.16 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह गत दस वर्षों में अलवर जिले का वन क्षेत्र 22.56 प्रतिशत से घटकर 17.73 प्रतिशत रह गया है तथा वन क्षेत्र का संरक्षण एक अनिवार्यता है। अलवर जिले में प्राप्त सूचना के अनुसार 949 विभिन्न मिनरल्स की लीज दी गई है एवं 149 छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां तथा 1214 लघु यूनिट कार्यरत हैं। अलवर जिला इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी स्थित है। इस जिले में आर्थिक विकास के लिए प्रबल क्षमताएं तथा सम्भावनाएं हैं। राज्य सरकार की मंशा यह है कि संतुलित विकास के दृष्टिकोण से जहां एक ओर पर्यावरण की सुरक्षा, वनों का संरक्षण एवं अरावली क्षेत्र रेंज में संदर्भित क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, उसका लक्ष्य है, तो दूसरी ओर राज्य के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक एवं खनन इकाइयों को हानि न पहुंच सके, यह भी देखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। अतः राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से वन क्षेत्र में जो गतिविधियां, वानिकी, वन्य जीव एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से निश्चित की गई हैं, को ध्यानगत रखते हुए अपनी ओर से केन्द्र सरकार को निर्धारित 60 दिन की अवधि में राज्य की औद्योगिक इकाइयों की ओर

(श्री लालचन्द डूडी)

खनन प्रिपेयर को नुकसान न हो, से सम्बन्धित आक्षेप भारत सरकार ने 4 मार्च को रख दिया है। केन्द्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) एवं 3(2) एव पांच सपठित नियम 5(3)क के अन्तर्गत एक दूसरी अधिसूचना भारत सरकार भारत के असाधारण राजपत्र भाग दो खण्ड दो में दिनांक 29.1.91 को प्रकाशित की है। जिसमें कि पर्यावरण सुरक्षा के हित में 24 श्रेणी के उद्योगों को लगाने से पूर्व केन्द्र सरकार से स्थल चेन बाबत पर्यावरण निर्बाधन की आवश्यकता होगी इसी प्रकार 45 श्रेणी के उद्योगों में केन्द्र सरकार की सूचना के अन्तर्गत निर्बाधन की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि यह शक्ति अधिसूचना के नियम दो के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त है। फिर भी केन्द्र सरकार यदि उचित समझती है तो राज्य सरकार की शक्ति में भी दखल डालकर ऐसे 45 श्रेणी के उद्योगों में भी स्थल चेन के लिए पर्यावरण का क्लीयरेंस के सम्बन्ध में पूर्वावलोकन कर सकेगी। केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अन्तर्गत यह अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रावधानों से प्रभावित हो, वह केन्द्र सरकार को अपना आक्षेप 7 दिन के अन्दर दे सकता है। इस अधिसूचना में केन्द्र सरकार की मंशा पर्यावरण की दृष्टि से स्थल चयन के लिए वृहत्, मध्यम तथा लघु उद्योगों को लगाने से पूर्व पर्यावरण निर्बाधन की स्वीकृति लेने की कानूनी रूप से अनिवार्य करने का विचार रखती है। यदि उपरोक्त अधिसूचना कानूनी रूप ले लेती है तो राजस्थान लघु उद्योगों के विकास पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को इस सन्दर्भ में अपनी आपत्तियां 7 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी हैं और इस प्रकार आक्षेप के रूप में अपना पक्ष निर्धारित समयावधि से पूर्व प्रस्तुत कर दिया है और इसकी मजबूत पैरवी राजस्थान सरकार करेगी। उक्त आक्षेपों में जिले के उद्योग, खनिज विकास, पशुपालन, विद्युतीकरण जैसे सभी इकाइयों द्वारा किये आक्षेप प्रस्ताव शामिल हैं। उक्त तथ्यों तथा भारत सरकार के आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए दिये गये अवसर को तथा इसी सन्दर्भ में राज्य के समग्र विकास के दृष्टिकोण से विभिन्न विकास एजेन्सियों की ओर से राज्य सरकार द्वारा दाखिल किये गये आक्षेपों में, जिसमें अलवर जिले के औद्योगिक विकास, खनिज एवं विद्युतीकरण आदि जैसे आक्षेप शामिल हैं, दृष्टिगत रखते हुए माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्राह्य योग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : डाक्टर साहब मैं तो आपका भी ध्यान रखूंगा। आप जब थे तो आपने हमारा ही नहीं रखा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, प्रारम्भ कीजिए यादव साहब।

श्री जगमालसिंह यादव : वह हम भुगत रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : पुरानी दोस्ती है ।

श्री सम्पत सिंह : आपसे नयी बनी है ना अभी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरी आफ एनवायरमेंट एण्ड फोरेस्ट का 9 जनवरी, 1991 का एक्स्ट्रा आर्डिनरी नोटिफेशन और इसी के साथ 29 जनवरी, 1991 का एक नोटिफिकेशन इससे पूर्व एक साल पहले गवर्नमेंट आॅफ इण्डिया ने जारी किया । मेरा काल अटेंशन ग्राह्य योग्य नहीं है या तो यह एक परम्परा-सी पड़ गई माननीय उपाध्यक्ष महोदय वरना इस काल-अटेंशन के द्वारा ।

श्री लालचन्द डूडी : ग्राह्य योग्य है ।

श्री उपाध्यक्ष : है, कहा है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर आपने मुझे जो कापी दी है । उपाध्यक्ष महोदय, फिर तो यह और भी गम्भीर बात है कि माननीय वन मंत्रीजी ने मुझे जो जवाब भेजा है हाउस के द्वारा, उसको पढ़कर सुना दूं । उसमें लिखा है, उक्त तथ्यों तथा भारत सरकार के आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए दिये गये अवसर को....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब कौन सा भेज दिया ।

श्री जगमाल सिंह यादव : वही सुना रहा हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह : अगर आपस में बात करके ही करना है तो चैम्बर में कर लेते, वहां कर लेते । जवाब कौनसा भेज दिया पहले ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : जवाब पढ़ कर सुना दिया ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप बोलो, मैं बाद में बोलूंगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सदस्य मैं तो आपको आमन्त्रित करता हूं, अच्छी सलाह है, आपको भी मालूम है । मुझे पहले ही बता रहे हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : अच्छी तरह दूंगा । राज के हित में दूंगा ।

डा. चन्द्रभान : यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, रिपीटेशन होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना रिपीटेशन नहीं है । उसके बारे में संक्षेप में बतायेंगे ।

श्री जगमाल सिंह यादव : डाक्टर साहब मैं कभी किसी को इंट्रप्ट नहीं करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यादव साहब आप अपनी बात कहिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहने जा रहा था, आज जो सदन में स्टेटमेंट वन मंत्रीजी ने पढ़ा है और मुझे जो कापी भेजी है, दोनों में भेद है, दोनों बिल्कुल ही विपरीत हैं । मैं उसका आखिरी पैरा एक मिनट में....

श्री उपाध्यक्ष : जब आपका यह प्रस्ताव ही ग्राह्य मान लिया है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अब मुझे तो गलत सूचना दी गई ।

श्री यदुनाथ सिंह : आपको नहीं मालूम....

श्री जगमाल सिंह यादव : ऐसी परिस्थिति में क्या होगा ?

श्री यदुनाथ सिंह : वह तो अध्यक्ष महोदय, को आती है सूचना। अध्यक्ष महोदय की सूचना हाउस में तो नहीं पढ़नी चाहिए इनको।

श्री जगमाल सिंह यादव : यदुनाथ सिंह जी आपसे कुछ कम समझदार मैं भी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप प्रारम्भ रखिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उक्त तथ्यों तथा भारत सरकार के आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए दिये गये अवसर को तथा इसी सन्दर्भ में राज्य के समुचित विकास को दृष्टिकोण में, विभिन्न विकास एजेन्सियों की ओर से राज्य सरकार द्वारा दाखिल किये जाने वाले आक्षेपों में जिसमें अलवर जिले के औद्योगिक विकास, खनिज एवं विद्युतीकरण जैसे आक्षेप शामिल है, को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको करैक्ट करूं।

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी : दरअसल मैंने यह कहा है यह ग्राह्य नहीं है, यह लिखा हुआ है और बाद में मैंने जो ग्राह्य कहा है वह मैं अपने शब्द वापस लेता हू।

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या सही मानूं ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थिति स्पष्ट हो गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि सदन में परम्परा सी पड़ गयी। अब माननीय वन मन्त्रीजी ने अपने आपको दुरुस्त करते हुए सदन को बताया कि काल अटेन्शन ...

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री): कोई भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है राज्य सरकार की ओर से उसका जो उत्तर आता है किसी भी विधि और नियम के अनुसार उसकी प्रति ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाने वाले माननीय सदस्यों को नहीं दी जाती है मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह कोई अधिकृत कापी नहीं हो सकती।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी प्रतिलिपि आयी है। बाकायदा सरकार से हस्ताक्षर होकर आई है यह क्या बात कह रहे हैं यहां पर। बाकायदा मेरे नाम से उत्तर आया है। यही उत्तर जो माननीय मंत्रीजी ने पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : किसी प्रकार से दे दी गयी है लेकिन नियम नहीं है। वास्तव में जो माननीय कृष्ण कुमारजी कह रहे हैं ऐसा ही है।

डा. चन्द्रभान : मेरा काल अटेन्शन लगा नहीं उसके पहले ही जवाब आ गया कल मेरे पास। मैं दिखा दूंगा आपको वह कापी। हां, लगा ही नहीं है अभी और जवाब आ गया और पेयजल के सम्बन्ध में वह बाद में लगेगा।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, रूल्स में तो कापी देना कोई प्रोविजन नहीं है। मगर यह इम्प्रूवमेंट ठीक है। यह इम्प्रूवमेंट इसलिये किया गया था कि काल अटेन्शन पर जिस माननीय सदस्य ने मूव किया है उसको कापी मिलने के बाद वह ब्रीफ होकर केवल क्लेरीफिकेशन पाइंट पूछेगा इसलिये कापी देना ठीक है।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें कोई विवाद नहीं है। मुझे तो हाउस में कापी दी मैंने आपसे अर्ज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इसको विवाद का विषय नहीं बनायें। आप अपने पाइन्ट पर कहिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं उसी पाइन्ट पर आ रहा हूं। पहले यह जो नियमों का खेल उलझ गया उस पर भी आपकी व्यवस्था चाहूंगा। अभी माननीय वन मंत्रीजी ने अपना स्टेटमेंट पढ़ा है, मैं चाहूंगा कि वह सदन के पटल पर आप रखवा दें मेरी आपसे ऐसी अर्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : वह सदन पर आ चुका है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उसको रखवा लीजिये सदन की मेज पर।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो रेकार्ड हो चुका है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन में तो ग्राह्य है यह भी पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के रेकार्ड पर आ गया है। कोई भी माननीय मंत्रीजी स्टेटमेण्ट देते हैं वह सदन के पटल पर ही माना जाता है। पढ़ लिया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : खैर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन कानूनी मुद्दों में नहीं उलझते हुए इस काल अटेन्शन के मार्फत जो मेरी मंशा सदन को अवगत करवाने की है और सरकार का ध्यान आकर्षण करने की है, मैं अपने उन मुद्दों पर आपसे अर्ज करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिन दो नोटिफिकेशन्स का जिक्र सदन में किया है। मैं अपनी बात रखने से पहले सदन को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं, सरकार को भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस काल अटेन्शन की मार्फत मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि राजस्थान के जो वन क्षेत्र हैं उसे कम किया जाय, उसे नुकसान पहुंचाया जाय। जहां फोरेस्ट हैं या रिजर्व फोरेस्ट हैं या प्रोटेक्टेड फोरेस्ट हैं। मैं सदन को इस बात से पहले निवेदन कर दूं और आपकी मार्फत सरकार को कि उस रिजर्व फोरेस्ट को या किसी तरह के जो फोरेस्ट हैं उनको नष्ट किया जाय मैं इस राय का नहीं हूं। लेकिन राजस्थान में और खास तौर से इस वर्ष अलवर जिले में इन दो नोटिफिकेशन्स से जो प्रभाव पड़ेगा और आने वाले अगले साल से जो अरावली पहाड़ी है, जिस तरह इन दो नोटिफिकेशन्स में डिफाइन किया गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पर्यावरण के नाम पर जो प्रतिबन्ध इन दो नोटिफिकेशन्स के द्वारा अलवर जिले में और राजस्थान में लगाये गये हैं या तो सरकार ने

(श्री जगमाल सिंह यादव)

इसका अन्दाजा नहीं लगाया कि आने वाले समय में इन दो नोटिफिकेशन्स के हिसाब से राजस्थान के उद्योग और राजस्थान के विकास की क्या हालत होगी या फिर राजस्थान सरकार इस मामले में सचेत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बताया कि 9 जनवरी के नोटिफिकेशन के मार्फत जो भी एतराज 60 दिन में दाखिल करने थे राज्य सरकार भी दाखिल करने जा रही है और जो प्रभावित यूनिट्स, उद्योग और दूसरे जो लोग इससे प्रभावित हुये हैं वह 60 दिन की अवधि जो 9 मार्च को तीन दिन पहले निकल गयी, उस तक आप सिर्फ दाखिल कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, इस पर्यावरण के नाम पर कुछ विदेशी लोगों ने या पर्यावरण की परिभाषा देने वाले लोगों ने, जिनको पर्यावरण का मेरे विचार से अक्षर ज्ञान भी नहीं होगा उन लोगों ने जिस तरह के ये नोटिफिकेशन्स निकालें हैं उससे न केवल अलवर जिला बल्कि आने वाले समय में राजस्थान भी बरबाद हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर जिले के 5-6 विधान सभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है और उनमें पर्यावरण वाले जिस तरह से अपना दिल्ली में बैठकर पर्यावरण का हिसाब लगाते हैं। मैं उसके बारे में सदन में अर्ज करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में पर्यावरण की रक्षा करने के लिये किसान से बड़ी कोई ताकत है? आप प्लान्टेशन की बात करते हैं, पहाड़ों पर छोटे पेड़ लगाइये, रिजर्व फोरेस्ट को बचाइये, आपका प्रोटेक्ट फोरेस्ट है उसे बचाइए। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक किसान लाखों, लाखों-करोड़ों, करोड़ों पेड़ अपने खेत में लगाता है, जिससे प्रदूषण नहीं फैले और पर्यावरण ठीक बना रहे। किसानों के खेत हरे-भरे होते हैं। पेड़ चाहे सरसों का पांच फीट का हो, गेहूं का पेड़ चाहे तीन फीट का हो वह भी हरे-भरे होते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि बारह महीनों किसान पर्यावरण की रक्षा करता हैं, प्रदूषण न फैले इस बात का इन्तजाम किसान करता है। मैं एक सवाल और आपसे और सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस नोटिफिकेशन में आपका गैर मुमकिन चरागाह, गैर मुमकिन रूंख, बाड़ा, नाला या नदी और गैर मुमकिन पहाड़ी का एरिया भी इसमें कवर होता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में जो इस तरह की एन्ट्रीज है उस भूमि पर राज्य सरकार का आधिपत्य या कानून बनाने का या उसके देखने का काम राज्य सरकार का है अथवा भारत सरकार का है। इसका अर्थ हुआ कि भूमि से सम्बन्धित जो भी कानून बनाने के अधिकार इस नोटिफिकेशन के द्वारा भारत सरकार के पास चले गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीय राजधानी के बाबत मैं आपसे अर्ज कर रहा था। दिल्ली में बैठकर यह तय किया गया कि दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़े, दिल्ली में पर्यावरण की रक्षा हो सके। दिल्ली में आबादी का प्रेशर नहीं बढ़े उसके पीछे भी लोजिक यही था कि प्रदूषण ज्यादा नहीं फैले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिल्ली से 100 किलोमीटर के व्यास में जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र को

(श्री जगमाल सिंह यादव)

विकास किया जा रहा है, भारत सरकार और खास तौर पर मेरा तो राजस्थान सरकार से ही कहना है कि इस 100 किलोमीटर के एरिया में आज आपका फरीदाबाद में इण्डस्ट्री डालने की सरकार परमिशन नहीं देती, गाजियाबाद, गुड़गांव, रोपड़, पानीपत और सोनीपत, रूकड़ी, मेरठ में आप नहीं लगा सकते क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में जो भी इलाके आ गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है एक तरफ तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि दिल्ली के आस-पास के 100 किलोमीटर क्षेत्र को इतना स्वच्छ रखा जाय कि दिल्ली और घनी आबादी में पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फरटाइल लैण्ड है जो प्रदूषण को बढ़ने से रोकती है जो पर्यावरण की रक्षा करती है। उस हरे भरे खेती के इलाके को राजस्थान में अलवर जिले की 5-6 विधान सभा क्षेत्रों को लिया गया है–उसमें बहरोड़ भी शामिल है, उसमें शाहजहांपुर भी शामिल है, उसमें भिवाड़ी भी शामिल है उसमें अलवर शामिल है और उसमें खैरथल शामिल है। इस क्षेत्र में जिस तरह से औद्योगिककरण हो रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इससे दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, क्या इससे पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह एन.सी.आर. का जो मूल रूप से विचार है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये यह मूल रूप में गलत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जरा सी बात बताना चाहूंगा जो मुझे इसमें शक है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम पर्यावरण के मामले में बहुत ज्यादा सचेत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उतना ही सचेत हूं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं जो मुझे शक है। इस अलवर जिले में गुड़गांवां और अरावली पहाड़ी क्षेत्र में खनन के कार्य को बन्द करने की जो साजिश है, मुझे लगता है वह न केवल पर्यावरण की दृष्टि से है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह राजस्थान और हिन्दुस्तान के इस खनन के काम में दूसरे देशों के कम्पीटीशन के मुकाबले में आ रहे हैं, यह उनका खेल है। मैं एक मिनट कुछ आंकड़े देकर इस बात को सिद्ध करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अलवर जिले में अरावली पहाड़ी क्षेत्र में खनन कार्य को बन्द करने के लिये व दूसरी गतिविधियों को बन्द करने के लिये सबसे पहले "तरुण भारत संघ" नाम की संस्था अलवर में बनी। थानागाजी से आने वाले माननीय विधायक के क्षेत्र में एक गांव है भिखमपुरा उसमें तरुण भारत संघ के नाम से पर्यावरण को बचाने के नाम से और दूसरी गतिविधियों में लिप्त एक तरुण भारत संघ नामक संस्था है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर चौंकेंगे, पूरे खाते मेरे पास नहीं है, लेकिन विदेशों से जिस तरीके से पैसे और जिस तरह का बजट इस तरुण भारत संघ के पास आ रहा है, मैं राज्य सरकार से व्यवस्था चाहूंगा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो खाते मैं आपको बता रहा हूं और जितने पैसे विदेशों से जिन-जिन कम्पनियों से आ रहे हैं क्या राजस्थान सरकार इसकी जांच करायेगी?

[redacted]

(श्री जगमाल सिंह यादव)

अगर जांच में जिन खातों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। यह खाते और अमाउण्ट सही पाये जाय तो सदन मेरी बात से सहमत होगा। यह पर्यावरण को बचाने का खेल नहीं है। बल्कि अलवर और अरावली हिल्स में दबा पड़ा जो खनिज है, जो सोना है उस खनिज में जो अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में दूसरे देश हमारे मुकाबले में आ रहे हैं यह उनकी एक साजिश होगी कि हिन्दुस्तान का मिनरल बाहर आकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं हमको नहीं पीट दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरुण भारत संघ का अभी मैंने जिक्र किया है चाहे वन मंत्री महोदय, चाहे गृह मंत्री महोदय इसको नोट कर लें–"ऑक्सफन" (ओ.एक्स.एफ.ए.एन.) नामक एक संस्था यू.के. की इस संस्था के मार्फत दिनांक 14.12.88 को 19 लाख 27 हजार 500 रुपये का ड्राफ्ट तरुण भारत संघ के पास आया। उपाध्यक्ष महोदय, 9.8.88 को ही इसी संस्था के द्वारा 5लाख 40 हजार 280 रुपये का ड्राफ्ट आया, यह भी इसी संस्था के द्वारा भेजा गया। महोदय, तीसरे की तारीख मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है लेकिन नवम्बर, 88 में 2लाख 70 हजार का ड्राफ्ट इसी संस्था द्वारा तरुण भारत संघ को भेजी गयी है। यह यू.के. से आये वह मैंने आपसे अर्ज किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नीदरलैण्ड की एक संस्था है, उसका नाम पूरी तरह ध्यान नहीं है लेकिन इससे अमाउण्ट आया है, 10 लाख रुपया अगस्त, 88 में नीदरलैण्ड से यह राशि तरुण भारत संघ के पास आयी है। इसी तरह कनाडा की एक संस्था है जिसका नाम है "कासा" उनके द्वारा भी पूरा अमाउण्ट तो मुझे पता नहीं है, पता लगेगा तो आपको अर्ज कर दूंगा, सदन में गलत बयानी नहीं करना चाहता हूं। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, "फोर्ड फाउण्डेशन" नाम की संस्था है, अमेरिका की। उसका भी अमाउण्ट मुझे पूरा पता नहीं है लेकिन यह अमाउण्ट लगभग 57 लाख का है जो तरुण भारत संघ के पास आया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसका हैड क्वार्टर कहां है ?

श्री रमाकान्त शर्मा : भीखमपुरा थानागाजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, "कपाट" नाम की एक संस्था है, भारत सरकार की जो दिल्ली में है। उसने अभी कुछ दिन पहले 38 लाख रुपया इस तरुण भारत संघ को दिया है। यह मेरी सूचना, उपाध्यक्ष महोदय, अधूरी है और इसकी मैं समुचित जांच भी नहीं कर पाया हूं। लेकिन कुछ आंकड़े देने से सदन शायद इस बात से आगाह हो गया होगा या सदन को यह जानकारी मिल गयी होगी कि करोड़ों रुपये के विदेशों से आने वाले ड्राफ्ट जो तरुण भारत संघ के पास आ रहे हैं, इनमें से एक पर्सेण्ट राशि भी पर्यावरण बचाने के लिए या नया प्लाण्टेशन करने के लिए अलवर में काम आयी हो तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात तो नहीं करता सदन जो मुझे सजा देगा इस गलत बयानी के लिए मैं सहर्ष उस सजा को स्वीकार करने को तैयार होऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ ... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य

(श्री उपाध्यक्ष)

जानकारी चाहते हैं कि यह राशि किसके लिए आयी और क्यों भेजी और तरुण भारत संघ क्या है ?

श्री जगमालसिंह यादव : अभी आ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कॉल अटेंशन केवल पर्यावरण की दृष्टि से इस नोटिफिकेशन के द्वारा अलवर जिले और राजस्थान की अरावली हिल्स पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा उससे सम्बन्धित है। लेकिन मैं सदन से दूसरी बात जानना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस नोटिफिकेशन और मेरे कॉल अटेंशन से हटकर भी सदन से पूछना चाहूंगा कि करोड़ों-करोड़ों रुपये एक साल में जिस प्रकार अलवर जिले में आ रहे हैं। चाहे पर्यावरण में लग रहे हैं लेकिन क्या यह प्रान्त और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस तरुण भारत संघ का जिक्र कर रहा हूं उसके लिए आप विधान सभा की एक कमेटी गठित कर दीजिए। मेरे ख्याल से हमारे सचिवालय की तरह से 50 बीघा में उन्होंने एक नया महल भीखमपुरा में खड़ा किया है। थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य इसके बारे में ज्यादा बतायेंगे। वहां उनकी गतिविधियां जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, विदेशी लोगों का आना, वहां ठहरना, यह सारे संदेह इस बात को पैदा कर रहे हैं कि कहीं तरुण भारत संघ का कार्यालय जो भीखमपुर में है यह विदेशी संगठनों, सी. आई. ए. आदि संगठनों की गतिविधियों का केन्द्र तो नहीं बन गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिक्र करना चाह रहा हूं, वह मैं यह कह रहा हूं माननीय डाक्टर साहब सुन लें अगर अक्ल हो तो थोड़ा उसको सुन कर अन्दर रखें।

डा. चन्द्रभान : हम आपसे सहमत हैं।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरुण भारत संघ ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पीटिशन फाइल की और उसमें उन्होंने इस बात को आधार बनाते हुए कि फोरेस्ट एरिया में खनन कार्य हो रहा है अलवर जिले में अरावली हिल्स का क्षेत्र है उसमें पर्यावरण को बिगाड़ने का काम हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रिट पीटीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया श्री एम. एल. जैन, जो पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको चेयरमैन बनाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, उस कमेटी की रिपोर्ट, चेयरमैन ने सब्मिट कर दी, आप चाहें तो आपके आदेश से वह मैं टेबल पर कर दूं उसमें उन्होंने यह बात मानी कि जिस जगह पर राजस्थान में उद्योग लगे हुए हैं, अलवर जिले में जिस जगह उद्योग लगे हुए हैं या जिस जगह खनन कार्य चल रहा है या जिस जगह पर औद्योगीकरण होने की सम्भावना है। यह क्षेत्र फोरेस्ट में और रिजर्व फोरेस्ट में नहीं आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह तरुण भारत संघ जिस बात को लेकर औद्योगिक विकास को रोकना चाहता था, राजस्थान के मिनरल बेस्ड औद्योगिक विकास को रोकना चाहता था उसमें जब पार नहीं पड़ी तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तरुण भारत संघ की

(श्री जगमालसिंह यादव)

पहुंच बताना चाहता हूं। अभी लघु उद्योग संघ के चेयरमेन हैं, अलवर में, उन्होंने पर्यावरण विभाग को एक लैटर लिखा और मुझे यह कहते हुए सदन में खेद है कि दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी किस आधार पर इन नोटिफिकेशन्स को जारी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नाम बता दें।

श्री जगमालसिंह यादव : इसमें लिखा है एक्टिंग प्रसीडेण्ट अलवर डिस्ट्रिक्ट लघु उद्योग संघ राजस्थान, अलवर–इनको एक पत्र लिखा गया पर्यावरण विभाग द्वारा जिसका पत्र क्रमांक है–21.2.1992 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नं. जेड/12011/1/92 आई-ए/2 उन्होंने पूछा यह लैटर लिखकर लघु उद्योग संघ के चेयरमेन ने कि आपने हमारे अरावली हिल्स में जहां यह तय हो चुका है कि किसी न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा जांच करने के बाद कि यह एरिया आपके अरावली हिल्स में पड़ने वाला एरिया है इसमें इन औद्योगिक संस्थाओं से और जो खनिज कार्य हो रहा है उससे किसी तरह के फोरेस्ट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई पर्यावरण खराब नहीं हो रहा है तो फिर यह अधिसूचना जारी करने का क्या कारण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तरुण भारत संघ के प्रभाव को सिद्ध करना चाहता हूं जब सुप्रीम कोर्ट में पार नहीं पड़ी तो यह जो जवाब लिखा, जिस पत्र का मैंने हवाला दिया है। इस पत्र के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि तरुण भारत संघ के प्रयासों से ही यह दोनों नोटिफिकेशन्स जारी हुए हैं। मैं तरुण भारत संघ का जिक्र कर रहा हूं यह सदन के सोचने और विचारने की बात है कि जिस तरुण भारत संघ के पास करोड़ों रुपये विदेशों से, कई संस्थाओं से आ रहे हैं। जब इसकी सुप्रीम कोर्ट में पार नहीं पड़ी तो पर्यावरण विभाग में जिस तरह से मेनुपुलेशन करके यह 1 जनवरी का एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन है उसको किसी तरह से जारी करवाया है। (व्यवधान) डाक्टर साहब, इसमें आपकी और हमारी पार नहीं पड़ेगी। कोई संस्था हम भी खड़ी कर लें (व्यवधान) इसमें जो अक्ल का सौदा है आपकी पार नहीं पड़नी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह ठेकेदारों से दोस्ती हो तो करो।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के इसी अभिभाषण पर राजस्थान सरकार ने बड़े गर्व के साथ अपनी उपलब्धि बताई कि अरावली हिल्स को हरा-भरा करने के लिए जापान के द्वारा दिये गये 176 करोड़ रुपये, यह राजस्थान सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम को हाथ में लेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मैं सदन के उन सदस्यों से पूछना चाहता हूं पहाड़ों पर जिनका रोज का काम पड़ता है, क्योंकि अरावली हिल्स 30 में से 20 जिलों में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 176 करोड़ रुपये जो जापान के द्वारा दिया गया है पहाड़ों पर प्लांटेशन का काम करना कितना कठिन है। प्रकृति के द्वारा जो पहाड़ों पर प्लांटेशन सदियों से होता चला आ रहा है, हजारों साल से होता आ रहा है लेकिन कृत्रिम प्लांटेशन अगर

(श्री जगमालसिंह यादव)

आपने अरावली हिल्स पर लगाया और इन 176 करोड़ रुपयों को खर्च किया तो बमुश्किल आपका दसवें हिस्से का सदुपयोग होगा. बाकी प्लांटेशन आपका हवाई जहाज और हेलिकाप्टर से पहाड़ों पर बीज के छिड़काव करने से भी नहीं होगा। आपके फोरेस्ट विभाग के द्वारा अगर प्लांटेशन किया जायेगा, उससे भी नहीं हो सकता। राजस्थान सरकार बड़े फक्र के साथ कह रही है, मुझे तो यह भी शंका है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार्ज तो नहीं लगाना चाहता लेकिन मेरा आधार पुष्ट होता है कि 176 करोड़ रुपये जापान से लेकर कहीं राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं कर लिया है कि इस अरावली में जितना दबा पड़ा मिनरल है इसको निकालने का काम बन्द करो, हम आपको 176 करोड़ रुपये देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी मन्शा के साथ जापान से 176 करोड़ रुपये के प्लांटेशन की बात राजस्थान सरकार ने स्वीकार की है तो मैं आपको और सदन को आगाह करना चाहता हूं कि यह 176 करोड़ रुपये लेकर ही राजस्थान सरकार को खुश नहीं होना चाहिये इससे राजस्थान के बजट में आने वाले साल में कितना घाटा उठाना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन सब शर्तों के 1 जनवरी और 29 जनवरी, 1991 और 9 जनवरी, 1992 के गजट नोटिफिकेशन्स को अगर एज इट इज राजस्थान सरकार मान लेती है तो समय रहते हुए अगर नहीं चेतती है तो इसके आने वाले समय में जो असर पड़ेंगे उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको बताया जापान सरकार आपको 176 करोड़ रुपये (व्यवधान) इसकी कोई समय सीमा नहीं है, स्टेट का मैटर है ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने केवल घड़ी की तरफ देखा ही है, आपको नहीं रोका है।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जापान सरकार 176 करोड़ रुपये जरूर राजस्थान सरकार को दे देगी लेकिन इसके बदले में कितना नुकसान उठाना पड़ेगा अगर जापान सरकार द्वारा 176 करोड़ रुपये दिये जाने की यही शर्तें हैं जो इन गजट नोटिफिकेशन्स में हैं तो इसके जो रिजल्ट्स राजस्थान सरकार को और राजस्थान की जनता को भोगने होंगे वह इस प्रकार से होंगे....

श्री लालचन्द डूडी : नोटिफिकेशन का कोई वास्ता नहीं है और किसी भी कीमत पर कोई कन्डीशन इसके बारे में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वन मन्त्रीजी अभी आप पूरा जवाब देंगे।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी आपने देखा होगा जो मेजर मिनरलस हैं उन पर राजस्थान सरकार ने अपनी रायल्टी दुगनी कर दी है। इस रायल्टी को दुगना करने से पहले राजस्थान सरकार को इन खनन कार्यों से 85 करोड़ रुपये रायल्टी मिलती थी लेकिन अब मेजर मिनरलस पर जो डबल रायल्टी कायम की है उससे मेरा अन्दाजा है कि राजस्थान सरकार को 116 करोड़ रुपये प्रति वर्ष रायल्टी का नुकसान होगा अगर इस गजट नोटिफिकेशन को

(श्री जगमालसिंह यादव)

एज इट इज राजस्थान सरकार स्वीकार कर लेती है। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 70 करोड़ रुपये सालाना आपको इन खनिजों से सेल्स टैक्स मिलता है। अगर यह खनिज और उद्योग धन्धे बंद हो गये जो खनिज पर आधारित हैं मिनरलस पर आधारित हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सालाना 70 करोड़ रुपये के इस सेल्स टैक्स से भी राजस्थान सरकार को हाथ धोना पड़ेगा।

इसके अलावा इन मिनरलस से और इन पर आधारित उद्योगों से 150 करोड़ रुपये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क गवर्नमेंट को मिलता है। 150 करोड़ रुपये इस केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपये आक्ट्राय का एक साल में इनके द्वारा या इन पर आधारित उद्योगों के द्वारा राजस्थान सरकार को प्राप्त होता है, इससे भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सही आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं मैंने कोशिश भी की है लेकिन मेरा अन्दाजा है लगभग 600 करोड़ रुपये सालाना आपके सीमेंट के जो बड़े प्लांट्स हैं जो 8 सीमेंट के बड़े उद्योग हैं और जो छोटी-छोटी सीमेंट उद्योग है वह टोटल आपके अरावली हिल्स पर जिन्दा हैं। अरावली हिल्स और उसके आसपास आपको लाइमस्टोन मिलता है और सीमेंट बननें का जो पत्थर है वह लाइमस्टोन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लाइमस्टोन का निकालना बन्द कर दिया गया तो यह जो मेरा अन्दाजा है 600 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से राजस्थान गवर्नमेंट को, यह जो आपने पूंजीनिवेश किया हुआ है, फैक्ट्रियों में, धूआं निकलना बन्द हो जायेगा, कौवे उड़ते आपको नजर आयेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हिन्दुस्तान जिंक लिटिटेड जो चित्तौड़ व उदयपुर में कार्यरत है 300 करोड़ रुपये का उसमें गवर्नमेंट का पूंजीनिवेश है। अगर यह खनन का कार्य बन्द हो गया तो मैं पूछना चाहता हूं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का आप क्या करेंगे ? 300 करोड़ रुपये का आपको यह नुकसान उठाना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा छोटी-छोटी यूनिट्स जो मिनरल बेस्ड पर आधारित हैं चाहे उदयपुर में है, चाहे सिरोही में है, जालोर में हैं, शाहपुरा में है, अलवर में है और चाहे जयपुर में है यह सब तो बन्द हो जानी है क्योंकि इस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा पूरे राजस्थान के किसी भी अरावली के एरिया से एक चिनाई का पत्थर आप नहीं निकाल सकते। मैंने जो मुख्य-मुख्य रूप से आपका ध्यान दिलाया है इसके अलावा जो सबसे बड़ी इस राजस्थान को चुनौती मिलेगी इस गजट नोटिफिकेशन से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का ट्रांसपोर्टेशन 50 प्रतिशत जो भी इनका उपयोग होता है वह या तो खनिजों में लगे हुए हैं या खनिजों पर आधारित जो भी उद्योग हैं उन पर इन ट्रांसपोर्टेशन का 50 प्रतिशत जिसमें आर. एफ सी. का बहुत बड़ा पैसा फंसा हुआ हैं, जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, इन सबसे राजस्थान को हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा जब अलवर में ही 15 हजार आदमी केवल इन माइन्ज पर सीधे तरीके से प्रभावित होंगे, बेरोजगार हो जायेंगे।

(श्री जगमालसिंह यादव)

इस तरह से अगर पूरे जिलों के आंकड़े निकाले जाय तो 2-2।। लाख के लगभग राजस्थान में जो उद्योग में मजदूर लगे हुए हैं जिनको आज रोजगार मिल रहा है वह घर बैठ जायेंगे। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान केवल इस तरफ दिलाना चाह रहा हूं कि जो कुछ इस नोटिफिकेशन के द्वारा होगा और मैं निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यादव साहब जरा संक्षिप्त कीजिये।

श्री जगमालसिंह यादव : मैं बहुत करना चाह रहा हूं। 29.3.91 को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है उसमें डिफाइन किया है कि अरावली हिल्स का क्या एरिया होगा, सैंक्चुरी का क्या एरिया होगा। उसमें सैंक्चुरी का एरिया माना गया है कि जहां सैंक्चुअरी की सीमा समाप्त होती है उससे चारों तरफ 25 किलोमीटर दूरी के एरिया को सैंक्चुअरी में गिना जाएगा। इसी तरह से अरावली हिल्स की जहां पर पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से और उस क्षेत्र से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 किलोमीटर इस तरफ और 10 किलोमीटर दूसरी तरफ एरिया अरावली हिल्स का एरिया माना जायेगा। मैं दो ही सवाल करना चाहता हूं, इस बजट में विशेष उल्लेख किया गया है उद्योग मन्त्रीजी आपके द्वारा कि भिवाड़ी के लिए दिल्ली और एन. सी. आर. में आ गया है भारत सरकार भी उसके लिए हमें बहुत कुछ देने जा रही है। आप इस भिवाड़ी के इण्डस्ट्रीयल एरिया को जिन्दा रख सकोगे अगर 1 जनवरी, 1992 का गजट अगर एज इट इज लागू हो जाता है और आप इसका कोई प्रोटेस्ट नहीं करते हैं और यदि आपके प्रोटेस्ट के बावजूद भी अगर यह लागू हो जाता है तो इस हिन्दुस्तान में, न केवल राजस्थान में, औद्योगिक नक्शे में उभरता हुआ आपका भिवाड़ी जहां हिन्दुस्तान में आज अगर बड़ी कन्सर्न डलती है तो उसमें 90 प्रतिशत भिवाड़ी जाती है क्या आप भिवाड़ी इण्डस्ट्रीयल एरिया को जिन्दा रख सकेंगे? इसी तरह से उभरैन के पास जाकर सैंक्चुअरी की सीमायें समाप्त होती हैं और उभरैन से अलवर और औद्योगिक मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर यह 25 किलोमीटर की सीमा आ गई तो मैं पूछना चाहता हूं आपके खरबों रुपये भारत सरकार और आप कर द्वारा लगाये गये अलवर का मत्स्य इण्डस्ट्रीयल एरिया में आपकी एक बिल्डिंग नहीं बन सकेगी....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूं, केवल अलवर नहीं, सारा उदयपुर, सारा आबू जितना इण्डस्ट्रलाइजेशन हो रहा है सारा बरबाद हो जायेगा (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अरावली को खत्म कर दो....

डा. चन्द्रभान : जब बजट में अरावली वाली योजना जापान की है....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : समझ में नहीं आता कि हम राजस्थान के इन्ट्रेस्ट वाली बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं....

श्री यदुनाथसिंह : वह जापान की अरावली को हरा-भरा करने की योजना आप खत्म कर दो....

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूं कि अगर आपके घना में चिड़िया और अजगर नहीं पाले जाते तो एन. डी. डी. बी. की अभी 15 करोड़ रुपये की योजना भरतपुर और अलवर से उठकर दूसरी जगह नहीं जाती....

श्री यदुनाथसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि मेरे राजस्थान का पर्यावरण बचता है अगर मत्स्य इण्डस्ट्री दूसरी जगह हिन्दुस्तान में लगेगी लेकिन पर्यावरण के नाम पर उसको खान के नाम पर, औद्योगीकरण के नाम पर हम अरावली को हरा-भरा नहीं होने दें मैं इसके पक्ष में नहीं हूं अरावली माननीय सरस नार्दन इण्डिया का वाटर शैड है....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह शौक तो राजा-महाराजाओं के थे अपन कहां आ गये चक्कर में ?

श्री यदुनाथसिंह : सृष्टि नष्ट हो जायेगी, आप क्या बात करते हैं। यह राजा महाराजाओं के शौक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह वाद-विवाद का विषय नहीं बनायें, बोलने दीजिये।

डा. चन्द्रभान : मन्त्रीजी, यह भारतीय संस्कृति नष्ट हो जायेगी यह भारतीय संस्कृति की रक्षा का सवाल है। मानव जीवन का पशु-पक्षियों के जीवन का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। यादव साहब, जारी रखिये।

श्री जगमालसिंह यादव : हालांकि मुझे इण्टरवीन करने की आदत नहीं और मैं करता भी नहीं, लेकिन डाक्टर साहब को एक सलाह देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को कहिये, जवाब देने की जरूरत नहीं है डाक्टर साहब को।

श्री जगमालसिंह यादव : कुछ मुद्दों पर डाक्टर साहब को सलाह देता हूं कि लोग बगैर बोले ही अच्छे लगते हैं।

डा. चन्द्रभान : मैं आपकी सलाह मान नहीं सकता क्योंकि आपने मेरी सलाह नहीं मानी।

श्री जगमालसिंह यादव : मैंने तो हमेशा आपको फालो किया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या विवाद का विषय है ? और कृपया बैठे-बैठे भी कम बोलें।

(2.00 म.प.)

श्री जगमालसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपनी बात रखने से पहले ही यह स्पष्ट किया था कि हिन्दुस्तान का पर्यावरण बिगड़े, मैं इसके हक में नहीं हूं। राजस्थान का, हिन्दुस्तान का फारेस्ट नष्ट हो जाय, मैं इसके भी हक में नहीं हूं। लेकिन हिन्दुस्तान में, इस विकासशील देश में आपको कुछ प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। मैं मेरी राय रखता हूं और सदन के दूसरे माननीय सदस्य अपनी राय रखते होंगे। सरिस्का में कुछ चीतल पालने के लिए, शेर और बघेरे पालने के लिए, सांप और बिच्छू पालने के लिए अलवर जिले से

(श्री जगमालसिंह यादव)

600 करोड़ रुपए का ताप बिजली घर उठ जाय, उसको भारत सरकार मंजूरी नहीं दे। मुख्य मन्त्रीजी धौलपुर-धौलपुर कहते थक गये, दो साल हो गये प्रयास करते हुए, लेकिन संगमरमर खड़ा है आगरा में। भारत सरकार के एनर्जी विभाग की टीम आयी, उसको धौलपुर में नहीं ठहराया गया। कोई अपने मेहमान की खातिर ऐसे नहीं करता है जिस तरह से मुख्य मन्त्रीजी ने उनको ले जाकर आगरा के फाइव स्टार होटल में ठहराया और डेली भरतपुर प्रोजेक्ट को दिखाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगरा का संगमरमर कल गिरे आज गिर जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान के किसानों को राजस्थान के विकास के लिए ताप बिजली घर चाहिए हमको एनर्जी चाहिए। भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया एनर्जी डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि अगर थर्मल प्लांट धौलपुर में लगाया गया तो संगमरमर का सफेद पत्थर काला हो जाएगा। मैं कहता हूं काला हो जाय ताजमहल का पत्थर, चाहे कल गिर जाय ताजमहल। लेकिन राजस्थान की जनता को एनर्जी और बिजली रोक देना चाहते हैं। इसी तरह से एन.डी.डी.बी. की 15 करोड़ की योजना भरतपुर से ले जायी गयी, यह कहकर कि घना में रहने वाले पक्षी यहां नहीं आयेंगे। सरसों सबसे ज्यादा भरतपुर में पैदा होती है, सबसे ज्यादा एरिया भरतपुर में है। उस 15 करोड़ की योजना को भरतपुर से उठाकर बीकानेर या किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सांप, बिच्छू और बघेरे इस देश में रहें या नहीं रहें, पर्यावरण को हमको उतना ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा जितनी हमारे जीवन में आवश्यकता होगी। एक तरफ आप किसानों की बात करते हैं और एक तरफ माइस की बात कर दी। इस नोटिफिकेशन में यह लिखा गया है-गैरमुमकिन बंजर, गैरमुमकिन चरागाह, गैरमुमकिन पहाड़ और गैरमुमकिन राड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव के बीच-बीच में गैरमुमकिन चरागाह पड़ा हुआ है। गांव के लोगों ने अपनी खातेदारी और बिस्वेदारी की जमीन में से पशुधन को चरा सकें इसके लिए 10-10 बीघा जमीन छोड़ दी और उसको सामूहिक रूप से पशु चराने के लिए काम में ले रहे हैं। भारत सरकार के इस नोटिफिकेशन से यह व्यवस्था हो गयी कि किसान कहीं भी अपने पशुओं को चराने की व्यवस्था नहीं कर सकता। स्थिति यह आयी कि कहीं सिवाय चक में या चरागाह में गांव के लोगों ने, पंचायत ने मिलकर पेड़ लगाये, तो उनकी लकड़ी का उपयोग भी आप नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं शहर में बैठने वाले बाबुओं से कि आप तो रसोई गैस से काम चला लेते हो लेकिन गांव का जन-जीवन जो 90 फीसदी है वह आज भी लकड़ी पर आधारित है जलाने के लिए, उसके पास कोई गैस का कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आपका फारेस्ट रिजर्व है, विधान सभा में बैठकर इन शहरी बाबुओं ने फारेस्ट को रिजर्व नहीं रखा है, उसकी रक्षा-सुरक्षा का काम शहरी बाबुओं ने नहीं किया है। वन क्षेत्र में रहने वाले उन किसानों ने, जो उन पहाड़ियों के आसपास बसे हुए हैं, सदियों से रहते हैं, उस फारेस्ट को रिजर्व रखा है। उस फारेस्ट को रिजर्व रखने की

(श्री जगमालसिंह यादव)

ठेकेदारी आज हिन्दुस्तान की सरकार, राजस्थान की सरकार ने अपने हाथ ले ली। लेकिन हमारा ग्रामीण जन-जीवन उसी तरह चलेगा, जितनी आवश्यकता होगी फारेस्ट को काटा जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा तादाद में फारेस्ट लगाया भी जाएगा। यह काम गांव में रहने वाला राजस्थान और हिन्दुस्तान का वनवासी हमेशा से करता आ रहा है। आपको केवल खान के मालिक नजर आते हैं, आपको केवल उद्योगपति नजर आते हैं। एक तिहाई क्षेत्र, 30 में से 20 जिले अरावली हिल्स में कवर्ड हैं। अलवर जिले का पांचवां हिस्सा इस क्षेत्र में कवर होगा। 500 गांव प्रभावित हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस गजट नोटिफिकेशन, भारत सरकार को राजस्थान सरकार ने चैलेंज नहीं किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में ग्रामीण जन-जीवन अपने हिसाब से चलेगा, आपके गजट नोटिफिकेशन को नहीं मानेगा, आपके कानूनों को तोड़ेगा। अपने पशुधन को बचाने और दूसरी आवश्यकताओं के लिए वनों को जहां एक प्रतिशत काटने की जरूरत है वहीं 20 प्रतिशत पर लगाते आ रहे हैं। उसी गति से वे चलते जाएंगे और आपका यह गजट नोटिफिकेशन केवल किताबों में रह जाएगा, राजस्थान की सरकार देखती रह जाएगी। जहां तक उद्योग और दूसरी चीजों के उससे प्रभावित होने का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय रहते सचेत हो जाइये। विकास की बात करते हैं तो 1400 करोड़ के डेफिसिट और जो दूसरे असर पड़ेंगे, उनका मैं कह नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। यादव साहब।

श्री जगमालसिंह यादव : इसी के साथ पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इस मामले में सबकी राय लेकर आम सहमति बनाएं चाहे सब पार्टियों के नेताओं को बुलाएं। जितना फारेस्ट होना चाहिए वह होना चाहिए। मैं फारेस्ट को नष्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं और न पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए कह रहा हूं, पर राजस्थान के हितों की आप रक्षा कीजिए। यही मेरा आपसे और इस सदन से अनुरोध है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमाकांत जी शर्मा।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने बहुत पहले लगा दिया था। बार-बार अध्यक्ष महोदय से निवेदन भी किया, परन्तु इतना महत्वपूर्ण प्रश्न होने के बावजूद भी इसे बहुत देर से लगाया गया और उसमें भी मुझे प्राथमिकता नहीं दी गयी। मैं वन मन्त्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने जवाब में आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में राजस्थान की जनता के साथ रहेंगे और अलवर की उपेक्षा नहीं होने देंगे। मैं इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बजट की चर्चा में उन्होंने अपना उत्तर दिया उस उत्तर में उन्होंने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतेंगे

(श्री रमाकान्त शर्मा)

और इस अधिसूचना को खारिज कराने का प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बहुत गम्भीर है। केवल इस अधिसूचना के होने या समाप्त होने का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जालसाजी है, बहुत गम्भीर समस्या है। इसके बारे में कुछ मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले मैं सारे के सारे माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि वन लगाने के मामले की कोई भी समझदार आदमी खिलाफत नहीं कर सकता। हम सभी चाहते हैं कि खूब वन लगे, ज्यादा से ज्यादा वन लगे। यह बात सही है, मैं सरिस्का क्षेत्र में पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, आजादी से पहले रियासतों के टाइम में वहां इतने घनघोर वन थे कि सूरज की किरण जमीन को नहीं छूती थी। मैंने मेरे समय में देखा है कि वहां 500 शेर हुआ करते थे, मेरे गांव में रोजाना-रोजाना शेर घूमा करते थे। वन भी बढ़ रहा था और वन्य जीव भी पल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अधिसूचना पर आने से पहले वन विभाग की कार्य-प्रणाली की तरफ थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वन विभाग की जो कार्य प्रणाली रही है वही जिम्मेदार है कि आज सारे के सारे वन समूल नष्ट हो गये हैं। सरिस्का में जो जंगल था उसका 10 प्रतिशत भी नहीं रहा। आज वहां शेर चार भी हैं कि नहीं, मुझे इसका शक है। वन विभाग के काम करने का जो तरीका है वह सबसे बड़ी बात है। वनवासी जाट, गूजर, अहीर, मीणा लोगों ने, जो वहां रहते थे, जो उन पर मुनस्सर करते थे, उन वनों को लगाया है। अलवर रियासत में कोई वन विभाग नहीं था। वे उनसे प्यार करते थे, घने जंगलों में रहते थे। वे गांव आज वहां पर मौजूद हैं जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु इनकी कार्य-प्रणाली ने उन सबको एलीनिएट कर दिया है, उन सबको आज वन विरोधी बना दिया। सबसे बड़ी समस्या आती है वह यह है। सरिस्का का आरक्षित वन हम लोगों के लिए प्राण है। परन्तु साधारण आदमी इतना खिलाफ हो गया है कि वह कहता है कि हमें न सड़क दें न बिजली दें, आग लगा दें सरिस्का को। इतनी भारी परेशानियां हैं। उन बातों पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वन विभाग को कि अगर वन में सूखी लकड़ी को तोड़कर हटाया जाता है तो वन बढ़ते हैं वन घटते नहीं हैं। यदि उन लकड़ियों को वहां से तोड़ा नहीं जायेगा तो पेड़ घना नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। इसी प्रकार का काम वे लोग भी करते आ रहे थे। इस प्रकार की यदि अधिसूचना जारी कर देंगे तो लोग उससे और एलीनिएट हो जाएंगे और दुश्मनी की चीज पैदा हो जाएगी। वनों को नष्ट करने का का काम खास तौर से वन विभाग के लोग करवाते हैं, इस प्रकार उसमें और बढ़ोतरी होगी। वनों की सुरक्षा नहीं होगी इस प्रकार की अधिसूचनाओं से, इस प्रकार के नोटिसेज से, एक्ट से या दूसरी चीजें निकाली जाती हैं उनसे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थानागाजी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

में अगर कोई संगमरमर का कारखाना लगता है, संगमरमर चिर रहा है तो इससे कौनसे शेर का स्वास्थ्य गिर जाएगा ? यदि वहां पर संगमरमर कट रहा है, पास में संगमरमर निकाला जा रहा है तो उससे कौनसे पेड़ की पत्ती मुरझा जाएगी ? यदि ऐसी बात होती तो बड़े-बड़े उद्योगों के प्रिमिसेज में ही हजारों पेड़ लगे हुए हैं। मैंने तो उन पेड़ों को उन लॉन्स को उन फूलों को चहकते देखा है, बढ़ते देखा है। प्रत्येक आदमी देखता है। वनों के पास में इस प्रकार का कोई उद्योग नहीं लगे और उससे वन खराब हो जायेंगे, यह कल्पना से बाहर की चीज है। जिन लोगों को देखना है, जाकर देख लें, अमेरिका में जाकर देख लें, जर्मनी में जाकर देखें, वहां पर 35 पर्सेण्ट जंगल है परन्तु गांव-गांव के अन्दर इतनी बड़ी इण्डस्ट्रीज लगी हुई है, जिनमें धुंआ निकल रहा है। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर कोई बड़ा उद्योग न हो। उन्होंने कभी उद्योग को समाप्त नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सी. आई. ए. की बहुत गहरी चाल है। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कुछ आंकड़े देकर। पश्चिमी यूरोप के अन्दर पर्यावरण का मापदण्ड एक ही है कि कार्बन-डाइ-आक्साइड फ्री एटमासफीयर में कितनी है। दो वर्ष पहले जहां यूरोप के अन्दर कुल 280 पी. पी. एम. हुआ करता था वह आज बढ़ करके 350 हो गया और प्रतिवर्ष 0.4 की दर से उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। आज अमेरिका के अन्दर कार्बन-डाइ-आक्साइड, 23 प्रतिशत फ्री कार्बन-डाइ-आक्साइड आसमान के अन्दर है। 10 प्रतिशत रूस के अन्दर, 15 प्रतिशत पश्चिमी यूरोप के अन्दर, 5 प्रतिशत जापान के अन्दर है और हिन्दुस्तान के अन्दर है 0.4 प्रतिशत। अमेरिका और रश्या के अन्दर न तो किसी उद्योग पर पहले प्रतिबन्ध था और न आज प्रतिबन्ध है। वहां एक आदमी के पास एक गाड़ी है और हमारे यहां 3226 आदमियों पर एक गाड़ी है, और न ही हमारे यहां इतना फ्री कार्बन-डाइ-आक्साइड है। परन्तु पर्यावरण के नाम पर हिन्दुस्तान में जो औद्योगिक प्रगति हो रही है उस औद्योगिक प्रगति को रोकने की बात है।

अमेरिका में इस प्रकार की संस्थायें हैं, मैं उन संस्थाओं के नाम आपको बता देना चाहता हूं। एक संस्था है Earth Green Space, एक संस्था है Environment Policy Institute और एक संस्था है Natural Resources Defence Centre और अमेरिका के अन्दर सीनेटर्स की एक लाबी होती है, पेड लाबी है, करोड़पति, अरबपति और वहां के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वे उन लोगों को पैसा देते हैं इस बात को देखने के लिये कि जो विकासशील देश हैं वे अपना विकास न कर पायें। और यदि उनके बराबर पहुंच जायें तो करोड़ों रुपये इस प्रकार से खर्च करते हैं जिस प्रकार से जगमाल सिंह जी ने बताया। सी.आई ए. का काम इस तरह का है कि हम उनका काम कर गुजरेंगे और हमको पता नहीं होगा कि हम किसका काम कर रहे हैं। हमारे ही साथी भाई इस तरह देश के अंदर इस प्रकार की बात पैदा कर देते हैं। और जिस रेकेट के द्वारा सी.आई.ए. काम करता है, उस रेकेट के द्वारा इस बात को प्रोत्सा-

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हन मिलता है जो इस प्रकार से पर्यावरण की बात को लेकर हमारे उद्योगों और खनिज पर एक प्रकार की रोक लगाई जा रही है।

पशुपालन तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से काम्प्लीमेन्टरी है वनों के लिये। जब-जब पशु बहुत ज्यादा थे हमारे पास, तब वन भी बहुत ज्यादा थे। ज्यों-ज्यों वन कटते चले गये, त्यों-त्यों पशु भी कम होते चले गये। अब अधिसूचना के अन्दर यह कह दिया जाये कि अलवर जिले के अन्दर पशुपालन भी नहीं किया जायेगा, तो अलवर के अन्दर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिन का मुख्य धन्धा पशुपालन है, उनका क्या होगा ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अरावली के अन्दर, हमारे अलवर क्षेत्र के पहाड़ों के अन्दर ताम्बा है, सोना है, चांदी है और यूरेनियम है। अब इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि हम अधिक सर्वे न करें और उस ताम्बे की प्राप्ति न कर सकें, सोने को नहीं निकाल सकें और वहां पर यूरेनियम की खोज नहीं कर सकें। आज ताम्बा बहुत महत्वपूर्ण चीज है सारे देश के लिये, उस ताम्बे का भी हम खनन नहीं कर सकें। यह इस प्रकार की सारी चीज है।

बहुत बड़ी बात तो यह है कि पिछले दस बरसों का ही केवल मात्र इतिहास है कि हम संगमरमर के अन्दर इटली को पीछे छोड़ गये, हम ग्रेनाइट में इटली और अरजेन्टाइना को पीछे छोड़ गये। इटली योरोपीय आर्थिक समुदाय का मैम्बर है। इस समुदाय को इस बात से परेशानी हो गई कि दुनिया के अन्दर उनका जो मार्बल है, जो ग्रेनाइट है वह पीछे न रह जाये। इसलिये उन्होंने कोशिश की है कि थानागाजी के आस-पास जितना मार्बल है, जितना ग्रेनाइट है, जैसा कि पूरे हिन्दुस्तान में नहीं है, उस पर रोक लगा दी जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी आज सारे के सारे अमेरिका के लिए और योरोपीय आर्थिक समुदाय के लिये एक चिन्ता का विषय बन गया है। वे जानते हैं भिवाड़ी जिस प्रकार से निर्माण कर रहा है, वह सारे विश्व के अन्दर काम्पीट करेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रमाकान्त शर्मा : और जब वह विश्व के अन्दर काम्पीट करेगा, तो उन उद्योगों से, जहां पर लेबर की कीमत ज्यादा है, ओवर हैड्स ज्यादा हैं, और हमारे यहां लोवर ओवर हैड्स हैं, उनमें हम काम्पीट कर लेंगे। इसलिये वे चाहते हैं कि भिवाड़ी नहीं पनपे, शाहजहांपुर नहीं पनपे और यह बहरोड़ नहीं पनपे।

उपाध्यक्ष महोदय, देहली हिन्दुस्तान की राजधानी है और उस राजधानी के आप-पास जो क्षेत्र हैं, जहां उद्योग का पोटेंशियल है, जहां माइनिंग और मिनेरल्स का पोटेंशियल है, वह पोटेंशियल न बढ़े, इसलिये ग्रोथ सेण्टर पर रोक लगाने की कोशिश की गई है इस प्रकार का काम सतपुरा में क्यों नहीं किया जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों

(श्री उपाध्यक्ष)

से निवेदन है कि आपस में बातचीत कम करें।

श्री रमाकान्त शर्मा : इस प्रकार का काम विंध्याचल में क्यों नहीं किया जा रहा है ? सारा का सारा हिमाचल पड़ा हुआ है, वहां पर क्यों नहीं किया जा रहा है ? दक्षिण के अन्दर पूर्वी पठार और पश्चिमी पठार सारे के सारे जंगल हैं, उनके लिये इस प्रकार की अधिसूचना क्यों नहीं जारी गई है ? वे जानते हैं कि जितना अलवर का इलाका, अलवर के मजदूर काम्पीट कर सकते हैं, विश्व के अन्दर, बिजनेस, माइनिंग और मिनरल्स में काम्प्टीशन कर सकते हैं, उस काम्प्टीशन को रोकने के लिये यह सी.आई ए. की कुचाल है। इस कुचाल के अन्दर वे न जाने किन-किन सोर्सेज के द्वारा खर्च कर सकते हैं। कौन-कौन से लोगों को अपने काबू में करके, भारत सरकार के लोगों को, इस प्रकार से ऐसी अधिसूचना जारी की कि जिसमें अलवर का विकास ही नहीं रुकेगा, बल्कि सारे हिन्दुस्तान का विकास रुक जायेगा। अलवर और हिन्दुस्तान का आर्थिक विकास न रुकेगा बल्कि सारे का सारा औद्योगीकरण है, वह भी रुक जायेगा।

आज प्रश्न उदयपुर का या अजमेर का नहीं है। प्रश्न इसके बाद में सतपुरा का भी आयेगा। यह जो संस्थाए हैं, इनकी विश्व की जो आर्थिक संस्थायें हैं, जैसे कि आई.डी.ए. है, वर्ल्ड बैंक है .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रमाकान्त शर्मा : उन्होंने नर्बदा के अन्दर जो वित्त देने की बात थी, उसको रुकवा दिया। नर्बदा का सारा का सारा काम 4 वर्ष तक रुक गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलने वाला था वह रुक गया, टिहरी बांध रुकवा दिया गया, टिहरी बांध के अन्दर वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा था वह रुक गया है। यह हिन्दुस्तान के अन्दर जाल फैलेगा। यह केवल मात्र शुरूआत है। कुछ लोगों को कब्जे में लेकर सी.आई.ए. इतना बड़ा काम कर रही है हम सबको इस बात से बहुत भारी चिन्ता होने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले के अन्दर निवेदन करना चाहूंगा कि हम ज्यादा प्रसन्न नहीं हो जायं कि 150 करोड़ रुपये जापान से आ रहे हैं। मैंने अपने बजट भाषण की प्रतिक्रिया के अन्दर बहुत संक्षेप में निवेदन किया था कि हम वर्ल्ड बैंक से या किसी एजेन्सी से जब जब लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक और उसकी एजेन्सी के प्रतिनिधि जर्रे-जर्रे के अन्दर खड़े हो जाते हैं। हमारी अरावली वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पहाड़ी है, हिमालय सबसे यंगेस्ट है और अरावली ओल्डेस्ट पहाड़ी है जो खनिज इसके अन्दर प्राप्त हो सकते है और जापान उन सबकी जानकारी चाहता है, 150 करोड़ रुपये उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, 150 करोड़ रुपये उसके लिए पीनट्स हैं, मूंगफली है। वह यहां आकर जंगल के हर हिस्से में जानकारी करना चाहता है। आज उसके पास इस प्रकार के उपकरण हैं, सैटेलाइट से मालूम कर सकता है कि 2000 फीट जमीन के नीचे क्या है। इस प्रकार के उपकरणों के साथ वह वहां मौजूद होंगे और हमारी सारी की सारी खनिज सम्पदा, हमारे पोटेंशियल के बारे

(श्री रमाकान्त शर्मा)

में कितनी बड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे इसके बारे में चिन्तित होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर के अन्दर यह अधिसूचना यदि जारी हो गई तो जो हमारे 10-15 हजार मजदूर हैं वह बेघर-बार ही नहीं हो जायेंगे, हमारी सारी की सारी इण्डस्ट्री, मिनरल बेस्ट इण्डस्ट्री समाप्त नहीं हो जायेगी, हमारा पशुधन समाप्त नहीं हो जायेगा बल्कि सारा का सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। अलवर और थानागाजी के लोग चुप नहीं बैठेंगे, जन-क्रान्ति हो जायेगी, हम सारे के सारे लोग घोर विरोध करेंगे और घोर विरोध जैसी स्थिति आये उससे पहले मैं इस सदन के द्वारा भारत सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि किन्हीं बाहरी शक्तियों के दबाव में आकर इस प्रकार की कुचेष्ठा न करे।

श्री हेतराम बेनीवाल : वहां तो सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं शक्तियों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, यह आपके समझ में बात नहीं आ पा रही है। आप इस चीज को समझें। अमेरिका के लोग हमको यह बतायें कि जिनके जंगलों के अन्दर कौआ नहीं होता है, कमेड़ी नहीं होती है वह हमको बतायें कि शेर कैसे रखेंगे और जंगल कैसे बढ़ायेंगे, जंगलों के अन्दर वन्य जीव किस प्रकार से रखने हैं, वह हमको बताये कि पहाड़ों के अन्दर पेड़ कैसे लगेंगे। जबकि दुनिया के अन्दर सारे के सारे पेड़ कैसे लगाये जाते हैं यह बताया है....

श्री हेतराम बेनीवाल : बजट में आ गई सारी बातें, वहां से पैसा ले लिया।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं सदन का बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें श्री जगमाल सिंह जी ने बता दी हैं इसलिए मैं रिपीटीशन नहीं करना चाहता हूं। मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं, हम केवल मात्र यहां से अपना प्रोटेस्ट लेटर जो 7 दिन में भेजने वाले हैं उससे ही चुप न रहें बल्कि इस चीज को हम अच्छी तरह से भारत सरकार के साथ में लेवें जिससे हमारा औद्योगीकरण और हमारा आर्थिक विकास है वह न रुक जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सम्पत सिंह जी क्या आप बोलना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में ही अपनी बात कहें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई अवसर छोड़ता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इन्होंने दे रखा है। अवसर छोड़ने वाली बात नहीं है।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा और थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माइक के पास आ जायं।

श्री सम्पत सिंह : हमारा माइक तो आपने काट दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमने नहीं काटा आपने अपने आप कटवाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माइक सामने है, आपके काटा किसने है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपका माइक तो एकता यात्रा ने कटवाया है ।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यादेश के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने जो बहस की उसके लिए मैं हृदय से आभारी हैं....

श्री केदारनाथ शर्मा : नोटिफिकेशन के बारे में ।

श्री सम्पत सिंह : नोटिफिकेशन के बारे में और राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दिया है उससे मुझे बहुत अफसोस हुआ है । माननीय जो इतने चिन्तित हैं । उन्होंने तो बहुत कुछ हद तक सदन में विशेष जानकारी देकर राजस्थान के नागरिकों के फायदे में अपनी बात कही लेकिन सरकार ने जिस वैल इक्विप्ड होना चाहिए इनफार्मेशन के मार्फत भी, वह पहले ही क्षण में किंवकर्तव्य विमूढ थी कि सदस्यों को, सदन को क्या जवाब दे और क्या जवाब नहीं दे । माननीय मंत्रीजी इसको व्यक्तिश: अपनी तरफ कुछ ना लें मैं केवल इस व्यवस्था पर निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी हमारे पास लिखित में जवाब आ जाय और हमारी अपनी नीयत जैसी बन गई है कि अधिकारियों ने लिखकर हमें दे दिया और हम तोते की तरह सदन में पढ़ देते हैं और अपने कार्य की इतिश्री समझ लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने मूल पाइन्ट पर आइए ।

श्री सम्पत सिंह : मैं मूल पाइन्ट के सम्बन्ध में अपनी बात कह रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आपत्ति पत्र और आरोप पत्र गजट नोटिफिकेशन के खिलाफ तो राजस्थान सरकार ने पेश कर ही दिया है केन्द्रीय सरकार के सामने ।

श्री सम्पत सिंह : कैसे लच्चरते-लच्चरते, रिसते-रिसते और रेंगते-रेंगते इन बातों को कहेंगे । मैंने कल भी निवेदन किया था बहुत विनम्र शब्दों में किया यह ना समझें कि यह सदन सार्वभौमिक चीज सारी उम्र इस धरती पर रहेगा अगर हमारी रिलेवेंसी है तो लोग समझेंगे और अगर हमने इसको बिल्कुल + + +पार्लियामेंट बना दिया तो इसके मायने क्या रह जायेंगे आज एक क्षण पहले मंत्रीजी कुछ कर रहे हैं और दूसरे क्षण मंत्रीजी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन+ + + पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल किया, यह ठीक नहीं है इनकी बात, इसे आप कार्यवाही से निकाल दीजिए । + + +पार्लियामेंट का मतलब है बिल्कुल + + +संसद, यह शब्द उचित नहीं है । इसको कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : निकाल दिया जाय ।

श्री सम्पत सिंह : आप पहले व्यवस्था

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री सम्पत सिंह)

दें, मेरी बात सुन लें। माननीय कल्ला साहब को मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा, यह मैं ही उपयोग नहीं कर रहा हूं श्री अटलविहारी जी वाजपेयी साहब न पार्लियामेंट में उपयोग किया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : गलत किया है।

श्री सम्पत सिंह : गलत नहीं किया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : गलत किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस सदन के जरिए हम अपनी बात रख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस सदन के जरिए जनता की कोई आवाज उठा रहे है उसके लिए ये ऐसा शब्द इस्तेमाल करें, यह उचित नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : आप इतने इम्पेशेंस क्यों होते हैं, पीड़ा क्यों है ? आप सुनिये तो सही कि किस सन्दर्भ में कहा है....

श्री हेतराम बेनीवाल : गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सम्पत सिंह जी, गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्ला साहब ने परिभाषा की + + +पार्लियामेंट की, + + + पार्लियामेंट का मतलब + + + वह नहीं है। + + + पार्लियामेंट का मतलब इमिटेशन, असली सदस्य नहीं होकर दूसरे सदस्यों से है वह + + + का मतलब + + + नहीं है।

श्री केदारनाथ शर्मा : + + + का मतलब नकल से है।

श्री सम्पत सिंह : मैं निवेदन यह कर रहा था कि अगर इन विधान सभाओं ने, संसद ने और देश की तमाम दूसरी इंस्टीट्यूशन्स ने अपनी जिम्मेदारियां वहन नहीं कीं, निर्वहन नहीं कीं तो जनसाधारण का विश्वास इन महत्वपूर्ण संस्थाओं से उठ जायेगा। और तब यह डिफेक्टो, डिजूरे, जो कुछ भी हमारी सार्वभौमिक संस्थाएं हैं माननीय कल्ला साहब, इनका स्वरूप वह नहीं रह जायेगा। वही डर मुझे खाये जा रहा है, वही डर आपको खायेगा और वही डर आम इंसान को खायेगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपनी चिन्ता कर रहा हूं कि यह सदन ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो और सदन में कोई भी सूचना देनी हो तो पहले अधिकारी पचासों बार यह सोचें कि मुझे सदन में सूचना देनी पड़ रही है, ऐसे रुटीन में ही नहीं कि मंत्रीजी को दे देंगे और मंत्री जी को तो पढ़ा ही है और वह पढ़कर सुना देंगे। इन चीजों पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप सब्जेक्ट पर आइए। काफी कह चुके हैं।

श्री सम्पत सिंह : सब्जेक्ट ही निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पर्यावरण जैसे विषय पर आज ठीक प्रश्नकाल में माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम सब को खास तौर से मंत्रीजी को यह बात कही थी कि राजस्थान के तमाम जिलों में जो पर्यावरण की हालत खसता बनी हुई है, पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की जो हालत खसता

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(112)

(श्री सम्पत सिंह)

हुई पड़ी है उसको गम्भीरता से लेंगे और आगे जब यह प्रश्न विचार किया जायेगा....

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : यह ध्यानाकर्षण पर बोल रहे हैं या+++ भाषण और उपदेश दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने सब्जैक्ट पर आइए।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं+++के मंत्रीजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री लालचन्द डूडी : मुझे आपके उपदेश की जरूरत नहीं है, मंत्रीजी आपसे पहले मंत्री रह चुके हैं। आपके समझाने की जरूरत नहीं है। आप तो ध्यानाकर्षण पर आइए।

श्री सम्पत सिंह : आप तो सफेदी के बाद मंत्री हुए हैं और मैं तो आपसे भी कम उम्र में मंत्री बना हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक-दूसरे पर आरोप नहीं लगायें।

श्री लालचन्द डूडी : आपको काहे की जलन हो रही है।

श्री सम्पत सिंह : अगर हमको तकलीफ होती तो इस तरह से डिपार्ट नहीं होते हैं। आप इसको अन्यथा नहीं लें। मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया था कि आप इसे व्यक्तिश: ना लें जो व्यवस्था है उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं। मगर माननीय मंत्रीजी को पीड़ा है ...

श्री उपाध्यक्ष : उसकी पीड़ा है।

श्री लालचन्द डूडी : पीड़ा दूसरी है व्यक्त और कुछ कर रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : अब जो भी कोई पीड़ा है पर आपकी तरह प्रसव पीड़ा मुझे नहीं होने वाली है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया था कि मंत्रीजी व्यक्तिश: कोई चीज ना लें....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लेंगे आप प्रारम्भ रखिए।

श्री सम्पत सिंह : वह मंत्री नहीं होते तब भी हमारे लिए तो वरिष्ठ ही होते, हम तो हर तरीके से उनके मान-सम्मान की सारी बात करते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप उसको व्यक्तिश: ना लें ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सब्जैक्ट पर आइए।

श्री सम्पत सिंह : सब्जैक्ट पर निवेदन कर रहा हूं कि पर्यावरण के मामले में दोनों ही पक्ष हैं, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क घोषित हो रहा है और उसके बाद राज्य सरकारें या केन्द्रीय सरकार इतनी संवेदनशील होती हैं, मैं पहले जिन्होंने ध्यानाकर्षण किया हैं, उन माननीय सदस्यों ने, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं उनकी बात की ताईद करता हूं। एक किसान जितना पर्यावरण की रक्षा करता है, मवेशी पालता है, उससे पेड़-पौधे रहते हैं, दूसरी फसल आती है, दूसरे मौसम में वह पेड़-पौधे पड़ते हैं उस बारे में वह किसान नुकसानदायक

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री सम्पत सिंह)

नहीं होता है। उसमें किसान फायदेमंद होता है लेकिन इस नोटिफिकेशन के परिप्रेक्ष्य में जितना हम समझ पाये हैं कि तीन कैटेगरीज में, तीन शिड्यूल्ड में उन्होंने हिदायत दी है कि फलां-फलां इण्डस्ट्री, फलां-फलां चीज लगायेगी तो 5 साल से ज्यादा नहीं होगी केन्द्रीय सरकार और दूसरी एक्सपर्ट्स कमेटी उसका नोड्यूज लेंगे तब जाकर वह चीज बनेगी, 10 किलोमीटर से आगे तक पहाड़ी क्षेत्र माना जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे गहन बात तो यह है कि यह प्रबन्ध इसलिए किया जा रहा है मुट्ठी भर आदमी 40-50 साल से अगर राजस्थान के खनिज पर अजगर की तरह से कुण्डली मार कर बैठे हैं और पर्यावरण की दुहाई में, इण्डस्ट्री की दुहाई में, प्रान्त की आमदनी की दुहाई में....

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, सर। यह काल अटेन्शन तो मेरा है, क्या आप इसकी डिबेट करवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट नहीं करवा रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह तो डिबेट हो गई।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने परमीशन दे दी तो डिबेट होगी।

डा. चन्द्रभान : आप सत्ता पक्ष के लोगों को समय देंगे और विरोधी पक्ष के लोगों को समय नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, डा. साहब.... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : इसका असर सारे राजस्थान पर पड़ेगा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विषय से अलग बोलते हैं तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आप सब्जैक्ट पर बोलिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जिनके काल अटेन्शन नहीं है उनको बोलने के लिये आपने कैसे अलाऊ कर दिया। यह सबके लिए लागू हो तो मुझे एतराज नहीं है। ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर होंगे तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा आपको अगर इससे अन्यथा बोलते हैं तो।

डा. चन्द्रभान : यह माइन्स माफिया की कन्सपाइरेसी के तहत कहां हो रहा है। साधारण मामला नहीं है, वनों की रक्षा का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित करने वाले, ध्यान आकर्षण मूव करने वाले आदमी आपस में....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, हमने निवेदन किया....

डा. चन्द्रभान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह फिर सबके लिये ही लागू कर दीजिए आप कोई दिक्कत नहीं है। हमने सुना कि यह माइन्स माफिया की कन्सपाइरेसी के तहत ही यह सब कुछ काम हो रहा है इसलिए इस पर जरूर बहस होनी चाहिए।

(डा. चन्द्रभान)

यह वन और पर्यावरण मंत्रालय का साधारण मामला नहीं है यह वनों की रक्षा का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये डा. साहब।

श्री जगमालसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे व्यवस्था चाही है। आप इस हाउस को चलाने के लिये चाहे कैसी व्यवस्था दें, हाउस चलाना आपका काम है मैंने तो केवल एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।....(व्यवधान)....उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये अलाऊ किया है। मुझे खेद इस बात का है कि चुन कर तो दुर्भाग्य से पहली बार आये हो, वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे उनको इतनी शालीनता तो बरतनी चाहिए कि जब मैं फ्लोर पर हूं, आप जब फ्लोर पर होते हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं तीन बार आया हूं, मैं फ्लोर पर हूं, अब आप बैठो आप तो दो ही बार आये हो इसलिए आप बैठो। यह क्या क्वालिफिकेशन हुई ?

श्री जगमालसिंह यादव : मैं आपसे जो व्यवस्था चाह रहा था कि काल अटेंशन डिबेट की व्यवस्था क्या रखना चाहते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा सुझाव है, यदि सदन स्वीकार करे तो नियमानुसार 131 का जो काल अटेंशन होता है उस पर इतनी लम्बी चर्चा नहीं होती है। यह जो विषय है पर्यावरण का वह महत्वपूर्ण राजस्थान के लिये भी है, उसके साथ-साथ दूसरे प्रश्न भी जुड़े हुए हैं तो अगर आसन कोई ऐसी व्यवस्था करे कि बजट के बाद एक दिन की चर्चा पर्यावरण के ऊपर रख ली जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की चर्चा भविष्य में की जा सकती है।

श्री यदुनाथ सिंह : तारीख तय कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : तारीख तो कार्य सलाहकार समिति ही तय करेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : हमें पांच मिनट चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप आसन के आश्वासन पर विश्वास करते हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : दो ही मिनट में खतम करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन द्वारा दी हुई व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। उसके लिए मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलूंगा....(व्यवधान)....हम फोरेस्ट को, अरावली पहाड़ को बरबाद नहीं होने देंगे। हम उपाध्यक्ष महोदय, इसके हामी नहीं हो सकते। इसके गवाह नहीं बन सकते। कुछ अपनी बात कहने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट तो अलाऊ कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट अलाऊ नहीं की है। इनका नाम पहले से हमारे पास आया

(श्री उपाध्यक्ष)

हुआ हैं। मैं कोई जनरल अलाऊ नहीं कर रहा हूं....(व्यवधान)

(2.35 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात निवेदन कर रहा हूं और बीच में जगमाल सिंहजी साहब ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। करिये पूरी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे पास समय नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : सिनेमा में तो आप तीन-तीन घंटे बैठी रहती हैं यहां आप आधा घंटा नहीं बैठ सकती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सिनेमा देखने नहीं जाती।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत ना करें।

श्री सम्पत सिंह : चले ही आपके ऊपर हैं सिनेमा, हमने तो अब आकर देखे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो बड़ी परेशानी यह है कि चाहे माननीय सदस्य हो, चाहे मंत्री-गण हो जरा सा कोई सदस्य अपनी बात निवेदन करता है तो इतने ज्यादा संवेदनशील हो गये हैं कि शब्दों पर ही एकदम नाराज हो जाते हैं। ऐसे तो अपनी बात कहने का बहुत कम समय मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : शब्द तो सिर फुड़ा देते हैं।

श्री सम्पत सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि सदन में, कोई गुड्स डिलिवर नहीं किये सोसाइटी को तो लोग उनको + + + पार्लियामेंट कहने लग जायेंगे। तो माननीय कल्ला साहब ने एतराज कर दिया।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने इसको + + + सुन लिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं संसद का एक तरीके से....

श्री अध्यक्ष : आपने तो यह कहा ना कि + + + पार्लियामेंट नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह दिन हमारी जिन्दगी का सबसे मनहूस दिन होगा ऐसी सदनों के लिये....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं उत्तरी गोलार्द्ध में वर्षा का अनुपात कम होता चला जा रहा है। उसके लिए हमको न सिर्फ खान की परवाह करनी पड़ेगी इकोलोजी की भी परवाह करनी पड़ेगी। उसमें एक छोटे से छोटे जीव से लेकर दिमागधारी मनुष्य को परवाह करनी पड़ेगी और उस सारे सिस्टम को कुछ संजो करके, बना करके रखना

+ + + शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सम्पत सिंह)

पड़ेगा जिससे इकोलोजी को रत्ती भर भी नुकसान ना हो। उसके चलते आप राजस्थान प्रान्त की आमदनी बढ़ायें बहुत खुशी की बात है लेकिन उसकी कीमत का, आम किसान, आम मजदूर, आम नागरिक कूलर नहीं चला सकता गर्मी में आम नागरिक। हमारे पूरे देश के उद्योगों के अलावा, उससे पहले कृषि पर आधारित हमारी सकल उत्पादन शक्ति निर्भर करती है। अगर वर्षा नहीं हुई। वर्षा होगी तब हमारे वन हरे-भरे होंगे। हमारे पहाड़ों पर कुल्हाड़ा चलना बन्द होगा तब, माननीय वन मंत्रीजी आपने मुझ पर जितना गुस्सा किया अपने अधिकारियों और अपने कर्मचारियों पर गुस्सा करके देखते। रोज तमाम लकड़ियां चुन-चुन करके आ रही हैं लड्ढ़ों, ट्रकों में उनका बाल बांका हम नहीं कर सकते लेकिन इस सदन में कोई चुना हुआ सदस्य आकर कुछ बात कहेगा तो आपके बिजली सी लग जाती है और आप समझते हैं कि आपकी इस तुनकमिजाजी से कोई डर जायेगा। अपनी बात कहने का अधिकार हमको है और आप जब तक नहीं सुनेंगे हम आपसे अनुनय करेंगे, विनय करेंगे कि राजस्थान की तकदीर की परवाह करने के लिए आप यहां बिराजे हुये हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हिन्दुस्तान की परवाह करेंगे और तमाम वनों का हमने इस तरह से कुल्हाड़ा चला-चला करके सत्यानाश कर दिया और फिर हम कहते हैं कि राजस्थान में हमारी वर्षा का अनुपात दिनों-दिन कम हो गया। चित्तौड़गढ़ को ले लीजिए अनुपात के मुकाबले में वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो भरतपुर से अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर से ज्यादा वहां वर्षा हुई। मैं अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो पंक्ति में निवेदन करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। क्योंकि इस प्रकार का आज वातावरण ही नहीं है। कल यहां नसबन्दी पर तो चार घंटे जाया किये गये। कल नाहरी के नाका पर तो 6 घंटे होंगे लेकिन इन चीजों पर मेरा जैसा कोई नौसिखिया सदस्य अपनी बात कहता है तो दोनों पक्षों की तरफ से उसको निरुत्साहित किया जाता है लेकिन उस पर कन्ट्रोल करे तब ना। यहां खाली बहस कर ली और वहां दना-दन बच्चे बनायें इससे क्या मतलब होगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सम्पत सिंह : मैं दो मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करता हूं। अगर कोई बीच में टोकेगा तो मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इतने तो पुराने हो गये आप कि मेरे को इंगित करके कहिये, बीच में बोलने वालों की परवाह मत कीजिये।

श्री सम्पत सिंह : मैं निस्सन्देह आपकी औलाद हूं।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करेंगे यह तो समझ रहे हैं ना आप।

श्री सम्पत सिंह : औलाद जितनी आखिर की होती है राजेन्द्र प्रसाद की तरह उतनी ही अक्लमंद होती है। पहली, दूसरी तो यूं ही बेकार है।

श्री अध्यक्ष : वह भी पर्यावरण का ही एक हिस्सा है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए आप।

श्री सम्पत सिंह : आज राजस्थान में आजादी के बाद के गिने-चुने परिवार है, आप उन्हें मंगवाकर देख लें जिन्होंने राजस्थान के ग्रेनाइट को, राजस्थान के मार्बल को, राजस्थान के जिप्सम को मिट्टी के भाव लेकर के नई सांकेतिक रायल्टी देने के नाम पर कितना मुनाफा करते थे कि हमारे राजस्थान को केन्द्र सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन उनका माफिया तैयार हो रहा है यहां बिहार की तरह, उन्होंने यहां पेशकश कराई है कि राजस्थान में खनन के नाम से पर्यावरण चौपट कर दो, खेती को चौपट कर दो, एकोलोजी को चौपट कर दो। हम नहीं चाहते हैं कि यहां सैलानियों की खातिर हम इस पूरे सिस्टम को बनाये रखना नहीं चाहते। अगर वे आते हैं दूसरी बात है, सी.आई.ए. का दखल हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की इच्छा से बिल्कुल सहमत हूं लेकिन इन सारे तर्कों के आधार पर यह नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में, हिन्दुस्तान में पर्यावरण चौपट हो जाय। आज एक भी उद्योग में, आपने आज सुबह सदन को अपनी बात कही थी, हमने अपना बड़ा मुकद्दर समझा था अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने हमको कहा था कि एक भी उद्योग में ऐसा नहीं है कि प्रदूषण रोकने के लिए बात की होती। मुझे परसों-तरसों ही आपने जवाब दिया है कि भरतपुर घना के इर्द-गिर्द जितने भी उद्योग हैं, एक में भी न जल, न वायु न हवा, न कोई ध्वनि का एक भी प्रदूषण यंत्र नहीं लगा। 1985 से बराबर मैं गुहार कर रहा हूं मगर हम इतने ही सशक्त हैं, इतनी ही हमारी सरकार सशक्त हैं। हमें अपने एक इंस्पेक्टर की गर्दन पकड़ने की हिम्मत नहीं और दनादन तमाम तरीकों से हम खनन से राजस्थान के पर्यावरण को दिन-रात नुकसान कर रहे हैं। मैं दोनों हाथों से विनती करता हूं पूरे सदन में पुरजोर अपील करता हूं कि इस खनन के चक्कर में नहीं आकर, इन उद्योगों के चक्कर में नहीं आकर, उद्योग दूसरे मुल्कों में भी हैं, दूसरे प्रान्तों में भी हैं। वहां किसान की, मजदूर की, आम नागरिक की कीमत पर सिर्फ 10–20–25 आदमी को रोजगार और न सिर्फ रोजगार बल्कि वह करोड़ों अरबों की सम्पत्ति के मालिक हुए पड़े हैं। आज राजस्थान की इन्दिरा गांधी कैनाल तो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है और तमाम जयपुर में आप....

श्री अध्यक्ष : आप अपील करते-करते फिर भाषण कर रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : मैं एक मिनट में खत्म ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हो गया है। There will be no end to it. आप अपील करते-करते बीच में और किसी....

श्री सम्पत सिंह : मैं जैसे ही खत्म करने पर लाता हूं अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है आप बड़े धुंआधार वक्ता हैं। इसलिए अपने पर कन्ट्रोल करिये। आप शुरू हुए तो शाम तक बोल सकते हैं। मुझे पता है।

श्री सम्पत सिंह : मैं यह बीमारी नहीं

(श्री सम्पत सिंह)

होने दूंगा अध्यक्ष महोदय, कि मैं कभी वक्ता बनूं। मैं तो यह छात्र के नाते निवेदन कर रहा हूं कि अगर संगमरमर की कोठियों में रहने की बजाय साधारण मकानों में रह लें तो कोई बात नहीं है लेकिन पर्यावरण की रक्षा हमको निश्चित रूप से करनी चाहिये और इस मामले में आपका संरक्षण, हमारी राजस्थान की सरकार का संरक्षण और फिर माननीय सदन का संरक्षण मैं चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। अब आप बैठिये। अब सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया है....(व्यवधान) मेरी बात तो सुन लें पहले। मैं जो कह रहा हूं, सुन तो लें आप कि एक दिन अलग रखना चाहिये। आज जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, उस दिन मैं उनको अलाऊ नहीं करूंगा। आप एक-दो मिनट में कुछ पूछ लीजियें। श्री यदुनाथ सिंह जी।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो चर्चा हो रही है, वह एक नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। यह विषय बहुत व्यापक है और इसमें बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह माहौल बनाया गया जहां अगर अरावली के इर्द-गिर्द 10 किलोमीटर दूर तक और जो नेशनल पार्क और सेंक्चुअरी हैं उनसे 25 किलोमीटर बाहर तक अगर प्रोटेक्टेड एरिया कर दियां गया तो राजस्थान में औद्योगिकरण खत्म हो जायेगा, राजस्थान में माइनिंग खत्म हो जायेगी। स्थिति यह नहीं है। आज सुबह प्रश्नकाल में एक प्रश्न था, पूरे सदन ने और आप स्वयं ने कितना उसको गम्भीरता से लिया और सरकार को यह कहा कि इसमें गम्भीरता से काम करें। लोगों का जीना सम्भव होगा कि नहीं होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दृष्टि से राजस्थान को बहुत लम्बे समय से हरा-भरा किया जाय, राजस्थान में, राजस्थान ही क्या अरावली नोर्दन इण्डिया के लिए कितना महत्वपूर्ण पहाड़ है, यह इससे जाना जायेगा कि अरावली दो वाटर शैडों को अलग करती है और न सिर्फ राजस्थान बल्कि आधे से ज्यादा नोर्थन इण्डिया इस अरावली के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और जब अरावली बिल्कुल बरबाद होती नजर आई तो राजस्थान सरकार ने चिन्ता की और इसको किस प्रकार से हरा-भरा किया जाय, इसकी योजना बनाई। हमने केन्द्रीय सहायता लेने में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है और इसमें हमको अगले वित्तीय वर्ष में बहुत बड़ी एड भी मिली है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि हम अरावली को हरा-भरा करें या छोटी-छोटी माइनिंग के नाम पर पूरी मानव जाति, जीव-जन्तु, समाप्त हो जाय, ऐसी व्यवस्था करें। मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा तो यह करता था क्योंकि वे विभाग के मंत्री हैं, पर्यावरण के भी मंत्री हैं, वन्य जीव मंत्रालय के भी मंत्री हैं, वे इसमें कड़ा स्टेण्ड लें, इसमें अध्यक्ष महोदय, जो कुछ गतिविधियां बताई गयी हैं तीन शिड्यूलों में आपने पढ़ा होगा, इसमें कहीं नहीं है कि डवलपमेंट एक्टीविटीज नहीं होगी, डवलपमेंट एक्टीविटीज होंगी लेकिन उसमें एन्वायरमेंट विभाग से क्लियरेंस लेना आवश्यक है। आज संसार में ओजोन लेयर बरबाद

(श्री यदुनाथ सिंह)

हो रही है और सिस्टिकली यह बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और पूरा संसार चिन्तित है और अमेरिका ने तो बहुत बड़ा बजट इसके लिए रखा है इसलिए यह उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करें

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और पर्यावरण को बचा रहने दें और यह माहौल पैदा नहीं करें कि एन्वायरमेंट खत्म करने, बल्कि हमें लोगों में जागृति पैदा करनी चाहिये उल्टी। यह माहौल पैदा नहीं करें कि राजस्थान का विकास रुकने का काम हो।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान। हां, बोलिये। पहले प्रोफेसर केदार जी का लिखित में आया हुआ है। अच्छा, पहले आप जल्दी बोल लीजिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, अभी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य, इन दोनों सदस्यों ने इस नोटिफिकेशन के पीछे.......

श्री अध्यक्ष : ऐसा है वह भरतपुर की बात कर रहे हैं, वह अलवर की बात कर रहे हैं, आप झुन्झुनूं की करिये।

डा. चन्द्रभान : झुन्झुनूं में भी अरावली है।

श्री अध्यक्ष : अरावली भरतपुर में नहीं है इसलिए वह कह रहे हैं नहीं होना चाहिये। उनके यहां है इसलिए होना चाहिये। आप अपनी बोलिये।

डा. चन्द्रभान : इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है और केन्द्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, आप दोनों सदस्यों का कहना था कि इसमें विदेशी संस्थाएं हैं उनसे भारत में कोई संस्था कार्य कर रही है। उनका मिला-जुला षड्यंत्र है। एक तरुण समाज के नाम की संस्था का माननीय जगमालसिंह जी ने जिसकी चर्चा बहुत विस्तार से की। मैं एक तो वन मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यह संस्था कितने समय से राजस्थान में कार्यरत है और बड़ी संस्था है जिसको करोड़ों अरबों का अनुदान मिलता है और जो सुप्रीम कोर्ट को मैनुपुलेट कर लेते हैं और भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को प्रभावित कर रहे हैं क्या माननीय सदस्य ने अभी आपके समक्ष कोई शिकायत की और क्या अब आप इसकी जांच करायेंगे और इस संस्था के खिलाफ भारत सरकार को लिखेंगे? भारत सरकार की वन और पर्यावरण के रक्षा के सम्बन्ध में क्या नीति है और राजस्थान सरकार क्या उससे अपनी असहमति व्यक्त करती है? नम्बर दो, अरावली के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अरावली हरी-भरी होगी, राजस्थान की मानसून की निश्चितता होगी जिससे मेरे जिले में भी लोगों को थोड़ा सन्तोष होगा और मैं यह किसानों के पक्ष का कार्यक्रम है, यह किसान विरोधी कार्यक्रम नहीं है, यह इकोलोजी बैलेंस का सवाल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जीव-जन्तु और पशु और इन्सान कोई नहीं रहेगा तो फिर आप किस बात का औद्योगिकी विकास करना चाहेंगे? नम्बर तीन, मैं मंत्री

(डा. चन्द्रभान)

महोदय से पूछना चाहूंगा कि किन-किन लोगों को इस क्षेत्र में जिसकी चर्चा की गई है अलवर में और क्या उन ही लोगों को जो कि माइन्स के क्षेत्र में जिनका कहना चाहिये माफिया है, जिनका वर्चस्व है, क्या उन्हें कोई खान अलाट की गई है या कोई उन्हें रद्द कर दी गई है। ये मेरे तीन महत्व-पूर्ण सवाल हैं जिनका मैं आपके माध्यम से जवाब चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदार नाथ शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण की भाषा पढ़ी और माननीय मंत्रीजी का जवाब भी पढ़ा, आखिर में आपरेशनल पार्ट मंत्रीजी का, कि जो मुद्दे उठाये गये हैं ध्यानाकर्षण में, उन्हें राजस्थान सरकार एग्री नहीं करती और जो जवाब है उनका कि जो नोटिफिकेशन हमें मिला है सेन्टर से, इसमें नम्बर एक, दो, तीन, चार हमारे ये एतराज हैं, फिर दोनों में क्या फर्क रहा। क्या फर्क रहा इसलिए माननीय मंत्री महोदय को अपना स्टेटमेंट सुधारना चाहिये कि जो बेसिक मुद्दे उठाये गये हैं नोटिफिकेशन के खिलाफ, माननीय सदस्य ने राजस्थान सरकार इन्टोटो मानती है अध्यक्ष महोदय, यह नोटिफिकेशन के बाद 60 दिन का टाइम दिया, आब्जेक्शन दिये, दूसरे आब्जेक्शन अब देने जा रहे हैं। आपकी हीयरिंग होगी और हीयरिंग के बाद अगर आपके आब्जेक्शन रूल आउट कर देते हैं तो यह एक्ट का पार्ट बन जायेगा, फिर मेण्डेटरी प्रोविजन होंगे, इसलिए उसको सावचेत होकर मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि अभी आपकी कांफ्रेंस हुई थी, आपके मुख्य मंत्री जी गये थे और आप भी गये थे, क्या यह इश्यु आपके फारेस्ट ने, एन्वायरमेंट विभाग ने मंत्रीजी सब इकट्ठे हुए थे, यह इश्यु आपने रेज किया या नहीं किया। जहां सेन्टर में आपको इस बारे में कान्फिडेंस में लेकर के नोटिफिकेशन के पहले किसी प्रकार से आपकी बात आपको कान्फिडेंस में लेने की कोशिश की या नहीं की। अध्यक्ष जी, इसके दो पार्ट हैं। माननीय सदस्यों के जो सेंटिमेंटल आस्पेक्ट्स हैं वह मानता हूं, इमोशनल आस्पेक्ट्स हैं मानता हूं लेकिन एक सवाल है अगर इस नोटिफिकेशन से हमारी रूरल लाइफ में जो हमें बेसिक अमेनिटीज मिलती आ रही है उसमें बाधा पड़ती है तो हम एतराज करें। वहां पर अगर पशु-धन के विकास पर वहां की रूरल लाइफ में कोई बाधा पड़ती है तो नोटिफिकेशन का आप एतराज करें। मिनरल बेस्ड जितने भी वह उद्योग-धन्धे करना चाहते हैं अपनी स्टेट की इनकम बढ़ाने के लिए और राज-स्थान की प्रोस्पेरिटी के लिए, फोरेन एक्स-चेंज के लिए तो हम इस नोटिफिकेशन का एतराज करें और इसका एतराज करेंगे। मगर अरावली जो भी आपने बात जापान से, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले करके की उसका हरियाली के लिए काम कर रहे हैं उसमें कोई किसी तरह की बाधा पड़ती हो तो उस नोटिफिकेशन को आप अस्वीकार करें। यह इसका आस्पेक्ट है। यहां पर यह भी सवाल आया अध्यक्ष जी कि आपने जब बाहर से एड ली है या एड लेने जा रहे हैं आप इसमें तो कोई शर्त तो नहीं मानी गई कि हम यह सारा एरिया रिजर्व एण्ड प्रोटेक्ट कर देंगे ताकि स्टेट की ऐटोनोमी, स्टेट का आपरेशन करने वाली है यहां पर विकास

(श्री केदारनाथ शर्मा)

के लिए, उसमें हम यह इम्पेडिमेंट्स पेश करें। अगर कोई बेसिक अण्डरस्टैंडिंग का सवाल है जापान से, वर्ल्ड बैंक से तो माननीय मन्त्री जी बता दें या कोई कण्डीशन्स इन-राईटिंग में हैं तो वह बता दें क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। माननीय सदस्यों ने एक सवाल पेश किया है कि वर्ल्ड बैंक के साथ-साथ कोई शर्त मानी गई है कि अलवर के इलाके में मिनरल बेस्ड जो ग्रोथ सेन्टर बनने जा रहा है, बहुत बड़ा इण्डिस्ट्रियल बेस बनने जा रहा है तो अमरीका की जो लाबी है वह इसके खिलाफ हैं वह नहीं चाहती कि राजस्थान या हरियाणा में इतना बड़ा सेन्टर बने। बहुत बड़ा एक अहम सवाल है। तो माननीय अध्यक्ष जी, हमारा बिल्कुल साफ सवाल है कि एनवायरमेंट के बारे में स्टेट गवर्नमेंट की पालिसी से कांकरीट लिस्ट में से, मतलब ये सारी चीजें नोटिफिकेशन के मार्फत नहीं आनी चाहिए थी, ये गाइड लाइन्स आ जाती, बैठकर बातचीत हो जाती, उनकी टीम आ जाती। स्टेट की एटोनोमी को ध्यान में रखते हुए इसका ऐसा इस्तेमाल हो सकता है कि सारे एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए, हरियाली कायम करने के लिए कोई बाधा पेश नहीं हो। मेरे ख्याल से यह सेन्ट्रल का प्रस्ताव होना चाहिए इसलिए यहां तक हमें इस नोटिफिकेशन से एतराज है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी, आप बोलना चाहती हैं? फिर दुबारा नहीं बोलेंगी। अच्छा बोलिए। जल्दी समाप्त करिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, भविष्य पर किसका अधिकार है? अध्यक्ष महोदय, अरावली में सिरोही जिला भी सम्मिलित है और आबू जो है....

श्री अध्यक्ष : नोटिफिकेशन देख लिया है आपने? नोटिफिकेशन पढ़ा है कि नहीं? (व्यवधान) तो फिर बैठिये आप। पहले पढ़िए।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं साहब, अरावली....

श्री अध्यक्ष : अब मत बोलिए। पढ़िये इसको।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा प्रश्न इससे रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। मैं खड़ा हूं, आप बैठिए। देखिए, प्रश्न बहुत गम्भीर है और इसकी बिना जानकारी के, बिना उसकी पूरी जांच किए, दोनों का संतुलन बैठाना पड़ेगा कि हमारा खनिज भी चलता रहे और हमारा पर्यावरण भी सुधरे। आप किसी एक तरफ झुक नहीं सकते। कुछ लोगों का इंटरेस्ट यदि जन सामान्य के लिए सेक्रिफाइस होता है तो करना पड़ता है। कुल मिला करके पूरे राजस्थान की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए जब तक आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे नहीं, उसके क्या प्रभाव हैं इसको जानकारी नहीं है और आप यहां भाषण दे रहे हैं। इसलिए इस विषय में वह जो आपका सुझाव आया है कि एक दिन पूरा होगा उसमें आप नोटिफिकेशन पढ़िए, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को जारी किया है वह पढ़िए, जो गवर्नमेंट व्यू है वह देखिए और देख करके फिर

(श्री अध्यक्ष)

अपनी राय आप देंगे हाउस में तो सबस्टेंशल बहस होगी वरना मेरे ख्याल से इस बहस के चलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसको समाप्त करता हूं।

समिति का निर्वाचन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन की घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चारों वित्तीय समितियों अर्थात् जन-लेखा समिति 1992-93, राजकीय उपक्रम समिति 1992-93, प्राक्कलन समिति (क) 1992-93, तथा प्राक्कलन समिति (ख) 1992-93 के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर दिया गया है, जो इस प्रकार है :-

मनोनयन पत्र प्रस्तुत करना–13 मार्च, 1992 से 25 मार्च, 1992 तक (मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक)

मनोनयन पत्रों की जांच–27 मार्च, 1992 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे

मनोनयन वापस लेना–28 मार्च, 1992 के मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक

मतदान, यदि आवश्यक हो–30 मार्च, 1992 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक

मतपत्रों की गणना–30 मार्च, 1992 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे से।

अनुदान की मांग

मांग सं. 27 पेयजल एवं मांग सं. 29–नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

पेयजल योजना। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27, पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4 अरब 5 करोड़ 51 लाख 11 हजार तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 29।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25 करोड़ 20 लाख 54 हजार तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :–

श्री अमीन खां (शिव) :

1. बाड़मेर, जैसलमेर जिले की पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अचला राम (देसूरी) :

2. रानी स्टेशन, प्रतापगढ़ (निम्बाड़ा ग्राम पंचायत) नाडोल, खोड़, खैरवा के आस-पास की ढाणियों में पेयजल की गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

3. बाड़मेर जिले में पीने के पानी की भयंकर समस्या वाले ग्राम–तानूमान सिंह, सोलकीया, दुधाजा, गोरडीग्रा, लंगोकी ढाणी जो सारे नए राजस्व ग्राम हैं की योजनाएं शीघ्र स्वीकृत कराने की आवपर चर्चा के लिये।

4. बाड़मेर जिले की अनुसूचित जाति के नए राजस्व ग्राम–जुमे फकीर की बस्ती पादरिया व अनुसूचित जाति की बस्ती खोती-मौनी, पनेला, मापुरी, खुडानी, हरसानी में पीने का पानी की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. जिला जैसलमेर की योजना सांग्ड चैलक के ग्राम–नगराजा, डिण्डी, कपूरिया, हरमा, तोगा में 9-9 महीनों तक पानी न जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. जैसलमेर जिले की हालानियों की बस्ती, चावणों की बस्ती, सादकरों की बस्ती, अमरापुरा पोकरानियों की ढाणी, रहीम व चनणसिंह की ढाणी की पेयजल योजनाएं स्वीकृत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

7. राज्य में पेयजल की समस्या का समाधान हैण्ड पम्पों के स्थान पर नल योजनाओं से किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

8. सिरोही जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पेयजल संवर्धन एवं पेयजल योजनाओं की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

9. सवाई माधोपुर जिले में पीने के पानी की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) :

10. सपोटरा क्षेत्र के समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर)

11. सांचौर तहसील में गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर कई ढाणियों में पानी पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) :

12. प्रदेश में पेयजल योजनाओं के गलत संधारण से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

13. जिला बांसवाड़ा के गांव गढ़ा, नवलापाड़ा, राणाडी, लालपुरा, महेशपुरा में भयंकर पानी की समस्या का निवारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. बांसवाड़ा जिला के आदिवासी गांवों में पीने के पानी व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. बांसवाड़ा जिले में पेयजल व्यवस्था समुचित रूप से करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

16. जिला बांसवाड़ा के गांव आबापुरा में विस्थापितों को पीने का पानी उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

17. कुशलगढ़ क्षेत्र के नगर कुशलगढ़ छोटी सरवा, डुगरा छोटा, डुगरा बड़ा, सज्जनगढ़ व आश्रम स्कूल कसार बाड़ी में नल योजना के तहत पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. कुशलगढ़ क्षेत्र में हैण्ड पम्प द्वारा ग्रामीण आदिवासी इलाकों में पानी की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

19. ब्यावर शहर में पेयजल समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) :

20. विधान सभा क्षेत्र बाली के गांवों में अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़ी जाति के मोहल्लों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र बाली में जवाई बांध से लिफ्ट द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

22. ग्राम–बालेर मोरोज पेयजल योजना की स्वीकृति न करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

23. जिला पाली की खारची व देसूरी तहसील के गांवों के लिए गत वर्ष स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. मारवाड़ जंक्शन व देसूरी तहसील के ग्रामों व ढाणियों में पेयजल की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. मारवाड़ जंक्शन व देसूरी जल प्रदाय योजनाओं के नल कुओं का अलग विद्युत कनेक्शन कर ग्राम उपभोक्ताओं को समय पर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी) :

26. बाड़मेर जिले में भूमिगत स्रोतों के सर्वे के अभाव में खर्चीली जल-प्रदाय योजनाओं से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

27. बाड़मेर जिले में जोगासरिया स्रोत से सरली सांजटा सहित कई गांवों को जोड़ने वाली क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की क्रियान्विति में हो रहे अत्यधिक विलम्ब पर चर्चा के लिये।

28. बाड़मेर जिले के रावतसर, चवा, होड़ू, आडेल निम्बलकोट, सटणू सहित घनी आबादी के अनेक गांव क्षेत्रीय जलदाय योजना से जुड़े होने के बावजूद पीने के पानी के संकट से ग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. बाड़मेर जिले के दक्षिण खण्ड का मुख्यालय चोहटन में स्थानान्तरित करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) :

30. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के गांव गूदर व कल्याणपुर पेयजल योजनाओं के सुधार एवं विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के कटावाड़ा में पेयजल योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के गांव बडला में पेयजल योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के गांव भाणदा में पेयजल योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के बावलवाड़ा की पेयजल योजना के लिए नया नलकूप खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

35. भीलवाड़ा नगर में बढ़ती आबादी व बस्तियों के विस्तार को शहर की वर्षों पुरानी पाइप लाइनों को बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. भीलवाड़ा नगर में वाटर वर्क्स के फिल्टर प्लाण्ट की केपेसिटी व बढ़ती आबादी को देखते हुए बड़ा प्लाण्ट लगाने की योजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. भीलवाड़ा तहसील व जिले में लगे खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने तथा जो हैण्डपम्प कारगर न रहे उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के आटुण, आरजिया, बड़ा महुआ, दोशल, कांदा, सीदड़ीयास, गामोला ग्रामों की पेयजल योजना की पुनः समीक्षा कर स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मेगरोप, सुवाना, कोटू कोटा, हमीरगढ़, सुदेपा–बण का खेड़ा, ग्रामा को भीलवाड़ा जिले की रीजनल पेयजल योजना का विस्तार कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

40. प्रदेश की पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

41. बीछवाल जलाशय को बनाने हेतु तकनीकी स्वीकृति में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के कारण बीकानेर शहर में उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

42. बारां जिले के ग्राम सीसवाली, मिर्ज़ापुर एवं ग्राम टारड़ा (पंचायत समिति अन्ता) में पेयजल की समस्या के निवारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. बारां नगर की जीर्ण-शीर्ण पेयजल योजना में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल (राजसमन्द) :

44. प्रदेश में स्वीकृत पेयजल योजनाओं

(126)

(श्री शांतिलाल)

पर कार्य आरम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. फ्लोराइड युक्त पानी से रेलमगरा तहसील में बीमारियां फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. रेलमगरा तहसील में हिन्दुस्तान जिंक की खदानों के गहरे चले जाने से पानी के गिरते स्तर से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

47. रेलमगरा, कुरज, केल्वा एवं कुआंरिया की पेयजल योजनाओं का विस्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

48. लिथदिया-काणेचा में स्थित विभाग के कुएं सूख जाने से उत्पन्न पेयजल संकट का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. बाबरा (पाली) में बांध के पीछे विभाग के कुएं से पाइप लाइन को न जोड़ने से उत्पन्न जल संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. रास (पाली) के आस-पास ढाणियों बगतपुरा, कैरपुरा, चिकलसी, भीलदेवा में हैण्ड पम्प न खुदने से उत्पन्न जल संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. टुकड़ा-निम्बेड़ा खुर्द (जैतारण) में स्वीकृत जल योजना चालू न होने के कारण उत्पन्न जल संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. निमाज (पाली) से प्रतिदिन ब्यावर को पेयजल आपूर्ति के किये जाने से निमाज शहर में उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

53 नवतला-कालाथल बस्ती (पाटोदी) में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. बालोतरा कस्बे में 1990 की लूनी नदी में बाढ़ के कारण 2 मास से अधिक समय तक नगर के कनेक्शनधारियों को पेयजल नहीं उपलब्ध कराने एवं वसूल राशि वापिस नहीं लौटाने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

55. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के 5000 आबादी के ग्राम पाटोदी-कल्याणपुर, शोव, कोरणा इत्यादि में घरेलू पानी के कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56 बालोतरा कस्बे में नाली व नालियों के गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवर लाइन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. मांजीवाला (बालोतरा) में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) :

58. जोधपुर जिले में स्थित रणसी गांव योजना जो जोधपुर नगर को पानी उपलब्ध कराती है के द्वारा बीच के सम-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

स्याग्रस्त गांवों को पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. इन्दिरा गांधी नहर का कार्य धीमी गति से चलने से जोधपुर शहर में पानी की बढ़ती समस्या पर चर्चा के लिये।

60. ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध पुराने कुओं, खेलियों व पानी के हौज अधिग्रहण नहीं करने से उत्पन्न पेयजल संकट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) :

61. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह के गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) :

63. पंचायत-समिति खण्डेला के ग्राम लुहारवास में पेयजल समस्या को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. खण्डेला शहर में पेयजल की पुनर्गठन स्कीम स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. पंचायत समिति खण्डेला के 26 गांवों के लिए 88 लाख रुपये की डेढ़ साल पुरानी स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

66. प्रदेश की पेयजल योजनाएं समय पर शुरू न होने से लागत में हो रही बढ़ोतरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

67. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के आदिवासी व पहाड़ी क्षेत्र के गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. छबड़ा नगर में महादेवजी के मंदिर के ट्यूब वैल का पानी खराब होने के कारण अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के छीपाबड़ौद नगर में एक और ट्यूब वैल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में हैण्ड पम्प सुधारने का कार्य पंचायत समिति के स्थान पर जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जेलम, गोरधनपुरा, कोवडी, सेवनखेडी में नल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) :

72. डूंगरपुर जिले में पेयजल की अव्यवस्था से जनता में उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास) :

73. रूपवास विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु बोरिंग करवाकर समस्या का समाधान करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

74. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम शिवसिंहपुरा, दौलतपुरा, तलाव गांव में क्षेत्रीय पेयजल योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. पंचायत समिति लालसोट के गांवों के अधिकतर हैण्डपम्प खराब होने के कारण जनता को पेयजल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मडावरी की पेयजल टंकी खराब होने के कारण जनता को पीने का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न जन-आक्रोश पर चर्चा के लिये।

77. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम खेडला खुर्द में सभी हैंण्डपम्प खराब तथा बेकार होने के कारण उत्पन्न पेयजल का संकट पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) :

78. थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा)

79. जलदाय विभाग में पानी के पाईप नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. जल योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन न करने पर विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

81. डार्क जोन क्षेत्र में जल की विशेष व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. कॉपर प्रोजेक्ट को दिया जाने वाला पानी उदयपुरवाटी से न दिया जाकर साहबा योजना चूरू से दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

83. हिण्डौन में अनुसूचित जाति की बस्तियों में 6 इंच नयी पाईप लाईन डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

84. बून्दी जिले की नगरपालिका कापरेन की पेयजल योजना की हुड़को द्वारा स्वीकृति करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. बून्दी जिले के लाखेरी, कापरेन एवं केशवराय पाटन नगरों में वर्षों पुरानी एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं को जनसंख्या के अनुरूप नहीं बदले जाने उत्पन्न जन-समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

86. केशवराय पाटन क्षेत्र के रेबारपुरा गांव में लगातार दो वर्षों तक दूषित पानी से फेल रहे हैजा आदि एवं अन्य बीमारियों के बावजूद भी पेयजल समस्या का

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

समाधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. केशवराय पाटन क्षेत्र में खारे पानी के गांवों में मीठे पानी की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. केशवराय पाटन क्षेत्र में रही अरनेठा, घाटका वराना, झालाजी का वराना एवं बड़ाखेड़ा आदि पेयजल योजनाओं में सुधार कर क्षमतानुसार उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

89. ग्राम सोमलसर की हरिजनों व सारणों की ढाणियों को पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. बीकानेर जिले में खुदे हुए ट्यूब वैल चालू करने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. ग्राम हिमतसर, उतमामदेसर, जसरासर, बेरासर, बनिया आदि के हरिजन मोहल्लों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. बीकानेर जिले के जिन गांवों में पानी के हौद व टंकियां बनी हुयी हैं उन्हें पाइप लाइन से जोड़ा जाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. ग्राम झाड़ेली तहसील नोखा की क्षतिग्रस्त टंकी की मरम्मत कराने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :

94. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में जनता को पीने के लिए पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

95. बीकानेर जिले में जल हौज और विभिन्न योजनाओं में बनने वाली पशु खेलियों को पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एवं पार्क के विस्थापितों की आबाद ढाणियों एवं गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

97. लूणकरणसर में पिछले एक वर्ष से ग्राम जैतपुर, राणीसर, साबनिया, शेरपुरा, बालादेशर, गुसांईणा, खोखराणा, खिलेरिया, राजासर, भाटीपान, आडसर, मनोहरिया इत्यादि गांवों में नियमित एवं पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ग्रामीण क्षेत्र लूणकरणसर का अधिशाषी अभियन्ता, बीकानेर ने लूणकरणसर क्षेत्र में प्रत्येक स्कीम पर स्थानीय कर्मचारियों के स्थान पर बाहर के कर्मचारी पदस्थापित करने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

99. अटरू विधान सभा क्षेत्र में बामला, चरडाल में जल प्रदाय योजनायें चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

100. ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में वित्तीय प्रावधान की कमी पर चर्चा के लिये।

101. झुन्झुनूं जिले की पंचायत समिति चिड़ावा एवं सूरजगढ़ के गांवों की मंजूर शुदा पेयजल योजनाओं का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) :

102. सवाई माधोपुर तहसील के कस्बा भगवतगढ़ तथा तहसील बौंली मुख्यालय पर व्याप्त पेयजल संकट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. सवाई माधोपुर तहसील के गांव ओलवाड़ा, जढ़ाना, खाट जड़ावता, त्रिवोड़ी, रईका कल्ला, रईका खुर्द आदि गांवों में सर्वे करवाकर पेयजल योजना बनायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. सवाई माधोपुर तहसील के चकेरी गांव की अधूरी पड़ी पेयजल स्कीम को पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. सवाई माधोपुर की तहसील नादोती, गंगापुर को पीने का पानी पांचना बांध से लिफ्ट सिस्टम से दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के ग्रामों की विचाराधीन पेयजल स्कीमों को स्वीकृत करके पानी की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) :

107. हैण्ड पम्पों की मरम्मत हेतु ग्राम पंचायतों को अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों की मरम्मत का कार्य वर्ष में दो बार कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

109. दीगोद विधान सभा क्षेत्र में पशुओं की अत्याधिक संख्या है, पशुओं के पानी पीने के लिए ट्यूब वैल्स का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. दीगोद विधान सभा क्षेत्र में ग्राम बूढ़ावीत व कोटड़ादीप सिंह में टंकी का निर्माण कर नल योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर ग्राम मण्डावरा में पानी सप्लाई करने के लिए मण्डावरा नाले के पास ट्यूब वैल्स लगवाया जाकर पाइप लाइन से पानी सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

112. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैण्ड पम्प अभी तक नहीं खोदे जाने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

113. बलवन अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ (बून्दी) में ट्यूब वैल खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. पीपल्दा क्षेत्र के अयाना, लुहावद, तलाव, विनायका, वसूलिया, ककरावदा ठींपरी चम्बल, नीमोला में पेयजल योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

115. इटावा (कोटा) में पेयजल का उपखण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विभाग में पाइप की अनुपलब्धता से जलदाय योजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

117. प्रदेश के गांवों एवं शहरों में बसे अधिकृत क्षेत्रों में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं डालकर कृषि भूमि पर बसे क्षेत्रों में अवैध रूप से लाखों रुपये की पाइप लाइन डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. तहसील राजगढ़ (चूरू) के नगरपालिका क्षेत्र की सैनिक बस्ती में पीने के पानी की पाइप लाइन नहीं डालने से भूतपूर्व सैनिकों को हो रही समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. प्रदेश की विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं एवं क्षेत्रीय स्रोतों पर स्टेण्ड बाई मोटर के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. तहसील राजगढ़ जिला चूरू में पिछले 12 माह से आर.ओ. प्लाण्ट बन्द होने से जनता को पीने का पानी नहीं मिलने से होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

121. क्षेत्रीय जल प्रदाय गन्धेली-साहवा योजना का धीमी गति से कार्य चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

122. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सुजानगढ़ जिला चूरू की पुनर्गठित स्कीम को स्वीकृत न करने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

123. सब डिवीजन सुजानगढ़ जिला चूरू में नयी डीजल जीप नहीं देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

124. सब डिवीजन सुजानगढ़ जिला चूरू की समस्त पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सुजानगढ़ (चूरू) 32के.वी. सब ग्रिड स्टेशन से सीधी बिजली देकर सुजानगढ़ शहर व 40 गांवों के लोगों को पानी से लाभांवित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. सब डिवीजन सुजानगढ़ (चूरू) के जल स्रोत बीदासर से शहर छापर व उसके आस-पास के पच्चीस-तीस गांवों को जल सप्लाई कराने हेतु नयी पुनर्गठित योजना बनाकर समस्याग्रस्त गांवों को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) :

127. पंचायत नटाटा तथा नटाटा की ग्राम हांडी के बास, दरबानों की ढाणी, अजबगढ़ की चार ढाणियों, सीप का बास, ग्राम साइवाड़ हरिजन मौहल्ला, कोली मौहल्ला, प्राइमरी स्कूल के सामने हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :
श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) :

128. ग्राम नायला पंचायत जमवा रामगढ़ जिला जयपुर में पानी के अभाव में ग्राम लाम्बी डूंगरी, बाढ़ की ढाणी, कावरियों की ढाणी, ढाबी सालेकी, सरकी ढाणी, नया बास, ग्राम ढाणी टांटुड़ा की में अविलम्ब हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

129. रामचन्द्र जी की चौकड़ी, चौकड़ी गंगापोल, चौकड़ी हवाले शहर गर्वी, मण्डी खटीकान, लक्ष्मीनारायणपुरी, मण्डी डाकोतान, बदनपुरा बास, बदनपुरा आदि क्षेत्र तथा शहर में अन्य सीमाओं में तथा भीतरी भाग में चौबीस घण्टे पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. बीसलपुर चम्बल योजना से वर्ष 1992-93 में योजनाबद्ध रूप से जयपुर लाया जाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

131. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में अकाल की वजह से व्याप्त पेयजल संकट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) :

132. पहाड़ी क्षेत्र व फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र की पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. प्रदेश में हैण्ड पम्पों की मेजर खराबी की दुरुस्ती करने एवं नये हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. प्रदेश में पेयजल योजनाओं का संधारण त्वरित गति से प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) :

135. किशनगढ़ शहर के लिये बीसलपुर योजना के तहत नसीराबाद से किशनगढ़ पाइप लाइन के टेस्टिंग की गति धीमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता) :

136. मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सुरपुरा को ग्राम जसवंतावाद की जल योजना से जोड़ने एवं ग्राम फालकी, वेदावड़ी, डोटोलाई, जोदडास कलां, सानगबासनी केठा, लाम्पोलाई, अरनियाला में तुरंत ट्यूब वैल खोदकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. नागौर जिले में गिरते जल स्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. डांगावास ग्राम के कुओं (ट्यूब वैलों) का पानी फ्लोराइडयुक्त होने से वहां के नागरिकों के जीवन पर पड़ रहे कुप्रभाव से बचाने हेतु तुरन्त वैकल्पिक योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. प्रदेश में लगातार भयंकर अकाल एवं कम वर्षा से कुओं का जल स्तर बहुत गहरा होने एवं अधिकांश कुए सूख जाने से उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामकरण)

140. नागौर जिले के सम्पूर्ण शहरों एवं गांवों में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने हेतु राजस्थान नहर से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

141. कोटपूतली क्षेत्र के कोटपूतली, प्रागपुरा, पावटा, बनेटी, नारेडा, भोनावास, बीठलोदा, सुजातनगर, भाकरी, पाछोडाला, मढ़ाराजनौता आदि ग्रामों में पाइपों की कमी व स्टेण्ड बाई मोटर न होने की वजह से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

142. कोटपूतली क्षेत्र के लिए स्वीकृत पेयजल योजना के लिये पाइप उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. कोटपूतली क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की हरिजन बस्ती के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराने से हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के अधीक्षण अभियन्ता व अधिशाषी अभियंता के भेजे आवश्यक प्रस्ताव को निरस्त कर क्षेत्र की जनता को पीने का पानी उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

145. कोटपूतली कस्बे की बड़ी योजना में विभाग की अकर्मण्यता की वजह से देरी होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :

146. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भीषण कमी को दूर करने हेतु कोई प्रभावकारी कदम न उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

147. कुम्हेर तहसील के ग्राम मांगरसोली, कुरबारा, रढ़ौटी में कई वर्षों से टंकी बनने के बाद भी उससे पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

148. जाटौली थून से तहसील कुम्हेर व डीग के सोलह ऐसे ग्रामों को जहां पानी का कोई स्रोत नहीं है, पेयजल योजना को स्वीकृति नहीं देने पर चर्चा के लिये।

149. धौलपुर, भरतपुर एवं अलवर जिले को चम्बल से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. बाणगंगा नदी से कुम्हेर व नदबई के ग्रामों की पेयजल योजना की स्वीकृति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सोमा (बागीडोरा) :

151. जिला बांसवाड़ा के गढ़ी तहसील में गांव पादड़ी, पाछिवड़ा, कोटड़ा, दवेला आदि गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

152. जिला बांसवाड़ा के गड़ी तहसील के गांवों को पेयजल सुविधा देने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

153. जिला बांसवाड़ा के गागड़ तलाई क्षेत्र में बिखरी हुई आबादी के गांवों में हैण्ड पम्पों की सुविधा उपलब्ध कराने व गागड़ तलाई कस्बे में नल योजना लागू

(श्री सोमा)

कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. जिला बांसवाड़ा में आनन्दपुरी में बिखरी हुई आबादी को हैण्ड पम्पों की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. जिला बांसवाड़ा के तहसील गढ़ी में बिखरी हुई आबादी वाले गांवों में हैण्ड पम्पों की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

156. राजस्थान में टी.एस.ए. योजनाओं का रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण सही रूप से नहीं होने के कारण ग्रामीण आंचल में पेयजल संकट पर उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

157. बांका पट्टी जलदाय योजना गच्छीपुरा जिला नागौर के अन्तर्गत बड़ी-बड़ी ढाणियों को जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. ग्राम वाजवास व पीलवा में नल योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. बनीवाला बेरा की ढाणी ग्राम नान्दोली मेड़तिया में मोटर पम्प स्थापित कराकर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी) :

160. बाड़मेर ज़िले में पेयजल की अपर्याप्त एवं अनियमित व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़)

161. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में पेयजल संकट को दूर करने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

162. अजमेर जिले में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विजयनगर (अजमेर) नगरपालिका क्षेत्र में पानी का पर्याप्त वितरण नहीं हो पाने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

164. अजमेर जिले के मसूदा पंचायत में पानी की गम्भीर समस्या के निवारण कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. बीसलपुर पेयजल योजना से ब्यावर को पर्याप्त पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. बीसलपुर योजना के कार्य को समय पर पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) :

167. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के विभिन्न गांवों में खारे पानी होने के कारण पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़) :

168. कुलथाना (तहसील प्रतापगढ़) में जलदाय योजना स्वीकृत कराने के बारे में चर्चा के लिये ।

169. असावला में जलदाय योजना स्वीकृत कराने के बारे में चर्चा के लिये ।

170. रायपुर (तहसील आनोद) में ट्यूब वैल द्वारा पीने के लिये पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. सुहागपुरा (तहसील प्रतापगढ़) में पेयजल हेतु ट्यूब वैल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

172 विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के विभिन्न मंजरे एवं ढाणियों में हैण्ड पम्प लगाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

173. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा खरीदी गई एल.एल.पी. रिग मशीनों की खरीद से हुए आर्थिक नुकसान एवं खरीद में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

174. जल स्तर नीचा चले जाने से सूख गये हैण्ड पम्पस के विषय में चर्चा के लिये ।

175. विधान सभा क्षेत्र महुआ में स्वीकृत योजनाओं को पूरा नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) :

176. जयपुर शहर में व्याप्त पेयजल संकट के स्थाई समाधान हेतु बीसलपुर योजना के प्रथम चरण में जयपुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में पेयजल के कनेक्शन न दिए जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

178. जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा निर्मित कालोनीज में विभाग द्वारा पानी के कनेक्शन न दिए जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

179. जयपुर शहर के मुख्य जल स्रोत रामगढ़ बांध के सूख जाने से उत्पन्न पेयजल संकट के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

180. जयपुर शहर के पेयजल संकट के निवारण हेतु हैण्ड पम्प लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीराम यादव (मंडावर) :

181. अलवर जिले के ग्राम हाड़ाहेड़ी अहीर बासना इत्यादि ग्रामों में खारा पानी होने के कारण इन ग्रामों में योजना बनाकर मीठा पानी सुलभ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

182. अलवर जिले की तहसील मंडावर के अनेक ग्रामों में पेयजल उपलब्ध न होने के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) :

183. हाबलाई, तोगावास, बड़ली, साली की ढाणी, बाला की ढाणी, डेण्डा की ढाणी, मुकनगढ़ (चाणोद), इन्दिरा

(श्री गुलाब सिंह)

कॉलोनी लापोद, वेनपुरा, केनपुरा में पेयजल शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. सुमेरपुर क्षेत्र के लिये आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट के निवारण हेतु 60 हैण्डपम्प की स्वीकृति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. बाबागांव-चाणोद जल प्रदाय योजना के शीघ्र क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब होने पर चर्चा के लिये।

186. हिंगोला जल प्रदाय योजना तथा राजपुरा-गोगरा जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं किये जाने के कारणों पर चर्चा के लिये।

187. तखतगढ़ पेयजल योजना की स्वीकृति देकर पेयजल उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

188. पिलानी निर्वाचन क्षेत्र की बूचियों की ढाणी, चौहानों की ढाणी, पारसनगर (किढवाना), रामरिख की ढाणी, बुडनियों का बास, ब्राह्मणों की ढाणी तन अडूका, स्वामी से ही काजी, काजी की ढाणी, मंगलाराम की ढाणी, जुहारपुरा, बिशनपुरा (केरपुरा), गाडोली, छापड़ा, घरडू की ढाणी तथा पंचायत समिति चिड़ावा के ग्राम श्योपुरा, कंवरपुरा, मामखासी, मालूपुरा की ढाणी खेमू की ढाणी इत्यादि ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

189. अलवर शहर में पुरानी बसी बस्तियों में पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. अलवर शहर में विभाग में माप दण्ड के अनुसार पानी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. अलवर में पुरानी पाइप लाइनें बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

192. विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) :

193. सूरतगढ़ मण्डी जिला गंगानगर में खारा पानी सप्लाई किये जाने के कारण मण्डी में फैली बीमारी पर चर्चा के लिये।

194. सूरतगढ़ तहसील (जिला गंगानगर) के सिगरासर, देइदासपुरा, हिन्दौर, मोकलसर गांवों में पीने के पानी के अभाव कारण गांव वासियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

195. घड़साना तहसील, अनूपगढ़ तहसील व श्री विजयनगर तहसील (जिला गंगानगर) में अधूरी पड़ी जलप्रदाय योजनाओं के कारण गांवों में पानी न मिलने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

196. नारू उन्मूलन योजनान्तर्गत लगे हैण्डपम्पों में अनेक घोटाले तथा स्वीकृत ग्रामों में हैण्डपम्प नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती कमला भील)

197. 1989 से सागवाड़ा क्षेत्र में स्वीकृत पनघट योजना तथा नल योजना आज तक पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

198. आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की विकट समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) :

199. आहोर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था एवं खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत न होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) :

200. बून्दी जिले में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए नये हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

201. झालावाड़ जिले के पचपहाड़ कस्बे तथा डग कस्बे में स्वीकृत नई टंकी को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. डग विधान सभा क्षेत्र के पचपहाड़ तथा डग कस्बे में पाइप लाइन तुरन्त बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में कई ग्रामों के खराब पड़े हैण्डपम्प तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी कस्बे में तथा आस-पास 25 हैण्डपम्पों की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. झालावाड़ जिले के पांचों विधान सभा क्षेत्रों में ग्रामीण आंचल का सर्वे कर ग्रामीण जनता को पानी उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) :

206. मकराना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सरनावड़ा, हनमानपुरा, छापरा, खारड़िया, कचोलिया, नून्दड़ा को स्थानीय जल प्रदाय योजना से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

207. नागौर जिले की बाकाण्ट्री जल प्रदाय योजना गच्छीपुरा का रि-सर्वे एवं मरम्मत नहीं करने से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाने पर चर्चा के लिये।

208. मकराना विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्रामों की हरिजन बस्तियों एवं मकराना कस्बे में स्थित हरिजन बस्तियों में पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में एवं कुचामन सिटी पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित ढाणियों में पानी नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।

210. मकराना पंचायत समिति एवं कुचामन सिटी में हैण्डपम्पों को हरिजन मोहल्लों व ढाणियों में खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :

211. जोधपुर नगर में पेयजल वितरण की समुचित व्यवस्था के लिये टंकियां

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

बनाकर पूर्ण दबाव से जल वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. जोधपुर शहर के रातानाड़ा, महामन्दिर, पावटा, बागर आदि क्षेत्रों में कई वर्षों से दिये जा रहे खारे पानी के स्थान पर फिल्टर किया हुआ मीठा पानी वितरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. जोधपुर लिफ्ट कैनाल के पम्प हाउस का निर्माण पम्प मोटर की डिजाइन की स्वीकृति एवं टेण्डर आदेश सम्बन्धी विषमता के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

214. महामन्दिर सीवरेज लाइन के कार्य स्वीकृत करने के बावजूद कार्य को शुरू करने में विलम्ब सम्बन्धी चर्चा के लिये।

215. जोधपुर में शुद्ध पानी की मांग के अनुसार उसकी क्षमता कम होने से शहर के विभिन्न तीन क्षेत्रों लालसागर, जसवन्तथड़ा, झालामण्ड जलाशयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हजारी लाल (खेतड़ी) :

216. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बूरका में पिछले 10 वर्ष से जलदाय योजना की स्वीकृति हो जाने के पश्चात् भी जल वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

217. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मोड़की में पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में क्रमश: पपुरना, प्रतापपुरा, गाडराटा, कालोटा, लपोदा, मानुता, चिरानी, सिहोड, बेसरड़ा इन गांवों की आबादी बड़ी-बड़ी ढाणियों में होने से हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में बाडलवास, शामला की योजनायें पूर्ण न होने से पीने के पानी की उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

220. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम देवता में खारा पानी होने से उत्पन्न पीने के पानी की समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

221. किशनगंज व शाहबाद में लगे हैण्डपम्प, जो 250 फीट की जगह 150 व 200 फीट ही खोदे जाने से जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. समरानियां से 12 गांव सहित आमखोह से शाहबाद तक स्वीकृत हुई क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना को प्रारम्भ करवाने हेतु चर्चा के लिये।

223. परानिया, थही, गोरधपुरा में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की स्वीकृति देवठी, समरानियां, रामगढ़ जलवाड़ा में पाइप लाइन स्वीकृति बाबत चर्चा के लिये।

224. किशनगंज शाहबाद में 150 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. कस्बा थाना क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जो एक प्राइवेट कूएं से डीजल पम्प

(श्री हेमराज मीणा)

द्वारा चलाई जाती है, उसमें पानी नहीं मिल पाने से एक ट्यूब वैल की स्वीकृति की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (रायसिंह नगर) :

226. चूरू तहसील के गांव लालासर, भामासी, पीथीसर, मुनीमजी की ढाणी बीनासर, आसलखेड़ी, सिरसली, जोड़ी, छाजुसर में ट्यूब वैल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. चूरू तहसील के ग्राम कड़वासर से भामासी, बुटीया, लालासर में पेयजल उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए।

228. चूरू उपखण्ड में 2 वर्ष से प्रस्तावित घंटेल सोमासी जल प्रदाय योजना को मंजूर नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

229. चूरू तहसील के ग्राम जिनवा आबादी 1981 में 2000 से अधिक थी झाटीया, खोंवासर, चलकोई, वणिराता, पीथीसर, धांघू, बुठीया, बीनासर में पी. एण्ड टी. योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230. चूरू तहसील के ग्राम दूधवाखारा, आसलखेड़ी, पीथीसर, घंटेल, बरडासर, लालासर, गिनड़ी, इन्दुपुरा, बाडकी, करणपुरा को गन्देली साहावा पेयजल योजना से जोड़े जाने पर चर्चा के लिए।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) :

231. सलूम्बर क्षेत्र के गांव बरोड़ा, थड़ा, बस्सी, इडाणा, गांवड़ापाल आदि स्थानों पर पेयजल योजना की स्वीकृति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

232 सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी स्कूल भवन के पास हैण्डपम्प नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

233. सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कई हैण्डपम्प खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

234. सलूम्बर में कई वर्षों बाद मीटर लगाने से हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

235. सराड़ी में कुंए का निर्माण नहीं होने के कारण पेयजल संकट पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :

236. सीकर शहर में वर्षों पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप को हटाकर नई पाइप डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम हरिपुरा, जुराठड़ा, शोरा-कालखेत, हात्याज, गुढाकला, गुढाखुर्द, पलासरा, सकराय, दौलतपुरा आदि क्षेत्रों में पेयजल की भीषण समस्या को देखते हुए ट्यूब वैल लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम श्यामगढ़ के ट्यूब वैल से गांव की टंकी को यथाशीघ्र जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

239. हैण्ड पम्प रिपेयर के काम को

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पंचायत से हटाकर विभाग से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) :

240. हैण्डपम्पों की मरम्मत व खराब पड़े हैण्डपम्प के स्थान पर दूसरे हैण्डपम्प लगाने के बारे में चर्चा के लिए।

241. बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की जागीर बांदीकुई पंचायत में उत्पन्न पेयजल की समस्या पर चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के पण्डितपुरा, पून्दरपाड़ा, नन्देरा, कोलाना, श्यालावास कलां, खुर्द में पानी की टंकी बनवाकर जल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

243. पंचायत समिति बांदीकुई के 2000 की आबादी के सभी गांवों में सामूहिक जल वितरण योजनायें बनाकर जनता को स्थाई तौर पर पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. नगरपालिका बांदीकुई में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए व पास की ग्राम पंचायतों को एक ही टंकी से जल वितरण के कारण उत्पन्न हुए पेयजल के संकट के निराकरण के लिए दो और टंकियों की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

245. हैंडपम्पों का संधारण पंचायत समितियों को देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

246. टौंक जिले में मल निकासी और सफाई कार्यक्रम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

247. ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं को समयबद्ध योजना बनाकर पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

248. शहरी जलपूर्ति योजनाओं पर समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कार्य पूर्ण कर लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. प्रस्तावित इसरदा बांध से जयपुर को पेयजल वितरण एवं टौंक जिले के घटते जल स्तर की समस्या के समाधान में विभाग की कार्य शिथिलता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) :

250. मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के खारे पानी के गांवों में कार्यरत डिसेलीनेशन एवं डिफ्लोरेशन प्लान्टों को ठीक से चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. झुन्झुनू जिले के मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के गांवों को इन्दिरा गांधी नहर की साहवा परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. झुन्झुनू जिले में वर्ष 1991–92 के मद में स्वीकृत पाइपों को तत्काल भिजवाने के बारे में चर्चा के लिये।

253. झुन्झुनू जिले में जी.एल.आर. की टंकियों को पानी के स्रोतों, विद्युतीकृत सार्वजनिक कुओं से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. चन्द्रभान)

254 झुन्झुनूं जिले की लूटटू जल प्रदाय योजना के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

255. भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के ग्राम दूदी तलाई भागरा, उदयपुरिया, भैरू जी का माल, जम्बूदीप का खेड़ा आदि पठार स्थित गांवों में लिफ्ट द्वारा पेयजल वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. बेगूं तहसील के मजरा ढाणियों में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

257. बेगूं तहसील के ग्राम केरपुरा, आंवलहेड़ा, रावंला, जावदा, नन्दवाई, पाछुन्दा, ठुकराई, चन्दाखेड़ी, बोराव, खातीखेड़ा, चेची रामपुरिया, नीमोदा में व्याप्त पेयजल संकट को दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

258. रावतभाटा और खाती खेड़ा की पेयजल योजना लागू करने में आ रही बाधाएं दूर करने व योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. चित्तौड़ जिले के हैण्डपम्पों की दुरुस्ती में सड़े गले पाइपों को बदलने और उनके स्थान पर नये पाइप लाइन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) :

260. जिला सीकर के तहसील फतेहपुर के ग्राम ठिमोली में मध्य मोहल्ले में पहले बन्द टी.एस एस. योजना को पुनः चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

261. जिला सीकर तहसील लछमनगढ़ के ग्राम चारजका बास, नांगल की ढाणी में पेयजल योजना लागू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

262. जिला सीकर तहसील फतेहपुर के ग्राम ढाणी चतरदास में पेयजल योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

263. सीकर जिले में तहसील फतेहपुर व लछमनगढ़ में स्वीकृत पेयजल योजना के बिल विभाग द्वारा भुगतान न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम गोविन्दपुरा हरदयालपुरा में पेयजल योजना शुरू न करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

265. गंगानगर जिले की हरिजन बस्तियों और छोटे चकों में पानी के कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

266. ए.सी. प्रेशर पाइप में हुए घोटाले एवं अनियमितताओं से पेयजल विभाग को हुए 8 करोड़ रुपये के नुकसान पर चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्रामीण क्षेत्र में फिल्टर इस्तेमाल न कर गन्दा पानी सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

268. संगरिया क्षेत्र के गांवों में 7 टी.के.डब्ल्यू., 30 के.एस.डी. मोरजंड खारी 4 एस.आर., जण्डवाला, जमीन सोहेवाला,

142

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पनीथली, जोगीगला इत्यादि में पानी की पूरी सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) :

269. गांव बोरदा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के श्री हीरा पिता धुलीया व शंकर पिता हरजी के मौहल्लों में हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. गांव चारना मुडवाडी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के मकानात मौहल्लों में हैण्डपम्प लगवाया जाकर पेयजल समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. गांव सेमलीया उप तहसील पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा के बस स्टेशन पर हैण्ड पम्प लगवाया जाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

272. गांव नरवाली तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में लगी नल योजना को पानी माही नदी द्वारा देने के स्थान पर नया नलकूप खोदकर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

273. गांव टामटिया पंचायत मुवासा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में चौराहे पर हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

274. अलवर जिले में पानी के गिरते स्तर के कारण पाताल तोड़ कुएं खोदकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. अलवर शहर को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. अलवर जिले के गांवों की हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलकूप खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के गांवों में हैण्डपम्प के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में पीने के पानी के संकट के निवारण के लिये बड़ी टंकी की योजना बनाकर पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) :

279. झुन्झुनूं विधान सभा क्षेत्र के अनेकों ग्रामों व कस्बा मण्डेला, बगड़ आदि में जलदाय विभाग के पेयजल आपूर्ति स्रोतों के काफी समय से खराब होने से क्षेत्रीय जनता को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

280. झुन्झुनूं शहर के मोहल्ला बटवालान, मोहल्ला खोरा, इन्द्रा कालोनी, हाउसिंग बोर्ड, मोहल्ला नायकान, मोहल्ला चेजारान आदि में भयंकर जल संकट से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

281. अजाडी कलां के ग्राम सेजों की ढाणी व ग्राम पंचायत देरवाला (झुन्झुनू) की हरिजन बस्ती हनुमानपुरा के कुऐं की मोटर के लम्बे समय से खराब होने के कारण ग्रामीण जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

282. झुन्झुनू जिले की ग्राम पंचायत देरवाला की मीणा बस्ती, चनाना की हरिजन बस्ती, इस्लामपुर, केहर्नपुरा, जयपहाड़ी, बीबासर, मुकाना, मूंडरो, बाकरा, बिशनपुरा आदि ग्रामों में टंकी/कुओं से जल कनेक्शन नहीं करने से लोगों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिए।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क):

283. जयपुर शहर में पेयजल समस्या हेतु और नये हैण्डपम्प लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

284. जयपुर शहर के बनीपार्क निर्वाचन क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में सार्वजनिक नल लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

285. जयपुर शहर में दोनों समय पानी पूरे दबाव से पर्याप्त समय तक उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया):

286. तहसील झाडोल के गांव बागपुरा की नल योजना के पूर्ण होने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिए।

287. कोटड़ा में बनी पुरानी नल योजना का पुनर्गठन किया जाकर समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

288. तहसील झाडोल व कोटडा के ग्रामीण इलाकों में हैण्डपम्प नहीं लगाने से ग्रामीणों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

289. झाडोल तहसील में कुछ गांवों की नल योजना स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिश्चन्द्र (नावां):

290. कुचामन शहर की 114 लाख की विचाराधीन पुनर्गठन योजना को शीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

291. नावां शहर की 43.40 लाख की पुनर्गठन विचाराधीन पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. ग्राम मारोठ की 49.95 लाख की पुनर्गठन विचाराधीन पेयजल योजना अजमेर को शीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

293. ग्राम कांकरिया नया ग्राम पेयजल स्कीम तहसील नावां की 9.97 लाख रुपये की पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. ग्राम सूरतपुरा–दौलतपुरा में नये राजस्व ग्राम को विचाराधीन पेयजल स्कीम को शीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) :

295. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों को विभाग की इजाजत से डिप्लोमा (मेकेनिक) उत्तीर्ण करने के उपरान्त भी कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्ति न प्रदान कर फोरमैन द्वितीय के पद पर नियुक्ति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (कपासन) :

296. ग्राम सांवली तहसील दूदू जिला जयपुर में विभाग द्वारा नलकूप खोदकर उससे सांवली ग्राम को पानी उपलब्ध न कराकर अन्य गांव बिहारीपुरा को पेयजल उपलब्ध कराने से उत्पन्न जन-आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

297. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

298. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में पुरानी सड़ी पाईप लाईनों को बदलकर नई पाईप लाइनें डालने के संबंध में चर्चा के लिये।

299. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में हनुमान जी की भाखरी पर जलाशय बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) :

300. नोहर क्षेत्र में पानी की लाइनों का रख-रखाव का ठीक ढंग से न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

301. नोहर विधान सभा क्षेत्र के हैण्डपम्प खराब होने से उत्पन्न पेयजल संकट का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र नोहर के 30 गांवों में पानी का भयंकर संकट होने के उपरान्त भी पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

303. कागड़ी कागाऊ क्षेत्र जोधपुर में टंकी का निर्माण व पाईप लाईन बिछाकर पेयजल समस्या का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

304. जोधपुर शहर की जीर्ण-शीर्ण पाईप लाईन को बदलकर नई पाईप लाईन डालकर नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना) :

305. जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र में दिये जा रहे खारा पानी के स्थान पर मीठा पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. जोधपुर नगर में सोजती गेट के पास अधूरी पड़ी सिवरेज लाईन को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :
श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना) :

307. जोधपुर में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लालसागर, रातानाड़ा, गजानन्द मन्दिर तथा जसवन्त थड़ा पर तीन फिल्टर हाऊस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणलाल (लसाडिया) :

308. गांव रेलमऊड़ी तहसील घरीयावद जिला उदयपुर में हैण्डपम्प की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी हैण्डपम्प लगाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

309. गांव सेवानगर तहसील धरीयावद जिला उदयपुर में हैण्डपम्प की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी हैण्डपम्प लगाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

310. गांव जवाहर नगर तहसील धरियावद जिला उदयपुर में हैण्डपम्प की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी हैण्डपम्प लगाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (उदयपुर ग्रामीण) :

311. गांव बीछड़ी (देबारी के बाहर) के आसपास के कुओं का पानी दूषित हो जाने के कारण पेयजल योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

312. उदयपुर नगर को पीने का पानी जयसमन्द से उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत योजना को अविलम्ब पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. उदयपुर नगर में कनवर्सन की नई कृषि भूमि पर बने मकानों की कालोनियों में पाइप लाइन न होने से नागरिकों को हो रही पानी की असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

314. उदयपुर नगर में पानी की सप्लाई की बिगड़ी व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

315. उदयपुर नगर के विस्तार के कारण नई बसी कालोनियों में पानी की पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

316. उदयपुर नगर के विस्तार के कारण उत्पन्न भयंकर पानी की समस्या के उपरान्त भी प्रस्तावित मानसी वाकल का कार्य चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

317. उदयपुर नगर में पड़ी हुई पुरानी छोटी लाइन के स्थान पर बढ़ती हुई आबादी के कारण बड़ी पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

318. उदयपुर नगर में पेयजल स्रोत तालाबों में गिरने वाले गन्दे नाले तथा तालाब में पैदा होने वाली जल कुम्भी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

319. उदयपुर नगर में पानी की टंकियां कम होने से पानी कम दबाव से प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

320. उदयपुर नगर की जनसंख्या के अनुसार फिल्टर प्लान्ट्स की क्षमता कम होने से बिना फिल्टर किया हुआ पानी सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

321. घूल्या खेड़ा के झौंपडे मजरा पीपल्या के आदिवासियों के लिए हैण्डपम्प स्थापित करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

322. खटकड़-खडीबारां क्षेत्रीय जल योजना का सर्वे करवाने तथा जल योजना लागू करने में सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

323. रायथल-ऐबरा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के लिए निर्मित कुएं को गहरा करने में विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिये।

324. बून्दी शहर के वार्ड संख्या 3 तथा 8 को नई बनी पानी की टंकी से पाइप लाइनों को जोड़ने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

325. गांधी ग्राम रोड पर आबाद बून्दी शहर की आबादी के लिए पर्याप्त दूरी तक पाइप लाइन बिछाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

326. झालावाड़ एवं झालरापाटन दोनों शहरों की विचाराधीन पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

327. झालरापाटन तहसील में ग्राम असनावर भीम सागर बांध के डूब में आने के कारण नई आबादी असनावर में फिल्टर प्लांट लगवाकर ग्रामवासियों को फिल्टर किया हुआ पानी सप्लाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश गांवों में लगाये गये खराब हैण्डपम्पों को पंचायत समिति के स्थान पर जलप्रदाय विभाग द्वारा सघन अभियान चलाकर ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. झालरापाटन तहसील के ग्राम खानपुरिया मोतीपुरा-समराई एवं उसके आस-पास के गांवों में पीने के पानी के संकट को दूर करने हेतु पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) :

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

330. मनोहरथाना जिला झालावाड़ में जल वितरण हेतु नई टंकी निर्माण करने के संबंध पर चर्चा के लिये।

331. तहसील अकलेरा अधिकांश हैण्डपम्प खराब हो गये हैं जिन्हें विभाग द्वारा सघन अभियान चलाकर ठीक करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) :

332. चौमूं क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं होने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

333. चौमूं क्षेत्र के ग्राम निवाणा एवं सिगरिया में पी. एन. टी. स्कीम के तहत टंकी निर्माण नहीं होने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

334. विभाग का जिला वृत्त कार्यालय जयपुर से शाहपुरा स्थानान्तरण से जयपुर आमेर, चौमूं क्षेत्र की जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) :

335. भिनाय निर्वाचन क्षेत्र की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

336. बीसलपुर योजना से भिनाय क्षेत्र के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

337. भिनाय निर्वाचन क्षेत्र के राजपुरा, शोकली व अन्य गांवों में दूषित पेयजल से कुबड़ापन व अन्य भयंकर बीमारियां होने के कारण पेयजल योजना बनाई जाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) :

338. किशनगढ़ क्षेत्र के बीती, तिल्यारी, भोगादीत गांवों में नल योजना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) :

339. स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत पहाड़िया सोसाइटी मोहब्बतपुरा रेणवाल फागी में अनुसूचित जाति के मोहल्लों व गांवों में पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

340. प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में पानी की स्कीमें स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

341. पेयजल योजना डाबिल दोसरा डीडावता, भांकरोटा, माधोराजपुरा को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

342. विधान सभा क्षेत्र फागी में प्रत्येक पंचायत स्तर पर पानी की स्कीम बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) :

343. अजमेर शहर में पुरानी जर्जर जल वितरण पाइप लाइनों को बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

344. अजमेर शहर की नव विकसित कालोनियों व कच्ची बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

345. अजमेर शहर को लगातार विगत 10 वर्ष से आवश्यकता के अनुसार काफी कम मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

346. बीसलपुर पेयजल योजना में पाइप लाइन फिल्टर प्लांट पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण कार्य पर धीमी गति से हो रहे कार्य के संबंध में चर्चा के लिये।

347. बीसलपुर पेयजल योजना में लगातार हो रहे विलम्ब से अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ की जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश भामनानी (अजमेर पश्चिम) :

348. बीसलपुर परियोजना को गति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

349. अजमेर में गर्मीयों में समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

350. अजमेर शहर में बीसलपुर योजना के अन्तर्गत पानी की पाइप लाइन के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

351. अजमेर शहर की अनुसूचित जाति की बस्तियों में पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (नीम का थाना) :

352. अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग नीम का थाना द्वारा कथित रूप से नियम विरुद्ध कार्य करने पर चर्चा के लिये।

353. नीम का थाना उपखण्ड में जलदाय विभाग की विद्युत मोटरों के मरम्मत कार्य में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

354. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग नीम का थाना में छोटे कार्य पर अधिक धन राशि खर्च कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

355. पंचायत समिति बस्सी व चाकसू जिला जयपुर के गांवों के लिए स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

356 ग्राम लूनियावास के लिए विचाराधीन पुनर्गठित पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

357. ग्राम सामभरिया, टेटड़ा, जटवाड़ा, कानोता, बगालपुरा, बांसखो ग्रामों के लिए विचाराधीन पेयजल योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

358. कस्बा बस्सी में आगामी गर्मीयों को मध्य नजर रखते हुए तीन जी.एल.आर. टंकिया बनाने का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

359. पंचायत समिति चाकसू में बन्द पड़ी पेयजल स्कीम को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री अमीन खां (शिव) :

1. बाड़मेर के महावीर नगर में अम्बेडकर कालोनी में अनुसूचित जाति व अन्य गरीबों के मकान गिराने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

2. सिरोही जिले की नगर पालिकाओं

(श्रीमती तारा भण्डारी)

की निष्क्रियता एवं विशेषकर आबूरोड नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) :

3. प्रदेश के नगरों के विकास के लिए नयी योजनाऐं बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :
श्री अमृतलाल परमार (बाली) :

4. शास्त्री नगर विस्तार योजना ब्यावर को अवाप्ति से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

5. प्रदेश के विभिन्न नगरों में कृषि भूमि पर बने मकानों का रूपान्तरण शुल्क जमा होने के बावजूद भी नियमित न करने व विकास शुल्क के बारे में निर्णय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा नियमानुसार आवंटित भूमि पर एड्यूकेशनल रिसर्च एशोसिएशन को महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के भवन के नक्शे गत दो वर्षों से स्वीकृत न करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

7. बीकानेर में रंगमंच, इण्डोर स्टेडियम एवं तरणताल बनाने की योजना न बनाने पर भी नगर विकास न्यास को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

8. बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा में स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे वितरण न करने तथा कच्ची बस्तियों के सुधार का कार्यक्रम लागू न करने पर भी नगर विकास न्यास को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

9. भीलवाड़ा नगर के उप नगरों की सड़कों पर डामरीकरण करने के अभाव में नगर सुधार न्यास को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

10. भीलवाड़ा नगर में बढ़ती आबादी व बस्तियों के विस्तार के अनुरूप नगर का मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. भीलवाड़ा शहर के बाहर बढ़ते ट्राफिक को देखते हुए रिंग रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. भीलवाड़ा नगर में डालडा मिल के पास से बने नाले के गन्दे पानी को सार्वजनिक तालाब में जाने से रोकते हुए योजनाबद्ध तरीकों से शहर के बाहर नहीं निकालने पर भी नगर सुधार न्यास को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

13. भीलवाड़ा नगर में सिवरेज बनाने की योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता) :

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

14. प्रदेश की नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

15. बालोतरा पालिका प्रशासन द्वारा रास्तों पर अनधिकृत कब्जों के हटाने से खाली स्थान पर नालियों एवं सड़क निर्माण में हो रहे विलम्ब पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

16. बालोतरा नगरपालिका के शीघ्र चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. वर्षों से सफाई का काम करने वाले बालोतरा नगरपालिका कर्मचारियों को स्थायी नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

18. आर्थिक दृष्टि से सक्षम बढ़ती आबादी एवं सटे हुए गांवों को मिलाकर बालोतरा नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

19. प्रदेश में विकास शुल्क की निश्चित दरें अभी तक भी तय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. छबड़ा नगरपालिका को विकास कार्यों हेतु कम राशि का प्रावधान करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) :

21. राज्य में सब्जी के विक्रय हेतु सब्जी मण्डियों के विकास एवं निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. टाऊन प्लानिंग एवं नगर विकास के लिये कृषि अधिगृहीत भूमि का उचित मुआवजा न देने पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) :

23. हिण्डौन शहर में नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जों की रोकथाम न किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

24. स्वायत्तशासी संस्थाओं में राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा एवं बेकलॉग पूरा न करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

25. लाखेरी, कापरेन एवं केशवराय-पाटन नगरपालिकाओं में नगरीय सड़कें न होने से जनता को हो रही भारी असुविधा पर भी विभाग को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

26. लाखेरी, कापरेन एवं केशवराय-पाटन नगरपालिका क्षेत्रों में रेन बसेरा एवं सुलभ शौचालय सुविधा न होने से जनता को हो रही असुविधा पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

27. प्रदेश की नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिये विशेष शौचालय नहीं बनवाये जाने पर भी नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (नोखा) :

28. बीकानेर व अन्य राज्य के बड़े शहरों में प्रादेशिक व नगर विकास कार्य करने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

29. जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा बढ़ाने हेतु किसानों की उपजाऊ भूमि का अन्धा-धुन्ध अधिग्रहण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) :

30. सांगोद नगरपालिका की दयनीय आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये दिये जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :
श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) :

31. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर निर्मित कालोनियों का नियमन करने हेतु अपेक्षित राशि प्राप्त करने के उपरान्त भी नियमन नहीं करने से उसको दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

32. जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों में कैम्प लगाकर 1971 से पूर्व से वर्तमान तक के रहने वाले निवासियों को पट्टे उपलब्ध कराने के लिये बस्तीअनुसार समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाये जाने पर भी इस हेतु दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

33. जयपुर नगर में जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली आवासीय बस्तियों में पानी, बिजली, सड़क कार्य आदि का समुचित प्रबंध न किये जाने पर भी इस हेतु दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. प्रदेश के सभी शहरों का मास्टर प्लान बनाकर उसके अनुरूप शहरों का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी लाल (भासीन्द) :

35. उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण कर भवनों के निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. बढ़ती आबादी एवं ग्रामीण-क्षेत्रों से लोगों का शहरों की ओर पलायन से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

37. जोधपुर नगर परिषद की सीमा में सुलभ काम्पलेक्स निर्माण एवं सूखे शौचालयों को सुलभ शौचालयों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. जोधपुर शहर की पुरानी नहरों की सफाई व मरम्मत नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

39. नगर परिषद जोधपुर द्वारा मैन होल कवर नहीं बदलने व पुरानी सीवर लाइन नहीं बदलने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. जोधपुर शहर का स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता) :

41. मेड़ता शहर के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए समुचित विकास हेतु मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

42. कोटपूतली तहसील में समुचित सफाई व्यवस्था के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

43. कोटपूतली क्षेत्र को अपेक्षित समुचित सुविधाओं से वंचित रहने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

44. किसानों से नगर सुधार न्यास द्वारा अधिग्रहीत भूमि का बाजार भाव से मूल्य नहीं देने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

45. भरतपुर में नगर सुधार न्यास द्वारा अन्य नगरों से बहुत अधिक 165 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से विकास शुल्क वसूल करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

46. नगरपालिका परबतसर जिला नागौर में किरायेदारों की दुकानों को सबलेट करने की कार्यवाही की पालिका द्वारा नहीं रोके जाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

47. राजस्थान में हरिजनों द्वारा मैला ढोने की प्रथा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

48. नेहरू मार्केट भीनमाल योजना में नीलामी से दुकानें विक्रय करके राशि लेने के उपरान्त भी उसकी सड़कें, नालियां, पेशाब घर आदि का निर्माण न कर सकने एवं गन्दे पानी के भराव के निकास व सफाई के अभाव पर दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

49. भीनमाल नगरपालिका सीमा में कच्ची बस्तियों की योजना बनाकर बसाने व नियमन न करने से पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50. भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों व अवैध निर्माणों को न रोकने पर भी पालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

51. भीनमाल नगरपालिका द्वारा गन्दे पानी के निकास के दो नालों का कार्य योजनाबद्ध व बिना पूर्व सर्वे के कराने से गन्दे पानी का निकास अवरुद्ध होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)।

52. नगर परिषद ब्यावर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

53. अजमेर नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण उत्पन्न समस्या का समाधान नहीं होने पर दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

54. नगरपालिका विजयनगर (अजमेर) में आवश्यकता से ज्यादा कर्मचारियों को कम नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

55. नगरपालिका विजयनगर (अजमेर) के क्षेत्र का विस्तार न होने से उत्पन्न समस्या का समाधान नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

56. नगरपालिका विजयनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी):

57. जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों में रह रहे लोगों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार):

58. जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में बसे परिवारों के 1981 के बाद सर्वे न किए जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

59. जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बने मकानों के नियमन न होने के कारण उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

60. जयपुर शहर में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित कालोनियों को मण्डल द्वारा हस्तान्तरित कर दिये जाने पर भी जहां सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

61. जयपुर के झालाणा गांव में समुचित विकास कार्य न होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

62. जयपुर शहर में निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या के दबाव को कम करने हेतु जयपुर शहर के आस-पास के कस्बों को उपनगरों में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर):

63. अलवर में अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा):

64. नगरपालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष द्वारा अस्पताल के एकदम पास में दुकानें निर्मित कराने से जनता तथा मरीजों को हो रही परेशानी पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

65. सागवाड़ा नगरपालिका ने धनराशि का दुरुपयोग कर आदिवासी हरिजनों के मोहल्लों, वार्डों में भेदभाव करने पर दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा):

66. बढ़ते हुए कस्बों के लिये मास्टर

(154)

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. राजस्थान की समस्त नगरपालिकाओं में चूंगी दर समान न होने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सुजानगढ़) :

68. नगरपालिका क्षेत्र सुजानगढ़ में बने ड्रेनेज के नालों की सफाई नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

69. सुजानगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की खस्ता सड़कों की आज तक मरम्मत नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

70. नगरपालिका सुजानगढ़ में खातेदारी भूमि या अन्य भूमियों की आवासीय भूमि के लिये रूपान्तरण करवाने हेतु फाइलें जमा होने के बावजूद भी आज तक रूपान्तरित नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

71. सुजानगढ़ शहर में भीड़ भरे स्थान में स्थित बस स्टैण्ड को अन्य स्थान पर स्थानान्तरण हेतु किसी भूमि को अवाप्त नहीं करने पर भी नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

72. सुजानगढ़ नगरपालिका के वार्ड नम्बर 3 में बने गन्दे पानी के हौज के लिये नालियों का निर्माण नहीं कराने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (रायसिंहनगर) :

73. चूरू जिला मुख्यालय में बागला स्कूल खेल मैदान पर पिछले 5 वर्ष से गन्दा पानी इकट्ठा रहने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

74. चूरू शहर की प्रस्तावित गन्दे पानी के निकासी की योजना पर हुडको के प्रस्ताव अनुसार गवर्नमेन्ट गारन्टी नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

75. चूरू नगरीय सीमा का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. चूरू शहर के वार्ड नम्बर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 29 में मुख्य मार्गों पर सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) :

77. सलूम्बर नगर में नगपालिका द्वारा कोई भी सार्वजनिक उद्यान नहीं बनाये जाने पर भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

78. सलूम्बर नगर की कच्ची बस्ती में सड़क का निर्माण नहीं कराने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

79. नगर सलूम्बर का मास्टर प्लान के अभाव में समुचित विकास नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :

80. सीकर शहर में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था न होने से मोहल्ला बुच्चाणी, कारीगरान, रामजी का मोहल्ला आदि क्षेत्रों में गन्दे पानी के भरे रहने से आये दिन होने वाली दुर्घटना व बीमारियों के फैलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. नगर परिषद सीकर में हरिजन कर्मचारियों की कमी के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

82. सीकर नगर परिषद में सचिव के नव सृजित पद की उपयोगिता न होते हुए भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

83. नगर परिषद सीकर को शहर के विकास हेतु (सड़क व नाली निर्माण, सीवरेज) हुडको से लोन की व्यवस्था के अभाव में दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) :

84. बांदीकुई शहर के वार्ड नं. 12 में इकट्ठे होने वाले गन्दे पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं होने पर भी नगरपालिका को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

85. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिये अवाप्ति की गई भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण करने एवं विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

86. जिला मुख्यालय नगर परिषद क्षेत्र टोंक के प्रति विभागीय उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये।

87. टोंक नगर परिषद क्षेत्र में व्याप्त घोर अव्यवस्था यथा-अन्धकार, गन्दगी अविकसित क्षेत्र आदि पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

88. टोंक नगर परिषद के चुनाव लम्बे समय तक नहीं कराये जाने से उत्पन्न समस्या एवं जन आक्रोश पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) :

89. शहरों के नियोजित एवं सर्वाङ्गीण विकास सम्बन्धी योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. झुन्झुनूं एवं सीकर जिले के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों एवं कस्बों का नियोजित विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का लाभकारी मूल्य नहीं दिलाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

92. शहरों में कच्ची बस्तियों व अवैध रूप में वर्षों से बसे हुए लोगों को पट्टे न

156

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दिये जाने पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

93. श्रीगंगानगर जिले की नगरपालिकाओं के क्षेत्र की सड़कों का विकास नहीं होने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

94. संगरिया नगरपालिका के भूतपूर्व चैयरमैन द्वारा किए गये भ्रष्टाचार व घोटालों की जांच नहीं कराने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

95. राजस्थान के बाकी बचे नगरों में यू.आई.टी. के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) :

96. झुन्झुनूं शहर के चौक शहीदान ईदगाह मार्ग व ग्राम नरहड़ के दरगाह मार्ग का समुचित विकास न करने पर भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

97. जयपुर शहर के तोपखाना हुजूरी, जालूपुरा, हसनपुरा चौकड़ी रामचन्द्रजी, चौकड़ी घाटगेट, खास बदनपुरा व चौकड़ी गंगापोल में सड़कों की दुर्दशा व लगातार हो रहे अतिक्रमणों से होने वाली असुविधा पर भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

98. झुन्झुनूं शहर में गलियों व नालियों की सुचारु व नियमित सफाई नहीं कराये जाने से लोगों को हो रही परेशानी पर नगरपालिका को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. झुन्झुनूं शहर की सड़कों की दयनीय स्थिति अर्थात् सड़कों पर आई मिट्टी नहीं हटाने व मरम्मत नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) :

100. आवासन मण्डल की जयपुर स्थित विभिन्न कालोनियों को नगर परिषद को हस्तान्तरित किए जाने के बाद भी टूटी सड़कों तथा बड़े-बड़े गड्डों को ठीक नहीं करने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

101 जयपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त जमीनों के घोटालों पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

102. सफाई व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु नगरपालिकाओं को अक्षमताओं पर दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :

103. जोधपुर नगर परिषद क्षेत्र में विस्तार के फलस्वरूप 33 ग्रामों के 40 हजार परिवारों द्वारा पूर्व में भवन बाड़े व लारों का गैर कृषि उपयोग में रहे भूखण्डों का पुरानी दरों पर नियमन न करने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

104. जोधपुर शहर के मास्टर प्लान

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

में ग्रीन बेल्ट के स्थान पर ग्रीन पेच बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना)

105. जोधपुर शहर के गन्दे पानी के निकासी के नालों को पक्का नहीं करने तथा सफाई की सुचारू व्यवस्था के अभाव पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

1. श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना)
2. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदार पुरा)

106. राजस्थान में नगर परिषद की चुंगी समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. राजस्थान में नगर परिषदों में स्वास्थ्य अधिकारी के पद अनुपयोगी होने पर भी परिषदों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

1. श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना)
2. श्री हजारी लाल (खेतड़ी)

108. जोधपुर नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध अप्रैल, 1990 में परिषद वाहन का निजी उपयोग व क्षति पहुंचाने के मामले में उचित कार्यवाही के अभाव में भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हजारीलाल (खेतड़ी)

109. जोधपुर नगर के बाहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का रूपान्तरण के बाद हजारों लोगों द्वारा विकास शुल्क जमा करवा दिए जाने के बाद भी भूस्वामियों को न्यास द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति जारी न करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

110. उदयपुर में बसी हुई सभी बस्तियों का विकास शुल्क जमा कराने के बाद भी विकास कार्य नहीं होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

111. उदयपुर नगर के मास्टर प्लान के अनुसार कार्य नहीं होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राम नारायण वर्मा (नैनवां)

112. नगर पालिका नैनवां में भूमि बेचान में हुए घोटालों की जांच नहीं कराने पर भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

113. नगर पालिका नैनवां द्वारा अनुसूचित जाति की आबादी के मोहल्लों की सफाई न किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

114. उपखंड मुख्यालय नैनवां की नगर पालिका में अग्निशमन उपकरण नहीं होने से क्षेत्र में अग्नि काण्डों से होने वाले नुकसान को रोकने में विभागीय विफलताओं पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

115. नगर पालिका नैनवा द्वारा अनुदान राशि का दुरूपयोग करने पर भी

(श्री रामनारायण वर्मा)

दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

116. नैनवां नगर पालिका के अध्यक्ष व बोर्ड के सदस्यों द्वारा चूंगी अदा नहीं करने के प्रकरण के जांच में विभागीय शिथिलता पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

117. झालावाड़ एवं झालरापाटन की दोनों नगरपालिकाओं को सम्मिलित कर नगर परिषद बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. झालरापाटन नगर पालिका को विशेष अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. झालावाड़ नगर पालिका को समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. झालावाड़ नगर पालिका द्वारा शहर में बनी सड़कों की मरम्मत न कराने पर भी दिये जाने अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

121. जयपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से आम जनता में हो रहे असन्तोष पर भी दिए जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

122. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौमूं नगर में सड़क, नालियों एवं विद्युत सम्बन्धी कार्यों पर समुचित राशि व्यय नहीं करने पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

123. चौमूं कस्बे की बढ़ती हुई आबादी के आधार पर मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)

124. अजमेर नगर सुधार न्यास की महत्वपूर्ण व्यवसायिक योजना को कोड़ियों के दाम पर आवासन मण्डल को हस्तान्तरित करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

125. अजमेर नगर परिषद में गृह-कर निर्धारण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

126. नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा पंचशील व हरिभाऊ उपाध्याय योजना पर धीमी गति से कार्य करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

127. नगर परिषद अजमेर द्वारा सफाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण न करने पर भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

128. अजमेर नगर विकास न्यास द्वारा काम काजी महिलाओं हेतु छात्रावास न खोलने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

129. भिनाय नगर पालिका क्षेत्र में

(श्री सांवर लाल)

सड़कों के अभाव से विकास अवरुद्ध होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

130. जयपुर के विकास के सम्बन्ध में नीति निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

131. नगर परिषद सीमा में जो भी ग्राम आये वहां आवश्यक समुचित जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

अनुदान की मांग संख्या 27 व 29 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : देखिए, मेरे पास जो सूची है उसमें 37 माननीय सदस्यों के नाम हैं। 3 बज रहे हैं, अब आप बोलते समय मैं समझता हूं कि 7 मिनट का यदि ध्यान रखे तो अधिक लोगों को समय मिलेगा।

श्री परसादी लाल मीणा : इसमें हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष : इसमें सब पार्टियों का है।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं हमने तो 6-7 मैम्बर्स के ही नाम दिए हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने जितना दिया है उन्होंने अधिक दिया है, मेरे पास तो 37 हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : हमारा टाइम उनको कैसे दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें टाइम फिक्स नहीं होता है। आप चाहते तो 10 दे देते मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आपने दिया है तो मैं क्या करूं, इसमें तो कोई टाइम फिक्स हुआ नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि 7 मिनट का तय रखिए। कोई अच्छा वक्ता होगा तो 3 मिनट ज्यादा बोल लेगा लेकिन फिर भी नियन्त्रण आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप कब तक रात को बैठेंगे क्योंकि मुझे पता है कि अन्त में बोलने वाले लोग परेशान हो जाते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बोल कर चले जाते हैं साहब।

श्री अध्यक्ष : अब वो लिस्ट बनी है उसमें 20-25 मिनट पहले स्पीकर वाला मामला इसमें लागू नहीं होगा। (व्यवधान) वो तो बोल लेंगे आपका जो कहना है। उसके अभ्यस्त हैं आप। इसके लिए मुझे बताना नहीं पड़ेगा। तो समय का ध्यान रखिए। श्री इन्द्रसिंह पूनिया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल पर मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे शब्दों से, या विचारों से न कोई सरकार को डिफेम करना चाहता हूं, न किसी अधिकारी को डिफेम करना चाहूंगा। मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे विचारों से इस पवित्र सदन के कोई माननीय सदस्य सहमत नहीं हो तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा व थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दें तो

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

मैं उस पाइन्ट पर चुप हो जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह विचार प्रकट करना चाहता हूं जो किसी पार्टी विशेष से नहीं है। मैं राजस्थान की जनता के सामने जो पेयजल की समस्या है उसके बारे में आपके माध्यम से इस पवित्र सदन को निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को इस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि थ्री-फोर्थ जो पीने का पानी है वह अण्डर ग्राउण्ड मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो अण्डर ग्राउण्ड पानी मिल रहा है यह बहुत दिनों तक मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी भविष्य में जब भी

(2.59 म.प.)

(श्री रघुबीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

राजस्थान में योजना बनायें तो कृपया यह ध्यान दें कि अण्डर ग्राउण्ड जो पानी ले रहे हैं इससे ज्यादा सरफेस वाटर लें चाहे वह कहीं भी, कौनसी नदी से, नहर से लेने की आप कोशिश करें। मैं आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में एक छोटा सा मसला बताऊं। शुरू में चांदगोठी एक योजना बनी थी और उसका पीने का पानी राजगढ़ के लिए शुरू हुआ था लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है वहां की कि 100-100 फीट तक पानी नीचे चला गया है, ट्यूब वैल में पानी सूख गया है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आने वाले समय में जो भी स्कीमें आप बनायें, चाहे कहीं से भी बनायें इंदिरा गांधी नहर से बनायें, चाहे यमुना से बनाये लेकिन सरफेस वाटर आये। तो उसमें आगे आने वाले समय में जनता को दिक्कत नहीं होगी।

माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा नागौर, चूरू, बीकानेर, झुन्झुनूं, सीकर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, पूरे राजस्थान में इस समय पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है इस बात को आप माने या न माने, मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूं। मैं घूमा हूं, मैंने देखा है। मैं माननीय सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां जो अण्डर ग्राउण्ड पीने का पानी विभाग जनता को मुहैया करवा रहा है....

मैं आपको सही बात कह रहा हूं। जनता बीमार हो रही है, पचास प्रतिशत दूषित पानी के पीने के कारण से। अगर मेरी बात से आप सहमत नहीं हैं तो आप इस पवित्र सदन की कमेटी का गठन कर दीजिए और जो पीने का पानी विभाग जनता को मुहैया करवा रहा है वह विभाग के मापदण्डों के अनुसार खरा है, इसकी जांच करवा लीजिए। मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं कोई डीफेम नहीं करना चाहता हूं लेकिन ऐसा गन्दा पीने का पानी मुहैया हो रहा है जिसमें कीड़े-मकोड़े हैं, खारा पानी है, फ्लोराइडयुक्त पानी है, मापदण्ड का कोई ध्यान नहीं रखता है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा विभाग के मन्त्रीजी से निवेदन है कि जो भी आप पीने का पानी

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

दें, उचित मापदण्ड के हिसाब से जो स्वच्छ जल है, वह आप कृपया सुलभ करायें। दूसरी बात मैं माननीय मंत्री श्री भंवरलाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने चारों प्रगति विवरणिका देखी हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, आंकड़े मैंने सब पढ़ लिये हैं, बजट मैंने आपका सुना है। यह 88-89 की विवरण पत्रिका मैंने पढ़ी, 89-90 की मैंने देखी, 90-91 और 91-92, मैंने चारों पत्रिकाओं को पढ़ा है, इनका अध्ययन किया है। यह दो प्रगति विवरणिका हैं यह कांग्रेस शासन के समय की है, शायद दो आपके शासन के समय की है, इनमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं कि यह कांग्रेस के टाइम में हुआ, यह जनता पार्टी के टाइम में हुआ, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन चारों में रंग में, पन्ने में कोई भेद नहीं है। दोनों शासनों के टाइम की एक जैसी है।

श्री हेमराज मीणा : मैटर में भेद है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैंने इनके एक-एक आंकड़े पढ़ लिये, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं जो समस्याएं हैं....(व्यवधान) आप बैठिये भाई। आपको मालूम नहीं है तो काहे को डिस्टर्ब करते हो। मेरी बात से सहमत नहीं हो तो वापस कर लेता हूं मैं।

श्री सभापति : कवर समान है अन्दर अन्तर होगा।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसी के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने यह पढ़ा कि साल इतने तक इतने गांव लाभांवित....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो साल से असत्य आंकड़े दिये जा रहे हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा– 1.1.89 तक 106 गांव चूरू जिले में अलाभान्वित दिखाये गये, 1.4.90 तक 62 गांव अलाभान्वित बताये, 1.1.92 तक 58 गांव, 1.1 91 तक 52। मैं इन प्रगति विवरणिकाओं को पढ़कर यह सोच रहा था कि शायद मेरा विधान सभा क्षेत्र भी जल्दी ही नजदीक आने वाला है और सब गांवों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन सभापति महोदय, जो आपने फरमाया कि इसके अन्दर कुछ और मिलेगा, मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन के माननीय सदस्यों से एक बात जानना चाहता हूं कि इसमें यह दिखाया है कि इतने गांव लाभान्वित कर दिये गये हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने गांवों को लाभान्वित किया है, लेकिन अब फिर आपके माध्यम से पवित्र सदन के माननीय सदस्यों से एक बात जानना चाहता हूं कि जितने गांवों को लाभान्वित बताया है क्या उन गांवों में विभाग के मापदण्डों के हिसाब से पानी जा रहा है? सभापति महोदय, सीकर जिले को कुल लाभान्वित होना बताया गया है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सीकर के माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, वह अपना हाथ खड़ा करके कह दें कि उनके गांवों को पीने का पानी मापदण्ड के हिसाब से सही मिल रहा है। इसलिए सभापतिजी, जितनी भी यह रिपोर्ट दी गई है सिर्फ कागजी है, वास्तविकता नहीं है। आज असेम्बली में एक

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

पूरा काम करने के लिए इतनी लाइट की आवश्यकता है और सभापति महोदय, इसमें एक ही लाइट रह जाय तो कह तो यह दें कि असेम्बली हाल में लाइट नहीं है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। उसी प्रकार से लाभान्वित करना अलग बात है, आपने पानी दे दिया, चार दिन चल पड़ा लेकिन मापदण्ड के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा है। जिन गांवों को सरकार ने लाभान्वित दिखाया है, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की कमेटी बना लें और वह जांच कर लें कि कमीशन गांव में, एक-एक गांव में दस-दस, बीस-बीस, तीस-तीस दिन तक पानी नहीं पहुंचता। अगर बीस-बीस दिन तक पानी नहीं पहुंचा है और सदन की कमेटी जांच कर लें, पानी पंहुचा हुआ पाये तो माननीय सभापति महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं, इस पवित्र सदन से मैं इस्तीफा दे दूंगा। जो मेरे क्षेत्र में घटित हो रहा है वह सारे राजस्थान में हो रहा है, यह मैं मानकर चलता हूं। यह माननीय सदस्य जानते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दस-दस, बीस-बीस रोज तक पानी नहीं पहुंचा उन गांवों में....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : ग्राम धानोटी बड़ी, सरदारपुरा, जाटाबास, मीठड़ी, खारिया, धांगणा, लुटाणा पूर्व लुटाणा राज, यह गांव कमीशन बताये गये लेकिन मन्त्री महोदय, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एक-एक महीने से आज भी बन्द पड़े हैं, आप किसी से जांच करवा लीजिए। सभापति महोदय, इसमें मैंने एक बात और पढ़ी है। चारों किताबों में है, यह नहीं कि इसमें है या उसमें है, इसमें लिखा हुआ है सभी के लिए स्वच्छ जल। माननीय मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में ऐसा दूषित पानी पीने का जनता को दे रहे हैं जहां के फिल्टर प्लांट बन्द पड़े हैं, डिग्गियों में कुत्ते मरे हुए पड़े हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा है और लोग वह पानी पीने को मजबूर हैं और अगर मेरी बात असत्य हो तो माननीय हेतरामजी यहां बैठे हैं गंगानगर जिले के, आप इनसे पूछ लीजिए, आप कमेटी बैठा दीजिए और जांच करवा लीजिए, गंगानगर की जनता को कितना दूषित पानी पीने को आप दे रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : सारे फिल्टर बन्द हैं, फिल्टरों का हाल तो बुरा है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसलिए माननीय सभापति महोदय, गंगानगर जिले में पीने का पानी सबसे ज्यादा लोग बचाते हैं लेकिन वहां के लोगों की हालत मैंने मेरी आंखों से देखी है, लोग रो रहे थे, पीने के लिए पानी नहीं, फिल्टर प्लांट उनके बन्द पड़े हैं, टंकियों में कचरा पड़ा है, यह मैंने मेरी आंखों से देखा है, कोई असत्य बात नहीं कह रहा हूं। आप जांच करवा लीजिए। इसलिए इसमें लिख देने मात्र से कुछ नहीं होता है, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल वह होगा सभापति महोदय, आप जनता को उपलब्ध करवायेंगे। इसी प्रकार से मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, मैं सदन में आज पहली बार बोल रहा हूं, मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं, किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, राज्य की जनता की समस्या रख रहा हूं। हमारे यहां चूरू, झुन्झुनूं नागौर, इन जिलों में आर. ओ. प्लांट

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

सरकार ने लगाये हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अगर छह-छह महीने, बारह-बारह महीने से ये आर. ओ. प्लांट चले हैं तो मैं फिर यह घोषणा करता हूं कि आप सदन की कमेटी से जांच करवा लीजिए और छोड़िये सदन की कमेटी, माननीय मन्त्रीजी पर मुझे भरोसा है, आप माननीय मन्त्रीजी, स्वयं इसकी जांच करा लीजिए, अगर मेरी बात में सत्यता हो तो जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करिये लेकिन माननीय मन्त्रीजी, कागजों में चलते हैं, मौके पर बन्द पड़े हैं। मेरे गांव में आर. ओ. प्लांट लगा हुआ है, मैं इस सदन का एक सदस्य हूं, बारह महीने से लगातार मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे गांव में बन्द पड़ा है। ए. ई.एन. या एक्स ई.एन. जो जायेगा वह उसको लिख देगा और भारत सरकार से पैसा उठा रहे हैं। इसलिये माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ मत करिये, इसको रूकवाइये आप। इसी प्रकार से मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं....

श्री सभापति : जल्दी करिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आज राजस्थान की जनता के सामने और अधिकारियों के सामने भी परेशानी है कि आप जब भी कोई योजना स्वीकृत करते हैं उस टाइम उसमें स्टेण्ड-बाई मोटरों का प्रावधान होता है लेकिन आप उनको उपलब्ध नहीं करवाते हैं और उसकी कमी के कारण से जब एक मोटर जल जायेगी, उस मोटर की रिप्लेस करने में आपको महीनों लग जाते हैं। इसलिए आपके माध्यम से यह निवेदन है कि....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : जब कभी भविष्य में आप इस प्रकार की योजनाएं तैयार करें, आप स्टेण्ड-बाई मोटर का प्रावधान करें। माननीय सभापति महोदय, मैं 5 मिनट का समय और लूंगा।

श्री सभापति : 5 मिनट नहीं। आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : चलो, बीच की बात हो गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां एक बात और निवेदन करना चाहूंगा माननीय मन्त्रीजी कृपया ध्यान दें। जो आपने अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों पर बैन लगाया है यह गलत भी है। दोनों पहलू हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब जब भी किसी योजना की स्वीकृति करें तो स्वीकृति के साथ ही साथ उसमें मजदूरों की संख्या भी निश्चित करें ताकि विभाग उसको काम में ले। आप योजना तो मंजूर कर देते हैं लेकिन मैनपावर याने मजदूर कर्मचारियों की संख्या निश्चित नहीं करते हैं इसलिए विभाग को परेशानी होती है क्योंकि उनका संधारण नहीं हो सकता। इसलिए कृपया इसका भी आप ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा आपके विभाग में पिछले तीन सालों से ऐसे अनयूजफुल सामान खरीदे गये हैं जो कि करोड़ों रुपयों के राजस्थान के विभिन्न खण्डों में पड़े हैं और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, माननीय मन्त्रीजी। मैं आपसे निवेदन करना

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

चाहूंगा कि आप इसकी जांच करायें। आप इसकी जांच करायें कि वह माल क्यों खरीदा गया, किसी अधिकारी के द्वारा खरीदा गया। आप उसके खिलाफ एक्शन लें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे सीकर खण्ड को ही लीजिए, सीकर खण्ड में कम से कम 3 लाख का सामान बेकार पड़ा है, किसी काम का नहीं है। झुन्झुनूं खण्ड को लीजिए एक लाख का सामान पड़ा है, नीम का थाना के खण्ड को लीजिए 2 लाख 12 हजार 16 रुपये का सामान पड़ा है। इसी प्रकार से....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कहते हैं सामान बेकार पड़ा है और हमको कहते हैं एक फुट पाइप नहीं है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : वह सामान क्यों खरीदा जाता है अनयूजफुल। आपको नालेज ही नहीं है तो मैं क्या करूं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य। दो मिनट में नहीं। अब बहुत हो गया है। 7 मिनट की जगह 13 मिनट हो गये हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसलिए माननीय मन्त्रीजी आप देखें कि यह अनयूजफुल माल क्यों खरीदा गया, किन के द्वारा खरीदा गया और क्या उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं।

इसी प्रकार से मैं माननीय मन्त्रीजी आपको सभापति महोदय के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा। हो सकता है आपके पास वित्तीय साधन नहीं हों लेकिन हर सरकार आपको पैसे दे रही है। आप उनको भी यूटीलाइज करने में सक्षम नहीं हैं तो यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं आपसे निवेदन करूं सभापति महोदय, सीकर में सन् 1986 से भारत से योजनायें प्रस्तावित होकर और पास होकर आई पड़ी हैं लेकिन आज तक आपकी राजस्थान सरकार से टेक्नीकल, फाइनेन्शल और तकनीकी स्वीकृतियां जारी नहीं हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मन्त्रीजी सन् 1986 में जिन योजनाओं की लागत थी आज उन योजनाओं की क्या लागत हो गयी है। कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है लेकिन आप उनकी तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय मन्त्रीजी जो यह पाइप राजस्थान में किसी कोने में किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लीजिए आपको एक इंच पाइप नहीं मिल रहा है। घंघेली-साहबा जो मेरे क्षेत्र के लिये जीवन-मरण का सवाल है सिर्फ 31 किलोमीटर, आज दो साल से वह बन्द पड़ा है। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि यह पाइप आपने क्यों नहीं खरीदा ?

श्री सभापति : समाप्त करें। धन्यवाद। अब आप बैठ जाइये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मैं एक बात मेरे क्षेत्र की कहना चाहूंगा। सिर्फ एक बात। माननीय मन्त्रीजी आप बहुत शील स्वभाव के हैं। मुझे तो आप ईमानदार लगते हैं लेकिन मुझे कुछ चर्चायें सुनने को मिली। मैं अभी कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं। अभी मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में गया था

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

तो मैंने वह आपको निवेदन भी किया और उच्च अधिकारियों को मालूम भी है। मैंने निवेदन किया सभापति महोदय, कि आपने यह पीने के पानी की पाइप लाइन खेतों में क्यों डलवा दी। तो मुझे कहा विधायकजी, पैसे दिये हैं। मैंने कहा किस को दिये भाई? कि साहब कार्यकर्ताओं द्वारा मन्त्रीजी तक पहुंचे हैं। मैंने उसी समय आपको डिफेम नहीं होने दिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं जंचती है—भंवरलाल जी ऐसा काम नहीं करेंगे। छोटी-छोटी रकम की तरफ ध्यान नहीं देते होंगे। ईमानदारी से कहता हूं मैंने कहा वह पैसे नहीं ले सकते। इसलिए आप जांच करवाइये कि वह पाइप लाइन नियमानुसार क्यों नहीं डली। कैसे डली। मैं माननीय मन्त्रीजी अगर आप जांच नहीं करवायेंगे तो मैं यह मानूंगा कि आपका कहीं न कहीं घोटाला है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप कृपया इन मुद्दों पर ध्यान दें।

श्री सभापति : धन्यवाद। बिराज जाइये। श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन के समक्ष पेयजल एवं नगर नियोजन की मांगों को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है और इसी सन्दर्भ में मैं अपने कुछ विचार मुख्यतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर जिले को दृष्टिगत रखते हुए सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जिस प्रकार समस्त भारतवर्ष में राजस्थान मध्यप्रदेश के पश्चात् क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नम्बर का राज्य आता है तथा समस्त भारत का दस प्रतिशत भू-भाग राजस्थान में है और उसकी तुलना में पेयजल के स्रोत मात्र एक प्रतिशत से भी कम हैं उसी प्रकार समस्त राजस्थान राज्य के तीसों जिलों में जैसलमेर जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है परन्तु जल के स्रोत लगभग नगण्य हैं। इससे आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस जिले में जल की समस्या कितनी विकट होगी। जिला सर्वथा उद्योगविहीन है, प्रकृति के प्रकोप से निरन्तर रूप से अकाल पड़ता है जिसके फलस्वरूप लगभग कृषिविहीन भी हो गया है। लोगों का जीवन-यापन और अर्थव्यवस्था का साधन मुख्यतः पशुधन पर आधारित हैं और समस्त जिले की मुख्यतया अर्थव्यवस्था पशुधन पर ही निर्भर है। अगर इस तथ्य को कहा जाये कि वास्तव में इस जिले में एक-एक बून्द पानी अमृत तुल्य है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, जल का संकट इस जिले में इतना गहन है कि कई ग्रामीण वालों में जल प्राप्त करना ही व्यक्ति के दैनिक जीवनचर्या का बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है और मुझे इस बात का खेद है कि पिछले 40 वर्षों में भी हम कम से कम पेयजल उपलब्ध नहीं करा सके हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी। परन्तु फिर भी माननीय सभापति महोदय, मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सराहना करूंगा कि इतनी जटिल समस्या के समाधान करने में और पेयजल संकट का निराकरण और निवारण करने के प्रयास में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस जिले में काफी कुछ काम भी हुआ है।

सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की इस घोषणा का स्वागत करता

(श्री जितेन्द्र सिंह)

हूं कि उन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लिए जो इन्दिरा गांधी के नाल परियोजना से लिफ्ट बनवाकर इस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने की जो घोषणा की वह निश्चित रूप से स्वागततुल्य है और मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इसका सर्वेक्षण समाप्त कराकर इस योजना को क्रियान्विति दे देगी जिससे समस्त क्षेत्र की जल समस्या का एक परमानेन्ट निराकरण हो सकेगा।

मैं माननीय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का भी आभारी हूं कि वह इस जल की समस्या के ऊपर संवेदनशील रहे हैं। जब जब भी मैं इस जल की समस्या को लेकर गया उन्होंने जिले की जल की विभिषिका को दृष्टिगत रखते हुए उसके शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करने का भी प्रयास किया और मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि अभी 13 फरवरी को जब उनका जैसलमेर पदार्पण हुआ तो जैसलमेर नगर को गजूपसागर योजना से, पेयजल सप्लाई कराने के लिए उन्होंने सवा दो करोड़ की धनराशि मन्जूर करके हम सबको अनुगृहीत किया। इस योजना से जैसलमेर नगर की जल समस्या का समाधान बहुत कुछ हो जायेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी आग्रह करूंगा कि जिस गति से पिछले वर्षों में इस योजना पर कार्य किया गया है उस गति में कोई शिथिलता नहीं आये और मैं आशा करता हूं कि यह विधान सभा का सत्र समाप्त होकर जब तक मैं जैसलमेर पहुंचूंगा गजूपसागर में जल आ जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय पेयजल कमिशन जो आपने स्थापित किया है उसके अन्तर्गत अभी तक केवल राजस्थान से तीन जिलों का चयन हुआ है जिसमें, जैसलमेर, नागौर चूरू को सम्मिलित किया गया है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वह अगले वित्तीय वर्ष में जैसलमेर का भी मिशन में चयन करवाये। इससे केन्द्र सरकार से अधिक धनराशि उपलब्ध होगी और इससे इस जिले की जल समस्या का निराकरण हो सकेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जिले में यह अत्यावश्यक है कि भू-जल स्रोतों का माइक्रो लेबल सर्वे करवाया जाय। सर्वेक्षण बहुत कुछ हो चुका है। जो भू-जल सर्वे की रिपोर्ट आयी हैं वे वस्तु स्थिति से बहुत परे हैं और अगर भू-जल स्रोतों का पता लग जाता है, उनको माइक्रो लेबल सर्वेक्षण हो जायेगा तो नलकूपों के द्वारा जिले की पेयजल समस्याओं को बहुत-कुछ राहत मिलने की सम्भावना है।

एक और सुझाव मेरा विभाग को है कि जो केन्द्र सरकार की त्वरित योजना कार्यक्रम है उसके अन्तर्गत मरुस्थलीय इलाकों को विशेष राशि का आवंटन किया जाता है तथा नो सोर्स विलेजेज या अभाव-विहीन पेयजल स्रोतों के जो ग्राम हैं उनके लिए भी विशेष आवंटन किया जाता है। इस जिले में 90-95 प्रतिशत गांव नो सोर्स विलेजेज हैं। सोर्स बिल्कुल नहीं हैं और इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक केन्द्र सरकार से अगर राशि -लेकर सरकार पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति करे तो

(श्री जितेन्द्र सिंह)

इससे पेयजल की समस्या के निराकरण को गतिशीलता प्रदान होगी । माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि

श्री सभापति : मेरे मार्फत ।

श्री जितेन्द्र सिंह : 5 मिनट और । जो 40 से 70 लीटर ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री जितेन्द्र सिंह : बिल्कुल मैं शीघ्रता से समाप्त करूंगा । माननीय सभापति महोदय, जो 40 से 70 लीटर की योजना पश्चिमी राजस्थान में लागू की गयी है उसमें शिथिलता बरती जाय और जैसलमेर में पशुधन बाहुल्य को देखते हुए इस नार्म में रिलेक्स दिया जाय । देखिये, क्योंकि इस जिले की अर्थ-व्यवस्था पशुओं पर आधारित है और पशुओं को जल प्रदान करने का उत्तर-दायित्व तो अपने पर भी है और कुछ अगर उनको प्रदान नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से पानी पिलाने का फर्ज तो अपना भी है । इसके अलावा मैं बहुत संक्षेप में कुछ विचार व्यक्त करूंगा । सर्व प्रथम तो मेरा निवेदन होगा कि जो मापदण्ड आपने अन्य राजस्थान के जिलों में लगाये हैं वह जैसलमेर में सार्थक नहीं है इस वक्त । जो सन् 1971 की जनसंख्या के आधार पर 5 हजार की आबादी के ऊपर डोमे-स्टिक कनेक्शन देने का प्रावधान है उसमें शिथिलता बरती जाय । सन् 91 की जनसंख्या में हजार या 15 सौ का ग्राम लिया जाय और जिन गांवों में पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति हो गयी है उनको एक डोमेस्टिक कनेक्शन प्रदान कर दिये जायं क्योंकि हमारे जिले में 5 हजार की आबादी के कोई ग्राम ही नहीं हैं । इसके अलावा मेरा निवेदन होगा कि....समय समाप्ति सूचक घण्टी ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें ।

श्री जितेन्द्र सिंह : अकाल को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक ट्यूबवैल खोदे जायं इससे अकाल की समस्या का भी निराकरण होगा । हैड वर्क्स का अधिक से अधिक विद्युतिकरण किया जाय । मेरा सौभाग्य है कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी भी यहां विराजे हुए हैं । पानी और बिजली का बहुत निकट का सम्बन्ध है । आप 11 से 33 के. वी. की लाइन कर देंगे, 33 को 132 के. वी. की लाइन कर देंगे, हैड वर्क्स को इलैक्ट्रिफाइड कर देंगे, पाइप लाइन लगा देंगे, जो इण्ट लगा देंगे परन्तु प्रकृति से आप नहीं झूझ सकते हैं । पश्चिमी राजस्थान में और उस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन ऋतु में भयंकर आंधी आती है । वायु का प्रवाह बहुत तीव्र गति से हो जाता है और 10-15 मिनट की आंधी में ही पोल्स गिर जाते हैं और सारी बिजली और पानी की व्यवस्था लड़खड़ा जाती है । माननीय ऊर्जा मंत्रीजी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बिल्कुल निकटवर्ति निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हैं और इस क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं ।

श्री सभापति : और संवेदनशील भी हैं ।

श्री जितेन्द्र सिंह : और संवेदनशील भी हैं। जब आंधियां आती हैं और हमारा आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के क्षेत्र से हम को जाना पड़ता है। और उसी ओर से जाना पड़ता है। तो मेरा उनसे निवेदन होगा कि इसको वे बड़ी गम्भीरता से लें। समय समाप्ति सूचक घण्टी। इस पर गम्भीरता से विचार करें।

रेगिस्तानी इलाकों में पोल्स को अधिक से अधिक सुदृढ़ करायें ताकि जो हम यह बाल्यकाल से देखते आ रहे हैं इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री सभापति - धन्यवाद। श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 29 का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आबादी के बाद 40 वर्षों में राजस्थान प्रदेश की जल समस्या और पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए 14 सौ करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं। इसके बाद भी राजस्थान के गांवों और शहरों की जनता प्यासी है। 40 वर्षों में इतनी भारी राशि खर्च करने के बाद भी जिस प्रकार की पेयजल की समस्या का समाधान होना चाहिए था, गांव, ढाणी और शहर में पानी मिलना चाहिए था, जितनी मांग थी आज वह मांग पूरी नहीं हो रही है। जिसके कारण दूर-दराज के गांव और ढाणी में और शहरों में भी आज जल का संकट है। पीने के पानी की मांग है। माननीय सभापतिजी, 40 वर्षों में इतनी भारी राशि खर्च हो जाने के बाद भी और अनेकों योजनायें बन जाने के बाद भी क्या कारण है कि आज राजस्थान की जनता बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है ? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज तक हमारी पेयजल योजनायें बनी हैं उसके विषय में पुनर्विचार करना चाहिए। आज यह स्थिति बन गयी है कि प्राकृतिक रूप से जो जल प्रवाह हो रहे थे, नदी और नालों में जो पानी बह रहा था, जगह-जगह एनीकट्स व बांध आदि बना दिये गये जिसके कारण नदी का जो प्रवाह था वह रुक गया और नदियां सूखी रहने लग गयी और साथ ही पानी दोहन के लिये स्थान-स्थान पर नलकूप लगा दिये गये। नलकूपों से जलदाय योजना जोड़ दी गयी जिसके कारण भू-जल का जो स्रोत था धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। जल सतह नीचे जा रही है। यह गम्भीर समस्या है। आज हमारे क्षणिक लाभ के लिए हम भू-स्रोतों में से जल निकाल रहे हैं। आने वाले समय के लिए कौन-सा जल बचेगा ? एक ओर नदियों में पानी नहीं आ रहा है और दूसरी ओर भूमि से जल स्रोत से हम पानी निकाल रहे हैं। पानी अधिक गहरा जा रहा है। मेरे पश्चिमी राजस्थान में जहां लूणी के आस-पास में जल स्तर जिसका 50 फुट था, 100 फुट था आज 300-300 फुट पानी नीचे जा चुका है। पानी की क्वालिटी खराब हो चुकी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पीने के लिए पानी नहीं है इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के गांवों के लिये इंदिरा गांधी केनाल से

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

गांव-गांव तक पानी पाइप लाइन से जोड़ने के लिए योजनायें बनाई जाय, जिससे हमारा जो भूमिगत पानी है वह सुरक्षित रह सके।

माननीय सभापति महोदय, आज इंदिरा गांधी केनाल से जोधपुर को पानी देने के लिए गत दो वर्षों में जिस प्रकार की प्राथमिकता दी गयी है मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस गर्मी को आते समय जोधपुर का जल संकट देखते हुए आपने आपात्‌-कालीन योजना बनाई और पिछले 6 वर्षों से जो योजना लटकी हुई थी जिसके आधार पर कार्य नहीं हो रहा था, 1984 को जिसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद 89 तक जिस योजना पर मात्र 12 करोड़ रुपए खर्च हुए और आपने 2 वर्षों में 46 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किये। जिसकी लाईनिंग का कार्य उस समय हुआ नहीं था और मिट्टी में 12 करोड़ रुपए दब गये थे उस योजना पर आपने 46 करोड़ रुपए खर्च कर के जिस प्रकार का ज़ीरो आर डी से लेकर 130 आर डी तक का काम आपने करवाया है इसके लिए माननीय मंत्रीजी, आप बधाई के पात्र हैं। विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो रेगिस्तान की तपती भूमि में काम कर रहे हैं उसका अभिनन्दन कर रहा हूं कि उन्होंने मेहनत करके जोधपुर की जनता को पानी पहुंचाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज एक बात की आवश्यकता है। पानी हमारी प्राकृतिक धरोहर है ...

श्री हेतराम बेनीवाल : पानी पहुंच रहा है क्या ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : पहुंच रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, जोधपुर में नागरिक अभिनन्दन करो।

श्री राजेन्द्र गहलोत : करेंगे, आपका भी करेंगे।

सभापति, आज पानी बचाने के लिये, पानी के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिये आपको और हमको, सबको विचार करना होगा। पानी प्राकृतिक धरोहर है, पानी अमूल्य है। इस बात का भी भाव आम जनता में पहुंचाना पड़ेगा। पानी के प्रति आपका और हमारा जो निर्दयता का व्यवहार है कि व्यर्थ में पानी हम गंवाते हैं, इसकी ओर भी आपको और हमको देखना होगा। आज इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, फिजूल पानी खर्च किया जा रहा है और जिस प्रकार की जलदाय योजना बनी है, जलदाय योजनाओं में आज 30 पर्सेण्ट पानी व्यर्थ में लीकेज़ हो रहा है उस पानी को रोकना चाहिये। 30 पर्सेण्ट पानी कम नहीं होता है। हमारी लापरवाही से 30 पर्सेण्ट पानी वेस्ट जा रहा है उसको भी रोकना चाहिये और जिस प्रकार की योजनाएं हमारे यहां बनी हुई हैं उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। पानी को रोकने के लिये पाठ्यक्रम लागू किया जाय, शिक्षा पाठ्यक्रम में बताया जाय कि पानी के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिये। आने वाले समय के लिये पानी सुरक्षित रहे प्राकृतिक जो हमारी धरोहर है उसको सुरक्षित रखें।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

माननीय सभापति महोदय, जल के बारे में मैंने जो मांग की है उसके साथ-साथ मैं आवासीय समस्या के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : एक निवेदन है, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा। माननीय सभापति महोदय, 1980 के अन्दर शहरों की मांग के अनुसार कृषि भूमियों का रूपान्तरण किया गया। कृषि भूमि रूपान्तरण के बाद यह मांग की गयी जिन कृषि भूमियों का रूपान्तरण कर दिया गया है, कन्वर्शन के पट्टे भी उपभोक्ताओं को दे दिये गये, भूखण्डों के पट्टे दे दिये गये उनको नियमित किया जाय, उनको अपने भवन बनाने की परमिशन दी जाय। मेरे जोधपुर के अन्दर कम से कम 30 हजार ऐसे भूखण्ड हैं उनका कन्वर्शन तो कर दिया है, उनको भूखण्ड तो मिल गये है लेकिन आज उनको परमिशन नहीं मिल रही है भवन बनाने की। इस तरह की तीन तरह की समस्या वहां उत्पन्न हो रही है। एक तो मास्टर प्लान के अन्दर जो भूखण्ड थे उन लोगों का नियमन कर दिया गया था। दूसरी एक समस्या आ रही है जो सरकारी भूमि थी उनका भी कृषि भूमि रूपान्तरण कर दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : यह किस विभाग से सम्बन्धित है ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह आवासीय समस्या है। विकास विभाग से है। आपको जानकारी नहीं हो तो आप पता कर लें।

इसके साथ-साथ आज समस्या इस प्रकार की उत्पन्न हो गयी है कि जिन लोगों ने भूखण्ड खरीदे हैं वह मजदूर है, कर्मचारी हैं और मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनको सिर्फ मकान बनाने की आवश्यकता है। आवासीय समस्या दिन-प्रतिदिन विकट होती जा रही है। हाउसिंग बोर्ड और अन्य एजेन्सी यह मांग पूरी नहीं कर सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक समस्या हमारे जोधपुर में 1962 से लटकी हुई पड़ी है। नगरपरिषद क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ उस समय 16 गांव वहां आ गये थे, सिवाय चक भूमि में वह 16 गांव थे, उन 16 गांवों में बाड़े बाड़ियां थीं, जो मकान बने हुए थे, जो कृषि भूमि के उपयोग में आ रही थी उनके पट्टे अभी तक नियमित नहीं हुए हैं उसके कारण वह गैर योजना के अन्दर, शहर के अन्दर रह रहे हैं। उनका नियमन करने के लिये काफी समय से मामला पेंडिंग है। माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कमेटी बनाकर शीघ्र निर्णय लें। एक समस्या और है।

श्री सभापति : समस्या अनन्त हैं। सब आज ही कह देंगे, बाकी दिनों के लिये भी रखेंगे ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट के लिये। जो राजस्थान से सम्बन्धित है, बहुत भयंकर समस्या है। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज बड़े-बड़े शहर बढ़ रहे हैं। शहरों के आस-पास किसानों की बस्तियां हैं। किसान वहां खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं और शहर की मांग पूरी करते हैं। मास्टर प्लान बनाते समय इस बात का

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

ध्यान नहीं दिया जाता कि ग्रीन बैल्ट छोड़ी जाय। उसके कारण जो किसानों की बस्तियां है, पिछड़े वर्गों की बस्तियां हैं, जो काश्तकार हैं, जो कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं परम्परागत काम करने वाले छोटी जाति के लोग हैं....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। संकेत रूप में नहीं कह कर सबके वर्णन कर रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : हाउसिंग बोर्ड और अन्य एजेन्सी उनको उजाड़ कर अपनी आवासीय बस्ती बना रही हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में इस प्रकार का संतुलन बनाया जाय जिससे कि पुरानी बस्तियां बस कर रह जायं और नयी बस्तियों का निर्माण और कर लिया जाय। एक निवेदन और....

श्री सभापति : अब कोई निवेदन आपका नहीं सुना जायेगा। बहुत निवेदन हो गये आपके। अब आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : छोटी नगर पालिकाओं को आपने भंग कर दिया है। उनके जो कर्मचारी थे उनको आज कोई भी नगरपालिका ग्रहण नहीं कर रही है। सब नगरपालिका लेने को इंकार कर रही हैं। वह कर्मचारी कहां जायगा ? उन कर्मचारियों को किसी न किसी तरह किसी न किसी नगरपालिका में रखा जाय।

आपने मेरी बात के लिये इतना समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : देखिये, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। 31 माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं आज। और यदि इसी प्रकार रही स्थिति तो 15 लोगों से ज्यादा नहीं लेंगे। इसलिये पांच मिनट में बैल बजेगी और बाकी के दो मिनट में आप समाप्त कर दें। आप मुझे सहयोग करें, यह आपसे निवेदन है। श्री मोतीलाल मीणा।

श्री मोतीलाल मीणा : सभापति महोदय, ठीक है, आपने मेरा नाम पुकारा, मुझे बोलना पड़ेगा।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, आपकी इच्छा नहीं हो तो रहने दीजिये।

श्री मोतीलाल मीणा : देश की आजादी के चंवालिस साल निकलने के बाद आज इस पवित्र सदन के अन्दर हम अपनी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह पेय-जल समस्या आज से ठीक 20 या 25 साल पहले हर जिले में कम्प्लीट हो जानी चाहिये थी। आज हम बहस करते हैं सड़कों पर और पहाड़ों को हरा भरा करने पर, अच्छे-अच्छे कालेज खोलने पर। अच्छा रहता है। फिर भी आपने मुझे मौका दिया पेयजल के ऊपर। महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से, सवाई माधोपुर जिला पूर्वी राजस्थान का एक अपना उद्घाटन जिला है। आज नहीं, पूर्व गवर्नमेंट टाल गयी उसको भी मैंने निवेदन किया, सवाई माधोपुर तहसील में नादौती और गंगापुर की जनता पानी से पीड़ित हो रही है। जबकि वहां पांचना बांध से पेयजल योजना बनाकर नादौती, बामनवास और गंगापुर तहसील के गांवों को पानी दिया जा सकता है। जबकि आपके एक ओर बीकानेर में सूरसागर नाम की जगह है,

(श्री मोतीलाल मीणा)

36 या 40 लाख, 37 लाख उसमें खर्च करके उसकी गन्दगी साफ करवा रहे हैं। और बाड़मेर और जैसलमेर जिले के लिये करोड़ों रुपयों की योजना बना डाली है। मैं आपसे निवेदन करूं, भंवरलालजी शर्मा साहब, आपके वचन बड़े मीठे हैं, आपसे हम बड़े प्रभावित हैं। क्योंकि आप जब भी बाम्बे पधारते हैं, सवाई माधोपुर की जनता आपका वहां स्वागत करने के लिये हमेशा तैयार रहती है। आपसे मैं पुन: निवेदन करूंगा कि इस बजट के अन्दर सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर इन जिलों में कहीं आपने नयी पेयजल योजना बनाने के लिये कुछ भी नहीं लिखा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, चम्बल, बनास और काली-सिंध नदियों से हमारे करौली, खण्डार, सवाई माधोपुर के जिन गांवों में हैण्डपम्प सफल नहीं हैं और कुएं वहां खोदे जा नहीं सकते, आराम से कम कीमत में, कम पैसों में, लिफ्ट योजना बनाइये और इन गांवों को पानी दीजिये। सभापति महोदय, जहां हमारे जिले में जल योजना पैंडिंग पड़ी हुई है, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव चकहेरी, श्यामपुरा, बहबेड़, कई बार इन दो योजनाओं का सर्वे हो चुका है चकहेरी और बहबेड़ का। अभी कुछ महीने पहले मुख्य मन्त्रीजी पधारे थे सवाई माधोपुर में, उन्होंने सभा में कहा था, बहबेड़ योजना स्वीकृत हो चुकी है, चकहेरी योजना स्वीकृत हो चुकी है। चकहेरी को जरूर कुण्डेरा स्कीम से टेम्प्रेरी पानी दिया जा रहा है। आयेगा गरमी का टाइम, दोनों गांवों में झगड़े होते हैं. हर साल आपके अधिकारी ए.ई.एन., जे ई एन., एक्स.ई.एन. वहां दंगे की नौबत लाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, जो बहबेड योजना अधूरी पड़ी हुई है, स्वीकृति के नाम से आपने कई बार कहा, उनको आप चालू करवायें। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

जयपुर उद्योग, सीमेंट फैक्ट्री जहां दस हजार की आबादी है, न तो धनी इनकी नगरपरिषद सवाई माधोपुर है, न ग्राम पंचायत है न कोई सरकार है। जयपुर उद्योग जो चार साल से बन्द पड़ा है, दस हजार की आबादी है, पानी की बड़ी समस्या है। वहां जिला कलक्टर कहते हैं कि यह हमारे अण्डर में नहीं आता है, नगरपरिषद कहती है कि हमारे अण्डर में नहीं आता है। आपसे निवेदन करूंगा कि जयपुर उद्योग की आबादी दस हजार है जो पानी से पीड़ित है, वहां विशेष आप पीने के पानी का इन्तजाम करें क्योंकि आपने अभी 22 तारीख को सवाई माधोपुर जिले के विधायकों, 9 एम एल एज को बुलाकर चीफ इन्जीनियर को, एडीशनल चीफ इन्जीनियर को बुलाकर यह लोभ दिया है कि 14 तारीख को सवाई माधोपुर में मीटिंग होगी। फिर आपने 21 तारीख को मीटिंग बुला दी। इस तरह मीठे-मीठे प्रलोभन देने से भंवरलालजी शर्मा, पार नहीं पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि यह जनता कभी बख्शने वाली नहीं है। आपका हमारा सम्बन्ध आज से नहीं है। सन् 1967 से है। 1967 में हम पढ़ते थे, आप कोर्ट में बकालात किया करते थे। आपसे हमारी उम्मीद है, उम्मीद थी कि आप राज में आयेंगे। आप राज में आ गये हैं, कांग्रेस ने तो कुछ किया, नहीं किया, आपसे हमारी उम्मीद है, आशा है कि जो आपकी 21 तारीख को मीटिंग हुई

(श्री मोतीलाल मीणा)

है और 14 को मीटिंग के लिए आपने तय किया था और 21 को बढ़ा दी गई है जिला सवाई माधोपुर के अन्दर आप स्वयं एडीशनल चीफ और चीफ को आदेश दें कि जो, जो आपने आश्वासन दिये हैं जकेरी, श्यामपुरा, जटवाड़ा इन योजनाओं में, इनके अलावा जटवाड़ा, नीन्दडदा, अजनोटी, मेनपुरा, बलोटा, बन्धा गांवों को पानी देने के लिए ...

श्री सभापति : लिखकर दे देना साहब ।

श्री मोतीलाल मीणा : इन योजनाओं को उसी बनास नदी से, जिस बनास नदी से चार या पांच लाख का कुआं बनाकर के पूरे शहर को पानी दिया जा रहा है। इसी तरह यहां कुए बनाकर के इन सबको पानी मिल सकता है। सभापति महोदय, आपसे मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि हमारा जो खण्डार एरिया है। वहां जो गांव है, डाग एस.टी., काश्तकारों एवं गूजरों के गांव हैं। न वहां हैण्ड पम्प है, न ट्यूब वैल है। कैलादेवी, मासलपुर मंडरायल, इन डाग एरिया के अन्दर आज से नहीं सदियों से पानी नहीं है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री मोतीलाल मीणा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना खर्चा आपने पश्चिमी राजस्थान में किया इसका 1/4 ही आंख मींच करके सवाई माधोपुर जिले में आप खर्च कर दें तो हमारी पानी की समस्या मिट सकती है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजपाल सिंह।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क): सभापति महोदय, आपके माध्यम से पहले तो मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में जो जयपुर विनाश प्राधिकरण था, उसको जयपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया। इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान की पेयजल समस्या के निदान के लिए रायसर प्लाजा....

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये। आपका नम्बर आ जाये तब बोल लेना। आप इधर देखिये। माननीय सदस्य आप चेयर की ओर देखिये।

श्री राजपालसिंह शेखावत : सभापति महोदय, अगर इंट्रप्शन रहेगा तो मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा और पांच मिनट का टाइम लूंगा।

श्री सभापति : पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। आप बोलिये।

श्री राजपालसिंह शेखावत : राजस्थान के अन्दर खासकर पेयजल की जो समस्या बनी हुई थी, उस समस्या के निदान के लिए सरकार ने जिस ढंग के प्रयास इन दो सालों में किये हैं, वह सराहनीय हैं। लेकिन जहां तक जयपुर का ताल्लुकात है, मैं कहना चाहता हूं कि हैण्ड पम्पों के लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरे इलाके के अन्दर और खास तौर से पूरे जयपुर के अन्दर कुछ ऐसे इलाके है, जिस इलाके के अन्दर कुएं हुआ करते थे। सोसाटियों ने प्लाट काट दिये थे। कुछ जमीन बारानी जमीन थी, प्लाट वहां भी कट गये। चाही

(श्री राजेन्द्रपालसिंह शेखावत)

जमीन के लोग तो अपने कुएं से काले रंग का पाइप डालकर पानी ले आते हैं, लेकिन जो कालोनी बारानी इलाके में बस गई, वहां जयपुर के अन्दर, इस शहर के अन्दर, इस कैपिटल के अन्दर आज भी लोगों को अपने घर से बाहर निकल कर डेढ़, दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। आज भी जयपुर के अन्दर डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में एक जबर्दस्त गेप है। बीसलपुर योजना की बात है. बीसलपुर योजना का पानी आयेगा 7, 8 साल बाद। जयपुर का आदमी बीसलपुर की परियोजना का इन्तजार करेगा। नियमितीकरण के नाम पर लोगों को पानी की सुविधा से महरूम रखा जाये, उनको मुहैय्या नहीं कराई जाये, एक लोक कल्याण के राज में और वही सरकार जो संवेदनशील होने की बात करती है, और है भी, इस बात को ठीक करना पड़ेगा। जब विद्युत इलाके के अन्दर विद्युत कनैक्शन देते समय यह बात नहीं आती कि नियमितीकरण हुआ या नहीं हुआ तो पानी की मौलिक सुविधा देने के लिए नियमितीकरण की बात कहां से आती है। मैं गुजारिश करूंगा कि नियमितीकरण का नाम लेकर के राजस्थान, जयपुर की जनता को पानी मुहैय्या ना कर सकने की स्थिति को ठीक किया जाना चाहिए। रामगढ़ का पानी सूखने से स्थिति जरूर गड़बड़ाई है। ट्यूबवेल्स का वाटर डिस्चार्ज भी कम हुआ है, लेकिन जो आगमेंटेशन थे, जो प्रपोजल गवर्नमेंट को दे रखा है, गवर्नमेंट ने तैयार कर रखा है, उस पर काम करने की आवश्यकता है, पुरजोर शक्ति के साथ, जहां तक विकास का ताल्लुकात है, जयपुर में जिस ढंग का विकास गये दो सालों में हुआ, यह अनुकरणीय विकास है। जयपुर में लगातार कांग्रेस हारती रही, जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा। राजनीतिक भेदभाव के कारण जयपुर के विकास को अवरुद्ध कर दिया गया। मंत्री महोदय, मैं आपको सभापति महोदय की मार्फत बधाई देना चाहता हूं कि जयपुर का गये दो साल में जिस तरह से विकास हुआ, जिस तरह सड़कों का निर्माण हुआ, जिस तरह अस्पताल बनाये, जिस तरह शौचालय बनाये गये, जिस तरह के इलेक्ट्रीफिकेशन के प्रोग्राम लिये गये, उन सबसे जयपुर के अन्दर तब्दीली आई है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि जो हाउसिंग प्राब्लम है, सोसायटी की जो प्राब्लम है, जमीन के नियमितीकरण का मुद्दा है, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जयपुर की जनता की परस्पेक्टिव हाउसिंग प्राब्लम को न समझने के कारण सोसायटीज का जन्म हुआ। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं और सोसायटी के जन्म होने के साथ प्लाट कटे, लोगों को आवास की सुविधाएं मिली। एक प्रश्न आया नियमितीकरण का, कांग्रेस सरकार ने रूपान्तरण के नाम पर 28 करोड़ रुपये लिये और खुर्द-बुर्द कर दी। विकास शुल्क की बात आ रही है और विकास शुल्क का नोटिफिकेशन भी आपने जारी किया, लेकिन खातेदार की जो जमीन थी, उस जमीन का अगर बेचान कर दिया सोसायटी ने प्लाट होल्डर्स को, तो उसको रेगुलाइज करने की बात की गई थी। अलसर में जो आती थी, सीलिंग में जो आती थी, सवाई चक जमीन को सोसायटी वाला अपनी बनाकर बेच गया, गोचर की जमीन को सोसायटी वाला अपनी बनाकर

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

बेच गया तो उपभोक्ता, प्लाट होल्डर्स के राइट के बारे में आपने क्या किया ? आपने जयपुर की जो समस्या पैदा हुई, उसका सोल्यूशन तो दिया, पर एक अधकचरा सोल्यूशन दिया। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि यह दिक्कत आई, मैं जानता हूं दिक्कत, अरबन की दिक्कत आती है, सीलिंग की दिक्कत है और जिस ढंग से आपने ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के अन्दर जो दिक्कत आ रही है, नियमितीकरण के लिए दिक्कत आ रही थी कि पांच रुपये के स्टाम्प पर लोगों ने अपने एग्रीमेंट टू सेल कराया और प्लाट बेच दिये और ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के अन्दर उनको बेचने का राइट नहीं था। जमीन आज भी खातेदार के पास में है। आपने उसको जिस ढंग से ठीक किया और नियमितीकरण की बात की, उसमें तो आप अरबन के मामले को भी ले सकते हैं। एक्वीजिशन का किसी के पास नोटिस चला गया और नोटिस जाने के बाद में एक्वीजिशन पूरा नहीं हुआ, प्लाट बेच दिये, जिनका एक्वीजिशन पूरा हो गया, इन सब केसेज को भी कांक्रीट ढंग से तैयार किया जा करके पूरा प्रपोजल ठीक किया जाना चाहिए।

बेरी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए था। इस बारे में जो कमियां रह गई हैं, जो लोग कवर नहीं हुए हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि फिर कल की तारीख में यह समस्या पैदा न हो, सोसायटीज के लिए। दूसरी बात यह आती है कि सोसायटीज की लैण्ड के अन्दर लोगों ने प्लाट परचेज कर लिये। जे.डी.ए. कहता है यह जमीन मेरी थी, मैंने तो एक्वायर कर ली, सीलिंग में आ रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जे.डी.ए. में एक आदमी को आने के लिए तीन बजे आना चाहिए। तीन बजे पास बनेगा। पास बनाने वाले से पूछा जायेगा किससे मिलना चाहते हो। लादूराम नाम का एक गरीब आदमी किससे मिलना चाहेगा ? कमीश्नर सेक्रेटरी तो मिलेंगे नहीं, बाकी कोई जानता नहीं। टेलीफोन पर पूछेगा लादूराम नाम का एक आदमी मिलना चाहता है, आपसे, उस लादूराम को मिलने की परमीशन नहीं मिलेगी। लादूराम जमीन खरीदना चाहता है, लादूराम 100 गज का प्लाट खरीदना चाहता है, वह एक कामन आदमी 100 गज के प्लाट में मकान बनाना चाहता है, उसे मालूम होना चाहिए कि जे.डी.ए. की जमीन पर जे.डी.ए. का हक तो नहीं बनता, सीलिंग वालों का हक तो नहीं बनता, अरबन में तो नहीं आती और आप प्लाट खरीदने के बाद में कहते हैं कि यह जमीन तो एक्वीजिशन में आ गई, यह जमीन तो अरबन में आती थी, यह जमीन तो सीलिंग में आती थी, इसका इलाज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण में वन विण्डो सिस्टम लागू किया जाये। जहां अरबन वालों का आदमी बैठे, सीलिंग वालों का आदमी बैठे, जे.डी.ए. वालों का आदमी बैठे, सोसायटीज से जमीन खरीदना चाहता है, कोई जमीन परचेज करना चाहता है कामन आदमी, उस कामन आदमी को ओपन विण्डो के अन्दर आने के बाद स्थिति बताई जाये कि इस जमीन पर सरकार का हक तो नहीं बनता, जे.डी.ए. का हक तो बनता नहीं है, हाउसिंग बोर्ड का हक तो नहीं बनता, यह एक्वीजिशन में तो नहीं है, एक्वायर तो नहीं हो गई है,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अलवर में तो नहीं आती है, जब तक यह चीज नहीं होगी, मैं खुद आपको बताऊं कि जयपुर डवलपमैण्ड आथोरिटी को कमीश्नर के नाम मैंने एक रजिस्टर्ड ए. डी. लैटर लिखा कि फलां-फलां प्लाट को मैं खरीदना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह सुझाव ठीक है। व्यवस्था कर देंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, इंट्रप्शन बीच में एक-दो मिनट का हुआ था, आपसे मोहलत मागूंगा। जे.डी.ए., नगर नियोजन जहां की परम्परा है, और इस स्लोगन के साथ में चलने वाला प्राधिकरण, लोगों की हाउसिंग प्राब्लम को सोल्व करने के लिए जब एक फ्रंट पर कांप्लेक्स में फेल हो जाता है। जयपुर जहां पर कामर्शियल लैण्ड खरीदने की पूरी कोशिश के बावजूद नहीं मिलती, क्या कारण है कि जयपुर विकास प्राधिकरण का कोई भी कांप्लेक्स शुरू नहीं हुआ। क्या कारण है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने कांप्लेक्स बनाने के नाम पर जनता के पैसे को बट्टे खाते लगा दिया। चाहे वह टोंक रोड के कांप्लेक्स की बात हो, चाहे वह राजापार्क के एयर कंडीशंड कांप्लेक्स की बात हो, क्या कारण है कि जे. डी. ए. के द्वारा प्रमोट किये गये किसी भी कामर्शियल कम्पलेक्स को, जयपुर जैसे शहर के अन्दर कामर्शियल कांप्लेक्स सक्सेस नहीं है। जे. डी. ए. को इस बात के लिए ध्यान देना चाहिये। रही बात आवासीय योजना की, नये वर्ष का तोहफा चित्रकूट दे रहे हैं। वर्ष तो नया हो गया मेरे ख्याल से, कौनसे वर्ष की बात कर रहे थे? यह नया वर्ष, आने वाले वर्ष की बात तो अलग है, चित्रकूट की कौनसी योजना थी, जो जनता के सामने रख दी गई? अजमेर रोड पर एक जमीन है. चित्रकूट बसायेंगे वहां पर। चित्रकूट योजना बनाई। जमीन किसकी? कहां है? कब एक्वायर कर ली। लैण्ड का कब्जा नहीं मिला। जिस जमीन पर आपका कब्जा नहीं था। जिस चित्रकूट योजना के लिए आप खुद कन्फ्यूजन के दायरे में फंसे हुये थे-उस चित्रकूट योजना को आपने पब्लिसाइज कर दिया। उस चित्रकूट योजना के नाम पर चित्रकूट के घाट पर भई सन्तन की भीड़, भीड़ सन्तों की इकट्ठी कर दी. तुलसी दास जी के कोई चन्दन नहीं है। जमीन का कब्जा नहीं, एक्वीजीशन पूरा नहीं और चित्रकूट के घाट पर भीड़ लगा दी आपने लोगों की। आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा विकास करना चाहते हैं? इस तरह से विकास नहीं होगा। आपको कंक्रीट प्रपोजल लाने पड़ेंगे, आपको दिमागी तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि कौन सी जमीन होगी। मैं चाहता हूं कि चित्रकूट जो योजना है, जब जे डी. ए. जमीन एक्वायर करें उसको डीमार्क करे, वहां बोर्ड लगाये और जरूरत हो तो अपनी चौकी भी वहां स्थापित करे चित्रकूट या कोई भी योजना हो। जे. डी. ए. पृथ्वीराज नगर का क्या हुआ? पृथ्वीराजनगर की हालत भी वही है। पृथ्वीराज नगर तो आपके चित्रकूट के पहले की योजना है। अब नया चाणक्य नगर बना रहे हैं और जगतपुरा का एक और प्रपो-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जल दे रहे हैं। कौन सी जमीन का प्रपोजल आप दे रहे है ? आप क्यों नहीं जनता के बीच भेज देते कि इस तरह की जमीन है, इस तरह इस इलाके के अन्दर हम प्रपोजल चाहते हैं। आज जगतपुरा में प्लाट कट रहे है, खरीद कर रहे है और कल जे. डी. ए. कह देगा कि इतनी हमारी जमीन आती थी। हम तो यहां फलां नगर बनाना चाहते है। एक महीने का नोटिस भेज देंगे। यह प्रोब्लम साल्व नहीं होगी। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं जे.डी.ए. इफेक्टिवली काम करना चाहता है, सैक्शन 72 के अन्दर अमेण्डमेण्ट हुआ, जिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता है, इस आफेन्स को, आर्थिक दण्ड देने से नहीं होगा, उसको पेनेलाइज करना पड़ेगा। सरकारी जमीन पर इस एक्ट के आने के बाद कितने अतिक्रमण हुए। उन अतिक्रमणों में से कितने हटाये गये, कितनों के केस दर्ज हुये और क्या सरकारी अतिक्रमण वहां इस वक्त नहीं हो रहे ? सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहे हैं। जे. डी. ए. के अधिकारियों को लिखा जा रहा हैं, अभी मुझे माननीय विधायक बता रहे थे। कोई झोटवाड़ा के अन्दर एनक्रोचमेन्ट चल रहा है। संजय नगर-सी के इलाके में सड़क पर 90 फीट में अतिक्रमण हो रहा है और इस अतिक्रमण की बात विधायक महोदय ने बार बार कह दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। अतिक्रमण तो हो रहा है, माननीय सभापति महोदय। जमीन पर अतिक्रमण नहीं रोक पा रहे हैं। जे. डी. ए. का अफसर वहां जाता है कम्पलेंट के बाद में और अतिक्रमण करता है उस आदमी की पाकेट के ऊपर और उसके बाद वह घर चला जाता है। जितना आपने यहां बताया हैं, कितने केस दर्ज हुये, कितनी शिकायतें अतिक्रमण की आयी, कितने हटा दिये गये ? मैं पूछ रहा हूं अगर आप लिस्ट दें मुझे मैं साथ चलने को तैयार हूं। जितनी लिस्ट बतायी शिकायत की और कहा गया कि अतिक्रमण हटा दिये गये। वहां सब जगह अतिक्रमण मौजूद हैं। एनक्रोचमेण्ट पर डिपार्टमेण्ट क्या करता है ? जे. डी. ए. एक तरफ विकास कर रहा हैं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय को अर्ज करना चाहूंगा, जितना जयपुर का विकास आपके टाइम में हुआ वह अवर्णीय है, अतुलनीय है, जयपुर के विकास के लिए एक नया आयाम है। इस जे. डी. ए. को और सख्त बनाना पड़ेगा। इसकी कुशलता को बढ़ाना पड़ेगा। जे. डी. ए. एक सफेद हाथी है। इन सबको हटाना पड़ेगा। इस के जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। कितने अधिकारी थे जिनको सैक्शन 27 के तहत नेग्लिजेन्स के कारण बरखास्त कर दिया, एक्शन लिया गया। उनमें एक भी नहीं है। जे. डी. ए. गए एक साल से कम्पलीटली, एब्सोल्यूटली, परफैक्टली काम कर रहा है ? जे.डी.ए. का एक भी अधिकारी जिसने नेग्लिजेन्स बरती होगी, और फिर भी यह अतिक्रमण चले जा रहे हैं, इतने इल्लीगल अवैध निर्माण होते हैं। माननीय सभापति महोदय, जे डी ए. को और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, जे.डी.ए. के अधिकारियों को सम्वेदनशील बनाना पड़ेगा, उनको एकाउन्टेबल बनाना पड़ेगा। न सिर्फ सरकार के प्रति, बल्कि आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाना पड़ेगा। जब तक

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इस तरह की टेन्डेंसी हम डवलप नहीं कर देते, एक तरफ विकास करवाते जाइये और दूसरी तरफ उस विकास की विनाश की स्थिति बन जायेगी। एक चीज और अर्ज करके मैं बन्द करना चाहूंगा।....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : एक चीज कहना चाहूंगा, आपने एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है जे डी.ए. ने इस बार म्हारो गांव म्हारो जयपुर। उसमें आपने चिकित्सा को जोड़ा है, उद्योग को जोड़ा है....

श्री सभापति : यह कोई पेयजल की समस्या नहीं है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सजेशन देना चाहता हूं कि जगह-जगह सड़कें बनती हैं, ड्रेनेज नहीं होने से वह साफ हो जाती है। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जिस इलाके के अन्दर, जिस कालोनी के लोग ड्रेनेज अपने पैसे से बनाने को तैयार हैं उस इलाके के अन्दर रोड बना दी जाय। इसमें इस एक चीज को भी इन्क्लूड कर लिया जाय.... (व्यवधान) ....मैं इसमें जोड़ देता हूं।

श्री सभापति : ठीक है, आप मन्त्रीजी से बाकी बची हुई बातों के लिए अलग से मन्त्रीजी से कर लीजिए। अब औरों का नम्बर आने दीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : अब आपका आदेश है, तो आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : गोपाल सिंह।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : मैं मांग संख्या 27 के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। जालोर जिले में पानी तो है लेकिन पानी के अन्दर ज्यादातर फ्लोराइड है। फ्लोराइड ज्यादा होने की वजह से पानी होते हुये भी हमें ज्यादा एक्स्पेंसिव स्कीम्स बनानी पड़ती है और उन स्कीम्स को बनाकर हमें पानी दूर उन गांवों से लाना पड़ता है। जहां कुऐं हैं लेकिन फ्लोराइड इतनी है कि वह पानी पीने से लोग कूबड़े हो जाते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं, उनकी हड्डियां टूटने लगती है। मुझे जानकारी मिली है कि अभी आपके पास एक टेक्नोलोजी ऐसी आई है जिसके द्वारा उस पानी को डीफ्लोराइड कर सकते हैं। पता नहीं वह इकोनोमिक है कि नहीं कितना पानी डीफ्लोराइड करने से, कितनी उन योजनाओं को कम करके अगर जो पुराने स्रोत हैं या गांव के अन्दर जो स्रोत हैं डीफ्लोराइजेशन प्लांट लगा कर अगर आप ठीक कर सकें तो वह पता नहीं ज्यादा एक्स्पेंसिवली होगा या वह स्कीम जो मीलों दूर से पाइप लाइन से पानी ला रहे हैं। तो कृपया इस बारे में मन्त्री महोदय ध्यान दें और हो सके तो यह डीफ्लोराइजेशन प्लांट का आप ज्यादा उपयोग करने के बारे में सोचें जिस तरह के जो बेकार के पाइप को आप अलग-अलग जगह जहां कहीं भी आप दे सकते थे वह उन गांवों में आप लगायें जहां पर पानी तो है लेकिन फ्लोराइड होने की वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है।

(श्री गोपालसिंह)

मैं हैण्डपम्प के बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं। हैण्डपम्प मेरे क्षेत्र में करीब-करीब 100 में से 60 खराब पड़े हैं और उसके बाद करीब 10-15 प्रतिशत ऐसे हैण्डपम्प उन 60 के अलावा, जो खराब तो नहीं है लेकिन उनमें पानी इतना नीचे चला गया है कि वह हैण्डपम्प अब काम के नहीं रहे हैं। हो सकता है अगर पानी का स्तर ऊपर चढ़े तो वे हैण्डपम्प फिर से कामयाब हो सकते हैं लेकिन आज की तारीख में 60+15=75 प्रतिशत हैण्डपम्प हैं जो बेकार पड़े हैं। जो खराब हैं उनकी मरम्मत करवाने के लिये और ठीक करवाने के लिये एक बड़ी मुस्तैदी योजना बनानी पड़ेगी। हम आपके अधिकारियों से मिलते हैं तो उनके पास जवाब यही मिलता है कि हमारे पास में स्पेअर पार्ट्स नहीं है। हमने हमारे जालौर के एस. सी. और एक्स. ई. एन. से बात की तो उनके पास टैक्निकल आदमी तो है जो ठीक तो कर सकते हैं लेकिन स्पेयर नहीं है। अगर नहीं है तो वह आदमी टैक्निकल है लेकिन नहीं होने की वजह से ठीक कैसे कर सकते हैं। इसके लिये अगर आप ठीक समझें तो एक ऐसी योजना लीजिये जिसमें आजकल ज्यादातर गांवों के अन्दर, हर गांव के अन्दर मिस्त्री टाइप के आदमी मिल सकते हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं। इसमें कोई तकनीक का बहुत बड़ा काम नहीं है। एक पम्प का, चाहे हवा भरने का पम्प हो, चाहे कुछ भी हो, सिस्टम हैण्डपम्प का वही है। अगर आपके गांवों में कुछ लोगों को इस तरह से ट्रेण्ड कर देंगे उन पंचायतों के अन्दर अगर आप कर दें तो एक हैण्डपम्प जो इतने समय से उस क्षेत्र में खराब पड़ा है उसकी मरम्मत करवाने के लिये एक्स. ई. एन., ए. ईएन, जे. ईएन के पास जाकर उसको बुलाने में बड़ी दिक्कत होती है और फिर उनको इतने सारे हैण्डपम्प रिपेयर करने होते हैं, उनको करने में न तो इतने लोग हैं और न ही स्टाफ है। अगर आप पार्ट टाइम कोई ऐसे आदमी, जिन्होंने वर्कशाप लगा रखे हैं, गांवों में लगा रखे हैं, तो वैसे आदमियों को आप ट्रेन्ड करके, एक छोटा सा पार्ट टाइम देकर तैयार करें तो वह उसको रिपेयर करेगा और उनको जल्दी रहेगी क्योंकि उनको भी उस हैण्डपम्प से फायदा मिलता है, वे भी उन हैण्डपम्पों से पानी लेते हैं। जब आपकी यह जल योजना लागू नहीं थी उस वक्त भी लोग पानी पीते थे यानी परम्परागत स्रोत अपने पास में है उन परम्परागत स्रोतों को हम भूल गये हैं। जब बरसात नहीं होती जैसे इस साल भयंकर अकाल है, इस भयंकर अकाल के अन्दर परम्परागत स्रोत का अगर रख रखाव का अलग से बजट रखें और उनको ठीक करने के लिए अगर अलग से कोई विभाग का एक हिस्सा बना दें, तो मैं समझता हूं कि उनका काम सिर्फ परम्परागत स्रोतों को मेन्टेन करने का होना चाहिये। इसी विभाग का एक कोई अलग से प्रकोष्ठ बना दें जो सिर्फ परम्परागत स्रोतों को तैयार रखें। जिस तरह से गाड़ी में अलग से एक स्टेपनी होती है, उसी तरह से आपके विभाग के पास में रहेगा तो क्यों नहीं उसका फायदा उठाया जाय। जैसे हमारे जोधपुर शहर में इतने सारे तालाब हैं,

1180

(श्री गोपाल सिंह)

इतने सारे सागर बने हुए हैं उनमें पानी भरा पड़ा है तो उस पानी का उपयोग कर सकेंगे तो हमको काफी फायदा मिल सकता है। कोशिश यह की जानी चाहिए कि हमारे भू-गर्भ का जो जल है वह दिनों-दिन कम होता जा रहा है, वह एक-एक इन्च करके नीचे जा रहा है, मैं चाहता हूं कि जो 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, उन्हीं से लिफ्ट करके चाहे पम्पिग स्टेशन बनाकर, जैसे नर्मदा योजना है जो गुजरात में बन रही है उससे अगर इरिगेशन के लिये पानी ना दें तो कम से कम जालोर को जो दक्षिणी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है वहां पर पम्पिग स्टेशन लगाकर पानी ले आयें तो बहुत से एरिया में जो कुवें हैं उनको किसान के लिये छोड़ दीजिये और वहां पर दूसरी स्कीम लायें ताकि वह पानी एग्रीकल्चर के काम में आ जाये। केनाल से पानी ले सकते हैं तो यह हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सब जगह ऐसे साधन न हों तो जो सरफेस पानी बह रहा है उसको दें ताकि कुओं में पानी रहे और काश्तकार और किसानों को उसका फायदा मिल सके।

वैसे तो मेरे क्षेत्र के ज्यादातर गांव जल योजना से जुड़ चुके हैं। उनको जुड़ा हुआ तो कहते हैं लेकिन मन में, कमजोर के पास पानी नहीं पहुंचता है। जितनी अनुसूचित जाति या जन जाति की बस्तियां हैं वहां भी अभी उन लोगों के लिये सर पर मटके लाने की व्यवस्था है। कम से कम पी. एस. पी. जो जनरल लगाते हैं तो वह 200-250-300-500 मीटर से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। यह बस्तियां गांव से कहीं दूर होती है और ज्यादातर होता यह है कि इफेक्टिव लोग, जिनका असर होता है वह जी एण्ड एल. आर को ऐसे बनाते हैं कि वह बस्तियों से दूर होगी और वह उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से बना लेते है। अब और कुछ न करें तो उसको कम से कम

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नल से जोड़ दें तो लोगों को सुविधा हो।

(4.00 म.प.)

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने बिजली की व्यवस्था कर रखी है और उसको बिना कट किये पानी की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन कई बार आपके हाथ की बात भी नहीं होती है और बिजली कट हो जाती है, खराब हो जाती है उस समय पानी नहीं मिलता है। उसके लिये आपको डीजल पम्प सैट की व्यवस्था, इन्जन की व्यवस्था वहां स्टेण्ड बाई में रखनी होगी। ऐसा नहीं हो कि बिजली नहीं आये तो पानी की व्यवस्था नहीं हो। आपको पता है कि बिजली दो घण्टे नहीं आये, तीन घण्टे नहीं आये तो डीजल कितना गया? पहले डीजल की वजह से इसमें काफी गड़बड़ियां होती थी। डीजल लोग बेच देते थे और काम में नहीं लेते थे। उससे बचने के लिये आपके पास रिकार्ड तो होगा कि किस दिन किस वक्त से किस वक्त तक बिजली नहीं आयी, वह पम्पिग सैट काम में लेंगे तो जो गैप बीच में पड़ता है पानी नहीं मिलने का, वह नहीं होगा।

नल काफी जगह से टूटे हुए हैं डेमेज हो गये हैं। पूरा पानी बाहर चला जाता

(श्री गोपाल सिंह)

है। नल के पास भैंस बैठ जाती है, कुत्ता बैठ जाता है, कीचड़ हो जाता है और जब फलो रुकता है तो वह पानी उस पाइप में वापस घुस जाता है और नेक्स्ट सप्लाई होती है तो पहला बस्ट काफी गन्दा आता है उससे बीमारियां होती है। तो मेण्टीनेन्स के ऊपर आप ध्यान दें, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गुलाम मुस्तुफा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मन्त्रीजी और उनके स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे ख्वाब को पूरा किया। वह ख्वाब यह था कि जब मैंने गांव के अन्दर लोगों को बताया कि गांव के अन्दर पानी की स्कीम मंजूर हुई है और शीघ्रातिशीघ्र आपके गांव में पानी का इन्तजाम किया जायेगा तो लोग मान नहीं रहे थे। आपने सोसर से वासनी, जो 40 कि. मी. लम्बी दूरी की लाइन थी वह एक साल में बहुत जल्दी प्रयास करके, जिसके बीच में कई किलोमीटर तक चट्टानें थीं, उनको तोड़कर रास्ता बना कर पानी का इन्तजाम किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा माडपुर से किलवास

(4.05 अपराह्न)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

की लाइन है जिसमें 11 गांव हैं, ढाणियों के अन्दर हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था की, वह सब कार्य पूरा हो रहा है महीने भर के अन्दर। इसके अलावा अलाई क्षेत्र के अन्दर जो 26 गांवों की स्कीम है वह भी चल रही है। उसमें पाइप 12 इन्च और 14 इन्च के अभी तक नहीं आये हैं वह आ जायेंगे तो वह भी पूरी हो जायेगी। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी स्कीम में जो हमारे गांव वालों का सपना था वह पूरा किया (व्यवधान) आपके यहां भी कराऊंगा, क्यों चिन्ता करते हो। अभी तो तीन साल मेरे बाकी हैं। आपका नम्बर भी लूंगा। लेकिन माननीय मन्त्री जी, ये जो स्कीम है यह सारी शार्ट टर्म की हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। हम कम से कम आयन्दा के लिए ध्यान रखें। नागौर जिले में पानी के स्रोत है वह बिल्कुल नीचे चले गये हैं। जब तक हम पानी की पूर्ति नहीं करेंगे, पानी की परमानेन्ट व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। नागौर जिले की धरती उपजाऊ है इसलिए मेरा निवेदन है कि जब राजस्थान केनाल का पानी यहां से 110 किलो मीटर दूर है, जोधपुर तो 3 सौ किलो मीटर ले जा सकते हैं तो नागौर से तो पानी बिल्कुल नजदीक है, 110 किलो मीटर है, पिछली बार आपसे निवेदन किया था, फिर निवेदन कर रहा हूं कम से कम इस पर ध्यान दें। पिछले दिनों एक स्टेडी टीम भी आयी थी, उसने भी अध्ययन किया है। मैं समझता हूं कि कम से कम यह व्यवस्था करेंगे तब नागौर के अन्दर जिले का पूरा विकास हो सकेगा और जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा, 15-20 वर्षों में जमीन के अन्दर का पानी खत्म हो गया तो लोग क्या करेंगे।

इसके अलावा एक विशेष समस्या यह है कि कुछ नार्म्स फिक्स कर रखे हैं, डब्ल्यू.

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

एच. ओ. है उसने एक नार्म्स तय कर रखा है कि 1.5 पी. पी. एम. का नार्म्स है। इतना फ्लोराइड होने के कारण वह कहते हैं कि यहां पर हैण्ड पम्प पोसिबल नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के अन्दर इसको फिक्स कर रखा है 3 पी. पी. एम. जबकि नागौर की स्थिति बिल्कुल अलग है। 4.5 पी. पी. एम. से 9 पी. पी. एम. तक फ्लोराइड का नार्म्स है। मैं चाहता हूं कि नागौर को इसमें स्पेशल छूट दी जाय। जब मीठा पानी केनाल का नहीं लायेंगे तो खारा पानी है जो पानी उपलब्ध है उसको ही काम में लिया जायेगा। उस पर ट्यूब वैल बनने दिया जाय और उस पर हैण्ड पम्प लगने दिया जाय, जो नार्म्स की कण्डीशन है उससे नागौर जिले को छूट दी जाय। इसके अलावा एक समस्या और है। गर्मी के दिनों के अन्दर ट्यूब वैल सूख जाते हैं और उसकी सैंक्शन की पावर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को दे रखी है। उसके पास फाइल जायेगी। अगर ट्यूब वैल सूख गया तो कई दिनों तक तो स्कीम ही मन्जूर नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि कम से कम समर आगमेण्टेशन स्कीम है उसके अन्दर एस. ई. लेबल के अधिकारी को पावर दी जाय। ट्यूब वैल सूख गये तो जल्द से जल्द गांव वालों को जो दिक्कत आ रही है वह दूर हो सके।

मेरा मन्त्री महोदय से एक निवेदन और है कि आपने हाउसिंग बोर्ड के बारे में यहां घोषणा की थी कि अलाटमेण्ट होगा वह लाटरी खुलने के बाद कर दिया जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य, आप चेयर को सम्बोधित करें।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : चेयर की तरफ ही देख रहा हूं। हाऊसिंग बोर्ड के अन्दर जो अलाटमेण्ट होता है लाटरी निकलने के बाद फौरन कब्जा दे दिया जाय परन्तु मुझे लगता है इस स्कीम का पूरा पालन नहीं होता है। इसको जल्द से जल्द लागू किया जाय। जो भी कन्स्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। यह उसको रोकने का बहुत अच्छा तरीका था। अभी नागौर के अन्दर हाउसिंग बोर्ड के बहुत सारे मकान बन रहे हैं और वहां ऐसे ठेकेदार को काम दिया हुआ है जो पहले ही ब्लेक लिस्टेड है। नागौर के अन्दर जिस तरह से वह काम कर रहा है, वह उचित नहीं है। वह सीमेण्ट आदि में मिलावट करता है। इसलिये जो पहली स्कीम बनायी थी, लाटरी निकाल कर मकान का अलाटमेण्ट करने की, वही होना चाहिये ताकि जिसके हिस्से में जो मकान आयेगा वह अपनी देखभाल खुद कर लेगा। एक निवेदन और था कि नई शहरी विकास योजनायें बनाई गई है जिनमें कस्बों को शामिल किया गया है। नागौर और मकराना, यह दो शहर नागौर जिले के हैं इनको तो कम से कम उसमें शामिल किया जावे।

आपने कुछ दिन पहले मथुरादास माथुर कमेटी की रिपोर्ट पेश की थी और उसकी कापियां भी सप्लाई की है। बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान के अन्दर चुंगी समाप्त करने की दिशा में आपने कदम उठाया है। मेरा निवेदन यह है कि इस चुंगी को समाप्त करने के लिये जो कमेटी ने सिफारिश की है उसको मन्जूर किया जावे। इससे क्या होगा, उससे सारा

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

करप्शन बन्द हो जायेगा। डीजल की बचत होगी क्योंकि हर जगह पर जाकर गाड़ी खड़ी होती है। समय की भी बचत होगी और डीजल वगैरा की भी बचत होगी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मेरा निवेदन है कि चुंगी को समाप्त करने से एक तो जो हमने चुनावों के अन्दर जनता से वायदा किया था वह मांग भी पूरी होगी और हमारा काम भी सही हो जायेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मनीराम।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मन्त्री महोदय के विभाग ने पूर्ण और आंशिक रूप से राजस्थान के 33820 गांवों को पेयजल से जोड़ दिया, लाभान्वित कर दिया। माननीय सभापति महोदय, गांवों को पेयजल से जोड़ना, और पेयजल योजना को शुरू करना बड़ी बात नहीं है जब तक कि उसका पूर्ण रख रखाव, उसकी कार्यान्विति और फिर पानी पर्याप्त मात्रा में प्रति दिन प्राप्त हो रहा है या नहीं, इस बात को विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। माननीय सभापति महोदय, दूसरा जब भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेयजल योजनायें बनाई जायें, इसमें ज्यादा से ज्यादा गांव स्तर से, पंचायत स्तर से, जन प्रतिनिधियों को विचार विमर्श में शामिल किया जाये और आज के वर्तमान युग में बढ़ती हुई आबादी का प्रतिशत भी उस पेयजल योजना में शामिल किया जाये। क्षेत्र के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से आज व्यक्तियों का पलायन हो रहा है, जो परिवार दूसरी जगह जाकर आबाद हो रहे हैं उसका भी ख्याल रखा जाये। माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा क्षेत्र विशेष तरह की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। इसमें लगभग 3।। हजार परिवार विस्थापित पोंग डेम से ऊपर आबाद है। 33 गांव महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज से आबाद है और हमारा बड़ा लम्बा चौड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बड़ी आबादी है। इसको ध्यान में रखते हुये, आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होते हैं वह ताईद करते हैं दो सालों में बड़ी योजनायें बनाई गई और गांवों को पानी न दिया गया और कांग्रेस के माननीय सदस्य खड़े होते हैं तो यह कहा जाता है कि नहीं दिया गया। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय मन्त्री जी, आप राजनीति से प्रेरित हैं और आप अपने विधायकों के क्षेत्रों का ही ध्यान रखते हैं। लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र इसका उदाहरण है। आज आपने दो वर्षों में एक भी नई पेयजल योजना लागू नहीं की। आपने मात्र मुझे एक सूचना दी कि आपके यहां 3-3 लाख की आंशिक योजनायें जिनका कोई महत्व नहीं है, पहले भी उन गांवों में पानी उपलब्ध है और छोटे छोटे जी. एल. आर. या टैंक बनाने के नाम से आपने स्वीकृत कर दी और 9 लाख की ढाणियों और मजदूरों के नाम से बात की। माननीय सभापति महोदय, आपके विभाग

(श्री मनीराम सियाग)

को यह पता नहीं कि ढाणी का सही नाम क्या है। ढाणी गोपरे को गोपीराम लिख दिया, काकड़वाड़ा को ककड़ीवाड़ा लिख दिया तो आगे भी जो आपने स्वीकृति भेजी है उसमें इसका प्रतिकूल प्रभाव अवश्य रूप से पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बार-बार दो साल से जब भी पानी की डिमाण्ड पर बहस होती है मैं अपने विचार प्रकट करता हूं, जो भी योजनायें आपने बनाई हैं, मेरे क्षेत्र में विशेष रूप से तीन तरह के जल स्रोत है। एक वर्षा का, पांच-सात साल से वर्षा होने का नाम ही नहीं है जल कुण्डों में पानी कहां से आवे, जोड़ कहां से भरें। दूसरा जो जमीनदोज पानी है पहली सरकार ने गांवों में ट्यूब वैल खुदवाये, ओपन वैल गहरा करके पानी उपलब्ध कराया उस पर भी वर्षा से असर हुआ। उन कुओं में भी पानी कम हो गया। अब मात्र एक स्कीम आपकी बाकी है। इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट से जो आपने ग्रामीण योजनायें बनाई है उन योजनाओं में भी भारी अनियमितताएं हुई है विशेष कर उसके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों को कौन आदमी समझता है। गांवों को कौन आदमी जानता है। माननीय सभापति महोदय, योजनाओं को चलाना एक्स. ई. एन. के बस की बात नहीं, किसी ग्रामीण योजना को चलाना एस. ई. और चीफ के बस की बात नहीं और मन्त्री तक के बस की बात नहीं। अगर आप ग्राम योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो प्रत्येक गांव वासी को पानी नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना चाहते है तो आपको उस क्षेत्र को, सब डिवीजन क्षेत्र को परिस्थिति वार बांटना पड़ेगा और एक एलर्ट जे. ई. एन. को वहां लगाना पड़ेगा। उस क्षेत्र में अगर कहीं व्यवधान पैदा हुआ है तो रातों-रात अपने साधन ज्वाइन्ट, पाइप और अन्य रिंग रबड़ आदि लेकर वहां पहुंच जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो माननीय सभापति महोदय, जे.ईएन. का पता नहीं, लाइनमेन और पम्प ड्राइवर शहर का है, गांवों के नाम तक नहीं जानते। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि जयपुर शहर का लाइनमेन लूणकरणसर क्षेत्र में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में लगायें। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि बीकानेर और जोधपुर के लड़के वहां लाइनमेन लगाये जबकि माननीय सभापति महोदय, वहां भी बहुत ही गरीब परिवार के लोग, हरिजनों के लोग, जो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये, वह भी बेरोजगार बैठे हैं। क्यों नहीं आप उनको सर्वप्रथम मौका देते हैं। विशेषकर मेरा निवेदन है कि पंचायत का आदमी ही वहां लाइनमेन रहना चाहिये। पाइप लाइन के रख-रखाव के लिए पंचायत का आदमी होना चाहिये क्योंकि उसका परिवार भी उस लाइन में भागीदार है उसके पशु और बच्चे भी उससे जुड़े हुए हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि पम्प ड्राइवर जो दस-दस, बीस बीस साल से शहरों के बैठे हैं, गांवों के प्रति कभी उनको कोई लगाव ही नहीं है, उनको कोई हमदर्दी भी नहीं है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मुझे अभी तो मौका दिया गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत लम्बी सूची है।

श्री मनीराम सियाग : मेरा बहुत बड़ा कष्ट है, इसको प्रकट करने दीजिये।

श्री सभापति : आप जल्दी से संक्षेप में कहें।

श्री मनीराम सियाग : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में विशेष तौर से जो सबसे ज्यादा समस्यायें हैं उसके बारे में मैं मन्त्री महोदय को अवगत कराऊंगा। आज तक जितने भी शहरी क्षेत्र के जो हैण्डशीट मस्टररोल पर है अधिकारियों ने उनको अपनी सेवा के लिए, लाइनों की लीकेज मिटाने के लिए नहीं, अपने घरों में रख रखा है, उनका अता-पता ही नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं कि जयपुर का आदमी 500 रुपये में उस क्षेत्र में जाकर हैण्डशीट में नाम लिखाता है तो उसके अन्दर कोई राज है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ग्रामीण लोगों के साथ भेदभाव नहीं रखते, अगर आप राजनीति से प्रेरित नहीं हैं तो मेरे क्षेत्र के प्रति विशेष रूप से ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आपने समय कम दिया है इसलिये मैं केवल मांग संख्या 29 पर जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन पर ही अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री और नगरीय विकास मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नई सरकार बनने के बाद जयपुर शहर का बहुमुखी विकास हुआ है। गत 40 वर्षों में कांग्रेसी शासन के दौरान, क्योंकि जयपुर हरदम बी. जे. पी. का गढ़ रहा है इसलिये, जान-बूझकर राजनैतिक कारण से जयपुर की उपेक्षा की गई और राजस्थान की राजधानी होते हुए भी जयपुर शहर के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

(4.19 अपराह्न)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मुझे गर्व है यह कहते हुए कि जब से हमारी सरकार बनी है, राजपालजी ने जैसे कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जिसको कांग्रेस शासन के दौरान जयपुर विनाश प्राधिकरण की संज्ञा दी गई थी आज पुन: यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वास्तव में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण है। जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पिछले दो वर्षों में जो विकास के आयाम जयपुर में स्थापित हुए हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता। जयपुर विकास प्राधिकरण ने बनने के बाद अभी तक 10291 भूखण्ड लोगों को आवंटित किये हैं, जिन पर रहकर जयपुर के लोगों ने राहत का अनुभव किया है।

इसी प्रकार जयपुर शहर में सीवरेज की इतनी भयंकर समस्या थी कि सारा भूमिगत जल इससे प्रदूषित हो रहा था। जयपुर शहर की चारदीवारी के बाहर जितनी भी कालोनीज थीं-जनता कालोनी, सेठी कालोनी, तिलक नगर, राजा पार्क, इन सब में सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को कि उन्होंने पद भार सम्भालते ही 375 लाख रुपए की सीवरेज योजना प्राथमिकता के आधार पर जयपुर शहर के लिए स्वीकृत की। इस योजना के कारण बनीपार्क, सिविल लाइंस, जनता

(श्री कालीचरण सराफ)

कालोनी, सेठी कालोनी, तिलक नगर, राजा पार्क, बापू नगर, गांधी नगर की जनता को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को कि उनके मंत्री बनने के बाद जगह-जगह सुलभ शौचालयों का निर्माण हुआ, व्यावसायिक केन्द्रों का निर्माण हुआ, कियोस्क बने हैं, प्लेटफार्म बने हैं और शमशान और कब्रिस्तानों में भी विकास कार्य हुए हैं। इसी प्रकार जयपुर शहर में आज ऐसा कोई प्रमुख बाजार नहीं है, ऐसी कोई प्रमुख मण्डी नहीं है, ऐसा कोई प्रमुख चौराहा नहीं है जहां माननीय मंत्रीजी के प्रयासों से सोडियम लाइट नहीं लगी हो। जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से 166 पार्कों में 85 लाख रुपए माननीय मंत्रीजी के सान्निध्य में खर्च हुए हैं। इसी प्रकार मालवीय नगर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जवाहर सर्कल 65 एकड़ भूमि में बन रहा है। म्यूजिकल फाउण्टेन भी लगेगा और पर्यटकों के आकर्षण के लिए वहां हट्स का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार का अभाव मालवीय नगर और इधर के इलाके में अनुभव किया जा रहा था, क्योंकि बीच में रामनिवास गार्डन है, इधर जय निवास उद्यान है किन्तु वहां के नागरिकों के लिए कोई बड़ा बाग नहीं था। आज वहां जवाहर सर्कल के नाम से 65 एकड़ की जमीन पर योजना बन रही है जिससे निश्चित रूप से जयपुर के विकास को नया आयाम मिलेगा। इसी प्रकार जे. डी ए. ने म्हारो जयपुर म्हारो काम योजना चालू की है, जिसमें 50 प्रतिशत पैसा जनता लगाएगी और 50 प्रतिशत खर्चा जे. डी. ए. करेगी। इससे भी जयपुर शहर में विकास कार्य निश्चित रूप से होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जयपुर की प्रमुख समस्या के बारे में....

श्री परसादीलाल मीणा : विकास शुल्क का क्या हुआ ? उसका तो बोलो।

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर शहर की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से आपके सामने विचार प्रकट करना चाहूंगा। आज जयपुर शहर में दो-ढाई लाख मकान कृषि भूमि पर बने हुए है। कृषि भूमि का नियमन नहीं हुआ। 1981 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने समाचार पत्रों में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो रूपान्तरण शुल्क जमा करा देगा उसका रैगुलराइजेशन कर दिया जाएगा। कृषि भूमि के रूपान्तरण के लिए लाखों लोगों ने 28 करोड़ रुपए 1981 में राजस्व विभाग में जमा करा दिये। परन्तु यह भूमि अवाप्ति में है, यह भूमि अरबन एक्ट में है, यह भूमि सीलिंग में आती है, इसका मास्टर प्लान में लैण्ड यूज दूसरा है, यह कहकर गरीब जनता के मकानों को आज तक रैगुलराइज नहीं किया गया। कांग्रेसी शासन के दौरान जो प्रभावशाली लोग थे, जो सत्ता पर काबिज थे उन लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, जहां-जहां उनको आवश्यकता हुई कानून का रिलेक्सेशन देकर जमीन को रैगुलराइज करा लिया। बिड़ला प्लेनेटेरियम स्टेच्यू सर्कल के कोने पर बना हुआ है। मास्टर प्लान में अर्द्ध शासकीय सरकारी भवनों के लिए इस जगह का उपयोग था, परन्तु क्योंकि बिड़ला जी इनके आका हैं, के. के. बिड़ला इनके राज्य सभा के मैम्बर हैं उनको

(श्री कालीचरण सराफ)

एक रुपए गज में यह जमीन अलाट कर दी गयी और वहां बिड़ला प्लेनेटेरियम बन गया। वहां पर मास्टर प्लान में लैण्ड यूज की बात इन्होंने नहीं सोची। इसी प्रकार स्टेशन रोड पर अटेल वन के नाम से एक जमीन है एक अरब रुपए की। जे.के. अटेल राजीव गांधीजी के रिश्तेदार को एक अरब रुपए की जमीन कौड़ियों के मोल दे दी गयी और वहां आज वे होटल काम्प्लैक्स बना रहे हैं। रेजीडेंशल लैण्ड के लैण्ड यूज को इन्होंने वहां परिवर्तित कर दिया और आज वहां पर होटल काम्प्लैक्स बन रहा है। इसी प्रकार बलदेव प्लाजा है, क्योंकि वे रामनिवास जी मिर्धा के पुत्र हैं जिनका बलदेव प्लाजा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : भवानी सिंह वाली भी।

श्री कालीचरण सराफ : फाइल गायब कर दी, कागजात गुम कर दिये और आज वहां पर बलदेव प्लाजा कामर्शियल काम्प्लैक्स बन रहा है, जब कि यह रेजीडेंशल जमीन है। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस के मुख्य मंत्री रहे, श्याम नगर की जमीन अवाप्ति में थी....

श्री परसराम मोरदिया : आपकी सरकार में दम हो तो तुड़वा दो उनको।

श्री कालीचरण सराफ : एक्विजिशन में यह लैण्ड थी, परन्तु क्योंकि वहां पर शिवचरण जी माथुर ने अपना प्लाट बनाना था, पूरे श्याम नगर की भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया और आज वहां पर रेजीडेंशल कालोनी बनी हुई है। हीरापुरा भूतपूर्व मुख्य मंत्री हरिदेव जी जोशी की जमीन थी, वे वहां पर अपना प्लाट बनाकर रहना चाहते थे। भूमि अवाप्ति में थी। उसको उन्होंने मुक्त कर दिया और आज वहां पर भी कालोनी बन गयी। मैं कहना चाहूंगा कि आज लैण्ड एक्विजिशन के नाम पर, सीलिंग के नाम पर, अलवर के नाम पर, मास्टर प्लान में लैण्ड यूज के नाम पर जिस प्रकार जयपुर की जनता का शोषण किया जा रहा है इस बारे में निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जब से राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी बने हैं उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का प्रयास किया। सत्ता में आते ही राजस्व मण्डल के तत्कालीन अध्यक्ष तेज कुमार जी की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी कि किस प्रकार इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद सरकार ने एक तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल उप समिति बनायी, जिसमें राजस्व मंत्रीजी थे, स्वायत्त शासन मंत्री जी थे और सहकारिता मंत्री जी भी थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद बेरी आयोग गठित किया गया। बेरी आयोग ने भी अपनी रिकमण्डेशंस दे दी। 3.3.1992 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कृषि भूमि पर बने हुए ऐसे मकानों को जिनका टायटल क्लीयर है रेगुलराइज करने का आदेश भी दे दिया। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनका टाइटल क्लीयर है केवल उस भूमि पर बने मकानों का नियमन करना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आज जयपुर शहर में लगभग 60 प्रतिशत मकान

(श्री कालीचरण सराफ)

अवाप्ति, सीलिंग, अल्सर, लैण्ड यूज दूसरा, एस. टी., एस सी. की जमीन, इस प्रकार की जमीनों पर बने हुए हैं। मेरा यह कहना है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समस्या का पार्टली समाधान करने की कोशिश नहीं करें, लोग-बाग उसका और दुरुपयोग करेंगे। एक साथ, एक सिटिंग में इस पूरी समस्या का समाधान करें। 31 मई, 1982 तक के मामले इसमें रैगुलराइज होंगे, जैसी कि सूचना मिली है। समस्या का पूर्ण समाधान करने के लिए आवश्यक है कि आज तक जितने कृषि भूमि पर बने हुए मकान हैं उन सब के बारे में विचार किया जाय और सब का नियमन किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की दूसरी प्रमुख समस्या कच्ची बस्तियों की समस्या है। आज लगभग 4 लाख लोग कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। 1971 में सर्वे हुआ, 1981 में सर्वे हुआ। 1971 और 1981 के सर्वे में कुल 42,816 परिवार थे। उनमें से 90 प्रतिशत लोगों को कच्ची बस्तियों में व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से बसा दिया गया है। इसके लिये तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा, परन्तु उसके बाद सर्वे नहीं हुआ। 1981 की वोटर लिस्ट के आधार पर सर्वे हुआ। तत्कालीन मुख्य मंत्री हरिदेवजी जोशी ने इस बात की घोषणा की।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षिप्त कीजिये, श्रीमन्।

श्री कालीचरण सराफ : आपने जितना टाइम दिया उतना ही बोलूंगा। उन्होंने घोषणा तो कर दी, परन्तु सर्वे नहीं हुआ। सर्वे टीम कहां थी, सर्वे कहां हुआ, कोई पता नहीं। चुनावी घोषणा थी। अब भैरोंसिंह जी राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि 10 साल सर्वे हुये हो गये, 1991 की जनगणना के आधार पर कच्ची बस्तियों का दुबारा सर्वे होना चाहिये और जो सर्वेधारी हैं उनका नियमन होना चाहिये। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने यह काम तो बढ़िया किया कि जो कच्ची बस्तियां अभी तक अप्रूव नहीं हुई ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनको बिजली के कनेक्शन तो दे दिये, कि 260 रुपए जमा कराओ और बिजली का कनेक्शन लो। हर कच्ची बस्ती में आर. एस. ई. बी ने कैम्प लगाया और सबको बिजली के कनेक्शन मिल गये। परन्तु आज तक उनको पानी का कनेक्शन नहीं मिला है। आज पानी की चोरी हो रही है कच्ची बस्तियों में। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार बिजली के कनेक्शन इन लोगों को दिये गये उसी प्रकार से यदि सरकार पानी के कनेक्शन कच्ची बस्ती के लोगों को मुहैया कराये तो निश्चित रूप से कच्ची बस्ती के लोगों को इससे राहत मिलेगी।

तीसरी प्रमुख समस्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जयपुर शहर में जनसंख्या का दबाव बड़े जबर्दस्त रूप से हो रहा है। उसका विकास स्कैटर्ड होना चाहिए, वैसी स्थिति आज नहीं है। मैं इसके लिए 3-4 सुझाव माननीय मन्त्रीजी को देना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव है कि बम्बई पैटर्न पर आस-पास के कस्बों को उप नगर के रूप में विकसित किया जाय।

(श्री कालीचरण सराफ)

जैसे बस्सी, सांगानेर, चौमूं, बगरू, जमवा रामगढ़ आस-पास के कस्बे हैं वहां हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज बनें, अच्छे पिक्चर हाल बनें, अच्छे होटल बनें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्लोज ओवर कीजिए।

श्री कालीचरण सराफ : एक मिनट।

जयपुर से उनको फास्ट ट्रैफिक से जोड़ा जाय और उप नगर के रूप में विकसित किया जाय तो निश्चित रूप से जयपुर को जनसंख्या के दबाव से राहत मिलेगी।

इसी प्रकार जो थोक व्यापारी हैं, लोहा मण्डी है, सेनिटरी मण्डी है, प्लाइवुड मण्डी है, इसके बारे में सुझाव देना चाहूंगा कि जयपुर से 10-15 किलोमीटर दूर इन मण्डियों का विकास किया जाय, तो निश्चित रूप से जनसंख्या का दबाव जयपुर शहर में कम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिंग रोड की बात कई दिनों से सुन रहा हूं। जिस प्रकार दिल्ली में रिंग रोड है जयपुर में भी 348 किलोमीटर की रिंग रोड बन रही है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री कालीचरण सराफ : इस बारे में सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। एक सुझाव और।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव बहुत हैं, जयपुर के और भी वक्ता हैं। इसमें आप थोड़ा सहयोग कीजिए।

श्री कालीचरण सराफ : एक मिनट और बोलना चाहूंगा कि जयपुर शहर के बीच में सेण्ट्रल जेल स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह उचित नहीं है और यह जमीन भी करोड़ों रुपए की है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सेण्ट्रल जेल को कहीं दूसरी जगह स्थानान्तरित करके यदि वहां पर कामर्शियल काम्प्लैक्स बना दिया जाय तो जयपुर शहर में कम से कम 200–250 करोड़ की इनकम होगी। इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मांग संख्या 27 व 29 पर मैं चर्चा करूं, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। पांच मिनट होते ही आप घण्टी बजा देंगे और मेरे जो साथी वक्ता हैं, वे बीस-बीस मिनट तक बोलते हैं। इसलिये मैं पहले ही आपसे निवेदन कर दूं कि मैं भी....

श्री उपाध्यक्ष : अगर सदन की राय है तो रात के 12 बजे तक चलाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई दिक्कत नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 4.22 पर बोलना शुरू किया था और 4.30 पर समाप्त कर दिया। लिखा हुआ है, अंकित किया है यहां पर।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी जो भी योजनाएं होती हैं वह कुछ ब्यूरोक्रेट्स के इस प्रकार के जाल-

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जंजाल में फंस जाती है कि जिस प्रोजेक्ट की कीमत हम एक रुपया आंकते हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिये हम तिथि तय करते हैं कि फलां समय तक पूरा हो जाना चाहिये, उस प्रोजेक्ट की कास्ट, जब वह इस जाल जजाल में फंसता है, तो एक रुपये से बढ़कर सौ रुपया हो जाती है और समय जो है वह एक महीने से बढ़कर एक साल हो जाता है। और जब तक हम इसके लिये किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरायेंगे, तब तक, मन्त्री महोदय, आप भले ही लाख कोशिश कर लें, लाख अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें, हम अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पायेंगे और योजनाओं के अच्छे रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं वह हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसकी ताजा मिसाल पी.एच.ई.डी. का जो कांट्रेक्ट 31 अगस्त को एक्सपायर होना था, उससे पूर्व यदि पाइप्स का कांट्रेक्ट तय हो जाता तो, मैं कह सकता हूं, आज राजस्थान के बहुत से जिलों में, जहां पानी की समस्या है, महज इसलिये है हम उनको ए.सी. पाइप मुहैया नहीं करा सके, वह समस्या शायद नहीं रहती।

जब राज्य के रूल्स में यह प्रावधान है कि किसी भी बाहर की फर्म से पाइप्स खरीदने से पहले या सामान खरीदने से पहले, डिपार्टमेंट को उससे एन.ओ.सी. लेना चाहिये, तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछली बार यह जो पाइप्स का कांट्रेक्ट हुआ, 31 अगस्त और 2 सितम्बर के जो टेण्डर हुए, जिसके लिये महाराष्ट्र की एम.आई.एस.डी और औरंगाबाद की फर्म्स को आर्डर्स दिये, किस कीमत पर? स्टेट की उन साधारण फर्म्स पर कुठाराघात करते हुए जिनकी कि प्राइसेज कम थी। उसके बावजूद भी बिना किसी कारण बिना किसी औचित्य के पी.एच.ई.डी. ने स्टेट यूनिट्स से माल न खरीद करके बाहर की फर्म्स से माल खरीदा। मैं जानना चाहूंगा कि इससे राज्य सरकार को कितना घाटा हुआ। उस हालत में जबकि टेण्डर तय हो गये थे कि रेट्स जो हैं वह वैरीएशन के हिसाब से तय होंगे, उनसे नेगोशीएशन्स किये डिपार्टमेंट ने और उसके बाद फिक्स्ड तय करवायें। आपको ताज्जुब होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि कस्टम्स की ड्यूटी के बावजूद भी हमको 25 प्रतिशत रेट्स ज्यादा देने पड़े, इससे डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ और पाइप्स के सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों को पीने के पानी से वंचित रहना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, उस फर्म को हम फिर आर्डर देते हैं जिस फर्म ने पिछली बार फ्लड के टाइम में पाइप सप्लाई करने थे, माल सप्लाई करना था, उस फर्म ने वह पाइप दो साल तक बराबर सप्लाई नहीं किये उसके बावजूद उस फर्म को आर्डर दिया। ऐसी फर्म को ब्लैक लिस्ट करना चाहिये था। इस फर्म की स्थिति यह है कि दोनों बार फ्लड के टाइम पर भी सप्लाई को अफेक्ट कर दिया है, तो ऐसी फर्म को क्यों आर्डर दिया गया? माननीय मन्त्री महोदय, इस पर गहरी नजर डालिये। यदि आपने यह नहीं किया तो मैं समझता हूं कि भले ही आप उम्मीद रखें, डिपार्टमेंट की हालत बिल्कुल नहीं सुधरेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पाइप्स की बात आती है तो उससे मैं भी प्रभावित हुआ हूं। सीकर की जो योजना 2.66

(श्री राजेन्द्र पारीक)

करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई थी, उसमें पाइप्स की सप्लाई नहीं होने के कारण से जितना वर्क होना चाहिये था उसकी कीमत बढ़कर 3 करोड़ रुपये से भी ऊपर हो गई, और विभाग इस बढ़ी हुई प्राइसेज को तय नहीं करेगा, तो जिन लोगों को लाभ होने वाला था वे उससे वंचित रह जायेंगे।

आज हालत यह है कि डिपार्टमेंट की तरफ से ट्यूब वैल्स लगाये जाते हैं, हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं। अब हैण्ड पम्प्स है तो चलते नहीं, और ट्यूब वैल है तो मोटर ही लगी हुई नहीं है, और यदि मोटर है तो उसका फ्यूज उड़ा होता है। विभाग को नुकसान होता है, लेकिन सम्बन्धित एस. और एस से उसको नहीं जोड़ा गया तो पानी की कोई उपयोगिता नहीं।

मेरे चुनाव क्षेत्र में आमगढ़ एक क्षेत्र है जहां पर आज यह स्थिति है। अकाल की विभिषिका आपके सामने है। लोगों को पानी के लिये तरसना पड़ रहा है और जहां पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पानी की कमी पहले से ही थी, और वहां बरसात नहीं होने से पानी का लेवल और भी नीचे चला गया, उन स्थानों की हालत तो आज बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में हल्यास, बराल, पलासरा, गुढा खुर्द, दौलतपुरा, सकराय, यह ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पानी की एक-एक बूंद के लिये आदमी तरसते हैं। मैं जब स्वयं वहां पर जाता हूं तो औरतें मुझे यह कहती हैं कि यहां तो बेटी-व्यवहार तक बन्द हो गया है, लोग अपनी बेटी देना तक पसन्द नहीं करते हैं इस गांव में, क्योंकि वहां पर पानी की भयंकर कमी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि....

श्री सम्पत सिंह : आप औरतों से बात ही क्यों करते हैं, आदमियों से बात किया करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : अभी मेरी उम्र औरतों से बात करने की है।

श्री सम्पत सिंह : आपको वहम है, आपको वहम है आपकी उम्र तो बात करने लायक नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह प्रश्न दोनों मिलकर तय कर लेंगे।

एक माननीय सदस्य : तब तो कुंवारे ज्यादा होंगे वहां पर ?

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मंत्री महोदय कुछ ऐसा ही पानी पिलाते हैं जिससे रसिक स्वभाव बना हुआ है।

मैं मंत्रीजी का ध्यान एक विशेष विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही विभाग मंत्री महोदय के पास हैं– सीवरेज की प्राब्लम है, बड़ी विकट समस्या है। सीवरेज लाइन न होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, लोगों को अपने घरों के बाहर शाक पिट्स खुदवाने पड़ते हैं, और वह भी 40-40, 50-50, 60-60 फीट गहरे खुदवाने पड़ते हैं। 80-80, 60-60 फीट गहरा गढ्ढा होता है जिसकी वजह से पानी का पोल्यूशन होता है वह बहुत मात्रा में होता है। आप निश्चित मानिए कि एक दिन ऐसी स्थिति

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आ जायेगी जहां पर मीठा पानी पीने के लिए मिलता था उस पानी की स्थिति यह हो गई है कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो गई है । यह बड़ा ध्यान देने योग्य मामला है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान नगर परिषद, सीकर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । नगर परिषद, सीकर में 1981 में जितने हरिजन कर्मचारी थे उसके बाद एक भी हरिजन कर्मचारी की नई नियुक्ति नहीं हुई। आज इतने वर्षों बाद वहां किसी नए हरिजन कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई । जनसंख्या के अनुपात में यदि देखा जाय तो वहां पर करीब 600 हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी उसके बदले आज सिर्फ 225 कर्मचारी हैं जिनमें से कुछ बीमार रहते हैं, कुछ सरकारी अधिकारियों के बंगले में काम करते हैं, कुल मिलाकर सीकर की जनता को जो सुविधाएं हरिजन कर्मचारियों से मिलती है वह मात्र डेढ़ सौ-पौने दो सौ के बीच में जो हरिजन कर्मचारी हैं उन्हीं से उपलब्ध होती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर तो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की ओर चूंकि हरिजन कर्मचारी पढ़े-लिखे नहीं होते हैं इसलिए सिवाय इस काम के ओर किसी तरह का रोजगार नहीं मिलता है । दूसरी समस्या है सफाई की । आज सीकर में गन्दगी का इस कदर माहौल बन गया है कि यदि हमने समय रहते उस गन्दगी को दूर करने की कोशिश नहीं की तो कुछ मोहल्लों की स्थिति तो यह बन गई वहां पर जल-मल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उच्चाणी, मोहल्ला कारीगरान, रायजी का मोहल्ला कुछ तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदमियों का पैदल आना-जाना भी मुश्किल है । उच्चाणी का स्थान, जहां की मैं चर्चा कर रहा हूं मन्त्री महोदय, आप स्वयं इस बात पर गौर फरमाये, आप अपने डिपार्टमेंट के आफिसर्स की इफिसियेंसी की तारीफ करिए । एक तरफ 2-2, 3-3 फीट कचरा भरा हुआ है, बरसों पुराना कीचड़ भरा हुआ उसके बीच में आपके अधिकारियों ने ट्यूब वैल खुदवा दिया । अब आप सोचिए कैसा पानी उपलब्ध होगा ? लेकिन वे सारी की सारी कार्यवाही राजनीतिकरण के आधार पर करते हैं । मैंने स्वयं ने उनको मना किया था कि यहां पर पानी गन्दा भरा हुआ है इसलिए आप यहां ट्यूब वैल मत बनाओ लेकिन उन्होंने नहीं माना और जिद् करके वहीं पर ट्यूब वैल बना दिया और आज सारा मोहल्ला वह गन्दा पानी पी रहा है, उन्हें गन्दा पानी पीना पड़ता है । मैंने इस सम्बन्ध में पिछली बार भी आपको लिखित में सूचना दी थी कि करीब 10 आदमियों को उस गन्दे पानी पीने से मौत हुई है । राज्य सरकार इस बात की जानकारी करे । राज्य सरकार की ओर से मिस्टर आई. सी. श्रीवास्तव, जो उस वक्त कमिश्नर थे, उन्होंने स्वयं ने वहां पर मौका फरमाया और वस्तुस्थिति को जाकर बहुत गौर से समझा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार यह कहती है कि हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास फण्ड्स नहीं हैं और दूसरी तरफ राजनीति का नजारा देखिए कि जिस सीकर में एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर की

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पोस्ट है वहां पर अभी हाल ही में एक सेक्रेटरी की पोस्टिंग और कर दी। जब आपके पास में फण्ड्स ही देने को नहीं है तो सीकर में सेक्रेटरी की पोस्ट का क्या औचित्य है ? वहां पर आपने डाक्टर की पोस्ट कर रखी है जबकि सीकर में नगर परिषद् की कोई डिस्पेंसरी नहीं है, डिस्पेंसरी की कोई व्यवस्था नहीं है, दवाइयों के नाम पर वहां पर एक पैसे का बजट नहीं है, वहां पर आपने डाक्टर की व्यवस्था कर रखी है। एक सेक्रेटरी की व्यवस्था कर दी और आर. ओ. की एक पोस्ट थी उसकी जगह दो आर. ओ. आपने लगा दिया। क्योंकि एक आर. ओ. का ट्रांसफर हो गया, राजनीतिक ग्रुप से प्रभावित हुआ, आपने असेसर नियुक्त कर दिया। आपने बड़े-बड़े सफेद हाथियों की पोस्टिंग वहां पर कर दी। इन सब के बदले यदि सीकर में 50 हरिजन कर्मचारी उपलब्ध करवाते तो मैं समझता हूं कि बड़ा उपकार होता सीकर के ऊपर। सीकर की जनता जिस गन्दगी में सड़ रही है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो लावा फटा ही नहीं है, उसके पहले आप कह रहे हैं कि बिराजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस अतिक्रमण का मेरे से पूर्व जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह से पूर्व मंत्रियों का नाम ले-ले कर बड़ा बखान किया यहां बैठकर, मैं माननीय मंत्री महोदय से स्वयं से पूछता हूं कि आपने जो मकान बनाया, वह उसका अतिक्रमण नहीं है ? जवाब दिलवाइए आप मेरी चुनौती है, मेरा चैलेंज है आपको इस बात के लिए। आपने इस तरह से कह दिया कि हरिदेवजी जोशी ने फलां जगह कर लिया, शिवचरणजी माथुर ने फलां जगह कर लिया, स्वयं आपके मंत्री महोदय ने अपना मकान जो बाहर बनाया, अपने मकान में जो दुबारा निर्माण किया, वह अतिक्रमण नहीं था। आप इसको कहलवा दीजिए कि अतिक्रमण नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, पारीक साहब। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने परम्परा चालू की है।

श्री उपाध्यक्ष : बिना नोटिस के इस प्रकार के आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप पहले नोटिस दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हरिदेवजी का लगाया तब क्या नोटिस दिया था ?

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना। बिना नोटिस दिए एलिगेशंस नहीं लगाये जायेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : उन्होंने क्या नोटिस दिया था ?

श्री राजेन्द्र पारीक : वह उन्होंने दिया था क्या, श्री कालीचरणजी सराफ ने बिना नोटिस दिए श्री शिवचरणजी माथुर का नाम ले लिया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप

(श्री उपाध्यक्ष)

जवाब दे रहे हैं। वन मिनट, बिराजिये पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको मौका मिलेगा माननीय मंत्री महोदय, जवाब देने का, पहले पूरा होने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की ओर से व्यवस्था है।...(व्यवधान)....श्री महावीर प्रसाद जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कई जनों ने अतिक्रमण कर रखा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय और अपने बाप भी बदल रखे हैं। एक ही बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप जिस मकान की चर्चा करते हैं वह मेरा मकान मेरी माताजी के नाम है लेकिन मैं उसमें रहता हूं। आप खुद जांच कर लें कि अगर एक इंच भूमि भी, एक इंच भूमि का भी उसमें अतिक्रमण मिल जाये, बिना परमिशन मिल जाय तो आप आकर उपाध्यक्षजी से कह देना, तो यह जो कह देंगे सो मुझे दंड है वरना आप अपने....

श्री राजेन्द्र पारीक : अतिक्रमण की क्या परिभाषा है, यही समझ में नहीं आई ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : काहे कि परिभाषा समझ में नहीं आई ?

श्री राजेन्द्र पारीक : इन लोगों के मकान जो बनते हैं वह अतिक्रमण नहीं होते हैं और हम जो मकान बनाते हैं वह अतिक्रमण की ताईद में आते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ रोकना पड़ेगा....

श्री भंवरलाल शर्मा : एक इंच भूमि भी........

श्री राजेन्द्र पारीक : इसे आपको कन्ट्रोल करना पड़ेगा। Don't tell others.

श्री उपाध्यक्ष : श्री पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप दूसरों को तो नसीहत देते हैं और खुद आप अतिक्रमण करते चले जाते हैं। अभी तो मैं और दे रहा हूं आपको....

श्री उपाध्यक्ष : आपको बताया है, आप जांच कर लीजिए। इतना अधिकार दे दिया....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप ही जांच कर लेना। एक इंच भूमि भी...

श्री राजेन्द्र पारीक : जांच तो जनता कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आरोप लगाना था तो आपको नोटिस देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : लोग अपनी इन आंखों से देख रहे हैं कि वहां पर क्या रहे हैं आप लोग ?

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपकी मंशा थी तो नोटिस देते कि इस प्रकार के एलीगेशन लगायेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : हरिदेवजी जोशी को नोटिस दिलवाते आप। आपने हरिदेव जी जोशी को नोटिस दिलवाया, शिवचरण जी माथुर को नोटिस दिलवाया ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये थे....

श्री राजेन्द्र पारीक : कानून की बात करते हैं (व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अवैध कब्जे नेता करवा रहे हैं आपके।

श्री उपाध्यक्ष : यहां व्यवस्था की बात की जायेगी। प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपके नेताओं ने कर रखे हैं अवैध कब्जे तो।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनको बैठा दीजिए एक बार।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। पारीक साहब, बैठिए। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : जवाब देने का मौका मिलेगा। मुझे टाईम दिया गया है मुझे बोलने दीजिए। इनको मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट विराजिये। माननीय मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसके बाद क्या फिर नहीं बोलेंगे वह ?

श्री परसादीलाल मीणा : पूरी बात कहने दें आप, फिर जवाब देना।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलालजी, प्लीज सदन को चलाने में सहयोग करिए आप। वह अपनी बात का उत्तर दे रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ आरोप लगाया जाता है तो माननीय सदस्य उसी समय उसका जवाब देते हैं, उसकी व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : पूरी बात तो कहने दें इनको।

श्री उपाध्यक्ष : तो रोक रहा है क्या कोई उनको ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि....

श्री राजेन्द्र पारीक : इनका क्या पाइन्ट आफ आर्डर हैं, इन्हें बीच में डिस्टर्ब करने की आदत है....

एक माननीय सदस्य : ऐसी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है कि पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है ? कृपया सहयोग कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जानते हैं कि आरोप लगाने की परम्परा है उसका पहले नोटिस देना पड़ता है। माननीय सदस्य स्वयं वकील हैं, माननीय मन्त्रीजी से उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की परिभाषा समझायें। माननीय सदस्य+ + +हैं, आप जांच करवायें।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह पाइन्ट आफ आर्डर है इनका ?

+ + + शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : कि यह+++ हैं, यह पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसी भाषा ग्रासन समझेगा ग्रब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य को +++ कहा है। यह कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जांच ग्राप करवा लें। मैं ग्रापको गारन्टी से कहता हूं : चाहे ग्राप +++ शब्द कार्यवाही से निकालिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री देवपुरा साहब बोल रहे हैं। बैठिये ग्राप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ग्रापको बोलने का तरीका ग्राना चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ग्रच्छा ग्राप बता दें कि साधारण ग्रवस्था में एक वकील इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है........

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : यह+++शब्द जो कहा है उसको ग्राप कार्यवाही से निकाल दीजिए। किसी माननीय सदस्य को+++कहने का मतलब है कि डिसक्वालिफाइड करना। +++ शब्द किसी सदस्य के लिए कहना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार से जो कहा गया है उसको निकाल दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है, ग्रच्छा ग्राप बता दें, मुझे कोई एतराज नहीं है श्री देवपुरा साहब, निश्चित रूप से ग्राप इसे एक्सपंज करा दें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ग्राप व्यवस्था दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन ग्राप मुझे समझाइए, उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप स्वयं निर्णय कर लें ग्रौर सारा हाउस निर्णय करे कि एक वकील .. (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह इनका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है,+++कहा है, उसकी व्यवस्था दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है, ग्रापने ग्रलाऊ किया है....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने ग्रलाऊ किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिसने एल.एल.बी. की हो, कोई बिना पढ़ा-लिखा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज करने के लिए ग्रलाऊ किया जाता है इसलिए बोल रहे हैं ग्रपनी बात।

श्री प्रेमसिंह दहिया : क्या उन्हें +++कहने का पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्री देवपुरा साहब बता दें कि कोई साधारण ग्रादमी हो, जिसको पूरी जानकारी हो, एल.एल.बी. किया हो....

+++ शब्द माननीय उपाध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कौनसे नियमों के अन्तर्गत आप पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं ? कौनसी प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी गलत परम्परा है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हर व्यक्ति के बीच में व्यवधान पैदा करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो आज्ञाकारी हूं, आसन कहेगा बैठ जाऊंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बीच में व्यवधान पैदा करते हैं। व्यवधान पैदा करने वाले हैं।

श्री अमृतलाल परमार : पाइन्ट आफ आर्डर सही है। यह बोलने का उनको पूरा अधिकार है।... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि ट्रेजरी बैंचेज यह समझती है कि वह अपनी ऊंची आवाज में विपक्ष में बैठे हुए लोगों को दबा देंगे तो यह उनकी भूल है। मुझे बोलने का अधिकार है और जब तक बोलता रहूंगा जब तक मेरी बात मुझे बोलनी है....

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : हम ऐसे नहीं बोलने देंगे। +++ आप लोग हो और हमारे सही मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। हम जवाब देंगे, ऊंची आवाज क्या होती है। (व्यवधान)....श्री हरिदेव जोशी ने कंजरों की जमीन पर मकान बनाया, कौन किनकी बात करते हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके +++ हैं... (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : हरिदेव जी जोशी ने कंजरों की जमीन पर मकान बनाया अजमेर रोड के ऊपर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अनंग कुमार जी, बिराजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : अपने नेताओं के कारनामों को लिस्ट लो हमसे। हम भी ऊंची आवाज में बोल सकते हैं।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अनंग कुमार जी, बिराजिये। क्यों वाद-विवाद का विषय बनाते हो ? (व्यवधान) महावीर जी, प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री अनंग कुमार जैन : यह क्या हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। हम भी टोन में टोन मिलाकर कहेंगे कि +++ हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे माननीय सदस्य ने +++ कहा है आप उन्हें रोकिये। वरना यहां पर दूसरा कोई परिणाम निकल जायेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, इस प्रकार की अशिष्ट भाषा का प्रयोग मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : आप जैसे बोलते हैं ऊंची आवाज में, वैसे हमें भी अधिकार है।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ है। (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम जा रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह +++ कहा है इसे आप कार्यवाही से निकालिये साहब।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही से निकाल दिया जाय। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : पहले जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको रोकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक जी टाइम बढ़ाने के लिए....(व्यवधान).... कृपया सहयोग कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : टाइम निकालने के लिए बढ़ा रहे हैं, माननीय सदस्य को +++ कहने के लिए बढ़ा रहे हैं टाइम ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या इतना भी सहयोग नहीं करेंगे आप। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

मांगें पारित होने तक के लिए समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग संख्या 27 व 29 पर विचार

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने से पहले आपसे प्रोटेक्शन चाहा था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जितना मिल सकता है, समानता से मिलेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा छोटा सा निवेदन सुनिये। मैंने इतनी देर अपनी बात कही एक शब्द भी अगर असंसदीय कहा हो तो आपकी जो मर्जी आये मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे एक शब्द कहने के बाद मुझे इस तरह से जलील किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : छोड़िये, उसको निकाल दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उनको शिक्षा दीजिए उपाध्यक्ष महोदय, इनके संस्कार खोटे हैं। मैं तो यह कहता हूं कि यह आदतन अपराधी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनके +++ है यह मुझे क्या कहेंगे।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : +++ बात को निकाल दीजिए।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : निकालना तो इनको पड़ेगा....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह जब तक नहीं बैठेंगे, मैं बोल नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसादजी, सहयोग कीजिए। प्लीज, सहयोग कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक बात उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में कह देता हूं कि जिस दिन वह बोलेंगे मैं उनको इतना इन्ट्रप्ट करूंगा कि एक शब्द नहीं बोल सकेंगे वह....

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप मांगों पर बोलेंगे तो मैं बोलने दूंगा। नहीं तो मैं आपको रोक रहा हूं। मांग पर बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच बड़ा कड़वा होता है। अभी सरकार ने पिछले दिनों जो कानून बनाये, नगरपालिका के संशोधन जो किये, उसमें प्रावधान था कि यदि कोई अतिक्रमण होता है तो फौजदारी कानून के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होगा, उन पर सजा का प्रावधान था। उपाध्यक्ष महोदय, अपनी उन ट्रेजरी बेन्चेज से कहिये कि इस बात को ध्यान से सुने और उसमें कहीं गलती हो तो मैं स्तीफा देने को तैयार हूं। मेरे सीकर क्षेत्र में मीनाक्षी रोड पर आपके ही संगठन के उपाध्यक्ष के स्वयं के भाई ने वहां दुकानें बना कर जो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस के बाहर हैं, उस पर आरोप मत लगाइये। जो मेम्बर हाउस से बाहर है, हाउस में नहीं है उस पर आरोप ना लगाइये।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मीनाक्षी रोड पर दुकानों का निर्माण हुआ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : प्वान ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : यहां तो 50-50 आरोप लगाये फिर भी उसे देखना पड़ेगा इसलिए आप इनको बोलने दें यह जो बोल रहे हैं उसमें....

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी चुनौती है। मीनाक्षी रोड पर सार्वजनिक पानी के निकास का जो नाला है उस पर पट्टियां डालकर वहां अवैध निर्माण कर रखा है। आपके बी. जे. पी. के वर्कर्स ने। आप देखिये, नहीं तो मैं स्तीफा देने को तैयार हूं अगर असत्य भाषण नजर आता है। वरना मैं स्तीफा देने को तैयार हूं। आप उनसे कहिये। अतिक्रमण की जो बात करते हैं, वह जो कानून बनाने वाले बैठे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ शर्मा। विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में कोई आश्वासन दें। सीकर में जो अनुपयोगी पोस्टें दे रखी हैं सचिव की, डॉक्टर्स की, यह जो पोस्टें हैं इनके बारे में कोई न कोई निश्चित बात बतायें कि उन पोस्टों को हटा करके वहां नियुक्ति कब करने जा रहे हैं। आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ शर्मा, बैठिये आप। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको मौका मिलेगा बोलने का, तब बोलने दीजिये आप इनको ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान यह आरोप लगाया कि मैंने अपने मकान का एनक्रोचमेंट किया है । मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे मकान के एनक्रोचमेंट का सवाल ही नहीं है । अगर अखबार में आती है ... (व्यवधान) सीरियस नहीं है, मैं भी मानता हूं । ऐसी बात नहीं करनी चाहिये । एक इन्च भूमि पर भी एनक्रोचमेंट हो या कोई अवैध निर्माण हो किसी प्रकार का भी तो मैं यह निवेदन करूंगा कि देवपुरा साहब यहां बिराजमान है (व्यवधान) मैं पूरा कर रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मन्त्री समझने की कृपा करें । आपकी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाया गया है । माननीय सदस्य ने कहा कि आप आधारहीन आरोप लगाते हैं कांग्रेस के सदस्यों के लिये ··· (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सुरेन्द्र जी, मैं आपको ही यह दायित्व देता हूं । आप ऐसा करिये, आप स्वयं जाकर देख लीजिये और अगर आपको लगे यह बात, कोई सी भी तो आप मुझे कह देना । वरना तो या तो इसकी जांच हो । मेरा निवेदन है या यह कार्यवाही से निकले ।

श्री राजेन्द्र पारीक : दूसरा जो आरोप लगाया है उसकी सत्यता के बारे में क्या कहते है आप । मीनाक्षी रोड़ पर जो अतिक्रमण हुआ उसके बारे में क्या कहते हैं आप । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पारीक साहब, बिराजिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर यह निकलेगा तो कांग्रेस दल के खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं वह भी कार्यवाही से निकलेंगे ।····(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा निवेदन सुन लीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक तो कार्यवाही से निकालिये वरना इसकी जांच कराइये और एक इन्च भूमि पर भी मिल जाये ....(व्यवधान) देवपुरा साहब, 1961 में मैं नगरपालिका का चैयरमेन था और उसके बाद लगातार मैं राजनीति में रहा हूं । 1977 में भी मैं मन्त्री रहा और उसके बाद भी मैं रहा हूं । यह पहले व्यक्ति है जो यह बात कहते हैं कि मैंने कोई अवैधानिक काम किया है, या मैंने जमीन दबाई है । मैं इस लांछन को बरदाश्त करने की स्थिति में नहीं हूं । या तो आप क्लीयर कर दीजिये, जांच करिये मेरी, प्रद्युम्नसिंह जी को दे दीजिये या जिन पर इनको विश्वास हो, मैं तो इन पर ही छोड़ता हूं । या तो आप इसे विथ ड्रा करिये या इसकी जांच कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बोलने के तौर-तरीके क्या हैं सदन में, सब वाकिफ हैं । मैं आपके सचेतक महोदय और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सदस्यों पर कन्ट्रोल कीजिए, मन चाहे जैसी बात कह देते हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कन्ट्रोल आप करो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो सदन के नेता से ही कह सकता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने हमसे ही कहा है।.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कह रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका कहना ठीक है सदन में जब उत्तेजना फैलती है तो जब दोनों तरफ से वह बातें होती है तो कन्ट्रोल करना एक तरफ से भी हो सकता है। सदन की गरिमा को रखने की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष महोदय, चेयर की है, वहां सदन के माननीय सदस्यों की भी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा आपने फरमाया, मैं नहीं कहता कि हमारी तरफ से हमारे माननीय सदस्य उत्तेजित नहीं होंगे लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि आज सत्ता पक्ष के सदस्य भी उत्तेजित नहीं हो रहे हैं। आप उनसे भी फरमाइये कि वे भी गरिमा में रहे और इधर भी जिम्मेदारी है गरिमा में रहे।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों पक्षों से कह रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं केवल एक बात कह रहा हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने अभी एक आरोप का जिक्र किया और यह कहा कि इसको विलोपित किया जाय। इस सदन में कई बार मन्त्रियों पर भी और कई माननीय सदस्यों पर भी आरोप लगे हैं। मैं नहीं कहता कि सभी आरोप सच्चे हों, आरोप लगे हैं, माननीय सदस्य जिस जिम्मेदारी से लगाना चाहते हैं उस जिम्मेदारी से लगाते हैं। गलत फहमी भी हो सकती है वह आरोप लेकिन आरोप के ऊपर पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार माननीय मन्त्री महोदय और सम्बन्धित सदस्यों को है। जो पर्सनल एक्सप्लेशन दे दिया वह भी आपका रिकार्ड पर है। लेकिन चूंकि आपका कहना यह है कि आरोप असत्य है इसलिये इसको एक्सपंज किया जाय, मैं उसके ऊपर निवेदन कर रहा था कि एक्सपंज करने जैसी कोई बात इसमें नहीं है, जांच कराते हैं तो वह आप जैसा चाहे वैसा करायें। लेकिन.... मैं केवल यही कह रहा था कि एक्सपंज नहीं हो सकती ये बातें क्योंकि इसमें कोई असंसदीय बात नहीं है। आपका एक्सप्लेनेशन का हक था आपने एक्सप्लेनेशन दिया वह आ गया। आपने कहा बिल्कुल असत्य हैं, गलत है, जो भी आपने कहा और मैं यह जो भी कहें सहयोग करने के लिए तैयार हूं, यह सब बातें इसमें आ गई इसलिये इसको विलोपित करने का या एक्सपंज करने का प्रश्न नहीं होता है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो इसकी जांच चाहता हूं। या तो आपने जो आरोप लगाये हैं, उसकी जांच करके साबित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक मिनट अलाऊ कर रहा हूं।

(5.00 सायं)

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको प्राइमाफेसी लगता है कि यह सत्यता नहीं है, केवल हाउस में बात कही गई है तो एक्सपंज क्यों नहीं होना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : जांच कराने का न तो मुझे अधिकार है....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं हाउस को कह रहा हूं। आपको थोड़े ही कह रहा हूं। मैं चेयर को कह रहा हूं। मैं चेयर से निवेदन कर रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह चेयर को फैसला करना है। माननीय मन्त्री महोदय, यह चेयर को फैसला करना है। मैं मानता हूं कि जिस किसी पर आरोप लगते हैं और वे गलत आरोप होंगे तो उनके मन को बड़ी पीड़ा होती है....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं चेयर को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं उसमें नहीं कहता हूं। यह चेयर का काम है लेकिन आपने जब कहा न कि यदि जांच करायेंगे तो इससे पहले एक्सपंज कर दीजिये, वह नहीं कहना चाहता। मैं वो कहना चाहता हूं कि यदि तरीका नहीं है। एक्सपंज तो नहीं हो सकता। चेयर चाहे जांच करवावें, कमेटी से जांच करवावें मुख्य मन्त्री चाहे और किसी से करवावें, यह दूसरा पक्ष हो गया। उसमें मुझे कोई नहीं है जांच करवावें, असत्य निकले यह अच्छी बात होगी, इसके लिये मैं तैयार हूं। मैं डिफाइन नहीं करता कि आरोप कैसा है, कैसा नहीं है। उसको मैं डिफाइन नहीं करना चाह रहा। मैं तो केवल यह कह रहा था इस बात के लिये कि इस तरह की बातें कई बात हुई हैं लेकिन वे यहां पर एक्सपंज नहीं हुई है। That's all. This is my request.

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मेरा यह निवेदन है कि या तो इसमें दम है इन आरोपों में, यह बात आ जानी चाहिये.... (व्यवधान) आ जानी चाहिये। मैं मना नहीं करता हूं। मैं चेयर से ही कह रहा हूं। I am addressing to the Chair.

श्री हीरालाल देवपुरा : आफ कोर्स।

श्री भंवरलाल शर्मा : या तो इसकी सत्यता का पता लग जाय वरना इसको एक्सपंज करे।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह एक्सपंज नहीं हो सकता।... (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी दोनों पक्षों की तरफ से काफी गरमा-गरमी की बात चली। ऐसे मौकों पर कुछ जोश में कहा जाना स्वभाविक तो होता है लेकिन उसकी मर्यादायें रहनी चाहिये। अभी जब माननीय मन्त्री जी बोल रहे थे, एक दफा नहीं, दो दफे आपने प्रयोग किया है कि पहला व्यक्ति है यह, मैं समझता हूं हमारी प्रणाली में यह उचित नहीं है। माननीय सदस्य सब सम्मान के योग्य हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि आप कोई निरादर की भावना से बोल रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ परम्परायें यहां हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : I correct myself (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह जो पार्ट आ गया है, उसको देखकर उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. उन्होंने तो वापस ले लिया। आप देखकर करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की परम्परा के लिये इसके विपरीत होगा। इसके अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : जो हिस्सा आया है इसको देखकर के और इस पर वापस देखा जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर आप क्या देखेंगे? इसमें आप मेरा निवेदन सुन लीजिये अगर आप इसको देख रहे हैं तो, इस सदन के अन्दर आज जो सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग बैठे हैं। 50 दफा मन्त्रियों पर आरोप लगे हैं। मन्त्रियों ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर उनका खण्डन किया जैसे अभी कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है लेकिन अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के बाद आज दिन तक एक्सपंज नहीं होता है। सिर्फ असंसदीय शब्द ही एक्सपंज हो सकते हैं हाउस की प्रोसिडिंग्स से। अगर यह परम्परा चल गई एक्सपंज करने की, अगर यह असीमित अधिकार आसन को मिल गया तो लोकतन्त्र का गला घुट जायेगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें जांच की मांग नहीं की गई है चार्ज लगाने के बाद, मैं जांच की मांग कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मन्त्री जी जांच करवावें, अध्यक्ष महोदय जांच करवावें हमें कहां एतराज है? इसके ऊपर, मुख्य मन्त्री जी करवावें, अध्यक्ष महोदय करवावें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके ऊपर इस तरफ से भी दो आदमी लिये जायेंगे और माननीय नेताजी के साथ बैठकर उसके बाद में किया जायेगा। माननीय सदस्य, यह यूं नहीं किया जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक के ऊपर नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ना, अब हो गया है आपका। माननीय प्रोफेसर केदार जी।

श्री केदार नाथ शर्मा : मान्यवर, इस सेक्शन में....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि इस सारी बहस के बाद में आसन की तरफ से जो व्यवस्था शुरू हुई, दो इधर में और दो उधर से और माननीय अध्यक्ष महोदय बैठ करके निर्णय करेंगे तो क्या इन शब्दों को कार्यवाही से हटाने के बारे में या सदन में कोई व्यवस्था दी जाय, यह एक नई परम्परा कायम हो रही है। यह व्यवस्था या तो आसन की तरफ से होती है, यह इस साइड से या उस साइड से, दोनों तरफ से नेता बैठ करके और सदन में नई तरह की व्यवस्था कायम की जाय, आज तक तो ऐसी व्यवस्था नहीं रही।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आगे भी हुआ है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : नहीं, पहली बार हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आगे भी हुई है। मैंने देखा है। मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं। आगे भी हुआ है। मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं ऐसा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आगे नहीं हुआ है। आप देख लीजिये इसको.... (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सदन पूरे राजस्थान से चुने हुए व्यक्तियों का समूह होता है। उसमें मन्त्री होते हैं, हमारे माननीय सदस्य होते हैं। उनको सदस्यों से काम पड़ता है, अधिकाकारियों से काम पड़ता है। पूरे राजस्थान में और पूरे देश में व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, लोग उनकी बातों को मानते हैं। यहां माननीय सदस्य बिना सोचे समझे, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फेक्ट्स के, बिना कोई तथ्य इकठ्ठे किये हुए कोई आरोप लगाता है तो आप मानते हैं कि उसका असर उनके अधिकारियों पर, उनके अधिकारियों पर, उनके कर्मचारियों पर, पूरे राजस्थान की जनता पर कितना बड़ा असर पड़ता है। माननीय सदस्य जो खुद बोलते हैं, पहले तो खुद को करना पड़ता है, फिर आप करवाइये, फिर दूसरों को फरमाइये। पहले आदमी को खुद को स्वस्थ होना चाहिये, फिर दूसरों को फरमाइये। पहले आदमी को खुद को स्वास्थ्य होना चाहिये, उसकी छवि ठीक होनी चाहिये और फिर दूसरों के ऊपर जब आरोप लगाते है तो आरोप लगाने के ऊपर पूरे फैक्ट्स इकट्ठे करने चाहिये। लोग अपने से पूछा करते हैं कि ये राजस्थान के लोग जिन्हें हम चुनकर भेजते है उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अच्छी बात कहेंगे, हमारी डिमाण्ड है, हमारी मांगे हैं, हमारी पानी की समस्या है उसके ऊपर बोले। इसने चोरी कर ली, इसने वो कर लिया, इस तरह की बातें कहने से खामख्वाह वातावरण गरम होता है और माननीय सदस्य को मिलता क्या है उससे, सिवाय उसके कि उनकी बेइज्जती होती है, सदन की गरिमा कम होती है इसलिए जब तक आप ताड़ना नहीं देंगे अगर, मैं कहता हूं इसकी जांच होनी चाहिये या कोई माननीय सदस्य अगर अनर्गल बात या गलत आरोप लगता हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोगेश्वर गर्ग जी बिराजिये आप। प्रोफेसर केदार जी।

श्री केदारनाथ शर्मा : चूंकि बजट सेशन के अन्दर ही हम अपनी राय दे सकते हैं। माननीय माथुर साहब की कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि सेशन के बाद तो 6 महीने का ब्रेक हो जायेगा और हमारी राय सुनने का सरकार को मौका नहीं मिलेगा। मैं इससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छे आदमी को चेयरमेन बनाया है जिसका बतौर एम.एल.ए., बतौर मंत्री और राजस्थान में पोलिटिकल लाइन में बहुत बड़ा अनुभव, लम्बा स्टैण्डिंग, विद्वान और बहुत ही अध्ययन किया है इन बातों के लिए। मैं तारीफ करता हूं कि आपने ऐसे व्यक्ति को चैयरमैन बनाया है। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, बहुत सोच समझकर रिपोर्ट दी है। सारी म्युनिसिपलिटी की आमदनी कैसे

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बढ़ाई जाय और चुंगी को समाप्त करने का कौनसा विकल्प हो, इसके बारे में उनकी रिपोर्ट है। मान्यवर, सारी म्युनिसीपलिटी को चार केटेगरीज मे बांट दिया गया है आमदनी के हिसाब से और आबादी के हिसाब से। टोटल म्युनिसिपलिटी से 90 करोड़ की आमदनी होती है। चुंगी के बारे में हमारा सबका मत था, कि हरेक राजनैतिक पार्टी का कहना था कि चुंगी को समाप्त किया जाय, इसका कोई दूसरा विकल्प हो क्योंकि चुंगी में चोरी बहुत होती है, हरेसमेंट बहुत होता है और ट्रेफिक प्रोब्लम भी पैदा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी आमदनी होती है कि लोगों की जेबों में चोरी से जाती है जो वहां के कर्मचारी होते हैं। उन्होंने जो विकल्प पेश किया है "एन्ट्री टैक्स"। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं और कुछ मुझे एप्रिहेन्सिव शंकाएं हैं इसके बारे में कि 6000 कर्मचारी सरप्लस हो जायेंगे और 90 करोड़ की बजाय जो आपने एस्टीमेट पेश किया है, उसके हिसाब से 100 करोड़ की आमदनी होगी। म्युनिसिपलिटी पैसे का कांस्टेंट फ्लो बंद नहीं होगा। जो ट्रेण्ड एन्ट्रीज 15 प्रतिशत है वह भी कम नहीं होगा और टोटल पैसा आपको मिल जायेगा और जो बाकी बचेगा, उससे फण्ड क्रिएट कर देंगे ताकि लोकल बाडीज उसको इस्तेमाल करके शहरों का विकास करें। मान्यवर, चुंगी से हर महीने रोजाना पहली तारीख को सेलेरी देनी पड़ती है, अपनी पूरी देनदारियां चुकानी पड़ती है। म्युनिसिपलिटी के पास एक ही साधन है। 60 प्रतिशत आमदनी का यह पार्ट हैं। बाकी हाउस रेंट रहा, उस सेच्युरेशन पाइंट पर उससे वसूली नहीं होगी। लैण्ड है नहीं म्युनिसिपलिटी के पास। जहां-जहां म्युनिसिपलिटी के वाटर वर्क्स हैं वहां पर वाटर दिलाती हैं और कोई साधन नहीं है म्युनिसीपलिटी के पास सिवाय इस चुंगी के। अब आप इसको समाप्त कर रहे हैं। हर माह में पेमेंट करोगे नहीं, सी.टी.ओ. विभाग है जिससे आप विभाग हैं जिससे आप वसूली करोगे वह हर माह आपको पैसा नहीं देगा पहली तारीख को आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, और देनदारियां पूरी करनी पड़ेंगी सेनिटेशन की है, सफाई की है, जगह-जगह मरम्मत का सवाल है, झुग्गी-झोंपड़ियों में एमीनिटीज देने का सवाल है, फायर ब्रिगेड है। इसके अलावा अनेकों काम हैं विकास के लिए। इसलिए मैं कह रहा था कि म्युनिसीपलिटी के पास अटार्नी का सवाल मैं रेज नहीं करता क्योंकि चुंगी को म्युनिसीपलिटी प्रपोजड और उसकी सरकार फाइनेन्शल सेंक्शन देती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर सोच-समझकर आप फैसला कीजिए। 6 हजार जैसे आपने मुकर्जी कमेटी को लागू करने के बाद 24 म्युनिसीपलिटीज को समाप्त किया, भंग किया। 12 का स्टे आ गया हाईकोर्ट से। 250-300 आदमी सरप्लस हुए आज तक उनमें 50-60 आदमियों को आप अब्जोर्व नहीं कर पाये आज तक और जो विकास का लेबल था उसको भी आप कायम नहीं कर पाये। जो वहां एमेनिटीज मिलती थीं उन शहरों में उनको पंचायत का दर्जा दे दिया आपने। वो आप मेंटेन नहीं कर पाये। इसलिए यह डर है नहीं कि आटोनोमी की बात करते हैं न कि म्युनिसीपलिटी की स्वायत्तता की बात करते हैं

(श्री केदारनाथ शर्मा)

और यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा इन्तजाम किया जाय कि एण्टी टैक्स से हर माल पेमेंट हो जाय और 6 हजार एम्प्लोइज को सोच समझ करके कैसे एडजस्ट करेंगे आप दूसरे डिपार्टमेंट में, कौनसी पोस्टें आप क्रिएट करेंगे यह मसला आपके सामने है। इसलिए इनको सोचे-समझे बिना इस रिपोर्ट को लागू मत करना यही आपसे निवेदन है।

मान्यवर, दूसरी बात यहां पर आपने 81 में सर्वे कराकर झुग्गी-झोंपड़ियों का, जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें काम करना शुरू कर दिया। मन्त्री महोदय आपने काफी अच्छा काम किया है और जयपुर में विशेष तौर से आपने काम किया है, दूसरी म्युनिसीपलिटीज में काम हुआ है, पैसा काफी दिया है। किन्तु 81 के बाद अब 92 है। आज आप सर्वे और करवाइये, बाकी जो बस्तियां बच गई हैं उनको सीमा में ले करके वहां भी विकास के काम शुरू कराइये। विकास जैसे सेनिटेशन किसी रोड्स की है, बिजली है, पानी की व्यवस्था है और सफाई की व्यवस्था है। इसलिए 81 के बाद अब सर्वे करने की जरूरत है क्योंकि शहर काफी बढ़ गया, नई आबादी आ गई, एरियां बढ़ गया, बस्तियों में काफी लोग आकर बस गए इसलिए उनको आप अलग छोड़ दें।

तीसरा, मान्यवर मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मैला ढोने की बात है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आपको डाइरेक्संस दिए हैं कि इस वर्ष मैला ढोने की प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी जाय। आपने लैट्रिन्स का प्रबन्ध किया, कुछ पैसा भी दिया, सेन्ट्रल ने पैसा दिया 50 पर्सेण्ट और 50 पर्सेण्ट आप खर्च कर रहे है। इसको आप शहरों में अमल में लाओगे। मान्यवर, हमारे यहां ड्रेनेज की व्यवस्था बिल्कुल ही समाप्त है। ड्रेन या और कोई व्यवस्था आप आज तक कर नहीं पाए, पिछली सरकार ने 3-4 शहरों में की है बाकी म्युनिसीपलिटीज में ड्रेनेज की व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए वातावरण बिगड़ता है, बीमारी फैलती है, अनेक और विपदायें पड़ती है जिससे कि शहरों में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो जायेगा।

मान्यवर, चौथी बात हमारे गंगानगर में वाटर वर्क्स को तो आपने ले लिया। न तो हमें हमारे 5 लाख रुपया हर माह मिलते। डेढ़-दो करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया था, न तो मुआवजा दिया न जो हमारी रेगुलर आमदनी थी वो दे रहे हैं आप, न आप स्टाफ दे रहे हैं, न पाइप दे रहे हैं, न और इतजाम कर रहे हैं। पानी के इन्तजाम पहले से ज्यादा बिगड़ गए। मान्यवर यह शहर बोर्डर पर है। वहां पर क्लोजर्स होते हैं नहरों के। तीन दिन से ज्यादा पानी रिजर्व नहीं रहता, तो यह हमारे बड़ी दिक्कत है। आपको पाइप के लिए, रिजर्वेशन के लिए, वाटर कोर्सेज के लिए पैसा देना पड़ेगा तब जाकर हम कहेंगे कि आपकी सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया और सरकार इसको सुधारेगी तब हमें विश्वास पैदा होगा।

मान्यवर, यहां पर एक प्रश्न यह भी उठा कि हमारी जितनी भी प्लानिंग हैं इनके बारे में कुछ नए तरीके से सोचें। आप 10 रुपया पर हैड देते हैं और एक करोड़ की आबादी शहरों में आ गई। अब

(श्री केदारनाथ शर्मा)

भी म्युनिसीपलिटीज ऐसी हैं कि 15 करोड़ रुपये का उन पर एरियर्स है, देनदारी है। तो ये सारे हालत देखकर आप कैसे म्युनिसीपलिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन बदलते हैं। यह सारा सोचकर करना पड़ेगा।

मान्यवर, चेयरमैन का चुनाव उसी तरीके से होता है जैसे पहले इनडाइरेक्ट से होता था। दो साल बाद यहां मीट कर रहे हैं और सरकार को काफी समय मिल गया अपने प्रशासन को सुधारने के लिए, कई नई नीतियां बनाने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि शहर में चुनाव आप डाइरेक्ट बेस पर ही करवाइये और अविश्वास थ्री फोर्थ से कम न हो। एक साल से पहले अविश्वास आए ही नहीं ताकि स्टेबलिटी शहर के अन्दर, म्युनिसीपलिटी के अन्दर कायम हो वरना छः माह के बाद ही आप देखिये कि जितने चुनाव हुए उनमें आधे से ज्यादा चेयरमैन बदल गये। इसलिए शहरों में स्टेबलिटी पैदा हो इसके लिए आप इस एक्ट में थोड़ा चेंजेज लायें। मान्यवर, यहां पर आपने अच्छा किया कि विकास की दरें तय की। मगर उसमें शर्त रख दी। 82 के लैण्ड के टाइटल में डिस्प्युट हैं, कन्वर्जन रेट बढ़े हैं तो इनको दूर कर आप यह 25 या 20 रुपये की दरें विकास की तय करें। कल आपने एक मसला हल कर दिया, गंगानगर को आपने जयपुर से जोड़ दिया। 25 रुपया यहां भी है और गंगानगर में भी 25 रुपया दो। वह बोर्डर का डिस्ट्रिक्ट है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 25 नहीं है, 20 है।

श्री केदारनाथ शर्मा : गंगानगर में 25 ही है, देख लेना आप। मेरा मतलब 82 के बाद जिन लोगों का टाइटल का झगड़ा नहीं है, सीलिंग के केसेज आपके सामने हैं, कुछ आपकी लैण्ड पर बैठे हैं लोग। ये सारे केसेज जो लगातार 15-20 साल से काबिज हैं उनकी कालोनीज को रेगुलाइज करके कोई रास्ता निकालिए। हमारे इलाके में अभी तक कोई रेगुलराइज हुई नहीं। कन्वर्जन रेट आपने हमारी ए-क्लास कर दी 16 रुपये। तो मान्यवर, कन्वर्जन रेट भी आप कम करिए। टाइम पर भर नहीं पाये उन पर पैनेल्टी लगा दी तो वो पैनेल्टी वेव आफ कीजिए आप। आप टाइम एक्सटेण्ड कीजिए कि फलां तारीख तक आप कन्वर्जन रेट भर दो और डवलपमेंट चार्ज भर दो आप ताकि विकास के काम शुरू हों।

मान्यवर, मैं लम्बा नहीं बोलना चाहता हूं कि मैंने एडजोर्नमेंट मोशन के तहत एक प्रश्न उठाया था। आज भी माननीय सदस्य जो राजगढ़ से आये हैं, सीकर से आये हैं सीकर से आये हैं उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि आपने 31 तारीख 91 की उसमें जो रेट कांट्रेक्ट थे प्रेसर पाइप के वो समाप्त हो गए। आपने टेण्डर मांगे अगस्त व सितम्बर में। नेगोशियेसन आपने किया दिसम्बर में और आपने आर्डर दिया फरवरी में। यह कितना टाइम पीरियड निकला है। डिमाण्ड ही कम्युलेट हो गई और कितना नुकसान हुआ मान्यवर। गांव में, देहातों में, शहरों में पाइप नहीं पहुंच पाये, स्कीम और दे नहीं पाये, आपकी स्कीम रह गई, सारा विकास रुक गया, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा और फिर इम्प्रेशन यह दिया कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की इतनी केपेसिटी नहीं है कि 31 मार्च, 1992 तक हमें 24

(श्री केदारनाथ शर्मा)

लाख मैट्रिक टन दे देंगे। आपने बाहर की फर्मों को दे दिया और वह भी फिक्स रेट पर। पिछली सरकार बैठी है आप भी बैठे हैं 2 साल से। हमेशा ही आपने रेट वेरियशन में दी है और दूसरी स्टेट्स भी यही देती रही हैं। आपने फिक्स रेट दे दी और जिन फर्मों को दी है उनको नेगोसियेशन के वक्त आपने हिन्ट दे दिया, इण्डीकेशन की कि आप अपना माल खरीदना शुरू कर दें। मैं स्कैंडल की परिभाषा नहीं देना चाहता। इससे इम्प्रेशन क्रियेट कोई शेडी डील तो हुआ है। मैं शेडी डील लब्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। डील तो हुआ है शैडी डील कौन कर गया, कैसे हो गया, इतना बड़ा लेप्स, इतना बड़ा इनप्रोडिनेट डिले, इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब 15 पर्सेण्ट तो आपने ज्यादा दिया था रेट, 10 पर्सेण्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बजट के बाद उनको माल के ऊपर कन्सेशन मिला है और हमारे पास ही गुजरात स्टेट है उसने इन्हें वेरियेशन की रेट पर 25 पर्सेण्ट कम दिया है। इसलिए स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को आपने नुकसान पहुंचाया। इण्डस्ट्रियल पालिसी यह है कि जितनी भी हमारे स्टेट में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज काम करती हैं उनको 3 पर्सेण्ट से 15 पर्सेण्ट तक कन्सेशन देंगे आप रेट पर। 75 पर्सेण्ट माल उनको देंगे ताकि वह पनप सके। बड़ी अच्छी पालिसी है और उनकी केपेसिटी नहीं है तो आप जब बाहर भेजें किसी फर्म को तो इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट से नो-आब्जेक्शन लेना पड़ता है। यह इण्डस्ट्रीयल पालिसी में सरकार द्वारा तय किया हुआ है। तो उधर भी वाइलेशन किया और स्टेट को नुकसान भी पहुंचाया। यह 5 करोड़ है, 6 करोड़ है या 7 करोड़ है।

इसलिए मैं मोटिव इन्क्लूड न करता हुआ आपकी माफत निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं इसकी जांच की जाये कि डिले का क्या कारण है, ये लेप्स है, है, कौन व्यक्ति है जिन्होने यह नुकसान पहुंचाया आपको, हमको और सारे देहात के लोगों को ताकि आइन्दा इसके लिए जाप्ता हो। कभी फिक्स रेट में कोई स्टेट देती नहीं है फिर आपने यह शुरूआत कैसे की। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपसे निवेदन करता हू कि जांच के लायक है। मान्यवर अंत में यह भी कहता हुआ कि सारे जो प्लानिंग हैं जो टाउन प्लानिंग हैं। यहां पर बैठे हैं ये, कभी यू. आई. टी. की मीटिंगों में नहीं जाते और कभी म्युनिसपलटी की मीटिंग में नहीं जाते आपके टाउन प्लानिंग आफिसर। इनका अपना टेक्निकल तरीका बनाया हुआ है काम करने का यो मेल नहीं खाता रियलिटी से। तो उनको आप हिदायत दीजिए, सरकार उनको हिदायत दे कि हर यू. आई. टी. की मीटिंग आप अटेण्ड करें और हर म्युनिसपिलटी व बोर्ड कौंसिल की मीटिंग में आप जावें और लोगों के जो कंसेंसस हैं विकास की दृष्टि से, मंजूरी की दृष्टि से उनको ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लें। मान्यवर, अत में यह बात कहते हुए कि हमारी सारी बातें, जो प्लानिंग की बातें हैं, शहर के विकास की बात है, पी. एच ई. डी. की बात है, मैंने अपनी बात कह दी और मैं सोचता हूं कि सेन्टर से जितना पैसा बोर्डर इम्प्रूवमेंट के नाम से आता है उसमें पी एच. ई. डी. का भी काफी पैसा है। जितने भी बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है उनका कोई देहात, कोई कस्बा बिना पानी की व्यवस्था रहे ना,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बिना ड्रेन की व्यवस्था रहे सारे इन्तजाम हो जाय, उनका मोरेल ऊंचा हो। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट की मांग संख्या-27 और 29 पर विचार कर रहे हैं। पानी की समस्या सब जगह है। राजस्थान में पानी की दृष्टि से बहुत किल्लत है, पश्चिमी राजस्थान को छोड़ कर बाकी सभी स्थानों पर डिग्रीज का फर्क होगा लेकिन पेयजल की दृष्टि से कमी है। जो भी पुराने हैण्डपम्प लगे हैं, वैसे हैंडपम्प इस समस्या का कोई आधार नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रचलन चल पड़ा है, किसी न किसी रूप में हम लगाते आये हैं। परम्परागत जो हमारे स्रोत हैं उनकी तलाश नहीं करेंगे, पुरखों का जो बताया हुआ रास्ता है पेयजल के बारे में, उस ओर हम नहीं बढ़ेंगे तो इस समस्या का समाधान होगा नहीं। पानी हम रोक पायें, उसका अधिकतम उपयोग करें, पीने की दृष्टि से करें, और दृष्टि से करें, इस बात की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जितने हैण्डपम्प लगाये उनमें मेरे ख्याल से पचास प्रतिशत तो खराब मिलेंगे। कहीं धंस गये हैं, कहीं फिजीबिलटी नहीं रही है, कहीं पाइप गिर गये हैं, कहीं पेड़ की जड़ों से वह चॉक हो गये हैं, इस तरह की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में, अब हैण्डपम्प का मामला एक ऐसा है कि अरबन एरिया में हैण्डपम्प अलग है रूरल में अलग है, रूरल के हैण्डपम्पों को पंचायत समिति ठीक कराती है, अरबन एरिया में पी. एच. ई. डी. कराती है लेकिन हालात यह है कि रूरल में तो हैण्डपम्प ठीक होते नहीं और अरबन में भी यह स्थिति है कि यू.बी.एस. अलग हैण्डपम्प खोदती हैं, पालिका अलग खोदती हैं, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अलग हैण्डपम्प खोदता है। पी. एच. ई. डी. को यह ही मालुम नहीं कि कितने-कितने हैण्डपम्प खुदवाये और फिर ठीक कराने वाली बात आये तो उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो कहीं न कहीं कॉडिनेशन बैठे और पंचायत समितियों में जो स्टाफ पड़ा हुआ है उसको पी. एच. ई. डी. में ले और कारगर ढंग से हैण्डपम्पों के रखरखाव की हम व्यवस्था करें ठीक करायें। इसके अतिरिक्त पेयजल की दृष्टि से जितनी टी.एस.एस. स्कीम पहले लगी है, उनमें से पश्चिमी राजस्थान में तो ज्यादा सफल हुई, पूर्वी राजस्थान में और दूसरे इलाके में यह टी. एस. एस. स्कीम तो लगी लेकिन आज हालात यह है कि अरबन एरिया को छोड़िये, रूरल में आज जहां टी. एस. एस. स्कीम है वहां पर मोटरें लगी हुई थी, आज वह मोटरें गायब है, वहीं सरपंचों के यहां पड़ी हुई है, पी. एच. ई. डी. में है, सरपंचों को सौंप दी और सरकार उन मोटरों की मालिक है और वहां टी. एस. एस. चल नहीं रही है। तो एक बार कम से कम हम इसकी समीक्षा कर लें कि कहां-कहां टी. एस. एस. चल रही है, कहां-कहां हमने लागू की। उनकी मोटरें और दूसरा सामान कहां है, यह सारा हम पता कर लें कम से कम। इस तरह से टी. एस. एस. के

(श्री बंशीलाल पटवा)

बारे में सोचें । बाकी जल योजनाएं जो भी हैं, पी. एन. टी. है, और आपकी रीजनल स्कीम्स हैं, और हैं इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं, पिछले वर्षों में इस तरह की स्कीम्स सेंक्शन की गई लेकिन कई इलाकों में सेंक्शन नहीं की गई और पी. पी. सी. की मीटिंग होती है उसमें एक टेक्नीकल मेम्बर होता है । जो मौजूदा पी. पी. सी. के मेम्बर हैं, टेक्नीकल मेम्बर, इनसे पहले जो मेम्बर थे उनकी हालत बड़ी दयनीय थी और जैसे कोई इस तरह की स्थिति थी कि उनकी जाकर कोई खुशामद करे उसके बाद वह अपनी टेक्नीकल राय देंगे । चीफ इन्जीनियर किसी स्कीम को भेज दें, नीचे से स्कूटनाइज हो जाय और उसके बाद टेक्नीकल मेम्बर यह कहे कि यह तो फिजीकल नहीं है और स्कीम को उस आधार पर कैंसिल कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है । आखिर में कई इस तरह की स्कीम्स हैं जहां पर 15-15 हैण्डपम्प, 25-25 हैण्डपम्प और पूर्व के टेक्नीकल मेम्बर ने वह सेंक्शन की और उसके बाद इस तरह के आब्जेक्शन्स लगाये कि यहां पर हैण्डपम्प हैं, पानी की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, यह नहीं देखा कि पानी में फ्लोराइड है, पानी खारा है, पीने के लिये इस गांव में पानी की आवश्यकता है । उन्होंने इस तरह से उनको निरस्त कर दिया, अपनी राय दे दी जिस आधार पर वह स्कीम सेंक्शन हो गई । अभी थोड़े दिन पहले मुझे मन्त्री जी का एक पत्र मिला, वैसे मंत्री जी बड़े सीजन्ड है, काम करते हैं, मेहनती है और इनके स्वभाव से है, नीतिगत आधार पर जितना अच्छा कर सकते हैं करने का प्रयास कर रहे हैं मैं इस बात की तारीफ करता हूं । लेकिन पिछली बार मुझे लैटर मिला उसमें लिखा है कि आपके क्षेत्र में यह-यह स्कीम्स पास कर दी गई है । लेकिन उसमें एक कांदा की स्कीम थी और एक भीलवाड़ा के लिये जो स्कीम थी उसके लिये डेढ लाख रुपये मिले, कांदा के लिये जो स्कीम है, पारित की गई, पास की गई, उसके लिए पहले यह कहा कि सोर्सेस किस तरह का है, यहां पर एक ट्यूबवैल खोदा जाय । जिस बनास नदी पर आगे बीसलपुर योजना बन रही, जयपुर को पानी देने की योजना है ब्यावर को देने की योजना है लेकिन उस बनास में कुआ बनाने वाली बात उसमें प्रोवाइड की गई थी लेकिन टेक्नीकल मेम्बर जो पहले वाले थे उन्होंने कहा कि सोर्सेज की तलाश करो । मेरा एक निवेदन है कि इस तरह से है, स्कीम्स नई चाहे एक करो, दो करो, जिले में कहीं गई तो मेरा एतराज नहीं है, नाराजगी नहीं है, काम होना चाहिये, कहीं हम हैण्डपम्प लगायें तो उसका तो पानी की दृष्टि से लाभ मिलेगा । कांग्रेसी को भी प्यास लगेगी, बी. जे. पी. वाले को भी प्यास लगेगी, दोनों उसका उपयोग करेंगे । पेयजल की दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये । पानी की आवश्यकता सब जगह है और जहां-जहां आपके पुराने वाटर वर्क्स हैं, आज भीलवाड़ा में 35 साल पहले....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अभी तो शुरू हुआ हूं साहब । लोग तो बीस-बीस मिनट, पच्चीस मिनट बोलें मुझे दस मिनट तो बोलने दो उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दूंगा दस

(श्री उपाध्यक्ष)

मिनट, यह पहली ही है। दस मिनट मिलेंगे आपको।

श्री बंशीलाल पटवा : तो मेरा यह निवेदन है कि जितने भी आपके वाटर वर्क्स हैं और पुरानी जो आपकी पेयजल की स्कीम्स हैं, पैंतीस-पैंतीस वर्ष पहले बनी हुई पैंतीस वर्ष के बाद आबादी बढ़ गई, बस्तियां बढ़ गई। मेरे भीलवाड़ा नगर में तो जहां मेरा विधानसभा क्षेत्र है, अरबन और रूरल एरिया का मिला कर वहां पर करीब पौने चार लाख वोट हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र है। रूरल एरिया में चालीस प्रतिशत है, साठ प्रतिशत अरबन एरिया में है। बस्तियां बढ़ती गई, आर. सी. नगर है, राधाकृष्ण नगर है, और है, तो इस तरह से बस्तियां तो बढ़ गई और आज वहां पर जो फिल्टर प्लांट है वह उस समय का है, आज पानी पहुंचा नहीं सकते हैं। यू. आई. टी. अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड ने पाइप लाइनें बिछा दी और कहते हैं पी. एच. ई. डी. जोड़ दें लेकिन कॉर्डिनेशन है नहीं। आज यदि उनको जोड़ दें तो पानी कहां से आयेगा, पानी का स्रोत तो है जो है। लेकिन हम कहीं यह प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर रहे हैं कि जितनी बस्तियां बस गई है, यहां पर भूमिगत टैंक बनाये जायं, वहां पर ट्यूबवेल बनाये जायं और पानी को उन टैंकों में इकट्ठा करके, पम्प करके हम सप्लाई करें, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्थाएं पेयजल की दृष्टि से लागू होनी चाहिये। भीलवाड़ा नगर में ऐसी स्थिति है कि पुरानी पाइप लाइन मकानों के, बड़ी-बड़ी बिल्डिगों के नीचे है और यदि वहां वह चॉक हो जाय तो पानी की समस्या क्रियेट हो जायेगी। हम उसको एक्जामिन करें और उसमें किस तरह के सुधार की स्कीम लागू कर सकते हैं, यह सोचें और जो भी पेयजल स्कीम है उसकी दृष्टि से सोचें। बस्तियों का विस्तार हुआ है और उस दृष्टि से हम फिल्टर प्लांट क्या लगा सकते हैं, नया, चेंज कर सकते हैं, हुडको से, एल. आई. सी. से लोन लें। भीलवाड़ा के पेयजल की दृष्टि से, नगर की दृष्टि से पचास हजार की स्कीम भेजी, डेढ लाख रुपये अरबन एरिया के लिये मिले, डिटेल में स्कीम भेज दी गई लेकिन पी. एच. ई. डी. के अधिकारी उस पर ध्यान न दे, मैं यह सोचता हूं कि कटोरदान में रोटियां दस है, बीस को नहीं खिला सकते। लेकिन जो व्यवस्था है, एकाम्पीटेन्ट वह व्यवस्था हम किस तरह, से कर सकते हैं, इस दिशा में हम थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अतिरिक्त पेयजल की दृष्टि से और भी आधार हैं उनको हम देखें और कुछ इस तरह की छोटी छोटी पेयजल योजनायें जहां पानी अच्छा है, डाइरेक्ट सोर्सेस से भी दिया जा सकता है, तो वह भी हम विचार करें और जहां जहां पाइप लाइन सड़ गयीं, गल गयीं हम उनको किस तरह से धीरे-धीरे करके ठीक कर, सकते हैं, सारा काम तो एक साथ हो नहीं सकता और जितना इस बार बजट अच्छा दिया गया इससे ज्यादा और कोई अच्छा बजट मिल नहीं सकता था लेकिन फिर भी जो हालात हैं उन हालातों में हम अच्छा क्या कर सकते हैं इसको देखें। अब रहा सवाल आयोजन का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पटवा साहब प्लीज।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं कम्पलीट कर रहा हूं। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के बारे में मैं अर्ज कर दूं ...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में कम्पलीट कर दीजिये।

श्री बंशीलाल पटवा : अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के बारे में मेरा एक निवेदन है कि यह इस तरह से हम जो बस्तियां बसा रहे हैं वहां पर जैसे अर्बन इम्प्रूवमेन्ट की कोई स्कीम है और वह एक नोटीफाइड एरिया है और उस नोटीफाइड एरिया में यदि मान लो कुछ एग्रीकल्चर लैण्ड को कृषकों ने बेच दिया और वहां पर मकान बन चुके हैं तो ऐसी बस्तियों को कम से कम महरबानी करके हम डी-नोटीफाइड करने के बजाय उनको डिलीट कर दें और डिलीट करने के साथ-साथ डिलीट होने पर हम उसको अपनी स्कीमों से निकाल दें और यहां से सेंक्शन चली जाये और फिर बाकी की जो एग्रीकल्चर लैण्ड पर मकान बने हैं उसके लिये हम भूखण्ड दें और इस तरह से डिलीट करने पर हम डवलपमेंट चार्जेज ले लें, भूमि रूपान्तरण का पैसा ले लें और इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन और यह है कि इस तरह से जो भी हम स्कीम बनायें-आज भीलवाड़ा के अन्दर तिलकनगर है, हमने स्कीम तो बना ली वहां प्लाट बेचे जा रहे हैं। कोई देखरेख नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज पूरा कीजिए।

श्री बंशीलाल पटवा : दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि वहां पर जितनी भी बड़ी-बड़ी नालियां बनाई जाती हैं जहां पर 6 इंच की नाली है हम यू शेष में बना सकते हैं। जहां यू शेष की 9 इंच की नाली बना सकते हैं, 6 इंच की हम वी शेष की नाली बना सकते हैं लेकिन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं। केवल परसेन्टेज के हिसाब से टेक्नीकल हैं। बड़ी-बड़ी नालियां बनाते हैं। बस्तियों का हम विकास करते हैं तो उसके बारे में हम गम्भीरता से सोचें और जितनी यह कच्ची बस्तियां हैं यहां पर आज हम डवलपमेंट चार्जेज 45 रुपये लेना चाहते हैं 70 लेना चाहते हैं, कोई नजूल कमेटी के आधार पर निर्णय लेना चाहते हैं इसके बारे में एक दिशानिर्देश हम तय करें और इसके साथ-साथ एक दिशानिर्देश तय करने पर हम कम से कम....(घटी)....कम्पलीट कर रहा हूं मैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की हम कोई न कोई कारगर समीक्षा करके हम करें और यदि हम नहीं करेंगे तो यह सारे अर्बन इम्प्रवमेंट ट्रस्ट मेरे ख्याल से खराब होंगे। जहां बड़ी म्युनिसिपैलिटीज हैं, कौंसिलें हैं कम से कम एम. एल. ए. को यू आई. टी. में नहीं रखें कोई बात नहीं है लेकिन म्युनिसिपल कौंसिल के चैयरमैन को तो हम वहां रखें। आखिर यह एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो अठन्नियां हैं। तो कोआर्डीनेशन से काम करना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ जो बड़े शहर हैं वहां हम कम से कम रिंग रोड बनायें और म्युनिसिपैलिटी और यू आई. टी. इस तरह से खर्च बरदाश्त करें और राज्य सरकार कुछ योगदान करें। इस तरह का हम कुछ करें।

अन्त में मेरा एक निवेदन है आक्ट्राय समाप्त करने की दृष्टि से, सफाई के मामले हैं और भी हैं इनको तो आप नीतिगत

(श्री बंशीलाल पटवा)

आधार पर देखें लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मथुरादास कमेटी की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में मेरा एक निवेदन है कि हमारे पुरखों ने, बड़े नेताओं ने स्वायत्तशासी संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में जोर दिया था। आज यदि हम आक्ट्राय समाप्त करते हैं तो उसका आल्टरनेट भी उन्होंने बताया है लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, मैं यह नहीं कहता कि वह लागू नहीं की जाये, मैं यह भी नहीं कहता कि लागू की जाये लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इसका गम्भीरता से अध्ययन किया जाये। गुण-दोष के आधार पर अध्ययन किया जाये। कहीं म्युनिसिपैलिटीज और बड़ी-बड़ी कौंसिल पंगु नहीं बन जाये और गुण-दोष के आधार पर हम इस तरह का करें ताकि उसके बुरे परिणाम नहीं आयें और यू.आई. टी. और स्वायत्तशासी संस्थायें म्युनिसिपैलिटीज हैं और रख-रखाव की दृष्टि से साफ-सफाई की दृष्टि से और जो भी हम कोई अच्छी कम्पीटेन्ट व्यवस्था कर सकते हैं इस दिशा में ध्यान दें। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे आज पहली बार जल्दी बुलाया गया। जलदाय योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा जो सहयोग दिया गया और राजस्थान सरकार की योजना के अन्दर जो कार्य कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करूंगा। उसके तहत ही मैं अपनी छोटी सी मांगें बाली क्षेत्र की मांग करूंगा, उसकी तरफ ध्यान दें। अभी कुछ दिन पूर्व सुमेरपुर के अन्दर एक्स. ईएन. आफिस खोला गया जबकि बाली, देसूरी, रानी और सुमेरपुर चारों का सेन्टर हमारा थाना पड़ता है। थाना रेल्वे एरिया है, इन्डस्ट्रियल एरिया है। बाली के अन्दर सब-डिविजन सेन्टर है, एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर है, वहां पर तहसीलदार बैठता है, वहां डी.एस. पी. बैठता है, सारे वहां पर बैठते हैं और सेन्टर होने के बावजूद भी और हमारे मना करने के बाद और हमारे लिखित में देने के बावजूद भी यह एक्स. ईएन. सेन्टर वहां कैसे बना। हमारी मांग है देसूरी एरिया के जो एम. एल. ए. हैं उनसे भी हमने लिखकर माननीय मंत्री महोदय को दिया हुआ है और मेरी मांग है कि एक्स. ईएन. आफिस जो सुमेरपुर में खोला गया है सेंटर के हिसाब से थाना में खोला जाये, यह मेरी मांग है। बाली एक जनजाति एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। मेरी बात से कोई बुरा नहीं माने, आज दो साल के अन्दर और गत साल भी और उसके पहले भी आज दिन तक जितने मंत्री महोदय हैं और जो मंत्री महोदय के नीचे काम करते हैं उनके एरिया के अन्दर आज दिन तक कितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं उनकी मुझे सूची चाहिए और दूसरी मेरी मांग यह है कि जो हमें हैण्डपम्प दिये गये दो साल के अन्दर, वह नगण्य के बराबर दिये गये हैं जबकि हमारा पूरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत गरीब लोग हैं, गरीब काश्तकार लोग हैं वहां अभी पूरे जिले के अन्दर 70 हैण्डपम्प दिये हैं और हमारे बाली क्षेत्र के अन्दर देसूरी के अन्दर और सुमेरपुर के अन्दर सिर्फ 7-8 हैण्डपम्प आते हैं। तो यह भेद-

(श्री अमृतलाल परमार)

भाव की नीति कतई खत्म करें। हमारे अकालग्रस्त बाली क्षेत्र के अन्दर बरसात बहुत कम हुई है। हालांकि हर साल पहाड़ी क्षेत्रों के अन्दर बरसात होती है, लेकिन इस बार पहाड़ी क्षेत्र में बरसात नहीं हुई है। अत: मेरी मांग है कि बाली एरिया के अन्दर जो हमारा गिरासिया एरिया है उसमें हैण्डपम्पों की आवश्यकता है तो हमको हैण्डपम्प और उपलब्ध कराये जायें।

अभी दो साल पहले और इसके पहले भी पूर्व में कांग्रेस सरकार थी उनके कार्य-काल के अन्दर बाली के अन्दर एक पानी की टंकी के लिए हमने मांग की थी अभी तक वह टंकी नहीं बनी। हमारे मंत्री महोदय को हमने लिखकर दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि टंकी बनेगी। वह हुडको स्कीम के अन्दर भी नहीं हुई है। 1 करोड़ 40 लाख की स्कीम बनी हुई है। मैं पहले भी विधान सभा में बोला हूं और अब भी बोल रहा हूं कि यह 1 करोड़ 40 लाख की स्कीम बनी हुई है यह स्कीम दिल्ली से पास हो चुकी है लेकिन यहां हमारे यहां विचाराधीन है। मेरी पूरे जोरदार शब्दों में मांग है कि बाली क्षेत्र के अन्दर हर साल अकाल पड़ता है, इस साल पूरे बाली जिले के अन्दर यह हालत है और जहां से मैं जीतकर आया हूं वहां पर गरीब लोग बहुत हैं इसलिए हमारे बाली क्षेत्र के अन्दर पानी की मांग होती है तो मेरी मांग है कि हुडको स्कीम के तहत 1 करोड़ 40 लाख की जो स्कीम है उसको पास की जाये ताकि हर साल हमको दूसरों की तरफ मुंह नहीं देखना पड़े। क्योंकि इस स्कीम के तहत जो जवाई बांध है वह हमारे बाली क्षेत्र में ही है उसकी नदी भी हमारे क्षेत्र में है। जब सुमेरपुर के अन्दर हम पानी दे सकते हैं वहां करोड़ों की स्कीम बन सकती है और पाली के अन्दर स्कीम बन सकती है, जोधपुर के अन्दर स्कीम बन सकती है तो बाली के अन्दर यह स्कीम क्यों नहीं बनी? तो जवाई नदी से बाली के अन्दर पानी दिया जाये ताकि हमारे आसपास के जो छोटे गांव हैं उनको भी पानी की राहत मिल सके।....

श्री उपाध्यक्ष : पूरा कीजिए।

श्री अमृतलाल परमार : मेरी एक मांग है और हमारा अकाल का क्षेत्र है और बाली के अन्दर आपने जो स्कीम दी हैं पंचायत समितियों को बाली को दो भाग में बांटा गया है और बाली के अन्दर वाटर वर्क्स के दो-दो ए. ईएन. हैं। एक बैठता है सुमेरपुर में और दूसरा बैठता है बाली के अन्दर। हम जब बी डी ओ. से पूछते हैं कि यह क्या बात है तो वह यह बोलता है कि आधा क्षेत्र तो आपके अण्डर में है और आधा सुमेरपुर के अण्डर है। हमारा विधान सभा क्षेत्र है उसके अन्दर दो-दो ए. ईएन. हैं। तो हमारी मांग है कि माननीय मंत्री महोदय से कि यह पूरा क्षेत्र बाली के अन्दर दिया जाये ताकि हमें दो-दो जगह नहीं भागना पड़े... तो हमारी यह मांग है कि जो सुमेरपुर में एक ए. ई. ओ. हैं उनके अण्डर में बाली क्षेत्र का काम दिया है उस काम को भी बाली ए. ईएन. के अण्डर में किया जाय ताकि हमारे बाली क्षेत्र को बार-बार वहां सुमेरपुर नहीं जाना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। बिराजिये। माननीय श्री चुन्नीलालजी। बिराजिये आप अपना शहर है नहीं पाली में....

श्री अमृतलाल परमार : शहरों में एम. कॉम ड्राइवर हैं और जो हैण्डपम्प ठीक करते हैं वे गांवों में ही लगाये जावें। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं गरासिया उनको वाली आना पड़ता है तो वहां पर मेरी यह मांग है कि शहरों के लोगों को नहीं भेजा जावे गांव के अन्दर भी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय और वहां पर भी तैयार किया जाय ताकि वहां के लोग वहां अच्छी तरह काम कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये। बोलिये धाकड़ साहब प्लीज परमार साहब, विराजिये....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल सही है, प्रो. केदारजी को पहले बुलाने से क्रम में थोड़ा रद्दोबदल हुआ है। एक क्रम में मामूली.... (व्यवधान)....एक क्रम में हुआ है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : लगातार 3 बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : निर्दलीय हैं वह। अब निर्दलियों को नहीं बोलने:...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे सेमी निर्दलीय हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सेमी निर्दलीय कैसे कह रहे हो आप? ऐसा कोई प्रावधान हो तो बता दीजिये? माननीय धाकड़ साहब, बोलिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से मंत्रीजी ने पेयजल विभाग का भार सम्भाला है तब से यह पहले मन्त्री हैं जिन्होंने प्रत्येक एम.एल.ए. से पूछा कि आपके क्षेत्र में क्या समस्यायें हैं? किन को प्राथमिकता देनी है? और यह पूछा ही नहीं है हमारे सुझावों के ऊपर आपने क्रियान्विति भी की है। मेरे क्षेत्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है उसके बाद जो 76 गांव बाकी थे उनमें से 68 गांवों को हैण्डपम्प योजना द्वारा लाभान्वित किया गया है। यह एक बहुत बड़ा रिकार्ड है। इसके अलावा 30 जिले 30 काम के अन्तर्गत एक ऐसा गांव था जिसकी बरसों से पानी की समस्या थी, श्रीनगर। इस गांव को लेकर वहां पेयजल योजना बनी और आज करीब एक-आध महीने में पानी उपलब्ध कराने लग जायेगी। इस तरह से मन्त्रीजी का जो गांव की समस्या है पानी की उसकी तरफ विशेष ध्यान रहा है। मैं आपका विशेष आभारी हूं।

वर्तमान में जो हैण्डपम्प लगे हुए हैं उनमें मेरे क्षेत्र में करीब 121 गांवों के हैण्डपम्प बन्द पड़े हैं जिनमें से अधिकांश पुराने ही जाने की वजह से उनकी पाइप भी सड़ गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, कि इन खराब पड़े हैण्डपम्पों में जब-जब भी अभियान चलता है, एक दिन ठीक रहते हैं दूसरे दिन वापस खराब हो जाते हैं। जो पाइप नहीं पलटे जाते हैं। हमने हमारे यहां के जलदाय विभाग द्वारा करीब 400 पाइपों की मांग की हैं बेगूं और भैसोड़ पंचायत समिति के हैण्डपम्पों में पाइप डालने के लिए। मेरे पास इसकी लिस्ट है। इस तरह 40 पाइप मिले हैं जिनसे यह अभियान भी व्यर्थ हो जायेगा और वह समस्या हल नहीं हो सकती। अतः

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

मेरा निवेदन है कि अधिक पाइप, या जो बड़ी खराबियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिये सामान उपलब्ध करवाया जाय जिससे वे ठीक हो सकें। इस तरह से जहां-जहां हैण्डपम्प असफल रहे हैं या उखाड़ लिये गये हैं वहां कहीं दो वर्ष, कहीं तीन वर्ष हो गये हैण्डपम्प वहां पर नहीं लगे। इस तरह से कई गांवों में यह विकट समस्या बनी हुई है अतः मेरा अनुरोध है कि वहां पर....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हैण्डपम्प लगाये जाये।

मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि नये गांवों में जहां पेयजल योजना निर्धारित की जाती है, निश्चित की जाती हैं वहां केवल हम जनसंख्या का आधार मानते हैं। इसके साथ-साथ वहां की जो विकट समस्या होती है उसको भी मापदण्ड मानना चाहिए, लेना चाहिए। कई ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी तो छोटी है लेकिन पानी दो-तीन किलोमीटर से लाकर पीते हैं। वहां दो-दो, तीन-तीन गांवों को मिलाकर के एक ट्यूब वैल लगाया जाय और इस तरह से उनको भी सप्लाई किया जाय जो राणा प्रताप सागर बांध की डूब के गांव हैं उन गांवों को प्राथमिकता दी जाय और जो पानी गांव के सामने भरा है लिफ्ट उनको पेयजल उपलब्ध कराया जाय। यह मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। जल्दी कीजिए चुन्नीलालजी।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : जितने भी स्कूल हैं, स्कूल में छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां हैण्डपम्प की कोई व्यवस्था नहीं है उसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर कि जहां भी स्कूल हैं वहां हम पानी के लिए हैण्डपम्प अवश्य उपलब्ध करायेंगे। छोटे-छोटे बच्चे कहीं पानी पीने जाते हैं, एक जालुपुरा गांव में पानी पीने गये तो कुए में एक बच्चा गिर कर मर गया तो इस तरह से इनको प्राथमिकता से लिया जाय। यह मेरा आप से अनुरोध है।

रावतभाटा की पेयजल योजना है वह बहुत अटकी हुई है। वहां की आबादी 40 हजार से ऊपर है। मेरा अनुरोध है कि उस योजना को शीघ्र स्वीकृति दी जाय और वहां पेयजल उपलब्ध कराया जाय। एक योजना जो राणा प्रताप सागर बांध से रामगज मण्डी पानी ले जाने वाली प्रस्तावित है उसको क्रियान्वित किया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 और 29 पर सदन में विचार हो रहा है। पेयजल की समस्या सारे राजस्थान में है लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जितनी भयंकर समस्या है मैं समझता हूं कि उतनी दूसरे जिलों में नहीं। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, मैं चूरू जिले के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू जिले में पिछले बजट भाषण में राज्यपाल महोदय द्वारा 363 गांवों के लिए यह कहलवाया गया था कि इनको

(श्री भंवरलाल)

आने वाले सत्र में पानी मुहैया करा दिया जायगा लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से एक भी गांव को एक साल में नहीं जोड़ा गया। मेरे से पहले राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि 106 गांवों को पाइप लाइनों से जोड़ दिया गया। पाइप लाइनें उन गांवों में पड़ गयी लेकिन सिर्फ साढ़े 3 किलोमीटर के लाइन के अभाव में 106 गांव पानी से वंचित हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इन साढ़े 3 किलोमीटर पाइप लाइनें हैं उनको कब तक मुहैया करा देंगे ? कृपया अपने जवाब में यह बात आप कहें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि चूरू जिले में दूसरे जितने गांव आपने लाभान्वित दिखाये मैं आपको चेलेंज के साथ कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनको जब गांव को लाभान्वित दिखाया है उस समय से लेकर आज तक पानी नहीं गया है। माननीय मन्त्री महोदय इस बात में बड़े होशियार हैं, विधायकों को राजी रखने में भी होशियार हैं, बात करने में भी होशियार हैं, बात कर लेते हैं, कॉफी पिला देते हैं, यह सब बात सही है अधिकारियों के पास बैठाकर मीटिंग भी बुला लेते हैं लेकिन मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों को जिस प्रकार से लालिपॉप देकर के राजी किया जाता है उस तरह से आप मीटिंग बुलाकर राजी करते हैं। मैंने पिछले सत्र मे भी आपसे निवेदन किया था और आपने बीच में कहा था कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : चॉकलेट भी देते हैं आप।

श्री किशनगोपाल कोगटा : आपने कहा क्या कि यह मेरे साथ हो रहा है। आपको जानकारी होते हुए भी आप चाय-कॉफी पीकर जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, कभी नाराज होकर नहीं जाते।

श्री भंवरलाल : हम नाराज नहीं हैं। मैं नाराजगी की बात नहीं करता। लेकिन मन्त्री महोदय अधिकारियों के साथ मीटिंग ले लेते हैं विधान सभा सत्र में ताकि विधायक राजी रहे और आपका गुणगान गाये। मन्त्री महोदय आप कहेंगे तो हम आपका गुणगान विधान सभा सत्र के बाद वैसे ही कर देंगे लेकिन पानी की समस्या का समाधान कीजिये। मैंने आपसे कई बार इस बात के लिये निवेदन किया, मेरे विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के अन्दर वाटर सोर्स नहीं हैं। करीब पचास गांव ऐसे हैं जिनको सीकर जिले से पानी मिलता है। कम से कम चालीस-चालीस, पचास-पचास किलोमीटर लम्बी लाइन डाली हुई हैं। लाडनूं जो नागौर जिले का है वहां से सुजानगढ़ शहर और छापर शहर के चालीस गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। उस चालीस गांव के अन्दर आधे से ज्यादा गांवों में पानी नहीं जाता है। इसका मोटा कारण मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, पुनः सदन के मार्फत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लाडनूं के जो ट्यूब वैल हैं उनके ऊपर लाडनूं शहर का जो लोड दिया गया है, वहां से एग्रीकल्चर कुओं का जो लोड दिया गया है उनको हटाइये या सुजानगढ़ से सिर्फ 12 किलोमीटर आप लाइन डाल दीजिये बिजली की ताकि उन गांवों की समस्या का समाधान हो सके।

(श्री भंवरलाल)

दूसरा, मेरा निवेदन है कि मैं आपको आज तक तीन या चार दफा लिखित में दे चुका कि पिछले ढाई साल से सुजानगढ़ की योजनायें आपके कार्यालय में विचाराधीन पड़ी हुई हैं चालीस लीटर से सत्तर लीटर करने के लिये। जिसके अन्दर एक सेटू की ढाणी, दूसरा मंगलूणा पार्ट फर्स्ट, तीसरी मंगलूणा पार्ट सैकिण्ड और चौथी मालिसा मारोसिया, एक है सुजानगढ़ शहर।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये।

श्री भंवरलाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चारों-पांचों योजना आपके दफ्तर में पड़ी हैं। दफ्तर के अन्दर क्यों निकाल-निकाल कर फाइलों को वापस दो साल से भेजा जा रहा है। आप अपने अधिकारियों से पूछिये, मैंने आपको लिखित में दिया है, आप पूछिये तो सही कि अगर वहां पर ऐसी स्थिति है कि 40 लीटर से 70 लीटर में भारत सरकार पैसा देती है, आपको क्या दिक्कत वाली बात आ रही है, आप उसको भारत सरकार के पास भेजिये। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आपने अभी सभी विधायकों को पत्र लिखा उसके अन्दर मुझे भी पत्र लिखा। लेकिन मुझे जो पत्र लिखा उसमें जो गांव के नाम दिये हैं वह मेरे विधान सभा क्षेत्र के नहीं हैं। यानि एक भी योजना आपके दो साल के पीरियड में आपने स्वीकृत नहीं की। मेरे नाम राशि हैं आप कम से कम इतना तो आपको देखना चाहिये कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार से मुझे लिख दिया....

श्री उपाध्यक्ष : नाम राशि हैं।

श्री भंवरलाल : तहसील का नाम सुजानगढ़ है। लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखिये कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी आपने योजना को स्वीकृत नहीं किया। कृपया मेरा निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों से चालीस लीटर से सत्तर लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो योजनाएं हैं उनको पास करवाकर क्रियान्वित करवायें। यह आपको मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये आप। एक मिनट और बोलिये।

श्री भंवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये, मैं दो तीन मिनट लेऊंगा। मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नहीं बोलते हैं हम आपकी तारीफ करते हैं, बहुत शिष्ट हैं यह भी तारीफ करते हैं लेकिन टाइम थोड़ा कम लीजिये।

श्री भंवरलाल : टाइम तो सबको दस-दस मिनट, 15 मिनट दिया, मेरे को अभी तक तो पांच मिनट हुये हैं।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुजानगढ़ कम से कम 200 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र है जिसमें दो सब डिविजन हैं। वहां पर कर्मचारी राजस्थान के अन्दर जितने ढीठे नहीं होने चाहिये, उतने हैं। उन कर्मचारियों को वहां पर सम्भालने के लिये वहां पर जीप की व्यवस्था नहीं है दोनों सब डिविजन में। बार-बार अधिकारियों द्वारा मांग करने के बावजूद विभाग द्वारा जीप उपलब्ध नहीं करवायी

(श्री भंवरलाल)

जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सब डिविजन बीदासर और सब डिविजन सुजानगढ़ जो इस क्षेत्र के हैं, दोनों के बीच में कम से कम एक जीप तो मुहैया करा दें ताकि अधिकारी लोग गांवों में जाकर मौके पर इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन यह है कि आज वहां पर जो कर्मचारी बैठे हैं, विभाग में पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था है, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मेरे वहां एक स्कीम है लाडनूं। उसके अन्दर 72 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 29 वहां पर ट्यूबवैल हैं। उन 29 ट्यूबवैल में सारे के सारे आटोमेटिक हैं। वहां कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। गांवों के अन्दर हमारे गांव के लोग वहां टी. एस. एस. में दूसरी जो योजनायें हैं उनको खुद चलाते हैं। डेपुटेशन पर आपने उनको लगा रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी तरह की व्यवस्था करके ऐसे आदमियों को वहां से हटाइये चाहे आपको कहीं नया कानून बनाना पड़े, यह मैं आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि बीदासर एक जगह ऐसी है जहां से सुजानगढ़ तहसील के गांवों को पानी मिल सकता है। एक टीम आई थी उस टीम के आधार पर हाई कोर विलेज घोषित किये हैं वहां पर पन्द्रह उन गांवों में बीस-बीस, तीस-तीस किलोमीटर में कहीं पानी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप योजना बनाइये और बीदासर से उन गांवों को पानी दीजिये। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अभी जर्मनी की टीम के द्वारा चूरू जिले के अन्दर 6 तहसील ले रहे हैं लेकिन इसमें डूंगरगढ़ तहसील को नहीं लिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरगढ़ तहसील भी चूरू जिले की तहसील है, उस डूंगरगढ़ को भी इस योजना के अन्दर लीजिये ताकि वहां लाभ हो सके। धन्यवाद (जय हिन्द)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगजीत सिंह।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या-27 और 29 पर इस सदन के अन्दर चर्चा की जा रही है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के विपक्ष के माननीय सदस्यगण हमारी सरकार को इस तरह कोस रहे हैं जैसे हम 40 साल से राज में बैठे हैं और यह चालीस साल से विपक्ष में बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, आपने 30 साल के अन्दर किया क्या है। आज यह समस्या कोई दो साल की है नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ से सन् 52–53 के अन्दर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि स्वर्गीय माननीय जयनारायण जी व्यास विधायक बने और हम किशनगढ़ वालों को बड़ी खुशी हुई हमारा जीतने वाला विधायक राजस्थान का मुख्यमन्त्री बनेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन चुनावों के अन्दर मैं विपक्ष में था और जब हम गांवों में जाते थे तो सनोदिया, बकरवालिया और जालियों की ढाणी यहां सांभर लेक से लगे

(श्री जगजीत सिंह)

हुए इलाके हैं. लोगों ने किस आशा में उनको वोट दिये और यह आश्वासन भी लिया स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास से कि इस इलाके के अन्दर मैं जीतते ही नल योजना चालू करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वोट लेने के लिये मैं उन इलाकों का जिक्र कर रहा हूं जहां पीने का पानी खारा है। खारा पानी है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह बिरधपुर और मोतीपुरा, वहां पर भी खारा पानी का इलाका है। वहां पर भी स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास गये थे तो वहां पर भी यही आश्वासन दिया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 52 में कांग्रेस के एम. एल. ए. किशनगढ़ से थे, 57 में कांग्रेस के एम.एल.ए. किशनगढ़ से थे, 62 में कांग्रेस के एम.एल.ए. थे, प्रतापसिंह जी जो निर्दलीय बन कर आये थे। 71 के अन्दर, उनको कांग्रेस ने प्रलोभन दिया और यह कहा कि आपके क्षेत्र का विकास हो जायेगा, आप कांग्रेस में आ जाइये और उन्होंने कांग्रेस जोइन करली। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 71 के अन्दर प्रताप सिंह जी थे...

एक माननीय सदस्य : यह डिमाण्ड पर है क्या ?

श्री जगजीत सिंह : मैं डिमाण्ड पर ही बोल रहा हूं। माननीय मीणा साहब, आप सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर।

श्री जगजीत सिंह : फिर बाद में इनके बहुत बड़े नेता स्वर्गीय केसरी चंद जी 80 के अन्दर एम एल.ए. रहे। कुल मिला कर 30 साल में इस खारे पानी के इलाके को आपने पानी उपलब्ध नहीं कराया। मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आभारी हूं और हमारे मंत्री महोदय भंवर लाल जी शर्मा का आभारी हूं जिन्होंने इन खारे पानी के इलाकों के अन्दर नल योजना स्वीकृत करके उन इलाकों में पानी पहुंचा दिया। आप क्या बात करना चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप यह ऊपर से कह रहे हैं या अन्दर से कह रहे हैं ?

श्री जगजीत सिंह : अन्दर से कह रहा हूं, साहब। और अगर आप नहीं मानते....

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइप है कि सिर्फ योजना है ?

एक माननीय सदस्य : दिल से कह रहे हैं ?

श्री जगजीत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने इन सब स्वीकृत योजनाओं की प्रगति चाही है। वहां पर कुएं खुद चुके हैं. जी एल आर बन चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अब केवल मात्र पी वी सी पाइप हमें अगर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि इन खारे पानी के इलाकों में हमको हर गर्मियों में ट्रांसपोर्टेशन से पानी पहुंचाना पड़ता है इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमें यह पाइप उपलब्ध करवा दें। माननीय विपक्षी सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब पिछले टाइम आपका राज था, हम विपक्ष में थे तो हम

(श्री जगजीत सिंह)

यह सोचा करते थे कि पी. पी. सी. की मीटिंग कब होती है ताकि हम हमारी नल योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। मगर आपकी तो दो-दो, चार-चार वर्ष में भी पी. पी. सी. की मीटिंग नहीं हुई मगर इस सरकार की कार्यकुशलता हर महीने या पन्द्रह दिन में पी. पी. सी. की मीटिंग होती है और पीने वाले पानी की चर्चा की जाती है।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ शहर के 30 वार्ड हैं और एक लाख से भी ज्यादा की जनसंख्या है। यह नल योजनाएं हमारे किशनगढ़ के अन्दर 62 के अन्दर चालू हुई थीं। 62 से लेकर 92 तक जो लाइनें उस टाइम में बिछायी गयी थीं वह जंग खा गयीं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन पाइप लाइनों को बदलवाने के लिये हमें पाइप उपलब्ध करायें और हमारे यहां पर 18 वार्डों के लिये जो डिजाइन प्लान बना था, वह शायद अनुमति के लिये दिल्ली चला गया. वह ज्यों ही दिल्ली से अप्रूव हो जाये, तो उसकी शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करावें।

(6.00 सायं)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगजीत सिंह : नगर परिषद के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा, किशनगढ़ के अन्दर कई लोग....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोल रहे हैं, लेकिन घण्टी का तो ध्यान रखना पड़ेगा। हां हां बुला रहे हैं। हमारे लिये तो यहां सभी वक्ता अच्छे हैं।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे 9 बज जायें, मैं तो बोल कर जाऊंगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां आपको निश्चित तौर से बुलवायेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह जीवन मरण का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कीजिये सुचित्रा जी माननीया मदन कौर जी को रोक दीजिये, अभी बुलवा दूंगा। (व्यवधान) हां बुला देंगे। बिराजिये आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, आज सारी महिला सदस्यों को बुलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : आप निर्णय कर लीजिये। पहले बुला दूं, अभी नेक्सट ले लेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप महिलाओं को प्रायोरिटी तो दो, सब जगह की अलग-अलग समस्यायें हैं। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सबको बुला दिया, इन महिलाओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया। नहीं आप+++कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। अभी बुलवायेंगे इनको। आप मेरे पर क्यों चार्ज लगाते हो। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

कृपया शांति रखिये। हां+++निकाल दीजिये।

श्री जगजीत सिंह :-उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किशनगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर जिन लोगों ने जो जमीन पर मकान बना रखे हैं, उनका सर्वे कराकर सस्ती दर पर उनके नियमन के आदेश करवाये जायें। अन्त में मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ नगर परिषद, दोनों ही विभाग आपके हैं, उस पर पी. एच. ई. डी. का आफिस बना हुआ है, उस जमीन के हमको पैसे दिलवायें। जो आपने मुझे समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी) : उपाध्यक्ष जी, जैसे पानी का उपयोग किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है, उसी तरह से पानी की सुचारू व्यवस्था भी किसी सरकार की और प्रशासन की सूझबूझ और कौशल का प्रतीक है। मुझे यहां कहने में लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि हमारे यहां करोड़ों ही नहीं अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद भी करोड़ों रुपये की निर्मित जल परियोजनाओं के बनने के बाद भी और निरन्तर उन पर बड़ी धन राशि रख रखाव के लिये खर्च करने के बावजूद भी यह सरकार और प्रशासन हमारे प्रदेश की जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ती जनसंख्या, हमारे पानी के घटते स्रोत और भविष्य की चिन्ता की बात तो दूर रही, आज की जो पानी की आवश्यकता है, उसको भी यह सरकार पूरा करने में पूरी तरह से असक्षम है ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पानी के स्रोतों का नितान्त अभाव हो। अगर विश्व के दूसरे देशों को हम देखें तो निश्चित रूप से अपेक्षाकृत हम अधिक सौभाग्यशाली हैं। आज समस्या हमारे सामने पानी नहीं होने की नहीं है, बल्कि इससे बहुत अधिक समस्या हमारे सामने है, बहुमूल्य संसाधनों के जूडिशियस उपयोग की। हमारे प्रदेश में और भी दूसरी जगह आधुनिकता की लहर में हमने पानी का अत्यधिक उपयोग ही नहीं, एक तरह से दुरुपयोग करना शुरु कर दिया है। आप फ्लश शौचालय की व्यवस्था देख लें, जितना पानी हम इस काम के लिये बहा देते हैं, उससे कहीं-कहीं कम पानी हमें पीने के लिये चाहिये होता है। आज वैज्ञानिक युग में नयी-नयी बातें हमारे सामने आ रही हैं। क्या हमारे जैसे प्रदेश में जहां पानी की कमी है, वहां इन फ्लश शौचालयों का कोई विकल्प तैयार नहीं किया जा सकता। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहती थी कि हमारा जो लोन का शौक है इस पर हमें पाबन्दी लगानी पड़ेगी। लोन में जितना पानी अपव्यय होता है, चाहे सार्वजनिक उद्यानों में देख लीजिये, चाहे निजी मकानों में देख लीजिये, इतना पानी इस काम में दुरुपयोग होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम पर्यावरण

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती मदन कौर)

को सुधारने में विश्वास रखते हैं, हम प्रदूषण को नियन्त्रित करने में विश्वास करते हैं, तो यह लोन लगाना हमारी मदद नहीं कर सकते। आप पेड़ लगाइये, पौधे लगाइये, लेकिन लोन के माध्यम से हम हमारे प्रदूषण को नियन्त्रित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि जहां हम नये साधनों से पानी की व्यवस्था करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो परम्परागत साधन थे, उनको हमने एकदम रिजेक्ट कर दिया। पूर्व में यह व्यवस्था थी, गांवों में तालाब थे, बावड़ियां थी, सार्वजनिक कुए थे और टांकों की व्यवस्था प्रचलित थी और टांकों की व्यवस्था तो इतनी पुख्ता और बढ़िया प्रचलित थी कि किसी भी घर में आप जाकर देख लीजिये, वहां ऐसे टांके उपलब्ध होते थे कि पीने को पानी साल भर तक उनके लिये जमा रहता था। लेकिन आज टांकों की व्यवस्था खत्म हो गई। टांके तो अब लोग बनाने लगे हैं फिर से, क्योंकि आपके नलों में जब प्रेशर नहीं आता है।

(6.09 सायं)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

तो पानी के लिये लोग अण्डरग्राउण्ड टांके बनाने लगे हैं, लेकिन वह टांके भरे जाते हैं नल के पानी से। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन टांकों की व्यवस्था को पुनर्जीवित शहरों और नगरों में, जहां खास तौर से पक्के मकान बनाने का रिवाज है, वहां तो एक तरफ से पाबन्द कर देना चाहिये कि जिस तरह से आप अपना मकान बनाते हैं, बाउण्ड्रीवाल बनाते हैं, फर्श बनाते हैं और दूसरी व्यवस्था करते हैं, उसी तरह से पीने के पानी को, वर्षा के पानी को इकट्ठा करके आपको संचय करना पड़ेगा। इससे एक तरफ तो हमें वर्षा का पानी, मीठा पानी पीने को मिलेगा और दूसरी तरफ वर्षा के दिनों में हमारे ड्रेनेज की समस्या बहुत गम्भीर रूप से पैदा हो जाती है, उससे भी हमें एक तरह से मुक्ति मिलेगी। गांवों में तालाबों की बात है, अब तालाबों को हमने अलॉटमेंट कर दिया। तालाब हमारे पानी के अच्छे स्रोत थे। उन तालाबों में सुधार किया जा सकता है। पशु उसमें नहीं घुस सकें, जानवर उसमें नहीं घुस सकें, ऐसी कोई व्यवस्था कर दें और इस प्रकार की कोई दवाई डालकर कि उस पानी में कीड़े नहीं पनपें। हमें उस पानी का उपयोग करना पड़ेगा। इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं हमारी उस परम्परा की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारे पास मीठा पानी उपलब्ध नहीं और हमारी सारी जनता को मीठा पानी उपलब्ध नहीं करा सकते, हमारे यहां खारा पानी है, उससे कुछ जो तीन हजार टी. डी. एस. आपने तय कर रखा है, उससे अधिक टी. डी. एस. पानी भी है। हमारी यह मजबूरी है कि हमें हमारे प्रदेश में दोहरे पानी की व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। और यह कोई नई बात नहीं है। हमारे बाड़मेर जिले में तो यह बात आम तौर से प्रचलित है। पीवणा पाणी और है नाहवणा ने है और धन धावणा ने और है वाह रे नन्दकिशोर। मैं तो दोहरी व्यवस्था की बात कह रही हूं। अब यह बात आपके प्रशासन को, आपके विभाग को सोचनी है कि किस तरह से कितना पानी मीठा और कितना खारा पानी उपलब्ध करायें क्योंकि यह खारा पानी नहाने, हाथ धोने, पशु के लिए काम

(श्रीमती मदन कौर)

आ सकता है। और मीठा हम जनता के सब उपयोग के लिये नहीं दें।

इसके अलावा मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि क्षेत्रीय नल योजनाओं का निर्माण विभाग ने किया है वह ठीक से चलनी चाहिये। क्योंकि इतनी बड़ी धन राशि खर्च करने के बावजूद भी हमारी जनता को उसका समुचित लाभ नहीं मिलता है तो एक तरह से हमारी सरकार के उपर, प्रशासन के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर कलंक है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, और जिलों की लम्बी चौड़ी बात नहीं लेकिन बाड़मेर जिले के बारे में तो मैं पुख्ता रूप से निवेदन कर सकती हूं कि कोई भी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना इस हालत में नहीं है कि जिसका लोगों को नियमित रूप से विश्वसनीय रूप से पानी मिलता हो। इसलिये मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इतना पैसा लग चुका है, जो योजना बन गयी है। वह सुचारु रूप से चले और लोगों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिये।

पिछले साल हमारे यहां अकाल का सूखा पड़ा और पानी की बहुत भयंकर कमी है और आज हमारे वहां के लोग इस बात से चिन्तित हैं, धन्धा करने तो वे जैसे-तैसे जायेंगे ही लेकिन पीछे जो परिवार के लोग रहेंगे, पशु, वृद्ध, बच्चे रहेंगे उनके लिये पानी का क्या होगा। सारी जनता हमारे यहां पीने के पानी की समस्या के लिये चिन्तित है कि गर्मियों में क्या स्थिति होने वाली है। यह बात ठीक है कि माननीय जन स्वास्थ्य मंत्रीजी ने एक मीटिंग बुलायी और इन गर्मियों में क्या-क्या व्यवस्था की जा सकती उस सम्बन्ध में हमसे कुछ बात की। फिर भी जिस तरह के आज हालात क्योंकि रीजनल योजना के बारे में मैं आपको बताऊं कि जोगासर से हमारी रावतसर की योजना है उसमें 8-9 गांव जुड़े हुये हैं और अभी तक सिर्फ एक रावतसर में कोई 15 दिन में बड़ी मुश्किल से पानी आता है। तो आप अचानक क्या जादू कर देंगे कि गर्मियों में सारे गांव को पानी सप्लाई कर सकेंगे। रावतसर ही पानी जब नहीं पहुंचता जो सड़क के ऊपर मुख्य गांव है और उसके आगे तो 7-8 गांव जुड़े हुये हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं और मैं आपको गांवों के नाम भी बताना चाहती हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर रही हूं। मेरे क्षेत्र में गांव छोटू जिसकी आबादी कोई 8 हजार है। सरलू जिसकी आबादी तीन, साढ़े तीन हजार है। रावतसर के सम्बन्ध में मैंने जैसे निवेदन किया, चवा, निम्बलकोट, सेवनियां यह ऐसे गांव हैं जो घनी आबादी के गांव हैं और आपकी क्षेत्रीय नल योजना से जुड़े हुये हैं। फिर भी वहां जो पानी आता है वह वहां की मुख्य आबादी जो कुल आबादी का 5 प्रतिशत है उसके लिये भी पूरा नहीं पड़ता। इसलिये आपसे निवेदन है कि आप पानी को नियमित करें। और सच बात तो यह है कि आपके विभाग में हमेशा यह विवाद चलता रहता है कि कभी बिजली नहीं आयी, अभी हमारे शिव से आने वाले, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि पिछले 5-6 दिन से बाड़मेर में विद्युत का व्यवधान था

(श्रीमती मदन कौर)

और सारी नल योजनाएं अस्त-व्यस्त होकर पड़ी हैं। लोगों ने दु:खी होकर कहीं कुछ बिगाड़ भी दिया है तो बिजली आ भी गई तो जो नुकसान हमारी पाइप लाइन को हुआ है उसमें पानी कैसे प्रवाहित होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि एक तरफ जो हमारी क्षेत्रीय जल योजनाएं काम कर रही हैं वह ठीक से काम करें उसकी व्यवस्था करें। उनमें परेशानी 2-3 बातों से आती है। पहली बात तो आपके यहां कोई एक्स्ट्रा पम्प सैट्स नहीं। बार-बार यह शिकायत आती है कि फलां पम्प सैट खराब हो गया। तो जब एक पम्प सैट खराब होता है तो कम से कम बाड़मेर के नजदीक भी जो इलाका है वहां भी कम से कम चार दिन बाद कुआं वापस चालू होगा। इन गर्मियों के दिनों में आप कल्पना कीजिये। चार दिन से जब पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो और जब वह पम्प सैट लगा हुआ है तो लोग खींच करके तो निकाल नहीं सकते। इसलिये आप वहां पर एक्स्ट्रा पम्प सैट्स को रखिये और इन गर्मियों के दिनों में तो खास तौर से आपके ए.ई.एन., जे.ई.एन. इनको पूरी तरह मोबाइल करें, ताकि जहां भी खराबी हो वहां तुरन्त इसकी व्यवस्था कर सकें।

इसके अलावा माननीय सभापतिजी, निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भू-गर्भ में पानी बहुत सीमित है और लम्बे समय तक हम पानी को निकालते रहे तो निश्चित रूप से यह कुएं हमारे सूखेंगे। इसलिये बाड़मेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध हो इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी चाहिये। आपने करोड़ों की पाइप लाइन्स बनायी और कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे नल कूप सूख जायं और फिर यह सारी जल कूप योजनाएं बेकार हो जायं। तो इनका ओरिएन्टेशन इस तरह से होना चाहिये कि अगर भू-गर्भ का पानी हमें नहीं मिले तो राजस्थान इन्दिरा गांधी कैनाल से पानी को लाकर इन पाइप लाइनों में प्रवाहित किया जाय ऐसी व्यवस्था हमें करनी होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पानी हमारे यहां है जैसे मैंने पहले ही कहा है, तो जो सोर्स बाड़मेर जिले में उपलब्ध हैं बालोतरा के पास बिठूजा उसके आगे जायं तो गुडाला और उसके आगे जायं तो गुढामालानी। इन सारे क्षेत्रों में पानी ठीक क्वालिटी का है। क्योंकि बिठूजा और बालोतरा के पास बड़ी संख्या में नलकूप खराब पड़े हुये हैं। इसके लिये दायित्व आपके विभाग का है। आपका विभाग भी कभी सचेत नहीं करता है। वहां रंगाई छपाई का रसायनिक पानी जाता रहता है, नलकूप खराब हो जाते हैं कभी नया खोद देते हैं और आगे-आगे चले जाते हैं। इसी तरह लूणी नदी के डाउन स्क्रीन हैं, बहुत सारे नलकूप ऐसे हैं कि जहां पानी खारा हो गया है। जो पानी हमारे यहां कम है तो यह पानी हमारा खराब नहीं हो, ठीक क्वालिटी का रहे इसके लिये आपको कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं खास तौर से एक बात आपसे और कहना चाहती हूं। आपने हमारे बाड़मेर जिले में जो दक्षिण डिवीजन था उसका मुख्यालय चौहटन में कर दिया। अब मेरा निवेदन इसमें यह है कि चौहटन करें कहीं करें उसमें हमारी कोई नाराजगी

(श्रीमती मदन कौर)

नहीं है । लेकिन चौहटन में किसी तरह का पम्प रिपेयर का काम नहीं हो सकता । यह दक्षिण डिवीजन घोरीमना और चौहटन दोनों का मिलाकर है । केन्द्र स्थान धोरीमना है जो निर्वाचन क्षेत्र में है लेकिन मैं यह नहीं कहती कि धोरीमना उसका मुख्यालय होना चाहिये । हम यह चाहते हैं कि डिवीजन का मुख्यालय ऐसी जगह रहे जहां लोग आकर एक्स.ई.एन. से आसानी से सम्पर्क कर सकें । उस सारे क्षेत्र में कोई मशीनी गड़बड़ी हो तो वह बाड़मेर लाकर ठीक करवायेगा । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस दक्षिण डिवीजन का मुख्यालय जो आपने चौहटन में किया है उसमें पुनः आदेश करके आप बाड़मेर में स्थापित करें । आपने मुझे समय दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री) : माननीय सदस्या चौहटन चाहते हैं क्या ?

श्रीमती मदन कौर : उसको बाड़मेर ही कर दें वापस । पहले बाड़मेर ही था ।

श्री सभापति : माननीय श्री किशन **गोपाल** ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 पेयजल के लिये और मांग संख्या 29 नगर आयोजन के लिये बहस चल रही है उसमें मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगा । सन् 1992-93 में बजट में 104.30करोड़ की व्यवस्था की है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिये 51.57 करोड़ और शहरी क्षेत्र के लिये 52.80 करोड़ रुपये रखे हैं । इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार से भी 58.40 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिये आयेंगे । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लिये जो समस्या पानी की पिछले काफी समय से है उसको सुधारने के लिये कुछ व्यवस्था ठीक होगी । इस बजट में 2 हजार राजस्व गांवों व 500 छोटी-मोटी ढाणियों के लिये और 2 हजार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की बस्तियों को पानी उपलब्ध कराने के लिये टारगेट रखे गये । यह बात सही है कि यह टारगेट आपने रखे लेकिन जो स्थिति वास्तविक है गांव की, छोटे-मोटे जो मजरे, ढाणी है उनमें पापूलेशन बढ़ रही है । उसके हिसाब से इसको और बढ़ाया जाना चाहिये । जिस प्रकार आपने आपकी कार्य कुशलता से विभाग का पुनर्गठन करके गति दी है उससे पिछले 40 साल में जो काम हुआ और इन दो सालों में जो काम हुआ उसकी तुलना की जाय तो पर्सेण्टेज के हिसाब से बहुत अधिक ऊंची हुयी । राजस्थान में दो समस्यायें हैं । एक तो पेयजल और दूसरी अकाल । तो पेयजल समस्या के लिए आपका अनुभव राजस्थान की जनता को आपकी कार्यकुशलता का जो परिणाम मिला है पिछले दो वर्षों में वह इतना बढ़िया है कि पहले जब कांग्रेस का राज था तो गांव-गांव में हमारे अजमेर जिले में तो बड़े आन्दोलन हुआ करते थे । पानी के लिये मटके फोड़ा करते थे । पानी चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए । लेकिन जिस प्रकार से आप इस विभाग को चला रहे हैं और हैड क्वार्टर पर जाकर जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मीटिंग लेकर जो व्यवस्था की वह बड़ी सराहनीय है । मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा । खासकर हैण्ड पम्प के लिए हैण्ड पम्प

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

के लिए हैण्ड पम्प की गांवों में बड़ी समस्या है। एक तो हैण्ड पम्प ठीक करने की जो व्यवस्था है उसमें सरकार ने निर्णय किया है कि पी.एच ई.डी. ठीक करेगी। पर वास्तविकता यह है कि हैण्डपम्प ठीक नहीं हो रहे हैं। पंचायतों की ज़िम्मेदारी भी है कि हैण्ड पम्प ठीक हो। लेकिन वास्तव में यह है कि महीने दो महीने में गाड़ी घूमती है लेकिन या तो अस्थायी रूप से ठीक होते हैं या ठीक ही नहीं होते हैं। मेरा आग्रह है कि इसको प्रभावशाली बनायें। दूसरा जो अबण्डन हैण्डपम्प हैं उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि अबण्डन होने के तीन-चार कारण होते हैं। या तो कोई ज्वेलेसी से पत्थर डाल देता है या फिर ऐसी एक समस्या होती है कि पानी सूख जाता है या फिर पानी नीचे होने से जो राड नीचे फंस जाती है या टूट जाती है इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार योजना बनाये कि जो हैण्ड पम्प अबण्ड हो गये हैं वहां पर नये हैण्ड पम्प लगाये जायं। वहीं पर लगाये जायं और इसके लिए एक कमेटी बने जो यह तय करे कि यह ठीक होने वाला नहीं है और उसके बदले में नया लगाया जाय। जिस प्रकार जो व्यवस्था हो जाती है कि कुआ सार्वजनिक स्थान पर है उसी प्रकार से आजकल हैण्ड पम्प सार्वजनिक कुएं के रूप में है। अगर खराब हो जाता है तो जनता की निगाह उसी जगह उसी एरिया में जाती है तो उसी को ठीक करना चाहिए।

दूसरा मैं यह बताना चाहता हूं कि कृषि भूमि पर जो आबादी बढ़ रही है मकान बन रहे हैं, उसके लिए जो वैध या अवैध रूप से कनेक्शन लेते हैं। या तो नगर पालिका वाले या जे.डी.ए. वाले या यू. आई. टी. वालों को चाहिए कि मकान नहीं बनाने दें और अगर बन गये हैं तो पानी सुलभ कराना उनका प्रथम काम है। मेरा निवेदन है कि जो छोटे-मोटे कारण विभाग ने खड़े किये हैं, वह हटाये जायें। मकान बन गये, आदमी रहने लग गये, बस्ती हो गयी तो जिस प्रकार से वहां पर बिजली मिल रही है, सड़क बन रही है उसी प्रकार से पानी मिलना चाहिए या तो नगर परिषद, जे.डी.ए. मकान नहीं बनाने दे जैसे ही मकान बनने लगे उसकी रोक दें। पर पानी की समस्या बहुत प्रमुख समस्या है उसको पानी देना चाहिए।

इसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं में सन् 1987 में सरकार ने निर्णय लिया कि घरेलू रेट से पानी दिया जायेगा। लेकिन आज भी बहुत सी स्कूलें हैं और शिक्षण संस्थाएं हैं जिन पर कामर्शियल रेट लगी है जो पानी का कनेक्शन लेने में तकलीफ पड़ रही है। मेरा आग्रह है कि ऐसी व्यवस्था हो कि उनको घरेलू रेट से पानी मिले। इसको दूर किया जाय।

मेरा सुझाव है टी.एस.एस. स्कीम के लिए, होता यह है कि स्कीम बनाकर गांव में पंचायतों को दे देते हैं लेकिन पंचायत के पास न स्टाफ है न बजट है वह ठीक ढग से नहीं चला पाते हैं। बिजली का पेमेण्ट तो पी.एच ई.डी. करती है लेकिन स्टाफ की व्यवस्था नहीं करती हैं। यदि डिपार्टमेंट स्टाफ लगाये तो कितना ही डी.ए टी.ए. का खर्चा होता है। मेरा इसमें एक आग्रह है कि पंचायत का आदमी काम करे लेकिन उसका वेतन पी.एच.ई.डी. पंचायत को दे

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

दे और जिस प्रकार से बिजली का बिल भरा जाता है तो उसी प्रकार से टी एस एस चलाने के लिये पंचायत स्टाफ रखे उसका पेमेण्ट भी पी. एच. ई. डी. दे। इसका लाभ गांव वालों को तभी मिलेगा जब यह व्यवस्था करायेंगे। देखने में यह आया है कि स्कीम तो बना दी जाती है लेकिन उसको चलाने वाला नहीं होता है सरपंच बैठा रहता है और किसी से कह देता है कि जाकर चला आये। जो नजर आता है उसको कह देता है कोई तो ठीक काम करता है पर बहुत सी बार पांच सात दिन पानी नहीं मिलता है। इसलिये अगर यह व्यवस्था होती है तो जिम्मेदारी की वजह से यह स्कीम सही ढंग से चल पायेगी। यह मेरा सुझाव है।

इसी प्रकार से व्यावसायिक दर तय की दुकानदार, फैक्ट्री, दूधवाला, रेस्टोरेण्ट, सिनेमाघर, धर्मशाला पर हाथ से काम करने वाले दस्तकारों के लिये भी कामर्शियल रेट तय कर रखी है। एक तरफ सरकार कहती है छोटे-छोटे काश्तकारों को, उद्यमियों, को महिलाओं को छोटे धंधे करने वालों को छूट दी जा रही है। दूसरी ओर इस मामले में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे छोटे कारीगर हैं, हाथ से काम करने वाले हैं, दस्तकार वगैरह हैं उनके लिये कामर्शियल रेट है। वह घरेलू रेट से तय की जाये। छोटे-छोटे लोग एक दो तीन व्यक्ति छोटा-छोटा उद्योग या कुटीर उद्योग समझिये लगाते हैं तो उसकी रेट चेन्ज करें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

इसी प्रकार बहुत से गांवों में और शहरों में काफी लम्बे समय से स्कीम चल रही है। जैसे मेरे विजयनगर में सन् 1958 की स्कीम है। जिस समय यह स्कीम बनी थी उस समय जनसंख्या 6 हजार थी पर आज 30 हजार की पापूलेशन है। व्यवस्था वही है, टंकी वही है, पाइप जो तीन-चार इन्च जिस ढंग की पापूलेशन थी, उसके हिसाब से डाली गई लेकिन पहले किसी गली में 100 कनेक्शन थे तो अब पांच सौ कनेक्शन हो गये हैं तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा आग्रह है कि पापूलेशन बढ़ गई है, क्षेत्र बढ़ गये हैं उसके हिसाब से स्कीम का पुनर्निर्धारण करें, पाइप लाइन चेन्ज करनी हो तो करें और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन खासकर इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पानी का लेबल बहुत नीचे जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा तो जो पानी है उसका बेस्ट उपयोग होगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था ठीक करें तो सब ठीक हो जायेगा। मेरे यहां पहले 90 घण्टे में पानी आता था। पिछले दो साल से डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था ठीक हुई तो पानी 36 घण्टे में आने लगा है। इसी प्रकार अगर डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था में और सुधार करें तो और सुधार हो सकता है। ट्यूबवैल वही काम कर रहा है, पानी की व्यवस्था वही है।

(समय–समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं मांग संख्या 29 पर कुछ बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : समय समाप्त हो गया आपका।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

ध्यान नगरपालिका की ओर दिलाना चाहता हूं। काफी समय से सफाई कर्मचारियों की संख्या है वह पुरानी आबादी या क्षेत्र के अनुसार हो रही है। शहरों में कालोनी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है लेकिन उस रफ्तार से सफाई कर्मचारी की व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं हुई है। सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाये गये हैं। जहां नगरपालिका पर दबाव पड़ता है तो एडहॉक बेसिस पर रखने की इजाजत मिलती है। मेरा आग्रह है कि एरिया और पापूलेशन के हिसाब से नीति तय होनी चाहिये। सफाई कर्मचारी इस पापूलेशन पर इतने होंगे और इस क्षेत्र पर इतने होंगे क्योंकि सफाई पर ही शहरों की अन्य बातें निर्भर होती है। गन्दगी होती है और कई दिनों तक कचरा नहीं उठता है तो बीमारियां फैलती है और 17 बातें होती हैं। पानी सड़कों पर आता है सड़कों का नुकसान होता है। मच्छर पैदा होते हैं लेकिन सफाई की व्यवस्था के लिए यह समस्या बनी हुई है कि सफाई कर्मचारियों की कमी है। इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं आपको ब्यावर की पानी की समस्या के लिए एक और बात कह दूं पास में बोमेदा बांध है, उसमें 40 फुट पानी है हालांकि दूरी 37 किलोमीटर है लेकिन अगर उस पर स्कीम बनाकर ब्यावर को पानी देने की व्यवस्था की जाय तो निश्चित रूप से प्रतिदिन पांच लाख गेलन पानी मिल जायेगा और जब बीसलपुर का पानी आ जाये तो यह जो स्कीम बनी हुई होगी तो उससे जवाजा के 45 गांवों को पानी मिलेगा वह फिर बाद में गांव की स्कीम बन जायेगी। मेरा आग्रह है कि यदि ब्यावर की समस्या को दो-तीन साल के लिये ठीक करना है तो इस बांध से ब्यावर को पानी सप्लाई किया जाय। बस इतना ही मुझे कहना है। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बिरदा राम चौधरी।

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : सभापति महोदय, मांग 27 और 29 है उस पर जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, यह मांग संख्या 27 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सम्बन्ध में है और इस विभाग का मुख्य कार्य पेयजल उपलब्ध कराना और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है।

जहां पर पानी खारा है, फ्लोराइड युक्त वहां पर अच्छा और स्वच्छ पानी की योजना बना कर व्यवस्था करना।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ने इन दो सालों के बीच में कल एक मीटिंग रखी थी जिसमें मैं भी उपस्थित हुआ था। इस सदन के अन्दर पेयजल के सम्बन्ध में सवाल उठाये जाते हैं। उसमें मन्त्री महोदय जवाब भी देते हैं और काफी चुस्त दुरुस्त भी दिखाई देते हैं। इसके बावजूद भी क्या, या तो मन्त्री महोदय के मन में कहीं पर

(श्री बिरदाराम चौधरी)

हमारे प्रति द्वेष है या इनके महकमें की तरफ इतना ध्यान होते हुये भी नागौर जिले के अन्दर जो जलदाय विभाग के अधिकारी लगे हुये हैं उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता या उन अधिकारियों को अपने मन्त्री महोदय का पता नहीं है कि मन्त्री महोदय के मन में क्या है जलदाय विभाग की समस्याओं को हटाना है या नहीं। सभापति महोदय एक मेरा विधान सभा क्षेत्र है नागौर जिला है एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और रेगिस्तानी इलाका है। उस जिले के अन्दर एक फसली इलाका है वहां बार-बार अकाल पड़ता है, पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। मकराना में ज्यादातर क्षेत्र में पानी खारा है और फ्लोराइड युक्त भी है वहां तीस साल पहले हमारे क्षेत्र के अन्दर एक बांकापट्टी स्कीम बनी थी जिसमें कुछ गांव परबतसर तहसील के थे परबतसर विधानसभा क्षेत्र के थे और कुछ गांव मकराना विधानसभा क्षेत्र के थे। 45 गांवों की यह स्कीम थी जिससे 45 या 50 गांवों को पानी दिया जा रहा था और उस स्कीम के तहत जिन गांवों के अन्दर पानी में फ्लोराइड था और आदमी कुबड़ा हो जाता था जिनके दांत खराब हो जाते थे और हर तरह से लूला लंगड़ा भी हो जाता था, उससे काफी राहत मिली। लेकिन सभापति महोदय, आज यह स्कीम बहुत पुरानी हो चुकी है। पिछले विधानसभा सत्र में और बार-बार मैं इस बारे में निवेदन करता आ रहा हूं कि इसका री-सर्वे कराया जाये। री-सर्वे कराने के बाद में जो उसकी उपयोगिता नहीं रही है, कहीं से पाइप टूट गये, किसी गांव के अन्दर स्थानीय जलदाय व्यवस्था हो गई और उसका पानी आज तक कई गांवों ने देखा तक नहीं है....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह री-सर्वे कौन सी स्कीम का करवायें, नाम बतायें।

श्री बिरदाराम चौधरी : गच्छीपुरा बांकापट्टी योजना। जलदाय योजना है बहुत बड़ी योजना है। सभापति महोदय, हम किसी भी गांव की समस्या यहां पर उठाते हैं कि उसमें पानी की समस्या है पानी नहीं है तो उसमें एक ही जवाब आता है कि वह बांकापट्टी स्कीम से जुड़ा हुआ है। लेकिन वह बांकापट्टी की स्कीम कई गांवों के लिए नाम मात्र की स्कीम रह गई हैं और आज कई सालों के बाद भी कई गांवों में पानी देखने को नहीं मिला है। उसके अन्दर तीन चार गांवों के नाम मैं विशेष रूप से बताऊंगा। जैसे गांव सरनावड़ा, छपारा, नोसरिया, खारडिया और कचोलिया, भैयाखुर्द, भैयाकलां इन गांवों में आज तक उस स्कीम का पानी कभी भी नहीं पहुंचा है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि या तो यह व्यवस्था करें, अभी जो गर्मी के दिन आने वाले हैं, नागौर जिले में अकाल है, विशेष तौर से मकराना में अकाल है। या तो आप अधिकारियों को पाबन्द करें कि पांच दिन के अन्दर इन गांवों में पानी पहुंच जाना चाहिये वरना जो मैंने गांव बतायें हैं उनमें दूसरी स्थानीय व्यवस्था करके, उनको पानी दिया जायें। सभापति महोदय, वैसे मकराना के अन्दर गांवों में जो लोग रहते हैं ज्यादातर ढाणियों में बसते हैं और ढाणियों की आबादी मेरे ख्याल से नागौर जिले में सबसे ज्यादा मकराना में है और आज करीब

(श्री बिरदाराम चौधरी)

आबादी मेरे ख्याल से नागौर जिले में सबसे सबसे ज्यादा मकराना में है और आज करीब 30-40 ढाणियां ऐसी हैं, ढाणी के नाम से वहां प्राइमरी स्कूल भी चल रही है। लेकिन वहां पानी नहीं मिल रहा है। नाम ढाणी का है और राजस्व ग्राम घोषित नहीं है लेकिन पानी के बगैर वह ढाणियां सिर्फ ढाणियों के नाम से ही रह गई हैं। अभी आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रगति विवरण में कि 58 हजार ढाणियों को लाभान्वित कर देंगे। मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जहां 250 से ज्यादा की आबादी की ढाणियां हैं उनको तो आप जोड़ने की व्यवस्था करायें। ढाणियां तो बहुत हैं लेकिन जो मुख्य-मुख्य, जहां आस-पास में दो-दो तीन-तीन किलोमीटर में पानी नहीं है मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, नाम भी बता देता हूं- जोगरों की ढाणी; खारेडिया, भाकरों की ढाणी, नोसरिया राडों की ढाणी, सरनावड़ो ढेर की ढाणी, गैडाकलां, कस्वां की ढाणी गैडाकलां कासियों की ढाणी, कचोलिया नीम की ढाणी, कालवा छोटा, राडों की ढाणी, भीचांवा, नतरां की ढाणी, कचोलियां हुडमाली की ढाणी, संबलपुर व भामुओं की ढाणी, रायथलिया, सीतापुरियां, रायथलियां, हनुमानपुरा, सरगोठ, बलाइयों की ढाणी, सरगोठ पलाडा और बस्सी, सिरसों की ढाणी, रसाल। यह तो ऐसी ढाणियां हैं जिसकी तीन-तीन सौ चार-चार सौ की आबादी है, जहां पर प्राइमरी स्कूल भी है लेकिन इनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, तो मेरा यह निवेदन है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसी स्कीम बनाई है जो राष्ट्रीय पेयजल मिशन में भी है और केन्द्र से एक योजना भी है जिसके अन्दर राज्य सरकार को पैसा मिलता है। आज दूसरी जगह काम चल सकता है लेकिन मेरा क्षेत्र अकाल ग्रस्त क्षेत्र है और भयंकर पानी की समस्या है और एक महीने बाद और भी ज्यादा बिगड़ने की स्थिति हो जायेगी। किसी-किसी गांव में ऐसा पानी है जहां पानी पीते ही आदमी के अफिरा हो जाता है यदि जानवर पानी पीता है जैसे मैं आपको नाम बताऊं तावद, कालवा, मूण्डाखेरी, खारेडिया, पानी पीते ही पांच मिनट के अन्दर जानवर मर जाता है।...

श्री सम्पत्त सिंह : आपका नाम तो लिख लिया है।

श्री बिरदाराम चौधरी : लिख लिया तो क्या लिख लिया, मैंने तो अभी बोला ही नहीं है। तो इस प्रकार मेरा यह निवेदन है कि जो मैंने यह गांव, ढाणियों के नाम बताये हैं आप इनमें सर्वे कराकर पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था करावें। मन्त्री महोदय, हमारे जिले में कभी भी मीटिंग होती है और हमारे जो अधीक्षण अभियन्ता हैं नागौर, एक्स. ई. एन. डीडवाना, एक्स. ई. एन. मेड़ता, मेरा क्षेत्र दोनों से लगता है, बात करते हैं तो वह एक ही बात करते हैं कि साहब पाईप नहीं है और पैसा नहीं है। आप यह तो व्यवस्था करिये कभी तो उनके मुंह से यह निकले कि पाइप उपलब्ध है। आज पाइप घोटाले की बात होती है। हमारे नागौर के अधीक्षण अभियन्ता से मैंने 6 महीने पहले कहा था चार-पांच हरिजन बस्ती हैं उनके लिए 1600 फिट पाइप की बात थी। मैंने एक निवेदन किया था मकराना

(श्री बिरदाराम चौधरी)

एक बहुत ही बड़ा कस्बा है और 91 की जनसंख्या के हिसाब से उसकी 80 हजार और एक लाख के बीच में आबादी है। आज मकराना के अन्दर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज 20-25 किलोमीटर से कुचामन से पानी जाता है लेकिन इस बिजली के अभाव में दो-दो तीन-तीन दिन पानी नहीं जाता। तो मेरा यह निवेदन है कि मकराना में एक स्कीम बनी हुई है, मकराना को पानी देने के लिये, वह स्कीम राज्य सरकार के पास पड़ी हुई है। तुरन्त प्रभाव से उस स्कीम को स्वीकृत किया जावे और हमारे मकराना में मातावर में लाखों रुपये की टंकी बनी हुई है सरकार ने लगाये हैं, वह सूखी पड़ी है। जो मातावर में टंकी बनाई है उसको जोड़ा जाये। मकराना के पास में एक गुनावत की बस्ती है जिसमें 80 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और एक ग्राम था जिसको नगर पालिका में ले लिया गया। बार-बार हम निवेदन कर रहे हैं वहां पर पानी की बड़ी भारी समस्या है। वहां पर एक टंकी बनाई जाये। कल ही मेरे पास में 50 आदमी आये थे कि आज हमारे यहां एक बून्द पानी गुनावता में नहीं मिल रहा है मन्त्री महोदय, मेरा यह विशेष निवेदन है कि जो मकराना कस्बे की स्कीम है जो आपके विभाग के पास विचाराधीन है उसको तुरन्त प्रभावसे स्वीकृत कर कार्य चालू कराया जाये। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आपके डिपार्टमेंट में या तो हमारे साथ यह हो सकता है, अभी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि मेरे नागौर में बहुत काम हुआ है या सारा पैसा आप वहां दे देते होंगे या यह जो अधिकारीगण हैं, कोई भी हमारे क्षेत्र के अन्दर बात हो उनको यह चाहिये कि जन प्रतिनिधियों से तालमेल करके कोई भी स्कीम है उसको करें। आज दो साल हो गये, मकराना के अन्दर 10 हजार 15 हजार मजदूर बाहर से आते हैं। उन मजदूरों के अलावा भी 50 हजार लोग बाहर से काम करने के लिये आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र है। गर्मी में कई जगह मजदूर प्यासे मर जाते हैं, उनके पीने के लिये पानी नहीं है। हैण्ड पम्प वहां सक्सैस नहीं हैं, मैं मांग नहीं करता। लेकिन मकराना प्रापर में 10-15 हैण्ड पम्प ऐसी जगह लगें जहां पर हरिजन बस्ती हो, जहां मजदूर ज्यादा रहते हों और जहां खानें आसपास हों। बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है। जब आएगी हम बात कर लेंगे। मन्त्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी लोकेशन दें हैण्ड पम्प के लिए, तो जन प्रतिनिधियों से बात करें, व्यापार मण्डल से भी बात करें ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

...अधिकारियों से सामंजस्य बैठाकर यह यह काम होना चाहिये।

सभापति महोदय, अब आप अतिक्रमण नहीं मानो तो मैं आपके क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं। बीकानेर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। उसमें आज अकाल है और पानी की बहुत भारी अव्यवस्था हो रही है। बीकानेर में बीछवाल जलाशय बनने के लिये 9 माह से इन्दिरा गांधी नहर विभाग के मुख्य अभियन्ता को दिया गया है। जिस समय यह कार्य शुरू होना था उस समय इसकी लागत तीन करोड़ थी जो आज छः करोड़ के आसपास हो गई है।

(श्री बिरदा राम चौधरी)

तकनीकी स्वीकृति के लिए यह आपके पास है। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से कि यदि बीकानेर क्षेत्र की पानी की समस्या मिटानी है तो अविलम्ब इस बीछवाल जलाशय की योजना को आप तकनीकी स्वीकृति दें और इसका कार्य जल्दी से जल्दी चलावें।

दूसरा एक निवेदन और है जिसके लिये मैं बार-बार निवेदन करता आया हूं कि कि सीवरेज गन्दा पानी निकालने के लिये मकराना में कोई जगह नहीं है। हम पी. डब्ल्यू. डी. से बारबार कोशिश करते हैं। पैसा ले जाते हैं, सड़क बनाते हैं, नाली बन जाती है। पर सड़क खत्म हो जाती है दूसरे साल। वह गन्दा पानी मकराना में कब्रिस्तान और शमशान में जाता है। पी. एच. ई. डी. से निवेदन करते हैं तो जवाब आता है कि हमारे अण्डर में नहीं है, नगर आयोजना में है। और उनसे कहते हैं तो वे भी कह देते हैं। आप तो हमारे दोनों ही बैठे हो, दोनों के ही मन्त्री हो। मेरा निवेदन है कि किसी न किसी तरह मकराना का गन्दा पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करने की कृपा करें ताकि गन्दा पानी कब्रिस्तान और शमशान में नहीं जाय।

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री बिरदाराम चौधरी : अभी कर रहा हूं।

दूसरी जो मांग संख्या 29 है नगर आयोजना, उसके बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूं। मकराना में शान्ति थी। हालांकि मकराना में पैसा बहुत है मगर पैसा मकराना में नहीं लग रहा था। लेकिन एक समस्या आपने हमारे लिये नयी खड़ी कर दी। वह क्या ? टाउन प्लानिंग। मन्त्री महोदय, मकराना में मास्टर टाउन प्लान का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है। मास्टर प्लान बनाने की बात 1983 से चल रही है। 1983 के बाद 1991 में इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन करें कि हम यह टाउन प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो आप यह समझ लीजिये कि जहां पर उन्होंने ग्रीन बैल्ट बतायी आज नौ साल बाद वहां फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। जहां पर औषधालय बनाने का प्रावधान रखा वहां घनी आबादी है। जहां सड़क निकालने की बात कह रहे हैं वहां फैक्ट्रियां लग रही हैं। कहीं खानें निकल गयीं। हम यह चाहते हैं कि टाउन प्लानिंग का आपने मसौदा बनाया लेकिन उसमें खसरा नम्बर कहीं अंकित नहीं है। लोगों को पता नहीं है। मुख्य समस्या जिसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं यह है कि मकराना में डवलपमैन्ट करने के लिये, लीज के लिये, फैक्ट्रियां लगाने के लिये जिलाधीश महोदय के पास जो फाइल पैण्डिंग हैं उनमें वे एन. ओ. सी. मांगते हैं। हम जाते हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमैन्ट के पास, पर वहां फैक्ट्री लगी हुई है, 20 लाख का प्लांट लग गया···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट। सिर्फ इसी को समाप्त कर रहा हूं।

जब हम जाते हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास तो वे कहते हैं कि यह क्षेत्र तो आबादी क्षेत्र है। हो गया कोई बात

(श्री बिरदा राम चौधरी)

नहीं, मौके पर नहीं आये, बैठे-बैठे बना दिया। लेकिन इसका कोई साल्यूशन तो होना चाहिये। जहां पर ऐसी स्थिति है कि फैक्ट्री बन गई, मकान बन गये तो उसके लिये मेरा एक सुझाव है कि एक कमेटी बना देनी चाहिए जिसमें राजस्व अधिकारी हो, जिला कलेक्टर हो और टाउन प्लानिंग वाले हों और वे जाकर देखें। मैं कई उदाहरण दूंगा जहां तीन तरफ फैक्ट्री बनी हुई हैं और जब एन. ओ. सी. मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आबादी परपज के लिये है, यहां तो हास्पिटल बनेगा। कहां से बनेगा ? 20 लाख की फैक्ट्री उठ जाएगी वहां से ? खान जो खुद गयी है वह खत्म हो जायेगी ? इस पर विशेष तौर से ध्यान देवें। मेरे ख्याल से टाउन प्लानिंग का कार्य बीकानेर में बैठे-बैठे हुआ है। एन. ओ. सी. मांगते हैं तो कैसे देते हैं ? मकराना वे नहीं आते हैं। एक आदमी जायेगा, उनको लें-दे करेगा, जीप-कार किराया करेगा और मकराना लायेगा। एक भी ऐसा इन्स्टांस नहीं जिसमें आसानी से एन. ओ. सी. मिल जाय। मेरा निवेदन है कि टाउन प्लानिंग के लिये री सर्वे कराया जाय। री सर्वे में दूसरे अधिकारियों को भी रखा जाय, जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय, ताकि लोग बता सकें, मौके पर दिखा सकें। मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर मकान बने हुये हैं, फैक्ट्री है वहां पर उन्होंने दूसरी बात प्रपोज कर दी। यह बहुत भारी समस्या है। 20 लाख के लोगों के प्लाण्ट लग गये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदा राम चौधरी : उनको लोन से महरूम रहना पड़ रहा है। जिनको लोन मिल गये उनके ब्याज लग रहा है और फैक्ट्री चालू नहीं हो रही। इस प्रकार सभापति महोदय, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इसको देखें और अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैंने जो बात कही उसकी ओर ध्यान दें।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगी कि मेहरबानी करके जल्दी घण्टी नहीं बजाए।

श्री सभापति : सदन की भावना सुनने की हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, हरि सिंह जी महुआ बार बार मेरे सामने मूंछों पर बट दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मूंछों के बल पड़े नहीं तो मूंछें रखना पाप हैं। जो मूंछें रखेगा तो वह ताव भी देगा।

श्री रामप्रताप कासनिया : आप यूं बार-बार मेरे सामने कर रहे हो, यह अच्छा नहीं है। मूंछें मेरे भी हैं, मैं भी बिना मूंछों के नहीं हूं।

श्री हरिसिंह : आप भी ताव दीजिये न, मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी, व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27 और मांग संख्या 29 की ओर आपका ध्यान

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

दिलाना चाहती हूं। मांग संख्या 27-पेयजल के अन्तर्गत मूल रूप से जोधपुर की जो समस्या है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। जोधपुर शहर प्रान्त का दूसरा बड़ा शहर है। जोधपुर शहर में पानी की जो समस्या है वह किसी से छिपी नहीं है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगी कि जोधपुर शहर को अभी 48 घण्टे के अन्तराल से पेयजल उपलब्ध होता है। जोधपुर नगर की आबादी हेतु 30 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से 230 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है। औद्योगिक-क्षेत्र, शिक्षण संस्थाओं, औषधालयों, थल सेना, वायु सेना, रेल्वे इत्यादि उपभोक्ताओं की 50 लाख गैलन मांग को भी सम्मिलित करें तो 280 लाख गैलन पेयजल की मांग प्रति दिन है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आज 280 लाख गैलन की आवश्यकता के खिलाफ 182 लाख गैलन पेयजल वितरित किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, जवाई-हेमावास नहर की सफाई व मरम्मत के कारण 26.2.1992 से पानी बन्द है। पेयजल समस्या व नहर में स्लीट जमा है। इस सम्बन्ध में मैंने मार्च, 1991 में सफाई व मरम्मत हेतु निवेदन किया था, जिससे नहर पूरे भराव के साथ जोधपुर पहुंचे। परन्तु खेद है कि नहर की सफाई व मरम्मत का कार्य इसी वर्ष फरवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू किया गया है जबकि तखत सागर में 27.2.1992 को सिर्फ 37 फीट पानी एकत्रित था। आज जोधपुर शहर को अन्य स्रोतों से जल प्राप्त होता है। जवाई-हेमावास नहर से 95 लाख गैलन के स्थान पर, यदि नहर की सफाई व मरम्मत पूर्व में कर दी गयी होती तो, 150 लाख गैलन प्राप्त हो सकता था व तखत सागर व कायलाना जलाशयों में पेयजल का स्टाक रह सकता था। इसी प्रकार रणसी गांव के नलकूपों से 22 लाख गैलन पानी प्राप्त होता है। ट्यूब वैलों का रख-रखाव ठीक हो तो 30 लाख गैलन पानी प्राप्त हो सकता है। रामपुरा मथानिया से नलकूपों द्वारा 25 लाख गैलन, व तिवरी बालखा नलकूपों से 25 लाख गैलन पानी प्राप्त होता है। ट्यूब वैल्स का रख-रखाव ठीक प्रकार हो व कार्य करें, तो 40 लाख गैलन पेयजल की आपूर्ति हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मन्त्री का भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। एक कहावत है कि घावों पर नमक छिड़कना। वैसे भी जोधपुर शहर में पानी की समस्या भयंकर है और बिजली वाले भी दिक्कत देने में पीछे नहीं रहते। हर दफा यही सुनने को मिलता है और मैं जब कभी पानी के लिये बात करती हूं तो मुझे जवाब मिलता है कि वोल्टेज नहीं मिलता और यह बात भी तय है कि उन अधिकारियों की बात कोई गलत नहीं है और यह सत्य है कि वोल्टेज की वजह से हमको पानी के लिये काफी कठिनाई देखनी पड़ती हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 24 इन्च की लाइन एकदम वोल्टेज कम होने से या ज्यादा होने से, लाइन फट जाती है और जोधपुर शहर तीन-तीन, चार-चार दिन पानी से महरूम रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मन्त्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि आने वाले समय के अन्दर जोधपुर शहर के अन्दर, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, बहुत अच्छा काम करवाया कि दो जलाशय स्वीकृत किये गये। इसके लिये मैं मंत्री महोदय की बहुत-बहुत आभारी हूं व धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने ऐसी योजना स्वीकृत की जिससे आने वाले समय में पानी की समस्या से राहत मिलेगी। 38 लाख रुपये की जारी की गई इस योजना की टेक्नीकल स्वीकृति मुख्य अभियन्ता जोधपुर के पत्र संख्या 6622 दिनांक 2.4.92 द्वारा 33.11 लाख रुपये की जारी की गई। इससे जोधपुर शहर में भीतरी हिस्सों के समस्या ग्रसित क्षेत्र जैसे कमाल कालोनी, कागाकागड़ी हरिजन बस्ती, बागर, गोलानाड़ी उम्मेद चौक आदि क्षेत्रों में पेयजल वितरण में सुधार होगा।

इसी प्रकार भीका प्याऊ के पास 10 लाख लीटर का जलाशय पहाड़ी पर बनाना प्रस्तावित है। इस योजना की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर के पत्र क्रमांक 11085-90 दिनांक 6.2.92 को 19.90 लाख रुपये की स्वीकृति की गई है। इस जलाशय से समस्याग्रस्त क्षेत्र जाकिर हुसैन कालोनी, लाला लाजपत राय कालोनी, सरगरा कालोनी, बगतावरमल जी का बाग, सिवाजी गेट के अन्दरुनी हिस्सों में जल वितरण व्यवस्था में सुधार होगा।

जोधपुर शहर में भीतरी हिस्सों में पेयजल उपलब्ध करने की जलाशय बाईजी तालाब योजना जल वितरण समस्या का सुधार करने हेतु 41 लाख 40 हजार की योजना बनाई गई है। यह जलाशय 10.44 लाख गैलन क्षमता का होगा। इससे शहर के भीतरी हिस्से का भाग, विशेषकर घोड़ों का चौक, नवल आश्रम हरिजन बस्ती, रावतों का बास, सोजतीया घाचियों का बास इत्यादि क्षेत्र में पेयजल वितरण में सुधार होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं देवस्थान मन्त्री महोदय का भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमारी योजना स्वीकृत हो जाती मगर उसके अन्दर कठिनाई है कि देवस्थान विभाग ने वहां पर जलाशय बनाने की स्वीकृति नहीं दी। कई दफे मैं देवस्थान मन्त्री से व्यक्तिगत भी मिली हूं और उनको लिखित में भी दिया और जलदाय विभाग ने भी लिख कर दिया, उसके उपरान्त भी हमारे देवस्थान मन्त्री ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वे अगर जमीन स्वीकृत कर दें तो उस जलाशय बनाने में काफी कुछ सहायता मिलेगी। इसके लिये श्री राजरण छोड़ जी मन्दिर, जोधपुर के पीछे भूमि आवंटन शीघ्र कराने की व्यवस्था करावें ताकि इसके पश्चात् जलदाय विभाग प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर सके।

जोधपुर शहर के भीतरी हिस्से में कुछ स्थानों पर पेयजल की समस्या है, उस क्षेत्र के निवासियों के लिये हनुमान जी की भाकरी पर एक जलाशय की योजना बनाएं ताकि सोजती गेट के अन्दर कविराजजी का बाड़ा की हवेली, थलियों का बास व भील बस्ती इत्यादि क्षेत्र के निवासियों को पानी उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर कई ऐसे तालाब और बावड़ियां हैं, उनके रख-रखाव के लिये पी एच.ई.डी. को दे दिया जाये क्योंकि वे जल के स्रोत हैं और इससे ज्यादा सहूलियत रहेगी। जब कभी पानी की कमी आती है तो उनके अन्दर से पानी लिया जाता है। जैसे कि तापी बावड़ी, जालप बावड़ी, चांद बावड़ी, नरसिंह दड़ा, गंगला ऐसी कई हैं। गंगला तो ऐसी है जहां पर लोगों ने अन्दर तक मकान बना लिए हैं, गुलाब सागर है, फतह सागर है, राणीसर है, पदमसर है ऐसे कई स्थान हैं, उनके बारे में जलदाय मन्त्री महोदय यह कहें इनका ध्यान रख लिया जायेगा तो मैं समझती हूं कि हमें काफी सहायता मिलेगी। नगर परिषद के पास पैसा नहीं है कि वह इस चीज को रख-रखाव व सम्भाल सके। इन जल स्रोतों के लिए योजना बनाना सरकार के लिए ही उचित होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 29 की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी....

श्री सभापति : जल्दी करिए आप।

(7.00 रात्रि)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : 10 मिनट ही नहीं हुए, सभापति महोदय। 5-7 मिनट और देखो ना। यह क्या बात हो गई, मैं मेरी बात भी नहीं बताऊंगी।

माननीय सभापति महोदय, सदन में मांग संख्या 29-नगर आयोजना भी विचारार्थ ली गई है। मैंने भी इस पर कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। यह मांग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब से देश आजाद हुआ तब से जनता की भी सत्ता में आने वाले लोगों से काफी आशाएं थीं कि वे शहरों और गांवों का योजनाबद्ध तरीके से विकास करेंगे, परन्तु 40 वर्षों तक जो विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दो वर्षों में विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए हैं वह प्रशंसनीय हैं।

जोधपुर शहर में भी काफी तरक्की हुई है, यदि पूर्व सरकार जोधपुर के स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुरूप विकास का कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराती तो बाईजी का तालाब, रानीसर, पदमसर-प्लान के अनुसार रीक्रिएशन पार्क बन जाता व जोधपुर शहर के परकोटे के भीतर रहने वालों के लिए भ्रमण हेतु पार्क बन जाता। इस प्लान को बने 21 वर्ष हो गए हैं एवं 1996 तक स्वीकृत है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार विकास करावें।

जोधपुर शहर के भीतरी हिस्से में सफाई व रोशनी की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। शहर के भीतरी क्षेत्र में सीवरेज लाइन बहुत पुरानी डाली हुई है जिसके कारण से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगी कि इसके लिए उनकी क्या योजना है? चाहे वर्ल्ड बैंक से करवायें चाहे और किसी एजेन्सी से करवायें परन्तु इसको ठीक कराने का कष्ट करें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर शहर के परकोटे के अन्दर रहने वाले निवासियों के लिए सूखे शौचालयों को सुलभ शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु नगर परिषद जोधपुर को नगरीय विकास निगम से राशि स्वीकृत करावें ताकि हरिजन कष्ट मुक्त हो सकें। जोधपुर शहर में जहां पहले शौचालय थे, उस जमाने में जब जरूरत नहीं थी, जंगल पड़े हुए थे तब और आज की स्थिति के अन्दर हम सार्वजनिक शौचालय की ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। यदि कोई शौचालय या मूत्रालय है भी तो उनकी दशा यह है कि उसके अन्दर जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, सही बात यह है कि शहर की सफाई के लिए गटर लाइन भी आती है जिसमें नहाने-धोने का व गन्दा पानी भी आता है। पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पानी की कमी के कारण आज हम किसी शहर को शुद्ध नहीं रख सकते हैं। राजस्थान में जयपुर के बाद जोधपुर नगर जिस तरह से बढ़ रहा है वह दूसरा शहर है। आज जरूरत के मुताबिक मकान बन रहे हैं व जोधपुर शहर बढ़ता जा रहा है। शहर के भीतरी हिस्से से जो सड़क सिवांची गेट से बाईजी महाराज का आश्रम, गंगवाल के पास होती हुई चांदपोल जाती है, यह क्षेत्र नगर सुधार न्यास का है। परन्तु माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए तकलीफ हो रही है कि यह सड़क न होकर ऊबड़-खाबड़ स्थिति में है कि कोई महिला डिलीवरी केसेज में जाय तो उसको हास्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर जो कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है उसके अन्दर नगर परिषद के अलावा कोई भी अन्य एजेन्सी एक पैसा भी नहीं लगाती है। मगर आज नगर परिषद की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह का चुकारा करने में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसी दशा को देखते हुये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अनुदान राशि वह दें। मैं यह कहती हूं कि जोधपुर शहर में कई काम हुये हैं, मगर और भी ज्यादा प्रगति व काम की आवश्यकता है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार निवेदन किया था, पिछले साल। तो मुख्यमंत्री जी के पास जब भी मैं गई तो एक ही बात कहते थे कि जब भी आप आती हैं तो सड़कों की ही बात करती हैं और कभी-कभी वह जोर से भी बोल देते थे लेकिन मैं फिर भी जब कभी जाती तो एक ही बात करती कि मेरे शहर की सड़कें बहुत खराब हैं। आप पैसा दीजिये, नगर परिषद के पास पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने 1990 और 1991 में 25-25 लाख रुपये दिए। उन्होंने ऐसा किया कि 3 विधान सभा क्षेत्रों में वह 25 लाख रुपये को बांट दिया। सभापति महोदय, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के परकोटे के बाहर सरदारशहर और सूरसागर क्षेत्र उनके अन्दर पंचायत समितियां काम करती हैं, पी. डब्ल्यू. डी. काम करती है, कृषि मण्डी काम करती है, परन्तु मेरे शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नगर परिषद के अलावा कोई काम नहीं करता है। माननीय

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि उसमें कई-कई गलियां तो ऐसी हैं जिनमें एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा अनुदान राशि नगर परिषद को दें ताकि जोधपुर शहर का काम सुचारु रूप से चल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आप घण्टी बजा देते हैं और मैं मेरी बात कहना भूल जाती हूं।

श्री सभापति : 30 मिनट हो गये हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, मैं मेरी बात पूरी कहूंगी। मुझे मेरी बात पूरी करने दें।

श्री सभापति : आपकी बात मंत्री जी ऐसे ही मान लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, आपकी घड़ी में और इनकी घड़ी में अन्तर है। आपकी घड़ी में 30 मिनट हो चुके हैं और इनकी में अभी नहीं हुये हैं।

श्री सभापति : आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय सभापति महोदय, जोधपुर शहर में नगर परिषद है, नगर परिषद में 1981 की जनगणना के अनुसार 10 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जा रहा था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आज की जनसंख्या को देखते हुए करीब 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान दिया जाय ताकि जोधपुर शहर की समस्या में कुछ सुधार आ सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्रीजी से एक और निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर में, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि एक ही एजेन्सी काम कर रही है और जोधपुर शहर की सड़कें इतनी खराब पड़ी है, इसलिए नगर परिषद को ज्यादा से ज्यादा अनुदान दें जिससे कार्य होने में मुझे व जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। क्योंकि लोग मुझ से उम्मीद बहुत करते हैं, मैं दो बार नगर पार्षद भी रह चुकी हूं। मेरे पास बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा आदमी आता है इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अनुदान वह दें।

माननीय सभापति महोदय, सफाई के बारे में यह बात सही है कि सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं परन्तु सफाई करने में उन्हें कुछ तकलीफ भी होती है। नगर परिषद के पास सफाई करने के लिए ठेले तक नहीं है। मेरे पास हरिजन महिलाएँ आती हैं कहती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि जो हरिजन और जमादार रिटायर हो गए हैं उनकी जगह हुये रिक्त पदों को भरा नहीं गया है। वह भी ऐसे के ऐसे पड़े हैं। मन्त्री जी से निवेदन

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

करना चाहूंगी कि वह इस बारे में ध्यान दें।

एक मिनट और दें। मैं मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी और सदन में मेरे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि वह मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने में कंजूसी नहीं करें। जोर से उनका स्वागत करें।

श्री सभापति : माननीय श्री भरोसी लाल। (अनुपस्थित)। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : 1984 से जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रखना था। वह 1984 से रुका हुआ था उसको 1992 के अन्दर मुख्यमंत्री जी ने बजट बनाकर पास किया। उसके लिए सभी माननीय सदस्य उनका स्वागत करें। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों ने ताली तक नहीं बजाई। क्यों न बजाई इसके पीछे कारण है, मैं साफ-साफ कहना चाहूंगी कि श्री जयनारायण व्यास भ्रष्ट आदमी नहीं थे। इसलिये उनको ताली बजाने में तकलीफ होती है।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) - माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 29 पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से पीने के पानी की जो समस्या है वह आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, पानी एक ऐसी चीज है जिससे चाहे मनुष्य हो, पशु हो या जीव-जन्तु हो, पशु-धन हो उसके बिना काम नहीं चल सकता है। रियासतों के समाप्त होने के तुरन्त बाद देश को आजादी मिली। आजादी मिलते ही राजस्थान में यह पी. एच. ई. डी. का महकमा बना। यह महकमा एक ऐसा है, सभापति महोदय जो सदियों पहले रियासतों के जमाने में हजारों वर्षों तक नहीं बना लेकिन हिन्दुस्तान में आजादी मिलते ही बना। पानी पीने के लिये पी. एच. ई. डी. की स्कीम राजस्थान सरकार ने लागू की हम इस बात का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं कि जब मैं पहली बार हाउस में आया उस वक्त हमारे जंगलों में पानी के बिना गर्मियों के दिनों में हिरण समाप्त हो जाते थे, भेड़-बकरी और पशुधन मरे हुओं की लाशें और पशुधन ही नहीं, सभापति महोदय, मीलों तक आपको पता है कि बादलू से तेरजा तक बारहों महीने गर्मियों में बिना पानी के एक आदमी की लाश तो क्या कम से कम सैकड़ों आदमी पानी के बिना मरते थे। इसलिए अब जो महकमा बना है राजस्थान में .. (व्यवधान) मैं बैठूंगा नहीं आपकी खाल खीचूंगा। खीचूंगा, काटूंगा नहीं। सभापति महोदय, इस तरह का जमाना हमने देखा और खास तौर से बीकानेर जिले में मन्त्री महोदय, आपको तो दो साल हुये हैं, इतना हमारा काम हुआ है पी.एच.ई.डी. का जिसका मैं सारा वर्णन यहां नहीं कर सकता। हर गांव पानी की पाइप लाइन से जुड़ा हैं। हर गांव में स्कीमें हैं लेकिन मंत्री महोदय इस मामले

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

में कमजोरी आई है। आपकी कमजोरी नहीं है, आपके बड़े अधिकारियों की कमजोरी नहीं है लेकिन छोटे कर्मचारी और पम्प ड्राइवर हैं उन्होंने सत्यान्यास कर रखा है। अगर इस तरह से काम चला तो आपको गांवों में वोट मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का सारा काम पम्प ड्राइवर करता था इसलिए मैं समय रहते आपको चेतावनी देता हूं कि आपको डिपार्टमेंट के अन्दर जो घुसे हुये कीटाणु हैं उनको तुरन्त बदलिये। 15-15, 20-20 साल से बैठा है और गांवों में अपनी दुकान जमा रखी है। इस बारे में कई बार मैंने आपको भी निवेदन किया है। आज हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पी. एच. ई. डी. की 86 स्कीम हैं राम के भरोसे चल रही है। न आपके एक्स. ई. एन का हुक्म चलता है, न एस. आई का चलता है न कोई आपकी चलती है। वहां एक पैरेलल गवर्नमेंट है गांव के अन्दर और वह ले बैठेगी आपको। सभापति महोदय, अगर गांव का कोई सरपंच, गांव का कोई मुखिया पम्प ड्राइवर के पास जाता है कि गायें प्यासी मर रही हैं और पानी चालू करो तो वह नहीं करते हैं कहते हैं कि जाइये आप। और कोई जन प्रतिनिधि जाता है तो उसमें किस भाषा में जवाब देते हैं मैं यहां वर्णन करूंगा। मैं मंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि यह संकेत है सरकार को कि समय रहते इसमें दुरस्ती करो, सुधार नहीं करोगे तो हमको छुट्टी दे दो। हम पहले ही जय हिन्द करके गांव में चले जायेंगे। आपके सामने गर्मी आ रही है। गांव का मामला, पश्चिम राजस्थान का है, धरती के नीचे पानी है, बिजली है सब कुछ होते हुये आपकी जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसे तत्काल सुधारिये। राजस्थान केनाल से सभापति महोदय, बहुत से गांवों को पीने के पानी से जोड़ा है। यही हालत वहां है इसलिये उनमें भी सुधार कीजिए और राजस्थान केनाल के बड़े-बड़े गांव और हैं, जहां खारा पानी है उन गांवों को आप जोड़िये ताकि ग्रामीण जनता को 45 साल बाद तो आप पानी दीजिये पीने का। अगर आप पानी नहीं देंगे तो सभापति जी मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से कहूं कि जनता समय पर बगावत करेगी। इसलिए ऐसा मौका ना दे। पीने के पानी की आप व्यवस्था करें। इसी के साथ राजस्थान केनाल के बाद सभापति महोदय, अपनी लिफ्ट केनाल है। उन केनाल्स से जैसे फलौदी, जोधपुर का मामला है। इस लिफ्ट केनाल को चालू करके आस पास के गांवों में पीने के पानी की आप व्यवस्था करोगे तो निश्चित रूप से हमारा यह महकमा फलेगा, फूलेगा और ग्रामीण जनता को पीने का पानी मिलेगा। आपने कोलायत लिफ्ट केनाल को बन्द कर दिया, गजनेर को बन्द कर दिया और मैं मांग करता हूं कि गजनेर लिफ्ट को नागौर तक ले जाया जाये और आस पास के सैकड़ों गांवों को उससे पीने का पानी मिलेगा। लेकिन क्या करे सभापति महोदय, हम तो सिर्फ आपके सामने बात रख सकते हैं, रखने से क्या हो सकता है और ईमानदारी की बात है तो मंत्री जी भी नाराज हो सकते हैं। हालांकि मंत्रीजी का ऐसा स्वभाव नहीं है। मंत्रीजी आप में थोड़ी शक्ति होनी चाहिये और बिना शक्ति आपको नीचे वाले आदमी ले बैठेंगे। आपको इस तरह से ले बैठेंगे कि लोग वोट नहीं देंगे और अपने आप गवर्नमेंट बना लेंगे इसलिये राज्य

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

में इन ट्रेजरी बेन्चेज पर आपको आना है तो आप अपने डिपार्टमेंट में सुधार कीजिये और जो लिफ्ट योजना फलौदी की है, जोधपुर की है उसको तत्काल शुरू करिये। अगर आप पूरी करने की हैसियत में नहीं हैं तो आप पाइप लाइन लोहे की डालिये। अमरपुरा हैड से मेन केनाल से जोधपुर तक। ताकि आसपास के हजारों गांवों को लोगों को पीने का पानी मिल सके। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि समय रहते अगर आप लोगों को पानी नहीं देंगे तो हम तो मर जायेंगे और लोग हमको मैदान में फिर से रगड़ कर छोड़ देंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि जोधपुर की सरकार में वापस आना है आपको इस ट्रेजरी बैन्च पर तो आप लिफ्ट् केनाल और नागौर की लिफ्ट जो गजनेर की है इसको आगे बढ़ा करके नोखा तहसील पलाणा गजनेर, आपकी बिजली बन रही है सारे नागौर के गांवों को पानी पीने के लिये दीजिये। (व्यवधान) मैंने देखा है। एक आयेगा एक से कुछ नहीं। इनकी बातों में नहीं जाकर के मैं सभापति महोदय, मांग करता हूं कि इस मामले में आप सुधार कीजिये. धन बहुत है, काम पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी आपके महकमें के नीचे इतने भ्रष्ट आदमी बैठे हैं वह आपको बदनाम करवा रहे हैं। मैं माननीय हेतरामजी से कहूंगा कि इस तरह के मुद्दे पर आप हमारा सहयोग करें। आपके तो फव्वारें चलते हैं, कई फव्वारें ऊपर से चलते हैं कई नीचे से चलते हैं आपकी भैंसे और गायें कौनसे तबेलों में रहती हैं, वह मुझे पता है हेतराम जी। आप कामरेड हो, हम मानते हैं कि आप कामरेड हैं, लेकिन आपके इलाके की स्थिति और हमारे इलाके की स्थिति भिन्न है। आज हमारे एक-एक बून्द के लिये एक-एक बाल्टी पानी के लिए, सभापति जी, आपको पता है हमारे वहां की हालत क्या है। अगर एक कुआ बन्द हो जाता है.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।....

श्री सभापति : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं। आप कृपया अपने विषय पर बोलें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य हेतराम जी ने कहा कि आप जमीन बदल लो, मैं इनका इशारा समझता हूं। देखिये मैं खानदानी जाट हूं। आप जाति से हैं मैं नेचर से जाट हूं। जमीन से मेरा लगाव है। मेरा परिवार आपसे, और देवीलाल जी से बड़ा है। मेरे पास जमीन है। मेरे पास जमीन है लेकिन एक इन्च जमीन अगर गलत है तो आपको चेलेन्ज है। (व्यवधान) मेरा....

श्री सभापति : आप तो पानी पर बोलिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं पानी की बात कर रहा हूं। काल न कहेंगे कि लुगाई बदल ले मैं नहीं बदलूंगा। म्हार थार से सुन्दर है। म्हारली थार से सोरा है। सभापति महोदय, हमारे बीकानेर जिले में एक एक बाल्टी पानी के लिये भटकना पड़ रहा है। कुछ दिनों से कई गांव की स्कीमें बन्द पड़ी हैं। खराब पड़ी हैं। वह लोग नीचे वाले नहीं बदल रहे हैं। मैंने मन्त्री जी आपको सुझाव दिया कि जिस इलाके में

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जिस विधान सभा क्षेत्र में पूरे गांव हों, 86 स्कीम हो और आपका कोई जिम्मेदार आदमी सम्भालने वाला नहीं होगा तो हमारी हालत क्या होगी ? गांव में पशु मर जायेंगे सारे के सारे। आपके सामने भयंकर गर्मी आ रही है। जंगली इलाका है। इसलिये पीने के पानी की मन्त्री महोदय, पूरी व्यवस्था कीजिये। न खतरा आपसे है, न खतरा कांग्रेस से है, न खतरा दूसरों से है। खतरा आपकी व्यवस्था से है। इसका सुधार कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकरण सिंह जी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, यह मांगें 27 और 29 एक बहुत सरल स्वभाव के मन्त्री महोदय की है। यह हवा और पानी प्रकृति देती है उनकी देन है और दान है लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दाता दे और भण्डारी का पेट फूटे। सेन्टर से पैसा मिलता है और अरबों रुपया मिलता है लेकिन यह विभाग और इसके अधिकारी इसमें अकर्मण्य साबित हुये हैं और परमानेन्ट व्यवस्था जिसमें हवा और पानी की आदमी को जिन्दा रहने के लिये जरूरत है, उसकी भी व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं कर पाये। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी मैं बताऊंगा सभापति महोदय, कि सबसे बड़ी खामी मन्त्री महोदय आपकी है। आपने सब पावर केन्द्रित कर रखे हैं और केन्द्रित करने के नाते एक हैण्ड पम्प भी आपके यहां से मन्जूर होता है। क्या करेगा आपका चीफ इन्जीनियर, क्या करेंगे आपके एस. ई. और एक्स. ई. एन., इसलिये इस बारे में आपने जो पावर केन्द्रित कर रखे हैं, इससे साफ जाहिर है कि दुनिया को आप पानी से मारना चाहते हो.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बात नहीं करें।

श्री रामकरण सिंह : यही नहीं, माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा ....(व्यवधान).... इस बारे में मरना और जीना आपके और आपके मन्त्री जी के हाथ में नहीं है। हम लोग कर्मठ हैं। हम सुबह से शाम तक कुआ खोदकर पानी पीना जानते हैं। किसी की दया के ऊपर नहीं जीते। मैं राजस्थान की सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो कुछ इनकी यह जो केन्द्रित स्कीम है, जो एक जगह केन्द्रित कर रखी है। माननीय सभापति जी, आश्चर्य होगा कि आपका एक्स. ई. एन. और एस. ई. इस महकमें में चपरासी से भी गये बीते हैं इस समय उनको यह कहने का और यह ऐलान करने का भी अधिकार नहीं है कि वो कहीं जाकर के यह कहें कि यहां हैण्ड पम्प लगेगा। फिर क्यों भेजते हैं, फिर क्यों खर्चा पाल रखा है, क्यों उनके दौरे करवाते हो, किसलिये ? स्कीमें जो होती हैं, जो इनके टेक्नीकल मेम्बर्स हैं, उनके यहां पड़ी रहती है। आप मुझे बता दें कि आपकी कोई भी स्कीम 10 वर्ष से पहले पूरी हुई हो। पानी पीने की जगह 10-10 वर्ष, 5-5 वर्ष....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें। आप बोलिये अपने विषय पर।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सभापति जी, मैं इनका शुभ चिन्तक हूं। उनको यह बता रहा हूं कि केवल+++और +++भरने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा इसलिये आप काम कराइये ताकि आपको दुबारा आने का मौका मिले वरना भाई लोगों भटकते फिरोगे, सड़क नापोगे। माननीय सभापति जी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++भरने वाले शब्द को कार्यवाही से एक्सपंज करवाइयें।

श्री रामकरण सिंह : पूरे राजस्थान में इन मामलों में और आपको भी इसका अनुभव है। मैं कह सकता हूं कि सामान बचता है, इनके गोदामों में पड़ा है। उनको मालूम तक नहीं कहां कितना सामान है। ये सामान का स्टेटमेंट मंगाइये। मन्त्री महोदय, लाखों करोड़ों रुपये का सामान चाहे जहां पड़ा है, उसकी कोई सम्भाल नहीं है। आपके जहां आफिसेज हैं चाहे ए. ई एन. के हो चाहे एक्स. ई. एन के हो चाहे एस. ई. के हो, उनके आफिसों की बाउण्ड्री के बाहर सामान पड़ा है। उसका कुछ नहीं मालूम पड़ता है कि कौनसा सामान कौन निजी काम के लिये ले जाता है या नहीं। यही नहीं, हमने देखा है, हमने पूछा है, हमें अनुभव है कि वहां से कितना सामान गया है और कितना सामान मौजूद है, यह नहीं मालूम होता है। सब जगह आपको गलती मिलेगी। अगर इस बारे में पूछना चाहते हो और जानना चाहते हो तो मैं कह सकता हूं मर्जी आये उस जगह के एस. ई. या एक्स. ई. एन. के आफिस को ले लीजिये क्योंकि आपने उनको निराश कर रखा है, उनको काम करने का मौका नहीं देते। जब आप काम करने का मौका नहीं देते और एक हैण्ड पम्प की मंजूरी का काम आप अपने यहां से करते हो तो क्या निहाल करेंगे वो ? क्यों लगा रखा है उन अधिकारियों को, जिनको आपने केवल एक हैण्डपम्प की मन्जूरी के भी पावर नहीं दे रखे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे एरिये में बिचानी गांव है सभापति जी, और सुकलावास बिचानी का एक मोहल्ला है। बिचानी के ऊपर एक पहाड़ है वहां पर टंकी बनी हुई हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आपके इन्जीनियर वहां हो आए, एडिशनल चीफ इन्जीनियर वहां हो आये, एस. ई. वहां हो आये और एक्स. ई. एन. हजारों दफा हो आये, आप ताजुब्ब करोगे, उस गांव को पानी नहीं दे सकते। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं, मेरे मौलाना की एक स्कीम है। उस स्कीम को आज सात साल हो गये और क्या है स्कीम ? केवल आपको थोड़ी दूर जाकर पानी देना है। सांगतेड़ा की है, गोनेड़ा की है भनीयाला की है, गोपालपुरा की है और बडार के अन्दर जितने हैण्ड पम्प लगे, फेल हो गये लेकिन फेल होने के बाद निराश होकर डिपार्टमेंट बैठ गया। सबसे बड़ी खामी एक और है माननीय मन्त्री जी, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को पानी मिले तो पहले अण्डर ग्राउण्ड वाटर की सतह मालूम कीजिये। आपने जगह-जगह कुए खोद दिये, वो सूख गये, उनमें पानी नहीं है। आपकी स्कीम फेल हो गई। अब दुबारा आपकी स्कीम हो रही है। दुबारा

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामकरण सिंह)

सर्वे करवा रहे हो और सर्वे करने के आधार पर आप खाना खाने बैठे और सामने पानी का गिलास नहीं है तो मेरे ख्याल से आपका खाना नहीं होगा और थोड़ी देर में शायद हो सकता है भगवान ऐसा नहीं करें, सांस भी बन्द हो जाय तो आप जो लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हो उसके पहले क्यों नहीं आप उसका सर्वे कराते। हैण्ड पम्प लगाते हों, पानी आया नहीं आया। अगर आ भी गया तो 6 महीने तो आया, उसके बाद में खत्म। साहब, सतह नीचे चली गई। आपके अधिकारी क्या करते हैं। वो कहते हैं सतह नीचे चली गई तो सभापति महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि ये पहले सर्वे करवायें और सर्वे करवाकर जो खर्च करते हैं उसका उपयोग करते हैं। आज सेन्टर का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी अरबों रुपया लग गया लेकिन परमानेन्ट कोई स्कीम, मैं पूर्वी राजस्थान के लिये तो कह सकता हूं कहीं भी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान में अधूरी पड़ी है। साहबा योजना है। दूसरी सबसे बड़ी खामी, मैं पूछना चाहता हूं, पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया यह नहीं कह सकते, आप लोगों ने आने के बाद आपके राजस्थान में 60-70 एरो प्लांट लगे हुये हैं। मैं दावे से कहता हूं एक भी उनमें से काम नहीं कर रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो बताइये कहां काम कर रहा है? आप अपनी जबान से बता दीजिये। आपके अधिकारी से पूछ लीजिये। एक भी काम नहीं कर रहा है। यह क्या: तमाशा है, क्या खिलवाड़ है, क्यों इस पैसे को बरबाद करते हो? यह चेरिटी फण्ड बना रखा है आपने कि जी चाहे जिसको बांटो इसलिए सभापति महोदय, ऐसी हालत है, आप ताज्जुब करोगे एक गांव में स्कीम है। एक टेप लगा दिया और पानी डका दिया और कह दिया यह सेंक्शन्ड गांव है। इसमें चालू हो गया पानी, कहां चालू हो गया।

श्री टीकम चन्द कांत : हमारी गाड़ी जायेगी। (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : माननीय सभापति जी, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे एक्स. ई. एन. और एस. ई. की यह हालत है कि वह 5 फुट का पाइप अवेलेबल नहीं करा सकते। अभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि पाइप हमारे पास नहीं है। पाइप है कहां। माननीय मन्त्री जी ने केन्द्रित कर रखे हैं और आपको ताज्जुब होगा हर वर्ष बजट का पैसा लेप्स होता है, क्यों नहीं काम में लेते हैं, क्या आप सक्षम नहीं हैं तो मेघवाल जी जरा एक्टिव हैं इनको दे दीजिये। क्योंकि सिंचाई से इसका सम्बन्ध है। अगर कहीं टैंक बनेगा, कहीं एनीकट बनेगा, कहीं बन्ध बनेगा तो कुओं में पानी आएगा और वो पीने के काम में आयेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों महकमें एक व्यक्ति के पास होने चाहिये एक माननीय मन्त्री के पास होने चाहिये ताकि को-आर्डिनेशन बैठ सके। (व्यवधान) दूसरा, गावेली साहवा के अन्दर मैं जब उस साइड में गया तो मैंने देखा वहां पाइप नहीं दे पाये। बीकानेर में गये तो वहां खिलवाड़ हो रहा है। पानी पीने के नाम पर केवल लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है। विश्वास से मन्त्री जी का काम नहीं चलेगा, पानी पिलाने से काम चलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री रामकरण सिंह)

(व्यवधान) बहुत अच्छी बात मेरी तो हमेशा बजती रहती है। माननीय सभापति जी, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा मैं एक बात आपके जयपुर के लिए कहना चाहता हूं और इसको गम्भीरता से सोचें, इसको हल्केपन से मत लीजिये। आपके यहां जितने सौफिटे हैं वे कोई 20 फिट का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है और उन सभी का पानी नीचे जाता है। वो गन्दा पानी जिसको गंगाजल का पानी मानकर जयपुर वाले पी रहे हैं उस पानी के लिए सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री रामकरण सिंह : दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : 7 मिनट दे दिये हैं।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सभापति जी, मैं ज्यादा बोलता ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि वो पानी जो आज जयपुर के अन्दर थोड़े दिनों में लोगों को बेहाल करके बीमारी पैदा कर देगा इसलिये यहां इस सिस्टम को आप रोकिये और रोककर सीवर लाइन ऐसी बनाइये ताकि लोग बाग इस अशुद्ध, गन्दे, दूषित और कीड़े-मकोड़ों से भरपूर पानी को पीने से बच सकें। माननीय सभापति जी, मैं एक सुझाव इस सम्बन्ध में और देना चाहता हूं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री रामकरण सिंह : बस एक और। इसलिए माननीय मन्त्री जी अगर आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य करते हैं। इस प्रशंसा से काम नहीं चलेगा। अगर आपने सीवर लाइन निकाल दी और गन्दे पानी को बाहर निकालने का सिस्टम कर लिया और जमीन में जज्ब नहीं होने दिया तो ये लोग बच सकेंगे वरना भूरि-भूरि प्रशंसा करने वाले आपको डुबोयेंगे और खुद भी डूबेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, काफी टाइम हो गया, सभी दलों के लोगों ने सिद्धान्तों और नीतियों के बारे में तो अपनी बात कह दी इसलिए मैं उन बातों में तो नहीं जाना चाहता। जलदाय विभाग ने काफी रेगिस्तानी इलाकों में पूर्व में योजनायें बनाई हैं और उन योजनाओं से जो सदियों से लोग पीड़ित थे उन लोगों को 70-70, 80-80 पुरुष चड़स से, बैलों से, गधों से, ऊंटों की जोड़ियों से कुओं से पानी निकाल कर पीना पड़ता था और आजादी के बाद में लोगों ने राजकीय योजनाओं से पानी पीना शुरू किया और लोगों को विश्वास हुआ कि कोई भी जो शासन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को और मवेशियों को पानी पिलाये। इससे पहले लोगों को विश्वास भी नहीं था कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह चाहे मरे और चाहे किसी ढंग से पानी पीए।

(7.33 सायंकाल)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री अमीन खां)

अभी मैं दो दिन बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में घूमा हूं। मन्त्रीजी आप मानेंगे या नहीं, आप विरोधी एम.एल.ए. के नाते शायद नजरअन्दाज बात करेंगे लेकिन मैं यह दावे के साथ और ईमान से यह बात कहता हूं कि 7.3.92 से आपके बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके में बिजली ठप्प है और 7.3.92 के बाद ये योजनायें, एक साउथ गराब-सलारिया योजना जिसके अन्दर 38 गांव आते हैं, गराब खड़ीन योजना में 29 गांव आते हैं, 5 गांव आते हैं सातरी गांव डाबर में, 5 गांव आते हैं साउथ गराब चेतोड़ी में, एक गांव आता है गडरा मांगूरी में, 5 गांव आते हैं गडरा जयसिंहदर में और 5 गांव आते हैं तुड़वी हरसानी में। ये योजनायें 7 तारीख से बन्द हैं और मैंने देखी है आपकी वाटर वर्क्स की लाइनें जगह-जगह लोगों ने लीकेज कर दी हैं पानी के अभाव में और लोग जिस तरह से जोगी घूमते हैं उसी ढंग से घूम रहे हैं। मवेशी जगह-जगह मर रहे हैं। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था उसके उत्तर में भी कई गांवों में आपने खुद ने मान लिया है कि 3 हफ्तों में पानी पहुंचता है। मैकन के पार में 3 हफ्तों में पानी पहुंचता है, सजन के पार में 3 हफ्तों में पानी पहुंचता है। क्या 3 हफ्ते यानि 21 दिन में एक बार पानी पहुंचाकर इसको सन्तोषजनक कार्यवाही कहते हैं ? इसीलिए मेरी आपसे यही अर्ज है कि ऐसे संकट में चाहे बिजली नहीं मिलती हो तो आप डीजल के जनरेटर दिलवाओ। डीजल के जनरेटर से भी कामयाब नहीं होते हो तो आप टैंकरों से व्यवस्था करो। अगर टैंकरों की व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं तो आपको एक विज्ञप्ति के जरिए एलान करना चाहिए कि किसी सूरत में हम पानी का इंतजाम नहीं कर सकते इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से व्यवस्था करो तो लोग नहीं मरेंगे। नहीं तो लोग मरेंगे और लाखों रुपए की जो पाइप लाइन है इसका नुकसान अलग होगा और यदि इसमें सम्भलेंगे तो कम से कम एक महीना लगेगा। आज अभी तक सर्दी का टाइम है और गर्मी का टाइम आते ही ऐसा संकट खड़ा हो जायेगा जिसे आपको सम्भालना मुश्किल हो जायेगा।

दूसरी बात यह है कि आपने मुझे चिट्ठी लिखी उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे जानकारी मिली नहीं तो मुझे जानकारी नहीं थी। पिछले 91-92 के साल में आप कहते हैं कि हम पक्षपात नहीं करते जितनी भी शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की स्कीमें सैंक्सन हुई हैं, नई रेवेन्यू गांव की स्कीमें सैंक्शन हुई हैं और ढाणियों की स्कीमें सैंक्शन हुई हैं वो बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र में हुई हैं बाकी किसी विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुई हैं। वो मंत्री हैं इसलिए कराई है तो आप 200 आदमियों को मंत्री बनाओ। इसका मतलब यह होता है कि जब सदन के 200 सदस्य मंत्री बनेंगे तो राजस्थान में काम होगा अन्यथा नहीं होने वाला। नहीं तो आप अपने विभाग के अधिकारियों से पूछिये कि क्या बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में ही पानी की समस्या थी। क्या शिव में नहीं है, चौहटन में नहीं है, गुढामालानी में नहीं हैं, बालोतरा में नहीं है ? लिस्ट के अनुसार मैं कह रहा हूं। 90 पर्सेण्ट जो सैंक्शन हुई हैं वे एक में ही हुई हैं और यही हालत आपके जिले की है। तो मेहरबानी करके हम कहते हैं कि

(श्री ग्रमीन खां)

पानी जैसे मामले में ग्राप इतना राजनीतिक पक्षपात न करें ग्रौर मैं गलत बोलता हूं तो ग्रापके विभाग के ग्रधिकारियों से पूछ लें ग्रौर वो ग्रधिकारी यह बता दें तो ग्राप भविष्य में मेहरबानी करके, वो मंत्री ग्रापकी पार्टी के हैं, वो ग्रापके सपोर्टर हैं तो उनका 80 पर्सेण्ट काम कर दें यहां तक तो हमें सन्तोष है लेकिन 20 पर्सेण्ट बहुत दुःखी लोगों में भी पानी का इन्तजाम करना चाहिए। नम्बर दो, मेरे कहने का ग्रर्थ यह है कि पशु पेयजल योजना के ग्रन्तर्गत जितनी भी खेलियां बनी हैं, डी ग्रार.डी.ए. के तहत जो टकियां बनाई, उनमें पाइप नहीं हैं, उसमें कनेक्शन नहीं है। ग्रापके विभाग के ग्रधिकारी यदि कोई बाड़मेर गए हों तो पूछ लें बिना कनेक्शन के टंकियां है, बिना कनेक्शन खेलियां पड़ी हैं ग्रौर उनमें पानी का कोई इतजाम नहीं है ग्रौर उनमें पाइप लाइन नहीं है। उण्डू कूपलियां के ग्रन्दर, कसूम्बला मेहचान, कसूम्बला हरचन्द, कसूम्बला सरदारसिंह, कसूम्बला चारणान, चारों गांवों में पिछले एक साल से पानी बन्द है ग्रौर बार-बार शिकायतें करने पर भी कोई परवाह नहीं करते हैं। एक बार रामनिवास जी मिर्धा का उस एरिया में प्रोग्राम हुग्रा ग्रौर वे उण्डू गांव में पहुंचे उस दिन पहले तो मुझे ग्रधिकारियों ने बताया कि इनके ग्रन्दर टेक्निकल स्कीम गलत हो गई उसको हम दूसरे ढंग से सोच रहे हैं। रामनिवास जी मिर्धा जिस दिन उण्डू में पहुंचे उस दिन उन गांव के लोगों को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 8 टंकियां भर गई हैं। ग्रगर टेक्निकल गलती होती तो रामनिवासजी के ग्राने से कैसे पानी पहुंच गया। सिर्फ इस कारण कि ग्राज ये लोग चिल्लायेंगे कहीं ये जाकर शिकायत न करें। तो इस तरह की लापरवाही से लाखों रुपयों की योजनाग्रों पर पानी फिरता है ग्रौर इस तरह जैसलमेर गांव में टोगा, कपूरिया, नादा हरबा में एक साल से पानी नहीं जाता है। मैंने ग्रधिकारियों से भी कहा है। ग्रापके ग्रसिस्टेन्ट इन्जीनियर केवलिया जो जैसलमेर में उसका स्टेटमेंट राजस्थान पत्रिका में ग्राया है ग्रगर दूसरी पत्रिका होतो तब भी नहीं मानते। उसने स्टेटमेंट दिया है कि क्या करूं, पानी वास्तव में नहीं ग्राता है। नट बोल्ट खरीदने को पैसा नहीं है, डीजल खरीदने को पैसा नहीं है, पाइप खरीदने को पैसा नहीं है, पानी नहीं जायेगा, नहीं जायेगा। यहां के ग्रसिस्टेन्ट इन्जीनियर का स्टेटमेंट है ग्रौर वह राजस्थान पत्रिका में ग्राया है। तो वो बात सच है बाड़मेर, जैसलमेर में जो पूर्व एक्स ई एन. रहे हैं वे एक्स.ई.एन. हैड-क्वार्टर पर कभी नहीं रहे। ग्रभी भी बाड़मेर से चलकर एक्स.ई.एन. जो जैसलमेर पहुचे, उस एक्स.ई.एन. को मैं जानता हूं उसका काम ठीक है। उसके जाने के बाद हालत सुधर जायेगी तो पता नहीं। तो वे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। नई स्कीमें तो ग्रापने दी लेकिन पुरानी स्कीमों का मेंटिनेंस नहीं हो रहा है लोग बर्बाद हो रहे हैं ग्रौर मेहरबानी करके जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिद्धान्त ग्रौर नीतियों की बात मेरे पूर्व के सदस्य कह चुके हैं इसलिए मैं नहीं कहना चाहता लेकिन एक इन्फोरमेशन के जरिए कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी के तौर पर बाड़मेर में मालूम करें ग्राए हुए ग्रधिकारियों से मालूम करें, 7 तारीख से पानी बन्द है, 68 गांवों का मामला है मामूली बात नहीं है ग्रौर इसका माकूल इन्तजाम हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 और 29 के ऊपर मेरे झालावाड़ जिले, कोटा डिवीजन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं और समस्याओं के बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूं। झालावाड़ जिले में पांचों विधान सभा क्षेत्रों में पानी की भयंकर किल्लत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में डग कस्बा तथा पछवाड़ में आपने स्कीम मंजूर की है लेकिन जो स्कीम आपने मंजूर की है, वह बहुत समय से लम्बित होने की वजह से वहां पर पानी की किल्लत हो रही है। 1 लाख रुपये के करीब पछवाड़ कस्बे में पाइप लाइन के लिए मंजूर हुए, दो लाख रुपये डग कस्बे के लिए मंजूर हुए लेकिन पाइप उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां पर कई बस्तियां इस प्रकार की हैं, अनुसूचित जाति की हैं, वहां पर पानी की किल्लत हो रही है। वहां पर उन स्कीमों को तुरन्त प्रभाव से यदि आप प्रारम्भ करेंगे तो गर्मी के मौसम से पहले-पहले उन लोगों को पानी मिल सकेगा, ऐसी मैं माननीय मंत्रीजी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। झालावाड़ जिले में सारा ग्रामीण अंचल है, गांवों के हैण्ड पम्प अधिकांशत: खराब पड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जनता की ओर ध्यान देकर जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उनका सर्वे करवा कर उनको तुरन्त ठीक करवाया जावे जिससे कि गर्मी के मौसम में ग्रामीण जनता को, गरीबों को पानी उपलब्ध हो सके। खानपुर क्षेत्र में दो-तीन गांव इस प्रकार के हैं, करवास गांव, खानपुर और गोलाना। गोलाना में पूरा पानी खारा है खारा पानी होने की वजह से वहां की जनता को भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां की जनता को मीठा पानी उपलब्ध हो उसके लिए वहां का सर्वे करके कुछ इस प्रकार की योजना बनाई जाय जिससे जनता की समस्या का हल हो सके। अकाल का समय है, अकाल का समय होने की वजह से मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में पछवाड़ कस्बे में रोजाना गांव में, शिवगढ़ गांव में पानी की भयंकर किल्लत है लेकिन वहां पर आपने टंकी की स्वीकृति तो की परन्तु अभी तक उसके लिए बजट रिलीज नहीं किया गया है। बजट रिलीज नहीं करने की वजह से सारी योजनाए डग कस्बे की और पछवाड़ कस्बे की, लम्बित हो रही हैं। यदि उनमें आप बजट देकर टंकी के निर्माण के कार्य जल्दी करायेंगे तो जनता को पानी उपलब्ध हो सकेगा और वहां की जनता को राहत मिलेगी। झालावाड़ जिले में कई प्रकार की हरिजन बस्तियां हैं, अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं, जन जाति की बस्तियां हैं, उनमें पीने के पानी की भयंकर किल्लत है। यदि प्राथमिकता देकर वहां पर हैण्ड पम्प लगाये जाय तो गरीब लोगों को राहत मिलेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जयपुर में तो करोड़ों रुपये पेयजल के ऊपर आपने खर्च किये हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और हाड़ौती अंचल की उपेक्षा हो रही है जबकि....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जयपुर से एम.एल.ए. हैं इसलिए किये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने मान ली क्या यह बात ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्या को

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक बजट ग्रामीण जनता के पेयजल के लिए रखे जायं। झालावाड़ जिले में इस प्रकार सारे क्षेत्र में जो पेयजल की व्यवस्था हो रही है उसको सुधारा जाय और हैण्ड पम्प ठीक करवाये जायं और 25 नये हैण्ड पम्पों की जो आपने स्वीकृति दी है वह स्वीकृति केवल मात्र कागजों में है, अभी तक विभाग में नहीं पहुंची। इसलिए मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हैण्ड पम्पों की स्वीकृति देकर वहां पर कार्य प्रारम्भ किया जाय जिससे जनता को लाभ मिल सके, राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 पेयजल, मांग संख्या 29 नगर आयोजना पर सदन में चर्चा हो रही है। माननीय मंत्रीजी ने कल हमारे नागौर जिले के जन प्रतिनिधियों की बैठक ली और हमारे हरेक क्षेत्र के विधायकों की समस्यायें सुनी और हरेक विधायक के सुझाव भी लिये। इसके लिए मैं उनको सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। समस्याओं के बारे में मंत्रीजी ने हमारे से कल सुझाव लिये थे, मैं विशेष तौर से आज इस सदन में जो वर्तमान व्यवस्था पेयजल की है उसके सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आपकी जितनी भी पेयजल योजनाएं नागौर जिले में चल रही हैं और वोल्टेज की भारी कमी के कारण से मोटरें जल जाती हैं, पेयजल पहुंचाने में बाधा आती है इसलिए मेरा यह सुझाव है कि ऊर्जा मंत्रीजी और आप दोनों, दोनों विभागों में सामंजस्य बनायें, हर माह एक मीटिंग ली जाय और वोल्टेज के बारे में चॉक आउट किया जाय तो पानी के मामले में जो बिजली की समस्या को लेकर दिक्कत आती है उस समस्या का हल हो सके। या यह विभाग आप ले लीजिए बिजली विभाग ताकि वोल्टेज की कमी तो ना रहे। वोल्टेज की कमी के कारण से हमारे गांवों में पानी की बड़ी समस्या रहती है, कई बार मोटरें जल जाती हैं वोल्टेज हाई नहीं मिलने से। फिर एक-एक महीने तक ठीक वोल्टेज नहीं होता है, गांव में पानी की समस्या बनी रहती है। माननीय मंत्री महोदय का मैं विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नागौर जिले में गांवों में टी.एस.एस. योजनाएं चल रही हैं और कई वर्षों पुरानी हैं; कोई बीस साल से है, कोई पन्द्रह साल की है, कोई दस साल से है। इन टी.एस.एस. योजनाओं को आपने पंचायती राज के सुपुर्द कर रखा है, ग्राम पंचायतें सम्भालती हैं। अब सरपंच भी हट गये, आपने ग्राम सेवक को प्रशासक बना दिया, ग्राम सेवक गांव में मिलता नहीं है, मोटरें जलती हैं, पंचायतों के पास पैसा नहीं है तो मेरा यह सुझाव है कि आज इस सदन में आप यह घोषणा करें कि यह टी.एस.एस. योजना आप अपने विभाग के पास ले लेंगे तो हमारी पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा, नहीं तो आपकी पेयजल की समस्या और विकट उलझती जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने पीएनटी योजना जो लागू कर रखी है, अब पांच-पांच सौ घरों की बस्ती है या तीन-तीन हजार की जनसंख्या या चार-चार हजार की जनसंख्या पर आपने टी.एस.एस.

(श्री मोहनलाल चौहान)

योजना लागू कर रखी है, सिर्फ टी.एस.एस. योजना तो हजार, पांच सौ की जनसंख्या वाले गांव में ही सफल होती है, तीन हजार, ढाई हजार, दो हजार की जनसंख्या वाले गांवों में यह टी.एस.एस. योजना लागू करके आप गांवों में पानी नहीं पिला सकते। जनसंख्या के आधार को देखकर आप कम से कम पांच सौ की जनसंख्या पर पी.एन.टी. योजना लागू करें...या पनघट योजना लागू करके गांव की जनता को पानी पिलायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी टी.एस.एस. योजना पुरानी है इसको छोटे-छोटे गांवों में ही रखें और बड़े गांव जहां आपकी जनसंख्या ज्यादा है उनको टी.एस.एस. योजनाओं में जल्दी ही योजना बनाकर जिन गांवों की जनसंख्या 2000 से ऊपर या 1500 से ऊपर जनसंख्या है उसमें टी.एस.एस. योजना को पी.एन.टी. योजना में कन्वर्ट करने की योजना बनायें। तो आपकी यह स्थाई योजना लागू हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हैण्डपम्प योजनायें हमारे जिले में काफी हैं नागौर जिले में सबसे ज्यादा परबतसर क्षेत्र में है। यह हैंडपम्प योजना में हैंडपम्प खुदवाते हैं और सौ सवा सौ फुट गड्ढा खोदते हैं। भूमि में पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और वाटर लेवल नीचे चले जाने से आपके हैंडपम्पों में सौ सवा सौ फुट से पार पड़ती नहीं है. कम से कम दो सौ, ढाई सौ फुट की गहराई के हैंडपम्प खुदवायें तो पानी ठीक मिल सकता है नहीं तो आपके हैंडपम्प कई जगह खुदे हुये पड़े हैं। कहीं-कहीं पर तो हैंडपम्प बन्द पड़े हैं। अब गर्मी का मौसम आ गया है और अगर अप्रैल के महीने में आपने हैंडपम्पों के लिए विशेष अभियान चलाया नहीं और उन्हें ठीक नहीं कराया तो पेयजल की भयकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नागौर जिला पेयजल समस्या से ग्रसित है और यह 30 जिले 30 काम में 90 लाख रुपया हमको विभाग की तरफ से मिला है। यह सिर्फ हमारे नागौर जिले में पेयजल की समस्या के लिए ही हम खर्च कर रहे हैं और इस योजना के अन्तर्गत हमारे अधिकारी लोग एस./ई. और एक्स ईएन इसमें तत्परता से काम कर रहे हैं और नागौर जिला बड़ा जिला है इसमें 11 पंचायतें समितियां हैं, 8 तहसिलें हैं। तो नागौर जिले की जल समस्या पाच साल के बाद भयंकर समस्या हो सकती है वाटर लेवल नीचे चले जाने से। इसलिये मैं आप से मांग करता हू कि जो इन्दिरा गांधी नगर है उसको हमारे जिले में भी ले जाई जाये तो पेयजल की समस्या भविष्य में जो आने वाली है वह समाप्त हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की बात है। बागापट्टी योजना है और कई वर्षों से पुरानी है। हमारे क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक श्री मोतीलाल जी काफी वर्ष पहले हुए थे उन्होंने काफी मेहनत करके बागापट्टी योजना में पहले कोई आदमी पानी पीता था तो उसको कुबड़ हो जाती थी और यह विशिष्ट योजना है, इसको हमारे गांवों से तो आपने जोड़ रखा है और इन गांवों के लिए बड़ी ढाणियां 200-300 की जनसंख्या की, इन ढाणियों में पांच-सात साल से इसकी समस्या के लिए कुछ ढाणियां हमारी बाकी हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दें। मैं आपका

(श्री मोहनलाल चौहान)

बहुत-बहुत आभारी होऊंगा, यह एक मानवीय दृष्टिकोण का मामला है पेयजल की बागापट्टी योजना में जो ढाणियां हैं–मैंने कई बार आपको पत्र लिखा है और आप भी हमारी बातों का उत्तर देते हैं लेकिन एक-एक और ।।।- ।। किलोमीटर की ढाणियां हैं, इससे ज्यादा की नहीं हैं और आपका पाइप का खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा और इस योजना में हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशेखर जी ने भी बागापट्टी योजना के लिए कुछ कहा था इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीतलाल नीनामा।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27 पर चर्चा करना चाहूंगा। आपके द्वारा निवेदन इस प्रकार है कि मैंने माननीय सदस्यों की सारे दिन चर्चा सुनी उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की लेकिन मैं सदन का मन दक्षिणी राजस्थान की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर जंगल था और जंगलों की बरबादी के कारण बरसात में कमी आई। बरसात की कमी के कारण वहां आज भी पानी की कमी नहीं है लेकिन व्यवस्था की कमी के कारण पीने के पानी की जरूरत पड़ रही है। मान्यवर, निवेदन इस प्रकार है कि आज हमारे राजस्थान की सरकार ने जो बजट में पिछड़े इलाके, छोटी-आबादियां ट्राइबल आबादियों को पेयजल समस्या निवारण के लिए 104.27 करोड़ रुपया व्यय करने का जो निर्णय लिया है उसी में से 51.57 करोड़ रुपये ग्रामीण जनता के लिए व्यय करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ केन्द्रीय सरकार से 58 40 करोड़ रुपये और मिलने की आशा व मांग की जा चुकी है। इस प्रकार एक सही व्यवस्था करने वाली सरकार को और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं।

मान्यवर, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान की व्यवस्था अलग से है जहां पर पानी गहराई पर है, खारा है और पानी मिलने में तकलीफ है। हमारे दक्षिणी राजस्थान में पानी की कमी तो नहीं है लेकिन वहां पर जो हैण्डपम्प लगाये गये हैं उनकी सही व्यवस्था नहीं है। ठीक व्यवस्था नहीं होने के साथ-साथ जो हैण्डपम्प पंचायत समितियों के माध्यम से व्यवस्था करने का जो तरीका अपनाया गया है इसमें हैण्डपम्पों के मिस्त्री से पंचायत समितियों के द्वारा काम कराये जा रहे हैं। उन मिस्त्रियों की ठेके के रूप में व्यवस्था की गई है। एक मिस्त्री को दो-तीन पंचायतें दी गई हैं और उन मिस्त्रियों को वेतन नहीं देकर उनको ठेका दिया गया है प्रति हैण्डपम्प 150 रुपया प्रति माह। इस तरह से ठेके के रूप में काम करवाया जाता है। इससे जो मिस्त्री अपनी ईमानदारी से काम करते हैं वह तो कर लेते हैं और नहीं करते हैं तो उस गांव में जब हैण्डपम्प खराब होता है तो वह मिस्त्री मौके पर नहीं जाकर अपने पैसों के बचाव के कारण उसको दुरुस्त नहीं कर पाता है। साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी पानी की समस्या है इसलिये मेरी मांग है कि माननीय मंत्री जी,

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

इसकी कोई विशेष व्यवस्था की जाये कि मिस्त्री को कौन सा सामान खरीदना है और विभाग को कौन-सा सामान देना है। इसकी सीमा निर्धारित की जाये तभी इसका निर्णय सही हो पायेगा। जब हम स्थानीय अधिकारी से बात करते हैं, बांसवाड़ा जिले की यह हालत है कि जब हमारे यहां बैठक में पानी पर चर्चा आती है तो हजार से 1500 हैण्डपम्प जनसंख्या के आधार से ज्यादा लग चुके हैं लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से किसी दल का नाम लेना नहीं चाहता नहीं तो नाम लेने से जो सदन में चर्चा चल रही है वह दूसरा रूप धारण कर लेती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन गत वर्षों में जो बांसवाड़ा जिले में हैडपम्प लगे हैं वह इस स्थिति में हैं कि अधिकारी की रिपोर्ट से 1500 हैण्डपम्प जनसंख्या के आधार से ज्यादा हैं लेकिन एक ही मौहल्ले में दो हैण्डपम्प हैं और एक ही गांव में 4 हैंडपम्प हैं और किसी-किसी गांव में एक भी हैंडपम्प नहीं है। यह व्यवस्था गई सरकारों की रही है अत: मैं वर्तमान सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय ने ऐसे निर्णय लिये हैं कि यह भेदभाव का निर्णय नहीं लेकर जनसंख्या के आधार पर स्थाई काम करने का जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया है इससे मेरी मांग है कि जिले के अधिकारियों से जानकारी ली जाये, रिपोर्ट ली जाये कि जिन-जिन गांवों में हैण्डपम्प नहीं हैं उनकी सर्वे कराई जाकर हैण्डपम्प लगाये जायें, ऐसा मेरा सुझाव है। मान्यवर, मैंने गत वर्ष ही हमारे माननीय मंत्री महोदय को रिपोर्ट दी थी और मैंने पूरे एरिए की सर्वे कराके जिन गांवों में हैण्डपम्प नहीं हैं इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय को दी है। वह हैंण्डपम्प बनते हैं 181, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही 181 हैण्डपम्प और लगेंगे। ऐसे गांव जहां हैण्डपम्प नहीं हैं, ऐसे गांवों की छंटनी कर के मैंने माननीय मंत्रीजी को जानकारी दी है। तो मेरी यह मांग है कि इस प्रकार मौके की जानकारी स्थानीय अधिकारियों के द्वारा ली जाकर के काम करवाया जाय ताकि समस्या हल हो। मेरा निवेदन इस प्रकार है कि गत साल एक सवाल में यह उत्तर आया है कि यहां हैण्डपम्पों की संख्या 136 विधानसभा क्षेत्र घाटोल में थी। 136 दूसरे लगे हैं, लेकिन इस हालत में लगे हैं, उसके धन का दुरुपयोग हुआ है इस पर विशेष ध्यान रखा जाय। पेयजल को ऊपर लाने के लिये या स्थाई रूप में बनाये रखने के लिए मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले का ऊपरी हिस्सा, घाटोल से पूर्व का हिस्सा धौलपुर व कुशलगढ़, यह ऐसे एरियाज हैं जहां पर पानी तो ऊपर है, घाटियां हैं, जंगल हैं। पहाड़ियों पर इसमें पानी तो आ जाता है लेकिन वहां पर पानी की कमी के कारण ही छोटे छोटे डेम बनाने का मेरा सुझाव है।

(8.00 रात्रि)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये नीनामा साहब, काफी कह दिया आपने।

श्री नवनीतलाल नीनामा : अगर नालों पर स्टप डेम बनाये जायें तो इससे पानी कुओं में हैंडपम्पों में वहां रहे और वहां की जनता और पशुओं को पीने का पानी....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गोपालसिंह खण्डेला।

श्री नवनीतलाल नीनामा : मान्यवर, मांग संख्या 29 पर मेरा निवेदन बनता है कि....

श्री उपाध्यक्ष : कौन-सा शहर है आपका ?

श्री नवनीतलाल नीनामा : शहर है बांसवाड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : आप घाटोल से आते हैं और बांसवाड़ा पर बोलते हैं।

श्री नवनीतलाल नीनामा : सुबह से लेकर दक्षिण राजस्थान की तरफ से मैं अकेला ही खड़ा हुआ हूं और मेरा ऐसा भी निवेदन है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में कह दीजिये आप। बड़ा सुन्दर शहर है बांसवाड़ा।

श्री नवनीतलाल नीनामा : मेरे साथी इस विधान सभा में अभी तीन ही बैठे हुए हैं बाकी सब चले गये हैं। तीन ही रहे हैं अभी हम दक्षिण की तरफ के बाकी सब चले गए। वे क्यों गए यह तो मैं कहना नहीं चाहता....(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा शहर की आबादी अब दिनों-दिन आदिवासी, गरीब किसानों के खेतों की तरफ बढ़ रही है, बांसवाड़ा नगर से पूरब में पहाड़ी और पथरीली जमीन है, तो नगर में पश्चिमी और उत्तर की तरफ बढ़ोतरी न कर के माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नगर की बढ़ोतरी पूरब की तरफ की जाय। जिन गांवों की जमीन, आज माही डेम कमाण्ड के एरिया से गेहूं, चने और गन्ने पकने जैसी जमीन है वह गांव हैं पीपलोद, घण्टाला, साकतलाई, काकराडूंगरी, भ्रानावारी, लोधा। यह जो अमूल्य जमीन है किसानों की, वह किसानों की जमीन नगर पालिका के द्वारा ली जा रही है। उसे रोका जाय। और मेरा निवेदन है कि शहर की बढ़ोतरी के लिए नगर की, यानि पूरब की जमीन जो पथरीली और पहाड़ी इलाके हैं उसकी ओर यह जमीन ली जाकर के नगर को आगे बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये। आपने शहर के विकास की बहुत बड़ी बात कह दी। माननीय गोपाल सिंह जी।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि हमारा राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है और सारे देश में फैलाव की दृष्टि से करीब दूसरे नम्बर का प्रदेश है। इसके साथ ही यह भी सही है कि आजादी के बाद जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से भी और ज्यों-ज्यों सिविलाइजेशन बढ़ी, सभ्यता बढ़ी इन कारणों से पानी की समस्या का समाधान एक-मुश्त सम्भव हो जाय, यह बड़ा कठिन काम है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक पानी के ऊपर जो खर्चा हुआ उसके जोड़ को देख रहा था और यदि मेरा जोड़ सही है माननीय उपाध्यक्ष जी, तो अब तक करीब 13 अरब 40 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो चुके। इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बाद भी आज आप सदन में देख रहे थे, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के लोग इस पानी की समस्या की ओर विशेष ध्यान दिला रहे थे। तो ऐसा लगता है कि व्यय तो हो रहा है लेकिन इस व्यय का आधार कहीं सही नहीं है। जनसंख्या है इसको

(श्री गोपालसिंह)

मानकर चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से व्यवस्था भी करनी पड़ेगी लेकिन उससे आगे एक चीज और है, वह है आवश्यकता। जहां ज्यादा आवश्यकता है उसको प्राथमिकता देनी ही चाहिए। यदि इस मूल बात को नहीं समझेंगे और इसको आगे नहीं लेंगे तो समस्या का समाधान हम जितने समय में करना चाहते हैं वह कर ही नहीं सकते। आज पश्चिमी राजस्थान के सारे जिले जो बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तकलीफें तो हैं ही, इसके साथ ही बोर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते ही उनकी हमारे प्रदेश में अहम भूमिका है। मैं चाहता था कि हमारी योजनायें नीड बेस्ट बनें, आवश्यकता के आधार पर बनें। प्राथमिकतायें बदली जाए और हमारे इस मद में जो खर्चा है वह उन लोगों के लिये ज्यादा खर्च किया जाए ताकि जो हाउस में इस मांग का सीन बन रहा है वह कम हो।

इसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष जी, इन पश्चिमी जिलों के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं इस योजना के अन्तर्गत, जो, मैं समझता हूं, आवश्यकता के आधार पर नहीं होकर के यहां सेक्रेटरियेट में और विभाग में बैठे अधिकारी फार्मूलेट कर लेते हैं और दुर्भाग्य है कि सरकार के स्तर पर वह मंजूर किये जाते हैं। यह सही है कि पहाड़ी क्षेत्र है वहां बड़ी योजनायें नहीं ले जा सकते। वहां हैण्डपम्प की आवश्यकता है। हैण्डपम्प से ही वहां पानी मिलेगा। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, और मुख्य रूप से वह इलाके जहां पर पानी हैण्डपम्प को काट देता है, खराब कर देता है वहां हैण्डपम्प के बजाय अगर हम दूसरी सोच करें तो ही इस समस्या का समाधान होगा। नहीं फिर हैण्डपम्प पर खर्चा होता जायेगा और उस हैण्डपम्प का, उस रकम का जो उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो पाता है, चौथे वर्ष हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, पानी गहरा चला जाता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि जो मैदानी इलाके हैं और जहां बिजली की व्यवस्था है और जहां गांव में पानी बिजली से निकाला जाता है, जहां ढाणियां हैं, मजरे हैं उनके इलाकों में हर ढाणी में इस हैण्डपम्प के बजाय जो किसान के कुए हैं, गांव के रहने वाले लोगों के कुए हैं उस पर उस हैण्डपम्प का आधा पैसा भी उस ढाणी में, उस मजरे को दे दिया जाय तो वहां पर टंकी बन जायेगी और वहां उस मौके के लिये पानी इकट्ठा कर लेंगे जिस दिन बिजली नहीं आयेगी या कुआ सूखा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं आज हालात यह है कि जहां खेती के इलाके हैं वहां भी पानी कुओं में खुला हुआ नहीं है बोरिंग का पानी है। दो दिन बिजली नहीं आयी तो पानी सूख गया। वहां सारे लोग परेशानी में आ जाते हैं। हैण्डपम्प पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी सोच में परिवर्तन करना चाहिए। जहां इसकी जरूरत है हैण्डपम्प लगाया जाय और उस हैण्डपम्प के बजट को उन इलाकों में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, छोटी-छोटी हर ढाणी में जो लोगों के निजी कुए बने हैं वहां पर छोटी-छोटी टंकी बना दी जाय। दो-दो, चार-चार हजार रुपये से योजनायें पूरी हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहते हुए बड़ा दर्द होता

(श्री गोपालसिंह)

है, आज एक हैण्डपम्प पर 20 हजार से लेकर 25–30 हजार रुपये तक का खर्चा आता है और उसकी तीन साल, चार साल की लाइफ होती है, उसके बाद खतम। फिर दूसरा खोदो। उसके पास में दस कदम गये बाद दूसरा पम्प खोदना पड़ेगा। वह पम्प बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को कहना चाहता हूं, आप इसको मूलभूत तरीके से सोचिये और जो व्यवस्था हो रही है, जो खर्चा हो रहा है उसका उपयोग हो इस दिशा में आप मेरे सुझाव के हिसाब से भी सोचेंगे तो मैं समझूंगा कि कुछ आगे बढ़ेंगे, जो पैसा आपका खर्च हो रहा है उसका उपयोग होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। योजनायें इतनी ज्यादा हैं उसमें कोई शक नहीं, बहुत बखेरा कर रहा है जलदाय विभाग। एक योजना पूरी नहीं होती है उसके बीच में दूसरी योजना ले ली। कुआं बना दिया, ट्यूब वैल बना दिया, टंकी बना दी, पाइप लाइन नहीं डाल रहे हैं। पांच-पांच वर्ष में चार-चार वर्ष में वहां पानी पहुंचता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, यह कहां का मानीटरिंग है, यह कैसा मानीटरिंग है, पैसा ट्यूब वैल पर खर्च कर दिया आपने, उसके ऊपर टंकी बना दी, उस पर खर्चा कर दिया और पांच साल तक उसका उपयोग नहीं हो रहा है। एक जगह की बात नहीं, सारे राजस्थान में यही हालत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई सम्भाल ही नहीं है। यह बात सही है कि मांग ज्यादा है जनता की। यह बात सही है कि विकास बड़ी तेजी से हो रहा है इस विभाग का। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह विभाग और सरकार गाफिल हो जाय। आज तो हालत गाफिल की है। यह लोग तो गाफिल लोग हैं, इनको पता ही नहीं कहां क्या होना है। इतना बखेरा हो गया, यह सम्भाल ही नहीं सकते। इसलिये, धन की कमी तो है, लेकिन मैं उसकी इतनी बात नहीं समझता जितनी इसकी व्यवस्था में इसकी सम्भाली की जरुरत है कि जो पैसा खर्च किया जाय उसका हाथों-हाथ तुरन्त उपयोग हो। योजनायें चाहे आप एक लें, दूसरी एक साल बाद लें लेकिन उस योजना को शुरू कराइये। उसको शुरू नहीं करते, दूसरी योजना शुरू कर देते हैं। वह पांच साल में पूरी होगी, पहले वाली पांच साल में पूरी होगी। इसमें चारों तरफ बखेरा हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछली साल सीकर जिले में एक बड़ा बवेला मचा इसी समस्या को लेकर। बड़े पैमाने पर योजनायें बना दीं लेकिन पाइप नहीं। पांच साल से योजनाएं बन रही हैं लेकिन एक भी पाइप नहीं है। जब दबाव लगा, आवाज उठी, भारत सरकार ने कुछ पैसा विशेष दिया राज्य सरकार को पाइप्स के लिये, कुछ एक करोड़ से ज्यादा दिया लेकिन मुझे खेद है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बताते हुये, एक पाइप नहीं भेजा गया, पैसा भारत सरकार से आ गया। योजना वहीं पड़ी है। आप इसको देखें, माननीय मन्त्री जी। पैसा आता है

(श्री गोपालसिंह)

भारत सरकार से, पड़ा रह जाता है, उसका उपयोग नहीं होता है। आपकी जो योजनायें पहले से अधूरी पड़ी हुई हैं उनमें भी उपयोग नहीं होता है। आप इसमें भी यदि सम्भाल लेंगे तो मैं समझता हूं आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खतम करूंगा थोड़ी देर में।

मैं इसके साथ सीकर जिले की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। खण्डेला एक बड़ी जगह है। 40–50 हजार की आबादी है। पिछले तीन साल से वहां पर आगमेंटेशन की स्कीम विचाराधीन चल रही है राज्य सरकार के। मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाया, एकाध दफा मिल करके भी और आपके शासन के सचिव हैं उनका भी एकाध दफा ध्यान दिलाया। इतनी बड़ी आबादी की इतनी बड़ी अनदेखी, लगातार चार साल से यह योजना पड़ी है लोग परेशान हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ी इलाका है खण्डेला। उसके पास में बहरा वगैरह गांव हैं, लुहारवास है, जहां ट्यूब वैल बना दिये, चार-चार साल हो गये. कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, पाइप नहीं डाल पाते हैं। किस काम में आयेगा आपका लगाया हुआ पैसा? कौन देख रहा है इस सारी बातों को? यह किस लिए इतना बड़ा विभाग है? मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं जिनको आपको देखना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी लापरवाही और विभाग में कोई जिम्मेदारी ही नहीं। खण्डेला के और 26 गांव जिसमें राज्य सरकार के धन का कोई लेना देना नहीं, भारत सरकार ने 26 गांवों के लिए अलग तिलक करके 26 योजनायें मन्जूर कर दीं इस खण्डेला क्षेत्र की जयरामपुरा, केरपुरा, दूध वालों का बास, रोहिल, बस्सी, ढाढियावास, उदयपुर, विजयपुरा, छाजना, पनिहारवास, पेवली, कातरडा, सलादीपुरा, ढाणी गुमानसिंह, अगलोई, कंवरपुरा, फतेहपुरा, भोमियान, फौजपुर, रानीपुरा, हमीदपुरा, कलां, कालियावास, डेरीपुरा, सुरानी, उदलवास, करड़का, जयरामपुरा, निम्हेडा, यह 26 गांव हैं जिनमें करीब 90 लाख रुपया भारत सरकार ने आपको दो साल पहले दे दिया, दो साल का समय निकल गया, एक भी योजना को टेक अप नहीं किया, उपाध्यक्ष महोदय। मैं मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं, आप देखें इनको। आपके पास पैसा आ गया, खर्चा करना है आपको तो। आपके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना पैराफर्नेलिया है आखिर इस धन का उपयोग आप नहीं करेंगे तो शिकायतें तो आयेंगी, लोग परेशान हैं। इसलिए मैं आपका विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिन योजनाओं के लिये भारत सरकार से पैसा मिल गया, आपको उनको पूर्ण करना है, और कुछ है नहीं। या तो इस पैसे को और ही योजनाओं में काम लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो फिर प्रशासन ढीला है। आपको इसको देखना चाहिये, माननीय मन्त्री जी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, खण्डेला साहब।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : मैं एक

(श्री गोपालसिंह) (खण्डेला)

मिनट में खतम कर देता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, फतेहपुर बहुत बड़ी जगह है सीकर जिले की, माननीय मन्त्री जी जानते हैं। वहां दो साल हो गये, बहुत बड़ा वाटर टेंक बना पड़ा है, उसमें पानी नहीं डाला आपने। वह क्रेक हो गया। बड़ी राशि आपकी बेकार चली गयी। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां आपका इतना बड़ा पैसा खर्च हो रहा है लेकिन कोई सम्भाली नहीं हो रही है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात कहते हुए समाप्त करता हूं।

नगरीय विकास के लिये बड़े बड़े शहरों के पास में किसानों की जमीन पांच रुपये गज में ली जाती है। उस जमीन को आप दो सौ रुपये गज में बेचते हैं। इतना बड़ा शोषण इस किसान का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी को महसूस होना चाहिये, यह किसान ने पीढ़ियां गंवा दी तब उस जमीन को बनाया खेती के लायक। एक पीढ़ी में नहीं बनी थी। दो तीन पांच पीढ़ियां जब चली गयीं तब वह जमीन खेती के लायक बनी थी। लोगों के बाल सफेद हो गये। आप उसको पांच रुपये गज में छीनते हैं। इसको पांच रुपये गज में जनता को दे दें तो भी सोचने की बात बनती है। आप उसकी कड़ी मेहनत पर डाका मारते हो, शोषण करते हैं, कमाई करते हैं आप किसान की जमीन को बेच करके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है। किसान का शोषण बन्द करें, उसको उचित मुआवजा दें। यदि सम्भव हो तो इन आबादियों को उससे थोड़ा दूर ले जाइये। जनसंख्या का कुछ बिखराव होगा, प्रदूषण कम होगा, किसान की लूट नहीं होगी और कुछ बंजर, बीहड़ जमीन को आबादी में लाया जा सकता है, जिसमें किसान बेघर नहीं होगा, उनको उपयोग में लिया जा सकता है। यही कुछ मेरे सुझाव हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो आपके सामने, आपकी मार्फत सरकार के सामने रख रहा था। मैं आशा करता हूं, माननीय मन्त्री जी इन सब पर विचार करेंगे और यथार्थता के नजदीक जायेंगे, सच्चाई के नजदीक जायेंगे, वास्तविक पहलू इस समस्या का समझेंगे और इसके निराकरण के लिये कोशिश करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री हरिश जी कुमावत।

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर पालिकायें शहर और कस्बे पर शासन करने वाली इकाई हैं और अधिकांश स्थानों पर अभी निर्वाचित मण्डल काम कर रहे हैं। उसके लिये मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही अनुरोध भी करना चाहूंगा, जिन नगरपालिकाओं के चुनाव रह गये उनको भी जल्दी कराये जायं। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। जिस तरह से लोक सभा, विधान सभा के चुनाव होते हैं उसी तरह से नगरपालिकाओं को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिये ताकि चुनाव स्वतः उनके होते रहें और ज्यादा विलम्ब से उनको बिना चुनाव के नहीं रहना पड़े। साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के चारों ओर कृषि भूमि अधिकतर है तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

की परिधि के दस किलोमीटर तक की दूरी का एक मास्टर प्लान टाउन प्लानिंग द्वारा बनाना चाहिये ताकि वहां का विकास उस हिसाब से हो। अन्यथा तो क्या होता है कि जहां चाहे कोई मकान बना लेते हैं। न उनको सेनीटेशन का ध्यान रहता है, न रास्तों का ध्यान रहता है और फिर विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये अभी से एक मास्टर प्लान नगरपालिकाओं का बनना चाहिये ताकि उस तरह से विकास हो।

साथ ही नगरपालिकाओं की आय की दृष्टि से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा सुझाव देना चाहूंगा, कि नगरपालिकाओं के क्षेत्र में जो भी कृषि भूमि है उसका अधिकार नगरपालिकाओं को मिलना चाहिये। उनका कन्वर्शन हो चाहे और कोई बात हो, उनका अधिकार नगरपालिकाओं के हक में ही होना चाहिये। नहीं होने से न पटवारी न तहसीलदार ध्यान देते हैं। कोई भी चाहे जैसे मकान बना लेते हैं। नगरपालिका उस पर कुछ नहीं कर पाती है। उस कारण से वहां का जो विकास है वह रुकता है। इसलिये नगरपालिका क्षेत्र में जो जमीन है उसका विकास नगरपालिकाओं के पास होना चाहिये।

दूसरा मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं में जो परिवहन विभाग की बसें आती हैं उसके लिये नगरपालिका के बस स्टेण्ड कई जगह बनाये हुये हैं, उनके आपस में कई विवाद भी हैं और काफी लम्बे अरसे से विभागीय कार्यवाही में वह रुके पड़े हैं, इससे नगरपालिकाओं की आय रुकी हुई है। इसलिये ऐसे जो लम्बे मामले हैं, उनको शीघ्र निपटारा होना चाहिए। इसी प्रकार से विद्युत मण्डल के मामले भी अटके हुए हैं और विभाग की आपसी मीटिंग न होने की वजह से, विवाद तय न होने से आमदनी रुकी हुई है, उसका भी निपटारा होना चाहिए।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नगर पालिकाओं के जो चेयरमैन हैं, वह 24 घण्टे वहां पर काम करते हैं, नगर पालिकाओं में, परन्तु उनको जो भत्ता आदि देय है, वह बहुत कम है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनका भत्ता कम से कम दो हजार रुपये होना चाहिए ताकि अपने पूरे मन से वहां पर काम में लगे रहें। इसी प्रकार से जो लीगल एडवाइजर नगर पालिकाओं के हैं, उनका भत्ता भी 150 या 300 रुपये है, इस कारण से कई विवाद हैं। उनमें दिक्कत आती है। इसलिए कम से कम 500 रुपया उन लीगल एडवाइजर का भत्ता होना चाहिए, यह मैं आपको सुझाव देता हूं।

चुंगी माफी के लिए भी जिस प्रकार मथुरादास माथुर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, मैं भी चाहूंगा कि उस रिपोर्ट को स्वीकार करके चुंगी समाप्त करने का निर्णय किया जाये। और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह सुझाव था, तो चुंगी माफ की जाये।

इसके साथ-साथ मैं दूसरी मांग संख्या 27, जो पेयजल के सम्बन्ध में है, उसके अन्दर अपने इलाके की बात कहना चाहूंगा। महोदय, कुचामन शहर और नावां शहर की पुनर्गठित योजनाएं 144 लाख की और

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

43 लाख की यहां आई हुई हैं। यह योजनाएं हुडको प्रोग्राम के अन्दर स्वीकृत होने वाली थीं, यह 1990 से रुकी हुई हैं, इसलिए दोनों को शीघ्र स्वीकार किया जाये ताकि इन कस्बों की जो पानी की समस्या है, उसका हल हो सके। इसके साथ-साथ दो योजनाएं ग्राम तासरिया, सूरजपुरा, धोलपुरा यह भी आई हैं। वह भी 9.97 लाख और 15 62 लाख की है, वह भी मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में हैं, वह भी शीघ्र स्वीकार की जायें। इसी प्रकार जयपुर में एडिशनल चीफ इन्जीनियर के यहां पर बुडा साहब और लूणासीसी की दो, दो लाख की योजना है और 20 कुएं गहरे करने की योजना है। वह भी शीघ्र स्वीकार की जाये ताकि वहां पर यह सब काम शीघ्र हो सकें। कल मंत्री महोदय ने अधिकारियों के साथ विचार कर पूरे जिले के लोगों से वार्ता की उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस तरह से उन्होंने अच्छा प्रयास किया और सामने बैठकर बातचीत करी। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो अधिकारी लोग हैं, वह गांवों में जायें और जो योजनाएं वहां चालू हैं उसमें क्या कमी है, व्यक्तिगत रूप से वह देखेंगे, तभी उसका समाधान हो सकेगा। इसलिए उनको कहें कि वह गांवों में जाकर उन योजनाओं को देखें। हमारे यहां इस क्षेत्र में 20 नलकूप इतने दिन बन्द पड़े थे, वह चालू हो गये और पानी की ठीक व्यवस्था की है, उसके लिए भी मैं अधिकारियों का और मन्त्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। परन्तु जो पैंडिग योजनाएं हैं, उनको शीघ्र शुरू करायें। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पेयजल की मांगों पर विचार हो रहा है और ज्यों-ज्यों इस समस्या का निराकरण करने की सरकार कोशिश कर रही है, त्यों त्यों यह समस्या और भी अपने विकराल रूप में सामने आ रही है। राजस्थान के 34938 गांवों में से 33 हजार पांच सौ से कुछ गांव ऐसे थे, जिनको समस्याग्रस्त गांव माना गया है और 2200 से अधिक कुछ ऐसे गांव थे, जिनको समस्याग्रस्त नहीं माना गया। मान्यवर, आज स्थिति बदली हुई है और जिन 2200 से अधिक गांवों को हमने छोड़ दिया था, वह भी आज समस्याग्रस्त हो गये। हमने जो योजनाएं बनाई, विशेषकर के मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, वह तुरन्त समस्या का निराकरण करने वाली, बहलाने वाली योजना थी, विशेषकर आपके हैंड पम्पों की स्कीम। पिछले दस सालों से पानी का राजस्थान में विकट संकट रहा और जहां आपने हैंड पम्प जिस स्थिति में छोड़े थे, वह बिल्कुल ड्राई हो गये और अबैंडेण्ड हो गये। कुछ गांवों में आपने हैंड पम्प लगवाये थे, वहां या तो सैलाइन वाटर है, या खारा पानी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध कर रहा हूं समस्या वहीं की वहीं है। इसलिए एक बार पुनः सर्वेक्षण करवायें उन गांवों का जिनमें आपने हैंड पम्प लगाकर कमीशड घोषित कर दिया है। जहां सैलाइन वाटर है, जहां खारा पानी है, या जो हैंड पम्प ड्राई हो चुके हैं और जिनको अबेन्डन्ड घोषित किया है तो आप पायेंगे कि अभी

(श्री हरिसिंह) (महुआ)

भी राजस्थान का 2/3 ग्रामीण हिस्सा ऐसा है, जिसमें आज भी पीने के पानी की विकट समस्या बनी हुई है। श्रीमान्, मैं मंत्रीजी का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करता हूं। मंत्रीजी, 1981 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में 75 लाख की आबादी है और 2करोड़ 72 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। आप अपना बजट उठाकर देख लें शुरू से आज तक, इसमें आपकी पूर्ववर्ती सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। आपने अपने बजट का 50 प्रतिशत से अधिक भाग नगरीय क्षेत्रों में लगाया और 50 प्रतिशत से कम भाग राजस्थान के 34938 गांवों में खर्च किया। यह बड़ी दुःखद स्थिति है, यह तो मैं मानने को तैयार हूं कि नगरीय क्षेत्र में समस्या का कुछ निराकरण आपने किया है लेकिन इन्सान यहां पर भी हैं और इन्सान वहां भी हैं। मैं विशेषकर इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि इस साल भी आपके बजट में यह बात देखने को मिल रही है, आज भी नगरीय क्षेत्र में आपने 52करोड़ का बजट रखा है और देहाती क्षेत्रों के लिए 51 करोड़ और कुछ लाख रुपये का बजट रखा है, जबकि एक तरफ सरकार यह घोषणा कर रही है हम हमारे विकास कार्यों का 61 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च करेंगे। तो आज दोनों बातों में विरोधाभास है। इसका मतलब यह है कि इन पर तो सब खर्च नहीं करने जा रहे है। आज आप गांवों की बात तो जरूर कर रहे हैं लेकिन गांवों को कुछ दे नहीं रहे हैं। आज हमें विशेष रूप से दो तरह से इन समस्याओं पर सोचना पड़ेगा। एक आपको तात्कालिक लाभ पहुंचाने वाली योजना बनानी पड़ेगी और एक आपको लम्बी अवधि की योजना बनानी पड़ेगी, ताकि समस्या का परमानेण्ट सोल्यूशन हो।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घण्टे में निपटता है सारा काम।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तात्कालिक लाभ में आप हैंड पम्पों को ले सकते हैं और लम्बी योजना के लिए आप ट्यूब वैल, अण्डर ग्राउण्ड वाटर सर्वे करवायें। जहां ट्यूब वैल हो सकते हैं, वहां ट्यूब वैल करवाइये, जहां नदी और बांधों से पानी मिल सकता है, वहां नदी और बांधों की बात करवाइये। पूर्वी राजस्थान के 4-5 जिले ऐसे हैं, जहां आज से 10 साल पूर्व पीने के पानी की समस्या नहीं थी, लेकिन आज स्थिति यह हो गई इस ड्रोट के कारण कि हम एक-एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। जहां पहले नदबई से आने वाले सदस्य गंगा और जमुना के पानी को भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, चूरू, झुन्झुनू और शेष राजस्थान के लिए सिंचाई के रूप में प्रयोग करने की बात कर रहे थे, कल अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उन्होंने यह कहा है और इस बात पर विशेष जोर दिया है कि हमको सिंचाई का पानी गंगा जमुना का न मिले, लेकिन भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर, इन जिलों में आप पीने के पानी के लिए तुरन्त जमुना के पानी से अपना बंटवारा प्राप्त करें और पीने के पानी की समस्या का आप निराकरण करें। पूर्वी राजस्थान में एक तरफ कोटा में चम्बल बह रही है, बारहमासी नदी है, सवाई माधोपुर जिले में बारहमासी नदी, बनास बह रही है और ऊपर उधर जमुना बह रही है। तो आप

(श्री हरिसिंह) (महुआ)

कोई इस तरह की योजना बनायें कि नदियों के पानी का प्रयोग पीने के लिए हो सके और यह लम्बी अवधि की योजना हो, जो एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। आप आज से ही इन योजनाओं पर काम करेंगे तो ही आपको यह प्लानिंग करनी पड़ेगी।

मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। मेरे यहां 10-12 रीजनल पाइप स्कीम बनायी गयी और पिछले 10 साल से जिन गांवों में आपने सोर्स डवलप कर दिया है उन गांवों को तो आपने पानी दे दिया लेकिन उस रीजनल स्कीम्स से जुड़े हुए 10-12 गांवों में आज तक पानी नहीं पहुंचा। टंकियां बनी हुयी पड़ी हैं। लोग मजाक करते हैं। खास करके कई योजनाएं ऐसी हैं आपके पास जिसके लिये आपने धन स्वीकृत कर रखा है, तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरियां हैं, लेकिन आपके अधिकारियों में इन योजनाओं को पूरा करने के लिये इच्छा शक्ति का अभाव है। और इन सबकी जिम्मेदारी, मान्यवर, आपकी आती है। कई जगह उनको सोर्स कर लेने चाहिए थे वह नहीं किये। पाइप लाइन 3-4 साल पहले डाल दी और उनको टैस्ट तक नहीं किया गया और पानी के कारण से पाइप खुर्द-बुर्द हो गये। मान्यवर स्थिति यह है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। अभी खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने 13 अरब और कुछ करोड़ रुपये का हिसाब बताया है। हकीकत तो यह है कि जब हम सच्चाई का विश्लेषण करें तो आपके विभाग में 40 प्रतिशत पैसा जन उपयोग में काम में आ रहा है और 60 प्रतिशत पैसा उस जगह पहुंच रहा है वह चाहे ठेकेदारों के बीच में हो और चाहे कमीशन के बीच में हो। हमको महज 40 पैसे मिल रहे हैं एक रुपये में। यह लीकेज आपको रोकना पड़ेगा। मैं आपसे एक और अनुरोध करूं, आपने अभी रीसेन्टली करीब 8 करोड़ रुपये के पाइप का आर्डर दिया है और वह आर्डर दिया है फरवरी के महीने में। तो वह पाइप कब आयेगा? आप इस साल के बजट में उस योजना को सम्मिलित करेंगे? यह इतना डिले क्यों होता है? जबकि मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि बजट पास होते ही 31 मार्च के बाद में मैं हर डिपार्टमेण्ट को मनी का एलोकेशन कर दूंगा और हर डिपार्टमेण्ट से यह कहूंगा कि आपको बजट अलाट हुआ है उस पर तुरन्त कार्यवाही कर दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, किस ढंग से कोई रास्ते कमाई के बनाये जायं, इसलिये यह सब देर से प्रोग्राम चलते हैं। वैसे मुख्य मंत्रीजी सोना कहते हैं लेकिन मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मात्र कल्याण सोना रह गये हैं। बीमारी का खतरा आपको भी हो गया है, आप सतर्क रहें, अपने इनसे। मैं विशेष नहीं कह करके, एक ही बात कह रहा हूं कि मन्त्री महोदय गुड़ तो नहीं खिलाते पर गुड़ जैसी बात तो जरूर करते हैं। लेकिन मन्त्री महोदय अब गुड़ जैसी बात से काम नहीं चलेगा। अब तो गुड़ खिलाने से ही काम चलेगा, प्यासी जनता को पानी पिलाने से ही काम चलेगा। आप अपने अधिकारियों को लेकर बैठिये। मैं एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान पूरे की समस्त योजना पर आप पुनर्निरीक्षण करें और दुबारा से योजना बनायें ताकि पीने के पानी की समस्या का निराकरण हो सके। आपने अपनी सत्ता में दिखाया है वह संकल्पहीनता

(श्री हरिसिंह) (महुआ)

है, संवेदनहीनता है और प्रशासनिक अक्षमता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, आपने जो मांगें पेश की हैं, इनका मैं विरोध कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जीतमल जी जैन।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो मिश्री खिलाने की बात कर रहे हैं और माननीय सदस्य गुड़ की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मिश्री और गुड़ से पानी आ जायेगा क्या ?

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 29 पर सदन में चर्चा चल रही है। पिछले दिनों में जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ी है, स्वाभाविक है राजस्थान में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। हमारी योजनाओं के अन्दर हम गांवों का विकास नहीं कर सके। परिणाम यह है कि गांवों से नागरिकों का पलायन होकर शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है। 1951 के अन्दर 12.6 प्रतिशत व्यक्ति शहरों में रहते थे, 1981 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 27.73 पर पहुंच गयी और 1991 की जनगणना के बाद यह संख्या कितनी पहुंचेगी अभी कहना सम्भव नहीं है लेकिन संख्या में वृद्धि हुई होगी। सब मिलाकर बड़े शहरों में 1951 में 19 करोड़ 7 लाख व्यक्ति रहते थे और 1981 के अन्दर 42 करोड़ 10 लाख व्यक्ति निवास करते हैं। और 1991 में संख्या में और वृद्धि हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब संख्या शहरों की बढ़ी है तो उनके साथ-साथ सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता बढ़ती है और आवास की समस्या बढ़ी है। पेयजल की समस्या शहरों में बढ़ी है, प्रदूषण की समस्याएं बढ़ी हैं, कुपोषण की समस्या बढ़ी है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सड़कों पर एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ी है। इन सारे अन्य विषयों पर न जाकर मेरा निवेदन है कि मनुष्यों के लिये तीन चीज जीवन में बहुत आवश्यक हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मिल जाय उसके बाद कपड़ा चाहिये, कपड़ा के बाद मकान चाहिये और जब आज इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, तो शहरों के अन्दर आवास की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है। हमने आवासन मण्डल द्वारा और साथ-साथ नगर विकास न्यास के द्वारा आवासीय समस्या का समाधान करने की योजना समय-समय पर बनायी। लेकिन यह दोनों ही इन्स्टीट्यूशन्स, हमारी जो शहर में बढ़ती हुयी आवास की समस्या है उसका समाधान करने में सफल नहीं हुई। परिणाम उसका क्या है कि लोग कृषि भूमि के ऊपर अनधिकृत मकान बना रहे हैं, एक नये प्रकार से कालोनियां खड़ी कर ली हैं। उनके अन्दर सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, साधारण सुविधाओं का अभाव है। हमने इस 20वीं सदी के अन्दर एक बस्तियां पैदा कर ली स्लम्स पैदा कर दिये पिछले स्लम्स तो साफ नहीं कर पाये, और यह नये स्लम्स इन दो इन्स्टीट्यूशन की अक्षमता के कारण आज शहरों के अन्दर इस प्रकार से कृषि भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्माण हो गये। अगर यह दोनों संस्थायें लोगों की आवासन समस्याओं का ठीक प्रकार से

(श्री जीतमल जैन)

समाधान कर पाती तो आज यह कठिनाई पैदा नहीं होती। आज सुविधाओं के अभाव के अन्दर बड़ा भयंकर रोष और तरह तरह की समस्याएं शहरों के अन्दर पैदा हो जाती हैं।

मैं अलवर की बात कह सकता हूं, राजस्थान की बात मुझे जानकारी नहीं। वहां पर कई बार नगर विकास न्यास ने योजनाएं बनायी, भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया लेकिन समय पर योजना चालू न होने का परिणाम यह है कि आज अधिकृत योजनाओं के अन्दर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिये हैं। मकानों का निर्माण कर लिया जिस कारण हमारी योजनायें बेकार साबित पड़ रही हैं। डिलीट करने की कोशिश करनी पड़ रही है और अब नये प्रकार की योजना और नये प्रकार से स्लम्स हमने पैदा कर लिये हैं।

इसलिये आवास की समस्या के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों इन्स्टीट्यूशन्स को इस बात के लिये जागरूक करें कि आने वाले आवास की समस्या और बढ़ती हुयी जनसंख्या से आने वाले सन् 2000 के अन्दर हमें कितने मकान चाहियेंगे उसकी कल्पना करके उसके लिये अभी से योजनाएं बनायें ताकि आवास की समस्या नहीं हो और आने वाले समय में शहर ठीक प्रकार से सुनियोजित ढंग से विकसित हो सकें। उनके अन्दर सारी सुविधाएं जो एक नागरिक को चाहिये वह उपलब्ध हो सकें।

अलवर शहर के अन्दर, जैसे मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था, कृषि भूमि पर वहां लगभग 25 बस्तियां बस गयी हैं जो आज इन सारी समस्याओं से ग्रसित हैं। इस प्रकार की कृषि भूमि पर जो बस्तियां बस गयी हैं निश्चित रूप से हम इनकी योजना बनाकर, कोई न कोई निर्णय कर के, उनसे डवलपमेंट चार्जेज, उनसे कन्वर्जन चार्जेज या जो कुछ लेना हो वह लें ताकि वहां पर नये स्लम्स न बने और उनका विकास हो सके।

एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा। पिछले दिनों के अन्दर आवासन बोर्ड ने और नगर विकास न्यास ने बड़ी-बड़ी स्कीम्स बनायी हैं, एक-एक स्कीम में कहीं तीन हजार, कहीं चार हजार और उससे भी अधिक मात्रा में मकान हो सकते हैं। मैं अलवर तक अपनी बात सीमित रखना चाहूंगा। आखिर इतनी बड़ी बस्तियां बसा कर इतनी बड़ी स्कीम बना कर दें तो निश्चित रूप से उनमें कुछ सुविधाएं आपको ईयर मार्क करना चाहिये। वह आप नहीं करते। उसमें विद्यालय के लिये आप जगह सुरक्षित रखें, पोस्ट आफिस के लिये जगह सुरक्षित रखें, थाने के लिये सुरक्षित रखें और कम्युनिटी सेन्टर के लिये जगह सुरक्षित रखें। इतनी बड़ी कालोनी के अन्दर, इतनी बड़ी स्कीम के अन्दर यह चीजें उपलब्ध हो सकें जिनकी बहुत आवश्यकता है। आप चाहे रिजर्व प्राइस तय करें। आप रिजर्व प्राइस के लिये कुछ प्रतिशत बढ़ा सकते हैं ताकि कुछ अमुक जमीन आपको छोड़नी पड़े और जिनके लिये मकान बनाने पड़ें उनके लिये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आप व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं केवल तीन मिनट में अपनी बात समाप्त

(श्री जीतमल जैन)

करना चाहूंगा। इतनी बड़ी स्कीम्स बन गयी हैं। देश एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, छुआछूत की बीमारी से। बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। आज भी जो लोग सदियों से शोषित रहे हैं उनको समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान हम नहीं दे पाये। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने सर्विसेज में रिजर्वेशन कर रखा है, ठीक इसी प्रकार से इन स्कीम्स के अन्दर हर तीसरा या चौथा मकान अनु. जाति और जन जाति के व्यक्ति के लिए तय होना चाहिए और वह प्लाट उसको मिलना चाहिए। उसका एक परिणाम यह होगा कि आपस के अन्दर सौहार्द बढ़ेगा। बहुत सारी बातें हम एक दूसरे से सीखेंगे। और समाज ने इन लोगों का जो शोषण किया है उनको अब ठीक प्रकार से सम्मान मिलेगा। आज वह कुछ नहीं चाहते हैं, केवल समाज के अन्दर सम्मानित स्थान चाहते हैं, वह उनको इस माध्यम से मिल सकेगा। साथ-साथ जो पुराने स्लम्स हैं, जो नये बन रहे हैं उनको तो रोकना है ही हम उनको वहां मकान किश्तों पर दिलवायें, प्लाट दें। इस समस्या का समाधान तभी हो सकेगा जब हम पुराने लोग जो बीस स्क्वायर फीट में रहते हैं उसको वहां से निकालकर ठीक प्रकार की बस्ती बसायें। इससे समाज का भी भला होगा और जो लोग नरकीय जीवन बिता रहे हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी।

एन्क्रोचमेंट की समस्या सारे देश प्रदेश में है। लैण्ड कन्वर्जन के लिए हम कानून भी लाये लेकिन मैं समझता हूं कि उस कानून को अगर ठीक ढंग से पालना नहीं हुई तो एन्क्रोचमेंट की समस्या निरन्तर बढ़ती जायेगी। एन्क्रोचमेंट जब भी होते हैं, तो उसके अन्दर निश्चित रूप से नगर परिषद और उसके साथ नगर सुधार न्यास के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत होती है। उनकी मिली भगत के बगैर यह एन्क्रोचमेंट नहीं हो सकते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने में तैयार हूं कि जब एन्क्रोचमेंट हो जाते हैं तो हम लोग, जो राजनीति में हैं, वह भी बीच में आते हैं, उनको प्रोटक्शन करने के लिए, लेकिन अधिक जिम्मेदारी तो उन इन्सपेक्टर्स की है।

शहर बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मैं अलवर की बात कहूंगा कि अलवर के अन्दर दो ही इन्स्पेक्टर्स हैं। भिवाड़ी का एरिया भी आप विकसित करने जा रहे हैं। उनसे उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। कम से कम पांच इन्स्पेक्टर एन्क्रोचमेंट रोकने के लिए हों और उनकी एकाउण्टबिलिटी हो कि अगर कहीं भी इस प्रकार से एन्क्रोचमेंट हुआ तो उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जायेगा और उन्होंने अगर यह काम नहीं किया तो उनको सजा मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए।

श्री जीतमल जैन : माननीय, दो मिनट। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि नगर सुधार न्यास इस बार अस्पतालों के लिए जो निजी रूप से बनाये जा रहे हैं, उसके लिए जमीन सस्ती दरों पर आवंटित करता है। यह एक बहुत बड़ी गलत परम्परा पड़ गयी है। जिस प्रकार की यह संस्थाएं हैं वह लाभ कमाने के लिए अस्पताल चलाती हैं। इसलिए हम केवल उन्हीं को सस्ती दरों पर आवंटित

(श्री जीतमल जैन)

करें जो समाजसेवी संस्थायें हो, जिनको समाज चलाता हो जो समाज के प्रति वफादार हो, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करे। केवल उन्हीं को हम सस्ती दरों पर जमीन दें, बाकी जो अन्य प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर अस्पताल चलाते हैं उनको इस प्रकार जमीन देकर हम नगर सुधार न्यास का नुकसान न करें।

एक बात और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुखर्जी कमेटी ने 24 नगर पालिकायें भंग करने की बात की थी जिसमें से 16 आपने भंग कर दी। 8 पर स्टे है। 16 पालिकाओं के 340 कर्मचारियों को आपने समायोजित कर लिया लेकिन अभी 81 कर्मचारी इन नगर पालिकाओं में शेष हैं। इसके साथ-साथ जिन पर स्टे है वह स्टे भी अगर हट गया और उनको भी आपने भंग कर दिया तो निश्चित रूप से यह संख्या 310 होगी। इन कर्मचारियों का जीवन खराब न हो, उनको किसी प्रकार से आप समायोजित करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

अंतिम बात पैसे की कीमत निरन्तर गिर रही है, अनुदान के रूप में 1981 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक नगर पालिका को 10 रुपये प्रति व्यक्ति आप देते हैं, यह आपकी स्थिति में बहुत कम है, इसको आप 25 रुपये करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

पेयजल के बारे में इतना ही कहूंगा कि इस पर बहुत चर्चा हुई है। आज आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि राजस्थान प्यासा मर रहा है, उसके लिए आप क्या योजना बनायें यह आपकी बात है। लेकिन बहुत सारी बातें पिछले दिनों देखने का अवसर मिला है, बहुत सारी तो प्रशासनिक स्तर की कमियां हैं उन पर स्टेण्ड बाई मोटर नहीं होने के कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है, कहीं आपके फिल्टर प्लाण्ट खराब पड़े है इस कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है। इस प्रशासनिक अव्यवस्था को थोड़ा ठीक करें तो लोगों के कुछ कष्ट दूर हो सकेंगे। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी के लिए आज विधान सभा में जो बहस हुई है मैंने पूरी तरह सुना है। दोनों पक्षों के सदस्यों ने एक बात की शिकायत की है कि कहीं पानी नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था राजस्थान में और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान और ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है और वहां राज्य सरकार की तरफ से पानी नहीं पहुंचा, मुश्किल है, परेशान है लोग। हमें समझ में आ सकता है, इसका कारण कि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर अथाह पानी है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था उस गंगानगर जिले में किस तरह की है, वर्ड बैंक का जिन क्षेत्रों में करोड़ों रुपया लगा, मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में 21 करोड़ रुपया विश्व बैंक का खर्च हो चुका है, लेकिन अब भी गरीब हरिजन छोटे किसान, उनके बाल बच्चे, उनका परिवार पोखरों से और नहर का पानी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पीकर अपना जीवन बसर करते हैं। पता नहीं वह पैसा कहां गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली विधान सभा में जिस वक्त हमने यहां से बजट पास किया और बजट पर मुख्यमंत्री जी ने एप्रोप्रिएशन बिल पर भाषण दिया था, तो मुझे खुशी हुई थी कि उन्होंने-रीति, नीति बदल दी। पूरा पैसा वह खर्च करेंगे साल भर आखिर में अन्तिम दिनों बंटवारा नहीं होगा, पर उस चीज को मिटा नहीं पाये। आज हम जब उन मांगों पर बहस कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी सामने बैठे हैं, एक चीज में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। राजस्थान भर में चार अरब रुपया व खर्च करने जा रहे हैं इस साल। उस चार अरब रुपये में जो खर्चा उन्होंने पिछले साल किया उसका हिसाब यह हैं कि एक इन्च भी पाइप आज तक नहीं खरीद सके। पाइप नहीं खरीद सके उसकी चर्चा कई साथियों ने की है। माननीय भंवरलाल जी, जिनका मैं आदर करता हूं, उनका व्यक्तिगत चरित्र और उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी ऊंची हैं। पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस डिपार्टमेंट के आप हैड हैं उस डिपार्टमेण्ट के अधिकारियों को आप देखें। आपने हमारे से यह वायदा किया था, कि जिस वक्त बजट पास हुआ उसके बाद ही हम टेण्डर जारी कर देंगे। 31 मार्च को बजट पास हुआ। आपने टेण्डर जारी किये अगस्त में। चार महीने बाद। पास होने के चार महीने बाद टेण्डर्स जारी हुए, उन टेण्डर्स का नेगोसिएशन हुआ नहीं। उस पर नेगोसिएशन हुए हैं चार महीने बाद। अगस्त में वह टेण्डर जारी होते हैं, 12 वें महीने में जाकर आप नेगोसिएशन करते हैं। चार महीने तक क्यों इन्तजार किया, किस बात के लिये किया, जिन कम्पनियों से बात की उनको छुट्टी दे दी कि वेरियेबल रेट रखो। फिक्स रखो। उस 12 वें महीने के टेण्डर के बाद आपने अभी तक माल नहीं लिया। स्टे तो अब मिला है उनको स्टे लगाने वाले कौन लोग हैं? क्या वजह है? आपने पांच चीफ इन्जीनियर रख रखें हैं एडीशनल सेक्रेटरी, सैक्रेटरी, पूरी फोज है पूरे राजस्थान में 35 एस.ई. है, 100 के लगभग एक्स. ई. एन. है। इतनी फौज के होते हुए एक इन्च पाइप की भी व्यवस्था नहीं कर पाये। निश्चित तौर पर, माननीय भंवरलाल जी, कहना चाहूंगा कि हमने इल्जाम लगा दिया। इसलिए आप यह समझ जाय कि विरोधियों ने इल्जाम लगाया है, इसलिये यह अफसर बिल्कुल खरा सोना है, इनको कुछ नहीं कहेंगे, तो निश्चित तौर पर वही हालत होगी जो पिछले साल हुई। आज आप चार सौ करोड़ रुपया मांग रहे हैं। इनकी मर्जी से खर्च करोगे, जहां यह चाहेंगे उसी तरीके से खर्च होगा। अब एक बात जरूर है; आज राजस्थान सरकार को, इस प्रदेश की गरीब जनता को 8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, इस वजह से हुआ है कि आपके अधिकारियों ने ऐसे लोगों को टेंडर छोड़ा है जिन्होंने टेंडर मनी ही नहीं दिया, जिन्होंने डिपाजिट ही नहीं करवाया, मेरे से नाम ले लो आप। औरंगाबाद पाइप्स को आपने दे दिया, उसकी कोई टेण्डर मनी जमा नहीं है और तीन करोड़ रुपये का टेंडर उनके नाम छोड़ दिया आपने। आपने उन लोगों का एक्जीक्यूशन कर दिया जिन्होंने पहले सप्लाई नहीं किया,

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जिन्होंने पिछले साल सप्लाई नहीं किया, वह ब्लैक लिस्टेड हैं, इन लोगों को भी आपने टेन्डर दे दिया। आज राजस्थान में यह हालत है। यह नहीं है कि सिर्फ जयपुर में आपकी राजधानी में यह व्यवस्था है, जिलों में भी यही हाल है। मेरे इलाके में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस जगह पैसा खर्च होना है उस जगह खर्च नहीं होता, है हरिजन बस्तियां, गरीब लोगों की बस्तियां, आज भी सारी की सारी बिना पाइप्स के हैं। जो पाइप्स इस्तमाल होते हैं वह बड़े-बड़े लोगों के यहां होते हैं। पिछले साल एक आदमी के लिये 6-6 किलोमीटर पाइप इस्तेमाल हुई है। 16 पी. टी. पी. एक गांव है, 6 किलोमीटर पाइप एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की है। आप अधिकारियों को चैक नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सज्जन मिले, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के हल्के में, जहां हरिजनों की बस्तियां हैं, लाखरसर जैसे गांव, हरिजन बस्तियों के लिए स्वीकृति हुई, केन्द्रीय सरकार से हमने पैसा ले लिया, उसमें एक पैसा खर्च नहीं किया, वह दो परिवारों को लेजाकर बसरासर में ढाणियों में दे दिया। मेरे क्षेत्र में तो यह हाल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैंने पिछली बार शिकायत की, कट मोशन दिया। एक ऐसी डिग्गी है जो डिग्गी ऊपर बनी हुई है और पानी का सोर्स नीचे है। नहर नीची है और डिग्गी ऊपर है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उस पर 15 लाख रुपये लगे हैं पूरा वाटर-वर्क्स, पूरी उसकी टंकी बनी हुई है 15 लाख रुपये राजस्थान की सरकार का लगा हुआ है। इन्होंने जांच करवाई। माननीय मंत्री जी ने मेरे को जवाब भेजा है कि वह बिल्कुल सही है पूरी उपयोग में आती है। नहर का सोर्स उससे ऊंचा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आज हाउस के अन्दर कहता हूं कि इसका फिजिकल वेरीफिकेशन एक्स. इ. एन. कर आये और इसके साथ हाउस के अन्दर कटमोशन के जवाब में दे दिया कि वह तो बिल्कुल ठीक है। नहर का पानी नीचा है, डिग्गी ऊपर बनी हुई है। 15 फिट की डिग्गी है उसमें तीन फिट से ज्यादा पानी नहीं पहुंचता। एक शिकायत कर दी, लगातार दो साल हो गये। माननीय मंत्री जी एक ही जवाब देते हैं, ठीक है वह नीची है। मैं आज हाउस में कहता हूं मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा माननीय मंत्री जी को अगर वह डिग्गी ऊंची है तब तो उस आफिसर के खिलाफ एक्शन लो जिसने रिपोर्ट दी है और अगर डिग्गी नीची है और नहर ऊंची है तो मैं हाउस से इस्तीफा दे दूंगा। परन्तु आपके यहां तो यह हाल है कि जो वह रिपोर्ट दे दे वह सही है। मैंने शिकायत की है कि पूरे क्षेत्र में 15 ऐसे हैं जिन गांवों के अन्दर पानी नहीं पहुंचता। डिग्गियां टूटी पड़ी हैं, ताखरावाली की डिग्गी टूटी पड़ी है चमारखेड़े की डिग्गी टूटी हुई हैं, आखराबाद की डिग्गी टूटी हुई है, झंडवाले की डिग्गी टूटी हुई हैं, यहां तक कि एक गांव में पिछले 6 महीने से पानी नहीं गया। मेरे को जवाब दिया जा रहा है कि वहां पानी सप्लाई हो रहा है। उपाध्यक्ष जी, जिस गंगानगर जिले में पूरा पानी उपलब्ध है, मुझे एक

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बात समझ में नहीं आती कि क्या वजह है कि वहां भी 40 लीटर की स्कीम बनाई जाये जिस जगह पानी की अवेलेबिलिटी कम हो वहां 40 लीटर की स्कीम बने....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : जहां पानी 150 लीटर अवेलेबल है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, उस जगह भी एक बार 40 लीटर की योजना बनाई जाये, दुबारा उस योजना को कनेक्ट करके 70 की बनाई जाये। यह सारे पैसे, जो वर्ल्ड बैंक से आते हैं या केन्द्रीय सरकार से आते हैं, उनको आपस में बांटने का तरीका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सिलसिले में यह सही है कि माननीय मन्त्री जी बहुत कोशिश करते हैं, पर इनका जो सारा का सारा अमला है उसकी यह हालत है कि वह यह समझ गए हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं हैं। आज उनको न तो हाउस का डर है, जो माननीय सदस्य यहां बोलते हैं न उससे डर है, वह यह समझते हैं कि जो कुछ यहां कहा जा रहा है वह सिर्फ एक भाषण बाजी है वह जो करेंगे। आज वह नोट कर रहे हैं, आज ही हम देखलेंगे कि क्या गुल खिलता है।

दूसरी बात, मुझे दो शब्द कहने है। पूरे राजस्थान में एक उम्मीद जगाई थी माननीय भंवरलाल जी ने, और हमारे मुख्य मन्त्री ने। शहरों के आसपास 50 साल से कच्ची बस्तियां बस गई। आधा जयपुर कच्ची बस्तियों से बसा हुआ है। आधा गंगानगर कच्ची बस्तियों से बसा हुआ है। जो बड़े-बड़े लोग हैं उन्होंने नाजायज कब्जे करके हवेलियां बना रखी हैं। उन्होंने दो-दो एकड़ के प्लाट बना रखे हैं। छोटे-छोटे जो घरौंदे बनाकर बैठे हैं हमने उनके दिल में उम्मीद जगाई थी कि उनकी कोई व्यवस्था होगी। लेकिन सिर्फ जबानी है। उनको रोज जे. डी. ए. है या हमारे नगर-परिषद के लोग हैं वह रोजाना उनसे वसूली करते हैं। उनका पीछा कब छुड़ाओगे ? दो साल तो हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा यह एक वक्त है कि पूरी तरह से एक अभियान चलाकर उन कच्ची बस्तियों में बैठकर अधिकारियों को, जन प्रतिनिधियों को, म्यूनिसीपैलिटी के मेम्बरों को साथ लेकर उनका निरुपण किया जाये, उनको पट्टा दिया जाये। साथ में राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपये की आय होगी और साथ में उन लोगों का कल्याण होगा। नाजायज कब्जे की जहां तक बात है....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद है।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक बात कहूंगा। माननीय मन्त्री जी ने यहां पर एक बात कही थी....(व्यवधान) मेरी आखरी बात सुन लीजिये, आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं....नाजायज कब्जे की मुझे एक ही बात कहनी है। कम से कम जयपुर में मन्त्री तो कब्जा न करें। आपने एक बात कही, बिल्कुल सही है कि उन्होंने एक इन्च भी अपने मकान को नहीं बनाया है, और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से जन प्रतिनिधियों को, विशेष तौर से जो सत्ता में

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मन्त्री बैठे हैं उनको, अपने मकानों की खबर रखनी चाहिये कि एक इन्च भी नहीं बढ़ें। क्या कोई आप में ऐसा मन्त्री नहीं है जिसका जयपुर में कब्जा नहीं है....(व्यवधान) नाम बताने से तो गड़बड़ हो जायेगी। लाल कोठी के पास जो एम. एल. एज. रहते हैं, विधायक रहते हैं, वह विधायक आसपास देख लो, सब के टूट गये, जिसके नहीं टूटे वह मन्त्री है। पूछना चाहता हूं 1985 से लेकर 1990 तक, सब कोशिश कर ली, पता नहीं वह ऐसा शेर था इनसे भी काबू नहीं आया, तीन मकान रखे हुए है और तीनों का कब्जा आज भी है। नाम बताने की आवश्यकता नहीं, मेरा तो यही निवेदन है, भंवरलाल जी, उनसे कह दो कब्जा छोड़ दो। मन्त्रिमण्डल में रहना है कुछ तो शुरु करो। "हम लोग कब्जा छुड़ायेंगे, कोई नाजायज कब्जा नहीं करेगा" और आपके हमारे जयपुर में कब्जे हों। जयपुर में लाल कोठी के पास जहां एम. एल. एज. क्वार्टर्स है वहां पर अगर तीन-तीन प्लाटों पर कब्जा हमारे मन्त्री का रहे फिर टीका लगाकर बैठें। ठीक है, खुद के लिए कहो, हो सकता है, पांच चार और के लिए छाती ठोक के कहो, पर आप यह जो 40 की फौज लिये बैठे हो, इसमें पता नहीं क्या-क्या बीमारी हो जाय। इनके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने जवाब में यह भी कहें कि किसी मन्त्री के नहीं है, उस वक्त मैं नाम बता दूंगा कौनसा मन्त्री है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीकिशन सोनगरा

(9.00 रात्रि)

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 29 पर चर्चा करने के साथ-साथ मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि इस सरकार का जब गठन हुआ तो विरासत में मिली इस राजस्थान की जल समस्या, और वह भी विकराल रूप में, परन्तु इन्होंने अपने भागीरथ प्रयत्न द्वारा इन दो सालों में जिस तरह से गांव-गांव ढाणी-ढाणी और मगरा-मगरा में पानी पहुंचाने का जो कार्य किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाये कम है। साथ ही मैं एक विशेष बात और कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र अजमेर के लिए अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, खरवा और केकड़ी इन सब में पीने के पानी की जो समस्या है उसको लेकर एक महती योजना बनाई गई थी बीसलपुर योजना। वह बीसलपुर परियोजना कांग्रेस को अपने शासन में 1991 तक बना देनी चाहिए थी, मगर वे न तो उसके फिल्टर प्लांट के लिए टेण्डर कर सके न पम्पिंग स्टेशन के लिये टेण्डर कर सके। उनके शासन काल में सिविल कार्य विद्युत यांत्रिक उपकरण हेतु किसी भी तरह की निविदायें आमंत्रित नहीं की गयीं। परिणामस्वरूप वह योजना आगे बढ़ती गयी। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भंवरलाल जी को कि इन्होंने शासन में आने के बाद सबके टेण्डर कराए। आज वे सारे काम प्रारम्भ हो गये हैं और करोड़ों रुपये खर्च होकर वे काम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। फिल्टर प्लाण्ट भी बनने को तैयार है, पम्पिंग स्टेशन पर भी काम चालू हो गया है। हर तरह से आप विशेष रूचि लेकर इस विभाग में

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

काम कर रहे हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर साथ ही मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने 1992-93 में प्लान में इस योजना के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकार किये हैं, जबकि इस योजना के मुख्य काम के लिये 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। 12 करोड़ के प्लान के अलावा 35 करोड़ की और व्यवस्था आप उचित माध्यम द्वारा करायें, ताकि विलम्बित हो रही यह योजना सुचारु रूप से परिणित की ओर बढ़ सके।

इस योजना के द्वारा हमारे अजमेर जिले में सबसे बड़ा संकट यह हो रहा है कि और तो सारे काम प्रारम्भ हो गये, मगर बीसलपुर से अजमेर तक 110 किलोमीटर जो पाइप लाइन डालनी तय है, आज 6 साल बीतने के बाद भी केवल 62 किलोमीटर पाइप लाइन ही डाली है, जो मैं सोचता हूं आधी भी नहीं है। सरकार मानती है कि हम 1993 तक पानी उपलब्ध करा देंगे। इस पाइप लाइन का काम द्रुत गति से प्रारम्भ नहीं कराया गया तो वहां उपलब्ध होने वाले पानी का उपयोग तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि यह पाइप लाइन नहीं डल जाय। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि एक फैक्ट्री "फैरो कंक्रीट" तो इस मामले में फेल हो ही गयी है। जिस तरह सीमेण्ट के भाव बढ़ रहे हैं, जिस तरह फैक्ट्रियां इसमें काम कर रही हैं, मैं सोचता हूं अगर लक्ष्य निर्धारित कर समयावधि के अनुसार काम नहीं कराया गया तो फैक्ट्रियां फिर दम तोड़ेंगी और यह योजना और विलम्बित हो जायेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष ध्यान देकर इस कार्य को समयबद्ध योजना से पूरा कराया जाय।

इसके साथ ही अजमेर के जल संकट की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर शहर में व्याप्त जल संकट को सब लोग जानते हैं। पेयजल मापदण्ड के अनुसार अजमेर को 225 लाख गैलन पानी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है वहां की 5 लाख की आबादी को देखते हुए। उसके मुकाबले केवल 75 लाख गैलन पानी मिल रहा है। उपाध्यक्ष जी, आप कल्पना करिये कि वहां के नागरिक कितनी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे इस पानी के अभाव में। पानी के अभाव की वजह से हमारे क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अजमेर जिले में 48 और 72 घण्टे में पानी दिया जाता है। यह अपने आप में एक शहर है और उस शहर की यह हालत है। आने वाले दिन गर्मियों के होंगे और पिछले दिनों जिस तरह बरसात की कमी रही उससे स्पष्ट है कि वहां पानी का बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। मैं सरकार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने कंटिजेंसी प्लान स्वीकृत कर आठ नये स्रोत और छः कुए किराये पर लेकर परिवहन द्वारा पानी की उपलब्धता का प्रयास किया है। यह सारी कोशिश काफी सराहनीय है, मगर इस सब से समस्या का समाधान नहीं होगा। आये दिन, साल, प्रति साल यह समस्या बढ़ती जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय मन्त्री जी की हमारे जिले पर

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

बहुत कृपा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर की 40-50 साल पुरानी नल योजना जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। सब को बदलने और बीसलपुर योजना को भली भांति क्रियान्वित करने, इस सब के लिए साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये का प्लान आपने स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं अजमेर की जनता की ओर से कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूं।

साथ ही नगरपालिका की समस्याओं की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से सफाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने की एक योजना है। इसके लिए 1991-92 में आपने 45 लाख रुपये का प्रावधान रखा था, और 1992-93 में 50 लाख का प्रावधान रखा है। अजमेर शहर की 5 लाख की आबादी की नगर पालिका की हालत यह है कि उसके पास कचरा उठाने के नाम पर साधन केवल सात ट्रक और ट्रेक्टर हैं। आये दिन सफाई की समस्या खड़ी होती है, वह सर्वविदित है। समय-समय पर चेयरमैन, हम जन प्रतिनिधि और जनता मन्त्री जी को अवगत कराती रही है। इस सब के लिये मेरा आपसे विशेष आग्रह है, जिस तरह आपकी हम पर कृपा है उसी के अनुसार 1992-93 में जो 50 लाख का प्रावधान आपने आधुनिकीकरण के लिए रखा है उसमें अजमेर शहर को सम्मिलित कर वहां की जनता को राहत प्रदान करें। नगर पालिका की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह यह सब कुछ कर सके।

इसके साथ ही पर्यावरण सुधार कार्यक्रम भी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहर की बस्तियों में चलाया जाता है। कच्ची बस्ती सुधार कार्यक्रम, नल, सड़कें, नालियां और बिजली के कई तरह के प्रावधान और अनुसूचित जाति की बस्तियों मे सुविधायें उपलब्ध करवाने पर यह बजट खर्च होता है। पिछले दो वर्षों में अजमेर में यह बजट कम मात्रा में आया है और इन बस्तियों में काफी कम हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आगामी वर्ष में इस तरफ पूरा ध्यान रखा जाय।

इसी तरह पिछले बजट में ही मान लिया गया था कि अजमेर रैन बसेरा बनेगा। एक साल होने को आया अभी तक वह रैन बसेरा नहीं बना। इसी तरह शहर के निर्धनों के लिए नागरिक सुविधाओं की यू. पी. एस. पी. स्कीम है। शहर के निर्धन, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, महिला और बच्चों के लिये शिक्षण सस्था, स्वास्थ्य, अस्पताल, सड़क और उन्हें स्वावलम्बी बनाने की योजना इसके अन्तर्गत चलती है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। पूरा कीजिये आप अपना।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : इसमें अजमेर को सम्मिलित किया जाय। विशेष तौर से माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजमेर शहर में दरगाह क्षेत्र और पुष्कर के लिए सौन्दर्यकरण के लिये आपने पिछले साल 30 लाख रुपये दिये। उससे शहर अपने रूप में बदला हुआ नजर आता है। आगामी साल भी 10 लाख रुपये दे रहे हैं।

एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

कि अजमेर के हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। विगत 16.8.1991 को एक मीटिंग हुई थी। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, नगर विकास न्यास की अध्यक्ष श्रीमती अदिति मेहता, नगर सुधार न्यास के सचिव, इन सबने बैठकर मीटिंग की थी। उस मीटिंग में एक बहुत बड़ी विसंगति कर दी उन्होंने। अजमेर शहर की यू. आई. टी. योजनाओं में व्यावसायिक केन्द्र के लिए एक जमीन होटल मानसिंह के पास रखी गई थी। यह भूमि करीब 6288 वर्ग गज थी। 1977 में जब बाढ़ आयी थी अजमेर में, तब हाउसिंग बोर्ड की कालोनी डूब में आ गयी थी और हाउसिंग बोर्ड ने पाल बांधी थी। वह तीन बीघा जमीन देने का आपस में समझौता हुआ था। उसकी जगह हाउसिंग बोर्ड को आवासीय कालोनी के लिए अन्यत्र जमीन उपलब्ध करायी जा सकती थी। वैशाली योजना, पंचशील योजना, हरिभाऊ उपाध्याय योजना, जनता कालोनी योजना में जो व्यावसायिक केन्द्र बनने वाला था वह जमीन उसको दे दी गई। वह भी उस वक्त के मात्र 27 रुपये गज के भाव से, जबकि उस जमीन का भाव आज हजारों रुपये गज है। वह 6288 वर्ग गज जमीन आज के बाजार भाव से 5 करोड़ 76 लाख रुपये की बनती है। अगर ये 5 करोड़ 76 लाख अजमेर की यू. आई. टी. को मिलें तो अजमेर का विकास होगा। यदि उस पर आवासन मण्डल काम करेगा तो पैसा राजस्थान के नाम चला जायेगा, उनकी घाटा पूर्ति में चला जाएगा। 5 करोड़ 76 लाख रुपये अजमेर यू. आई. टी. को मिलने चाहिये थे और अजमेर के विकास में लगने चाहिये थे, खर्च होने चाहिये थे। उसमें से 15 प्रतिशत राशि वहां की नगर पालिका को मिलती और इस सब से शहर में खुशहाली आती, विकास के काम होते।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप, माननीय सदस्य। श्रीमती सुमित्रा आर्य।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : उस पर एक तरह से बहुत बड़ा हमला हुआ है। मैं इस सब के बाद आप से एक और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सोनगरा जी, विराजिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये। यू हैव टेकन टैन मिनट्स। वह आप कह चुके, मन्त्री जी से कह दीजिये। माननीय श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : आप हमेशा ही नाम गलत बोलते हो।

श्री उपाध्यक्ष : सारी, सारी। श्रीमती सुचित्रा जी आर्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब फिर आप गलत बोले हो। सुचित्रा आर्य हैं वे।

श्री उपाध्यक्ष : सुचित्रा ही बोल रहा हूं।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 पेयजल पर अपने विचार रखना चाहती हूं। 45 साल हो गये देश को आजाद हुए 45

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

साल की आजादी के बाद भी हमको एक-एक बून्द पानी के लिए तरसना पड़ता है। विज्ञान इतना आगे चला गया है कि लोग चन्द्रमा पर जाकर बैठ गए लेकिन हम लोग 45 साल की आजादी के बाद भी एक-एक बून्द पानी के लिए तरसते हैं। यह हालत है हमारी, राजस्थान कैनाल जो कि पूरे राजस्थान को पानी देती है और गंगानगर जिले के अन्दर से निकलती है, बिल्कुल नोहर क्षेत्र और रावतसर के पास से निकलती है लेकिन उसके बावजूद भी 30 गांव तो ऐसे हैं जो कि राजस्थान कैनाल को देखकर, उसका पानी देख तो लेते हैं लेकिन पी नहीं सकते हैं। बड़े दुःखी मन के साथ कहना पड़ता है और मैंने तोते की तरह दो साल तक एक ही बात कही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि मैं तो दो साल से कहते-कहते परेशान हो गई हूं लेकिन जब-जब मैंने आपको चिट्ठियां डाली तो आपने एक ही जवाब दिया कि कोई भी स्कीम बनी हुई नहीं है। जैसी भट्टी की स्कीम बनी हुई है अगर उसको लागू कर देते तो उससे 30 गांवों को पानी आराम से मिल सकता था लेकिन वह स्कीम कर्मचारियों ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। और हम जब-जब एस. ई., एक्स ई. एन. से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि साहब अब के मन्जूर हो ही जायेगी, दिल्ली स्कीम भेज दी है और जल्दी ही पास होने वाली है लेकिन कोई भी सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वह जो 30 गांव हैं वह 3-4 किलोमीटर राजस्थान कैनाल से दूर हैं। इस तरह से उन 30 गांवों को बहुत ही कम टाईम में और कम पैसों में जोड़ा जा सकता है। वहां पर भयंकर अकाल है, गंगानगर में वह तहसील जरूर है लेकिन उसकी बाड़मेर और जैसलमेर से भी ज्यादा हालत खराब है। उन 30 गांवों के मैं आपको नाम भी बताना चाहती हूं और यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि किस प्रकार से उन गांवों को जोड़ा जा सकता है-मोटेर, धनियासर, घिरदेसर, उदासर, धांधूसर, बनासर, सीरासर, दुदली, नैयासर, कल्लासर, देवासर, मायला की ढाणी, बीसरासर, टाकरियां वाली ढाणी, बसंत वाली ढाणी, भांभूवा वाली ढाणी, गुलाब गाड़िया, लेगावाली ढाणी, सरुपदेसर, रत्नादेसर, दूदली, कूलूवासर, बीजासर, लाडम, दनियासर, शेखचूलिया, मोटेर, मीनकदेसर, मलकासर, नोहर तहसील के गोगामेड़ी की ढाणियां कुछ हैं इनके लिये जैसा भट्टी स्कीम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में से आर. डी. 142 से सीधे पल्लू पानी दीजिये - पल्लू से जो गांव हैं— धांधूसर मलकासर, मोटेर, बनासर, धीरदेसर, उदासर, सीरासर, शेखचूलिया और गुलाबगढ़ अगर पल्लू स्कीम से पानी लाया जाय तो इन गांवों को पानी मिल सकता है और उसके बाद में इसी स्कीम से बिसरासर, रतनादेसर, धूधली, नईयासर, लाडम, धणियासर, स्वरूपदेसर, केलणिया देवासर, कलासर, ठोलियां वाली ढाणी को पानी मिल सकता है। कुछ गांव जो रह जाते हैं वह नोलखी में एक जोड़ी है जिसमें धनासर से राजस्थान कैनाल का पानी जाता है उससे लाखे। मोहलावाली ढाणी, मेहरावाली ढाणी, लैंगावाली ढाणी उस जोड़ी से पानी दिया जा सकता है। यह गांव कैसे प्यासे रह सकते हैं लेकिन स्कीम सही तरीके

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

से लागू नहीं करने के कारण यह गांव आज प्यासे बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि दो साल तो निकल गए और धैर्य की जो मेरी सीमा थी वह भी खतम हो गई है इसलिये मैं आज यहां पर धरने पर बैठती हूं। या तो आप मेरे गांवों को जोड़ दीजिये। नहीं तो मैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गांवों के नाम दे दो। (व्यवधान)

(श्रीमती सुचित्रा आर्य द्वारा सदन में धरना)

मैं श्रीमती उजला अरोड़ा, श्रीमती सुमित्रा सिंह जी से और प्रो. श्री केदार जी से निवेदन करूंगी कि आपका जो धरना है उसको समाप्त करावें। (व्यवधान)....

(श्रीमती सुचित्रा आर्य द्वारा धरना समाप्त)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। .. (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप मुझे जरा बोलने दें। जरा इन सब को शान्त कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग कीजिये साहब। आप भी शुरू कीजिये। आपकी बोली बड़ी तेज है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप एम. एल. ए. क्वार्टर नम्बर 10 में रहती है इन्हें क्या जरुरत है पानी की।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये आप।.... (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात-चीत करने का तरीका तो होना चाहिये। कोई कुछ समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात शुरू कीजिए। सब साइलेंट हो जायेंगे। आपका वक्तव्य इतना तेज होना चाहिए सब आपको सुनने लग जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि हम विकास की यहां बात करते हैं लेकिन आप यह देखिये कि जब से आप आये हैं यह प्रयत्न नहीं हुआ। 10 रुपये प्रति व्यक्ति आप नगर परिषदों को देते हैं, इसको आप बढ़ायें और आपको 25 रुपये कर देना चाहिये था तभी वह काम कर पायेंगी। आप 1981 की जनगणना पर दे रहे हैं और 1991 की जनगणना आपके हाथ में है अगर आप 1991 की जनगणना के आधार पर 25 रुपये देंगे तो यह बात निश्चित है कि विकास के लिए उनको पैसा मिलेगा तो काम होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपने और मैंने इसी सदन में कई बार कहा है कि मनोरंजन कर की राशि है वह नगर परिषदों को दी जाय लेकिन दुःख की बात है कि आपके आने के बाद अपने कर कमलों से ऐसे आदेश नहीं निकाले कि उनका सर्वे हो और सर्वे होकर वह रुपया उन्हें मिल जाय, जो विकास की

276

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बात की जा सके। पैसा कम दिया जा रहा है, पैसा बढ़ावें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सार्वजनिक सेवाओं के सम्बन्ध में यह कार्य तो नगर परिषदों को गली, नाली, प्रकाश और गड्ढे भरने का काम तो करना ही है और इन सबके लिए आपको पर्याप्त पैसा जुटाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 36 पंचायतों को नगर पालिका बनाने की बात थी, उनमें से कुछ बना दी गईं और कई स्टे ले आये, कुछ लोग मान गए तो काम हो गया लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो नहीं चाहते पालिका बनाना आप उन पर अपनी राय थोपते क्यों हैं। अगर किसी मुकर्जी कमेटी ने राय दे दी, आप सब राय तो मानते नहीं हैं, आपने बेरी कमीशन की राय नहीं मानी और आप मुकर्जी कमेटी की राय मान रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जो नहीं जाना चाहते उनको मत भेजिये, मत जाने दीजिए। मेरे यहां की दो पंचायतें हैं जो आप नगर पालिका में लेना चाह रहे हैं जयसिंहपुरा खोर और सुमेल, उनको मेहरबानी करके पंचायतें ही रहने दें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो इनके कर्मचारी हैं वह अगर पालिका में चले गए तो फिर आप इनके लिए क्या करने वाले हैं ? यह मुझे बता दें कि उनका क्या होगा ?

आपने चुंगी माफी की घोषणा की, चुंगी के आज लगभग 7 हजार कर्मचारी बेरोजगार होने वाले हैं उनके लिए आप क्या करेंगे ? यह मुझे निश्चित रूप से अपने उत्तर में आप बतायेंगे।

मान्यवर, आपने जयपुर नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। आपने इस सम्बन्ध में कोर्ट ने आदेश दिए कि 6 महीने के अन्दर आप जयपुर में नगर निगम बनायेंगे लेकिन कोई घोषणा हमको नजर नहीं आ रही है, कागजों में दबी हो तो मेहरबानी करके बतायें कि यह चुनाव आप कब तक कराने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर यह कायम हो जाता है तो आपसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि भूमि की कालोनियों का आप नियमन करिए, आज हर आदमी परेशान बैठा है। बार-बार हमारे मुंह से मंत्री की तरह से यह बात निकलती है कि कृषि भूमियों की कालोनियों का नियमन हो, आज लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है, उसको हटायें और 25 रुपये विकास शुल्क का लें लेकिन वह बात कही जाती है मालूम नहीं इस कान से कहते हैं और कहां से निकल जाती है। आप मेहरबानी करके इस महती कार्य को अपने हाथ से पूरा करें।

(9.20 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बस्तियों के अनुसार आपको कच्ची बस्तियों में शिविर लगाने चाहिए थे लेकिन वह नहीं हुए। यह 1971 की समस्या है जो हमने आन्दोलन करके उनको बसाया था वह पूरी हो जानी चाहिए इन दो सालों में लेकिन वह शिविर नहीं लगे। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इस काम में आप देरी क्यों कर रहे हैं ? जे.डी.ए. और नगर परिषद के जो प्रमुख हैं आयुक्त वह अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जब तक आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निर्णय नहीं लेंगे वह इसमें विकास कैसे कर पायेंगे ? यह बात मेरे समझ में नहीं आती है । रामपुरी हरिजन बस्ती, शाहपुरी हरिजन बस्ती, कंवर नगर हरिजन बस्ती आदि बस्तियों के लिये मैंने बार-बार आपसे कहा कि आप इनके सम्बन्ध में निर्णय लें लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और यह कहा गया कि जे.डी.ए. क्षेत्र में या नगर परिषद क्षेत्र में है । फिर मैं कहना चाहूंगी कि आप इनमें विकास कार्य करें ।

मैं नहीं समझ पाती हूं कि आप एन्क्रोचमेंट किसको मानते हैं । मेरे नगर में बापू बाजार और नेहरू बाजार में डबल मंजिल की दुकानें बन गई आप उसको एन्क्रोचमेंट नहीं मानते हैं, लोगों ने गोखों के अन्दर कहीं कमरे बन गए, कहीं दुकानें बन गई आप उनको एनक्रोचमेंट नहीं मानते हैं और जो गरीब आदमी फुटपाथ पर जो लोग सामान बेचते हैं वह आपकी नजर में चुभता है और आप यह कहते हैं कि मैं आपको बैठे देखना नहीं चाहता तो उनके लिए कोई और व्यवसाय ढूंढिए और कोई जगह ढूंढिए और ढूंढकर जल्दी बताइए । पेट में आग रोज सुबह शाम लगती है । मेहरबानी करके आप अपनी व्यवस्था मुझे बतायेंगे यह मैं कहना चाहूंगी । आपने तो बरामदों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजलाजी आप हाथ ऐसे क्या कर रही हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : हैं ? क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष : आप हाथ ऐसे क्यों कर रही हैं ?

श्रीमती तारा भण्डारी : इनके खिलाफ बारूद पूरी है दीदी के पास ।

श्री अध्यक्ष : अब आप खतम करिए । 15 मिनट हो गए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या हो गए साहब ?

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट हो गए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो 5 मिनट ही नहीं बोली हूं । आपकी घड़ी कैसे तेज हो गई ?

श्री अध्यक्ष : 9 बज कर 10 मिनट पर आपने शुरू किया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने जमवारामगढ़ के बंधे के बारे में जब मुख्य मंत्रीजी ने मुझसे कहा कि बन्धे के भराव में आने वाले अधिग्रहण क्षेत्र के एनिकट्स हैं उनको तुड़वा दिया जायेगा । वह टूटे नहीं हैं । उनमें किवाड़ वगैरह बने नहीं हैं और यहां पर मुझे गलत जवाब दे दिया, यह कहा गया कि बरसात कम हुई इसलिए बांध में पानी नहीं आया । आप पानी दे रहे हैं, आपने यह नहीं कहा कि जयपुर छोड़ जाय आपने कोई व्यवस्था की है लेकिन बाकी जगहों पर पेयजल नहीं दे रहे हैं । मेरा आप पर आरोप है कि इतना खराब पानी पी पी कर बीमार हो रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बंध भराव के अधिग्रहण में आने वाले बांधों में आप किवाड़ लगायें या कुछ भी करें जिससे कि अबकी बार बंधा भर जाय या आप कोई स्कीम बनायें । मेरे यहां विजयपुरा की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

स्थिति बहुत खराब है लोग लंगड़े हो रहे हैं पानी पी-पी कर। आपने मुझे उत्तर दिया कि आपने मेरे यहां पानी की तीन स्कीम बना दी, बनाई स्कीम एक। वह असत्य है। मैंने आपको 70 हैण्ड पम्प लगाने की सूची दी, 4 चिट्ठियां मैं खुद सैक्रेटेरिएट जाकर देकर आई हूं। उनका आपने जवाब तक नहीं दिया। गांव वाले इतने परेशान हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं हैंडल नहीं है, कहीं हैण्ड पम्प खराब हैं और कहीं लगा ही नहीं, अभी जैसा सुचित्रा बहन ने कहा था उससे ज्यादा बदतर स्थिति मेरे इलाके में और आप स्वयं वहां के रहने वाले हैं। जब आप अपने घर का ही काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे? मैं पूछना चाहती हूं आप इसका जवाब दें।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पाइप नहीं दिए, उपकरण नहीं हैं, क्यों नहीं है? यह किसकी अक्षमता है मुझे बतायें कि आपकी है या आपके विभाग की है? हम नहीं जानते हैं। घर में आटा आना चाहिए तो आना चाहिए, घर में पानी चाहिए तो चाहिए। हम उन घरों की गृहणियां हैं जो कोई न कोई व्यवस्था करती हैं। आप बजट बनाते वक्त या प्रक्रिया अपनाते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके यहां पाइप कैसे दिये जायेंगे, क्या नवीन योजनाएं बनेंगी। मैं कहना चाहूंगी कि कहीं से भी करें, लायें, कुछ भी करें, स्टे ले आये। आप टेण्डर काल कीजिए और किसी को भी दीजिए मैं नहीं जानती हूं कि कहां से लायेंगे? आप हैण्ड पम्प लगायें, सामुदायिक विकास योजना में जो गांव में बंधे हैं उनको ठीक कराइए पानी भरेगा तो फिर आपसे कोई पानी नहीं मांगेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बनास योजना लाने की बात कहते-कहते हमारे बड़े-बूढ़े हो गये और हम भी बूढ़े हो चले बनास योजना से जयपुर को जोड़ने की बात आपने मानी थी, आप घोषणा करेंगे कि जयपुर को कब तक उससे जोड़ दिया जायेगा, यह निश्चित रूप से बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में काम के बदले अनाज योजना के अन्दर 20 टंकियां बनी थीं जो आज स्तूप की तरह खड़ी हैं। मैंने आपसे कहा कि कुए गहरे करवा कर आप उन्हें जोड़ दें। लेकिन वह योजना आपके समझ में नहीं आई। कृपा कर आप उसे लें और गांव के लोगों को राहत पहुंचाएं।... (व्यवधान)....पैर की क्षतिपूर्ति तो मैं आपसे लेऊंगी आपके खड्डे में पैर पड़ गया उससे मेरे पैर की टर्नर टूटी है। चार महीने मैं बीमार पड़ी रही हूं, मैं कभी ठीक से चल पाऊंगी या नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरे को तो आप जान गए कि मैं यहां पर लंगड़ा कर चलती हूं लेकिन कितने मेरे शहर के ऐसे लोग हैं जो आये दिन अस्पताल में जाते रहते हैं। इस प्रकार से खड्डे हो रहे हैं उन्हें तो आप अविलम्ब भरिए। विश्व बैंक से जयपुर की पाइप लाइन डलवाने के लिए पैसा लिया डलवाइए, जल-मल निस्तारण योजना से जयपुर को जोड़ने की बात कही वह ट्रीटमेंट प्लान्ट में खुले नाले पड़ रहे हैं। मैं आज 36वीं बार कह रही हूं इस बारे में विधान सभा में। मुझे इस बात का भी दुःख है कि एक बात जो साधारण आदमी के समझ में आ जाती है वह एक मंत्री और अधिकारी के समझ में नहीं आती है।

मैं एक बात निवेदन करके बैठ जाऊंगी। मैं कहना चाहूंगी कि मेरी वन विहार कालोनी में... (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : बहनजी आप रोना मत।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप इन्हें रुला देंगे।

श्रीमती उर्जला अरोड़ा : मैं कोई रोने वाली नहीं हूं। रोयेगा कोई और....

श्रीमती तारा भण्डारी : दीदी ऐसा नहीं करेंगी।

श्री अध्यक्ष : जिससे आपका पाला पड़ेगा वह रोयेगा। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे इलाके में एक योजना है वन विहार कालोनी.... (व्यवधान).... मान्यवर, काम करेंगे तो सब हंसेंगे, वे भी हंसेंगे और मैं भी हसूंगी। आप उन्हें यहां आग्रह कीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वन विहार मेरे यहां एक कालोनी है, कोई मि. राकेश हैं जो अपने यहां आकाशवाणी में डाइरेक्टर हुआ करते थे, मि. राकेश साहब ने पूरी कालोनी में लोगों को कहीं न कहीं से लाकर घुसेड़ रहे हैं जिसके कारण से जिनको आवंटन होना चाहिए उन्हें आवंटन नहीं हुआ। पैसा रोज कमा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि और जो अन्य योजनाएं हैं उनमें भी कार्य होना चाहिए जवाहर नगर, शास्त्री नगर, मान सरोवर जो अभी नया बना है, उन सब की सड़कें टूट गई हैं कुछ न कुछ करना पड़ेगा, पार्कों का विकास कीजिए। पौंडरिक पार्क का आपने विकास किया मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि मेरे शहर में आपने कुछ काम किया। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि और भी जो कान्स्टीट्यूएंसीज हैं वहां के भी आपको पार्क नजर आने चाहिए, उनके पार्क किन्हें नजर आयेंगे। भेद-भाव छोड़कर पानी की समस्या का समाधान करते हुए, आपने मेरे यहां का पानी केवल ब्रह्मपुरी में ही रोक लिया, मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों रोक लिया? आपके यहां तो 24 घण्टे पानी आता है और मेरे इलाके में सुबह को पानी नहीं देंगे और यह कह कर कि गोविन्द नगर की योजना में गोविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति वितरण की व्यवस्था करेगी। वितरण आपके हाथ में है और वहां वितरण वो करेंगे। मैं आपकी मेज पर ऐसे अव्यवहारिक पत्रों को रख सकती हूं जो मुझे मिले हैं। मैं कहना चाहूंगी कि मेहरबानी करके इस शहर की समस्या के बारे में आप सुनें, समझें, पर सुने कौन? चिट्ठी का जवाब नहीं, बैठने के लिए कहो, जरा रुको तो कहेंगे कि आया और गायब। कहां कहें बात। यह जो सब कह रहे हैं कि हमारे जिलों को छोड़ा गया। मुझे दुःख है कि इन्होंने जयपुर जिले को पीछे रखा है। सुना नहीं, काम करते नहीं हैं। यही बात कह कर कि काम करें। मेरा आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, समय इतना हो गया है। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा मांग संख्या 27 और 29 पर, नगर परिषद, उदयपुर की जो स्थिति थी, जो हमको विरासत में इस कांग्रेस के शासन में प्राप्त हुई थी। उदयपुर के लोग नर्क का भोग कर रहे थे इस नगर में। आपने एक डाक्टर का स्थानान्तरण करके, कुछ अन्य अधिकारियों का

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

स्थानान्तरण करके कुछ जो वहां का कुशल प्रबन्ध है और इस तरह का प्रशासन वहां पर अधिकारियों ने दिया उसकी वजह से और जो सहयोग आपसे मिला उस सहयोग के कारण से आज हम उस नगर से उभरने की दिशा में चल रहे हैं। आज हमारे नगर परिषद की जो आर्थिक स्थिति है वह भी अच्छी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो उसका चुनाव कराने की व्यवस्था कीजियेगा यदि उसका चुनाव हो जायेगा तो जितनी समस्यायें हैं, उनका समाधान कर सकेंगे। इस बार नगर परिषद ने विकास पर भी खर्च किया है। लेकिन विकास के खर्च के लिये जैसा अन्य सदस्यों ने भी कहा इस दस रुपया से पर व्यक्ति के हिसाब से जो 1981 की स्थिति के अनुसार मिल रहा है इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि विकास किया जा सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप चुंगी की वसूली अपने इन सात हजार लोगों को निकाल करके करेंगे तो इनकी तो व्यवस्था करें आप। लेकिन चुंगी की वसूली सैल्स टैक्स के माध्यम से होगी और वह राज्य के खजाने में जमा होगा। और राज्य के खजाने से रुपया निकाल करके नगरपालिका और नगरपरिषदों को देना कितना कठिन होगा। यह पंचायत राज के लोग बैठे हैं, यह शिक्षा विभाग से जो बजट जाता है वह भी समय पर नहीं जाता और लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती है तो इस बात की व्यवस्था भी आपको मेहरबानी करके करनी चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में यू.आई.टी. आपके हाथ में है, म्युनिसिपलिटी आपके हाथ में है और यह पी.एच.ई.डी. आपके हाथ में है। लेकिन स्थिति यह है कि यह जो सीवरेज की लाइनें पड़ी हैं, मेरे से पूर्व एम.एल.ए. वहां आते रहे उन लोगों ने भी कहा कि यह सीवरेज लाइनें डाल करके करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार का इसके अन्दर जो डाल दिया है इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस बार आपने करीब एक करोड़ रुपया सीवरेज लाइन के लिये रखा है इसमें निस्तारण के लिए मेरा निवेदन है आपसे पी.एच.ई.डी. के अधिकारी तो सीवरेज योजना को लागू नहीं कर सकेंगे उदयपुर में जिस तरह की सीवरेज लाइन डाली गई है उसका कभी उपयोग नहीं हो पायेगा। मेरा निवेदन है आपसे इस पर आप विशेष रूप से इसे या तो नगर परिषद वालों को सौंपें या किसी को भी सौंपे लेकिन यह सीवरेज योजना प्रारम्भ होनी चाहिए। इसका सम्पूर्ण जल जहां से हम पानी पीते हैं उन तालाबों में जाता है उस नदी में जाता है और उसकी वजह से एक तरह का प्रदूषण पैदा हो रहा है। आने वाले समय में इससे बहुत भारी तकलीफ होने वाली है। इधर तो हिन्दुस्तान जिंक, हिन्दुस्तान जिंक के प्रदूषण की वजह से, डबोक की फैक्ट्री की वजह से सम्पूर्ण क्षेत्र पानी से वंचित हो गया है। पानी की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि पीने के लिये पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे यह तीनों विभाग उदयपुर में जो कालोनियां बसी है जो नये नगर बसे हैं जो कटी भूमि पर कन्वर्शन का पैसा देने के बाद में जिन लोगों ने मकान बनाये हैं। यू.आई.टी. आपकी, नगर पालिका आपकी और पी.

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

एच. ई डी. आपकी और उन लोगों को पानी पीने के लिए प्राप्त नहीं हो रहा है इन्होंने कोई सोर्सेज नये नहीं छोड़े पानी के आपके पी. एच. ई. डी. के लोगों ने आपके यहां के लोगों ने पानी की लाइनें नहीं डाली यह रुपया कहां खर्च होता है और कैसे खर्च होता है। मैं चाहता हूं। मैं आपको दावत दे रहा हूं आप उदयपुर नगर में आयें हम आपका स्वागत करेंगे और इन तीनों विभागों को बिठा करके इस पानी की समस्या को हम हल करें। यूनिवर्सिटी की जो रोड गई हुई है उसमें पाइप लाइन नहीं है। प्रतापनगर से लाकर के गणेश नगर तक पानी की लाइन डाली हैं लेकिन खारा कुआ, जैन नगर, आनन्द नगर यह जो नई-नई कालोनीज बस रही है इनके लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं बहुत दूर से आयड़ से इनको पानी ले जाना पड़ता है। आपके अधिकारी इस तरह की कोई योजना तैयार नहीं कर रहे जहां यू आई. टी. करे, कन्वर्शन का पैसा लिया है उन्होंने, डवलपमेंट का चार्ज लिया है उन्होंने तो आखिर पानी की समस्या तो हल करनी पड़ेगी। मेरा आपसे निवेदन है आप उदयपुर आयें और इन सबको बिठा करके इस पानी की समस्या का हल करायें ऐसा निवेदन है आपसे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसमें मानसी वाकल के लिये एक करोड़ रुपया आपने रखा है। यह जो योजना है 1967 में सुखाड़िया जी कभी होते थे तब देवास योजना के नाम से वोट लिए गये उसके बाद में देवास योजना चलती रही। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा देवास योजना के बाद में मानसी वाकल योजना आ गई लेकिन जब डेढ़ करोड़ रुपये की योजना जिस पर पिछले साल डेढ सौ करोड़ रुपया खर्च होने को था यह योजना नहीं बन सकी। 1983 से 84 और 89 तक जब पानी कम बरसने के कारण से उदयपुर में ऐसा संकट 1980 और 1987 में आया कि 48 घण्टे में पानी लोगों को एक-एक घण्टे के लिए प्राप्त होता रहा आज वही स्थिति पुनः आ जायेगी यदि इस दीर्घ-कालीन योजना को आपने पूरा कराने में प्रयोग नहीं किया। यह एक करोड़ रुपये से कुछ नहीं होगा। इसके लिए तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर इसका पूरा रुपया निकाल करके किसी भी तरीके से योजना को पूरा किया जाय। मेरा आपसे निवेदन है। मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुर नगर की तरफ जो झीलों की नगरी कहलाता है लेकिन जो पानी के लिए तरसता रहा है। ऐसा नहीं हो जाये कि फिर उसे पानी के लिए तरसना पड़े। मैं इस तरफ आपका ध्यान इसलिए भी आकर्षित करना चाहता हूं। पर्यटन मन्त्री तो यहां पर नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जिस तरीके से होटल उद्योग उदयपुर में बढ़ा है और पेइंग गेस्ट की जो योजना बनाई है और उस होटल उद्योग को उद्योग से जोड़ा है उसकी वजह से भी भयंकर प्रदूषण पैदा हो रहा है और तरह-तरह का प्रदूषण पैदा होता चला जा रहा है इस तरफ भी कितने होटल हैं जिनको लाइसेंस दिया हुआ है, कितने होटल के लोग हैं जिनकी यहां लिस्ट लगी हुई है जब भी टूरिस्ट आते हैं और ज्यादा तादाद में

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आ जाते हैं तो मनमाने ढंग से कमरों का किराया वसूल करते हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इस तरीके से आने वाले पर्यटक को लूटा जाता है। इसके ऊपर कौन नियन्त्रण करेगा। मेरा निवेदन है आपसे कि इस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकास शुल्क जो लिया जा रहा है, नियमन के आधार पर यह श्रेणी के आधार पर यदि लिया जाय जो बड़े शहर है, जयपुर है, उदयपुर है यह महानगर है और छोटी-छोटी नगर पालिकायें भी है। तो इसमें भी परिवर्तन होना चाहिये और श्रेणी के अनुसार यह वसूल किया जाना चाहिये। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। मैं इसके लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि जयसमन्द की योजना के लिए भी इसमें आपने पैसा रखा है। जयसमन्द की योजना के लिये एक करोड़ के करीब आपने बताया है। इसके लिए भी इन्श्योरेन्स से पैसा लिया गया था और लगभग यह योजना बनने वाली थी उनका काम चल रहा था। आपने अपने पत्र में बताया है जानकारी दी है उसके बाद भी अगर किसी तरह की पानी की उदयपुर में कमी आती है तो यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से वहां तुरन्त पानी लाया जा सकता है और इस योजना को पूरा किया जाना चाहिये ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। हम लोगों में पहले भी बरसों तक कांग्रेस इसी नाम पर वोट लेती रही कि हम जयसमन्द से पानी ला रहे है। यह मानसी वाकल से पानी ला रहे हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 26.9.88 को जो उस समय के मुख्यमन्त्री थे माननीय शिवचरण जी माथुर उन्होंने जाकर के, उस समय जाकर के उन्होंने इस पेयजल योजना का शिलान्यास किया, 26.9 88 को जाकर के। यह देवास में जाकरके इसको आठवीं योजना में बताया गया है। आई. डी. ए. सैकिण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत आठवीं योजना में बताया गया है आई डी ए. सैकिण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत इसको आठवीं योजना में पूरा होना था। मेरी समझ में नहीं आता कि पहले धोखा देते रहे या अब धोखा दिया जा रहा है कि अगर यह योजना में था तो अब तक यह देवास वाली योजना पूरी क्यों नहीं हो सकी। यह मानसी वाकल वाली योजना पूरी क्यों नहीं हो सकी। जिस तरीके से यह धोखा देते रहे हैं उदयपुर की जनता को मैं निवेदन करूंगा आपसे कि उदयपुर की जनता पर हमारी सरकार किसी भी तरह का धोखा ना दे और सही-सही जो भी स्थिति है वह अगर हमारे सामने आ जायेगी तो हम लोग उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे, आपका अभिनन्दन करेंगे, आपका आभार प्रकट करेंगे। यही कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पेयजल के सम्बन्ध में राजस्थान के कौने-कौने से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं आपके समक्ष रखी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें पेयजल की कोई समस्या नहीं हो। आपने गांवों और

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

शहरों के मध्य 104.37 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है जिसमें 201 के करीब छोटे शहर है, ऐसे छोटे और बड़े शहरों को मिलाकर, और 37124 गांव हैं उनमें आपने 52.80 करोड़ रुपये तो शहरों के लिये और केवल 51.57 करोड़ रुपये गांवों के लिए जो प्रावधान रखा गया है, यह लक्ष्य बहुत कम हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इससे दुगुना लक्ष्य इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाना चाहिये था। गांवों के अन्दर इतने कम बजट का प्रावधान रखा गया है, उसके साथ ही आपने जो बजट का प्रावधान रखा है वह तात्कालिक समस्याओं के लिए हैं। ये जितने भी शहरों के लिए स्थाई समाधान के लिए कार्य कराये जाते हैं, उसी प्रकार से गांवों में ये तात्कालिक समस्यायें नहीं रखकर के और इनके स्थायित्व के तौर पर कार्य करवाये जाय। आज जितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं, उनमें पानी का लेवल नीचे चले जाने की वजह से आज 40 प्रतिशत हैण्डपम्प एकदम बेकार पड़े हुए हैं जिनमें कुछ सूख गये हैं, बिल्कुल मृत हो गये हैं और कितने ही खराब पड़े हुए हैं। आज गांवों में पानी की समस्या मुंह बायें खड़ी है वह भयंकर होती जा रही है। और आने वाली गर्मी के अन्दर समस्या इतनी भयंकर हो जायेगी कि लोगों को उनके जानवरों को भी पीने का पानी एक-दो किलोमीटर दूर ले जाना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति चाकसू और बस्सी की जो पंचायतें हैं गरडवासी, बेलाला, रलावता, महादेवपुरा और रूपाड़ी, महाराजपुरा, ठीकरिया ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की आज भी भयंकर समस्या है। इसके साथ ही पंचायत समिति बस्सी है उसमें लालगढ़ और गढ़, माधोगढ़, हंसमेल जहां स्कीमें स्वीकृत भी हैं लेकिन इस साल से हंसमेल वाली स्कीम है वह 7 पंचायतों के मध्य में एक हैण्डपम्प आज की तारीख में काम कर रहा है और उस हैण्डपम्प का भी आप पानी पियें तो आप पानी नहीं पी सकते यदि आप वहां पधारें तो और उनको 6 किलोमीटर दूर से, उस स्कीम में अभी तक भी 12 महीने से वहां खड्डे खुदे हुए हैं और हंसमेल की लाइन अभी तक चालू नहीं हुई है। इसी प्रकार से दयालपुरा, गाठड़ा और जटवाड़ा, बड़वा, पड़ासोली, पूंकतारा, घाट, हरडी, आंतपुरा, गोतावाला, गीला की नांगल, रोजवाड़ी, भूरला, राजपुरा, रामसर, पालावाला, सामरिया, पालावाला, जाटान, खेरलावास, बेनाड़ा, झर, पाटन, दूदली, चिकोड़ी, आदि ऐसे गांव हैं जिनमें अनेक गांवों में तो स्कीमें बनी हुई है। इसी प्रकार से सांगानेर तहसील के लूलियावास और बागवड़ की स्कीमें बनकर के बागवड़ पंचायत गांव की स्कीमें बनाकर के दो साल से आपके विभाग में विचाराधीन है लेकिन माननीय अधीक्षण अभियन्ता तक पहुंचाने के बाद में कोई न कोई आब्जेक्शन जबरदस्ती लगा करके वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार से तो आब्जेक्शन लगाये जाते हैं उससे काम नहीं चलने वाला है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन आब्जेक्शंस को या तो मौके पर ही बुलाकर निपटाया जाय और दो-दो साल में बीस-बीस बार वापस उनके पास आ जाय

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

और अधीक्षण अभियन्ता जी अपने लेवल पर एडिशनल चीफ इन्जीनियर साहब तक तो नहीं, चीफ इन्जीनियर साहब तक तो पहुंचाने का सवाल ही नहीं है लेकिन वो अपने लेवल पर ही उन स्कीमों को वापस लौटा दिया जाता है ए. ई. एन. साहब के पास में, फिर ए. ई. एन. साहब लेकर के धक्के खाते हैं, एक्स. ई. एन. साहब धक्के खाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की ऐसी स्कीमें हैं जो दो-दो साल से पेंडिंग है उनको शीघ्र निपटारा कर चालू कराया जाय। इसी प्रकार से जयपुर जिले के अन्दर 55 टंकियां ऐसी बनी हुई है जो 85-86 से लेकर अब तक बनी हुई है लेकिन उनमें पानी की एक बूंद भी आज तक नहीं दी गई जबकि पानी के जल स्रोत उसके पास में ही है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो 55 टंकियां खाली पड़ी है और जिनमें एक करोड़ के करीब खर्चा हो चुका है यदि वो टंकियां चालू हो तो वहां पेयजल की समस्या हल हो सकती है। जहां पर हैण्डपम्प भी सक्सेसफुल नहीं है मैं आपसे निवेदन करूंगा, उन टंकियों में जहां जल स्रोत अड़ोस-पड़ोस में उपलब्ध है, वहां से उनमें पानी की व्यवस्था कराई जाय।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र के गांव जे. डी. ए. सेक्टर के अन्तर्गत जो लिये गये हैं, करीब 150 गांव हैं, उन गावों में जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई विकास कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है जिस प्रकार से जयपुर में की जाती है, उन गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो 36 ग्राम पंचायतें नगर परिषद की सीमा में ली गई है, उन्हें नगर परिषद की सीमा में न ली जाकर उन को ग्राम पंचायतें ही रहने दो जाय नहीं तो उनका वो ही हाल होने वाला है जो पूर्व में 71 में आपने जिन पंचायतों को लिया था उनमें आज न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई बैंक की व्यवस्था है, न कोई गरीबी की रेखा से चयनित करने की वहां पर व्यवस्था है और न कोई सरकार की तरफ से अन्य कोई सुविधायें मुहैया करवाई जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा जिनको नगर परिषद की सीमा में ली जा रही है, उनको पंचायतें ही रहने दी जाय नहीं तो उन गांवों की बहुत दुर्दशा हो जाएगी। जिनको जे. डी. ए. के अन्दर कोई कुआ बनाना हो तो जे. डी. ए. से एन. ओ. सी. लेनी पड़े या कोई छोटा कारखाना लगाना हो तो जे. डी. ए. से एन. ओ. सी. लेनी पड़े और माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जे. डी. ए. से जो एन. ओ. सी. प्राप्त होती है वह दो-दो साल में प्राप्त नहीं होती है। इस क्षेत्र में करीब 150 ईंटों के भट्टे लगे हुए हैं, हर ईंट के भट्टे वाले को तीन दिन में एन. ओ. सी. मिल जाती है लेकिन कोई छोटा उद्योग लगाये, आरा मशीन लगाये या कोई छोटा कारखाना लगाये, उसके लिए एन. ओ. सी. की आवश्यकता पड़ती है तो लोन लेने के लिए दो-दो साल तक जे. डी. ए. के चक्कर काटने पड़ते हैं। सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी फाइलें विचाराधीन है और उन्हें एन. ओ. सी. नहीं दी जा रही है इसमें सरलीकरण किया जाय और उन गांवों को जो जे. डी. ए. क्षेत्र में आ गये हैं।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

उनके कुए बनाने में या लोन लेने में या मकानों का पट्टा लेने में भी जे. डी. ए. से एन ओ. सी. लेने के सिस्टम को खत्म किया जाय या उसका सरलीकरण किया जाकर उनका निपटारा किया जाय। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके अधीन हाउसिंग बोर्ड को सन् 1981-82 में करीब 400 बीघा जमीन जिसको हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर किया था, उस हाउसिंग बोर्ड की जमीन को देवरी गांव की सिवाय चक की 400 बीघा जमीन थी, उसको एक्वायर करने के बाद में न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति ने उसको अपने नाम करवा कर भू प्रबन्ध विभाग या सेटलमेंट के अधिकारियों से मिलकर के जो उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है, जिसमें करीब एक अरब रुपये की जमीन गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम की हुई है। मैं पेपर की जो कटिंग हैं, थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं मान-नीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : कटिंग सुनाओगे तो टाइम पूरा हो जाएगा। आप अपनी और बातें बोलते जाइए। कटिंग छोड़िए। कटिंग तो पढ़ ली। ये तो रोज अखबार पढ़ते हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : तो मैं मान-नीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जालाना, देवरी, सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी राधेश्याम गुप्ता के हस्ताक्षरों से इस सारे नियम विपरीत काम को अंजाम दिया है तथा ये जमीनें समिति के नाम कर दी गई। दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस मामले की पूरी जानकारी तत्का-लीन आयुक्त गणपत राम यादव को भी थी। विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि तत्का-लीन सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी शान्ति कुमार शर्मा ने भी तत्कालीन आयुक्त से 2 सितम्बर, 89 को लिखित में पूछा था कि इन्होंने कई गांवों की जमीनों के पट्टे नियमानुसार न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम जारी करने को कहा गया है। जो प्रतिकूल कब्जे में सम्ब-न्धित मामले हैं, ऐसे मामलों का निस्तारण यह विभाग कर सकता है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नामान्तरण करने का भू-प्रबन्ध विभाग को अधिकार नहीं होने पर भी आयुक्त ने गोलमोल भाषा में जवाब दिया। चूंकि इस प्रकार के न्यायिक मामले में द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत होती है। अतः पूर्व में कोई विचार व्यक्त करना कानूनन उचित नहीं है। ग्राम सुकालपुरा में आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त एक 20 बीघे की जमीन न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति को, जो कि सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी राधेश्याम गुप्ता ने जाते समय फैसले में लिखा है। इस सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री महोदय के पत्र दिनांक 20-6-89 और भू प्रबन्ध आयुक्त, राज-स्थान जयपुर के पत्र क्रमांक भूप्रआ/ए/1160 दिनांक 20-6-89 की पालना में समिति के नाम पट्टा जारी करने के लिए भी लिख दिया है। इससे स्पष्ट है कि अवैध कार्यवाहियों के कारण न केवल सहा-यक भू प्रबन्ध अधिकारी आरोपों के कठ-घरे में खड़े हैं बल्कि उन्होंने तत्कालीन राजस्व मन्त्री और भू प्रबन्ध आयुक्त के पत्रों का उल्लेख भी सन्देह के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवे-दन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

अरबों रुपयों की भूमि है उसकी जांच करवाई जाय और इस प्रकार जे. डी. ए. के अन्तर्गत सिवाय चक और चारागाह भूमि की जो भूमि आती है, आज उन जमीनों में अवैध कब्जे हो रहे हैं चाहे उनमें 100 दुकानें बन जाती है उनमें दो दुकान तोड़ने के लिये जे. डी. ए. के अधिकारी आ जाते हैं, बाकी दुकानों को छोड़ने का क्या औचित्य है। या, तो किसी भी दुकान या मकान को नहीं तोड़ा जाय या फिर सारे अवैध निर्माण को तोड़ा जाय। इसलिये भेदभाव की जो नीति है, इसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि यह होनी नहीं चाहिये, सबके साथ एक नीति होनी चाहिये। साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : कितना और बोलेंगे ? आप 10 मिनट बोल चुके हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : एक मिनट और बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बोलिए जो आखिर में बोल रहे हैं मैं उनको छूट दे रहा हूं उनको ज्यादा समय मिलेगा जो हमेशा ही आखिर में बोलेंगे। आखिर में बोलने वालों को ज्यादा समय मिलेगा।

श्री कन्हैयालाल मीणा : चाणक्य नगर का प्रस्तावित नक्शा आप बनाने जायेंगे। मेरा आप से निवेदन है कि उसका जो प्रस्तावित नक्शा है उसमें पहले गांवों को दर्शाया जाय उसके बाद में आप उस जमीन को एक्वायर करें। गांव वालों के जिस स्थान पर आप चाणक्य नगर बसाने जा रहे हैं उसमें करीब 75 पर्सेन्ट जमीनों को गृह निर्माण सहकारी समितियों ने पहले ही परचेज करके वहां पर मकान लोगों ने बना लिये इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की परेशानी न आये इसलिए बनने से पहले उसका नक्शा दिखाया जावे उसके बाद ही इसकी कार्यवाही की जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जो एक प्रमुख विभाग है आज उसके बारे में चर्चा हो रही है। मैं सदन का मूड समझ रहा हूं इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप महावीर जी बीच-बीच में तो जल्दी-जल्दी बोलते हैं, जोर से बोलते हैं लेकिन अब धीरे बोल रहे हैं। जब आपको बोलने के लिए कहा जाय तो दूसरी तरह से बोलते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उजला जो बहुत जोर से बोल चुकी है इसलिए मैं चाहता हूं धीरे बोला जाय तो ठीक रहे। (व्यवधान) मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष बजट बढ़ा दिया जाता है और माननीय मन्त्री जी के प्रयास से सारे राजस्थान का दौरा कर आये हैं और कहां-कहां किस समस्या का समाधान किया जाना है इस दृष्टि से मन्त्री जी काफी जागरूक हैं लेकिन कई समस्यायें जो शायद मन्त्री जी महसूस करते होंगे कि हम सारी योजनायें स्वीकृत करते हैं, सरकार पैसा स्वीकृत करती है उसके बाद समय पर जो काम नहीं होता उसके लिए कोई व्यवधान पहले

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

जब 80 में या 88 में और बोर्डों का निर्माण किया गया उस समय पैसा हम विभिन्न एजेंसियों से लें, वित्तीय बैंक से लें और केन्द्रीय सहायता के रूप में हमको पैसा प्राप्त हो इसके लिये हमने इनका निर्माण किया था लेकिन धीरे-धीरे मुझे यह लगता है कि कुछ संस्थायें बजाय प्रगति के अवरोधक पैदा करती हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इन प्रक्रियाओं को इस प्रकार सरल किया जाय जिससे समय पर काम हो, आपकी योजनायें समय पर पूरी हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आज बजट में जितना शहर के लिये आवंटन है उसका 50 पर्सेन्ट मैं समझता हूं अजमेर, किशनगढ़ और ब्यावर के लिए हमने रखा है। लगभग 24 करोड़ रुपया जिसमें से 12 करोड़ रुपया आप सिंचाई विभाग को दे रहे हैं, 12 करोड़ रुपया आप पी. एच. ई. डी. से खर्च करना चाहते हैं, 14 करोड़ रुपये आप जोधपुर को दे रहे हैं उन सबके बावजूद जोधपुर, अजमेर व ब्यावर से आने वाले लोग यदि यह महसूस नहीं करें, वहां की जनता को लाभ नहीं मिलते तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। जो योजनायें स्वीकृत हुई जो फण्डस हैं उनको मिले उसका उपयोग नहीं हुआ उसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराना पड़ेगा। अगर समय पर पाइप उपलब्ध नहीं हुए उसके लिये किसी को उत्तरदायी ठहराना पड़ेगा। यदि हमने इस प्रकार किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया तो करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी लोगों की शिकायत बनी रहेगी। जहां लोग अपनी बांहों में उठाकर आपका फूल मालाओं से स्वागत करें, वहां इस प्रकार से कोसना पड़े यह स्थिति आखिर क्यों है ? यदि यह स्थिति है तो इसका कारण यह है कि जगह-जगह अवरोध हैं उनको हटाने में शायद कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन भी पूरा साथ है यदि अवरोधक दूर हों। कहीं डिजाइन पास हो रहा है, कहीं कम्प्यूटर में लग रहा है, कहीं सेन्ट्रल वाटर बोर्ड से हमको सहायता नहीं मिली है। इस प्रकार का बहाना जगह-जगह लगाया जाता है और वह पैसा डम्प पड़ा रहता है और योजनाओं की कीमतें बढ़ती रहती हैं और उसके कारण समय पर योजना पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मैं चाहता हूं मन्त्री महोदय आप यह देखें कि योजनाओं को कैसे समय पर पूरा होना चाहिए, वहां पर कब रोड़े आये, कहां पर कौनसी चीजें सप्लाई होनी चाहिये, वो नहीं हुई, पाइप सप्लाई होना चाहिए। पाइप नहीं मिले, पाइप लाने आज अजमेर जा रहे हैं। आज बीसलपुर योजना की हम बात कर रहे हैं। हमारा टौंक जिला ऐसा जिला है जहां पर पानी है और पानी वहां से ले रहे हैं, एक समय था जब बीसलपुर बांध नहीं बन सकता, इस सदन में पिछले शासन में घोषणा की थी कि रेशो नहीं बैठता है और किसी भी प्रकार यह उपयुक्त नहीं है। लेकिन वह बीसलपुर बांध बनाने को जिसको सारे राजस्थान के लोग आशाओं की निगाह से देख रहे हैं। आज पी. एच. ई. डी. विभाग उस पानी का उपयोग समय पर करे इसके लिए उनकी तैयारी नहीं हैं और एक तरफ बीसलपुर के पानी को हम स्टोर करना चाहते हैं, बेकार करना चाहते हैं और कहते हैं कि 2021 में हमको सारा पानी चाहिए और इसलिए सिंचाई यहां

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पर नहीं होगी। न तो आपकी पी. एच. ई. डी. की स्कीमें, न सिंचाई आप करने दे रहे हैं, यह क्या मतलब है ? और इसलिए मैं चाहता हूं जब तक आपके पास योजना नहीं हो उसकी सिंचाई की जाय, पेयजल प्रायोरिटी पर हों लेकिन पेयजल कहीं जाता नहीं, पानी का स्टोर आप कर रहे हैं, करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं लेकिन उसको डम्प कर रहे हैं और आप जयपुर की जनता को यह विश्वास दिला रहे हैं कि बीसलपुर से हम पानी लायेंगे। मेरा निवेदन है कि बीसलपुर से पानी लेना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। समय भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा और उसको लेने में तकलीफ भी होगी। आपने हालांकि एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। एक जगह तो आपने 1.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, एक जगह आपने एक करोड़ की बात कही है। अब यह आंकड़े तो आप ठीक कर लें 1600 कुछ गांवों के लिए आपने कहा है 1600 कुछ गांवों को हम लाभान्वित करेंगे। बजट भाषा में कहा है 2000 गांवों को करेंगे। अब कहां फर्क है यह तो आप देखें, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बीसलपुर से आप जयपुर में पानी लेना चाहते हैं। मेरा सुझाव है माननीय गृह मन्त्री यहां पर विराजमान हैं, हमारा जिला पोटेंशियल जिला है पानी की दृष्टि से और सरकार में भी उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। जहां दिग्विजय सिंह जी बैठते हैं, कैलाश जी मेघवाल भी वहां से ही आये इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद वहां के पानी का उपयोग न हो, बेकार पड़ा रहे, वहां जिस बांध को बनाने के कारण वहां वाटर लेवल नीचे चला गया है, मेरा आपको सुझाव है कि माननीय गृह मन्त्री जी के घर में, इनका गांव है बनेठा, बनेठा बांध और ईसरदा बांध की जो बात आई थी। अब गृह मन्त्री जी पता नहीं शर्म से नहीं बोलते हैं या वहां के राजनीतिक ...

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप उसकी पूर्ति कर देते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : या वहां की राजनीति में इस तरह की बाते हैं। पहले स्व0 राम मनोहरलाल जी व्यास भी वहां से ऐसे राजनेता रहे हैं लेकिन विकास की दृष्टि से टोंक पीछे रहा इसका मैं कारण समझ नहीं पाता। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा छोटी-मोटी भावनायें उनके मन में हों इधर-उधर की तो उनको दूर करके इस योजना को प्रारम्भ करवायें। उनके गांव को बहुत लाभ होगा, उनके गांव को ही नहीं पूरे जिले को लाभ होगा और जयपुर के लिए सबसे उपयुक्त कोई योजना है तो ईसरदा बांध है। एक तरफ हम इस प्रगति विवरण में कहते हैं कि एक पर्सेण्ट पानी सारे हिन्दुस्तान का हमारे यहां नहीं है और एक-एक बून्द हमारे यहां अमृत के समान हैं और हमारा पानी बेकार जा रहा है उसकी कोई योजना है उसके लिए आप दो साल से सर्वे करवा रहे है और आप कहते हैं कि कभी पी. एच. ई. डी. डिपार्टमेंट सर्वे करेगा, कभी आपकी सेन्ट्रल की टीम है वह सर्वे करेगी, कभी कहते हैं सिंचाई विभाग वालों ने गलत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 38 हजार एम. सी. एफ. टी. उस नदी में पानी पड़ा हुआ है और

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आठ हजार एम. सी. एम टी. पानी वहां पर मिल सकता है। वह सारा पानी जयपुर को मिल जाय, रास्ते में आये गांवों को मिल जाय, उधर टौंक में सिंचाई हो जाय, उधर आपके गांवों में पानी का लेबल नीचे चला गया है उसकी आप कोई योजना नहीं बना रहे हैं, उसके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं किया है इसलिए जयपुर की जनता को आप पानी दिलाना चाहते हैं तो इस योजना को तत्काल प्रारम्भ करें और मैं इतना ही नहीं एक तरफ आप कहते हैं टौंक से पानी नहीं मिल रहा है एक तरफ सारे राजस्थान की निगाह टौंक से पानी को लिए जाने की योजना पर है। यदि ये योजनायें ठीक रूप से नहीं बनी, यदि सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा, यदि ईसरदा बांध का आपने निर्माण नहीं किया तो न ही पानी अजमेर जायेगा, न पानी जयपुर आयेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टौंक का मतलब है कि पानी उठकर आ जाय और लोगों को पानी मिले लेकिन वहां के लोग प्यासे रहें यह सम्भव नहीं है, वहां की धरती प्यासी रहे यह सम्भव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसलिए एक तो पानी का उपयोग आवश्यक है इस प्रदेश के लिए। जहां भी यह महसूस करते हैं। यहां पर हम रावी-व्यास की चर्चा करते हैं। रावी-व्यास से पानी लेने के लिए हम केन्द्र से, पंजाब से, हरियाणा से झगड़ा करने की बात करते हैं। हम यह बात करते हैं कि हम आन्दोलन करेंगे, हम यह कर देंगे। लेकिन जहां पर हमारा पानी है उसके उपयोग की यदि हम चिन्ता नहीं करते तो मैं समझता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य होगा। दूसरी बात, मेरा निवेदन यह है....

(10.00 रात्रि)

श्री अध्यक्ष : कुल कितनी बातें होंगी आपकी। एक बात दस मिनट में पूरी हुई है, अब कुल कितनी बातें होंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बस, एक बात और मैं निवेदन कर दूं। नगर परिषद की दृष्टि से मैं....

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, आप इन पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं, बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही कह दिया कि आखिरी में बोलने वालों को दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो धरने के लिए टाइम लेते हैं। कभी तोता पिंजरे में बन्द हो जाता है, कभी बाहर निकल जाता है। तो मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय....

श्री हेतराम बेनीवाल : महावीरजी, आज तो आप बैठो धरने पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कि नगर परिषद में, राजधानी में सारा हिन्दुस्तान आता है, हिन्दुस्तान नहीं, विश्व के लोग आते हैं और उसकी चर्चा करते हैं कि गुलाबी नगर में आपने बहुत से काम किये हैं..

श्री अध्यक्ष : बात यह है, मुझे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, साहब बारह बजे तक बैठेंगे तो मैं चाहता हूं कि बारह बजे तक ही बैठे रहे, यह कहने की बात नहीं रहे। यह अच्छी रहे, तो कल फिर वह कहेंगे कि नहीं, बारह बजे नहीं बैठेंगे तो ग्यारह बजे बैठा देंगे, फिर कहेंगे ग्यारह बजे नहीं बैठेंगे, दस बजे बैठा देंगे। मर्जी आपकी है।

श्री रामकिशन : लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था यह है कि जब बारह बजे और ग्यारह बजे बैठते हैं तो जिनका बिल होता है वह मन्त्री महोदय अपने घर से खाना भी खिलाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यहां से चलते ही आ जाना मेरे मकान।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय तो आपको पानी पिला सकते हैं खाने के बाद। इनका मंत्रालय पानी पिलाने का है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जयपुर शहर को आप गुलाबी बनाने जा रहे हैं या बैण्ड-बाजों से ध्वनियां निकाल रहे हैं, फव्वारों की वह निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। यहां पर जिनको नगर न्यास की हम संज्ञा देते हैं, जहां विनाश की बात करते थे, आज हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हम एल आई.सी. से भी लोन लेते हैं, विश्व बैंक से भी लोन लेते हैं और स्टेट की भी हमारी कई योजनाएं हैं लेकिन उसके बाद भी टौंक नगर परिषद तो नरक परिषद ही बना हुआ है। उसका कारण यह है, हम सब जानते हैं, कि टौंक में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग 70-75 प्रतिशत लोग हैं, पचास प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोग वहां बसते हैं, 25-30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बसते हैं। वहां की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है, वहां की बसावट भी इसी प्रकार की है, बनास के इधर-उधर बसा हुआ है और इसीलिए वहां की हालात ऐसे हैं कि अभी हमारी सरकार ने जो नीति बनाई है और पी.डब्ल्यू.डी को पैसा दिया है वह सड़कें नहीं बने तो हालत यह हो जाय कि वहां पर जाना मुश्किल हो जाय और मच्छरों का भयंकर साम्राज्य है वहां और इसके लिए जो नगरपालिका एक बना है और उसमें यह व्यवस्था है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि नगर परिषद और नगरपालिकाओं का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि शुद्ध पेयजल, रोशनी, नागरिकों को रहने की सुविधा और सफाई की व्यवस्था करेंगे। इसमें किसी को कोई माफ करने का सवाल ही नहीं है और यदि यह कोई नहीं करता है तो वह दण्डनीय अपराध है माननीय अध्यक्ष महोदय। हालांकि टौंक की जनता को किसी को दण्ड दिलाने का न तो अभ्यास है....

श्री अध्यक्ष : आप तो मच्छरों को दण्ड दो ताकि उनकी संख्या कम हो जाय। हां, उन्हीं को दण्ड दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो मैं चाहता हूं कि उन मच्छरों को, अन्धकार को मंत्रीजी जिस प्रकार अपना रुख और बनाये हुए हैं उसी प्रकार टौंक नगर परिषद पर भी बनाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बाढ़ आई, 81 में बाढ़ आई और वहां हुडको ने गरीबों को लोन बांटा और वह पैसा नगर परिषद से काट रहे हैं, आज वहां तनख्वाह चुकाने की स्थिति नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नगर परिषद टौंक को आप विशेष लोन दिलवा कर या किसी भी प्रकार कर आप कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : रामेश्वर भारद्वाज। अब

(श्री अध्यक्ष)

देखिये, मुझे बैठने के लिए नहीं कहना पड़ता। आप ही बैठाओगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भारतीय जनता पार्टी से ही बुलवाओगे, विपक्ष से किसी को नहीं।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है, उनका भी आ रहा है, मेरे पास नाम आ जायेंगे। आप बोलेंगी क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बोलूंगी, मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं दिया है आपका नाम। नहीं, दिया ही नहीं है, मेरे पास अन्तिम नाम रामस्वरूपजी मीणा का है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : पहले यह बोलेंगे, आपकी इच्छा होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम नहीं है इसमें, कोई बात नहीं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : बात मान लो इनकी साहब।

श्री अध्यक्ष : हां-हां, जरूर बुला देंगे। पहले यह नाम वाले हो जायें। इसलिए कि यह आखिर में बोलेगी तो बैठेंगी तो सही। इसलिए आखिर में आयेगा नाम। यह बात सही है, हां, बोलिए।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 एवं 29 पर आज चर्चा हो रही है। मैं माननीय मन्त्रीजी का आपके माध्यम से जो कुछ काम हुए हैं इन दो वर्षों में, उनके लिए तो हृदय से धन्यवाद देता हूं। वह चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित काम हो, चाहे नगर परिषद से संबंधित काम हो और चाहे जलदाय विभाग से संबंधित काम हो। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अनेक योजनाओं के माध्यम से जयपुर शहर में सड़कों का सवाल हो, आने-जाने वाले मार्गों में पैदल मार्ग अजमेरी गेट पर बन रहा है, वह हो, अनेक प्रकार की ऐसी बस्तियों में भी जाकर विकास के काम किये हैं, उसके लिए तो मैं माननीय मंत्रीजी को और विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। परन्तु ऐसी अनेक समस्याएं भी हमारे सामने विद्यमान हैं, जो जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है और जनता की मांग यदि नहीं मनवा सकता तो उसके लिए बहुत तकलीफ की बात होती है। विकास प्राधिकरण में जो काम की प्रक्रिया है उसके लिए भी मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री जी को। जिस प्रकार जयपुर से आये विधायक राजपालजी, जो मेरे से पूर्व बोले कि कुछ अधिकारी मिलकर वहां बैठे, उसी में मेरा एक सुझाव है कि जो शहर के विकास में लगे ऐसे डिपार्टमेंट हैं वह एक साथ बैठ कर पूरे वर्ष की योजना बनायें। नहीं तो कई बार इतने कष्टों का अनुभव होता है, एक सड़क आज बनी होती है और कल टेलीफोन की लाइन डालने वाले उसको तोड़ देते हैं, कभी पानी की लाइन डालने के लिए तोड़ देते हैं, कभी बिजली की लाइन डालने के लिए तोड़ देते हैं। इसलिए

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

मेरा ऐसा सुझाव है कि परस्पर इन विभागों का भी एक बार मिलना हो वर्ष के प्रारम्भ में कि वह अपने खुद के विभाग में कौन-कौन सी व्यवस्थाएं पूरे वर्ष में करेंगे तो मैं समझता हूं कि काफी बड़ी हानि से हमारी सरकार बच सकती है। अन्यथा दुरुपयोग तो निश्चित रूप से पैसे का होता है और उसका सबको कष्ट होना चाहिए, मुझे भी कष्ट है। इसी तरह योजनाएं छोटी-छोटी हैं, कई सारी बस्तियों में कई बार काम हो जाता है और कई बस्तियां अछूती रह जाती हैं। मैं दो तीन उदाहरण से स्पष्ट करूंगा कि ऐसी मानवीय आवश्यकताओं की कितनी उपेक्षा होती है। यहां पुलिस के रहने के लिए पुरानी पुलिस लाइन में कुछ फ्लैट्स बने हैं, ऐसे 90 फ्लैट्स बनने के बाद भी आज निरुपयोगी हैं क्योंकि उसमें गटर लाइन का कोई प्रावधान नहीं रखा है और उस रास्ते पर से जो गटर लाइन जोड़नी थी वह केवल मात्र चार या छह इंच की लाइन होने के कारण वह फ्लैट्स उपयोगी नहीं हो रहे। मैंने कई बार इसके लिए प्रयास किया परन्तु एक दिन तो ऐसी अवस्था में खड़ा कर दिया कि पुलिस के खुद ही कर्मचारी अपने फ्लैट्स की गटर लाइन को रात के बारह बजे तोड़ने के लिए तैयार हो गए और वहां की बस्ती के लोग खड़े होकर उनको रोक पाये और आज कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। मैं समझता हूं कि छह महीने की बात यह हो गई परन्तु आज तक भी इस प्रकार का प्रयास नहीं हुआ कि ऐसी मूल समस्या को, जो 90 फ्लैट्स पुलिस के लिए बनाये, करोड़ों रुपये की लागत हमारी लगी है, परन्तु ऐसी उपेक्षा का शिकार जब क्षेत्र में होना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि इस ओर उनका विशेष ध्यान रहना चाहिए। इसी तरह की समस्याएं छोटी-छोटी कई सारे क्षेत्रों में है। कई सारे पार्क ऐसे हैं जिनके लिए कई बार माननीय मंत्रीजी ने घोषणा की है कि इन पार्कों को एक बार डवलप करके वहां की स्थानीय एक समिति बना दी जाय और वह स्थानीय समिति इसका मेन्टीनेंस देखें, वह पानी देने वाला बागवान आता है या नहीं आता है परन्तु उस ओर भी मेरे ख्याल से विभाग की कोई विशेष हलचल अभी नई दिखाई देती। तो माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि यह योजना भी शीघ्रातिशीघ्र शुरू करवायें। इसी तरह से पानी की समस्या भी काफी हद तक दूर हुई है। यह सभी ने स्वीकार किया है मैं भी स्वीकार करता हूं परन्तु गर्मी अब दो महीने के बाद विकराल रूप लेगी और पानी की जो व्यवस्था है जयपुर शहर में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस बार गड़बड़ा न जाये। मेरे क्षेत्र में भी काफी दूर-दूर तक बस्तियां फैली हुई हैं और वहां पानी देने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक समय में पूरी बस्तियों को पानी दिया जा सके। कहीं पानी 4 बजे देंगे तो कहीं 6 बजे देंगे तो कहीं 8 बजे देंगे। तो मेरा इसमें भी एक सुझाव है कि जिन बस्तियों में काफी दूर से पानी देते हैं वहां कोई न कोई टंकी की व्यवस्था करें और कहीं न कहीं पानी के स्टोर करने की व्यवस्था करें तो हम गर्मी में इस समस्या से बच सकते हैं। इस बात का भी हमको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा।

मैं इस बात के लिए भी बधाई देना

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में रामगढ़ बांध से पानी लाकर भी एक दिन जयपुर में कभी पानी बन्द होने की सूचना नहीं मिली। इस बात के लिए मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से नगर परिषद की समस्यायें हैं। शहर की चारदीवारी में तो नगर परिषद ने जो काम किये हैं सब को दिखाई देते हैं। उन्होंने सफाई की व्यवस्था भी अच्छी की है परन्तु चौराहों पर सोडियम लाइट भी लगाई हैं और पहली बार जो जयपुर की पुरानी गलियां हैं और जो दो पुराने मकानों के बीच में गन्दी गली होती है, मैं समझता हूं कि जयपुर के इतिहास में पहली बार उन पर भी पत्थर लगा कर पक्की की हैं। इसके लिए भी मैं नगर परिषद को और नगरपरिषद के अधिकारियों को और माननीय मंत्री जी को आपकी मार्फत धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु कुछ समस्यायें ऐसी हैं जिनका निराकरण अभी भी होना आवश्यक हैं। मैं मेरे क्षेत्र में इन्दिरा बाजार का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। काफी संघर्ष के बाद यह तय हुआ कि इन्दिरा बाजार की लीज 17 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर लेकर और एक मुश्त उनको निपटा दिया जाये। यह विभाग और व्यापारियों के बीच में तय भी हो गया परन्तु आज तक भी वह योजना यों की यों लटकी पड़ी है और लगभग 27 लाख रुपये जो नगर परिषद को मिलने चाहिये वह भी आज नहीं मिले हैं। मैं समझता हूं कि इसको भी अधिकारियों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाना चाहिये और इस पैसे के अभाव में कई सारे विकास के काम जो हो सकते थे उसमें भी दिक्कत आ रही है। इसी तरह से इन्दिरा बाजार में अंत में जहां कल्याण जी के रास्ते के साथ मिलता है आपको देखकर आश्चर्य होगा कि वह नाला ओपिन पड़ा है। जो गन्दा नाला कहलाता था जिसमें पानी जाता था। मैंने कई बार यह बात ध्यान में लाई कि उसको एक बार पूरा का पूरा कवर किया जाये परन्तु आश्चर्य होगा कि वहां एक व्यक्ति ने अपनी दुकानों के बाहर एक चबूतरा बना रखा है पूरा सरकारी नाले को पाट कर। मेरे कई बार ध्यान इंगित कराने के बाद भी उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इदिराबाजार का जो रास्ता है वह वहां जाकर केवल 10 फुट चौड़ा रह जाता है। प्रत्येक दिन वहां आने जाने वालों को कठिनाई होती है और कई बार एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं। तो मैं पुनः एक बार उस समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इन्दिरा बाजार में मैं समझता हूं कि सारे बाजारों में उपेक्षित बाजार है और उसमें एक भी लाइट रात के समय में नहीं जलती है जबकि सारे शहर में हमने सोडियम लाइट लगाई है, परन्तु वह बाजार एक ऐसा उपेक्षित बाजार है। तो मैं पुनः एक बार नगर परिषद का ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा माननीय मंत्री जी के माध्यम से कि यह भी बात उनके ध्यान में रहे।

ऐसे अनेक विषय जो सार्वजनिक स्थानों के हैं जैसे परकोटे खाली कराने की बात आई। वहां बैठे ऐसे फल वालों को हटा दिया जो बीस साल से बैठे थे। परन्तु मैं अभी तत्काल पिछले दो दिन के पहले वहां साईकिल स्टेण्ड का ठेका नगर परिषद दे रही थी। मुझे आश्चर्य होता है यह जानकर कि एक तरफ तो बीस साल से बैठे व्यक्ति को हटाया जा रहा है और

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

उसी स्थान को फिर से कामर्शियल उपयोग में ले रहे हैं। मुझे तो यह आश्चर्य की बात लगती है। मैं समझता था कि परकोटे सजाये जायेंगे। उनको भी कुछ खूबसूरत बनाया जाएगा परन्तु इस खूबसूरती के नाम पर हमने उनको खाली कराये और वापिस साइकिल स्टेण्ड का ठेका देने की बात कैसे सूझी है। मैं समझता हूं कि इसमें भी कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है। तो ऐसी अनेक प्रकार की समस्यायें हैं जिससे हम सब क्षेत्र के रहने वालों को जुझना पड़ता है। तो मैं इस प्रकार की जो अनेक समस्यायें आपके सामने रख रहा हूं उसमें से कच्ची बस्तियों की समस्या नियमन की व्यवस्था जो है यह भी रोज-रोज हम हर दो महीने के बाद कहते हैं कि अब होनी और अब होनी है। हमको भी इस प्रकार से जानकारी मिलती है और उसी आधार पर जनता को बता देते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत लम्बी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा है। अब इसको किसी न किसी प्रकार से पूर्ण विराम दो और घोषणा करो तथा ऐसी बस्तियों को बड़ी लम्बी तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है।

इस अभाव में मैं आपको निवेदन करू कि कई ऐसी बस्तियां हैं जिनमें नाम लेते ही कि हमारी राधागोविन्द कालोनी है यह तो उन बस्तियों में नहीं आती है, हमने कहा यह दूसरी कालोनी ले लो यह भी नहीं आती है। फिर भवानी नगर है वह भी नहीं आती है। तो एक पैसे का भी काम उन बस्तियों में जब तक नहीं हो पाता तब तक वह किसी प्रकार की कानून की सीमा में नहीं आती हैं और ऐसी बस्तियों में रहने वाले लाखों की संख्या में लोग हैं। एक छोटी सी पानी की योजना को मैं आपको बात बताऊं। जो हरमाड़ा और विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया है इसके बीच में एक बहुत बड़ी बस्ती है। एक वहां आश्रम है नाथजी का आश्रम वह उदारता से अपने कुएं में से जल देते रहते हैं और बस्ती का काम चलता था। मैं समझता हूं कि 3 महीने से मैं बराबर अधिकारियों के साथ सम्पर्क में हूं कि वहां पानी नहीं है और उस बेल्ट में भी पानी नहीं है, एक दो व्यक्तियों ने कुएं भी गहरे करवाकर भी देख लिये। मैंने माननीय मन्त्री जी का भी इस ओर ध्यान दिलाया था परन्तु वहां हजारों लोगों की जो बस्ती है पानी के अभाव में एक-एक बूंद के लिए तरस रही है। हमारी योजना बनी हुई है, कागजों में बनी हुई है। मैंने वहां के एक्स. ई. एन. से भी बात की और वहां के एस. ई. से भी बात की। वह कहते हैं यह योजना बनते ही शुरू हो जायेगी। तो मैं समझता हूं कि ऐसी मानवीय आवश्यकताओं पर जो व्यक्ति उदारता से दूसरे लोगों को पानी देते थे आज उनके कुएं में भी एक बूंद पानी नहीं है जो दूसरों को देते थे। तो मैं समझता हूं कि यह हमारे सीधे विभाग का दायित्व है। ऐसी स्थिति में जहां एक बूंद पानी नीचे नहीं है वहां कहीं न कहीं से पानी की व्यवस्था करें अन्यथा ऐसी अनेक बस्तियों के लोग पानी के कारण त्राहि-त्राहि करेंगे और यह सारा का सारा दायित्व सरकार का होगा। तो ऐसी अनेक समस्याओं में से हाउसिंग बोर्ड की भी एक समस्या है कि उसमें 17 साल पहले सड़कें बनी थी। 17 साल के बाद आज तक न

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

उसमें कोई सफाई का जिम्मा लेता है और न कोई सड़कों की देखरेख का जिम्मा लेता है। हाउसिंग बोर्ड से बात करो तो नगर परिषद का नाम लेते हैं और नगर परिषद वाले कहते हैं पैसा दे दो तो हम सफाई करा देते हैं, मिट्टी हटा देते हैं। तो ऐसी अनेक समस्याओं से हमको जूझना पड़ता है। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय का आपके माध्यम से अनेक योजनाओं की ओर जो मैंने ध्यान दिलाया है, मैं समझता हूं एक बात जो उन्होंने की है बनीपार्क का सारा क्षेत्र कुओं पर बसा हुआ था। आज पहली बार माननीय मंत्री जी ने उस क्षेत्र के लिए एक करोड़ 6 लाख रुपया का जो प्रावधान रखा है और 40 लाख रुपये की योजना स्वीकृत कर दी है उस पर उन्होंने काम भी शुरू करने के आदेश कर दिये हैं उसके लिये मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इसी तरह से शहर की जो अनेक कालोनीज में सिवरेज लाइन की जो बड़ी भारी समस्या थी, जयपुर की चार दीवारी को छोड़कर थोड़ा सा इलाका सी-स्कीम का उससे जुड़ा हुआ था बाकी सारा शहर अभी भी कुओं पर ही बसा हुआ है, मैं समझता हूं इस ओर भी....

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने एक काम किया है तो धन्यवाद, सौ काम करेंगे तो धन्यवाद कुछ बढ़ाइये। धन्यवाद के अलावा कुछ उससे ऊपर करिये।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : इस तरह की अनेक समस्यायें हैं जिनके लिए मैंने अवगत कराया है मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र की काफी समस्या हल होगी। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मच्छर बहुत हैं। मच्छरों का हमला हो रहा है सदन में।

श्री अध्यक्ष : हाउस में मच्छर आ गये....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : हां, इसकी व्यवस्था करवाओ साहब।

श्री अध्यक्ष : दो दिन में करवा देंगे। छुट्टी के दिनों में....(व्यवधान).... वे नगर परिषद की चर्चा सुनकर आये हैं। हमारे बारे में क्या चर्चा होती है....(व्यवधान) उनको भय हो गया है कि कहीं नगरपरिषद हमारे ऊपर आक्रमण करने की योजना न बना लें इसलिए आये हैं....(व्यवधान).... आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि रोजाना मैं 11 बजे आता था रात को 10 बजे, चाहे 11 बजे तक विधान सभा चलती थी बैठा रहता हूं। आज मैंने अपने आपको इस बात के लिये धन्य मान लिया है कि क्षेत्र की जनता ने जिस काम के लिए हमको भेजा है, विपक्ष में हमको बिठाया है हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि जनता की समस्याओं पर चाहे हमको (व्यवधान).... रात के 12 बजे तक बैठना पड़े हम बैठते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपको तो मच्छरों ने नहीं काटा है ? हां, ठीक है।

एक माननीय सदस्य : काटा भी तो मोटी खाल है फर्क नहीं होगा '

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे लोगों ने आज जो हंसी का माहौल बना रखा है यह बड़ी गम्भीर समस्या है पानी की समस्या है कभी हंसने वालों ने यह भी सोचा है कि पानी का स्तर सौ फीट नीचे चला गया। सौ फीट नीचे। हंसों कहां तक हंसते हो आप। आखिर क्या कारण है तो सौ फीट नीचे चला गया ? कहां तक ट्यूबवैल लगाओगे, पम्प सैट लगाओगे, कहां तक बजट पास करोगे ? सोच लो इस बात को, गम्भीरता से सोचो। आप सब लोग जो क्षेत्रों से चुनकर आये हो चाहे किसी पार्टी के हो लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब लोग, गांव के अन्दर पत्थर फेंकेंगे, क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे समस्या को लेकर इसलिए निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गंभीरता से इस बात को लें। यह मामला कोई किसी पार्टी का नहीं हैं। यह पेयजल की समस्या हैं। जब आदमी को प्यास लगती हैं तो वह यह नहीं देखता कि कांग्रेसी को प्यास लग रही है, भारतीय जनता पार्टी को प्यास लग रही है। कांग्रेस का क्षेत्र है, यह भारतीय जनता पार्टी का, लोकदल का क्षेत्र है भूल जाओ इस बात को। यह एक ऐसी समस्या है जो सब को प्यास लगती है। मछली पानी के बिना तड़पती है तो क्या गति होती है उसकी इसलिये माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, आप सोचें। पानी हाथ में लेकर जल का संकल्प लेते थे तो वे लोग अपनी आन और बान पर मिट जाते थे लेकिन बड़े दुख की बात है मुझे कहना पड़ता है माननीय मंत्री महोदय, आपके सारे विभाग को हाथ में ले रखा रखा है आपने लेकिन अब भी अपने काम से अपने वादे से मुकर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : पर संकल्प के लिए जल पानी कहां है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारी जितनी भी योजनायें हैं जो विचाराधीन हैं, आप सबसे पहले निर्णय लें। मेरा सुझाव है माननीय मंत्री महोदय, आगे बढ़ते हुए रुक जाओ। पीछे आपकी जो योजनायें विचाराधीन चल रही हैं आप उन योजनाओं को सबसे पहले पास करिए। बढ़ते हुए चलें जाओ पीछे नहीं देख रहें हो क्या हालत चली आ रही है। गांव-गांव में पानी की समस्या बन चुकी है पहले पश्चिमी राजस्थान में पानी समस्या थी लेकिन आज सारा राजस्थान पानी के लिए जूझ रहा है। नदियों में बहना बन्द हो चुका, खारा पानी, कड़ुवा पानी नीचे से निकलता है। सोचा है आपने इस बात के लिए ? एक ही कारण है आपका और हमारा, मैं तो अपने आपको कहना चाहूंगा कि हम लोगों का स्तर ही गिर गया है जब तो पानी का स्तर तो गिरना ही हैं। सच्चाई को छोड़ दिया है हमने।

श्री अध्यक्ष : चुल्लु भर पानी डूबने के लिए भी नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह भी नहीं

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बचा है माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गर्मी का मौसम आ रहा है। आप लोग हंसते हो। पूछो इन अधिकारियों से जो यहां विराजमान हैं क्या गुजरती है जब यह लोग क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं? 10 साल के बाद कोई पी. एच. ई. डी. का एक्स. ई. एन./ए. ई. एन. बनना पसन्द नहीं करेगा वह दिन दूर नहीं हैं।

हमारी माता-बहनें जो अभी यहां धरना दे रही थीं, गांव में अगर पानी की जिम्मेदारी है तो हमारी बहनों पर और माताओं पर है 4-4 किलोमीटर तक पानी लेने जाती हैं। चार-चार घड़े उनके ऊपर रखे होते हैं। आप लोगों की जिम्मेदार नहीं है इसलिए हंसते हो आप लोग। आपको नल मिल जाता है घर पर, बाल्टी पानी की भरी हुई मिल जाती है। इसलिए इस विषय को गम्भीरता से सोचो और माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस सब की आज घोषणा करने के बहुत अच्छा अवसर आपको मिला है। यह पुण्य कार्य है। पहले लोग प्याऊ लगाकर के लोगों को पानी पिलाया करते थे। आप तो सौभाग्यशाली हैं जो जल विभाग आपको मिला है। भूल जाओ यह +++ जो आपके आस-पास बैठे रहते हैं, छोड़ दो इन +++ को जो जयकार करते हैं आपकी ....(व्यवधान) यह आपके पवित्र कार्यों में रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं इसलिये आप पार्टीबाजी के चक्करों को भूल जाओ, आप तो एक ही बात याद रखो कि आपकी जिम्मेदारी के लिये बहुत पवित्र कार्य है। आपको जल विभाग मिला है। आपको सेवा का अवसर मिला है, बहुत अच्छा। जिन्दगी में ऐसा अवसर दुबारा नहीं मिलेगा। पानी की बात निवेदन कर रहा हूं मैं सरकार से इसलिये आपके सामने तीन संकट हैं। इन तीन संकटों को दूर करो आप।

पहला सुझाव मेरा पानी के बारे में है, पानी समय पर नहीं आता है। जो आपकी योजनायें चल रही हैं उसका एक ही कारण है बिजली विभाग जो आपका अलग दे रखा है। गांवों में 8 घण्टे, 6 घण्टे बिजली आती है। शहरों में बिजली कम आ रही है इसी का परिणाम है कि मातायें रात को चार-चार बजे जाकर के नम्बर लगा देती हैं। झांकती रहती है कि लट्टू कब जलेगा, कब योजना चालू होगी, पानी मिलेगा? जब दो बर्तन ही एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो टकरा जाते हैं जब हजारों बर्तन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तब क्या गुजरती है उन माताओं और बहनों पर? इस बात को गम्भीरता से सोचो। इस बात को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि दोनों विभाग एक जगह होने चाहिये। चाहे मन्त्री जी आप अपना विभाग विद्युत मन्त्री जी को सौंप दो चाहे विद्युत मन्त्री जी आप इस विभाग को ले लो अपने विभाग में चाहे अलग ऐसी व्यवस्था कर दो जब तक गांवों में बिजली की समस्या हल नहीं होगी यह पानी की समस्या हल नहीं हो सकती। क्यों अधिकारियों को बदनाम

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

करते हो, क्यों हम सदस्यों को बदनाम करते हो ? हम क्षेत्र में जाने से कतराते हैं। गांव में जाते हैं हैण्डपम्प बन्द है आपका। हैण्डपम्प एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है हमारे सामने। गांव में जाते हैं तो लोग कुशलता की बात तो कतई नहीं पूछते। एक ही बात कहते हैं कि हैण्डपम्प खराब पड़ा है। आपके 99 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हो गये माननीय मन्त्री महोदय। चाहे कागजों में ठीक कर दिये होंगे। इनका एक ही मूल कारण है, सुधार करना पड़ेगा आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज मन्त्री जी यहां विराजमान हैं, हैण्डपम्पों को ठीक करने की जिम्मेदारी दो जगहों पर दे रखी है। पंचायतों को जिम्मेदारी दे रखी है और जल विभाग को भी दे रखी है। जब हैण्डपम्प खराब होता है तो गांव में अधिकारी जाकर कहते हैं हम क्या करें ? पंचायत समिति वाले जाने छोटी खराबी हुई है तो पंचायत समिति वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं बड़ी खराबी हुई है तो हम क्या करें ? यह ठीक नहीं होगा। आप इसके लिए सदन में घोषणा करिये और इस व्यवस्था को पंचायत समितियों से बिल्कुल दूर कर दीजिये। यह एक बचने का बहाना है और कुछ नहीं है। अधिकारी लोग इससे बच रहे हैं। अधिकारी लोगों के पास एक ही जवाब है पंचायत समिति ठीक करेगी इसलिए अधिकारी बच रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अन्तिम वक्ता रखा है। मैंने आखिर में समय लिया है। मेरे दिल में जितनी समस्यायें हैं उनके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं... (व्यवधान).... मैं सुझाव दे रहा हूं साहब....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप 3 बात कह कर एक बोलते हो दो भूल जाते हो और दो कह कर एक बोलते हो एक भूल जाते हो। भूलते रहिये....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर समस्या है.... (व्यवधान)....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कितना गहरा दुःख हैं, आप कल्पना कर लीजिये... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है, समस्या पर बोलते-बोलते कई बार दिक्कत भी आ जाती है मैं दूसरा सुझाव आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा था कि पंचायतों से विभाग को दूर कर दिया जाय। ठीक करने की व्यवस्था पंचायतों में बिल्कुल मत रखो, आप इनको बिल्कुल दूर हटा दो और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको हैण्डपम्प ठीक करने हैं, जब तक आपके बिगड़े हुए हैण्ड पम्प ठीक नहीं होंगे नये कितने ही लगाते चले जाओ आपके ज्यादातर हैण्डपम्प बन्द ही पड़े हुए हैं। उनको ठीक करने का एक ही तरीका है आप गांव में प्रशिक्षण दीजिए। गांव में ठीक करने वाले तैयार करिये। गांव के व्यक्ति को जब हैण्डपम्प की जिम्मेदारी दोगे तो हैण्डपम्प चलेगा नहीं तो नहीं चल सकता। यह व्यवस्था आपको गांव में देनी पड़ेगी और उसके बाद हैण्ड पम्प नहीं चले तो आपको और हमारे अधिकारियों को कहने को जगह मिलेगी कि गांव वालों तुम को ही तो ठीक करने की व्यवस्था दे रखी है। अब ठीक नहीं होता

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है तो हम क्या करें ? दे दो आप गांव के लोगों को जिम्मेदारी....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सदस्य, हैण्डपम्प के मिस्त्री गांव के ही रहने वाले हैं और गांव वालों को ही व्यवस्था दे रखी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, उस गांव के रहने वाले नहीं है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपने दो गलती की। एक तो माननीय सदस्य को सीधा इशारा किया और दूसरा एक गूजर मीणा को सीधी बात करता है। यह दोनों ही गलती है आपकी....(व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके और बोलने वालों के बीच में खड़े हुए यह तीसरी गलती थी उनकी।

श्री अध्यक्ष : हां यह तीसरी गलती और की....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा था गांव के लोग ही हैं ठीक करते हैं। मेरा निवेदन है कि उसी गांव के होने चाहिये जिस गांव में वह योजना है या जिस गांव में वह हैण्ड-पम्प लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर उस गांव में हैण्ड पम्प ठीक करना है तो वहां के लोगों को प्रशिक्षण दीजियें, उनकी जिम्मेदारी डालिये आप तो वह हैण्ड पम्प ठीक रह सकते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है हैण्डपम्पों के बारे में। हैण्डपम्पों का पानी, उनका जल स्तर नीचे चला गया है। हैण्डपम्प में पानी नहीं रहा है। कहां तक ठीक करोगे ? बार-बार खराब हो जाते हैं। पानी नहीं रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि पुराने हैण्डपम्प आपके जितने भी हैं आप उन हैण्डपम्पों को बिल्कुल मरा हुआ मान लो। उनकी तरफ से ध्यान हटा तो कतई। पैसा कतई मत लगाओ। आप तो नये हैण्डपम्प और लगवा दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना तो आपका नुकसान उनको ठीक कराने में हो रहा है। ठीक नहीं होते हैं। आपको बार-बार बजट दे दिया जाता है इतना पैसा खर्च हो गया। यह बिल्कुल सही बात है। जो हकीकत मैं गांव में देखता हूं वह आपको निवेदन कर रहा हूं। मैं एक बात और निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जितनी योजनायें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वह योजनायें लम्बे समय तक पास नहीं होती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आपको कष्ट तो होगा, दुःख भोगना पड़ेगा, थोड़ी आपकी चाल तो बढ़ानी पड़ेगी आपको। मैं एक निवेदन करूंगा कि आप कम से कम जिलों में, एक जिले में 15 दिन में एक दिन का टूयर बना लीजिए। छोड़ दो सारे चक्करों को, चमचों के चक्करों को छोड़ दीजिये बिल्कुल....मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप आ जाइये, 15 दिन में एक दिन आ जाइये जिले के अन्दर, बैठता हूं इस छत के नीचे, सारे अधिकारी अपने आप जायेंगे वहीं और आप इन लोगों की जो शिकायत होगी उनकी शिकायतों को सुनो। इसके साथ साथ यह भी व्यवस्था करना....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने हिसाब लगाया है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, साहब, मेरे पास है पूरा हिसाब।

श्री अध्यक्ष : हिसाब तो लगा लिया ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, साहब, है मेरे पास। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो अधिकारी अच्छे हैं उनकी प्रशंसा करिये, प्रशंसापत्र दो उनको ज्यादा करके आप, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो जनता में काम नहीं करते, जिनकी शिकायत है उस शिकायत को लेकर वहां ही आ जाओ मौके पर, हम मौजूद रहेंगे वहां पर, उस भ्रष्ट अधिकारी को वहीं लताड़ पिलाइये, उसको दण्डित करिये आप, अगर व्यवस्था नहीं सुधर जाय तो मेरी गारण्टी है इस बात की। वरना तो उनकी व्यवस्था को आप नहीं सुधारोगे तो हमको सुधारना पड़ेगा। वहां की जनता जनार्दन गांवों में हमको घुसने नहीं देगी चाहे आप मन्त्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे अधिकारी हो। यह हालत हो जायेगी राजस्थान में, बहुत नजदीक गर्मी के दिन आ रहे हैं। अभी हालत खराब है इसलिए आपको अगर गांवों में घुसना है, इन उद्घाटनों के भरोसे कहां गांवों में जाओगे ? यह भी अन्त आने वाला है आप लोगों का। इसलिए आप यह मत सोचना, आप अपने क्षेत्र में ही विकास कर रहे हो, राजस्थान के पानी के मन्त्री हो आप, राजस्थान के। आप व्यक्तिगत क्षेत्रों में, मन्त्री महोदय, ज्यादातर ध्यान रखते हो कामों का। मुझे पता है. मैं आपसे व्यक्तिगत मिला हूं, मेरी समस्याओं को मैंने आपके सामने रखा हैं। माननीय मन्त्री महोदय, मैं विपक्ष में हूं इससे क्या फर्क पड़ गया ? दो साल हो गये, मेरी योजना एक भी पास नहीं हुई टोडाभीम की।

श्री अध्यक्ष : फर्क यह पड़ गया, सुनिये, आपने हिसाब गलत लगाया। 15 दिन में एक दिन, महीने में दो जिले, साल भर में 24 जिले, राजस्थान में 30 जिले, आपका जिला रह गया वह 24 के बाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा जिला चाहे रह जाय इसकी मुझे परवाह नहीं है। अगर दूसरे जिलों में जब होने लगेगी इसकी हवा तो मेरे जिले में आ जायगी, अधिकारी अपने आप ठीक हो जायेंगे, मैं तो मैं ही ठीक कर लूंगा। आप जाइये, दूसरे जिलों में योजना बनाइये, मत आओ मेरे जिले में, मेरे तो वैसे ही ठीक हो जायगा, यही निवेदन है मेरा आप से। लेकिन अच्छी बात आप अपनाइये, मन्त्री महोदय, अच्छी बात अपनाइये। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय, दो साल हो गये, दो साल से मेरी चार-पांच योजनायें, नाम गिनादूं कौनसी योजनायें हैं, आपने मुझे व्यक्तिगत बैठा लिया पास में, मैं आपके पास बैठा हूं, आपने अधिकारी साहबान को भी बैठाया है और उनको भी कहा है, दो साल के अन्दर मेरी एक भी योजना पास नहीं हो सकी। अब देखो, कितनी कम स्पीड है आपकी। पूरे मेरे क्षेत्र में, मैंने योजनायें दीं, एक भी तो पास करके नहीं दी आपने। कहीं तो आपने ट्यूब वैल बना दिया, ट्यूब वैल में इन्होंने पम्प सैट डाल दिये, वहां पर आदमी लगा दिया जो तनख्वाह उठा रहा है, सारा काम हो रहा है लेकिन पम्प नहीं दिया आपने आज तक गांव के लिये, उससे पानी कैसे भरेंगे। जब पानी खूब है, ट्यूब वैल लगा दिया, सारा काम हो रहा है, आप पम्प सैट दे दीजिये, जब इतना ही सब कुछ आपने कर दिया तो दे दो एक किलोमीटर दूर से क्या फर्क पड़ेगा, साहब, आराम से पानी भरेगा आपका इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि गन्धेली साहिबा में पम्प की आवश्यकता

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है। माननीय सदस्य ने अभी कहा है तो वहां भी आप पम्प दें। जहां ट्यूब वैल बना दिया, जहां आपने पम्प सैट लगा दिया, कर्मचारी नियुक्त हो गया उस गांव में पम्प पहले दीजिये आप चाहे वह मेरा क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मेरा निवेदन है आपसे, पाइप आप अवश्य देवें वहां पर।

इसलिये मैं और अधिक समय नहीं लेता हुआ पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय ने मुझे व्यक्तिगत रूप से पूर्ण विश्वास दिया है बैठा करके, आप निश्चिन्त रहिये, मैं आपकी सारी योजनाओं को जल्दी से जल्दी मंजूर करवाऊंगा लेकिन मेरी योजनाओं के साथ साथ मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जिले में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थान हैं, केला देवी है, श्री महावीरजी हैं, मेहन्दीपुर के बालाजी हैं, जितने भी हैं, गणेश जी महाराज का तीर्थ स्थान है, इन तीर्थ स्थानों पर आप टंकी बनवाइये। हर साल मेले के टाइम में लाखों करोड़ों रुपया आपका पानी की व्यवस्था पर खर्च होता है, स्थायी व्यवस्था कर दीजिये आप वहां पर। आप हनुमान जी महाराज के मन्दिर में गये थे और मन्दिर के सामने जाकर आपने लोगों से सबसे कहा था कि मैं आपके यहां टंकी बनवाऊंगा, टंकी बना कर पानी दूंगा लेकिन हनुमान जी महाराज को भी आपने नहीं बख्शा, वहां भी असत्य बोला, माननीय मंत्री महोदय, हनुमान जी के दरबार में असत्य बोला है, भूत बनोगे गारण्टी के साथ, दावे के साथ घोषणा करता हूं आज। अगर आपको भूत बनना है तो असत्य बोलिये वरना तो टंकी बना देना आप निश्चित। इसलिये मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी तरफ की समस्याओं को गम्भीरता से लेंगे और एक-एक जिले को सुनेंगे। चाहे आप सौ हैण्ड पम्प ठीक करवायें लेकिन सौ हैण्ड पम्प ऐसे ठीक करा दो जो कम से कम एक दो महीने तो लगातार चलें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया उसके लिये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्राजी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि हनुमानजी के दरबार में असत्य बोलने से मंत्री महोदय भूत बनेंगे, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : वहां प्रेतराज हैं। वह अपने आप सम्भालेंगे। मेहन्दीपुर के बालाजी में प्रेतराज भी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : कोई असत्य बोलेगा तो भूत बनेगा ना।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अगर आप यह कह रहे हैं भूत बनेंगे, तो भी परेशान आपको ही करेंगे, आप ध्यान रखना।

एक माननीय सदस्य : नहीं, रामकिशोरजी बनेंगे पहले भूत....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये। आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप एक-दूसरे को भूत ही बनाते रहोगे या कोई बात भी सुनेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन मांग संख्या 29 और 27 पर विचार कर रहा है। मैं इस बात को मानती हूं कि सीमित आर्थिक साधन हैं और राजस्थान का विस्तृत क्षेत्रफल है। इन 45 साल के अरसे में एक हजार, अर्थात् 1348 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया पेयजल पर। 1969 में मास्टर प्लान बना था राजस्थान का। सारे राजस्थान के मास्टर प्लान के तहत 200 करोड़ रुपये में सारे राजस्थान के सब गांव और शहरों के पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती थी। इसमें जितना ही डिले होता चला गया उतनी ही यह धन राशि भी बढ़ती चली गयी। समय की चूंकि कमी है इसलिये मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगी।

श्री अध्यक्ष : मेरी ओर से कोई कमी नहीं है। आप मजे से बोलिये, पूरी बात बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि मैं तो अपने धैर्य की परीक्षा दे रहा हूं। मैं कितना धीरज रख सकता हूं। आप मजे से बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी है आपकी। मैं निवेदन कर रही थी, इस विस्तृत राजस्थान के अन्दर, विस्तृत भू-भाग में रेगिस्तान का हिस्सा कम से कम तीन चौथाई है, दो तिहाई तो है ही है। मैं एक ऐसे जिले से आती हूं जिस जिले के अन्दर पानी के नाम पर केवल बरसात का पानी है। वहां का पानी खारा भी है, पेयजल के समस्याग्रस्त गांव भी हैं। मैं ऐसे इलाके से आती हूं कि आज से 15-20-25 साल पहले लोगों को कुएं से पानी खींचना पड़ता था। फिर सिर के ऊपर रखकर लाना पड़ता था।

श्री रामकिशन : आप भी लायीं क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बात तो सुन नहीं रहे, मैं लायी कि ना लायी वह पूछ रहे हैं।

श्री रामकिशन : मैं पूछना चाहता हूं, आप भी कभी लायीं थीं क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं भी लायी हूं, मुझे भी लाना पड़ा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी....

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसकी छटा ही एक अलग थी पनिहारों की। पनिहारों की राजस्थान में छटा ही अलग थी, वह आपने समाप्त कर दी अब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि केवल बरसात के समय नहाने के लिये मिलने वाले मौके के ऊपर एक लड़की रूठी बैठी है, मैं आज नहाये बिना खाना नहीं खाऊंगी मां से कहा और मां ने उसको जवाब दिया, "काचर, केर, मतीरा दुर्लभ छे वा देवा ने, दूर अर खीचड़

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

"खा म्हारी तारा, क्यूं तरसे तू मेहा ने ।" मेहा का मतलब यहां कोई मेवा नहीं है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है । मेहा का मतलब बरसात से है । नहाने को तरस रही है, उसने कहा उसके लिये तरस मत, यह दूध और खीचड़ खा ले । हमारा वह जिला है जिस जिले के अन्दर कहा जाता था आज से 30-40 साल पहले कि, "घी ढुले तो म्हारो किंऊ नी बिगड़े, पानी ढुले तो म्हारो जी बल जाय ।" ऐसे इलाके से मैं आती हूं ।

श्री मदन दिलावर : एक दो और ऐसे ही ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब रहने दीजिये आप, मैं नहीं बोलूंगी । मुझे अपनी बात कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आपने माननीय सदस्यों में रुचि पैदा कर दी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह कर पानी की आवश्यकता कितनी है वह मैं बता रही हूं । मैंने अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये जिन गांवों के अन्दर-मुझे सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा और आपने भी जो प्रगति विवरणिका हमें दी उसमें आपने कहा कि इस साल हम सारे समस्याग्रस्त गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करा देंगे, अगले वर्ष के लिये केवल एक हजार ग्राम शेष रहेंगे । आपको यदि याद नहीं आता है तो मेरे पास किताब है, दिखाऊं आपको ? दिखा दूं ? दिखाऊं क्या ? पढ़ा है आपने ? इसमें पढ़ा होगा आपने ।

श्री मदन दिलावर : कविता के माध्यम में बताया जाय ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अप्रासंगिक बात करने की आवश्यकता नहीं है आपको अब । बात सुनिये आप ठीक से ।

तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रही थी कि मेरे यह बात समझ में नहीं आयी कि जब पिछली बार एक हजार ग्राम ही शेष रहे थे तो इस बार एक हजार गांव, पांच सौ मजरे और ढाणी, एक हजार हरिजन बस्तियां, यह सब कहां से संख्या आ गयी । मुझे इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना है कि आपके इस प्रगति विवरणिका के अनुसार तो आप अभी तक 687 गांव कर पाये हैं । एक हजार का जो लक्ष्य था, एक हजार के लक्ष्य के मुताबिक आपने 687 गांव किये बाकी गांव इस 15 दिन के अन्दर अब होना मुश्किल है । मतलब मेरा कहने का यह है कि अब तक की जो प्रगति विवरणिका आपने दी है, 1990 तक जितने गांवों का लक्ष्य हुआ करता था उससे अधिक गांवों को पानी देने के लक्ष्य की उपलब्धि हुआ करती थी । हमेशा टार्गेट को अचीव करने के बाद अधिक गांवों को पानी दिया गया था और आप केवल 687 गांवों को पानी दे सके और अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए और भी अफसोस होता है कि अब तक केवल पिछले वर्ष के 91-92 का जो 56 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट था ग्रामीण इलाके के लिए उसमें से अभी तक खर्च किया है 20 करोड़ 60 लाख और यह पैसा बचा है 35 करोड़ और 60 लाख, अब तक यह 22 करोड़ हो गया होगा । 15-20 दिन के अन्दर आपका पैसा "Lepse होगा । लेकिन होता क्या है कि यह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जो इतना पैसा बचता है उससे लक्ष्य तो पूरे होते नहीं हैं और आपाधापी अफरा तफरी के अन्दर सारी की सारी खरीद फरोख्त होती है। इन दिनों के अन्दर जैसा कि बता रहे थे कि आपने पाइप के ऑर्डर दिये हैं। 3-2-92 को जो आपको खरीदने थे अप्रेल, 91 में। वह आपने अब ऑर्डर दिये हैं। मुझे बताइये कि अब किस रफ्तार से चलेंगे। इस रफ्तार से चलेंगे तो आपका काम कैसे चलेगा ?

मैं इसके साथ साथ एक निवेदन करना चाहती हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जो है उनके लिए मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा और करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने भी कहा मंत्रीजी तो कुन्दन है, मैं समझती हूं कुन्दन तो है, कुन्दन का मतलब सोना और सोने में सुहागा मिले तब उसके अन्दर और दमक आती है। मैं आपसे यह बात इसलिए और कहना चाहती हूं कि मैं यह बात कि यह बात आपके विभाग में आपकी जानकारी में है या नहीं यह तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको इतना जरूर याद दिलाना चाहती हूं कि हाई कोर्ट ने फैसला किया था, जब राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया था एडहॉक प्रमोशन के बारे में यह कहा था कि "No adhoc or stop gap working arrangements made so far shall be continued after 4 months. Such adhoc appointments shall automatically come to an end and the State Government is directed to make appointments as per rules within a period of 4 months by determining the vacancies. In future also no appointments should be made by stop gap working arrangements or adhoc arrangements." यह 24 अक्टूबर, 1989 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। यह फैसला देने के बाद भी डिपार्टमेण्ट में इस बारे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया लगातार इसी तरीके से एडहॉक प्रमोशन और स्टाप गैप अरेंजमेण्ट चल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं किसी का कि किस को Adhoc promotions किया गया क्योंकि मैं इसको उचित नहीं समझती हूं लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं कि आपने हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपने इस रूलिंग की अवमानना की है और आपको इसके रूल्स अमेण्ड करने के लिए कहा गया लेकिन आपने रूल्स में अमेण्डमेण्ड नहीं किया हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भी और नौबत क्या आयी कि अंत में एक केस के अन्दर यहां के सेक्रेटरी पी. एच. ई. डी. के सेक्रेटरी और सरकार के खिलाफ स्ट्रीक्चर पास किये हाई कोर्ट ने लिखा है जो आई ओपनर है हाउस के लिए "It is a fit case in which fine should be imposed on Shri Permesh Chandra, Secretary to the Government of Rajasthan, Public Health and Engineering Department, Jaipur and I inpose upon him. 1........" यह चूंकि सेक्रेट्री थे इसलिए "I impose upon him a fine of Re 1 only by way of punishment. The petitioner will get cost of the petition which is assessed at Rs.300/- The fine will be deposited in the court within 3 weeks. The Secre-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

tary to the Government of Rajasthan. Public Health Engineering Department will comply with the mandamus issde by the court. in the above mentioned/writ petition witnin 3 months." यह आपके खिलाफ फैसला हुआ उसके बाद भी पता नहीं कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। कोर्ट में फाइन जमा कराया या नहीं कराया उसके खिलाफ मेरी जानकारी में नहीं है कि उसके खिलाफ डी. बी. में गये हैं या नहीं। इतना करने के बाद मैं समझती हूं कि आप एक रुपया जमा करा देते। 300 रुपया कास्ट का देते तो इसके लिए हजारों रुपये खर्च करेंगे यह प्रवृत्ति गलत है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरीके से यदि कोई भी सरकार ऐसा करेगी स्ट्रिक्चर पास होंगे तो आप अच्छी परम्परा आप विभाग में नहीं डाल रहे हैं।

उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने अपने जो कटौती के प्रस्ताव दिये हैं उन कटौती के प्रस्ताव के बारे में मुझे निवेदन करना है कि अभी भी मेरे अकेले एक निर्वाचन क्षेत्र में पिछली बार आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनसे यह कहलवाया था कि चूरू गंगानगर और झुंझुनू के समस्याग्रस्त 353 गांवों के लिए हम राजस्थान कैनाल जो अब इन्दिरा गांधी कैनाल है से पानी लायेंगे। जर्मन सरकार से सहायता लेकर और उसके लिए आपने भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिये। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब गोविन्दवल्लभ पंत ने जो उस समय के होम मिनिस्टर थे, उस समय की राजस्थान कैनाल और आज की इन्दिरा गांधी कैनाल का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के समय उन्होंने कहा था कि यह मरु गंगा न केवल इस प्रदेश की सिंचाई का साधन बनेगी बल्कि उन गांवों में जहां पीने का खारा पानी है, जहां समस्याग्रस्त गांव हैं उन गांवों में भी पीने का पानी पहुंचाया जायेगा। हमें बड़ी आशा की किरण दिखाई थी और हमें लगा था कि चाहे हम मरु प्रदेश में पैदा हुए यह हमारा दुर्भाग्य हो लेकिन शायद हमारे दिन बदलने वाले हैं लेकिन हमारी आशाओं पर तुषारापात हो गया कि जब आपने गवर्नर साहब से कहलाने के बाद भी एक इंच इस क्षेत्र में प्रगति नहीं की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपना उत्तर देते समय कृपया यह तो बतायें कि कब तक हम यों ही पानी के लिये तरसते रहेंगे कब तक हम पानी के लिए यों ही इन्तजार करते रहेंगे। आज भी झुंझुनूं जिले के अन्दर कम से कम 150 गांव ऐसे होंगे रेवेन्यु विलेज ऐसे होंगे, छोटे मजरे और ढाणियों की बात नहीं कर रही हूं। कम से कम 150 रेवेन्यु विलेज ऐसे होंगे, बात नहीं, जिन गांवों के अन्दर पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं है और इसके साथ साथ यह भी निवेदन कर देना चाहती हूं कि जो आपकी रीजनल स्कीम्स हैं वह आपकी सब गांवों के अन्दर पानी पहुंचाने में अक्षम और असमर्थ हैं। उनमें एक गांव से दूसरे गांव में जहां पानी जाता है तो या तो बीच से पाइप टूट जाते हैं और पाइप नहीं टूटते हैं तो लोग पानी के लिए पाइप तोड़ लेते हैं और दूसरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है इसलिए आप रीजनल स्कीम तो अलावा उन गांवों के जहां आपको पानी नहीं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मिलता है, वाटर जहां पर नहीं है वहां तो आप बाड़मेर जैसे इलाके में रीजनल स्कीम बनायें यह एक अलग बात है बाकी और जगह जहां पर पानी है यह स्कीम नहीं बनायें क्योंकि दूसरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए इन रीजनल स्कीम्स की बात आप छोड़ दो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह निवेदन करना है। (व्यवधान) ठहरिये अभी तो नगर आयोजना पर आ रही हूं ठीक है मैं ध्यान रखूंगी कि आप जाना चाहते हैं। मैं अपनी बात खत्म कर रही हूं केवल नगर आयोजना के बारे में कह रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जयपुर विकास प्राधिकरण के बारे में यह कहना है कि किसके विकास के लिए किसका विकास करना चाहते हैं किसका विनाश करके किसानों का विनाश करके जयपुर का विकास करना चाहते हैं आप बताइये इतनी बड़ी आबादी के लिए आप कहां से दूध लायेंगे और कहां से वेजीटेबल लायेंगे कहां से फल फ्रूट मिलेंगे। जो इतना उपजाऊ इलाका है जयपुर के आस पास का सांगानेर का इधर जोबनेर जाने वाली रोड़ पर कालवाड़ वाली रोड़ पर चौमूं तक का चारों तरफ बड़ा उपजाऊ इलाका है आप बम्बई की तरह से होरिजेण्टल मकानों के बजाय वर्टिकल मकान बनाइये। मंत्री महोदय यह वर्टिकल हाऊसेज जब बनायेंगे तो ही लोगों को विनाश से बचा सकेंगे वर्ना आप किसे उजाड़कर किसे बसाना चाहते हो। मैं तो कहती हूं इसका नाम जयपुर विकास प्राधिकरण नहीं होना चाहिए।

इसका नाम जयपुर विनाश प्राधिकरण होना चाहिए क्योंकि विनाश तो कर रहे हो, उन लोगों का जिनकी उपजाऊ जमीन सस्ते दामों पर लेकर के आप दूसरे को महंगे दामों पर दे रहे हो और गरीबों का हक आप मार रहे हो। उनको मजबूर कर रहे हो आप पत्थर ढोने के लिए। कि जिनका पुश्तैनी काम छीनकर के कहां जायेंगे वह क्या करेंगे जयपुर में जहां नयी-नयी इमारतें बनेंगी वहां पत्थर ढोने का काम करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्रीजी को जयपुर विकास प्राधिकरण का एक नमूना भी बताना चाहती हूं कि इसका नाम जयपुर विकास प्राधिकरण से जयपुर विनाश प्राधिकरण रख दीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कोई मिस्टर भौंरीलाल हैं जो मानसरोवर के अन्दर जिन्होंने मकान लिया है उसके आगे जो मकान है जिसका नम्बर 44/45 है। यह 44/45 जो मकान है यह किसी धर्मदास का मकान है और उन्होंने जब वह इनके मकान के आगे दुकानें बनाने लगे तो मंत्री जी को शिकायत की तो मंत्रीजी ने आदेश किया सेक्रेटरी जे. डी. ए. को "फार इमीजिएट एक्शन" और यह 15.11.91 को उन्होंने यह आदेश दिये। उसके बाद जे. डी. ए. ने इन धर्मदास को नोटिस दिया। "नोटिस रिकार्डिंग अन अथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन इन हाउस नम्बर 44/45 मानसरोवर स्कीम, जयपुर।" आज दिन तक कुछ नहीं हुआ वह गरीब भौंरीलाल जिसे मैं तो जानती भी नहीं लेकिन मुझे कल यह देकर गया था और उसने मुझे कहा कि यह देखिए मंत्रीजी ने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आदेश कर दिये हैं मंत्रीजी के आदेश की पालना नहीं हो रही है। मंत्रीजी आप तो ईमानदार हो, योग्य हो फिर आपके विभाग में इस तरह की बात चलेगी तो और विभागों का तो क्या होगा ? और विभागों का तो हाल ही खराब होगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस बात का आपको तो अनुभव है, आप भी मंत्री रह चुकी हैं।

श्री मदन दिलावर : यह कोई गम्भीर है क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं यह बिलकुल गम्भीर नहीं है। लेकिन, गम्भीर मेरे लिए हो गया है गम्भीर मेरे लिए हो गया है, गम्भीर मेरे लिए इसलिए हो गया कि 1967 में जब मैं मिनिस्टर थी, मैं केवल स्टेट मिनिस्टर थी लेकिन उस समय भी हमें कभी याद नहीं आता कि हम ने कोई आदेश दिया और चार दिन में उसकी कम्पलाइयंस नहीं हुई हो। इसलिए मुझे बहुत सीरीयस लगी यह बात।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो उस समय के लोग बतायेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह मैं आप कहो तो दे दूं आपको मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जी दे दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको नहीं चाहिये तो ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दे दीजिये। आप तो क्या करेंगी इसका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपको दे दूंगी। यह मैं आपको इस उम्मीद के साथ दूंगी कि आप इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। यदि कार्यवाही नहीं हुई तो लेना और देना तो बेकार हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : निश्चित रूप से करूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ माननीय ···· (व्यवधान) ···· पूरी बात तो कह लेने दीजिये, मुझे। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पांचों कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करती हूं और माननीय मंत्री महोदय से यह उम्मीद रखती हूं कि वह इन सब कटौती प्रस्तावों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी का संक्षिप्त उत्तर सुनना चाहेंगे कि विस्तृत।

अनेक माननीय सदस्य : संक्षिप्त।

श्री रामकिशन : एक तो मैं यह चाहता हूं .. (व्यवधान) मेरा नाम भी नहीं है, मुझे बोलना भी नहीं है पर मैं एक दो बात मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं। एक तो मैं मंत्रीजी से यह जानकारी करना चाहता हूं कि जब वह बोलें तब यह बतायें कि नगर पालिकाओं में काफी स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। मेरी जानकारी में मंत्रीजी भी चाहते हैं कि यह भर्ती हो जाए। (व्यवधान) आप बीच में मत बोलिए। काफी दिन से आपके पास पड़े हुए हैं और हजारों लोगों से दरख्वास्तें ले लीं और लाखों रुपया इकट्ठा कर लिया और आज दिन तक इनके इण्टरव्यू नहीं हो रहे हैं।

(श्री रामकिशन)

दूसरा मैं जिन नगर पालिकाओं को तोड़ा था, जैसे मनोहरपुर की नगरपालिका को तोड़ा था उनके कर्मचारियों को एब्जार्च कर लिया जयपुर में और वहां नई भर्ती कर ली तो इस तरह के मामले हैं उनको मन्त्री जी को दुरुस्त करना चाहिये। एक जानकारी यह भी चाहता हूं कि जहां नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हुए। क्या सरकार वहां चुनाव कराने का इरादा रखती है और नहीं रखती है तो जिनमें, जो बड़ी नगर पालिकायें हैं उनमें पूर्णकालिक प्रशासक अगर रखने का सरकार का इरादा हो तो इसकी भी जानकारी दे दें और एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। उदयपुर में जब आप मानसी वाकल योजना पर काम ही शुरू करने जा रहे हैं तो....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछ कर चले तो नहीं जायेंगे आप।

श्री रामकिशन : ना, ना बैठूंगा। मैं तो केवल उनके जवाब के लिए बैठा हूं। तो फिर एक समस्या आप क्यों ला रहे हैं क्योंकि वहां आदिवासियों में बड़ा भारी आक्रोष है और पांच बार तो मैं भी वहां पर जा चुका हूं तो इन तीन चार बातों को बोलने से पहले मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, दोनों का साथ ही जवाब दे दीजिए।

मांग संख्या 27 व 29 का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार के सुझाव दिये हैं और प्रस्ताव रखे हैं वह वास्तव में मेरे लिए और विभाग के लिए मार्ग दर्शन का काम करेंगे।

श्री रामकरण सिंह : बशर्ते उनका पालन हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका जवाब तो मैं अलग से दूंगा। आप क्यों बोले वह बाद में बताऊंगा मैं।

श्री रामकरण सिंह : मैं एम. एल. ए. होने के नाते बोला हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं भी यही कहता हूं।

श्री रामकरण सिंह : आपको मेरे से कोई चिढ़ है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आ गई ना बात।

श्री रामकरण सिंह : कोई चिढ़ है आपको जो आपकी भाषा से जाहिर होती है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जनता ही उसका इलाज करेगी।

श्री अध्यक्ष : उसका इलाज मेरे पास है, आप मत बोलिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बिराजें। (व्यवधान) आप इस सार्थक चर्चा को सार्थक ही रहने दें।

श्री डूंगरराम पंवार : जनता हमारा नहीं जनता आपका इलाज करेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने चाहे वह इधर बैठते हो या उधर बैठते हों राजस्थान में पेयजल की गम्भीर समस्या है इसकी चर्चा की है हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां जल सकट अत्यन्त गम्भीर है यह संकट कोई दो साल से आया हो, ऐसा नहीं है। यह संकट बहुत वर्षों से है और इसकी गम्भीरता पिछले दिनों में और इसलिए बढ़ गई कि प्रदेश में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई धरती के पानी का दोहन अत्यधिक हुआ, पानी नीचे चला गया, गहरा हो गया और खारा हो गया। कुओं का पानी सूख गया, यह किसी मनुष्य की गलती है पानी का नीचे चला जाना, खारा हो जाना, चलते हुये कुवे सूख जाना यह मैं समझता हूं यह मनुष्य का दोष नहीं है यह उस भगवान की कुछ कुकृपा और जैसा माननीय रामस्वरूप जी कह रहे थे वह कोई कारण ढूंढकर लाये कहीं से कि लोगों का चरित्र गिर गया इसलिए पानी का स्तर भी गिर गया। उनकी बात इसलिये भी माननी चाहिये कि वह हनुमान जी के जाकर आते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : वहां का ऐसा ही प्रभाव है।

श्री भंवरलाल शर्मा : और मेरे लिये यह भी बोला कि आप वहां असत्य बोलेंगे तो भूत बनोगे।

श्री अध्यक्ष : वह यह भी जानते हैं कि आप भी जाते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मैं जाता हूं। लेकिन आप यहां पर असत्य बोलोगे तो आप क्या बनोगे। मैंने तो कोई असत्य नहीं बोला।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप वहां पर घोषणा करके आये थे वह....

श्री भंवरलाल शर्मा : देखो अपने हो गई सुबह-सुबह बात। जरा शांति से सुनिये आप। मैंने कभी वहां जाकर यह नहीं कहा कि टंकी बनाऊंगा यह जरूर कहा था पहले कि यहां पर पाइप लाइन नहीं है वह डलेगी और आपको जानकारी के लिये कहता हूं कि सबसे पहला काम इस सरकार ने विभाग ने किया है तो पहले वहां पाइप लाइन डालने का काम किया था। अब आपने उसको टंकी से जोड़ दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : रामकिशोरजी ने कहा था।

श्री भंवरलाल शर्मा : किसी ने भी कहा हो। खैर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की यह जो समस्या है, इसका कारण निश्चित रूप से यही है। दूसरा हमने पानी का अपव्यय बहुत किया। जितनी पानी की आवश्यकता है, जिससे काम चल सकता है, उससे कई गुना पानी का हम दुरुपयोग करते हैं और परिणाम यह है कि पानी कम होता जा रहा है। पानी कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने निवेदन किया यह समस्या कोई अभी की नहीं है और बहुत जल्दी इसका समाधान हो यह भी लगता नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि राजस्थान में पेयजल की समस्या हैंडपम्प और छोटी मोटी योजनाओं से पूरी नहीं होगी, हमको प्रदेश में नदियों से या बांधों से जो फ्लो वाटर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है वह राजस्थान में लाना होगा। उसके लिए जितनी धनराशि लगेगी वह लगेगी और समय है वह भी लगेगा। पानी की कमी कोई इन्सान पूरा नहीं कर सकता है, मैं यह बात मानता हूं कि जो पानी उपलब्ध हो वह पानी ठीक से मिले, समय पर मिले और सबको मिलना चाहिये, उसके हिसाब से मिले इसके लिये सरकार और प्रयत्न कर सकती है। उस प्रयत्न में सरकार लगी है। लेकिन कई बार दोष किसका होता और दण्ड किसको भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति हमारे विभाग में है। पानी नीचे चला गया संकट खड़ा हो गया। पानी लाने के लिये बिजली चाहिये बिजली नहीं मिली। तो यह किसी को जानकारी नहीं होती कि बिजली नहीं मिलने के कारण पानी नहीं आया और पानी नहीं मिला इसकी शिकायत रहती है और रेगिस्तानी इलाकों में आप लोग भी गये हैं, मैं भी गया हूं; मेरे यह समझ में नहीं आया कि वहां जो खम्बे लगाये जाते हैं बिजली के लिये उनकी गहराई, लम्बाई जो है वह सामान्यतः जिस प्रकार के खम्भे लगते हैं उसी के समान है और परिणाम यह है कि उस धूल में, उस रेगिस्तान में जो पोल गये थोड़ा भी अगर आंधी का झोंका आता है, यह सब हम जानते हैं वहां पर खूब आता है। तो वह बिजली के खम्मे धराशायी हो जाते हैं और कई दिनों तक ठीक नहीं होते जब तक ठीक नहीं होते तब तक हमारा विभाग कुछ कर नहीं सकता है इसलिए वह भी एक बहुत बड़ा व्यवधान रहता है। यद्यपि इस सरकार के आने के बाद और विशेष कर हमारे ऊर्जा मन्त्री जी के परिश्रम से इसमें सुधार आ रहा है। उसके परिणाम भी आ रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि जिस समय यह योजना बनी थी, इस नगर के लिए, इस स्थान के लिये बनी थी उस समय पता नहीं यह ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि आगे आने वाले बीस वर्ष में आगे की योजना बना कर जनसंख्या की इतनी वृद्धि होगी, पानी का उपयोग अधिक होगा उस प्रकार को योजना नहीं बनी और आज वह सारी स्कीम जो आप शिकायत कर रहे थे। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। वह स्कीम छोटी हो गई, जनसंख्या की वृद्धि हो गई, हमारे एरिया बढ़ गये, पानी का उपयोग अधिक बढ़ गया और वह पुरानी योजनायें अब पूरा नहीं कर पा रही है। जो हमने पाइप डाले थे, आखिर किसी न किसी, कोई न कोई सीमा होती है, आयु होती है किसी चीज की। वह पाइप गल गये, छोटे पड़ने लग गये। माननीय सदस्य कह रहे थे उसमें बीच में जंग आ जाता है, रुकावट आ जाती है। अब इन सब बातों के बारे में अगर समय पर चिन्ता की जाती मैं यह बात मानता हूं कि सारे नल एक साथ नहीं बदले जा सकते। लेकिन इनकी आयु मानकर अगर योजना बना दी गई होती, मान लीजिये पानी के नल की आयु 40 साल है तो 35 साल बाद योजना बननी चाहिये थी कि पांच साल बाद पानी का जो नल है यह काम नहीं करेगा इस लिये रिप्लेशमेण्ट करने की योजना विभाग को बनानी चाहिये थी। वह नहीं बनाई और आज समस्या खड़ी हो गई। सब यह कहते हैं कि टंकी छोटी है, नल छोटे पड़ गये और नल पूरे काम नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इन समस्याओं का समाधान एक साल में कोई कर सकता

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है। डिपार्टमेंट चाहे मेरे पास रहे या आप में से कोई ने इसको चलाया हो या रखा हो। व्यवहारिकता है आप दोष चाहे किसी को भी दें पर यह व्यवहारिकता कहीं भी हो उससे निकलना ही पड़ेगा। उस दिन के सुधार के लिये समय भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। लेकिन जैसे मैंने निवेदन किया कि बाहर से फ्लो वाटर जब तक नहीं आयेगा तब तक इस प्रदेश की समस्याओं का समाधान तात्कालिक रूप से हो सकेगा लेकिन लम्बे परिप्रेक्ष्य में नहीं। उसके लिए हमारे पास जो पानी उपलब्ध है जिसको हम फ्लो वाटर कह सकते हैं, बाहर से लाया जा सकता है। वह एक है इन्दिरा गांधी नहर का पानी इन्दिरा गांधी नहर का पानी हमारे चूरू गंगानगर, झुन्झुनूं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर इन जिलों के लिये इस पानी का उपयोग हो सकता हैं। अभी हमने इस नहर से जोधपुर तक लिफ्ट योजना से इसको लाने का काम हाथ में लिया हुआ है। यह आपको मालूम होगा कि यह योजना, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा भी था कि यह योजना बहुत पहले प्रारम्भ हुयी थी, 1983 में इसको प्रारम्भ किया गया था और 7 साल में इसको पूरा करना था, मार्च, 1990 में यह पूरी होकर तैयार हो जानी चाहिये थी मतलब यह हुआ कि जब हमारी सरकार आई, हमने जब सरकार बनाई मार्च, 1990 में तो आपके कृत्यों के द्वारा यह हमको तैयार मिलनी चाहिये। फिर क्या हुआ ? मैं उस चर्चा को ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा लेकिन वर्षों तक तो इसी बात का संघर्ष होता रहा कि किस विधायक के क्षेत्र में से यह नहर जाये, इधर से जायेगी तो अमुक विधायक को फायदा नहीं होगा इसलिए उधर से जानी चाहिये और इसी उधेड़बुन में कई साल निकल गये। तो 7 साल के अर्से में उस सरकार ने जो इस पर खर्च किया 31 करोड़ रुपये और हमारी सरकार आने के बाद केवल दो साल में 32 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च किया। सात साल में 31 करोड़ और दो साल में 32 करोड़। इसको क्या प्रगति नहीं मानते। ...

श्री हेतराम बेनीवाल : लम्बाई बताओ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह भी आ जायेगी। यह तो ठीक है, इसको तो आप ठीक मानते हैं ना। मैं किसी की निन्दा करने के लिये या किसी सरकार को नीचा दिखाने के लिये यह आंकड़े नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : मंत्रीजी, गन्धेली साहवा में आपका दो साल का राज हो गया, साढ़े तीन किलोमीटर पाइप लाइन नहीं डाल सके। आप वह बात तो नहीं कहते।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्रीमान, जो हमने नहीं किया वह तो आपने बता ही दिया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : फिर आप कौन सा अच्छा बता रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, आपने एक पक्ष अच्छा रख दिया। हमने जो कुछ नहीं किया उसका तो आपने खूब वर्णन कर दिया। उसका आज दिन भर से वर्णन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हो रहा है जो हमने नहीं किया। पर कृपया जो हमने किया वह भी सुन लीजिये। अगर यह आंकड़े गलत हों तो आप कह दीजिये मुझे।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मेरे वाले तो आप बता ही नहीं रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके आंकड़े तो अभी मैं सुन रहा हूं। मैं तो मेरे आंकड़े बता रहा हूं। आपके गलत होते नहीं हैं और मैं कब कहता हूं गलत है। कैनाल लिंकिंग एवं अर्थ वर्क यह सात साल में आपने किया केवल 40 किलोमीटर और हमने किया 80 किलोमीटर दो साल में।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप धन्यवाद मत दीजिये केवल हमारी स्थिति समझ लीजिये। इसमें धन्यवाद का सवाल नहीं है। इसमें धन्यवाद की बात इसलिये भी नहीं है कि हमारा कर्तव्य है, यह हमारा दायित्व है हम उसको कर रहे हैं। तो जो कुछ कर रहे हैं वह समझ लीजिये। अब एक हैण्ड पम्प खराब पड़ा है, इस मुकदमें में कोई तारीख पड़ गयी। अब यह कोई चर्चा का विषय है, कोई विवाद का विषय है क्या ? 1989 को कोई फैसला हुआ, हमारे आने से पहले कोर्ट से उसका फैसला हो गया। उसमें कुछ कार्यवाही करनी चाहिये थी, नहीं की होगी। अब जो वर्तमान में आये उनको जुर्माना करना था। क्या कसूर था उस आदमी का ? उसमें 1989 का निर्णय है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह फैसला ऐसा नहीं है। मेरा निवेदन सुन लो आप। आपकी सरकार के खिलाफ मान हानि का जो केस रिट पिटीशन रिट आफ मन्डेमस और उसमें हाई कोर्ट के निर्णय की अनुपालना सरकार ने नहीं की और मान हानि का है उसमें जुर्माना हुआ है। यह क्षोभ है। न्यायपालिका पर कभी आपकी सरकार ने...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 24 जुलाई, 1989 को हुआ है यह।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसकी प्रशंसा नहीं करता। यह निर्णय आपने मुझे पढ़ कर सुनाया है, यह 1989 का बताया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 1989 का निर्णय था एडहोक के बारे में और यह जो दूसरा हुआ है वह 1991 में ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसको मिक्स-अप मत करिये। यह दो निर्णय अलग-अलग हुये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : समझ रहा हूं मैं, आप भी एडवोकेट हो। 1989 में कोई निर्णय हुआ, निर्णय तो 1989 का ही था न ? जिसकी अनुपालना होनी थी। नहीं हुई न ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट के निर्णय की अनुपालना होनी चाहिए अगर कोर्ट के निर्णय की अनुपालना नहीं हो रही है तो यह कोर्ट की अवमानना है। हमारी प्रजातान्त्रिक प्रणाली में अगर सरकार द्वारा कोर्ट की अवहेलना की जाती है तो यह एक क्षोभ का विषय है, बहुत गम्भीर विषय है। आप इसको देखें....

श्री भंवरलाल शर्मा : माना पर किसके लिए....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फैसला तो 1989 का है पर 90 में तो आप पधार गये थे न।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही मैं कह रहा हूं आपको, माननीय सुमित्रा जी आप भी मंत्री रही हैं ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सवाल मेरे या आपके मंत्री रहने का नहीं है सवाल यह है कि अक्टूबर, 89 में जो फैसला हुआ, 90 में आप पधार गये थे मंत्री बन गये थे आपको करना चाहिए था न....

श्री भंवरलाल शर्मा : आते ही हमने वह फैसला निकाला होगा। आते ही पहले यह काम किया होगा... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप फैक्ट्स को डाइल्यूट कर रहे हैं। मैं एक निवेदन करूं कोर्ट के निर्णय की अनुपालना के लिए चीफ सैक्रेट्री राजस्थान और स्पेशल सैक्रेट्री डी.ओ.पी. ने तीनों डिपार्टमेंट को लेटर्स जारी किये हैं (व्यवधान)....चीफ सैक्रेट्री के आदेशों की अनुपालना, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं की है, यह आरोप है हमारा....

एक माननीय सदस्य : यह विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिये....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इन्ट्रप्शन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा मेरी मांग आप पास कर दीजिये, अगर मान लो वह सुनने को तैयार नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : मैं यही चाहता हूं कि सब लोग कहें कि मांग पास कर दो....

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आप सुनने के मूड में नहीं है....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दीजिये, यह क्या बात हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब जवाब देना नहीं चाहते, जवाब है नहीं....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय मंत्री जी, यदि आप अपनी ही बात कहना चाहते हैं तो टोंट मत करिये, सीधी-सीधी आप अपनी बात कहते जाइये, आपने जो किया है वह कहते जाइये, कोई नहीं बोलेगा, सब बात आ जायेगी....

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सारी चर्चा में अगर यही चित्र उपस्थित किया जाये कि हमारे अधिकारी या हमारे विभाग ने, सरकार ने कोई काम नहीं किया ..

श्री अध्यक्ष : आप अपना काम बता दीजिये....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अगर एक पक्ष अखबारों में जाता है, जनता के सामने आता है और मैं यहां खड़ा होकर नहीं बोलूं तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : जरूर बोलिए आप....

श्री भंवरलाल शर्मा : आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली दैट ...

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : जो काम नहीं

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

हुए हैं वह हम भी बताएंगे। अब अगर आप उस सरकार की कह रहे हैं तो फिर आपको सुनना पड़ेगा फिर हमें मौका देना चाहिये....

श्री भंवरलाल शर्मा : इस नहर पर कुछ पुलिया बननी थीं, एक्वीजीशन के मामले पड़े हुए थे, वह एक्वीजीशन के मामले इस सरकार के आने के बाद आज कोई मामला एक-आध को छोड़कर ऐसा नहीं है जो हमने लैण्ड ले ली और पेमेंट कर दिया। इस एक्वीजीशन के चक्कर में ही कई वर्षों तक मामला लटका रहा। तो कितने संकटों में से काम करना पड़ता है उसके बाद इतनी प्रोग्रेस की है और फिर भी अगर मैं मेरे अधिकारियों को यह कहूं या कोई कहे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया या लापरवाही बरती है, मैं समझता हूं यह न्याय नहीं है। इसी प्रकार बीसलपुर का मामला आप ले लीजिये। बीसलपुर के मामले में 1987–88, 1988–89, 1989–90 इसमें आपने 29 करोड़ रुपया खर्च किया और इस सरकार ने दो साल में 24 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपने 24 किलोमीटर पाइप बिछाई हमने दो साल में 39 किलोमीटर पाइप बिछाई। फिल्टर प्लाण्ट बनने थे आपने कोई काम उस जमाने में नहीं किया शून्य था। अब वह काम चालू हो गया है और बहुत जल्दी कम्पलीट होगा। पम्पिंग स्टेशन जोगे, हमने काम चालू कर दिया। कार्य प्रगति पर है। बिजली की लाइन कुछ नहीं थी उस पर समय और अब कार्य पूरा होने वाला है। इन दो-तीन बातों को मैंने केवल इसलिए आपके सामने रखा है ताकि जो कुछ हमने किया है सदन के सामने वह जैसे एक एकाउण्ट पेश करता है, फर्म का एक कर्मचारी, उस तरह से मैंने आपके सामने रखा है। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं इसमें आपको लगता है कहीं डिले हुई है कहीं ढिलाई बरती गई है कहीं व्यक्ति नहीं है तो उस व्यक्ति को लाने के लिए मैं और मेरा विभाग बिल्कुल तैयार है, आप कभी भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपका स्वागत करूंगा।

पानी की आवश्यकता को सरकार ने बहुत गम्भीर माना है और इसलिए हर सम्भव कदम यह उठाये गये है इस समस्या से कैसे निपटा जाये, कैसे समाधान किया जाये ? आप सभी माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि तीस जिले और तीस काम यह सरकार की एक योजना है। इस योजना में 9 जिले ऐसे हैं जिनको तीस जिले तीस काम के अन्दर लिया गया है यह इस बात का सबूत है कि पानी की इस आवश्यकता को, कठिनाई को, कितनी प्राथमिकता देते हैं। 30 जिलों में से 9 जिले लिये हैं सारे जिले तो समस्याग्रस्त हैं नहीं। लेकिन 30 में से जो 9 हैं उनमें एक तो भरतपुर को, 65.96 की योजना है, भीलवाड़ा 71.80, बीकानेर 67.88, चित्तौड़ 71.92, चूरू 70.44, धौलपुर 29.76 झालावाड़ 43.80, नागौर 90.40, सवाई माधोपुर 93.8....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप झुन्झुनूं को भूल गये। झुन्झुनूं के समस्याग्रस्त गांव हैं, कैसे काम चलेगा। यहां के लिए पिछले वर्ष आपने 353 गांवों की योजना बनाई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्या, यह वह जिले हैं जो तीस जिले तीस काम

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के अन्दर हैं बाकी विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, विभाग ने इसको अपने काम करने में से निकाला नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन जिलों को तो आपने प्रिफरेन्स दे ही दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि मेरे लिए अब बोलने का अधिक समय नहीं है लेकिन फिर भी कुछ बातें उचित समझता हूं। इस सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम गरीब को गणेश मानते हैं जो गरीब और पिछड़ा है उसकी सेवा में हम प्रथम प्राथमिकता देंगे। उस योजना के अन्तर्गत शिड्यूल्ड कास्ट की जो बस्तियां हैं और जो ग्रामीण लोग गांवों में रहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति की बस्तियां 1991-92 में हमने एक हजार को लाभान्वित किया है। 1989-90 में जबकि वह एक भी लाभान्वित नहीं थे। जो गरीब ढाणी में रहता है उस एक ढाणी को भी आपने 1989-90 में लाभान्वित नहीं किया हमने पांच सौ गुना लाभान्वित किया है....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : जैसे लूणकरणसर....

श्री अध्यक्ष : प्लीज, अब आप काहे को बोल रहे हैं। जब वह अपना हिसाब दे रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं। अब सुनिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प खोदने का जहां तक काम है, माननीय सदस्य ने कहा कि एक हैण्डपम्प भी मैं कहता हूं तब खुदता है। इतना बड़ा प्रशासन तो कोई कर नहीं सकता कि राजस्थान में एक हैण्ड पम्प भी मुझसे पूछकर खुदेगा। अगर यह बात किसी बच्चे को कही जाय....

श्री रामकरण सिंह : इस बारे में मेरा यह कथन है कि माननीय मन्त्रीजी यह कहें कि एक्स ई.एन. और एस.ई. को अधिकार है क्या। अगर अधिकार है तो मैं मान लूंगा कि मैंने जो कुछ कहा वह सच नहीं कहा। अगर यह अधिकार उनको नहीं है तो फिर आप जो कह रहे हैं वह सच नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पूर्ण अधिकार है। बल्कि हमने यह किया है, इन बातों में जब डिले होती थी, तो हमने अधिकारियों को अधिक पावर दिये हैं। आज हमारे चीफ इन्जीनियर को पांच लाख रुपये सेंक्शन करने का अधिकार है। यह पहले नहीं था। आप एक हैण्ड पम्प की बात करते हैं। अगर यह स्थिति रही तो माननीय सदस्य.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामकरण जी, आप बहस मत करिये।

श्री रामकरण सिंह : मैं बहस नहीं कर रहा। मैं तो केवल यह कह रहा हूं, माननीय मंत्रीजी ने यह कहा था कि मैं जानता हू कि आप इस तरह क्यों कह रहे हो। माननीय अध्यक्षजी, यह बता दें मंत्रीजी कि मैं क्यों कह रहा हू, यदि उनको मालूम है तो।

श्री अध्यक्ष : ये बता रहे हैं सब, आप सुन कहां रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, बता नहीं रहे हैं न। उसको छुपाना मत, बताना।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। वे अपने हिसाब से बताएंगे आपके हिसाब से नहीं बताएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए बता रहे हैं कि जब ये हैण्ड पम्प हम पास करते हैं बजट पास करते हैं तो कुछ हैण्ड पम्प मंत्री या सरकार के डिस्क्रिशन पर रहते हैं। जैसे, आप ही पधारे या मैंने अनुभव किया कि आवश्यकता है, तो एक हैण्ड पम्प की पावर मेरे पास रहनी चाहिए न। उस पावर में आप यह समझ गये कि सारे मेरे पास ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बचाकर रखते हैं हम भी थोड़ा-सा।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज तक का रिकार्ड तो यही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 1991-92 में हमने हैण्ड पम्प ड्रिल किये हैं नये 3935। अगर यह अधिकार मेरे को होता अकेले को, तो यह सम्भव नहीं था। आपका सोचना भी ठीक है। जो मैंने कहा था कि आप क्यों कह रहे हो और मैं बाद में बताऊंगा, वह बात यह है कि कुछ अधिकार मेरे पास है और वे इसीलिए हैं कि जब कभी माननीय सदस्य पधारें या मैं अनुभव करूं कि यह कठिनाई कहीं है तो एक-आध हैण्ड पम्प मैं दे दूं। इतना ही पावर रखने की बात है बाकी कोई मेरे पास पावर नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : धन्यवाद। तब तो हम आप से ले लेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी। मंत्रीजी आज के दिन ही पूरा कर लें अपना भाषण।

श्री अध्यक्ष : आप बोलने तो दे नहीं रहे हो और कह रहे हो पूरा कर लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां एक प्रश्न बहुत जोर से उठा है। वह यह कि पाइप परचेज में आपने देरी की और ठीक नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी विषय में कोई बात हो गयी है तो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। आपने शंकाएं प्रकट की हैं तो मैं उसमें जांच भी करा सकता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कराइये न, जो डिले की है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस बारे में जिसने भी की हो। मेरे लिए ही नहीं। उसके कारण देख लीजिए आप।

श्री केदारनाथ शर्मा : व्यक्तिगत आपके ऊपर नहीं है वह।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे पर नहीं कहा पर जहां भी जिसके लिए भी कहा उनके लिए कह रहा हूं (व्यवधान).... पहले मेरी बात सुन लें। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ बात है तो मैं उससे इन्कार नहीं करता।

आपको ध्यान होगा कि पिछली बार बजट का झमेला हुआ। प्राइसेज कितनी ऊंची चली गयी थीं, इम्पोर्ट बन्द हो गया। जो पाइप बना सकते थे उनको मैटेरियल नहीं मिला। उस परिस्थिति में लोगों ने कहा, टेण्डर-वेण्डर तुम्हारा हुआ होगा, आपने कुछ भी फैसला किया पर हमारी स्थिति नहीं है। हमारा दिवाला निकल जाएगा अगर हम माल आपको देंगे तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस प्ली के साथ ये व्यापारी लोग आये। अब दो ही बातें हो सकती थीं। या तो यह तो देते कि जाओ, खत्म करो, हम और किसी से लेंगे। या यह कर सकते थे कि उनसे इस बात पर नेगोशिएट करते कि तुम ऐसा करो कि हमको कुछ माल दो, हम तुमको अधिक आर्डर देंगे, इसको कहीं न कहीं कम्पनसेट कर सकते हैं। ये पाइप देने वाली कम्पनियां कोई ज्यादा नहीं हैं। जिस प्रकार के पाइप चाहिए होते हैं हमको और जितनी मात्रा में, वह कोई हरेक दुकान पर नहीं मिलते हैं। निर्माण होता है, बनाना पड़ता है, समय लगता है उसमें। यह एरर आफ जजमैण्ट हो सकती है। यह भी किया जा सकता था कि अगर आप नहीं देते हो हम नये टेण्डर खोल सकते हैं। इट मे बी एरर आफ जजमैण्ट. यह निर्णय लिया जा सकता था। लेकिन मैं नहीं लेना चाहता था क्योंकि यह सम्भव नहीं होता। जो आपने कहा कि टेण्डर फर्म और फिक्स्ड प्राइस के मांगे थे, दिस इज ए फैक्ट, मांगे गये थे। इसलिए मांगे गये कि फर्म और फिक्स्ड प्राइस की परिपाटी 1987 से चल रही है जब कि हमारा राज नहीं था। उसी को फॉलो करना पड़ा। 1987 से जो प्रथा चल रही थी उस आधार पर ये टेण्डर निकाले गये। वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर मांगे जाने के पश्चात् शर्तों में आधारभूत परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर फर्म और फिक्स्ड प्राइस की शर्त के बावजूद प्राईस वेरिएशन के साथ टेण्डर प्राप्त होने पर पार्टियों को टेण्डर शर्त के अनुसार ही टेण्डर देने को कहा गया। वेरिएशन क्लाज आ गया उसमें। विलम्ब के कारण मेरे जानकारी में जो लाये गये, वह बता रहा हूं मैं।

ए. सी. पाइप के रेट काण्ट्रेक्ट करने में देरी का मुख्य कारण एस्बेस्टस फाइबर के आयात में दिक्कत। सेन्टर गवर्नमेण्ट ने बन्द कर दिया इसका आयात। यह कहा कि फारेन करेंसी किसी के पास है वह तो ला सकता है, वर्ना नहीं ला सकता। नेचुरल था कि सारी स्थिति कम्पनियों को चरमरा गयी।

श्री हेतराम बेनीवाल : इण्डस्ट्रीज को यह था कि सरकार इस मामले में पालिसी रिलेक्स करेगी और आयात में उनको फायदा होगा। यह भी हो सकता था।

श्री राजेन्द्र पारीक : आर्डर कण्डिशनल थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : समझते नहीं आप। क्या पूछा उन्होंने ? क्या पूछा ? बिना समझे ही खड़े हो जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस सारी परिस्थिति में नेगोशिएशन चलते रहे। जैसा टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, हमारे विभाग की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के अधिकार में निहित नहीं है। इसकी डिफरेण्ट स्टेज पर कमेटी बनी हुई है और कमेटी में बैठकर निर्णय करते हैं। एक आदमी रहता है तो शायद शिकायत कुछ ज्यादा रहती है। लेकिन 5-7 व्यक्ति बैठकर जब विचार करते हैं तो उसमें शंकाएं कम रहती हैं और शायद न्याय हो सकता है। जब समिति में कोई निर्णय होता है तो स्वाभाविक है कि उसमें समय लग सकता है। और समय लगा होगा।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह भी कहा गया कि आपने बाहर की फर्म्स को आर्डर दे दिये और राजस्थान की फर्म्स वंचित रह गयीं। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान की एक फर्म के अलावा जितनी फर्म्स थीं उन सब को आदेश दिये हैं। जितनी उनकी कैपेसिटी थी, जितना उन्होंने देने के लिए कहा उतना ही आर्डर दे दिया। उनको कोई नुकसान हुआ हो, उनको आदेश कम दिया हो। यह स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि इतना ही माल दे सकते हैं 31 मार्च तक, उतना ही आर्डर उनको उसी शर्त के साथ दिया जो औरों को दिया। श्री पाइप जिसकी आप बात करते हो और जिसके लिए आपने कल भी प्रश्न उठाया था, इसके साथ भी यही शर्त थी। अगर आप मानते हो कि आप भी पाइप दे सकते हो। उन्होंने उसको माना नहीं और हाईकोर्ट चले गये। जो निर्णय हमने किये थे उनके विरुद्ध हाइकोर्ट में रिट लगा दी। और उनको स्टे मिल गया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो बिन्दु आपने रखे वही बिन्दु हाईकोर्ट के सामने रेज किये गये। हाईकोर्ट ने उनके स्टे आर्डर को खारिज कर दिया, उनकी बात को सही नहीं माना। हमारे निर्णय को ठीक मान लिया। उसके बावजूद भी इसमें बंगलिंग का आपको सन्देह हो तो आप मुझे अलग से समझा दें।

श्री हेतराम बेनीवाल : उनकी प्ली और थी। श्री पाइप ने आपके लिए आर्डर की बात की थी। हम वह बात नहीं कर रहे हैं। हम यह बात कर रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने टेण्डर देने में, नेगोशिएशन करने में देरी की उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे पास जो उत्तर है वह यह है कि देरी के कारण ये बताये जाते हैं। अगर अपन कन्विंस्ड हैं कि प्राइसेज बढ़ गयीं, उनके पास माल ही नहीं था, बाहर से आयात बन्द हो गया, उस परिस्थिति में वे माल नहीं दे सके और वही लगातार हमारे सप्लायर्स हैं। अगर उनको हम आज बन्द कर देते हैं तो हमको तो एक पाइप भी देने वाला कोई नहीं है। उस परिस्थिति में। मैंने पहले निवेदन किया, इट कैन बी एन एरर आफ जजमेंट, आप होते या मैं होता तो यह कह सकता था कि कुछ नहीं, नये टेण्डर खुलाओ। या यह हो सकता था कि इनसे बात तो करो ताकि कम से कम इस रेट पर माल तो आ जाय। इसमें फिर भी लगता है कि जान बूझकर कोई बात हुई है तो कहां दिक्कत है। आप मुझे जब कहेंगे, मेरे साथ बैठ जायं, सारे कागज देख लें। आपको लगता हो कि इसमें जांच की आवश्यकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत सारी करने की है, लेकिन कुछ बातें....(व्यवधान)....Within five minutes I will complete.

कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें वास्तव में बड़ी दिक्कत होती है और उनमें कुछ समाधान की आवश्यकता है प्रशासनिक दृष्टि से। यह टी. एस. एस. है। टी. एस. एस. में क्या होता है कि बिजली का पैसा तो हम देते हैं, पेमेण्ट हम करते हैं और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आदमी पंचायत रखती है। जब मोटर जल जाती है तब ऐसा कोई साधन नहीं होता जिसमें पंचायत वाला व्यक्ति उसको ठीक करा सके। बहुत नीतिगत बात है, हमने अभी यह तय किया है कि गर्मी-गर्मी में हमारा विभाग उसकी देखरेख करेगा। यदि कहीं मोटर खराब हो तो उसको ठीक कराने का काम भी वही करेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : पूरा ही कर लो, गर्मी-सर्दी सब।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह नीतिगत बात होगी। हैण्ड पम्प रिपेयर की बात आप करते हैं, हैण्ड पम्प रिपेयर पंचायत करती हैं। लेकिन इस फरवरी से, आगे आने वाली गर्मी का ध्यान रखकर यह काम डिपार्टमेण्ट करता है और फरवरी से यह काम चालू हो गया है। जैसे ही यह अभियान पूरा होगा, आपको लगेगा और हैण्ड पम्प खराब होने की जो शिकायत है वह नहीं रहेगी। हैण्ड पम्प के बारे में आप सभी जानते हैं कि हैण्ड पम्प कभी भी विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। अभी काम कर रहा है, आधा घण्टे में खराब हो सकता है। उस गांव में मशीन ठीक करने वाला आदमी जा कर आता है, 4 घण्टे में ठीक करता है और जो दो वहां पर काम कर रहे हैं वह आधे घण्टे में खराब हो जाते हैं। यह ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस दौरान में यह काम करेंगे। दूसरी प्राब्लम यह रहती है कि आपके स्टेण्ड बाई मोटर वह रहती नहीं है, कम ही रहती हैं और पुरानी बड़ी मोटरें हैं उन्हें कभी पलटा नहीं, उनकी लाइफ खतम हो गई। तो कोशिश यह करेंगे कि स्टेण्ड बाई पम्पस भी यथा सम्भव उपलब्ध करवा दें ताकि जब कभी भी ऐसी स्थिति आये तो उनको वहां रिप्लेस करके, ठीक करवाने के लिये ले जाया जा सके। यह दो बातें अगर की तो जो तकलीफ हमको गांवों में आती है, दूर से दूर आती है मैं समझता हूं कि उसका समाधान हो सकता है। इस बात की हमने कोशिश की है।

इसके अलावा भी और कुछ सुझाव हो सकते हैं आगे आने वाली गर्मी में निपट सकते हैं इन समस्याओं से और उनका समाधान कर सकते हैं। मैंने अभी माननीय सदस्यों को जिलेवार बुलवा कर अधिकारियों के स्तर पर चर्चा की है। हालांकि हमारे माननीय सदस्य जो सुजानगढ़ से आते हैं पुराने मित्र हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुजानगढ़ से नहीं राजगढ़ से आने वाले।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं राजगढ़ वालों की नहीं सुजानगढ़ की बात कर रहा हूं। सुजानगढ़ वालों ने कहा कि साहब क्या गुड़ की सी बात कर दी और गुड़ नहीं दिया। अब इसमें भी नाराजगी है क्या? आपसे मीठी बात करते हैं वह बुरी बात लगती है आपको। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे जिले को तो नहीं बुलाया।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मीठी ही बात करनी थी तो आपको वहां पर बुलवाने की जरूरत नहीं थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे जिले को तो नहीं बुलाया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब के बुलवाऊंगा। इस विधान सभा के चलते-चलते मैं सभी जिलों से बात करूंगा और अधिकारियों को इसलिए बुलवाता हूं, कि कई बार अधिकारियों के सामने बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, कई बार जानकारी मुझे नहीं मिलती है और आप लोग जो क्षेत्रों में रहते हैं वह हमारे अधिकारियों से कई मायने में ज्यादा ज्ञान रखते हैं, ज्यादा ज्ञान रखते हैं और ज्यादा समाधान रखते हैं, उसका लाभ मुझे मिले इसलिए मैंने आपको बुलाया है। अब उसको भी आप मीठी गोली मानते हैं तो मैं बन्द तो करूंगा नहीं बाकी लोगों को बुलवाऊंगा, और जितना ज्ञान और लाभ मुझे लेना है वह मैं लूंगा।....(व्यवधान)....यह उस चर्चा में से ही सारी बातें निकली हैं, यह आपके सुझावों में से ही सारे बातें आई हैं।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आपको तो काम्पोज चाहिए मीठी गोली नहीं चाहिए। ताकि आप ऊंघते रहें और बाकी सब बात हो जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं जलदाय विभाग की बात तो पूरी करता हूं और अब जो दूसरा विभाग है "नगर आयोजना" का, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो, मैं जयपुर को विशेषकर ले लेता हूं। जयपुर में जो विकास कार्य हो रहे हैं वह सब उसको देख रहे हैं। सबने उसकी प्रशंसा भी की है लेकिन माननीय सदस्या ने कहा कि दो महीने से पैर में चोट है और वह हॉस्पिटल में थीं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : चार महीने से।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, चार महीने से हॉस्पिटल में थी, और यह काम हुए हैं चार महीनों में ही....

श्रीमती उजला अरोड़ा : 25 नवम्बर से आपकी मेहरबानी से।....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं उसको अपना दुर्भाग्य मानता हूं ....

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या लगता है, एक दिन और बढ़ा दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो काम जयपुर में हुए उन्हें देखने का अवसर मिला नहीं इसलिए आपने इतनी सारी बातें कह दीं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मेरी बात का जवाब नहीं है। मंत्री महोदय, यह मेरी बात का जवाब नहीं है, मेरी बातों का जवाब आप दें ...

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, देता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं तो ठीक है आप पर जो आरोप हैं, वह हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने स्वीकारा है आरोप को, आरोप रहने दीजिए आप।

मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत बड़ी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समस्या थी कृषि भूमि पर आवासीय मकानों की बहुत बड़ी समस्या है, कई वर्षों से यह समस्या लटकी पड़ी थी और जब यह सरकार आई तो इस समस्या को प्राथमिकता देकर के जिस व्यक्ति ने मकान बना लिया, किसी ने अपनी पत्नी के जेवर बेचे होंगे, किसी ने पैसे कमाई करके मकान खड़े कर लिए और वह जमीन वह है जो उसकी नहीं है, उसकी जानकारी में नहीं था कि यह जमीन मेरी नहीं है। इन मकानों को तोड़ा जाय ऐसी कोई संवेदनशील सरकार कर नहीं सकती। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें यह घोषणा की थी और उसके तुरन्त पश्चात् उसका समाधान ढूढने के लिए राजस्व मण्डल के अध्यक्ष तत्कालीन उनको यह काम दिया था उसका वर्णन आ चुका है इसलिए मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अब स्थिति यह आई है कि उसका हमने निपटारा कर दिया कि जिस व्यक्ति ने, मतलब मेम्बर ने भी वह जमीन खरीद ली है जिसमें टाइटिल का विवाद नहीं है। टाइटिल के विवाद से मतलब यह है कि जो काश्तकार की जमीन है, सोसाइटी ने खरीदी है और सोसाइटी ने मेम्बर को दे दी 100 रुपये लेकर तो हम उसको उचित मानेंगे और उसको रेगुलेट करने के आदेश प्रसारित हो गए हैं, अखबार में भी आ गया है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अखबार की बात नहीं है। आप 25 रुपये की घोषणा कर दीजिए जो आपके मन में है और जिसने खरीदी है उनके नियमन की बात करिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बोलने तो दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 542 योजनाओं का तो पहली सरकार का केस है। आपने तो एक भी नहीं करी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे बोलने दीजिए एक मिनट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबारों के जरिए यह बात आ चुकी है।....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बोल रहा हूं भाई। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे पूछ रही हूं, आप जवाब दे दीजिए, अगर हां तो हां, नहीं तो नहीं सही। यह तो क्षमता की बात है ही तो ठीक।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी। प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह हमारे विभाग ने परिपत्र निकाला है उसकी जो रेलवेंट पंक्तियां हैं वह मैं पढ़ना चाहता हूं। विकास शुल्क कितना वसूल किया जायेगा–सरकार ने और हमारे डिपार्टमेंट ने जो आदेश दिए हैं वह सुन लीजिए आप–विकास शुल्क की राशि निम्न प्रकार से दी जाने योग्य होगी–जयपुर के लिए 25 रुपया प्रति वर्ग गज की दर से–यह आदेश निकले थे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यही तो कहलाना था।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आदेश कई

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जगह निकले हैं कहलाना क्या था ? अन्य ....आगे 'पूरा' करने दें, अन्य सम्भागीय मुख्यालयों के शहरों एवं गंगा नगर के लिए 20 रुपया प्रति वर्ग गज, जयपुर में 25 वहां की 20। अन्य जिला मुख्यालयों के नगरों के लिए रुपया 10 प्रति वर्ग गज। यह फैसला कर दिया, अब 10 रुपये से कम तो क्या रखेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : गंगानगर में या और शहरों में ?

श्री भंवरलाल शर्मा : खाली गंगानगर में। गंगानगर के लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विकास शुल्क है (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : कब से है ? 4 मार्च से। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विकास शुल्क है जो विकास किया जाता है अगर सीमेण्ट की बोरी 100 रुपये की है तो कहीं भी आप चले जायं वह 100 रुपये में ही आती है लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार का कमिटमेण्ट था, घोषणायें थीं, कि हम जयपुर शहर में 25 रुपये विकास शुल्क का रखेंगे वह ऐसे ही नहीं चली जाय, हम जो कहते हैं वह करते हैं, यह सरकार जो कहती है वह करती है उस बात को रखने के लिए हमने 25 रुपये रखा है। आज 45 रुपये हैं और महंगाई बढ़ी है उसके बाद 25 रुपये रखने का औचित्य नहीं था लेकिन It is our Commitment and we should honour. शब्दों का मूल्य है, सरकार में विश्वास बना रहे, इसलिये यह काम हुआ।

आप लोगों को शायद यह भी भ्रम है कि जयपुर में जो विकास के काम हो रहे हैं वह सरकार का सारा पैसा यहां आ रहा है। शायद किसी माननीय सदस्य ने कहा भी है, यह भ्रम है आपको। जो पैसा यहां खर्च हो रहा है वह जयपुर नगर पालिका की इन्कम और जे. डी. ए. की जो इन्कम है वही केवल पैसा यहां लग रहा है। बाकी जो पैसा लगता है वह लगता है बाकी विशेष अनुदान जयपुर को नहीं मिलता है। यह आप सब जानते हैं कि नगर पालिका की इन्कम, जिस नगर पालिका में इन्कम होती है वह उसी नगर पालिका में खर्च हो सकती है दूसरी जगह खर्च नहीं हो सकती है। यू. आई. टी. की इन्कम, यू. आई. टी. जहां है वहीं खर्च हो सकती है दूसरी जगह खर्च नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जयपुर की नगर पालिका का पैसा जयपुर की नगर पालिका क्षेत्र में खर्च होता है और जे. डी. ए. का पैसा जे. डी. ए. में खर्च होता है।

अब 13 करोड़ रुपये में एक जमीन बिक गई अब क्या जरूरत है हमें दूसरी जगह से पैसा लेने की। 13 करोड़ रुपये की डील हुई है वह जे. डी. ए. का पैसा है, जे. डी. ए. लगायेगी। जो यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हमारा पैसा लाकर लगा दिया, सारा पैसा लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं लगाया। किसी का जयपुर नगर ने नहीं छीना है और जब तक मैं मन्त्री हूं यह बात कभी होने वाली नहीं है कि कहां और किसी क्षेत्र का पैसा जयपुर में

(श्री भंवरलाल शर्मा)-

लगायें। मगर मौका मिला तो जयपुर ही किसी की सेवा करेगा, जयपुर किसी का पैसा लेगा नहीं।

अब इसमें एक शंका और खड़ी होती है कि जो टाइटिल क्लियर है उनको तो आपने कर दिया लेकिन जो अलसर एक्ट में है, जो सरकारी भूमि पर है, जो लैण्ड एक्वीजिशन में है उसको हमने नहीं किया। कानून बनाना चाहिये था इसका अधिकार सरकार के पास आज भी है। आज भी हम दफा 30 के अन्तर्गत जो अलसर एक्ट में जमीन है उसको जप्त करने का अधिकार सरकार को है, आज भी है। एक्वीजेंस में जब्त करने का अधिकार सरकार को है और आज भी है। इन अधिकारों के साथ कौनसी संस्था' कौनसी जमीन, कौनसी सोसाइटी ऐसी है जो इस परव्यू में आ सकती है उनको यह एग्जम्पशन मिलना चाहिए वह दे देंगे और नहीं आयेगी तो नहीं देंगे। It may differ from case to case, merit to merit. इसलिए कई बार यह भ्रम पैदा होता है कि आपने इतना सा किया बाकी किया ही नहीं। बाकी की जरूरत ही नहीं थी। बाकी के लिए तो कानून आज है उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो डिजर्व करते हैं, और जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको नहीं मिलेगा....

श्री कालीचरण सराफ : 1982 तक का किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 1982 तक किया है उनका और जब आपकी एनालाइसिंग करेंगे तो 1982 के बाद कोई मिलेगा ही नहीं आपको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बैरी कमीशन की सिफारिशें थीं उसमें जो दिया गया कि जो बने हुए मकान हैं उनको तोड़ नहीं सकते हैं इसलिए उनको नियमित किया जाय। यह सभी कालोनीज इसमें आती हैं... जो सीलिंग की है, जो प्रभावित की है....

श्री भंवरलाल शर्मा : कह रहा हूं ना मेरी बात....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने विशेष छूट की बात करी। वह करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार के पास वह अधिकार है। वह सरकार के पास अधिकार आज भी है। मास्टर प्लान की जो प्राब्लम थी वह हम....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ईर्ष्या इसलिए होती है कि जयपुर पर आपने ज्यादा टाइम लिया....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह समस्या जयपुर के लिए नहीं कह रहा हूं मैं मास्टर प्लान....

श्री अध्यक्ष : वह बार-बार खड़ी होंगी जयपुर-जयपुर राजस्थान में और भी शहर हैं। अब आप जयपुर समाप्त करिए और आगे चलिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : अलसर एक्ट को एक्वीजेंसी सारे राजस्थान में लागू है। जयपुर का सवाल है इसमें। मास्टर प्लान का जो व्यवधान था वह भी जो लोकल आथोरिटीज हैं उनको अधिकार दे दिया कि वह आवश्यकतानुसार उसी योजना में मास्टर प्लान में परिवर्तन कर सकते हैं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है। इतना सरल उसको कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस नियम को सरल करने से जो समस्या वर्षों से अटकी हुई थी जिसके लिये आप कहते थे कि यह कालोनी रैगूलर नहीं हो रही है, कर्जे नहीं मिल रहे हैं, पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। आप इसको नक्शे में बनाकर के नियमित मकान में रहिए, अच्छे नागरिक के नाते रहिए, सुख-शान्ति से रहिये यह व्यवस्था सरकार ने कर दी है।

मैं समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जो आप लोगों ने सुझाव मुझे दिए हैं तो मैं आपका....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब आप जब 16 तारीख को आयें तो विचार कर के आयें कि कब तक बैठना है, आप मुझे पहले बता देना।

मांग संख्या 27–पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27–पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4.05,51,11.000/– (चार अरब पांच करोड़ इक्यावन लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

स्वीकृत

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29–नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–29नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,20,54.000/– (पच्चीस करोड़ बीस लाख चौपन हजार) तक राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 16 मार्च, 1992 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि को 11.45 बजे सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 1992 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 364 का विवरण

राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 में चालू विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर सम्मिलित व्यय का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	परियोजना की श्रेणी (राशि लाख रुपयों में)								
		बहुद्देश्य	बांध सुरक्षा	वृहद	मध्यम	आधुनिकीकरण	लघु	बाढ़ नियन्त्रण	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	—	—	—	—	—	180.00	43.00	—	223.00
2.	अलवर	—	—	—	—	—	106.50	—	—	106.50
3.	बांसवाड़ा	—	—	—	—	—	224.00	—	—	224.00
4.	बाड़मेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	बारां	—	—	—	64.00	—	21.00	—	—	85.00
6.	भरतपुर	—	—	210.00	—	—	10.00	20.00	—	240.00
7.	बीकानेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	भीलवाड़ा	—	—	—	102.00	35.00	84.21	—	—	221.21
9.	बूंदी	—	6.00	—	—	—	77.00	—	—	83.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	चित्तौड़गढ़	—	6.00	—	90.00	15.00	248.00	—	—	359.00
11.	चूरू	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	धौलपुर	—	50.00	—	—	—	6.00	—	—	56.00
13.	दौसा	—	—	—	—	—	51.00	—	—	51.00
14.	डूंगरपुर	—	—	—	1500.00	—	—	—	—	1500.00
15.	श्रीगंगानगर	—	—	575.00	—	180.00	—	175.00	—	830.00
16.	जयपुर	—	—	—	—	—	185.00	50.00	—	235.00
17.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	जालोर	—	—	185.00	—	—	20.00	—	—	205.00
19.	झालावाड़	—	—	—	430.00	—	157.00	—	—	687.00
20.	झुन्झुनू	—	—	—	—	—	33.00	0.50	—	33.00
21.	जोधपुर	—	—	—	—	—	14.00	—	—	14.00
22.	कोटा	135.00	90.00	—	251.00	—	1.00	—	—	477.00
23.	नागौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	पाली	—	—	—	—	—	52.00	—	—	52.00
25.	राजसमन्द	—	—	—	—	—	223.00	—	—	223.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	सवाई माधोपुर	—	—	—	200.00	—	8.00	—	—	208.00
27.	सीकर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	सिरोही	—	—	—	—	—	115.54	—	—	115.00
29.	टोंक	—	—	—	—	—	149.50	—	—	149.00
30.	उदयपुर	—	1.00	450.00	130.00	25.00	167.00	1.50	—	774.50
31.	अविभाज्य	—	33.00	—	—	—	550.00	—	400.00	983.00
	योग-	135.00	186.00	1320.00	2867.00	255.00	2682.78	290.00	400.00	8135.75

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

खण्डार व सवाई माधोपुर ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़ना

365. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार चालू वर्ष में पंचायत समिति खण्डार व पंचायत समिति सवाई माधोपुर की कितनी ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़ने का सरकार इरादा रखती है ?

उत्तर

राज्य सरकार ने सड़क से एक कि.मी. दूरी तक के पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सड़क से जोड़ने की घोषणा की थी। चालू वित्तीय वर्ष में पंचायत समिति सवाई माधोपुर को दो तथा पंचायत समिति खण्डार की एक पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने के इरादे से निम्नलिखित स्वीकृतियां जारी की हैं :–

पंचायत मुख्यालय का नाम	कुल लम्बाई कि.मी.	स्वीकृत लम्बाई कि.मी.	स्वीकृति लाखों में	योजना
1	2	3	4	5
पंचायत समिति सवाई माधोपुर				
1– पंचायत मुख्यालय सारसोप (2581)	3	4.00	10.00	न्यूनतम आ. कार्यक्रम
2– पंचायत मुख्यालय चकेरी (1717)	4	3.00	3.00	निर्बन्ध योजना
		4.00	—	कृषि विपणन बोर्ड
पंचायत समिति खण्डार				
1– पंचायत मुख्यालय लहसोड़ा (1756)	13	5.00	10.00	न्यूनतम आ. कार्यक्रम
		7.00	7.00	निर्बन्ध योजना

सुन्धा माता पर्यटन स्थल (जालौर) के विकास की योजना

366. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालौर जिले के सुन्धा पर्वत पर प्रतिवर्ष कितने पर्यटक आते हैं ?

(2) क्या पर्यटन विभाग वहां पर आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध करवाता है ?

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(3) क्या यह सही है कि सुन्धा की पहाड़ी पर महाराणा प्रताप ने अपने संघर्ष के दिनों में वनवास किया था ? यदि हां; तो उस ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा तथा रख-रखाव एवं पर्यटन की दृष्टि से राज्य सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये ?

(4) क्या सुन्धा माता पर्यटन स्थल के विकास हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार योजना बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विभाग के पास इस प्रकार की जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) इस बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) सुन्धा माता के विकास की तो कोई योजना नहीं बनाई गई, अपितु विभाग द्वारा प्रकाशित करवाये जाने वाले पर्यटन साहित्य में इस स्थान का उल्लेख सम्मिलित है।

खनिज फ्लोराइड के खनन पट्टे

367. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में खनिज फ्लोराइड के कितने खनन पट्टे व पी.एल. गत तीन वर्षों में निजी क्षेत्र में स्वीकृत किये गये ? सूचना मय क्षेत्र व पार्टी सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) टेस्टिंग के लिये कितने खनिज की आवश्यकता रहती है तथा पी.एल. में कितना खनिज नियमानुसार ले जाने का प्रावधान होता है ?

(3) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में पी.एल. के एग्रीमेंट में वर्णित खनिज मात्रा से कहीं अधिक खनिज फ्लोराइड ले जाने की अनुमति जारी की है ? यदि हां, तो किन-किन को व कितनी-कितनी मात्रा में और किन परिस्थितियों में दी गई ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन मामलों में अधिक खनिज ले जाने की अनुमति दी गई है उस खनिज की मात्रा का प्रयोग टेस्टिंग के लिए ही हुआ है या खुले बाजार में बिक्री की गई ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में खनिज फ्लोराइड के पिछले 4 वर्षों में निजी क्षेत्र में स्वीकृत किये गये खनन पट्टे व पी.एल. की स्थिति निम्नानुसार है। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

जिला	खनन पट्टे	पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र
1- डूंगरपुर	2	11
2- झुन्झुनू	1	-
3- सिरोही	—	3

(खनिज राज्य मन्त्री)

(2) टेस्टिग हेतु खनिज की मात्रा निश्चित नहीं है। यह टेस्टिग के आकार-प्रकार एवं उद्देश्य पर ही निर्भर होता है। पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र के तहत अनुज्ञा-पत्रधारी नियमानुसार 500 किलोग्राम फ्लोराइड बिना अधिशुल्क भुगतान व 500 किलोग्राम अधिशुल्क भुगतान करके व 1000 किलोग्राम से अधिक राज्य सरकार की अनुमति से ले जा सकता है।

(3) जी नहीं, सरकार ने एग्रीमेंट के अधीन ही आवश्यक स्वीकृतियां जारी की हैं। पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र संविदा के भाग-1 की धारा–2(डी) के अन्तर्गत निम्न दो मामलों में उनके सामने अंकित खनिज की मात्रा अनुज्ञा-पत्र धारियों द्वारा टेस्टिग हेतु मांगने पर ले जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई :–

पार्टी का नाम	क्षेत्र का नाम	खनिज की मात्रा
1– श्री अनिल कुमार जैन	निकट ग्राम बड़ाबेरा तहसील सिरोही।	200 टन फ्लोराइड
2– श्री गोविन्द प्रसाद सोमानी	निकट ग्राम कलदरी तह. सिरोही।	600 टन फ्लोराइड

(4) प्रश्न के खण्ड–3 के उत्तर में वर्णित दो मामलों में स्वीकृतियां एग्रीमेंट के अनुसार ही टेस्टिग हेतु जारी की गई है। श्री अनिलकुमार जैन ने उनको स्वीकृत 2000 टन खनिज फ्लोराइड में से 216 टन खनिज सर्वश्री जय अरावली मिनरल्स कारपोरेशन, जयपुर को निर्गमन किया है। श्री गोविन्द प्रसाद सोमानी ने उनको स्वीकृत 600 टन खनिज फ्लोराइड में से 440.6 टन खनिज सर्वश्री जयपुर कम्पाट्स, जयपुर को निर्गमित किया है, जिसके लिये पार्टी का कहना है कि उन्होंने खनिज टेस्टिग के उद्देश्य से ही निर्गमित किया है। लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

निजी क्षेत्र में खनिज फ्लोर्स्पार के गत चार वर्षों में स्वीकृत खनन पट्टे व पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र की सूची प्रपत्र "ब"

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल	खनिज	स्वीकृति अवधि	विशेष विवरण	परिक्षण हेतु खनिज हटाने की मात्रा	
							अधिशुल्क से मुक्त	अधिशुल्क देने पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सहायक खनिज अभियन्ता डूंगरपुर (खनन पट्टे)								
1–	डा. पी. सी. चतुर्वेदी नई आबादी, डूंगरपुर	निकट ग्राम देवली तह. व जिला, डूंगरपुर	74.42 हैक्ट.	फ्लेस्पार	28.11.85 से 20 वर्ष तक	—	—	—
2–	श्री राजेश सक्सेना 1082–दरीबा पान जयपुर	निकट ग्राम बनकोड़ा तह. आसपुरा जिला डूंगरपुर	450.0 हैक्ट.	फ्लोस्पार व केलसाइट	9.5.89 से 20 वर्ष तक	—	—	—
3–	———,,———	निकट ग्राम प्लोज तह. डूंगरपुर	100.0 हैक्ट.	फ्लोस्पार व केलसाइट	9.5.89 से 20 वर्ष	—	—	—
पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र								
1–	डा. पी. सी. चतुर्वेदी नई आबादी, डूंगरपुर	निकट ग्राम देवली तह. डूंगरपुर	249.793 हैक्ट.	फ्लोस्पार	25.8.88 से 24.8.89 तक 1 वर्ष के लिये	इससे खनन पट्टा लेने के लिये पार्टी ने आवेदन किया है–जो शासन के विचाराधीन है।	50 कि. ग्राम	50 कि. ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-	डा. पी सी. चतुर्वेदी नई आबादी, डूंगरपुर	निकट ग्राम गेहूवाड़ा तह. डूंगरपुर	3,77.20 हैक्ट.	फ्लोस्पार	30.8.88 से 29.8.89 तक	इसमें खनन पट्टा आवेदित हुआ है एवं खनन पट्टा स्वीकृत हुआ है परन्तु स्वीकृति अवधि समाप्त होने से संविदा पुनः निष्पादन नहीं हुआ । स्वीकृति अवधि बढ़ाने के लिए निवेदन किया गया ।	50 कि. ग्राम	50 कि. ग्राम
3-	श्री राकेश अग्रवाल 1439--ठठेरान गली मथुरा (उ. प्र.)	निकट ग्राम मसानिया तह. जिला, डूंगरपुर	300.00 हैक्ट	फ्लोस्पार	16.12.88 से 15.12.89 तक	अवधि समाप्त व पार्टी ने खनन पट्टा के लिए आवेदन नहीं किया ।	50 कि. ग्राम	50 कि. ग्राम
4-	श्रीमती अरूणा अग्रवाल 571--हिरनमगरी से 11 उदयपुर	निकट ग्राम नोखना तह. डूंगरपुर	129.50 हैक्ट.	फ्लोस्पार	2.9.88 से 1.9.89 तक	इसमें खनन पट्टा आवेदित है तो स्वतः ही अस्वीकृत होने पर भारत सरकार में रोविजन में विचाराधीन है ।	,,	,,
5-	श्री राकेश चन्द्र अग्रवाल 1439, ठठेरान गली मथुरा (उ. प्र.)	निकट ग्राम गडा कम्हारिया तहसील आसपुरा जिला, डूंगरपुर	218.75 हैक्ट.	,,	28.11.89 से 27.11.90 तक	अवधि समाप्त इसमें पार्टी ने खनन पट्टा के लिये आवेदन नहीं किया है ।	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6–	डा. पी. सी. चतुर्वेदी नई आबादी, डूंगरपुर	निकट ग्राम खाण्डा तह. डूंगरपुर	211.45 हैक्ट.	फ्लोरस्पार	21.4.89 से 20.4.90 तक	इसमे खनन पट्टा आवेदित है जो शासन के विचाराधीन है।	50 कि. ग्राम	50 कि. ग्राम
7–	सर्व श्री जनजाति विकास राहत समिति डूंगरपुर	निकट ग्राम नलवाड़ा तह. डूंगरपुर	152.77 हैक्ट.	,,	29.6.90 से 28.6.91 तक	—एवन—	,,	,,
8–	—एजन—	निकट ग्राम नयागांव तह. डूंगरपुर	163.54 हैक्ट.	,,	–एजन–			
9–	डा. पी. सी. चतुर्वेदी नई आबादी डूंगरपुर	निकट ग्राम गेहूंवाड़ा तह डूंगरपुर	237.50 हैक्ट.	,,	,,	इसमें खनन पट्टा आवेदित है व कार्यालय में विचाराधीन है।	,,	,,
10–	श्रीमती दमयन्ती श्रीपाल 9–बी मागरा कालोनी, उदयपुर	निकट ग्राम ढण्डा की ढाणी तह. सीपुर. जिला डूंगरपुर	627.85 हैक्ट.	,,	20.11.90 से 19.11.91 तक		500 कि. ग्राम	500 कि. ग्राम
11–	श्रीमती श्रद्धा पुरोहित मोहल्ला घाटी, डूंगपुर	निकट ग्राम पुनाली तह. डूंगरपुर	294.10 हैक्ट.	फ्लोरास्पार व क्वाटंज	15.2.91 से 14.2.91 तक		परीक्षण से मुक्त अधिशुल्क देने पर	
						1–फ्लोरस्पार	500 कि. ग्रा.	50 कि. ग्राम
						2–क्वाटंज	5 टन	5 टन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सहायक खनि अभियन्ता, नीम का थाना (खनन पट्टा)								
1–	श्री शरद कुमार सक्सेना	निकट ग्राम बागोली तह. उदयपुरवाटी झुन्झुनू	516.17 हैक्ट.	फ्लोराइड	31.5.90 से 20 वर्ष			
खनि अभियन्ता, सिरोही (पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र)								
1–	श्री अनिल कुमार जैन	निकट ग्राम बडोवेरा तह. सिरोही	100.755 हैक्टर	फ्लोसपार व क्वार्टज	23.6.88 से 1 वर्ष			
2–	श्री गोविन्द प्रसाद सोमानी	निकट ग्राम कलदरी तहसील सिरोही	35.5487 हैक्टर	,,	,,			
3–	श्री दलपत सिंह	निकट ग्राम उतरा तह. शिवगंज जिला—सिरोही	200.108 हैक्टर	,,	22.6.89 से 1 वर्ष			श्री बजरंगलाल सोमानी केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत रीविजन पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण संविदा निष्पादन नहीं किया गया।

वास्ते निदेशक

औद्योगिक इकाईयों को आवंटित ऋण की वसूली

368. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री हीरा लाल (बामनवास) एवं श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)-क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान में ऐसी कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनको वित्त निगम द्वारा ऋण दे दिया गया परन्तु वसूली अब तक नहीं की है, वसूली नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राजस्थान में ऐसे भी मामले हैं जिनको वित्त निगम द्वारा ऋण दे दिया गया परन्तु उद्योग आज तक भी लगाकर चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वित्त निगम द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम ने स्थापना से अब तक 42593 औद्योगिक इकाइयों को 654.43 करोड़ रुपये वितरित किये हैं जिनमें से 5593 इकाइयां ऋण मुक्त हो चुकी हैं । वर्तमान में 37000 इकाइयों के खाते निगम के पास विद्यमान हैं, जिनमें से 11617 औद्योगिक इकाइयां भुगतान में नियमित है, 21153 इकाइयां भुगतान में दोषी हैं, 3427 इकाइयां बंद हैं एवं 803 इकाईयां निगम के अधिग्रहण में है । ऋण राशि के वितरण के पश्चात वसूली नहीं हो पाने के मुख्य कारण निम्नांकित हैं:–

1. भुगतान में दोषी इकाइयों की संख्या 50 प्रतिशत इकाइयां कम्पोजिट ऋण योजना से सम्बन्धित हैं जो अतिलघु औद्योगिक इकाइयां हैं ।
2. अधिकांश इकाइयां ग्रामीण अंचलों में दूरस्थ इलाकों में स्थित हैं ।
3. इसके प्रवर्तकों से बार-बार वसूली पर जाने पर भी सम्पर्क नहीं हो पाता ।
4. विभिन्न इकाइयों द्वारा पूर्ण उत्पादन क्षमता अर्जित नहीं करने तथा घाटे में चलने के कारण प्रवर्तकों के पास निगम की देय राशि चुकाने हेतु राशि उपलब्ध नहीं होना ।

(2) जी हां, ऐसी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध जो ऋण लेने के पश्चात चालू नहीं की गई हैं, ऋण वसूली के लिये निर्धारित प्रक्रिया के तहत एवं राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्यवाही की जा रही है ।

जिलाधीश कार्यालय भरतपुर में "मादेरा संघ" की बैठक

369. श्री अरुण सिंह (डीग) एवं श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)-क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला कलक्टर, भरतपुर के कार्यालय में दिनांक 28-11-1991 को तथा 4-12-1991 को मादेरा संघ के सम्बन्ध में बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उसकी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन बैठकों की क्रमशः किस-किस ने अध्यक्षता की और इनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये ? इन निर्णयों की कहां तक अनुपालना हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" रख दी गई है।

(2) दिनांक 28-11-1991 को हुई बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर, भरतपुर ने तथा 2-12-1991 को हुई बैठक की अध्यक्षता माननीय वन मन्त्री, राजस्थान सरकार द्वारा की गई। इन बैठकों में लिये गये निर्णय कार्यवाही विवरण में दर्शाये अनुसार हैं। इन निर्णयों की क्रियान्विति की प्रक्रिया जारी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्रीय सरकार एवं योजना आयोग से स्वीकृत राज्य की विद्युत् योजनाएं

370. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत चार वर्षों में राज्य में वर्षवार विभिन्न परियोजनाओं से कितने-कितने मेघावाट बिजली का नया उत्पादन योजना-मद में किया गया है? वर्षवार, बिजली उत्पादन तथा प्रत्येक बिजलीघर के नये बिजली उत्पादन के वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) गत चार वर्षों (1988-89 से 15 फरवरी, 1992 तक) में केन्द्रीय सरकार एवं योजना आयोग से राज्य को किन-किन बिजली उत्पादन योजनाओं की स्वीकृति कब-कब मिली? उक्त योजनाओं का सार संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य की कौन-कौन सी बिजली उत्पादन की योजनायें योजना आयोग एवं केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में योजना मद में अतिरिक्त उत्पादित बिजली का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

	87-88	88-89	89-90	90-91
				मेगावाट क्षमता
पन बिजली–				
1. अनूपगढ़	9.00	–	–	–
2. माही	–	45.00	45.00	–
तापीय बिजली				
3. सिंगरोली	88.24	–	–	–
4. कोटा तापीय	–	210.00	210.00	–
5. रिहन्द	–	47.5	47.5	–
6. अन्ता	–	34.79	17.40	29.46
7. औरैया	–	10.24	40.15	19.64
अणु बिजली				
8. नरौरा	–	–	22.5	–

(2) गत चार वर्षों में निम्नलिखित योजनाओं की केन्द्रीय सरकार व योजना आयोग से स्वीकृति मिली:–

I. (कोटा तापीय विद्युत गृह स्टेट111 यूनिट–5) (1 × 210 मेगावाट)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति–16-5-1988

337

परिशिष्ट-

(ऊर्जा मंत्री)

योजना आयोग द्वारा स्वीकृति-
1989

II. (सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह)
(2 × 250 मेगावाट)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वा-
स्वीकृति-13-6-1991

योजना आयोग द्वारा स्वीकृति-
13-11-91

III. (बरसिंगसर लिगनाइट तापी-
गृह) (2 × 120 मेगावाट)

केन्द्र सरकार से अप्रेल, 199-
परियोजना स्वीकृत हो चुकी है।

(3) निम्न परियोजनाएँ भा-
कार के पास विचाराधीन हैं:-

1. धोलपुर तापीय विद्युत प-
3 × 250 मेगावाट।

2. जाखम जल विद्युत प-
2 × 2.5 मे. वाट

3. चित्तौड़गढ़ तापीय विद्यु-
योजना 1 × 500 मेगावाट (निजी

[redacted]जदूरों की संख्या	कुल योग राशि	नोट
–	49446.00	राशि का
5400	1316458.48	पुर्नभरण
449	42269.05	विभाग को करना है।
307	72955.00	
500	317683.00	
408	173234.00	
320	7812.00	
50	22332.68	
3882	228630.00	
41	20964.00	
10	13230.00	
99	244588.00	
19	1669.00	
6	1114.00	
102	14623.00	
11573	2527008.21	

जिला कलक्टर (सहायता)
नागौर

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा विस्तार कार्यक्रम

372. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990-91 में राजस्थान में चिकित्सा सेवा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिये कितनी नई डिस्पेन्सरियां खोली गई, कितने सब-सेन्टर व एडपोस्ट खोले गये ? जिलेवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) श्री गंगानगर जिले में इस मामले में क्या कार्य हुआ है ? पिछले वर्ष इस जिले में कितने नये अस्पताल, डिस्पेन्सरियां सब-सेन्टर व एडपोस्ट खोले गये ?

(3) चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने व विस्तार करने का सरकार ने क्या मानदण्ड तय किया है ? किस आधार पर डिस्पेन्सरियां खोली जाती हैं और उनमें दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है ?

(4) क्या पिछड़े कमजोर वर्ग के क्षेत्रों को भी चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाते समय सरकार प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो उन क्षेत्रों में कितने चिकित्सा सेवा केन्द्र खोले गये और दवाइयों के लिए ऐसे क्षेत्रों में कितना बजट दिया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी नई डिस्पेन्सरी, सब-सेन्टर एवं एडपोस्ट की स्वीकृति जारी नहीं की गई ।

(2) श्री गंगानगर जिले में वर्ष 90-91 में कोई नया अस्पताल/डिस्पेन्सरी/सब सेन्टर व एडपोस्ट नहीं खोले गये ।

एक प्रा. स्वा. केन्द्र, राजपुरा खोला गया तथा (1) गुलाबवाला (2) राजीपाल (3) कलाना (4) उन्तरडावास (5) अजीपुरा (6) रतेवाला (7) हाकमाबाद (8) उडसर (9) सुखचेतनपुरा की डिस्पेन्सरियों को प्रा, स्वा, केन्द्र में परिवर्तित किया गया इसके अतिरिक्त 1-डुगाना 2-पडितावाली 3-रोडेवाला उपकेन्द्रों को उच्चीकृत किया गया ।

(3) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न प्रकार मापदण्ड स्थापित है । ग्रामीण क्षेत्र में :-

1-प्रत्येक एक लाख आबादी एक सा. स्वा. केन्द्र

2-प्रत्येक 30 हजार आबादी पर प्रा, स्वा. केन्द्र

3-प्रत्येक 5 हजार आबादी पर उप केन्द्र

4-3 हजार की आबादी पर जनजाति व रेगिस्तान क्षेत्रों में एक उपकेन्द्र ।

नई डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान वर्तमान में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही है । औसतन 40 हजार की आबादी पर एक डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान है । डिस्पेन्सरी में दवाइयां उपलब्ध कराने का मापदण्ड निम्न प्रकार है :-

1-शैयाओं वाली डिस्पेन्सरी रुपये 10 हजार प्रतिवर्ष

2-बिना शैयाओं वाली डिस्पेन्सरी रुपये 8 हजार प्रतिवर्ष

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

3–एडपोस्ट रुपये 3 हजार प्रतिवर्ष।

(4) पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के क्षेत्रों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में अभी कोई नीति निर्धारित नहीं की गई।

बाड़मेर में पंचायतों के पुनर्गठन की मांग

373. **श्री अमीन खां (शिव) :** क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पंचायतों के पुनर्गठन बाबत प्रस्ताव लिए गए हैं ?

(2) जिला बाड़मेर की तहसील शिव व बाड़मेर में आम जनता व कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई आपत्तियां व अन्य सुझाव कितने थे ? जिला कलक्टर के पास व तहसीलदारों को प्राप्त ऐसी आपत्तियां एवं सुझावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एतराज व सुझाव सिर्फ भाजपा के स्वीकार किये गये व अन्य दलों व नागरिकों के एक भी एतराज पर गौर नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो उदाहरण प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कांग्रेस पार्टी से 7 तथा आम जनता से 67 कुल 74 आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हुए थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) यह सही नहीं है कि एतराज व सुझाव भाजपा के ही स्वीकार किये गये हैं तथा अन्य दलों व नागरिकों के एक भी एतराज पर गौर नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ तहसील शिव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्राप्त सुझावों में से ग्राम पंचायत रेडाणी व राजडाल को उनके सुझावानुसार पंचायतों को गठित करने के प्रस्ताव भेजे गये एवं तहसील बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्राप्त सुझावों में से गरडिया पंचायत को गठित करने पर प्रस्ताव भेजे गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र अटरू (कोटा) में कला एवं संस्कृति का विकास

374. **श्री मदन दिलावर (अटरू) :** क्या कला एवं संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या अटरू विधान सभा क्षेत्र में अनेक स्थान कला एवं संस्कृति की दृष्टि से उपयुक्त हैं ? यदि हां, तो इसके विकास की क्या योजना है ?

उत्तर

जी हां अटरू विधानसभा क्षेत्र में गणेश मन्दिर, गड़गच्च का मन्दिर व गढ़िया मंदिर कला एवं संस्कृति की दृष्टि से उपयुक्त हैं जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (केंद्र सरकार) द्वारा संरक्षित घोषित

(कला एवं संस्कृति मन्त्री)

किया गया है। इनके रख रखाव एवं विकास पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर व्यय किया जाता है।

राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास लि. डेगाना द्वारा महिला श्रमिकों की सेवायें समाप्त

375. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. की इकाई डेगाना (नागौर) में कार्यरत 118 अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिला श्रमिकों को किस कानून के तहत नौकरी से निकाला गया है ?

(2) क्या श्रमिकों को नौकरी से निकालने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1951 की धारा 25 एफ. एफ. के तहत केन्द्र सरकार के श्रम विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो यह अनुमति कब ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इन महिला श्रमिकों को उनकी भविष्य निधि का पूरा अन्तिम भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इन महिलाओं को अस्थाई भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो इनका पूर्ण भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टंगस्टन परियोजना, डेगाना हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को स्थानान्तरित किये जाने की शर्तों के अनुसार कम्पनी द्वारा छाजले पर कार्यरत श्रमिकों को नहीं लिया गया है। चूंकि राजस्थान टंगस्टन विकास निगम के पास अब कोई कार्यकलाप नहीं है व कम्पनी के बन्द करने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी अतः इन श्रमिकों को बिना किसी जाति या धर्म या लिंग के भेद-भाव के नियमानुसार मुआवजा देकर रिट्रेन्च (छंटनी) कर दिया है।

(2) धारा 25 एफ एफ. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी एक संस्थान का प्रबन्ध या स्वामित्व यदि किसी दूसरे संस्थान को स्थानान्तरित किया जावे तो कामगारों को धारा 25 एफ. औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत रिट्रेन्च किये गये कामगारों की तरह ही कम्पेनसेशन देय है। जो श्रमिकों को दिया जा चुका है। केन्द्र सरकार के श्रम विभाग की ऐसी छंटनी के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

(3) जी हां, इन श्रमिकों को दिनांक 3.6.1991 को भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान इस निगम के लेखों के अनुसार किया जा चुका है। यही नहीं दूसरी कंपनियों की निधियों से भविष्य में आने वाले धन की जानकारी प्राप्त करके उसका भुगतान भी तदर्थ आधार पर कर दिया गया है। जब इन निधियों से वास्तविक रुपया प्राप्त होगा तो यदि कोई अन्तर हुआ तो लेनदेन कर दिया जायेगा।

(4) जी नहीं।

रुग्ण एवं बन्द उद्योगों का पुनर्स्थापना

376. श्री फूलचन्द (नीमका थाना

(श्री फूलचन्द)

एवं श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रुग्ण एवं बन्द इकाइयों के पुनर्स्थापना की सम्भावनाओं पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था ?

(2) इस समिति ने कितनी इकाइयों का सर्वेक्षण किया, कितनी पुनर्स्थापित की जा सकीं व कितनों को बेचने का निर्णय लिया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सर्वेक्षण में लघु उद्योग संघों से क्या सहयोग लिया गया एवं कितने लघु उद्यमियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया ?

(4) पिछले एक वर्ष में जिन इकाइयों की नीलामी वित्त निगम द्वारा निकाली गई है क्या इन सभी का उपरोक्त समिति द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापना हेतु वर्तमान जिला स्तरीय औद्योगिक परामर्शदात्री समिति की एक स्थाई उप समिति का गठन किया गया है।

(2) जिलों में इस उप समिति ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है जैसे :-रुग्ण इकाइयों की सूचना एकत्रित करना, बैंकों से कार्यशील पूंजी दिलाने का प्रयास करना, राजस्थान वित्त निगम से ऋण सुविधा दिलाने का प्रयास, विद्युत शुल्क की वसूली स्थगित कराना, राजस्थान वित्त निगम, बैंक के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण कराना, रुग्ण इकाइयों की पहचान करना, बैंकों और राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना, कार्यशील पूंजी की उपलब्धि की कठिनाइयों का बैंकों के साथ निवारण कराना इत्यादि।

इस समिति का कार्य जीवनक्षम्य रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में अपनी अभिशंषा जिला औद्योगिक परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत करनी होती है तथा पुर्नस्थापन/पुर्नसचालन हेतु किये गये उपायों की समीक्षा व मोनीटरिंग करना होता है। किसी इकाइ को बेचने का निर्णय इस समिति द्वारा लिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) कुछ जिलों द्वारा उद्योग संघों से भी रुग्ण इकाइयों के विषय में सूचना व सहयोग लिये जाने की जानकारी मिली है। किसी रुग्ण इकाइ के जीवक्षम्य पाये जाने पर उसके पुनर्वास के लिए उद्यमी से विचार-विमर्श किया जाना होता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर कमेटी कर सकती हैं।

(4) राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिन इकाइयों की नीलामी की जाती है, उनमें रुग्ण इकाइयों के अलावा अधिकाशतः बंद हो चुकी इकाइयों व ऋण का चुकारा न करने पर राजस्थान वित्त निगम द्वारा अपने कब्जे में ली गई इकाइयां शामिल होती है।

(उद्योग मन्त्री)

यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण उपरोक्त समिति द्वारा किया जावे।

वन नाका झांझरी (उदयपुर) का कार्यालय

377. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन नाका झांझरी का कार्यालय भवन झांझरी में बना हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में फोरेस्ट गार्ड गांव पाटिया में रहता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वन-खण्ड झांझरी की सीमा गुजरात राज्य से मिली हुई है जिससे गुजरात के लोग वन की अधिक कटाई करते हैं और उसकी रक्षा नहीं हो पाती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नाके पर केवल एक गार्ड तैनात होने से कटाई करने वालों को रोक नहीं पाता ?

(5) क्या सरकार वनों की प्रभावी रक्षा के लिये वन रक्षकों की संख्या में वृद्धि करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वन रक्षक झांझरी स्थित चौकी में ही रहता है। वनपाल पाटिया गांव में रहता है।

(3) जी हां। गुजरात के लोग यदा-कदा इस वन खण्ड में सामूहिक रूप से आकर अवैध कटान करते हैं।

(4) जी हां।

(5) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वन सुरक्षा हेतु स्टाफ पदस्थापित किया जाता है। प्रभावी रोक थाम के लिये तीन वन रक्षक आठ-आठ घण्टे की ड्यूटी पर समायोजन द्वारा तैनात किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

बामनवास (सवाई माधोपुर) क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

378. श्री हीरालाल (बामनवास) एवं श्री परसादी लाल (लालसोट) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवास के किस-किस ग्राम का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा कितने गांव शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विद्युतीकृत सभी गांवों में कृषि के विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय बामनवास का कार्यालय नादोती में होने के कारण पंचायत समिति बामनवास के गांवों में विद्युतीकरण का कार्य समय पर नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बामनवास पंचायत समिति का अलग से कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ?

(4) बामनवास विधान सभा क्षेत्र के शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

(344)

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवास के कुल 240 ग्रामों में से 232 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 8 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष है। सूची/ "अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं। विद्युतीकृत ग्रामों में से 134 ग्रामों में कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 83 ग्रामों में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। 15 ग्रामों में आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, जिनको कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।

(3) जी नहीं। पं. सं. बामनवास के ग्रामों को ही विद्युतीकरण के कार्य सहायक अभियन्ता, नादोती, द्वारा समय पर ही पूर्ण किया जाता है। बामनवास में विद्युतीकरण कार्य हेतु अलग से सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) बामनवास विधान सभा क्षेत्र के शेष अविद्युतीकृत 8 ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में आवंटित वित्त व वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जा सकेगा।

सूची "अ"

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवासके विद्युतीकृत ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड, नं.	क्र. सं.	गांव का नाम	कोड, नं.
1	2	3	1	2	3
1.	सोयला	7/9/92	13.	गोतोड़	18
2.	कोटरा	1	14.	घाटा नैनवाडा	16
3.	बास परसा	4	15.	पीलू खेडा कलां	20
4.	बोरदा	3	16.	कुशलपुरा	31
5.	भीमपुरा (मित्रपुरा)	8	17.	सोमावास	29
6.	जैतपुरा	9	18.	कुवा गांव	32
7.	संगटी	5	19.	मुकन्दपुरा	30
8.	चक धकड़ा	7	20.	गोठडा	43
9.	उदगांव	14	21.	मोरा खालसा व जागीर	11
10.	कटका	13	22.	मेझोवाला	10
11.	मानपुरा	15	23.	बोरखेड़ा	34
12.	मानतोड़ी	6	24.	थानेरा	12

1	2	3	1	2	3
25.	बपुई	37	52.	डूंगरी	38
26.	गुगडोद	35	53.	कोलरा	96
27.	जटलाव	36	54.	जयलालपुरा	88
28.	झुतून	46	55.	शिसोलाव	87
29.	खीरखेड़ी	43	56.	बासडा बन्नेसिंह	89
30.	थारी	45	58.	रघुवन्ती	90
31.	भिडोली	27	58.	बन्धावाला	94
32.	दातुली	17	59.	थादोली	92
33.	पुरा गुलाबसिंह	25	60.	परवाला	93
34.	हनुत्या	26	61.	भीपुरा	91
35.	धोरला	21	62.	बागडोली	112
36.	पुरा पन्नेसिंह	24	63.	गोलपुर	95
37.	कस्बा बौंली	82	64.	नीमोद	113
38.	किला बौंली	83	65.	राडोद	114
39.	मामडोली	80	66.	कराडी	115
40.	पुनोत	102	67.	गुडला नदी	116
41.	हरसोली	104	68.	गुडला चन्दन	110
42.	देवता	107	69.	पीपलवाड़ा	109
43.	गटोता	78	70.	बहनोली	96
44.	कोडयाई	48	71.	मांगरोल	111
45.	अलूदा	80	72.	पीपल्दा	21
46.	मीसकीनपुरा	23	73.	जस्ताना	53
47.	धनसेरा	47	74.	टोण्ड	56
48.	लाखनपुर	40	75.	मलारना चोड़	76
49.	खोहड़ी	41	76.	निमोद	62
50.	गोल	42	77.	कारेल	64
51.	खेडा	39	78.	बाढ़ बरियारा	68

1	2	3	1	2	3
79.	किरतपुरा	60	106.	भीटोली	17
80.	समरथपुरा	65	107.	राधोपुरा	18
81.	चक समरपुरा	7/9/63	108.	चक राधोपुरा	19
82.	बाढ बरियाना चक नं.	159	109.	नानेटा खेड़ा	20
83.	बाढ बरियाना चक नं.	261	110.	मीना कोलेडा	21
84.	मालन्द कलां	49	111.	जगरामपुरा	22
85.	लागेटा	77	112.	गूजर कोलेडा	23
86.	बरियारा	58	113.	बानोर	24
87.	गालद खुर्द	78	114.	टोडा	25
88.	सुन्दरपुर	50	115.	डूंगरवाड़ा	26
89.	चेनपुरा	51	116.	बांगड़ा	27
90.	शाहपुरा	53	117.	टुडोली पट्टी खालसा	28
91.	चक शाहपुरा	54	118.	शेरपुर दोनाय	29
92.	बाढ टांक	52	119.	डीकरया	30
93.	अमरवा मय डूंगरपट्टी	7/5/1	120.	जाहरा	31
94.	सिकरोली	2	121.	बाढ जाहरा	32
95,	कोठ	3	122.	श्यामपुरा	33
96.	दुजई	4	123.	अभयपुरा	34
97.	भावरा	6	124.	नाहरसिंहपुरा	35
98.	चन्दलाई	7	125.	लिवाली	36
99.	रिवाली	8	126.	नाहड़ किशनपुरा	37
100.	सुकर	9	127.	गुड़ला	38
101.	सिगदोली	10	128.	खटाना	39
102.	कुआ गांव	11	129.	ताजपुरा	40
103.	बिच्छपड़ी	12	130.	रामपुरा	41
104.	गोठडा	15	131.	रामनगर डोसी	42
105.	ककराला	16	132.	कोहली प्रेमपुरा	43

1	2	3	1	2	3
133.	सीतापुरा	44	161.	सारंगपुरा	72
134.	काचरहेडा	45	162,	बाढ गहनोली चक नं, 1	73
135.	गोला गांवड़ी	46	163.	बाढ बिलीड	74
136.	बामनवास पट्टी कलां	47	164.	सितोड़	75
137.	बामनवास पट्टी खुर्द	48	165.	पिपलाई	7/5/76
138.	कीर्तिपुरा	49	166.	खेड़ली	77
139.	बाढ बढीला	50	167.	कुचावाड़ चक नं.2	78
140,	बड़ींला	51	168.	नागरहेड़ा	79
141	दांता सूती	52	169.	डाबर	81
142,	बांढ दाता सुती	53	170.	सरसाली	82
143.	रानीला	54	171	नारोली	83
144.	कादीपुर	55	172.	सीतारामपुरा	84
145.	झाडोली	56	173.	रमजानीपुरा	85
146.	बाढ झाडोली	37	174.	चान्दनहोली	86
147.	सराय	58	175.	माडलगांव	87
148.	गण्डाल	50	176.	कुचावाड़ चन नं. 3	88
149.	किशनपुर	60	177.	बाढ पिपलाई	89
150.	कुण्डली	61	178.	देहरी	90
151.	बन्धावल	62	179.	नेहरी	91
152.	शफीपुरा	63	180.	श्योसिंहपुरा	92
153	राधेकी	64	181.	गुजर बडोदा	93
154.	नागतलाई	65	182.	भ्राकोदिया	94
155.	भोलाई	66	183.	सुमेल	95
156.	रार्मसिहपुरा	67	184.	गढ़ी गोपालपुरा	96
157.	बाढ कोयला	68	185.	सूरगढ़	97
158.	बाढ गहयोली चक नं.	69	186.	लाडपुरा	98
159.	गहनोली	70	187.	बाढ़ देहरी	99
160,	कोयला	71			

3548

1	2	3	1	2	3
188.	देराड़ा	100	215.	भावड़	129
189.	बिछोछ	101	216.	बरनाला	130
190.	शंकरपुरा	102	217.	तिगरिया	133
191.	भंवरकी	103	218.	बेरखण्डी	124
192.	मेहूरावड़	105	219.	बाढ़ गोठ	135
193.	माधोपुरा	106	220.	गोठ	136
194.	साचोली	107	221.	मोरपा	137
195.	सुखानन्दपुरा	108	222.	गाजी कुण्डली	138
196.	चक उदयरामपुरा	109	223	वाटोदा	139
197.	मारपुरा	110	224.	भीनारा	140
198.	सुन्दरी	112	225.	झाडोदा	141
199.	मीना ठीकरी	113	226.	बाढ़ झाड़ोदा	142
200.	रामसिंहपुरा	114	227.	बाढ़ नाननवास	144
201.	फूलवाड़ा	115	228.	नाननवास	145
202.	चक गोविन्दपुरा	116	229.	बाढ दुजई	5
203.	बीनजारी	117	230.	बाढ रघुनाथपुरा	14
204	बाढ़ मोहनपुर	118	231.	रघुनाथपुरा	13
205.	गुजर ठीकरिया	119	232.	बाढ पनियाला	143
206.	गोविन्दपुरा	120			
207.	फलासोद	121			
208.	बाढ़ पलासोद	122			
209.	बाढ़फूलवाड़ा	123			
210.	जाखोलास खुर्द	124			
211,	बाढ़ गोबिन्दपुरा	125			
212.	जाखोलास कलां	126			
213.	जीवद	127			
214.	बाढ़ सोहन	128			

बामनवास विधान सभा क्षेत्र के ग्रा. वि. नि. योजना में स्वीकृत शेष ग्राम की सूची ।

1.	बाढ लखनपुर	7/5/132
2.	लखनपुर जागीर	131
3,	बाढ सिन्दरी	111
4.	बाढ सांचोली	104

1	2	3	1	2	3
बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अस्वीकृत ग्रामों की सूची।			2,	चक सोमवास	28
			3.	मेदार खुर्द	33
1,	पीलू खेड़ा खुर्द	79/1/9	4,	कुचावाड नं. 1	7/5/80

हरिश्चन्द्र सागर बांध में पानी रोकने के उपाय

379. **श्री बृजराज मीणा (दीगोद)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार हरिश्चन्द्र सागर बांध में अधिक पानी रोकने के उपाय कर रही है ?

(2) क्या हरिश्चन्द्र सागर की नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है।

उत्तर

(1) जी नहीं। नदी के बहाव को रोककर पीकअप वियर द्वारा पानी Divert किया गया है अतः यह पानी रोकने की योजना नहीं है।

(2) यह परियोजना वास्तव में खरीफ उन्मुखी है अतः काश्तकारों को खरीफ की फसल में पानी लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। रबी में नदी में ही पानी कम हो जाता है। अतः नहरों में पानी स्वतः ही कम मिलता है।

बनगोठड़ी (पिलानी) के कृषकों की अधिगृहित भूमि का मुआवजा

380. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या करीब 7–8 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुई पिलानी से बनगोठड़ी की सड़क पर जिन काश्तकारों की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई उनको उस भूमि का मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं-तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। जो भूमि अवाप्त की गई थी; उनके मालिक अपना उचित उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाये, जिससे उन्हें भुगतान करना सम्भव नहीं हुआ।

पंचायतों व पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन

381. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) एवं श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन का कार्य किया गया है ? यदि हां तो यह कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार पुनर्सीमांकन का कार्य अधिकारियो से हटा कर मन्त्रियों की एक समिति को देना चाहती है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायतों तथा पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया चालू है।

(2) जी नहीं।

शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन विकास

382. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 1991-92 में शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु सरकार ने कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की थी और उसमें से अब तक कितनी धनराशि किस-किस मद में खर्च की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आठवीं पचवर्षीय योजना में शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु क्या राज्य सरकार किसी विशेष परियोजना को लागू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है ?

(3) विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण झुन्झुनूं जिले के मण्डावा कस्बे को क्या सरकार पर्यटक शहर घोषित किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा सांस्कृतिक धरोहरों के रख-रखाव को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार शेखावाटी की प्रसिद्ध हवेलियों एवं गढ़ों को खरीदने अथवा पर्यटन विभाग के अधीन लेना चाहती है ? क्या सरकार इन हवेलियों को ट्यूरिस्ट होटलों में बदलने का मानस भी रखती है ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु वर्ष 1991-92 की अवधि में 7.84 लाख रुपयों की राशि निम्न कार्यों के लिए स्वीकृत की है :-

	(राशि लाख रुपये में)
1- फतहपुर स्थित बावड़ी की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार-	2,13
2- गणेश्वर एवं बालेश्वर स्थित मन्दिरों, छतरियों का जीर्णोद्धार, रास्तों का निर्माण कार्य-	3.27
3- खेतान बावड़ी झुन्झुनूं की मरम्मत एवं नवीनीकरण-	2.44

उक्त स्वीकृत राशि में से 29 फरवरी, 1992 तक मदवार व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं--

1- फतहपुर बावड़ी में मरम्मत कार्य-	1.05

(पर्यटन मन्त्री)

2- गणेश्वर एवं बालेश्वर
(निविदा ग्रामन्त्रित व्यय) 0.01

3- खेतान बावड़ी
(निविदा व्यय) 0.01

(2) पर्यटन विभाग का शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन के समग्र विकास के उद्देश्य से विशेषज्ञों से योजना बनवाने का प्रस्ताव है। इसके लिए प्रस्ताव ग्रामन्त्रित किए गए हैं तथा अन्तिम रूप से योजना विशेषज्ञ का चयन होने के उपरांत योजना तैयार करवाई जावेगी तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में यथा सम्भव इसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया जावेगा।

(3) राज्य सरकार किसी स्थान को पर्यटन केन्द्र घोषित नहीं करती है, अपितु वर्ष-पर्यन्त पर्यटक आगमन के आधार पर पर्यटक केन्द्र बन जाता है।

(4) शेखावाटी स्थित हवेलियों एवं गढ़ों को खरीदने का सरकार का विचार नहीं है। पर्यटन विभाग की राज्य में स्थित सभी हवेलियों एवं गढ़ों को होटलों में परिवर्तित करवाने के उद्देश्य से एक ऐसी समस्त सम्पत्तियों की एक डायरेक्ट्री तैयार करवाने की योजना है।

जिला पाली में खनन कार्य

383. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में किन-किन स्थानों पर किस-किस को खानें लीज पर दी हुई हैं ? किस खान से क्या खनिज सम्पदा प्राप्त हो रही है ?

(2) भविष्य में सरकार कहां-कहां खनन कार्यों हेतु लीज देने जा रही है ?

(3) पाली जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पास कितनी खानें लीज पर हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिले में प्रधान खनिज की दी हुई खानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "1" के अनुसार है एवं अप्रधान खनिज की खानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "2" के अनुसार है।

(2) सरकार पाली जिले में जिन-जिन स्थानों पर खनिज उपलब्ध होगा, वहां नियमानुसार खानें भविष्य में भी आवंटित करती रहेगी।

(3) पाली जिले में वर्तमान में अनुसूचित जाति के पट्टेधारियों को अप्रधान खनिज के 10 खनन पट्टे एवं अनुसूचित जनजाति को अप्रधान खनिज के 2 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। प्रधान खनिज का कोई पट्टा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को आवंटित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की बकाया

384. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

352

(श्री भंवरलाल)

(1) क्या चूरू जिले में विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत सम्बन्धित दैनिक भोगी कर्मचारियों मजदूरों की वर्ष 1990-91, 1991-92 का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बकाया राशि चूरू जिले में कुल कितनी है ? भुगतान किये जाने में क्या अड़चन है ? विभाग द्वारा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 का भुगतान किया जा चुका है। तृतीय व चतुर्थ किश्त की धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 1991-92 में माह नवम्बर का आंशिक व दिसम्बर, 1991 से भुगतान बकाया है।

(2) चूरू जिले में वन विभाग के कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को भुगतान योग्य बकाया राशि रुपये 17.00 लाख है। तृतीय व चतुर्थ किश्त की राशि प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

कृषि उपज मण्डी, भवानी मण्डी (झालावाड़) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

385. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भवानी मण्डी, कृषि उपज मण्डी जिला झालावाड़ द्वारा सन् 1980 से अब तक ग्रामीण क्षेत्र की कितनी सड़कें मंजूर हुई ? उनमें कितनी धनराशि खर्च की गई ? कितनी सड़कें पूर्ण हो चुकीं और कितनी अधूरी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि मण्डी समिति एक ही क्षेत्र की सड़कों के निर्माण पर व्यय कर रही है जबकि डग विधान सभा क्षेत्र की भवानी मण्डी से कुन्दी खेड़ा, पंच, पहाड से गुढा करावन से बनी सड़कों के प्रस्ताव भेजे हुए हैं लेकिन स्वीकृति नहीं दी जा रही है ? क्या राज्य सरकार उक्त सड़कों पर गम्भीरता से ध्यान देकर मंजूरी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति भवानी मण्डी में सन् 1980 से अब तक कुल तीन सड़कें मंजूर हुई जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	सड़क का नाम	(लाख रु)	पूर्ण/अधूरी
1-	पंच पहाड़ से गुराड़िया माना	5.39	पूर्ण
2-	सेमड़ा से मंगीसपुर	1.12	अपूर्ण
3-	सेमला से सरपोई	0.91	अपूर्ण

(2) जी, नहीं। सम्पर्क सड़क भवानी मण्डी से कुंदाखेड़ा एवं पच पहाड़ से गुढ़ा के प्रस्ताव मण्डी समिति स्तर पर विचाराधीन हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार

(कृषि मंत्री)

किया जा सकेगा। सम्पर्क सड़क करावन से बनी कृषि उपज मण्डी समिति भवानी के मण्डी क्षेत्र में नहीं आती है।

राणा प्रताप सागर बांध के डूब में भूमि

386. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राणा प्रताप सागर बांध में कितने गांवों की किन-किन को कितनी-कितनी भूमि मय खसरा नं. ऐसी है जो डूब में नहीं आई जबकि मुआवजा दिया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी भूमि पर बराबर कृषि की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस कृषि भूमि को नाजायज कब्जे मानकर उन कृषकों को सजा, जुर्माने देने पर मजबूर किया जाता रहा है, जो इस पर काबिज होकर कृषि कर रहे हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त ऐसी भूमि के उन मूल कृषकों से मुआवजा की राशि वापस लेकर खातेदारी अधिकार उन्हें पुनः देना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राणा प्रताप सागर बांध में ऐसी कोई भूमि नहीं है जो डूब में नहीं आयी और जिसका मुआवजा दिया गया हो।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) इस प्रकार की भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या एफ-1 (122) रे. वे./81/4/24 दिनांक 6-1-90 में ऐसे मूल कृषकों, जिन्होंने कि मुआवजा प्राप्त किया था, पुनः जमा कराने पर विहित शर्तों पर आवंटन करने का प्रावधान है। राणा प्रताप सागर बांध की डूब की भूमि बाबत कोई प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बेगूं के कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।

निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने के मानदण्ड

387. श्री सालिगराम (बयाना) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)-क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति देना स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड बनाये हैं ?

(2) इस सम्बन्ध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या किसी को ऐसी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने के एक प्रस्ताव को सिद्धान्तः स्वीकार किया है। मेडिकल कालेज खोलने की विधिवत अनुमति देने पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है। इस

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

सम्बन्ध में अभी तक कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(2) इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र में डेन्टल कालेज खोलने के लिए प्रस्ताव बाबा मूंगीपा एज्युकेशन ट्रस्ट, पिलानी, का लगभग साल भर पूर्व प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त केवल पिछले माह में ही निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने के दो प्रस्ताव विभाग कोप्राप्त हुए हैं। प्रथम प्रस्ताव अजमेर स्थित प्रताप मैमोरियल हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर का है और दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैमोरियल एज्युकेशन सोसायटी मेरठ का है।

(3) जी नहीं।

बिजोलिया (भीलवाड़ा) वन क्षेत्र में अवैध खनन

388. श्री सांवरलाल (भिनाय) क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया क्षेत्र की खानों में वन विभाग की भूमि में अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो नक्शा मय खसरा नम्बर जहां अवैध खनन हो रहा है, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया क्षेत्र की वन भूमि में अवैध खनन नहीं हो रहा। किन्तु वन भूमि पर अवैध खनन के प्रयास समय-समय पर होते रहे हैं जिनको समयानुसार कार्यवाही कर रोका जाता रहा है।

झालावाड़ जिले में फेज प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

389. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) एवं श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में पांचों विधान सभा क्षेत्रों में दिनांक 31-10-1991 तक कुल कितने ट्रांसफार्मर जले हुए थे? क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) झालावाड़ जिले में वर्ष 1991-92 में कुल कितने ट्रांसफार्मर विभिन्न क्षमता के विभाग ने सप्लाई किये गये, कितने-कितने ट्रांसफार्मर किस-किस विधान सभा क्षेत्र में भेजे गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) झालावाड़ जिले में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने गांव वर्ष 1991-92 में विद्युतीकरण करने के लिए फेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की पांचों विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 1991-92 में (दिनांक 31-10-91 तक) कुल 215 ट्रांसफार्मर जले हुये थे।

विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण निम्नानुसार है:—

1.	पिडावा	50
2.	खानपुर	26

(विद्युत मंत्री)

3.	झालरा पाटन	55
4.	मनोहर थाना	12
5.	डग	72
	कुल	215

(2) झालावाड़ जिले में वर्ष 1991-92 (फरवरी 1992 तक) में विभिन्न क्षमता के 371 ट्रांसफार्मर सप्लाई किये गये। विधान सभा क्षेत्रवार भेजे गये ट्रान्सफार्मरों का संख्या विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	भिजवाये गये ट्रांसफार्मरों की सं.
1.	खानपुर	46
2.	झालरापाटन	65
3.	पीन्डावा	150
4.	मनोहर थाना	33
5.	डग	77
	कुल	371

(3) झालावाड़ जिले के अन्तर्गत खानपुर, मनोहर थाना, झालरापाटन, पिड़ावा एवं डग विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में क्रमशः 11, 7, 5, 4 एवं 7 ग्रामों का विद्युतिकरण हेतु लक्ष्य रखा गया है, जिनकी सूची "अ" संलग्न है।

सूची "अ"

जिला झालावाड़ के वर्ष 91-92 के वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये ग्रामों की विधान सभा क्षेत्र/पं. सं. वार लक्ष्य

विधान सभा क्षेत्र का नाम	पं. स. वार ग्रामों का वर्गीकरण		विधान सभा क्षेत्र के कुल ग्राम
खानपुर	पं. स. खानपुर	4	11
	पं. स. बकानी	7	
मनोहर थाना	पं. स. मनोहर थाना	7	7
झालरापाटन	पं. स. झालरापाटन	5	5
पिड़ावा	पं. स. पिड़ावा	4	4
डग	पं. स. डग	7	7
		34	34

सूची "ब"

1.	प्रा. वि.	33 के. वाई. डी.	2	2	–
2.	,,	26 के. वाई. डी.	2	2	–
3.	,,	सियासर चोगान	1	1	–
4.	,,	19 के. वाई. डी.	1	1	–
5.	,,	40 के. वाई. डी.	1	1	–
6.	,,	21 के. वाई. डी.	2	2	–
7.	,,	11 के. वाई. डी.	1	1	–
8.	,,	4 बी. जी. एम.	2	2	–
9.	,,	6. 9. 11. बी. डी.	2	2	–
10.	,,	8 बी. डी.	2	2	–
11.	,,	17 के. वाई. डी.	1	1	–
12.	,,	5 व 7 के. एल. डी.	2	2	–
13.	,,	19 बी. डी	2	2	–
14.	,,	2 डी. बी. एम.	2	2	–
15.	,,	सामरदा	2	2	–
16.	,,	कुम्हारवाला	2	2	–
17.	,,	मुगरालों की ढाणी	1	1	–
18.	,,	10 एस. एम. डी.	1	1	–
19.	,,	गोगली वाला	1	1	–
20.	,,	मकेरी	2	2	–
21.	,,	राणीसर पूगल	1	1	–
22.	,,	समेवाला	1	1	–
23.	,,	भुट्टों की ढाणी	2	1	1
24.	,,	रावत माईनर	1	1	1
25.	,,	नेनों का बास	2	1	1
26	,,	रमजानवाला	2	1	1
27.	,,	सरह कजानी	2	1	1
28.	,,	सीथल कन्या	2	1	1
29.	,,	सन्तासर फलावाली	2	1	1

30.	प्रा. वि.	दन्तोर माहिया	2	1	1
31.	,,	गंगाजली	2	1	1
32.	,,	घरेरा कन्या	2	1	1
33.	,,	जामसर कन्या	2	1	1
34.	,,	मकेडियावाला	2	1	1
35.	,,	चक 34 के. वाई. डी.	2	1	1
36.	,,	चक 31 के. वाई. डी.	2	1	1
37.	,,	26 के. जे. डी.	2	1	1
38.	,,	बीरमाणा करण सर भाटीया	2	1	1
39.	,,	भासापुरा	2	1	1
40.	,,	हनुमान नगर	2	1	1
41.	,,	20 की पूली	2	1	1
नोट:—सिंचित क्षेत्र विकास के तहत स्वीकृत पद			9	–	9
दिनांक 20-3-92 को पद स्वीकृत हुए—			10	–	10
			468	361	107

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, बीकानेर

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 354 की सूचना

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में रिक्त पदों की सूचना माह फरवरी, 92

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की सं.	पद रिक्त होने की दिनांक	पद रिक्त होने का कारण
1	2	3	4	5	6
1–	आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	सहायक विदेशक	2	4.7.90	स्थानान्तरण से
		कनि. अनु, अधिकारी	1	24.11.91	,,
				7.7.90	,,
		सहायक लेखाधिकारी	1	7.10.91	नव सृजित पद सृजन की दि. से रिक्त
		लेखाकार	1	11.1.91	स्थानांन्तरण
		कार्यालय अधीक्षक	1	1.10.88	सेवा निवृति से रिक्त
		कनि. लेखाकार	2	19.12.91	स्थानान्तरण से
				7.10.91	नव सृजित पद सृजन की दि. से रिक्त
		कार्यालय सहायक	2	13.11.90	पद सृजन से रिक्त

1	2	3	4	5	6
		शीघ्र लिपिक	3	8.4.88	प्रतिनियुक्ति पर जाने से
				18.1.91	स्थानान्तरण से रिक्त
				1.9.91	,,
		कनिष्ठ लिपिक	2	8.9.91	,,
				7.10.91	नवसृजित पद सृजन की दि. से रिक्त
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	20.12.91	स्थानान्तरण से रिक्त
2–	अतिरिक्त आयुक्त (माड़ा) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	7.7.90	,,
3–	निदेशन, टी. आर. आई. उदयपुर	व्याख्याता	2	18.12.87	,,
		सांस्कृतिक अधिकारी	1	21.6.88	,,
		कम संग्रहालय अध्यक्ष		10.1.80	पद सृजन से रिक्त
		निजी सहायक	1	1.12.91	सेवानिवृत्ति से रिक्त
		शोध सहायक	1	17.9.91	स्थानान्तरण से रिक्त
		संगणक	1	3.8.91	,,
		वरिष्ठ लिपिक कम स्टेनोग्राफर	1	21.10.89	स्थानान्तरण से रिक्त

1	2	3	4	5	6
		कनिष्ठ लिपिक	1	28.5.87	स्थानान्तरण से रिक्त
		कोर्स सहायक	1	27.1.90	,,
		जमादार	1	1.3.91	सेवानिवृति से रिक्त
4–	परियोजना अधिकारी (जनजाति) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण; डूंगरपुर	कनिष्ठ लेखाकार	1	4.9.81	पद सृजन से रिक्त
		वरिष्ठ लिपिक	1	4.9.81	,,
		कम्पाईलर	1	18.11.90	स्थानान्तरण से रिक्त
		वाहन चालक	1	21.9.84	पद सृजन से रिक्त
5–	परियोजना अधिकारी (जनजाति) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा	परियोजना अधिकारी	1	24.12.92	स्थानान्तरण से रिक्त
		कनिष्ठ लेखाकार	1	4.9.81	पद सृजन से रिक्त
6–	उप परियोजना अधिकारी; जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग प्रतापगढ़	उप परियोजना अधिकारी	1	20.2.92	स्थानान्तरण से रिक्त
		लेखाकार	1	11.4.91	,,
		कनिष्ठ लिपिक	1	24.10.91	,,
		वाहन चालक	1	21.8.91	,,

परियोजना अधिकारी (जनजाति) जि. ग्र. वि. अभि.; उदयपुर एवं उप परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड के कार्यालय में कोई पद रिक्त नहीं है ।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 520 की सूची

पदानुसार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	मेडी	शिशु रोग	स्त्री रोग	अस्थि रोग	क्षय रोग	नेत्र रोग	निश्चेतन
1.	अजमेर	1	–	–	1	1	–	–
2.	अलवर	1	1	–	–	–	–	–
3.	बाड़मेर	–	1	–	–	–	–	–
4.	भरतपुर	3	–	–	–	–	2	–
5.	बारां	1	–	–	–	–	–	1
6.	बीकानेर	–	–	–	–	–	–	1
7.	बांसवाड़ा	–	–	–	–	1	–	–
8.	भीलवाड़ा	1	–	–	–	–	–	–
9.	धौलपुर	1	1	1	–	–	–	–
10.	डूंगरपुर	1	–	1	–	–	–	–
11.	जयपुर	2	–	–	–	–	–	–
12.	झुन्झुनूं	–	–	1	–	–	–	–
13.	कोटा	–	–	–	2	1	–	–
14.	पाली	1	1	–	–	–	–	–
15.	सवाई माधोपुर	–	1	–	–	–	–	–
16.	सिरोही	–	1	–	–	–	–	–
17.	उदयपुर	–	–	1	–	–	–	–

362

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 522 की सूची

भीलवाड़ा जिले की तहसील आसीन्द में स्वीकृत उप केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	उप केन्द्र का नाम	कार्यरत ए.एन.एम. का नाम
1	2	3
1-	चतरपुरा	श्रीमती एलम्टीया मैसी
2-	सापोला	,, गुलाब देवी
3-	रघुनाथपुरा	,, होली चारणी
4-	भोजपुरा	,, आनन्दवली
5-	मोतीपुरा	,, सरोज देवी
6-	बाजून्दा	,, निर्मला पी.के.
7-	परा	,, मंजू रानी सैनी
8-	कालवास	,, सरला हेमल्टन
9-	रतनपुरा	,, करुणा चक्रवर्ती
10-	ईरास	,, जमना मारु
11-	शम्भूगढ़	,, मंजू टेलर
12-	काडरु	,, हेमलता शर्मा
13-	दांतड़ा	,, देविका रानी
14-	करजालिया	,, बयुला सरोज
15-	भादसी	,, प्रेम कंवर
16-	कटार	,, गिरवर कंवर
17-	ओजियाणा	,, नीलम कुमारी
18-	आकड़ सादा	,, विजय लक्ष्मी
19-	मोडकापिम्बा हेड़ा	,, माया पी. नायक
20-	बरसनी	,, लीसी अलेकजेन्डर
21-	बतिलोली	,, ऐलीअम्मा ई.पी.
22-	दहावत	,, लीलामणी अम्मा
23-	रूपपुरा	रिक्त

1	2	3
24–	चैनपुरा	श्रीमती माया एच. ऊपन
25–	पालड़ी	,, थनकम्पा के.पी.
26–	लाछूडा	,, कमला हेमल्टन
27–	पाटन	,, शोभा कुमारी
28–	नेकडिया	,, गीता वैष्णव
29–	मोटरास	,, कोशल्या देवी
30–	रामपुरा	,, विमला मिश्रा
31–	भ्रमसार	,, गीता पारासर
32–	होली	,, शकुन्तला

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 527 की सूची

बांसवाड़ा शहर में सा.नि.वि., बांसवाड़ा के द्वारा कुल 11-82 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का वर्ष 1991-92 में डामरीकरण किया गया है जिस पर राशि रु. 13.82 लाख व्यय की गई।

कार्य सूची स्वीकृत वर्ष 1990-91

क्र.सं. 1	2	लम्बाई 3	खर्च 4
1-	मोहन कालोनी मार्ग नं. 6, 8, 9	425 मीटर	49,725/-
2-	राती तलाई में टी.वी. क्लिनिक से सेन्ट्रल स्कूल	805 ,,	94,185/-
3-	राती तलाई में मार्ग नं. 1, 2, 6	910 ,,	1,06,470/-
4-	कस्टम चौराहे से घण्टाघर व नागरवाड़ा एवं धनलक्ष्मी मार्केट	1370 ,,	1,60,290/-
5-	मुस्लिम कालोनी में सड़क निर्माण कार्य	505 ,,	59,085/-
6-	नाथेलाव कालोनी में सड़क निर्माण कार्य	700 ,,	81,900/-
7-	गदेडियावाटा में मार्ग नं. 1 से 5	561 ,,	65,637/-
8-	कार्मशियल ऐरिया में महावीर हरिजन बस्ती से रमा बहन के मकान से आशा सदन	700 ,,	81,900/-
9-	राय तालाब से काली कल्याण धाम	700 ,,	81,900/-
10-	बनेश्वर महादेव मन्दिर से भण्डारिया हनुमानजी मन्दिर तक	2150 ,,	2,51,550/-
	कार्य सूची वर्ष 91-92 के स्वीकृति के अन्तर्गत		
11-	राम बाजार (हसमुखलाल के मकान से नटवर लाल के मकान तक) एवं महालक्ष्मी मन्दिर से डींगाव तक।	800 ,,	93,600/-
12-	मनोहरलाल जोशी के मकान से सिविल लाइन एव डाक्टर व्यास वाली गली	630 ,,	73,710/-
13-	खान्दू कालोनी में सैक्टर 4/1 से 4/13 एवं सैक्टर नं. 6	650 ,,	76,050/-

(365)

1	2
14–	दोहर रोड से डा. जैन आंखों क
15–	मुस्लिम कालोनी
16–	राती तलाई में सम्पर्क सड़क भारतमाता मन्दिर
17–	सम्पर्क सड़क शिक्षा विभाग कार्या राती तलाई
18–	मोहन कालोनी में मयूर होटल के सम्पर्क सड़क ।

ी के लिए आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी

वित्तीय संसाधन (प्रस्तावित) (रुपये लाखों में)		अनुमानित एन. आर. आई. अंशदान (रुपये लाखों)	विवरण
6		7	8
य प्रवर्तक	– 38.68	69.29	भूमि आवंटन हो गया है।
र. आई.	– 69.29		
कालोबोरेटर	– 57.70		
	– 18.29		
आर. एफ. सी.	– 175.00		
राशि	– 35.00		
	393.96		
य प्रवर्तक	– 12.72	66.18	
आर. आई.	– 66.18		—,,—
ो कोलोबोरेटर	– 52.50		
	– 14.60		
आर. एफ. सी.	– 122.68		
न पूंजी	– 30.67		
	299.35		
य प्रवर्तक	– 26.44	122.30	—,,—
आर. आई.	– 122.30		
ो कोलोबोरेटर	– 20.00		
	– 18.70		
आर. एफ. सी.	– 150.00		
पूंजी	– 35.00		
	372.44		

1	2	3
4.	रिजोनेन्स इमेर्जिंग लि.,	बिन्दायका, ज
5.	अरुणा मार्बल्स लि.	उदय
6.	गौरव सोल्वे, स. प्रा. लि.,	अल
7.	श्री फैट एण्ड प्रोटीन्स प्रा. लि.,	बस्सी, जय

368

	7	8
– 145.00	145.00	
– 15.00		
– 35.00		
– 150.00		
– 90.00		
– 43.50		
478.50	655.18	

सूची-"ख"

राज्य सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापना पर दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों के विवरण की सूची :-

1. अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित की जाने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को 20 प्रतिशत राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान, अधिकतम सीमा 35.00 लाख रुपये देय है, यदि अप्रवासी भारतीय का इकाई की परियोजना लागत में 40 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के रूप में अंशदान हो।

2. अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित की जाने वाली नई औद्योगिक इकाई, जिसमें उनका कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के रूप में अंशदान हो, को अधिकतम 11 वर्ष के लिए भुगतान किए गए बिक्री कर के 90 प्रतिशत (अधिकतम, स्थाई पूंजी विनियोजन का 100 प्रतिशत सीमा तक) ब्याज मुक्त ऋण सुविधा देय है।

3. विक्रय कर प्रोत्साहन योजना वर्ष 1987/1989 के अन्तर्गत 75 प्रतिशत से शत प्रतिशत विक्रय कर का दायित्व से मुक्ति/आस्थगन की सुविधा।

4. सीमेन्ट उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, तम्बाकू पर आधारित उद्योग, कपड़ा, चीनी उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग एवं खाद्य संस्करण उद्योग, जो 1/4/90 से 31/3/95 की 5 वर्ष की अवधि में उत्पादन में आयेंगे, उन्हें मशीनरी क्रय करने पर बिक्री कर से छूट।

5. राज्य के समस्त राजकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों की 70 प्रतिशत आवश्यकताओं की आपूर्ति राज्य में लगी लघु औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों से होगी, जिनमें अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित इकाइयां भी सम्मिलित हैं।

6. अप्रवासी भारतीयों द्वारा इलेक्ट्रोनिक से सम्बन्धित इकाइयों की स्थापना पर रीको द्वारा उन्हें भूमि आवंटन में प्राथमिकता तथा भूमि की लागत में 20 प्रतिशत छूट व उदार इक्विटी सहभागिता, तथा एस्कोर्ट सेवायें आदि प्रदान की जाती हैं।

7. अप्रवासी भारतीयों द्वारा औद्योगिक इकाई की स्थापना तीव्र गति से किए जाने पर उत्पादन प्रेरणा के रूप में भूमि की लागत में रीको द्वारा 10 से 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।

8. अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित ऐसी नई औद्योगिक इकाइयां जिन्होंने पावर कनेक्शन 1/4/90 से 31/3/95 तक लिया हो तथा जिनकी कनेक्टेड लोड क्षमता 3000 के. वी. ए. तक हो, को 31/3/95 तक पावरकट से मुक्ति दी गई है।

9. औद्योगिक इकाइयों हेतु एच. टी. पावर सर्विस लाइन डालने का व्यय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वहन किया जाता है। यद्यपि शुरू में यह राशि उपभोक्ता से अग्रिम के रूप में ली जाती है जो कि बिजली के मासिक बिलों में (33 प्रतिशत तक) समायोजित होती है।

10. भूमि व भवन कर से मुक्ति यदि इकाई द्वारा वार्षिक कर की 10 गुनी राशि एक मुश्त जमा करा दी जाती है।

11. राज्य में अप्रेल 1990 से मार्च, 1995 तक स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले कच्चे माल पर उनके व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से पांच वर्ष तक चुंगी कर से छूट।

12. राज्य में अप्रेल, 1990 से मार्च, 1995 तक स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा आयातित मशीनरी एवं प्लांट पर चुंगी कर में छूट।

13. अप्रेल, 1990 से मार्च, 1995 तक की अवधि में वर्तमान इकाई के विस्तार हेतु प्रयुक्त होने वाली प्लांट व मशीनरी के आयात पर भी चुंगी कर में छूट।

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 532 की सूची

औद्योगिक क्षेत्र मकराना (विदियाद) स्थित ईकाइयों के विरुद्ध बकाया राशि का विवरण । (राशि रुपयों में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	राशि	बकाया राशि देय होने का वर्ष
1	2	3	4
1.	मै. जम्बेश्वर मार्बल एन्टरप्राइजेज	16830 00	1982
2.	मै. मूनलाइट मार्बल इण्ड्.	5865.00	1982
3.	मै. मांगीलाल पाबूदान	479 00	1990
4.	मै. न्यू लक्ष्मी मार्बल	4533 00	1982
5.	मै. मेरी लैण्ड मार्बल (इण्डिया)	8663.00	1990
6.	मै. न्यू भारत मार्बल	5101.00	1982
7.	मै. एकता मार्बल	7000.00	1981
8.	मै. मार्बल इण्ड.	12579.00	1983
9.	मै. अरुण मार्बल इण्ड	15267.00	1981
10.	मै. एन. आर. मार्बल इण्ड.	19800.00	1980
11.	मै. भगवती मार्बल इण्ड.	5087.00	1983
12.	मै. गोबिन्द मार्बल इण्ड.	13824.00	1981
13.	मै. डी. के. मार्बल इण्ड.	8100.00	"
14.	मै. जोलावत मार्बल इण्ड.	8100 00	"
15.	मै. गुप्ता मार्बल इण्ड.	4788.00	"
16.	मै. चारभुजा मार्बल इण्ड.	4659.00	"
17.	मै. इत्तफाक मार्बल इण्ड.	5437.00	"
18.	मै. कस्तूरी मार्बल इण्ड.	2316.00	1983
19.	मै. मुरारी मार्बल इण्ड.	4212.00	1981
20.	मै. चौधरी मार्बल कटिंग वर्क्स	1345.00	"
21.	मै. नारायण खण्डेलवाल मार्बल	1376.00	"
22.	मै. नानक मार्बल कटिंग इण्ड.	787.00	1982
		155948.00	

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 533 की सूचना

क्र. सं.	जिला उद्योग केन्द्र	ईंट भट्टों की संख्या	ईंटों का निर्माण (संख्या में)	कार्यरत मजदूरों की संख्या	जमा रायल्टी राशि 1990-91 (राशि हृ. रु. में)
1	2	3	4	5	6
1–	जयपुर	46	23.92 करोड़	532	1810.22
2–	अजमेर	20	2.47 ,,	284	11.15
3–	अलवर	24	4.87 ,,	111	323.18
4–	भीलवाड़ा	4	40.37 लाख	88	37.12
5–	जोधपुर	शून्य	शून्य	शून्य	151.96
6–	कोटा	,,	,,	,,	–
7–	पाली	,,	,,	,,	–
8–	उदयपुर	52	2.02 करोड़	740	563.14
9–	बांसवाड़ा	21	18.40 लाख	111	16.75
10–	भरतपुर	41	7.07 करोड़	1000	573.93
11–	बीकानेर	101	2.94 ,,	463	563.14
12–	चित्तौड़गढ़	1	11.00 लाख	20	12.90
13–	झुन्झुनूं	3	13.71 ,,	43	14.89
14–	नागौर	1	50.00 ,,	7	
15–	श्री गंगानगर	242	42.00 ,,	6637	3810.76
16–	सवाई माधोपुर	5		122	60.51
17–	सीकर एवं झुन्झुनूं	12	1.00 ,,	250	14.89
18–	टोंक	शून्य	शून्य	शून्य	–
19–	बाड़मेर	,,	,,	,,	–
20–	बून्दी	,,	,,	,,	0.37
21–	चूरू	40	42.00 ,,	389	
22–	डूंगरपुर	शून्य	शून्य	शून्य	57.82

1	2	3	4	5	6
23–	जैसलमेर	शून्य	शून्य	शून्य	–
24–	जालौर	,,	,,	,,	–
25–	झालावाड़	6	,,	300	
26-	सिरोही	शून्य	,,	शून्य	62.89
27–	धौलपुर	,,	,,	,,	–
28–	दौसा	,,	,,	,,	–
29–	बारां	,,	,,	,,	–
30-	राजसमन्द	,,	,,	,,	–
	योग—	619	39.38 करोड़	10827	8085.62

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 535 की सूची

सिंचाई खण्ड वित्तीय, अजमेर में अप्रेल, 1991 से जुलाई, 1991 तक के कार्यों के वर्क आर्डर की सूची

क्र.सं.	कार्यों का नाम	स्वीकृत वर्क आर्डर नं.	स्वीकृति की दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1-	पुष्कर सरोवर की मिट्टी के अनलोडिंग का कार्य	1	8.5.1991	9,975/-
2-	पुष्कर सरोवर की साइड पर सड़क के लिए मोरम की सप्लाई का कार्य	2	1.5.1991	9,400/-
3-	रण समंद गुढोलाव फीडर पर मिट्टी का कार्य च. नं. 25 से 27	3	3.5.1991	9,094/-
4-	पुष्कर लेक पर मिट्टी अनलोडिंग का कार्य	4	11.5.1991	9,975/-
5-	-डू-	5	14.5.1991	9,975/-
6-	तिलोरा साइड से सड़क के लिए मोरम की सप्लाई का कार्य पुष्कर सरोवर तक	6	16.5.1991	9,987/-
7-	सरोठ फीडर पर मिट्टी का कार्य	7	18.6.1991	9,412/-
8-	राताभाटा फीडर पर मलवा का कार्य	8	18.6.1991	9,622/-
9-	शेरों का बाला फीडर पर मिट्टी का कार्य	9	18.6.1991	9,645/-
10-	पुष्कर खुदाई पर मिट्टी अनलोडिंग का कार्य	10	23.5 1991	9,975/-
11-	-डू.-	11	25.5.1991	9,975/-
12-	रणसमंद गुण्ढोलाव फीडर पर मिट्टी का कार्य	12	1.7 1991	9,560/-
13-	पुष्कर लेक पर मिट्टी अनलोडिंग का कार्य	13	29.5.1991	9,975/-
14-	-डू-	14	8.6.1991	9,975/-

1	2	3	4	5
15–	पुष्कर लेक पर मिट्टी अनलोडिंग का कार्य	15	11.6.1991	9,975/–
16–	–हू–	16	14.6.1991	9,975/–
17–	–हू–	17	2.7.1991	9,975/–
18–	–हू–	18	5.7.1991	9,975/–
19–	–हू–	19	7.7.1991	9,975/–
20–	–हू–	20	11.7.1991	9,975/–
21–	–हू–	21	30.7.1991	9,975/–

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 536 की तालिका

परियोजना पर व्यय की तालिका

क्र.सं.	सिंचाई परियोजना का नाम	तहसील	कुल व्यय	प्रस्तावित सिंचाई क्षमता (हैक्टयरों में)	वास्तविक अधिकतम सिंचाई (हैक्टेयर में)	विशेष विवरण
1–	खेजड़ी	चाकसू	31.15	350 हैक्टेयर	164 हैक्टेयर	—
2–	दूबली	बस्सी	35.20	364 हैक्टेयर	शून्य	दूबली बांध में सीपेज के कारण वर्षा के उपरांत पानी उपलब्ध नहीं रहता है जिससे सिंचाई सम्भव नहीं हो पाती। इस समस्या के कारणों का विश्लेषण करवाया जावेगा तथा समुचित निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 537 की सूची

तालाबों की सूची–तहसील घाटोल

क्र.सं.	नाम बांध	पंचायत समिति
1–	भाटिया	घाटोल
2–	बोरदा	"
3–	बोरपीकेरिंग	"
4–	छापरों का नाला	"
5–	चुन्दई	"
6–	दूदका–II	"
7–	गोरचा	"
8–	जगपुरा	"
9–	खाटिया	"
10–	कुण्डला	"
11–	महुवाल भूंगड़ा	"
12–	महुवाल देलवाड़ा	"
13–	मेमखोर	"
14–	नया तालाब	"
15–	पाडला	"
16–	फाटा	"
17–	श्यामपुरा	"
18–	सोमपुर	"
19–	आमलीखेड़ा	पीपलखूंट
20–	डूंगलावानी	"
21–	लाम्बा डाबरा	"
22–	मेल	"
23–	गरवानिया	"
24–	सागरवारी	"
25–	मोडलपुर	"

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 538 का विवरण

क्र सं	तहसील	स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य प्रारम्भ नहीं
1.	बीकानेर	52	9	23	20
2.	नोखा	98	77	14	7
3.	कोलायत	20	3	17	—
4.	लूनकरणसर	137	1	136	—
	योग :–	307	90	190	27

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 548 का विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से प्राप्त विद्युत (मेगावाट) अनुमानित

क्र सं	विद्युत परियोजनाओं के नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
	पन विद्युत परियोजनाएं					
1.	भाखड़ा	206.15	206.15	206.15	206.15	206.15
2.	देहर	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
3.	पोंग	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60
4.	चम्बल	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00
	ताप विद्युत परियोजनाएं					
1.	सतपुड़ा	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 554 का विवरण

जयपुर जिले के जेल विभाग के अधिकारियों द्वारा गत 5 वर्षों में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण

1– केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के बन्दी रमेश एवं मुन्ना की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में सलाहकार मण्डल के समक्ष सम्पूर्ण रिकार्ड व सही तथ्य प्रस्तुत नहीं करने के सम्बन्ध में श्री जुगलकिशोर शर्मा, अधीक्षक को निलम्बित कर निम्नलिखित अधिकारियों को सी. सी. ए. रूल्स, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिये गये हैं :–

1. श्री जुगलकिशोर शर्मा, अधीक्षक
2. श्री श्यामाचरण सक्सेना, उपाधीक्षक (सेवानिवृत)
3. श्री मुरारीलाल शर्मा, कारापाल (सेवानिवृत)
4. श्री जयन्ती प्रसाद शर्मा, कारापाल
5. श्री डूंगरसिंह, कारापाला
6. श्री जयप्रकाश, कारापाल

2– केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के बन्दी रमेश बनाम सरकार याचिका सं. एस. बी. रिट नं. 2777/90, मुन्ना बनाम सरकार नं. 3306/90 में न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर अनुत्तरदायित्व पूर्ण आचरण करने पर कर्तव्यों के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतने व पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा सी. सी. ए. रूल्स, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 31.1.92 को श्री ओमप्रकाश चावरिया, उपाधीक्षक को आरोप-पत्र दिये गये हैं।

3– केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के बन्दी गोपी पुत्र श्योजी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में सलाहकार मण्डल के समक्ष सही तथ्य एव सम्पूर्ण रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा श्री विश्वेशचन्द्र जोशी, अधीक्षक को निलम्बित कर निम्नांकित अधिकारियों को सी. सी. ए. रूल्स, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिये गये हैं :–

1. श्री जुगलकिशोर शर्मा, अधीक्षक
2. विश्वेशचन्द्र जोशी, अधीक्षक

4– केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में वर्ष 1989 में राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन के समय अनियमित रूप से सामान जैसे रजाई, गद्दे आदि किराये पर लेकर पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में सी. सी. ए. रूल्स, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत निम्नांकित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं।

1– श्री चेतनदेव उपाध्याय, अधीक्षक

2– श्री जयप्रकाश कारापाल

3– श्री मोहम्मद इस्माइल खां, अधीक्षक (सेवानिवृत्त)

4– श्री चन्द्रकान्त गोठवाल, सहायक कारापाल

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 556 का विवरण

जिला—टोंक पंचायत समिति-निवाई

क. सं	पद	नाम	स्तर जहां विचाराधीन	विलम्ब का कारण
1.	प्रधान	श्री बजरंग लाल	जिला स्तर	सी. ई. ओ. टोंक स्तर पर गवाह सबूत तलब किये जा रहे हैं।
2.	,,	श्री रामकरण गुजर	,,	उपखण्ड अधिकारी, टोंक स्तर पर गवाह सबूत तलब किये जा रहे हैं।

क.सं.	पद	नाम	ग्राम पं.	स्तर जहां विचाराधीन	विलम्ब का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	पूर्व सरपंच	श्री दूलाराम	वनस्थली	राज्य सरकार	अन्तिम नोटिस पर कार्यवाही की जा रही है।
2.	,,	श्री लादूलाल	पहाड़ी	,,	अन्तिम नोटिस पर कार्यवाही की जा रही है।
3.	,,	श्री लादूलाल मीणा	मूण्डिया	,,	अन्तिम नोटिस पर कार्यवाही की जा रही है।
4.	,,	श्री श्योजीराम	चतमुंजपुरा	,,	आरोप पत्र दिया जा कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।
5.	,,	श्री रामचन्द्र जाट	दहलोद	,,	आरोप पत्र दिया जा कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
6.	पूर्व कार्यवाहक	श्री जमनालाल चौधरी	नटवाड़ा	राज्य सरकार	आरोप पत्र दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।
7.	पूर्व सरपंच	श्री सुखदेव गुजर	तुर्किया	,,	आवश्यक सूचना जिला कलेक्टर से मांगी जा रही है।
8.	,,	श्री कैलाश चन्द	नटवाड़ा	,,	आरोप पत्र दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।
9.	,,	श्री कल्याण शर्मा	चेनपुरा	,,	जिला कलक्टर से आवश्यक सूचना चाही जा रही है।
10.	,,	श्री श्योजीराम	चतुर्भुजपुरा	,,	आरोप पत्र दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।
11.	,,	श्री बद्रीलाल गुजर	दहलोद	,,	जिला कलक्टर से सूचना चाही जा रही है।
12.	,,	श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	खण्डवा	,,	जिला कलक्टर एवं पुलिस विभाग से सूचना चाही जा रही है।
13.	,,	श्री लादूलाल	मूण्डिया	,,	जिला स्तर से अभियोजन सम्बन्धी सूचना चाही जा रही है।
14.	,,	श्री घासीराम करेडा	बुजर्ग	जिला स्तर	उपखण्ड अधिकारी टौंक स्तर पर गवाह सबूत तलब किये जा रहे हैं।
15.	,,	श्री भंवरलाल	ढाणी जुगलपुरा	,,	उपखण्ड अधिकारी टौंक स्तर पर गवाह सबूत तलब किये जा रहे हैं।
16.	,,	श्री भंवरलाल गुजर	ढाणी जुगलपुरा	,,	उपखण्ड अधिकारी टौंक स्तर पर गवाह सबूत तलब किये जा रहे हैं।
17.	,,	श्री नानगराम	तुर्किया	,,	उपखण्ड अधिकारी टौंक स्तर पर गवाह सबूत तलब किये जा रहे हैं।
18.	,,	श्री राधाकिशन गुजर	खिडगी	,,	उपखण्ड अधिकारी टौंक से बिस्तृत जांच करवाई जा रही है।
19	,,	श्री रामचन्द्र जाट	दहलोद	,,	आवश्यक सूचना मांगी जा रही है।
20.	,,	श्री शिवकरण शर्मा	पलई	,,	आवश्यक सूचना चाही जा रही है।
21.	,,	लादूलाल जाट	खण्डवा	,,	प्रा. जांच प्रक्रिया की जा रही हैं।

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 557 की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	प्राथमिक विद्यालय	महिला अध्यापक	पुरुष अध्यापक
1.	बांसवाड़ा (मु तलवाड़ा)	145	197	166
2.	घाटोल	141	81	239
3.	गढ़ी	133	79	249
4.	बागीदौरा	108	81	179
5.	सज्जनगढ़	90	25	157
6.	पीपलखूंट	108	44	141
7.	कुशलगढ़	107	35	158
8.	आनन्दपुरी	75	10	149
	योग :	907	552	1438

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 561 की सूची

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिवों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवक/ पदेन सचिव	ग्राम पंचायतों का नाम जिनका कार्य कर रहे हैं।
1	2	3
1.	श्री रतनलाल गुर्जर	(1) मारवाड़ (2) बिठुड़ा (3) धामली (4) अऊवा
2.	,, जबरसिंह सोड़ा	(1) दुदौड़ (2) हेमलियावास खुर्द
3.	,, मोहनसिंह	(1) जांडन (2) सिनला
4.	,, रमेशचन्द्र	(1) देवली (2)
5.	,, मोतीलाल	(1) कराडी
6.	,, डूंगरसिंह	(1) बाता
7.	,, जब्बरसिंह	(1) हिंगोल खुर्द
8.	,, हेमाराम	(1) भिवालिया (2) पाचेटिया
9.	,, पर्वतसिंह	(1) वापारी (2) माडा
10.	,, सोहन सिंह	(1) गुडा सूरसिंह (2) मलसा बावड़ी
11.	,, सज्जन सिंह	(1) रापावास (2) गुडा केसरसिंह (3) निम्बली मांड़ा
12.	,, रूपाराम	(1) बाड़सा (2) चवाडीया
13.	,, छैलसिंह	(1) चिरपटिया (2) गादाड़ा (3) रड़ावास
14.	,, शान्तिलाल	(1) सारण (2) सिरीयारी
15.	,, श्रीनाथ पटेल	(1) बोरीशदा
16.	,, लालदास	(1) सेखावास
17.	,, अमरचन्द	(1) गुडा रामसिंह
18.	,, जगदीशचन्द्र	(1) सेहवाज (2) सवलाड
19.	,, मोहन नाथ	(1) मसालीयम (2) बोरनदी
20.	,, धन्नाराम	(1) धुंधला (2) कन्टालिया
21.	,, भैरूलाल	(1) नांला (2) बासनी जोजावर

1	2	3
22.	श्री करनीदान	(1) जजावर (2) भगोड़ा
23.	;; भंवरसिंह	(1) फुलाद (2)
24.	;; दलेसिंह	(1) चेकड़ीया
25.	;; खेतसिंह	(1) ईसाली, जाणुन्दा

पंचायत समिति सोजत में कार्यरत ग्राम सेवकों एवं पदेन सचिवों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवक/ पदेन सचिव	ग्राम पंचायतों का नाम जिनका कार्य कर रहे हैं।
1.	श्री मगराज चौधरी	(1) खारीया नींव (2) मेव
2.	;; ओ. सी. जैकब	(1) चाडवास (2) रेपड़ावास (3) सुरायता
	;; भूराराम	(1) रूपावास (2) हिंगावास (3) चौपड़ा
	;; रामचन्द्र	(1) सरदार समन्द (2) शिवपुरा
	;, टीकूलाल	(2) बिलावास (2) घोनावास (3) धाकड़ी
	;; खींव सिंह	(1) खारीया सोडा (2) मेषाणा
	;; गोरधन सिंह	(1) सियाट (2) रेन्दड़ी
8.	खींवराज	(1) सोजत रोड़, (2) बगड़ी (3) केलवाद (4) गुडा कला
9.	;; पारसमल	(1) गुडा रामसिंह (2) हरियामाली
10.	;; तुफेल अहमद	(1) खोखरा (2) मंडला
11.	;; मिश्रीलाल	(1) साडिया (2) बासना (3) राजोला
12.	;; धन्नाराम	(1) चण्डावल (2) अटबड़ा
13.	;, बचनाराम	(1) चंडावल स्टेशन (2) करमावास
14.	;; रतनलाल	(1) खोडिया (2) गुडा बींजा
15.	;; रामेश्वर (निलम्बित)	निलम्बित है

386

शुद्धि-पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	32	4	श्री विरधाराम चौधरी	श्री बिरधाराम चौधरी
2.	59	7	अममेर	अजमेर